अहमदी अहबाब की तरबियत के लिए

दीनी निसाब

(धार्मिक पाठ्यक्रम)

प्रकाशक

नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान

ज़िला गुरदासपुर, पंजाब ।

पुस्तक : दीनी निसाब (धार्मिक पाठ्यक्रम)

सम्पादक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत

अनुवादक : अताउर्रहमान ख़ालिद

हिन्दी संस्करण प्रथम: 2017 ई.

संख्या : 3000

प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान।
ज़िला गुरदासपुर, पंजाब 143516

प्रेस : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
हरचोवाल रोड क़ादियान, ज़िला
गुरदासपुर, पंजाब 143516

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

क्र.	विषय	पृ.
1.	जमाअत अहमदिया का परिचय	2
2.	अहमदिया जमाअत की आस्थाएं (अक़ीदे)	6
3.	इस्लाम के पांच अरकान (स्तम्भ)	8
4.	नमाज़ से सम्बंधित ज़रूरी आदेश	9
5.	वे समय जिन में नमाज़ पढ़ना मना (वर्जित) है	9
6.	रक्आत की संख्या	10
7.	नवाफ़िल (अतिरिक्त स्वेच्छित नमाज़ें)	10
8.	नमाज़ की शर्तें तथा वुज़ू के मसले	10
9.	नमाज़ तथा उसको पढ़ने का तरीका	13
10.	सना	13
11.	तअव्वुज़	13
12.	तस्मीय:	14
13.	सूर: फ़ातिह:	14
14.	सूर: इख़्लास	14
15.	तस्मीअ	15
16.	तहमीद	15
17.	दो सज्दों के बीच की दुआ	15
18.	तशह्हुद	16
19.	दुरूद शरीफ़	17
20.	दुआएं	17
21.	नमाज़ के बाद की दुआएं	18

क्र.	विषय	पृ.
22.	नमाज़ वितर	19
23.	दुआ-ए-क़ुनूत न. 1	19
24.	दुआ-ए-क़ुनूत न. 2	20
25.	नमाज़ के बारे में ज़रूरी बातें	21
26.	नमाज़ जुमा	27
27.	ख़ुत्बः जुमा	28
28.	नमाज़ ईदैन (दोनों ईदें)	30
29.	कस्र नमाज़	30
30.	नमाज़ जमा करना (इकट्ठा करना)	31
31.	मुर्दा के विषय में आदेश तथा नमाज़-ए-जनाज़ा	31
32.	रोज़ः (उपवास) के बारे में आदेश	35
33.	ज़कात के विषय में आदेश	38
34.	हज के विषय में आदेश	41

दूसरा अध्याय

1.	बच्चे के जन्म पर ज़रूरी आदेश	44
2.	मां बाप के लिए ज़रूरी बातें	45
3.	निकाह	46
4.	हुक़ूक़े ज़ौजैन (पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य)	49
5.	तअद्दुद-ए-इज़दिवाज (बहुविवाह करना)	50
6.	मुहर्रमाते निकाह (जिन से विवाह करना मना है)	50
7.	रिज़ाअत (दूध पिलाना) का समय	51
8.	मुताअ	51
9.	तलाक़	51
10.	इद्दत के आदेश	53

क्र.	विषय	पृ.
11.	ख़ुलअ	54
12.	लिआन	55
13.	सूद (ब्याज)	56
14.	क़र्ज़	57
15.	क़र्ज़ वापस लेना	58
16.	ज़िराअत (खेती सम्बंधी विषय)	58
17.	इजारह (मज़दूरी)	59
18.	ख़रीद फ़रोख़्त	60
19.	ख़रीद फ़रोख़्त के नियम	60
20.	ममनूआत (निषिद्ध वस्तुएं)	61
21.	शुफ़अ	62
22.	विरासत	63

तीसरा अध्याय

1.	बुरे रस्म व रिवाज	66
2.	बच्चे की पैदाइश से सम्बंधित रस्में	67
3.	साल गिरह (जन्म दिन) मनाना	68
4.	नाक, कान छिदवाना, चोटी रखना	68
5.	शादी ब्याह से सम्बंधित रस्में	69
6.	नाच-गाना, बैण्ड बाजे और आतिशबाज़ी	69
7.	दहेज़ दिखाना	70
8.	सेहरा बाँधना	70
9.	बड़े-बड़े मेहर रखवाना	70
10.	मेहर माफ़ करवाना	71
11.	मोटर, स्कूटर, भारी दहेज़ माँगना	71

क्र.	विषय	पृ.
12.	मेंहदी की रस्म	71
13.	शादी के अवसर पर पर्दे का प्रबन्ध और वीडियोग्राफ़ी	72
14.	शादी से संबंधित रस्मों के बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला के निर्देश	72
15.	मौत से सम्बंधित रस्में	77
16.	रोना पीटना	77
17.	क़ुल	77
18.	फ़ातिहा ख़्वानी	78
19.	चहल्लुम	78
20.	ख़तम क़ुर्आन	78
21.	मुर्दों को सवाब पहुँचाने के लिये खाना पकाना	79
22.	उर्स मनाना	79
23.	बारह वफ़ात	80
24.	मीलाद ख़्वानी	81
25.	क़ब्रों पर फूल चढ़ाना	81
26.	नज़र व नियाज़ के लिये क़ब्रिस्तान जाना और पक्की क़ब्रें बनाना	81
27.	क़ब्रों पर चिराग़ जलाना	81
28.	जिसके यहाँ मातम (शोक) हो उसके साथ हमदर्दी	82
29.	आधे शा'बान का हल्वा	82
30.	आशूरह, मुहर्रम के ताबूत और महफ़िल	82
31.	तस्बीह का प्रयोग	83
32.	तावीज़ गण्डे	84
33.	धूम्रपान	85
34.	सिनेमा-थियेटर, इन्टरनेट	87
35.	बेपर्दगी से संबंधित पवित्र क़ुर्आन का आदेश	89

क्र.	विषय	पृ.
36.	बेपर्दगी से संबंधित हदीस का आदेश	89
37.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत मसीह मौऊद(अ॰) का आदेश	90
38.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह अव्वल (प्रथम)रज़ि॰ का आदेश	90
39.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह सानी (द्वितीय)रज़ि॰ का आदेश	91
40.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह सालिस (तृतीय) रह. का आदेश	92
41.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह राबेअ(चतुर्थ) रहिमहुल्लाहु तआला का आदेश	92
42.	बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह (पंचम) अय्यदहुल्लाहु तआला का आदेश	93

चौथा अध्याय

	इख़्तिलाफ़ी (मतभेद सम्बंधी) विषय	
1.	मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का विषय	98
(i).	पहला सबूत	98
(ii).	दूसरा सबूत	100
(iii).	तीसरा सबूत	102
(iv).	चौथा सबूत	103
(v).	मुर्दों का इस संसार में न लौटना	104
2.	ख़त्मे नुबुव्वत का विषय	105
(i).	जमाअत अहमदिय्या की आस्था	105
(ii).	आयत खातमुन्नबिय्यीन और उसकी व्याख्या	106
(iii).	आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और दूसरे बुज़ुर्गान ने ख़ातमुन्नबिय्यीन के क्या अर्थ किए हैं	109

क्र.	विषय	पृ.
3.	उम्मती नबी और क़ुर्आन करीम	110
(i).	पहली आयत	111
(ii).	दूसरी आयत	113
(iii).	तीसरी आयत	114
(iv).	चौथी आयत	114
4.	उम्मती नबी और नबी करीम(स.अ.व.) की हदीसें	116
(i).	पहली हदीस	116
(ii).	दूसरी हदीस	116
(iii).	तीसरी हदीस	117
5.	हदीस ''ला नबिय्या बा'दी'' की व्याख़्या	117
6.	मौऊद मसीह ने इसी उम्मत में से होना था	119
7.	ईसा अलैहिस्सलाम और मसीह मौऊद का हुलिया (शारीरिक स्वरूप)	122
8.	नुज़ूल की हक़ीक़त (वास्तविकता)	124
9.	इब्ने मरयम के नाम में हिकमत	125
10.	मसीह मौऊद और महदी एक ही हैं	130
11.	महदी अलैहिस्सलाम तलवार का जिहाद नहीं करेंगे	142
12.	मसीह व महदी की निशानियाँ	151
13.	वर्णित निशानियों के विषय में एक कुधारणा का निवारण	151
14.	मसीह-व-महदी की दस मोटी मोटी निशानियाँ	152
(i).	पहली निशानी	154
(ii).	दूसरी निशानी	156
(iii).	तीसरी निशानी	157
(iv).	चौथी निशानी	164
(v).	पाँचवीं निशानी	166

क्र.	विषय	पृ.
(vi)	छठी निशानी	170
(vii)	सातवीं निशानी	173
(viii)	आठवीं निशानी	176
(ix)	नौवीं निशानी	178
(x)	दसवीं निशानी (मसीह मौऊद का काम)	181
15.	मसीह मौऊद का पहला काम	188
16.	मसीह मौऊद का दूसरा काम	197
17.	हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम का ईसाइयत से मुक़ाबला	201
18.	हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद तथा महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम की सच्चाई	220
19.	ज़ार की हालत-ए-ज़ार (रूस के बादशाह ज़ार की दुर्दशा)	225
20.	डाक्टर डोई के बारे में भविष्यवाणी	227
21.	ताऊन (प्लेग) की भविष्यवाणी	229
22.	नाजी (मुक्तिप्राप्त) सम्प्रदाय केवल जमाअत अहमदिया है	232
23.	मसीह मौऊद व महदी मसऊद पर ईमान लाने का महत्तव	233
24.	जमाअत अहमदिया का उज्ज्वल भविष्य	234

पाँचवां अध्याय

	हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी	
1.	जन्म, बचपन और जवानी	238
2.	आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अवतारित होना	239
3.	मदीना की तरफ़ हिजरत (प्रवास)	240
4.	सुलह हुदैबिया (हुदैबिया की संधि)	241
5.	बादशाहों के नाम इस्लाम का संदेश	242
6.	मक्का पर विजय	242

क्र.	विषय	पृ.
7.	स्वर्गवास	243
8.	आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की संतान और पत्नियाँ	244
9.	हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो अन्हो का ख़िलाफ़त काल	244
10.	प्रारम्भिक जीवन	244
11.	कुर्बानी और त्याग	245
12.	ख़िलाफ़त का ज़माना	246
13.	स्वर्गवास	247
14.	हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहो अन्हो का ख़िलाफ़त काल	248
15.	प्रारम्भिक जीवन	248
16.	इस्लाम स्वीकार करना	248
17.	ख़िलाफ़त का ज़माना	249
18.	जीवन चरित्र	250
19.	शहादत (स्वर्गवास)	251
20.	हज़रत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहो अन्हो का ख़िलाफ़त काल	251
21.	प्रारम्भिक जीवन	251
22.	त्याग और कुर्बानी	252
23.	ख़िलाफ़त का ज़माना	253
24.	शहादत (स्वर्गवास)	254
25.	हज़रत अली कर्रमल्लाहो वज्हहू का ख़िलाफ़त काल	254
26.	प्रारम्भिक जीवन	254
27.	ख़िलाफ़त का ज़माना	255
28.	जमल का युद्ध	255
29.	सफ़्फ़ैन का युद्ध	256
30.	ख़वारिज का उत्पन्न होना	257

क्र.	विषय	पृ.
31.	शहादत (स्वर्गवास)	257
32.	हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम	258
33.	प्रारम्भिक जीवन	258
34.	मामूर और मसीह होने का दावा	260
35.	सन्तान	262
36.	स्वर्गवास	264
37.	ख़िलाफ़त अहमदिया	264
38.	हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल(रज़ि॰)	270
39.	प्रारम्भिक जीवन	270
40.	हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत (दर्शन)	271
41.	ख़िलाफ़त का दौर	272
42.	स्वर्गवास	276
43.	हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद(रज़ि॰) मुस्लिह मौऊद, ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय ख़लीफ़ा)	277
44.	प्रारम्भिक जीवन	277
45.	ख़िलाफ़त-काल	280
46.	स्वर्गवास	284
47.	हज़रत हाफ़िज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रह) (तृतीय)	284
48.	प्रारम्भिक जीवन	284
49.	ख़िलाफ़त का दौर	286
50.	तहरीकात	286
51.	दसवीं तहरीक सौ साल अहमदिया जुब्ली फण्ड स्कीम	289
52.	मस्जिद बशारत का निर्माण	291
53.	चौदहवीं सदी हिज्री की विदाई और पंद्रहवीं सदी का स्वागत	292

क्र.	विषय	पृ.
54.	जमाअत के लिए शिक्षा योजना	293
55.	पुरस्कार	296
56.	ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द (जप)	297
57.	क़ुरआन मजीद का विश्वव्यापी प्रकाशन	298
58.	हज़रत सय्यिदा मंसूरा बेग़म साहिबा का स्वर्गवास	298
59.	दूसरा निकाह	298
60.	अन्तिम सम्बोधन	299
61.	रब्वाह में जुमे का आख़िरी ख़ुत्बः	299
62.	हुज़ूर की बीमारी और शोकपूर्ण निधन	299
63.	सन्तान	300
64.	हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ (चतुर्थ) रहिमहुल्लाह तआला	301
65.	प्रारम्भिक जीवन	301
66.	ख़िलाफ़त का दौर	302
67.	तहरीक बुयूतुल्हम्द	304
68.	दाई इलल्लाह (अल्लाह की ओर बुलाने वाले) बनने की तहरीक	304
69.	तहरीक की भूमिका	304
70.	दा'वत इलल्लाह की आवश्यकताएँ	305
71.	दा'वत इलल्लाह का तरीक़ा	306
72.	पर्दे की पाबन्दी की तहरीक	308
73.	प्रत्येक देश में मज्लिस-ए-शूरा की स्थापना	309
74.	योजना आयोग की स्थापना (मन्सूबाबंदी कमीशन की स्थापना)	309
75.	निश्चित दरों के साथ चन्दों की अदायगी	309
76.	तहरीक जदीद के चौथे दफ्तर की स्थापना	309

क्र.	विषय	पृ.
77.	वक़्फ़े जदीद का विश्वव्यापी विस्तार	309
78.	नए प्रचार केन्द्रों की तहरीक	310
79.	कम्प्यूटर टाईपराइटर की तहरीक	310
80.	कलिम-ए-तय्यिबा की सुरक्षा की विशेष तहरीक	310
81.	सय्यदिना बिलाल(रज़ि०) फण्ड	311
82.	श्वेत पत्र का जवाब	311
83.	इस्लामी लिट्रेचर का प्रकाशन	311
84.	मजालिसे इरफ़ान (धार्मिक ज्ञान संबंधी सभाएँ)	311
85.	हिजरत (प्रवास)	312
86.	शुद्धि तहरीक के विरुद्ध तब्लीग़ी जिहाद	312
87.	भारत में निर्माण की तहरीक	312
88.	तहरीक वक़्फ़े नौ (बच्चे का जन्म से पूर्व समर्पण)	312
89.	पिछली रूसी रियासतों में वक़्फ़ की तहरीक	312
90.	बोसनिया में पीड़ित मुसलमानों की सहायता की तहरीक	313
91.	मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इन्टरनैशनल (एम.टी.ए.)	313
92.	झूठ के विरुद्ध जिहाद	313
93.	शताब्दी समारोह	313
94.	क़ुरआन मजीद के अनुवाद	314
95.	हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ (चतुर्थ) रहमहुल्लाह तआला का शानदार लिट्रेचर	314
96.	विश्वव्यापी क़ुरआन का दरस (पाठ)	315
97.	अन्तर्राष्ट्रीय बैअत	315
98.	महत्त्वपूर्ण तहरीकें और घटनाएं	315
99.	हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़	316

क्र.	विषय	पृ.
100.	हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम	317
101.	जन्म तथा तालीम-व-तर्बियत	319
102	आप की दीनी ख़िदमात (धार्मिक सेवाएं) की कुछ झलकियां	319
103	ख़िलाफत का इन्तिख़ाब (निर्वाचन)	321
104	हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ की मुबारक तहरीकें	321
105	वसीयत के निज़ाम (व्यवस्था) की दृढ़ता-	331
106	पंचम ख़िलाफ़त का मुबारक दौर और وَسِّعْ مَكَانَكَ की भविष्यवाणी	332
107	पंचम ख़िलाफ़त, एम.टी.ए की उन्नति और उसके मधुर फल	335
108	पंचम ख़िलाफत और मस्जिदों का निर्माण	337
109	हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह के कुछ अत्यन्त अहम भाषण	338
110	अमन कान्फ्रेन्स	339
111	अहमदिया अमन अवार्ड	339
112	विभिन्न अहम व्यक्तियों के नाम पत्र	340
113	हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला के विश्व के दौरे	341
114	ख़िलाफ़त अहमदिया सौ साला जोबली (शताब्दी समारोह)	342

छठा अध्याय

1.	जमाअत अहमदिया की व्यवस्था	344
2.	मज्लिस-ए-शूरा (परामर्श समिति) या मज्लिसे मुशावरत	344
3.	सदर अन्जुमन अहमदिया	345
4.	तहरीक जदीद अन्जुमन अहमदिया	346
5.	अन्जुमन अहमदिया वक़्फ़े जदीद	346

क्र.	विषय	पृ.
6.	जमाअत अहमदिया और आर्थिक कुर्बानी	346
7.	चन्दा आम (सामान्य)	348
8.	चन्दा जल्सा सालाना	350
9.	चन्दा तहरीक जदीद	350
10.	चन्दा वक़्फ़े जदीद	351
11.	ज़कात (दान)	351
12.	चन्दा आम अलग है और ज़कात अलग	351
13.	ज़ैली तन्ज़ीमें (अधीनस्थ संगठन)	352
14.	लज्ना इमाउल्लाह (अल्लाह की बन्दियों की मज्लिस)	352
15.	मज्लिस अन्सारुल्लाह	353
16.	मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया (युवा संगठन)	353
17.	मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया (बाल संगठन)	353
18.	मस्जिद के आदाब (नियम)	354
19.	सभाओं के आदाब (नियम)	355
20.	वार्तालाप के आदाब (नियम)	356
21.	माता पिता का आज्ञापालन और उसके नियम	357
22.	लेन-देन के आदाब (नियम)	358
23.	हलाल कमाई (वैध कमाई)	360
24.	उच्च चरित्र	361
25.	आज्ञापालन	362
26.	वुसअते हौसला (विशाल सहनशीलता) और नर्म ज़ुबान	363
27.	अवगुण	364

क्र.	विषय	पृ.

सातवाँ अध्याय

1.	कुछ विशेष कविताएँ	368
(i)	(हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा) हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की शान (वैभव)	368
(ii)	नुसरते इलाही	368
(iii)	क़मर है चाँद औरों का हमारा चाँद कुर्आं है	369
(iv)	कुर्आन शरीफ़ की ख़ूबियाँ	369
(v)	शाने इस्लाम	370
(vi)	औलाद के लिए दर्दमन्दाना दुआएं	371
(vii)	हमारा ख़ुदा (द्वारा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो)	372
(viii)	अल्लाह मियाँ का ख़त (द्वारा हज़रत डाक्टर मीर मुहम्मद इस्माईल साहब)	373
(ix)	अहमदी बच्ची का दुआ (द्वारा हज़रत डाक्टर मीर मुहम्मद इस्माईल साहब)	374

आठवाँ अध्याय

1.	याद रखने की बातें	378

***
*

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

प्राक्कथन

इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए आवश्यक है कि दा'वत इलल्लाह (अल्लाह की ओर बुलाना) के पवित्र अभियान को अपनाया जाए। अल्लाह तआला क़ुरआन करीम में फ़रमाता है :-

وَمَنۡ اَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَی اللّٰہِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ○ (حٰمٓ سجدہ آیت:34)

(हा मीम अस्ससज्दह, आयत 34)

अनुवाद :- ''और उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की ओर लोगों को बुलाता है और अपने ईमान के अनुसार कार्य करता है और कहता है कि मैं तो आज्ञाकारियों में से हूँ।''

सय्यदिना हज़रत अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ''दाइयन इलल्लाह'' (अल्लाह की ओर बुलाने वाला) की उपाधि प्रदान की गई। अत: अवतरित होने के पहले दिन से निधन के अन्तिम समय तक आप(स) दा'वत इलल्लाह के पवित्र कर्त्तव्य में व्यस्त रहे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी दा'वत इलल्लाह के लिए दिन-रात लिखित, मौखिक एवं आर्थिक जिहाद में व्यस्त रहे। आपने एक अवसर पर अपनी हार्दिक भावनाएँ इस प्रकार व्यक्त की थीं-

''हमारे वश में हो तो हम फ़क़ीरों की भाँति घर-घर जाकर ख़ुदा तआला के धर्म का प्रचार करें और इस नष्ट करने वाले शिर्क[1] एवं कुफ़्र से जो दुनिया में फैला हुआ है, लोगों को बचाएँ और इस प्रचार में अपनी ज़िन्दगी समाप्त कर दें, चाहे मारे ही जाएं।''

(मल्फ़ूज़ात, भाग 3, पृ. 391)

1 शिर्क- ख़ुदा का भागीदार बनाना (अनुवादक)

सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाह की तहरीकों में सबसे महत्वपूर्ण एवं मूल तहरीक जिसकी ओर आप अपनी ख़िलाफ़त के आरम्भ से ही जमाअत का ध्यान आकृष्ट करते रहे, दा'वत इलल्लाह की तहरीक है। आपने बार-बार यह फ़रमाया कि अब वह समय नहीं रहा कि कुछ मुबल्लिगों तथा मुअल्लिमों के द्वारा दा'वत इलल्लाह का काम पूरा हो सके वरन् अब तो जमाअत के हर व्यक्ति को दाई इलल्लाह[1] बनना आवश्यक होगा। अत: आप फरमाते हैं :-

''हे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों! और हे दीने मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मतवालो ! अब इस विचार को छोड़ दो कि तुम क्या करते हो और तुम्हारे ज़िम्मे क्या काम लगाये गये हैं अपितु तुम में से प्रत्येक दाई इलल्लाह है और प्रत्येक ख़ुदा तआला के यहाँ उत्तरदायी होगा। तुम्हारा कोई भी पेशा हो, तुम्हारा कोई भी काम हो, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, तुम्हारा किसी क़ौम से सम्बन्ध हो, तुम्हारा सर्वप्रथम दायित्व यह है कि तुम दुनिया को मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के रब्ब की ओर बुलाओ और उनके अन्धेरों को नूर में बदल दो और उनकी मौत को जीवन प्रदान करो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो।'' (ख़ुत्बाः जुमा, 25 फ़रवरी 1983)

अल्लाह तआला ने हमारे प्यारे इमाम की इस तहरीक में ऐसी बरकत प्रदान की है कि दा'वत इलल्लाह के परिणाम स्वरूप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मनुष्य वास्तविक इस्लाम अर्थात् अहमदियत के आँचल तले आ रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन अधिकाधिक आने वालों की इस प्रकार शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सके कि इसके परिणाम स्वरूप न केवल यह कि स्वयं इनमें सुदृढ़ता आ जाए बल्कि ये आगे दाई इलल्लाह बनकर और अधिक सदात्माओं को सन्मार्ग पर लाने का कारण बनते चले जाएँ। जैसा कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ रहिमहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं-

1. दाई इलल्लाह -ख़ुदा की ओर बुलाने वाला (अनुवादक)

''इतनी बहुलता के साथ अल्लाह तआला के इनामों के फलों की वर्षा हो रही है कि इन्हें संभालना एक बहुत बड़ा काम है। जो फल संभाला नहीं जाता वह नष्ट हो जाता है। अत: ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने आवश्यक हैं जो पूरे वर्ष काम करते रहें और नये आने वालों को धर्म की बातें इस सीमा तक समझा दें कि शैतान उनको बहका न सके और जब वे वापस जायें तो डराने वाला बनकर जाएँ। इन नये आने वालों को ऐसे केन्द्रों पर बुलाओ जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो, धर्म की सूझ बूझ हो जाए और इस प्रकार उनको धर्म समझा दो कि उनमें धर्म की उमंग उत्पन्न हो जाए। वे शिष्य की भाँति ही न बैठे रहें बल्कि शिक्षक बनकर जल्दी वापस जाकर अपनी क़ौम को डराएँ (सावधान करें)।'' (ख़ुत्बः जुमा, 19 अगस्त 1994)

※- अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से सिलसिले के केन्द्र क़ादियान में धार्मिक शिक्षा सिखाने हेतु एक विश्वविद्यालय जिसका नाम 'जामिआ अहमदिया' है इसमें सात वर्ष का कोर्स है।

हर दाई इलल्लाह के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह क़ादियान आकर सात वर्ष का कोर्स पढ़कर, नियमानुसार मुबल्लिग़ (धर्म प्रचारक) या मुअल्लिम बनकर धर्म की सेवा का कर्त्तव्य पूरा कर सके और दूसरी ओर इस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता भी अधिक है जो प्रारम्भिक एवं मूल धार्मिक शिक्षा से अवगत होकर प्रचार एवं प्रशिक्षण के कार्य में लग जाएँ तो ऐसे दाइयीन इलल्लाह तैयार करने के लिए दिसम्बर 1998 ई. में आयोजित मज्लिसे मुशावरत भारत, में यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था कि एक ऐसा संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे हर राज्य के स्थानीय प्रशिक्षण-केन्द्रों में दाइयीन इलल्लाह को बुलाकर पढ़ा दिया जाए ताकि जहाँ वे स्वयं अहमदियत अर्थात वास्तविक इस्लामी शिक्षा से अवगत हो जाएँ वहाँ अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रशिक्षण के काम को संभालने के योग्य हो जाएँ।

अत: सिलसिला-ए-अहमदिया की विभिन्न पुस्तकों ''अन्सारुल्लाह का बुनियादी निसाब'' ''तबलीग़े हिदायत'' लेखक हज़रत मिर्ज़ा बशीर

अहमद साहिब(रज़ि०) आदि की सहायता से एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करके प्रकाशित किया जा रहा है। जिसमें इस्लाम के मूल स्तम्भों नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज आदि विषय और ईमान के स्तंभों की व्याख्या व दैनिक दिनचर्या के धार्मिक मसलों के अतिरिक्त मतभेदीय मसले और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तथा ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन(रज़ि०) (नबी करीम(स.अ.व.) के चार ख़लीफ़ाओं) की संक्षिप्त जीवनी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और ख़ुल्फ़ा-ए-अहमदियत की संक्षिप्त जीवनी के अतिरिक्त जमाअत की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

आशा है कि साधारण दाइयीन इलल्लाह के लिए चाहे वे पुराने अहमदियों की नई पीढ़ी से सम्बन्ध रखते हों या अभी नये आये हों, यह पाठ्यक्रम पर्याप्त होगा।

इसके पश्चात सविस्तार जानकारी प्राप्त करने के लिए जमाअत का बहुत सा लिट्रेचर उपलब्ध है। अधिक जिज्ञासा रखने वाले मित्रों को हज़रत मुस्लेह मौऊद(रज़ि०) की किताब ''दा'वतुल अमीर''। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब(रज़ि०) की किताबें ''तबलीग़े हिदायत'' और ''ख़त्मे नुबुव्वत की हक़ीक़त'' के अध्ययन के लिए प्रेरणा दी जाती है। इसी प्रकार विरोधियों के आरोपों के उत्तर के लिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ(रहि०) के 18 ख़ुतबात-ए-जुमा जो 1985 ई. में आपने पाकिस्तान के श्वेतपत्र के जवाब में वर्णन किए थे इसी प्रकार आरोपों के उत्तरों पर आधारित 9 पुस्तकों का सैट और ''साप्ताहिक बदर'' का मसीह मौऊद(अ०) विशेषाँक दिसम्बर 1995 ई. का अध्ययन करने की प्रेरणा दी जाती है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं- "हर अहमदी को पता होना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतरित होने की आवश्यकता क्या है और यह कि आपको मानना क्यों ज़रूरी है........ अत: हर अहमदी को चाहिए कि आपकी किताबों को पढ़े,

जो अँग्रेजी पढ़ने वाले हैं या जिनको उर्दू भाषा नहीं आती उनके लिए दूसरे देशों में अल्लाह तआला के फज़्ल से विभिन्न भाषाओं में इतना लिट्रेचर (पुस्तकें) मौजूद है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतरित होने का उद्‌देश्य और आपको मानना क्यों आवश्यक है इस बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी उपस्थित है। हर एक को अपनी आस्थाओं को मज़बूत करने की आवश्यकता है। ऐतराज़ करने वालों के ऐतराज़ों का उत्तर दें। स्वयं प्रयत्न करेंगे तो ज्ञान भी प्राप्त होगा और ऐतराज़ों के उत्तर भी तैयार होंगे।

इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अतिरिक्त जमाअती निज़ाम और ज़ैली तंज़ीमों को भी अपने प्रोग्राम बनाने चाहिए कि किस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति तक यह ज्ञान पहुंचा दें कि आप अलैहिस्सलाम के अवतरित होने का क्या उद्‌देश्य है और आपको मानना क्यों आवश्यक है।"

(ख़ुत्बा जुमा 16 अगस्त 2013, मस्जिद बैतुल फ़ुतूह लन्दन)

हज़ूर अनवर के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि जमाअत के हर व्यक्ति के लिए अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाना कितना ज़रूरी है और इस ज़रूरत के लिए इस पुस्तक अर्थात् "दीनी निसाब" का अध्यन अत्यन्त आवश्यक है। अत: हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की जीवनी और पंचम ख़िलाफ़त के मुबारक दौर के वर्णन सहित आवश्यकता अनुसार नज़ारत नश्र व इशाअत क़ादियान हुज़ूर अनवर की मंज़ूरी से इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद का प्रथम संस्करण प्रकाशित कर रही है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि दाइयीन इलल्लाह को तैयार करने के लिए इस संक्षिप्त तरबियती पाठ्यक्रम को अत्यन्त लाभदायक एवं बरकत वाला बनाए। आमीन !

नाज़िर नश्र-व-इशाअत,
क़ादियान

आवश्यक नोट

प्रत्येक दाई इलल्लाह जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहता है उसे सर्वप्रथम क़ुर्आन शरीफ़ देखकर पढ़ना आना चाहिए। यदि किसी को सादा क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए आवश्यक है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के साथ साथ क़ुरआन शरीफ़ देखकर पढ़ना और फिर उसका अनुवाद सिखाने का प्रबन्ध किया जाए।

पहला अध्याय

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود

पहला अध्याय

अहमदिया जमाअत का परिचय तथा आस्थाएं

सच्ची भविष्यवाणियाँ करने वाले हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला से संदेश पाकर जहाँ अपनी उम्मत (क़ौम) की प्रगति तथा उन्नति के बारे में महान भविष्यवाणी की थी, वहाँ आख़िरी ज़माने में इस क़ौम की अवनति के बारे में भी स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणियाँ की थीं। अत: हज़रत अली रज़ियल्लाहो अन्हो ने वर्णन किया है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरी क़ौम पर एक समय ऐसा भी आएगा कि :-

لَا یَبۡقٰی مِنَ الۡاِسۡلَامِ اِلَّا اسۡمُہٗ وَلَا یَبۡقٰی مِنَ الۡقُرۡاٰنِ اِلَّا رَسۡمُہٗ مَسَاجِدُھُمۡ عَامِرَۃٌ وَّھِیَ خَرَابٌ مِنَ الۡھُدٰی عُلَمَاءُھُمۡ شَرٌّ مَنۡ تَحۡتَ اَدِیۡمِ السَّمَاءِ۔

(مشکوٰۃ کتاب العلم فصل الثالث صفحہ 38)

(मिश्कात किताबुल इल्म फ़स्लुस्सालिस, पृ. 38)

अर्थात इस्लाम केवल नाम का रह जाएगा और क़ुर्आन मजीद के केवल शब्द रह जाएंगे। उनकी मस्जिदें देखने में तो आबाद होंगी परन्तु हिदायत से ख़ाली होंगी। उनके उलमा आसमान की छत के नीचे बहुत बुरे लोग होंगे।

इसके अतिरिक्त आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आख़िरी ज़माने में इबादत करने वाले मूर्ख होंगे, क़ारी (क़ुर्आन पढ़ने वाले) लोग दुराचारी होंगे। पति अपनी पत्नी का अनुसरण करेगा। मस्जिदों में शोर होगा। विद्वान इसलिए ज्ञान सीखेंगे कि धन कमा सकें। क़ुर्आन को व्यापार बना देंगे। लोग मस्जिद में बैठ कर दुनिया की बातें

करेंगे, भाषण बहुत होंगे। नेकी की हिदायत देने वाले कम होंगे। शराब पी जाएगी। पुरुष स्त्रियों का रूप धारण करेंगे। स्त्रियां पुरुष का रूप बनाएंगी। निर्दोष क़त्ल होंगे।

(इक़्तिराबुस्साअः पृ. 38, प्रकाशित मूफ़ीदे आम अल्क़ाइना, आगरा इदारः मुन्शी मुहम्मद अहमद खान 1301 हिज्री)

हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जहां उम्मत (क़ौम) की इस दुर्दशा और अवनति की बड़ी स्पष्ट भविष्यवाणियाँ फ़रमाई थीं, वहीं आप ने क़ौम को यह ख़ुशख़बरी भी दी थी कि इस अवनति और दुर्दशा के बाद फ़िर मेरी उम्मत पर बहार का ज़माना आएगा और यह उम्मत अपनी खोई हुई प्रारम्भिक शान व शौक़त पुन: हासिल करेगी और आख़िरी ज़माने में जबकि उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार हालात घटित होंगे तो एक महान् हस्ती अल्लाह तआला की तरफ़ से क़ौम में खड़ी की जाएगी जिसको आप ने महदी और मसीह के नाम से याद फ़रमाया। अत: आप (स.अ.व.) फ़रमाते हैं :-

كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اٰخِرُهَا۔

(کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۳ حدیث نمبر 2124)

(कंज़ुलउम्माल भाग 7 पृ. 203 हदीस न. 2124)

कि मेरी क़ौम कभी तबाह व बार्बाद नहीं हो सकती जिसके आरम्भ में ख़ुदा ने मुझे भेजा और जिसकी रक्षा तथा सहायता के लिए आख़िर में मसीह मौऊद आएगा। आँहज़रत स.अ.व. के इस कथन से यह भी स्पष्ट है कि ख़ुदा तआला की ओर से मसीह मौऊद का आना ऐसे युग में निश्चित था जो उम्मते मुहम्मदिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरों का ज़माना था।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इन्ज़ारी[1] भविष्यवाणियों के अनुसार हम देखते हैं कि वे सारे लक्षण प्रकट हो चुके हैं जिनके इस महान अस्तित्व के ज़माने में प्रकट होने के बारे आप स.अ.व. ने ख़बर दी थी। अत: ज़रूरी था कि ऐसे हालात में अल्लाह तआला उस मसीह

1. इन्ज़ारी भविष्यवाणियां वे होती हैं जिन में किसी क़ौम को डराया और सावधान किया जाता है ।

और महदी को भी प्रकट करता जिसके प्रकट होने की ख़बर आँहज़रत स.अ.व. ने दी थी।

अत: अल्लाह तआला ने आज से सौ साल से कुछ समय पहले अहमदिया सम्प्रदाय के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को यह ख़बर दी थी कि मसीह और महदी जिस के ज़ाहिर होने की ख़बर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दी थी वह आप ही हैं। अत: आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''जब ख़ुदा तआला ने ज़माने की वर्तमान स्थिति को देखकर और पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के पापों और पथभ्रष्टता से भरा हुआ पाकर मुझे सच्चाई के प्रचार और सुधार के लिए नियुक्त किया और यह ज़माना भी ऐसा था कि... इस दुनिया के लोग तेहरवीं शताब्दी हिज्री को ख़त्म करके चौदहवीं शताब्दी के सिर पर पहुँच गए थे तब मैंने उस आदेश का पालन करते हुए आम लोगों में लिखित विज्ञापनों और भाषणों के द्वारा पुकारना शुरू किया कि इस शताब्दी के सिर पर जो ख़ुदा की तरफ से धर्म के सुधार के लिए आने वाला था ''वह मैं ही हूँ'' ताकि वह ईमान जो पृथ्वी पर से उठ गया है उसको दोबारा स्थापित करूं और ख़ुदा से शक्ति पाकर उसी के हाथ के आकर्षण से दुनिया को सुधार और तक़्वा (संयम) और सच्चाई की ओर खीचूँ...... जिसकी ख़ुशख़बरी आज से तेरह सौ साल पहले रसूल-ए-करीम स.अ.व. ने दी थी ''वह मैं ही हूँ''।

(तज़करतुश्शहादतैन, रूहानी ख़ज़ाईन, जिल्द 20, पृ. 403)

अत: आप ने 23 मार्च 1889 ई. को एक जमाअत की स्थापना की ताकि सच्चे धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा दुनिया में स्थापित किया जाए और क़ुर्आन करीम का शासन स्थापित किया जाए और झूठे धर्मों को मिटा कर सारी दुनिया को हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स.अ.व. के झण्डे के नीचे एकत्र किया जाए।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं :-

''हमारे धर्म का सारांश तथा सार यह है कि لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

(ला इलाहा इल्लल्लाहो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) हमारा विश्वास जो हम इस संसारिक जीवन में रखते हैं जिसके साथ हम अल्लाह तआला की दी हुई ताकत और मेहरबानी से इस संसार से जाएंगे, यह है कि हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन व ख़ातमुल मुरसलीन हैं। जिनके हाथ से धर्म पूर्ण हो चुका और वह ने'मत सम्पूर्णता की सीमा को पहुँच चुकी जिसके द्वारा मनुष्य सत्य के मार्ग को ग्रहण करके ख़ुदा तआला तक पहुँच सकता है।''

(इज़ाला औहाम, भाग 1, रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 3, पृ. 169, 170)

इसी प्रकार हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''मानव जाति के लिए पृथ्वी पर अब कोई किताब नहीं मगर क़ुर्आन और समस्त संसार के लिए अब कोई रसूल तथा शफ़ीअ (सिफ़ारिश करने वाला) नहीं मगर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम।

(किश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 19 पृ. 13)

फिर फरमाया :-

''आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं और क़ुर्आन शरीफ़ ख़ातमुल कुतुब। अब कोई और कलिमा अथवा कोई और नमाज़ नहीं हो सकती। जो कुछ आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रम ाया अथवा करके दिखाया और जो क़ुर्आन शरीफ़ में है इसको छोड़ कर मुक्ति नहीं मिल सकती। जो इसको छोड़ेगा नरक में जाएगा। यह हमारा धर्म तथा आस्था है।'' (मल्फ़ूज़ात जिल्द 8 पृ. 252)

''और हम अपनी जमाअत को नसीहत करते हैं कि वह सच्चे दिल से इस कलिमा तय्यिबा पर विश्वास रखें कि لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ और इसी पर मरें तथा सारे नबियों तथा सारी ख़ुदाई किताबों पर जिनकी सच्चाई क़ुर्आन शरीफ़ से प्रमाणित है उन सब पर ईमान लाएं और रोज़ा, नमाज़, ज़कात, हज्ज तथा ख़ुदा तआला और उस के रसूल के द्वारा निर्देशित किये गए सारे कर्त्तव्यों को कर्त्तव्य समझ कर तथा सारी निषिद्ध बातों को निषिद्ध समझ कर ठीक ठीक इस्लाम पर कारबन्द हों और हम आसमान तथा ज़मीन

को इस बात पर गवाह करते हैं कि यही हमारा धर्म है।''

(अय्यामुस्सुलह, रूहानी ख़ज़ायन, जिल्द 14, पृ. 323)

''हमारी किताब क़ुर्आन करीम के अतिरिक्त कोई नहीं तथा हमारा रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अतिरिक्त कोई नहीं तथा हमारा इस्लाम के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। तथा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अम्बिया (शरीअत लाने वाले अन्तिम नबी) तथा क़ुर्आन शरीफ़ ख़ातमुल कुतुब (आख़री शरीअत) है। अत: धर्म को बच्चों का खेल बनाना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमें इस्लाम का सेवक होने के अतिरिक्त और कोई दावा किसी के मुक़ाबले पर नहीं तथा जो व्यक्ति हमारी तरफ इसके विरुद्ध मनसूब करे वह हम पर मिथ्या आरोप लगाता है। हम अपने नबी के द्वारा फ़ैज़ तथा बरकतें पाते हैं तथा क़ुर्आन करीम के द्वारा हमें फ़ैज़ मिलता है।

(मक्तूब हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया, अलहकम 17 अगस्त 1899 ई.)

अहमदिया जमाअत की आस्थाएं (अक़ीदे)

नीचे अहमदिया जमाअत की आस्थाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है :-

1. अल्लाह तआला की हस्ती विद्यमान है और उस पर ईमान लाना ज़रूरी है।
2. अल्लाह तआला का कोई शरीक (साझीदार) नहीं। वह वाहिद ला शरीक (अकेला जिसका कोई भागीदार नहीं) है।
3. अल्लाह तआला सारे दोषों से पवित्र तथा सब सद्‌गुणों का मालिक है।
4. फ़रिश्ते अल्लाह तआला की सृष्टि हैं तथा वे हर वह काम करते हैं जिनका अल्लाह उन्हें आदेश देता है।
5. अल्लाह तआला की किताबें सत्य हैं इनके द्वारा अल्लाह तआला

अपने बन्दों की हिदायत का प्रबन्ध करता है। मशहूर इलहामी किताबों में तौरात, इंजील, ज़बूर, सोहफ़े इब्राहीम और क़ुर्आन मजीद शामिल हैं। क़ुर्आन मजीद अन्तिम शरई (धर्मविधान) किताब है जो क़यामत तक मन्सूख़ (रद्द) नहीं हो सकती।

6. अल्लाह तआला के नबी सच्चे हैं। अब तक दुनिया के हर हिस्से तथा हर क़ौम में एक लाख चौबीस हज़ार नबी आ चुके हैं। प्रसिद्ध नबियों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तथा आँहज़रत (मुहम्मद) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम शामिल हैं। ये सब नबी अपने-अपने समय पर आकर तथा ख़ुदा के बन्दों को हिदायत देकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अन्तिम शरई (धार्मिक विधान वाले) नबी हैं। क़ुर्आन मजीद में आपको ख़ातमुन्नबिय्यीन तथा रहमतुल्लिल-आलमीन फरमाया गया है।

   हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार चौदहवीं शताब्दी में हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम आपके गुलाम के रूप में इमाम महदी तथा मसीह मौऊद बन कर पधारे हैं।

7. अल्लाह तआला अपने बन्दों की दुआएं सुनता है।
8. अल्लाह तआला अपनी ख़ैर व शर (भलाई व बुराई) की तकदीर जारी (प्रारब्ध) करता है।
9. मरने के बाद इंसान की रूह उठाई जाएगी और उस का हिसाब किताब होगा।
10. अल्लाह तआला का इनकार करने वाले और धर्म के विरोधी अगर वह उनको अपनी परम दया से क्षमा न कर दे, जहन्नम का अज़ाब (यातना) भोगेगें, परन्तु यह जहन्नम स्थायी नहीं होगी। जब सुधार हो

जाएगा अल्लाह तआला उन्हें फिर जन्नत में दाख़िल कर देगा।

11. अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों तथा उसके रसूलों (अवतारों) तथा मृत्यु के बाद दोबारा उठाया जना तथा तक़दीर ख़ैर व शर (भलाई व बुराई का दैवी कानून) पर दिल व जान से ईमान रखने वालों तथा नेक काम करने वालों को अल्लाह तआला स्थायी जन्नतों का वारिस बना देगा।

उपरोक्त आस्थाओं का सारांश निम्नलिखित है इसको अनुवाद सहित ज़बानी याद करना चाहिए :-

اٰمنتُ باللهِ وَمَلٰئِکَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالبَعثِ بَعدَ المَوتِ والقدرِ خَیرِهٖ وَشَرِّهٖ

मैं अल्लाह तथा उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों तथा मृत्यु के बाद उठाए जाने पर पर तथा तक़दीर ख़ैर व शर पर ईमान लाता हूँ।

1. इस्लाम के पांच अरकान (स्तम्भ)

जो व्यक्ति दिल से कलिमा तय्यबा لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ **(ला इलाहा इल्लल्लाहो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह)** पढ़ता है वह मुसलमान है उसे उपरोक्त उचित आस्थाओं की शिक्षा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह नेक कामों की तरफ भी ध्यान दे तभी वह ख़ुदा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। वह कर्म जिन पर इस्लाम की बुनियाद है हदीस-ए-नबवी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसार पांच हैं जो अरकान-ए-इस्लाम कहलाते हैं :-

1. **कलिमा तय्यिबा** जिसके शब्द यह हैं :-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ **(ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह)**

अर्थात् अल्लाह के अतिरिक्त कोई इबादत के योग्य नहीं है और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।

2. पांच नमाज़ों को प्रतिदिन उन के निश्चित समय पर पढ़ना।

3. रमज़ान के रोज़े रखना।

4. ज़कात देना।

5. मक्का में जाकर हज करना।

आगे हर एक विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा रहा है।

2. नमाज़ से सम्बंधित ज़रूरी आदेश

1. अल्लाह तआला ने पांच नमाज़ें अनिवार्य की हैं अर्थात नमाज़ फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा।

2. नमाज़ पढ़ने के समय :-

फ़ज्र :- फ़ज्र की नमाज़ प्रात: पौ फटने से लेकर सूर्य निकलने से पहले तक पढ़ी जाती है।

ज़ुहर :- ज़ुहर का समय सूर्य के ढलने से आरम्भ होता है और उस समय ख़त्म हो जाता है जब किसी चीज़ की छाया उस की ऊंचाई से बढ़ जाए। यह छाया उस छाया के अतिरिक्त है जो किसी चीज़ की ठीक दोपहर के समय होती है।

अस्र :- ज़ुहर का समय समाप्त होने से शुरू होता है तथा धूप के पीला होने तक रहता है। मजबूरी की हालत में सूर्य के अस्त होने तक पढ़ी जा सकती है।

मग़रिब :- सूर्य के अस्त हो जाने के बाद से उस समय तक रहता है जब तक कि पश्चिम की तरफ लाली तथा सफेदी बाकी रहे अर्थात लालिमा के अन्तिम समय तक।

इशा :- लालिमा के समाप्त होने से आरम्भ होता है तथा आधी रात तक रहता है परन्तु किसी मजबूरी (विवशता) की वजह से आधी रात तक न पढ़ी गई हो तो उसके बाद भी फ़ज्र से पहले पढ़ी जा सकती है।

3. वह समय जिन में नमाज़ पढ़ना मना (वर्जित) है

निम्नलिखित समय में नमाज़ पढ़ना मना है :-

1. जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो।

2. जिस समय सूर्य सर पर हो अर्थात ठीक दोपहर के समय।

3. अस्र की नमाज़ के बाद से लेकर सूर्य के अस्त होने तक नफ़िल नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।

4. सुबह की नमाज़ के बाद से सूर्य के उदय होने तक नफ़िल नहीं पढ़ने चाहिएं।

4. रक्आत की संख्या:

फ़ज्र :- दो सुन्नतें, दो फ़र्ज़। सुन्नतें अगर फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी जा सकी हों तो फ़र्ज़ों के बाद पढ़ लेना जाइज़ है।

ज़ुहर :- चार सुन्नतें, चार फ़र्ज़, बाद में दो या चार सुन्नतें, पहली चार सुन्नतों के बजाए दो पढ़ना भी जाइज़ है।

अस्र :- चार फ़र्ज़।

मग़रिब :- तीन फ़र्ज़, दो सुन्नतें।

इशा :- चार फ़र्ज़, दो सुन्नतें फिर तीन रक्अत वितर।

चार फ़र्ज़ से पहले चार रक्अत नफ़िल पढ़े जा सकते हैं।

5. नवाफ़िल (अतिरिक्त स्वेच्छिक नमाज़ें)

1. फ़ज्र के अतिरिक्त बाकी हर अज़ान तथा इकामत के मध्य दो नफ़िल।

2. नमाज़-ए-तहज्जुद के कम से कम दो नफ़िल तथा अधिक से अधिक आठ रक्अत नफ़िल होते हैं।

3. नमाज़-ए-इश्राक़ दो या चार नफ़िल। यह नमाज़ सूर्य निकलने के बाद कुछ दिन चढ़े तक पढ़ी जाती है।

4. नमाज़-ए- चाश्त के दो या चार नफ़िल। इसका समय इश्राक़ के थोड़े समय बाद है।

6. नमाज़ की शर्तें तथा वुज़ू के मसले

1. नमाज़ के लिए शरीर, कपड़ों और जगह का पवित्र होना आवश्यक है।

2. अगर कोई व्यक्ति जुन्बी हो अर्थात उसका वीर्य निकला हो या संभोग किया हुआ हो तो पहले स्नान करना ज़रूरी है अगर किसी उचित मजबूरी के कारण स्नान न कर सके तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। (तयम्मुम का ढंग नम्बर 8 में देखें)

7. नमाज़ पढ़ने से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। वुज़ू करने का तरीका यह है कि हाथों को तीन बार हाथ अच्छी प्रकार धोए फिर तीन बार कुल्ली करे, तीन बार नाक में पानी डालकर उसे साफ करे, तीन बार मुँह धोए, फिर तीन बार कुहनियों तक हाथ धोए। फिर हाथ पानी से तर करके सिर पर माथे से लेकर पीछे गर्दन तक फेरे इसे मसह कहते हैं। फिर शहादत की उंगलियों को कानों में और अंगूठे को कानों के बाहर फिराया जाए। फिर पहले दायें तथा फिर बाएँ पैर को तीन-तीन बार धोए। अगर पानी की कमी हो तो दो-दो या एक-एक बार धोना भी जाइज़ है।

8. अगर पानी उपलब्ध न हो या इतना कम हो कि केवल पीने के लिए ही पर्याप्त हो या वुज़ू करने या स्नान करने से बीमारी पैदा होने या बढ़ जाने का भय हो तो तयम्मुम कर लेना चाहिए। तयम्मुम का तरीका यह है कि साफ़ और स्वच्छ मिट्टी या कच्ची दीवार पर दोनों हाथ मार कर चेहरे पर मले और दूसरी बार हाथ मार कर दोनों हाथों पर कुहनियों या कलाई तक मले। एक बार हाथ मार कर तयम्मुम करना भी सुन्नत है।

9. स्नान और वुज़ू के लिए पानी साफ़ तथा स्वच्छ होना चाहिए। चश्मों, नदी नालों, दरियाओं और कुओं का पानी स्वच्छ तथा साफ होता है। खड़ा पानी जैसे तालाब आदि का पानी स्वच्छ तथा साफ़ समझा जाता है शर्त यह है कि किसी गन्दगी के कारण उस का रंग या स्वाद न बदला हो और न गन्ध बदली हो। अगर कुएँ या तालाब में कोई जानवर गिर कर मर जाए या कोई और गन्दी चीज़ गिर जाए तो उसे निकाल देना चाहिए। जब तक पानी के रंग, गन्ध तथा स्वाद में इसके कारण कोई फ़र्क पैदा न हो तो स्वच्छ तथा साफ़ है अगर इनमें

फ़र्क आ गया है तो इतना पानी निकाला जाए कि रंग, स्वाद तथा गन्ध साफ हो जाए। डोलों की संख्या निश्चित नहीं।

10. वुज़ू करने के बाद यह दुआ पढ़नी चाहिए :-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ۔

(अल्लाहुम्मज्अल्नी मिनत्तव्वाबीना वज्अल्नी मिनल मुततहिहरीन)

अर्थात् हे अल्लाह! मुझे प्रायश्चित करने वालों में से बना और मुझे पवित्र लोगों में से बना।

11. मल मूत्र या कोई और रतूबत (तरल चीज़) या हवा (अपान वायु) निकलने से वुज़ू टूट जाता है। किसी चीज़ का सहारा लेकर या लेटकर सोने से भी वुज़ू टूट जाता है। हवा निकलने या वुज़ू टूट जाने के बारे में अगर सन्देह हो तो सन्देह की वजह से पुन: वुज़ू करना ज़रूरी नहीं होता परन्तु वुज़ू कर लेना पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है।

12. अगर वुज़ू करते समय जुराबें पहनी हों तो उन पर मसह किया जा सकता है। घर में रहने वाला जो यात्री न हो उस के लिए जुराबों पर एक दिन तथा रात तक मसह (गीले हाथ जुराबों पर मलना) जाइज़ (उचित) है परन्तु जो यात्री हो वह तीन दिन तथा तीन रात उन पर मसह कर सकता है। समय का प्रारंभ उस क्षण से होगा जब जुराबें पहनने के बाद वुज़ू टूटे। अगर किसी ने ज़ुहर के समय वुज़ू करके जुराब पहने और मग़रिब के समय वुज़ू टूटा तो इस मग़रिब से मसह का समय शुरू होगा और अगले दिन मग़रिब तक रहेगा।

13. नमाज़ में खड़े रहते हुए या रूकू करते हुए या सज्दे में सो जाने तथा ऊंघने से वुज़ू नहीं टूटता।

14. अगर बूट टख़नों तक हों और उन को पहन कर नमाज़ पढ़नी हो तो उन पर मसह हो सकता है वरना बूट उतार कर पैर धोए या जुराबें वुज़ू करके पहनी हों तो उन पर मसह करे।

नमाज़ तथा उसको पढ़ने का तरीक़ा

नमाज़ पढ़ने वाला जब नमाज़ के लिए तैयार होकर क़िब्ला की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए तो इन शब्दों में नमाज़ की नीयत पढ़े :-

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفاً وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ۔

(इन्नी वज्जहतो वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाते वल्अर्जा हनीफ़नवमा अना मिनल मुश्रिकीन)

अर्थात मैं अपना सारा ध्यान उस अल्लाह की ओर करता हूँ जिसने धरती और आकाश को बनाया है और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ।

इसके बाद ''अल्लाहो अक्बर'' कह कर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए और अपने हाथ सीने पर या इसके नीचे इस प्रकार बांधे कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ पर गुट से आगे हो और निम्नलिखित ''सना'' और ''तअव्वुज़'' और ''तस्मिय:'' पढ़े।

सना

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

(सुब्हानकल्ला हुम्मा वबि हम्दिका व तबाराकस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा ग़ैरुका) अर्थात् हे अल्लाह तू प्रत्येक दोष तथा कमज़ोरी से पवित्र है। (केवल पवित्र ही नहीं अपितु) समस्त प्रशंसनीय सद्गुणों वाला है। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान सबसे ऊँची है और तेरे अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं।

तअव्वुज़

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ **(आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम)**

मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धुत्कारे हुए शैतान से।

तस्मियः

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ **(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम)**

मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बिना मांगे देने वाला और बार-बार रहम करने वाला है। इसके बाद सूरः फ़ातिहः पढ़ कर कोई और सूरः अथवा क़ुरआन का कुछ भाग पढ़े।

सूरः फ़ातिहः

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝ اَلرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۝ اِیَّاکَ
نَعۡبُدُ وَاِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ۝ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ
اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۙ۬ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ ۝ (آمین)

अल्हम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. मालिके यौमिद्दीन. ईय्याका ना'बुदो व इय्याका नस्तईन. इहदिनस्सिरातल् मुस्तक़ीम. सिरातल्लज़ीना अनअम्ता अलैहिम. ग़ैरिलमग़ज़ूबे अलैहिम वलज़् ज़ाल्लीन. (आमीन)।

अर्थात् सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जो सभी लोकों का पालनहार है जो बिना मांगे देने वाला और बार-बार रहम करने वाला है। कर्मफल दिवस का मालिक है। (हे ख़ुदा) हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। तू हमें सीधे रास्ते पर चला। (अर्थात्) उन लोगों के रास्ते पर जिन को तूने पुरस्कार प्रदान किये न (कि उन लोगों के मार्ग पर) जिन पर तेरा प्रकोप अवतरित हुआ और न (उनको जो) बाद में सीधे रास्ते से भटक गये। (हे अल्लाह तू यह दुआ क़ुबूल कर)।

सूरः इख़्लास

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔
قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۝ لَمۡ یَلِدۡ ۝ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ۝ وَلَمۡ یَکُنۡ
لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहो अहद. अल्लाहुस्समद. लम यलिद वलम यूलद. वलम यकुल्लहू कुफ़ुवन अहद।)

अर्थात (मैं) अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बिना मांगे देने वाला और बार-बार रहम करने वाला है। तू कहता चला जा कि अल्लाह एक है। अल्लाह वह हस्ती है जिसके सब मुहताज हैं (और वह किसी का मुहताज नहीं) न उसने किसी को जन्म दिया है और न उसको किसी ने जन्म दिया है और (उसकी विशेषताओं में) उसका कोई भी भागीदार नहीं।

इसके बाद अल्लाहो अकबर कहकर रुकू में जाए और कम से कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم **(सुब्हान रब्बियल-अज़ीम)** पढ़े (अर्थात पवित्र है मेरा महान पालनहार) धीरजपूर्वक रुकू करने के बाद सीधा खड़ा होकर तस्मिय: व तहमीद पढ़े।

तस्मीअ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ۔ **(समिअल्लाहु लेमन हमेदह)** अर्थात् जिस व्यक्ति ने अल्लाह की प्रशंसा की अल्लाह तआला ने उसकी (दुआएँ) सुनीं।

तहमीद

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ۔ **(रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह)** अर्थात हे हमारे रब्ब तेरे लिए ही हर प्रकार की स्तुतियां हैं। बहुत अधिक और पवित्र स्तुति जिस में बरकत हो।

इसके बाद اللّٰهُ اَكْبَر **(अल्लाहु अकबर)** कहकर सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार तस्बीह पढ़े अर्थात سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى **(सुब्हानरब्बियलआला)** (मेरा पालनहार अल्लाह बड़ी शान वाला है।)

इसके बाद اللّٰهُ اَكْبَر **(अल्लाहु अकबर)** कहकर बैठ जाए और निम्नलिखित दुआ पढ़े :-

दो सज्दों के बीच की दुआ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ۔
(अल्ला हुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वज्बुरनी वरज़ुक़नी

वरफ़अनी) हे मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे और मुझ पर रहम कर और मुझे हिदायत दे और मुझे तन्दुरुस्ती दे, मेरा सुधार कर, मुझे ''रिज़्क़'' (आजीविका) प्रदान कर और मुझे आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर।

इस दुआ के बाद ''अल्लाहु अकबर'' कह कर दूसरा सज्दः करे और तीन बार ''सुब्हान रब्बियल आला'' पढ़े जिस प्रकार पहले सज्दः में पढ़ी थी। फिर ''अल्लाहो अकबर'' कह कर दूसरी रक्अत के लिए सीधा खड़ा हो जाए और हाथ बांध कर पहली रक्अत की भाँति सूर: फ़ातिह: तथा कोई अन्य हिस्सा क़ुर्आन का पढ़े फ़िर पहले की भाँति रुकू करे फिर खड़ा हो और फिर दो सज्दे करके दूसरी रक्अत पूरी करे और फिर इस प्रकार बैठ जाए कि दायां पैर खड़ा रहे तथा बायां पैर बिछा हुआ हो। हाथों को घुटनों के पास जांघों पर रखकर तशह्हुद, दुरूद तथा दुआएं पढ़े।

तशह्हुद

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ ط
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

(अत्तहिय्यातो लिल्लाहे वस्सल्लावातो वतय्येबातो अस्सलामो अलैका अय्योहन्नबिय्यो व रहमतुल्लाहे व बरकातुहू अस्सलामो अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन अश्हदो अल्ला इलाहा इल्लल्लाहो व अशहदो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।)

सदा का जीवन अल्लाह के लिए ही है और प्रत्येक इबादत और दान पुण्य भी। हे नबी (अर्थात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। इसी प्रकार हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी अल्लाह की सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त

कोई इबादत के योग्य नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

दुरूद शरीफ़

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

(अल्ला हुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम् मजीद। अल्ला हुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारक्ता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम् मजीद।)

हे अल्लाह विशेष कृपा कर मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) पर और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर जिस प्रकार तूने कृपा की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम(र) के मानने वालों पर। निश्चय ही तू बड़ा महिमावान और बड़ी शान वाला है। हे अल्लाह बरकतें प्रदान कर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर जिस प्रकार तूने बरकतें प्रदान की थीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर। निश्चय ही तू बड़ा महिमावान और बड़ी शान वाला है।

दुआएं

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ **(रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िलआख़िरते हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार)** हे हमारे रब्ब, हमें इस जीवन में हर प्रकार की भलाई दे और परलोक में भी हर प्रकार की भलाई और हमें आग के अज़ाब (यातना) से बचा।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ۔

(रब्बिज्अल्नी मुकीमस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना वत-क़ब्बल दुआ। रब्बनग़्फ़िरली वलिवालिदय्या व लिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।) हे मेरे रब्ब! मुझे नमाज़ का पाबन्द बना और मेरी औलाद को भी। हे हमारे रब्ब तू मेरी दुआएं क़ुबूल कर। हे हमारे रब्ब तू मुझे क्षमा कर और मेरे मां बाप को भी और सभी मोमिनों को जिस दिन हिसाब-किताब हो।

इन दुआओं के बाद पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुंह करके कहे :-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ۔ **(अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाह)**

अर्थात तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमतें हों।

नमाज़ के बाद की दुआएं

(1) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

(अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामो व मिन्कस्सलामो तबारक्ता या ज़लजलाले वल्इकराम।)

अर्थात हे अल्लाह तू सलाम है और तुझ से ही हर प्रकार की सलामती है तू बहुत बरकतों वाला है। हे प्रताप और सम्मान वाले ख़ुदा।

(2) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

(अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका।) हे अल्लाह मेरी मदद कर कि मैं तेरा ज़िक्र (याद) और शुक्र (धन्यवाद) और तेरी अच्छी उपासना कर सकूँ।

(3) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

(अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता वला मोअती लिमा मनअता वला यनफ़ओ ज़लजद्दे मिन्कल जद्द।) हे अल्लाह कोई रोकने

वाला नहीं उस वस्तु को जो तूने प्रदान की और नहीं देने वाला कोई चीज़ जिसको तूने रोक दिया हो और तेरे सामने कोई प्रतिष्ठा किसी प्रतिष्ठावान को लाभ नहीं पहुँचाती।

दुआएं पढ़ने के बाद तैंतीस बार سُبْحَانَ اللهِ **(सुब्हानल्लाह)**, तैंतीस बार اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **(अल्हम्दो लिल्लाह)** और चौतींस बार اللهُ اَكْبَر **(अल्लाहो अकबर)** पढ़े।

नमाज़ वितर

नमाज़ वितर ज़रूरी है। इसकी तीन रक्अतें होती हैं जो इशा की फ़र्ज़ और दो सुन्नतों के बाद से तहज्जुद का समय समाप्त होने तक पढ़ी जा सकती हैं। बेहतर है कि इशा की नमाज़ के साथ पढ़ी जाएं परन्तु जिस व्यक्ति को विश्वास हो कि वह तहज्जुद के समय उठ सकता है वह उस समय पढ़े। पहली रक्अत में सूर: आ'ला, दूसरी में सूर: काफ़िरून और तीसरी में सूर: इख़्लास पढ़ना सुन्नत है। तीनों रक्अतों में सूर: फ़ातिह: के बाद कोई हिस्सा (भाग) क़ुर्आन करीम का पढ़ना ज़रूरी है। नमाज़ वितर पढ़ने के कई तरीके हैं।

1. दो रक्अतें पृथक तथा तीसरी रक्अत पृथक (बुख़ारी व मुस्लिम)।

2. तीनों रक्अतें मिला कर अर्थात दो रक्अतों के तशह्हुद के बाद तीसरी रक्अत पढ़े (अबूदाऊद, तिरमिज़ी)।

दुआ-ए-क़ुनूत तीसरी रक्अत में रूकू के बाद पढ़ें।

दुआ-ए-क़ुनूत न. 1

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

(अल्ला हुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फ़िरुका, व नोमिनोबिका

व नतवक्कलो अलैका व नुस्नी अलैकल ख़ैरा व नश्कुरोका व ला नक्फ़िरुका व नख़्लओ वनतरुको मंय्यफ्जुरुका, अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व लका नुसल्ली न नस्जुदो व इलैका नस्आ, व नहफ़िदो व नरजू रहमतका व नख़्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारे मुल्हिक़।)

हे अल्लाह हम तुझ से ही मदद मांगते हैं और तुझ से ही क्षमा चाहते हैं और तुझ पर ही ईमान लाते हैं और तुझ पर ही भरोसा करते हैं और तेरा गुण गाते हैं, और अच्छाई के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी नाफ़रमानी (अवज्ञा) नहीं करते और हम उससे अलग हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं जो तेरी नाफ़रमानी करता है। हे अल्लाह हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दः करते हैं और हम तेरी तरफ दौड़ते हैं और तेरी सेवा में हाज़िर होते हैं और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं निस्संदेह तेरा अज़ाब काफ़िरों को मिलने वाला है।

दुआ–ए–कुनूत न. 2

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ط وَعَافِنِيْ فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ
فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ
تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ ط وَاِنَّهٗ لَا يَعِزُّ مَنْ
عَادَيْتَ ط نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ۔ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ط
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ط

(अल्ला हुम्मह्दिनी फ़ीमन हदैत, व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैता व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैता व बारिकनी फ़ीमा आ'तैता वक़िनी शर्रा मा क़ज़ैता फ़इन्नाका तक्ज़ी वला युक़्ज़ा अलैका फ़इन्नहू ला यज़िल्लो मंवालैता व इन्नहू ला यइज़्ज़ो मन आदैता तबारक्ता रब्बना व तआलैता व सल्लल्लाहो अलन्नबिय्ये।)

हे अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल करके सीधा मार्ग दिखा जिन को तूने सीधा मार्ग दिखाया और मुझे उन में शामिल करके सलामत रख

कि जिनको तूने सलामत रखा और मुझे दोस्त रख उन में शामिल करके जिनको तू दोस्त रखता है और मुझे उसमें बरकत दे जो तूने मुझे दिया और बचा मुझे उस चीज़ की बुराई से जिसका तूने फैसला किया। निस्संदेह तू ही फैसला करता है और तेरे विरुद्ध कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। निस्संदेह वह अपमानित नहीं होगा जिसका तू दोस्त बन जाए और निस्संदेह वह इज़्ज़त (सम्मान) नहीं पाता जिसका तू दुश्मन हो जाए। हम क्षमा मांगते हैं तुझ से और हम झुकते हैं तेरी तरफ। तू बरकतों वाला है। हे हमारे रब्ब तू बड़ी शान वाला है और नबी (करीम) पर अल्लाह की रहमतें हों।

नमाज़ के बारे में ज़रूरी बातें

1. यदि नमाज़ की केवल दो रकअतें पढ़नी हों तो दूसरी रक्अत में तशह्हुद के बाद दुरुद तथा अन्य दुआएँ पढ़ कर सलाम फेर दें।
2. यदि नमाज़ की तीन रकअतें पढ़नी हों तो दूसरी रकअत में तशह्हुद पढ़ने के बाद अल्लाहो अकबर कह कर खड़ा हो जाए। तीसरी रकअत में केवल सूर: फातिह: पढ़े तथा रुकू एवं सज्दों से फ़ारिग हो कर तशह्हुद आदि पढ़े तथा सलाम फेर दे।
3. यदि फ़र्ज़ नमाज़ की चार रक्अतें पढ़नी हों तो पहली दो रक्अतें पढ़ कर बैठ जाए तथा तशह्हुद पढ़े। तीसरी तथा चौथी रक्अत में केवल सूर: फातिह: पढ़े। तथा चौथी रक्अत के सज्दों से फ़ारिग हो कर तशह्हुद के लिए बैठे तथा दुरुद एवं दुआओं के पश्चात् सलाम फेर दे।
4. यदि सुन्नतें या नफ़िल चार पढ़ने हों तो प्रत्येक रक्अत में सूर: फातिह: के बाद कोई भाग क़ुर्आन मजीद का पढ़े।
5. इमाम (नमाज़ पढ़ाने वाला) सूर: फातिह: के बाद दूसरी सूर: पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह चाहे दिल में (धीरे से) पढ़े या ऊंची आवाज़ से पढ़े दोनों प्रकार से ठीक है। इसी प्रकार आमीन भी धीरे से या ऊंची आवाज़ से कहना ठीक है।
6. तशह्हुद में اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ कहते समय शहादत की उँगली

उठाए उँगली उठाना मुस्तहब[1] (पसंदीदा काम) है।

7. रुकूअ के समय कमर सीधी हो तथा नज़र नीचे सज्दे के स्थान पर हो। रुकूअ पूर्णतया तसल्ली से किया जाए।
8. रुकूअ के पश्चात् सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके पश्चात् तसल्ली से सज्दह किया जाए। सज्दह में जाने के लिए सर्वप्रथम घुटने धरती पर रखे सिवाए इसके कि कोई मजबूरी हो। सज्दह के समय माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने तथा दोनों पांव के पंजे नीचे धरती को स्पर्श कर रहे हों। कुहनियां धरती से ऊंची हों बाहें बगलों तथा जांघों से पृथक हों, हाथों की उँगलियां इकट्ठी क़िब्ला की ओर हों। इसी प्रकार पांव की उँगलियाँ भी, पांव धरती से ऊंचे न करे।
9. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम सीने पर हाथ बांधते थे। कुछ लोग नाभि पर या पेट पर बांधते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये ढंग जायज़ है।
10. यदि नमाज़ में कुछ भूल जाए या किसी प्रकार की कमी की आशंका हो तो जहां तक विश्वास हो उस भाग से आगे नमाज़ पूरी करे तथा तशह्हुद, दरूद तथा प्रचलित दुआओं के पश्चात् सलाम से पूर्व या पश्चात दो सज्दे सहव[2] करे। जैसे यदि शंका हो कि तीन रकअतें पढ़ी हैं या चार तो तीन यक़ीनी समझ कर एक रकअत और पढ़े तथा फिर सज्दह सहव करे।
11. इमाम यदि कुछ भूल जाए या गलती करे तो नमाज़ियों को चाहिए कि सुब्हानल्लाह कहें। यदि इमाम अपनी ग़लती को न पहचाने तो इमाम का अनुसरण किया जाए तथा नमाज़ के पश्चात ग़लती से अवगत करा दिया जाए। यदि इमाम कोई आयत भूल जाए या ग़लत पढ़े तो नमाज़ी ऊंची आवाज़ से ठीक आयत पढ़ दें। यदि ग़लती

---

1. उस कार्य को कहते हैं जो किया जाए तो अच्छा है लेकिन न करने की सज़ा कोई नहीं ।
2. सहव का अर्थ है भूल जाना। नमाज़ में भूल जाने पर जो सज्दे किए जाते हैं उन्हें सज्दह सहव कहते हैं ।

से नमाज़ के किसी अंश का क्रम बदल जाए या नमाज़ का कोई ज़रूरी भाग रह जाए उदाहरणतया दरमियानी कअद, तो सज्दह सहव आवश्यक हो जाता है।

12. नमाज़ी की कोई हरकत इमाम से पूर्व नहीं होनी चाहिए।
13. यदि केवल एक ही नमाज़ी हो तो इमाम के दाएं ओर खड़ा हो। जब दूसरा नमाज़ी आ जाए तो यह इमाम के बांए ओर खड़ा हो।
14. जिस समय इमाम सूर: फातिह: के अतिरिक्त क़ुर्आन मजीद का कोई भाग पढ़े तो नमाज़ी चुपचाप खड़े रह कर सुनें। आयतों को ज़ुबान से न दोहराएं। परन्तु सुर: फातिह: पीछे-पीछे सब के लिए पढ़ना आवश्यक है। (मलफ़ूज़ात जिल्द नौवीं पृ. 436)
15. नमाज़ी के सामने से गुज़रना मना है। यदि कोई नमाज़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है तो एक सफ (पंक्ति) का स्थान छोड़ कर इस के सामने से गुज़र सकते हैं। जो नमाज़ी खुले स्थान पर नमाज़ पढ़े उस को चाहिए कि कोई वस्तु अपने सामने रख ले इसे सुतरः कहते हैं।
16. यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय में जमाअत में सम्मलित हो जब इमाम एक या दो रकअतें पढ़ चुका हो तो जितनी रकअतें शेष रह गई हैं इमाम के सलाम फेर लेने के पश्चात् पूरी करे। अर्थात् स्वयं इमाम के साथ सलाम न फेरे बल्कि नमाज़ पूरी करने के लिए खड़ा हो जाए। यदि नमाज़ी पहली या दूसरी रक्अत में शामिल न हो सका तो ऐसी स्थिति में जो रक्अत या रकअतें वह पढ़ेगा इस में सूर: फातिह: के अतिरिक्त भी क़ुर्आन का कोई भाग पढ़ना आवश्यक होगा जो कम से कम तीन आयत के बराबर हो। इस के लिए ये रकअतें प्रारम्भिक होंगी।
17. यदि कोई व्यक्ति वुज़ू टूट जाने के कारण बाजमाअत नमाज़ से अलग हो तथा वुज़ू करने के पश्चात् दुबारा जमाअत में शामिल हो जाए तो जितनी रकअतें शेष रह गई हैं वह पूरी करे। यदि कोई व्यक्ति अकेला नमाज़ पढ़ रहा है तथा नमाज़ पढ़ते-पढ़ते वुज़ू टूट जाए तो उसके लिए उचित है कि वुज़ू करके वहीं से नमाज़ आरम्भ

करे जहां छोड़ी थी। परन्तु शर्त यह है कि किसी से बात न की हो बात करने की स्थिति में आरम्भ से नमाज़ पढ़नी होगी।

18. जो व्यक्ति रुकूअ में इमाम के साथ शामिल हो उसकी ये रक्अत पूर्ण हो गई। रुकूअ के पश्चात् शामिल होने वाले की रक्अत नहीं होती। जब नमाज़ खड़ी हो जाए तो इस विचार से जमाअत में शामिल होने से रुके रहना कि रुकूअ में शामिल हो जाएंगे उचित नहीं। जिस समय नमाज़ हो रही हो तो तुरन्त इस में शामिल होना आवश्यक है।
19. नमाज़ में शामिल होने के लिए दौड़ कर जाना उचित नहीं।
20. यदि किसी व्यक्ति ने पहले समय की नमाज़ न पढ़ी हो तथा दूसरे समय की नमाज़ खड़ी हो गई हो ऐसी स्थिति में इसे पहले समय की नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए। यदि दूसरे समय की नमाज़ का समय इतना तंग हो गया हो कि यदि पहली पढ़े तो दूसरी का समय व्यतीत हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस समय हो रही नमाज़ पहले पढ़े तथा जो पहली उसके ज़िम्मे थी उस को पीछे डाल दे।
21. यदि किसी समय इमाम दो नमाज़ों को जमा (इकट्ठा) करे तथा नमाज़ी को ज्ञान न हो कि कौन सी है और वह जमाअत में शामिल हो जाए तो उसकी वह नमाज़ होगी जो इमाम की थी। तथा दूसरी नमाज़ बाद में पढ़े। उदाहरणता यदि इमाम अस्र की नमाज़ पढ़ा रहा था तथा नमाज़ी उसे ज़ुहर समझ कर इस में सम्मिलित हुआ तो वह इस की भी अस्र की नमाज़ होगी तथा ज़ुहर की क़ज़ा वह बाद में अदा करेगा, परन्तु यदि नमाज़ी को ज्ञान हो जाए कि इमाम अस्र पढ़ रहा है तो उसे ज़ुहर अवश्य पहले पढ़नी चाहिए तथा फिर बाद में अस्र में सम्मिलित हो।
22. यदि कोई नमाज़ी सुन्नतें पढ़ रहा हो तथा उसी समय नमाज़ खड़ी हो जाए तो उसके लिए आवश्यक है कि तुरन्त सलाम फेर कर नमाज़ बाजमाअत में सम्मिलित हो जाए तथा सुन्नतें बाद में पढ़ ले।
23. यदि इमाम चार रकअत पढ़ा रहा हो तथा वह मध्य का तशहहुद

भूल कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा होने लगे तो यदि उसके घुटने सीधे नहीं हुए तो वह तशहहुद मैं बैठ जाए, सज्दह सहव की आवश्यकता नहीं। परन्तु यदि वह तीसरी रक्अत के लिए पूरा खड़ा हो गया है तो तशहहुद के लिए न बैठे बल्कि तीसरी रक्अत पढ़े तथा अन्त में सज्दह सहव करे। जो व्यक्ति दो रक्अत पढ़ रहा था भूल कर तीसरी के लिए खड़ा हो गया तथा बाद में उसे याद आ गया कि वह नमाज़ पूरी कर चुका है तो वह उसी समय बैठ जाए तथा तशहहुद पढ़े तथा अपनी नमाज़ पूरी करे परन्तु यदि उसने तीसरी रकअत का रुकूअ कर लिया तथा फिर याद आया तो वह तुरन्त तशहहुद के लिए बैठ जाए तथा अंत में सलाम से पहले सज्दह सहव करे।

24. रुकूअ या सज्दह की स्थिति में कुर्आन की कोई आयत (भाग) पढ़ना मना है।

25. मोमिनों का इमाम मुत्तकी (संयमी) मोमिन ही हो सकता है हदीस امامكم منكم **(इमामोकुम मिन्कुम)** इसी तरफ इशारा कर रही है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं :-
''ख़ुदा तआला ने मुझे सूचना दी है कि तुम पर हराम तथा बिल्कुल हराम है कि किसी काफिर कहने वाले तथा झुठलाने वाले या शक में पड़े हुए के पीछे नमाज़ पढ़ो बल्कि तुम्हारा वही इमाम हो जो तुम में से हो।''

26. नमाज़ का इमाम वह होना चाहिए जिसे कुर्आन मजीद सबसे अधिक कण्ठ (याद) हो। यदि इस में कई व्यक्ति समान हों तो वह जो अधिक ज्ञानी तथा फ़कीह (धर्मशास्त्री) हो, यदि इसमें भी कई लोग समान हों तो जो आयु में अधिक हो वह इमाम हो। यदि ऐसा इमाम दूसरी मस्जिद में जाए जहां पहले से इमाम नियुक्त हो तो वहां वही इमाम होगा सिवाए इसके कि वह दूसरे को इमामत की आज्ञा दे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी के घर पर मिलने जाए तो मकान मालिक इमाम होगा सिवाए इसके कि वह दूसरे को आज्ञा

दे। क़ुर्आन मजीद के ज़ुबानी याद करने के लिहाज़ से नाबालिग़ (अवयस्क) भी इमाम हो सकता है।

27. इमाम तथा नमाज़ी समान सतह पर होने चाहिए परन्तु यदि स्थान न हो तो नमाज़ी इमाम से ऊंचे या निचले स्थान पर खड़े हो सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि कुछ नमाज़ी इमाम के साथ समान सतह में उपस्थित हों।

28. पुरुष स्त्रियों का इमाम हो सकता है चाहे नमाज़ी केवल स्त्रियां हों या पुरुष तथा स्त्रियां मिले जुले। स्त्री पुरुष की इमाम नहीं हो सकती। केवल स्त्रियों की इमाम हो सकती है। जब पुरुष इमाम हो तथा नमाज़ी केवल एक स्त्री हो तो वह अकेली पीछे खड़ी होगी। यदि नमाज़ी इमाम की पत्नी या मुह्रम हों (अर्थात बहन, बेटी इत्यादि जिनसे विवाह नहीं हो सकता) तो वह पुरुष के साथ खड़ी हो सकती हैं।

29. यदि इमाम यात्री हो तो वह दो रक्अतें पढ़ेगा तथा जो नमाज़ी मुक़ीम (अर्थात् मुसाफिर न हो) वह इमाम के सलाम फेरने के पश्चात् अपनी नमाज़ पूरी करेंगे।

30. यदि इमाम खड़े होने से लाचार हो तो वह बैठ कर भी नमाज़ पढ़ा सकता है परन्तु नमाज़ी इसके पीछे खड़े हो कर नमाज़ पढ़ेंगे।

31. यदि इमाम का नमाज़ पढ़ाते समय वुज़ू टूट जाए तो वह नमाज़ियों में से किसी को इमाम बनाए तथा स्वयं अलग हो जाए।

32. कोई नमाज़ी इमाम से आगे हो कर नमाज़ नहीं पढ़ सकता।

33. नमाज़ में मस्नून (जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से साबित हैं) दुआओं के अतिरिक्त अपनी ज़ुबान में भी दुआएं करनी चाहिए। इस के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं :-

''नमाज़ में अपनी भाषा में दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि अपनी भाषा में दुआ मांगने से पूरा जोश पैदा होता है... नमाज़ के अन्दर प्रत्येक

अवसर पर दुआ की जा सकती है। रुकूअ में, तस्बीह़ के पश्चात, सज्दह में, तस्बीह़ के पश्चात, अत्तहियात के पश्चात, खड़े हो कर, रुकूअ के पश्चात बहुत दुआएं करो ताकि मालामाल हो जाओ।'' (मलफ़ूज़ात जिल्द नौवीं पृष्ठ 55)

34. एक समय की भी नमाज़ यदि जानबूझ कर छोड़ी जाए तो ये कुफ्र की स्थिति तक पहुँचा देती है। इसके लिए बहुत तौबा तथा क्षमायाचना करनी चाहिए। यदि किसी भूल के कारण कोई नमाज़ रह जाए तो क़ज़ा अदा करे तथा पश्चात्ताप एवं क्षमा याचना आवश्यक है!

नमाज़ जुमा

1. नमाज़े जुमा का समय वही है जो ज़ुहर की नमाज़ का है, परन्तु किसी आवश्यकता के कारण समय के इमाम की आज्ञा से सूर्य ढलने से पहले भी जुमा पढ़ा जा सकता है।
2. जुमा की नमाज़ समस्त मुसलमान पुरुषों पर जो मुसाफिर न हों फ़र्ज़ (अनिवार्य) है। जुमा स्त्रियों पर ज़रूरी नहीं परन्तु यदि फ़ितना फ़साद का भय न हो तथा पर्दा का प्रबन्ध हो तो स्त्रियां भी जुमा पढ़ सकती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फ़रमाते हैं ''आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्त्रियों को जब छूट दे दी है तो फिर ये आदेश केवल पुरुषों के लिए ही रहा''।
   (मलफ़ूज़ात जिल्द छठी पृ. 129)
   मुसाफ़िर पर जुमा आवश्यक नहीं। सफ़र में हो तो चाहे ज़ुहर पढ़े।
3. यदि किसी स्थान पर तीन पुरुष हों तो अवश्य ही जुमा पढ़ें। यदि तीन की संख्या पूरी न हो तो स्त्रियों को सम्मलित कर लिया जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के समक्ष ये मसला प्रस्तुत हुआ कि दो आदमी किसी गांव में हों तो वे भी जुमा पढ़ लिया करें अथवा नहीं? हुज़ूर ने फरमाया :-
   ''हां पढ़ लिया करें। फ़ुक़हा (धर्म शास्त्रियों) ने तीन व्यक्ति लिखे हैं।

यदि कोई अकेला हो तो वह अपनी पत्नी आदि को पीछे खड़ा कर के संख्या पूरी कर सकता है। (मल्फ़ूज़ात जिल्द 9 पृ. 214)

4. जुमा की दो अज़ानें होती हैं एक आरम्भ में तथा दूसरी उस समय जब इमाम ख़ुत्बः के लिए खड़ा हो।
5. जब जुमा की अज़ान हो जाए तो समस्त कार्य बंद करके मस्जिद की तरफ चले जाना चाहिए। इस विषय में क़ुर्आन करीम का आदेश बहुत स्पष्ट है।
6. नमाज़ जुमा के दो भाग हैं। एक ख़ुत्बः और एक बाजमाअत नमाज़। ख़ुत्बः पहले होता है इसके बाद दो रकअत फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं ख़ुत्बे के बिना नमाज़ जुमा नहीं होती।
7. फर्ज़ से पहले चार सुन्नतें पढ़े। शर्त यह है कि ख़ुत्बः आरम्भ न हुआ हो। जब ख़ुत्बः आरम्भ हो जाए तो केवल दो सुन्नतें जल्दी-जल्दी पढ़े परन्तु इसे आदत न बनाए तथा फर्ज़ के बाद दो या चार सुन्न्तें पढ़े।
8. ख़ुत्बः पूरे ध्यान से सुना जाए तथा बिल्कुल बातें न की जाएं। किसी को बातों से रोकना हो तो इशारे से रोका जा सकता है। ख़ुत्बे के समय तिनकों से खेलना भी मना है।
9. जुमा के दिन स्नान करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। स्नान के बाद व्यक्ति अच्छे साफ-सुथरे वस्त्र पहने यदि उपलब्ध हो तो ख़ूशबू लगाए।
10. इमाम जब मस्जिद में आए तो अज़ान का आदेश दे तथा ख़ुत्बः खड़े हो कर पढ़े।

ख़ुत्बः जुमा

इमाम सर्वप्रथम तशह्हुद, तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत करे:-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

इसके पश्चात् अवसर के अनुसार आवश्यक बातें तथा तरबियती (नैतिक प्रशिक्षण) विषयों का वर्णन करके कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ जाए फिर ख़ुत्बः सानिया (दूसरा) ख़ुत्बः पढ़े। ख़ुत्बः सानिया के शब्द ये हैं :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ۔ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

सभी प्रसंशाएं अल्लाह के लिए हैं, हम उस की प्रशंसा करते हैं, उसी से सहायता चाहते हैं तथा उसी से क्षमा चाहते हैं तथा उसी पर ईमान रखते हैं तथा उसी पर विश्वास करते हैं तथा हम अल्लाह को आश्रय मांगते हैं अपने नफ़्स की आन्तरिक (मन) शरारतों से तथा अपने कर्मों की बुराइयों से। जिस को अल्लाह हिदायत दे उसे कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता और जिस को वह पथभ्रष्ट ठहरा दे उस को कोई हिदायत नहीं दे सकता तथा हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं तथा हम गवाही देते हैं कि मुहम्मद उस के बन्दे तथा पैगम्बर हैं। हे अल्लाह के बन्दो! तुम पर अल्लाह दया करे। अवश्य अल्लाह न्याय का तथा उपकार का और निकट सम्बंधियों से अच्छा व्यवहार करने का उपदेश देता है तथा बेहयाई, बुरी बातों तथा बगावत से रोकता है। वह तुम्हें सदुपदेश देता है ताकि तुम सदुपदेश ग्रहण करो। अल्लाह को याद करो वह तुम्हें याद करेगा। उसे बुलाओ वह तुम्हें उत्तर

देगा। अल्लाह का स्मरण करना ही सब से बड़ी (दौलत) है।

इसके बाद इमाम दो रक्अत नमाज़ जुमा पढ़ाएगा दोनों रक्अत में ऊंची आवाज़ से किरअत (तिलावत) होनी चाहिए। जिस बस्ती में तीन मोमिन व्यक्ति हों उन पर नमाज़ जुमा ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि गांव में जुमा नहीं हो सकता यह ठीक नहीं है। जुमा हर उस बस्ती में हो सकता है जहाँ तीन मुसलमान हों। यदि एक गांव में कई मस्जिदें हों तो नमाज़ जुमा जामिअ (मुख्य) मस्जिद में पढ़नी चाहिए।

नमाज़ ईदैन (दोनों ईदें)

शवाल (महीने का नाम) की पहली तारीख़ को ईद-उल-फ़ितर और दस ज़िलहज्जा (महीने का नाम) को ईदुलअज़्हिय: मनाई जाती है। किसी खुले स्थान पर ज़वाल से पूर्व दो रक्आत नमाज़ ईद की पढ़ ली जाती हैं। पहली रक्अत में सना के पश्चात् सात तकबीरें (अल्लाह अकबर कहना) तथा दूसरी रकअत में खड़े होते ही पांच तकबीरें अधिक कही जाती हैं। दोनों रक्अतों में ऊँची आवाज़ में तिलावत की जाए। नमाज़ के बाद इमाम ईद का ख़ुत्बः देता है तथा ईद का ख़ुत्बः जुमा की तरह ही दिया जाता है। ख़ुत्बे के बाद इमाम सभी श्रोताओं सहित दुआ कराता है तथा फिर सब गले मिल कर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं।

क़स्र नमाज़

1. यात्रा की अवस्था में नमाज़ क़स्र (छोटी) करनी चाहिए। जो फ़र्ज़ नमाज़ चार रक्आत वाली हो इस को दो पढ़े। जो फर्ज़ नमाज़ दो या तीन रक्आत वाली हो वह पूरी पढ़े। तथा पिछली सुन्नतें आवश्यक नहीं परन्तु प्रात: की दो सुन्नतें तथा इशा के तीन वितर अवश्य पढ़े।

2. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से निवेदन किया गया कि इंसानों के हालात (परिस्थितियां) भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ नौ दस कोस को भी यात्रा नहीं समझते परन्तु कुछ के लिए तीन या चार कोस भी यात्रा है। हुज़ूर ने फ़रमाया ''शरीयत (क़ुर्आन करीम) ने इन बातों का

विश्वास नहीं किया। सहाबा किराम ने तीन कोस को भी सफर समझा है।

निवेदन किया गया ''हुज़ूर बटाला जाते हैं तो क़स्र करते हैं ? (बटाला कादियां से ग्यारह मील दूर है) फरमाया :-

''हां, क्योंकि वह यात्रा है। हम तो यह कहते हैं कि यदि कोई डाक्टर या अधिकारी दौरा करते हुए कई गावों का चक्कर लगाता है तो वह अपनी सारी यात्रा को एकत्र करके यात्रा नहीं कह सकता''।

(मल्फूज़ात जिल्द 10 पृ. 100)

3. यदि किसी स्थान में पन्द्रह दिन निवास का इरादा है तो क़स्र न करें तथा यदि कोई इरादा नहीं तो फिर क़स्र करता रहे।

नमाज़ जमा करना (इकट्ठा करना)

यात्रा की अवस्था में या वर्षा के समय या किसी अन्य मजबूरी (विवशता) के समय या किसी धार्मिक सम्मेलन के कारण नमाज़ें जमा की जा सकती हैं अर्थात ज़ुहर तथा अस्र, मग़रिब एवं इशा की नमाज़ें जमा करने की अवस्था में सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती हैं।

मुर्दा के विषय में आदेश तथा नमाज़-ए-जनाज़ा

1. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगे तो उस के निकट सूर: यासीन पढ़ी जाए। अल्लाह को याद किया जाए, कलिमा तय्यिबा का बार-बार पढ़ा जाए तथा जब उसकी मृत्यु हो जाए तो إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ **(इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे राजिऊन)** पढ़े तथा उस की आँखें तुरन्त बंद कर देना चाहिए तथा पैर सीधे कर देने चाहिए।

2. शव को स्नान कराया जाए। स्नान के पानी में बेरी के पत्ते उबाल लेना अच्छा है या कोई कीटाणुनाशक दवाई मिलाई जाए क्योंकि स्पष्टतया बेरी के पत्तों की यही हिक्मत प्रतीत होती है। स्नान कराने वाला पहले इस्तन्जा (मल-मूत्रद्वार की सफाई) करवाए फिर वुज़ू के स्थानों को धोए, नाक तथा मुंह में पानी न डाले। फिर दाएं पहलू को फिर सारे शरीर को स्नान करवाए। स्त्री के बाल गूंथे हुए न रहें इन्हें

खोल दिया जाए तत्पश्चात काफ़ूर इत्यादि लगाया जाए।

3. स्नान के पश्चात शव को कफ़न पहनाया जाए। कफन में पुरुष के लिए तीन कपड़े हैं एक कुर्ता, एक तहबंद तथा एक चादर। स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त सीनाबंद तथा कमर बंद है। ये वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। कुर्ते से अभिप्राय ऐसा वस्त्र है जो ऊपर से नीचे घुटनों तक आ जाए इस के मध्य में से गिरेबान चीर दिया जाए ताकि सिर गुज़र सके। यदि पूरा कफ़न उपलब्ध न हो तो एक चादर या कम्बल में लपेट कर दफ़न किया जा सकता है।

4. मृत्यु के पश्चात कफ़न दफ़न में जल्दी करनी चाहिए ताकि शव खराब न हो जाए।

5. कफ़न पहनाने के पश्चात् शव को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा सके। यह नमाज़ मस्जिद से बाहर होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार मस्जिद में भी उचित है परन्तु शव को मस्जिद में न लाया जाए। मेहराब के बाहर इमाम के सामने रखा जा सकता है।

6. नमाज़े जनाज़ा का तरीका :-

इमाम शव को सामने रख कर नमाज़ पढ़ाए। नमाज़ी एक या तीन या पांच अर्थात विषम पंक्तियों में खड़े हों। इस नमाज़ में रुकूअ तथा सज्दः नहीं। केवल चार तकबीरें (अल्लाहो अकबर कहना) होती हैं। हाथ उठा कर पहली तकबीर कहे। फिर सना तअव्वुज़ तथा तस्मीय: पढ़ कर सूर: फातिह: पढ़े। दूसरी तकबीर के पश्चात दरूद शरीफ पढ़े। तीसरी तकबीर के पश्चात निम्नलिखित दुआ पढ़े तथा चौथी तकबीर के पश्चात् सलाम फेर दे।

दुआ नमाज़ जनाज़ा :-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا
وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا
تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ۔

अर्थात् हे अल्लाह! क्षमा कर दे हमारे जीवितों को तथा मृतकों को इन को जो उपस्थित हैं तथा जो उपस्थित नहीं। तथा हमारे छोटों को तथा बड़ों को, हमारे पुरुषों को तथा स्त्रियों को। हे अल्लाह! जिस को तू हम में से जीवित रखे उस को इस्लाम पर जीवित रख तथा जिस को तू हम में से मृत्यु दे उस को ईमान के साथ मृत्यु दे। हे अल्लाह! इस के प्रतिफल से हम को वंचित न रख। तथा इसके पश्चात हम को किसी फ़ितना में न डाल।

नाबालिग़ के लिए दुआ :–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا۔

अर्थात ऐ अल्लाह! इस को हमारे लाभ के लिए पहले जाने वाला बना तथा हमारे आराम का साधन बना और भलाई का साधन बना तथा आराम हेतू बना। यदि शव अवयस्क लड़की का हो तो इस प्रकार दुआ करें :-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا۔

8. यदि शव सामने न हो अर्थात मरने वाला किसी अन्य स्थान पर मर गया हो तो आवश्यकतानुसार नमाज़ जनाज़ा ग़ायब पढ़ी जा सकती है।

9. एक ही नीयत (इरादा) में कई शवों की नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ना उचित है।

10. जिस व्यक्ति की संक्रामक रोग में ग्रस्त होकर मृत्यु हुई हो तथा दूसरों के बीमार होने का भय हो तो उसको अपने वस्त्रों में बिना स्नान के दफ़न करना उचित है। इसी तरह शहीद को भी बिना स्नान तथा कफ़न के दफ़न करना चाहिए। हाँ यदि अवसर हो तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए।

11. क़ब्र खुली तथा गहरी बनाई जाए। शव को बिना सन्दूक के क़ब्र में दफ़नाना ज़्यादा उचित है तथापि सुरक्षा के उद्देश्य से या अमानत के तौर पर सन्दूक में बंद करके दफ़्न करना भी उचित है। सन्दूक़ की लम्बाई सवा छः फुट, चौड़ाई पौने दो फुट, मध्य में ऊंचाई डेड़ फुट,

किनारों पर ऊंचाई एक फुट। क़ब्र को धरती से ऊंचा कर देना चाहिए तथा ऊंट के पीठ के कोहान की तरह बना देना चाहिए।

सन्दूक को रखने के लिए क़ब्र की लम्बाई सात-फुट, चौड़ाई ढाई फ ुट तथा गहराई साधारणतया साढ़े तीन फुट रखी जाती है।

12. शव को दफ़्न करने के पश्चात शव के लिए तथा इस के पसम ान्दगान (पीछे रह गए लोगों) के लिए दुआ की जाए।

13. नमाज़ जनाज़ा फर्ज़-ए-किफ़ाया है अर्थात एक मुसलमान के मरने के पश्चात सारे मुसलामनों पर फर्ज़ है कि उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ें। यदि कुछ लोग नमाज़े जनाज़ा पढ़ लें तो वह सब की तरफ से काफी हो जाती है, परन्तु यदि कोई न पढ़े तो सब क़ुसूरवार (दोषी) होंगे।

14. जनाज़ा प्रत्येक मुसलमान का पढ़ना चाहिए चाहे पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बड़ा। जो बच्चा मां के पेट से जीवित पैदा हुआ हो उस का जनाज़ा पढ़ा जाए।

15. जो व्यक्ति जनाज़े के साथ नमाज़े जनाज़ा तक रहे उसे एक क़ीरात (एक अरबी पैमाने का नाम है) पुण्य मिलता है। जो दफ़्न के अन्त तक साथ रहे उसे दो क़ीरात (दोगुना) पुण्य मिलता है।

16. मृतक को चुम्बन देना उचित है परन्तु रोना पीटना तथा विलाप करना, कपड़े इत्यादि फाड़ना सुन्नत (जो कार्य मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में किए) के विपरीत है। फातिह: ख़्वानी, कुल ख़्वानी या तीसरा, दसवाँ, चालीसवाँ, इत्यादि सब मना हैं।

17. मृतक के लिए तीन दिन से अधिक शोक करना मना है। हां यदि मृतक स्त्री का पति हो तो उस स्त्री के लिए 4 महीने 10 दिन शोक करना है वह इस अवधि में श्रंगार इत्यादि न करे।

18. अहमदी को ग़ैर अहमदी का जनाज़ा पढ़ने से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मना फ़रमाया है। इसलिए अहमदी को ग़ैर अहमदी का जनाज़ा नहीं पढ़ना चाहिए।

19. कब्रिस्तान में प्रवेश करते समय पढ़ी जाने वाली दुआ :-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ۔

अर्थात हे क़ब्रों में रहने वाले मुसलमानो! अस्सलामो अलैकुम हम भी इनशाअल्लाह (यदि अल्लाह ने चाहा) आकर तुम से मिलने वाले हैं।

20. कब्रिस्तान में जाकर क़ब्रों वालों के लिए दुआ करनी चाहिए, कि अल्लाह तआला इन की बख़्शिश (मुक्ति) करे तथा इन को अपने निकट तथा जन्नत में स्थान दे।

रोज़ः (उपवास) के बारे में आदेश

1. रमज़ान के महीने के रोज़े अल्लाह तआला की तरफ से हर वयस्क मोमिन पुरुष और स्त्री पर फर्ज़ किए गए हैं। एक दिन का रोज़ा भी जानबूझ कर बिना किसी उचित कारण के छोड़ना बड़ा गुनाह है जिस की पूर्ति जीवन भर रोज़े रख कर भी नहीं हो सकती। जब तक कि पश्चाताप की भावना तथा प्रायश्चित और क्षमायाचना न हो।

2. जो व्यक्ति यात्री हो या रोगी हो उस के लिए रुख़्सत (इजाज़त) है वह दूसरे दिनों में रोज़े पूरे करे। जो स्थायी रोगी हो या बहुत वृद्ध हो गया हो उस पर रोज़े फर्ज़ नहीं। वह इस के बदले हर दिन एक मिस्कीन (दरिद्र) को भोजन कराए।

3. जो स्त्री गर्भवती हो या बच्चे को दूध पिलाती हो उस पर रोज़े फर्ज़ नहीं। वह फ़िदया (पूर्ति) के रूप में एक दरिद्र को हर दिन भोजन कराए।

4. भूल से यदि कोई चीज़ खा ली जाए या पी ली जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, परन्तु यदि जानबूझ कर शरीयत की अनुमति के बिना ही उदाहरणतया बीमारी या यात्रा के बिना रोज़ा तोड़ दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति का प्रायश्चित यह है कि वह साठ दिन लगातार रोज़े रखे यदि इस की शक्ति नहीं तो वह साठ दरिद्र व्यक्तियों को भोजन कराए।

5. रोज़े का समय प्रातः सूर्य निकलने से पहले से आरम्भ हो कर

सूर्य अस्त होने तक होता है।

6. यदि किसी व्यक्ति को सिहरी (प्रात:काल का भोजन) के समय भोजन करने का अवसर न मिला तो इस के कारण वह रोज़ा नहीं छोड़ सकता, सिहरी का खाना रोज़े के लिए शर्त नहीं है।

7. रोग तथा यात्रा की सीमा शरीयत ने निश्चित नहीं की। इस की निर्भरता प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति पर है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मतानुसार यात्रा की सीमा ग्यारह मील ज्ञात होती है तथा रोग का आंकलन यह है कि जिस के सारे शरीर में पीड़ा हो या किसी ऐसे अंग में पीड़ा हो जिस से समस्त शरीर बेचैन हो जाए, जैसे बुखार या आंख का दर्द। एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से प्रश्न किया गया कि रोज़ा रखने वाले की आंख में तकलीफ हो तो दवाई डालना उचित है या नहीं। फरमाया :

''यह प्रश्न ही ग़लत है। बीमार के लिए रोज़े रखने का आदेश नहीं''।

8. जो व्यक्ति यात्रा या बीमारी में रोज़ा रखता है वह भी अल्लाह के आदेश की नाफ़रमानी (अवज्ञा) करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फ़रमाते हैं ''रोगी तथा यात्री यदि रोज़ा रखेंगे तो इन पर अवज्ञा का फ़त्वा लागू होगा''।

9. जो व्यक्ति स्वस्थ हो परन्तु उसे भय हो कि यदि मैं रोज़ा रखूंगा तो बीमार हो जाऊंगा तो ऐसा भय केवल मन का धोखा है तथा बिल्कुल भी शरई आपत्ति नहीं। हां यदि डाक्टर कहता है कि रोज़ा न रखो तो वह रोगी के आदेश में है।

10. जिस व्यक्ति की यात्रा व्यवसाय के कामों में शामिल है या जीविका कमाने के लिए है जैसे रेलवे के कर्मचारी या गाड़ी के ड्राईवर या फेरी वाले, इन सब को रोज़ा रखना चाहिए। इन की यात्रा यात्रा नहीं बल्कि नियमित दिनचर्या है।

11. जो लोग मज़दूर या ज़मींदार हैं तथा रमज़ान में इन्हें ऐसा कठिन काम पड़ जाए कि यदि छोड़ दें तो 6 महीने की फसल नष्ट हो

जाएगी तथा यदि काम करें तो रोज़ा न रख सकें तो वह उनकी विवशता मानी जाएगी। मज़दूरों को चाहिए कि वह साल के बाकी ग्यारह महीने इतना परिश्रम करे कि रमज़ान में आराम कर सके। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे कृषकों तथा मज़दूरों के विषय में जिन का निर्वाह मज़दूरी पर है तथा रोज़ा इनसे नहीं रखा जाता, फरमाया :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّات

यह लोग अपनी स्थिति को छुपा कर रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ख़ुदा को गवाह रखकर एवं दिल की सफाई से अपनी स्थिति सोच ले। यदि कोई अपने स्थान पर अन्य को मज़दूरी पर रख सकता है तो ऐसा करे अन्यथा रोगी माना जाएगा। फिर जब अवसर मिले रख ले।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द नव्म पृष्ठ 394)

12. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से प्रश्न किया गया कि रोज़ा रखने वाला आंख में सुरमा डाले या न डाले। फ़रमाया : ''नापसंदीदा है तथा ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि दिन के समय सूरमा लगाए। रात में सुर्मा लगा सकता है। (मलफ़ूज़ात जिल्द नवम पृ. 173)

13. रमज़ान का आरम्भ चन्द्रमा देखने से होता है। यदि उदय स्थल साफ न हो तो शाबान के तीस दिन पूरे करे तथा फिर रोज़े शुरू करे। चंद्रमा के देखने के विषय में यदि विश्वसनीय सूचना मिल जाए तो उसके अनुसार पालन करना चाहिए। इसी तरह चन्द्रमा देख कर ही रमज़ान की समाप्ति होती है। यदि आकाश में बादल हों तो रमज़ान के तीस दिन पूरे करे सिवाए इस के कि अन्य स्थान से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो जाए।

14. क़ादियान तथा रब्वह प्रत्येक अहमदी के लिए दूसरा वतन माना जाएगा परन्तु दूसरे वतन की तरफ यात्रा भी यात्रा ही है। इसलिए यात्रा में रोज़ा रखना उचित नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इफ़्तार (रोज़ा खोलने का समय) के समय से पूर्व कादियां आने वाले रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवा दिया था इस भटना से प्रतीत होता है कि यदि रोज़ा रखने के बाद यात्रा करनी पड़ी तो ऐसी स्थिति में रोज़ा खोल देना चाहिए। मरकज़ (केन्द्र) में पहुंचने के बाद दूसरे दिन यदि कोई चाहे तो रोज़ा रख सकता है।

15. बच्चों को रोज़ा नहीं रखने देना चाहिए क्योंकि उनकी मानसिक तथा शारीरिक विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। हां, जब बच्चे काफी बड़े हो जाएँ तो वयस्क होने से पूर्व अच्छे मौसम में एक या दो रोज़े रखने में कोई आपत्ति नहीं।

16. रोज़ों की दूसरी प्रकार वह है जो नफ़ली कहलाते हैं उदहारणतया शवाल महीने के आरम्भ में छः, हर महीने चांद की तेरह, चौदह तथा पन्द्रह तारीखों को, सोमवार तथा बृहस्पतिवार को, अरफ़ा के दिन अर्थात् ज़िलहज महीने की नव्म तिथि को, इसी प्रकार आशूरह का रोज़ा भी मस्नून है।

17. रमज़ान के दिनों में इशा की नमाज़ के बाद तरावीह पढ़ी जाती हैं। इस विषय में एक व्यक्ति ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से प्रश्न किया कि रमज़ान में तरावीह आठ रक्आत जमाअत के साथ म स्जिद में पढ़नी चाहिए अथवा यदि पिछली रात को उठ कर अकेले घर में पढ़नी चाहिए। हुज़ूर ने फ़रमाया :

''नमाज़ तरावीह कोई पृथक नमाज़ नहीं। वस्तुत: नमाज़ तहज्जुद की आठ रक्अत को प्रथम समय में पढ़ने का नाम तरावीह है तथा यह दोनों प्रकार उचित हैं जो प्रश्न में काही गई हैं। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दोनों प्रकार से पढ़ी हैं परन्तु साधारणतया आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का चलन इस पर था कि पिछली रात को घर में अकेले यह नमाज़ पढ़ते थे (मलफ़ूज़ात जिल्द 10 पृ. 18)

18. रोज़े की हालत में मिस्वाक (दातून) करना, भीगा कपड़ा ऊपर लेना, शरीर को तेल लगाना, सुगन्ध सूंघना या लगाना थूक निगलना उचित है।

ज़कात के विषय में आदेश

1. ज़कात इस्लाम के अरकान (स्तम्भों) में से चौथा रुक्न (स्तम्भ) है इस की महत्ता इस से स्पष्ट होती है कि क़ुर्आन करीम में अधिकतर स्थानों पर नमाज़ के साथ ही ज़कात देने का उल्लेख किया है। इस से यह स्पष्ट

होता है कि नमाज़ तथा ज़कात अदा न करने वाले एक ही श्रेणी में हैं।

2. ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती बल्कि वह बढ़ता है जो व्यक्ति यह विचार करता है कि उसका माल कम होता है वह अपने मन के धोखे में ग्रस्त है। अल्लाह तआला क़ुर्आन करीम में फरमाता है :

وَمَآ اٰتَیۡتُمۡ مِّنۡ زَکٰوۃٍ تُرِیۡدُوۡنَ وَجۡہَ اللّٰہِ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ۔

(الروم آیت:40)

अर्थात् जो ज़कात तुम केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए दोगे तो ऐसे देने वाले (अपने मालों को कम नहीं करते बल्कि) बढ़ाते हैं।

3. जब समय का इमाम उपस्थित हो तो ज़कात उसी के पास आनी चाहिए। वही ठीक जानता है कि उसे किस प्रकार ख़र्च करना है।

4. चंदा भिन्न चीज़ है तथा ज़कात भिन्न है। जो व्यक्ति वसीयत (का चंदा) देता है या दूसरे स्वेच्छित चंदे देता है उसे ज़कात की अदायगी से छुटकारा नहीं मिल सकता।

5. निम्नलिखित मालों में ज़कात ज़रूरी होती है : चांदी, सोना, सिक्के, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, दुंबा, (पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग) सारे अनाज, खजूर, अंगूर आदि।

6. जिन मालों पर ज़कात अनिवार्य होती है उन में से हर एक के लिए शरीअत (धर्मशास्त्र) ने एक सीमा निश्चित की है। जो माल उस सीमा के बराबर या उस से अधिक हो तो इस पर ज़कात अनिवार्य होती है। इस सीमा तथा संख्या को निसाब कहते हैं।

7. अनाजों, खजूरों, अंगूरों पर उसी समय ज़कात अथवा दसवाँ भाग ज़रूरी है जब इन की फसल तैयार हो जाए तथा मालिक इन्हें काट ले परन्तु शेष माल पर ज़कात उस समय ज़रूरी होती है जब वह मालिक के पास एक वर्ष रहा हो। अनाज़ों, खजूरों तथा अंगूरों पर ज़कात केवल एक बार ज़रूरी होती है चाहे वह एक साल से अधिक समय रहे परन्तु शेष माल पर प्रति वर्ष ज़रूरी होती है। शर्त यह है कि इन की संख्या निसाब से कम न हो।

8. अनाज का निसाब 21 मन 5 सेर है। इस से कम हो तो ज़कात

ज़रूरी नहीं। जिस खेत के लिए पानी क़ीमत देकर न लिया हो अर्थात बारानी धरती (जो वर्षा से सींची जाती) हो तो इसकी ज़कात की दर दसवां हिस्सा है परन्तु जिस के लिए कीमत दे कर पानी प्राप्त किया गया हो जैसे ज़मींदार स्वयं नहर खींच कर लाया हो या टयूबवैल लगवा कर ज़मीन की सिंचाई करे तो इस की दर (शरह) बीसवां भाग है।

10. चांदी का निसाब 52 तोला 6 माशा (612 ग्राम 351 मि.ग्रा.) है तथा ज़कात की निश्चित सीमा चालीसवां भाग है। अर्थात 52 तोला 6 माशा पर ज़कात की मात्रा एक तोला तीन माशा 6 रती (10 ग्राम 31 मि. ग्रा.) बनती है। यही आदेश चाँदी के आभूषणों पर का है।

11. सोने का निसाब चांदी के निसाब के अनुसार है तथा ज़कात की दर इस स्थिति में भी चालीसवां भाग है। सोने चांदी के आभूषण भार के अनुसार ज़कात होगी न कि बनवाई इत्यादि के अनुसार।

12. सोने तथा चांदी के वे आभूषण जो प्राय: प्रयोग में रहते हैं तथा गरीबों को भी थोड़े समय पहनने के लिए दिए जाते हों तो उन पर ज़कात आवश्यक नहीं। सोने के ऐसे आभूषण का अनुमान आठ तोले तक है। तथा इसी के आधार पर फकीहों (धर्म शास्त्रियों) ने सोने का निसाब 8 तोले 4 माशे (97 ग्राम 200 मि. ग्रा) निश्चित किया है। परन्तु ये निसाब नहीं बल्कि आभूषणों के प्रयोग के अनुसार छूट है।

13. सिक्के चाहे वह किसी धातु के हों या कागज़ के हों इन का निसाब चांदी के अनुसार होगा अर्थात जिस व्यक्ति के पास इस के अनुसार रुपए या पौंड, डालर या करंसी नोट हों जिन की कीमत 52 तोला 6 माशा चांदी के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति निसाब वाला समझा जाएगा और इसे चालीसवां भाग ज़कात देनी होगी। अर्थात ढाई प्रतिशत।

14. ऊंटों का निसाब 5 ऊंट है। यदि 5 से कम ऊंट हों तो ज़कात ज़रूरी न होगी। गायों, भैंसों का निसाब तीस की संख्या पर है। बकरी, भेड़ या दुंबा का चालीस की संख्या पर है।

15. जिस ज़मीन का सरकार कर लेती हो उसकी उपज पर ज़कात ज़रूरी नहीं।

16. यदि किसान के पास ज़मीन ठेके के रूप में हो तो ज़कात की अदायगी उसके ज़िम्मे होगी। यदि उस ने ज़मीन बटाई पर ली हो तो ज़कात सांझे रूप में देनी होगी तथा ज़कात देने के बाद शेष अनाज मालिक तथा कृषक के मध्य विभाजित होगा।

हज के विषय में आदेश

1. हज सारी उम्र में एक बार फ़र्ज़ है।

2. हज उस व्यक्ति पर फ़र्ज़ है जो स्वस्थ हो तथा यात्रा का खर्च उठा सकता हो, अपने परिवार के सदस्यों के लिए उचित प्रबन्ध कर सकता हो तथा यह भी शर्त है कि सवारी उपलब्ध हो तथा मार्ग में शांति हो। यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई पूर्ण न हो तो हज फर्ज़ नहीं रहता।

3. यदि कोई व्यक्ति स्वयं हज न कर सकता हो परन्तु हज के शौक में तथा पुण्य हासिल करने के लिए स्वेच्छित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति से हज करवाना चाहे तो उचित है। इसे ''हज्ज-ए-बदल'' कहा जाता है।

4. हज के लिए समय निश्चित है अर्थात निश्चित दिनों में ही हज हो सकता है, परन्तु 'उमरा'[2] साल के बीच किसी समय में भी किया जा सकता है।

5. हज के तीन महीने हैं। शवाल, ज़िल् क़ा'दः, तथा ज़िलहज्जः अर्थात इन महीनों में हज का अहराम[1] बांधना होगा।

6. हज के आवश्यक स्तम्भों में से बैतुल्लाह का तवाफ (इर्द गिर्द घूमना) सफा मरवा (पहाड़ों के नाम) के बीच तेज़ चलना, मक़ामे इब्राहीम

1. अहराम :- निश्चित जगहों से काबा की ज़ियारत (दर्शन) करने तक बदन पर बिना सिले कपड़े धारण करना ।
2. उमरा :- हज के अतिरिक्त खानः का'बः की ज़ियारत करना, उमरा कहलता है।

पर नमाज़ (पढ़ना), मिना में रमीऊलजिमार (शैतान को पत्थर मारना) तथा अरफ़ात में 9 ज़िलहज्ज का क़्याम (ठहरना) सम्मिलित है।

✻✻✻

✻

दूसरा अध्याय

दूसरा अध्याय

बच्चे के जन्म पर ज़रूरी आदेश

जब किसी मुसलमान के घर लड़का या लड़की का जन्म हो तो इस्लाम का आदेश है कि उसके दाएं कान में अज़ान कही जाए और बाएं कान में इक़ामत। कोई नेक और बुज़ुर्ग आदमी उसे घुट्टी दे। बच्चे का इस्लामी नाम रखा जाए। बेहतर है किसी नेक आदमी से नाम रखाया जाए। फिर सातवें दिन इसका अक़ीक़ा किया जाए। बच्चे का सर मुन्डवाया जाए। सर मुन्डवाने के बाद बालों के बराबर चांदी तोल कर देना मुस्तहब[1] है और बच्चे के सर पर केसर घोल कर लगाना भी अच्छा है। क़ुर्बानी लड़की की तरफ से एक और लड़के की तरफ से दो ज़्यादा उचित हैं। एक एक क़ुर्बानी भी जायज़ है। सातवें दिन ख़त्ना करना भी अच्छा है। अगर न हो सके तो बालिग़ होने से पहले पहले ज़रूर ख़त्ना करवा लेना चाहिए। ये इब्राहीमी सुन्नत है।

अक़ीक़े का असल दिन तो जन्म के बाद सातवां दिन है। चौदहवां इक्कीसवां दिन भी जायज़ है। कुछ ने यहां तक भी लिखा है कि लड़के के बालिग़ होने तक मां बाप अक़ीक़ा कर सकते हैं और बालिग़ होने के बाद लड़का ख़ुद भी कर सकता है।

बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के बालिग़ होने तक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :-

1. **रिज़ाअ (दूध पिलाना) :-** अर्थात बच्चे को चाहे इसकी मां का दूध पिलाएं या किसी दूसरी औरत का, दो साल की आयु तक दूध

1. मुस्तहब वह काम है जो फ़र्ज़ तो नहीं परन्तु उस का करना अच्छा समझा गया है क्योंकि वह काम आँहज़रत स.अ.व. ने किया था ।

पिलवा सकते हैं। यही वह दूध है जिससे दूध के रिश्ते क़ायम होते हैं। दो साल के पश्चात अगर बच्चा किसी औरत का दूध पिए तो वह औरत उसकी मां नहीं बन सकती।

2. **इस्तीज़ान (आज्ञा लेना) :-** जब बच्चा चलने फिरने लगे और बातें सीख जाए तो उस समय उसे अनुमति लेकर अन्दर आने की शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात मां बाप के पास जब इन तीन वक्तों में आए तो अनुमति ले कर आए। (i) सुबह की नमाज़ से पहले (ii) इशा की नमाज़ के बाद (iii) ठीक दोपहर के समय जब वे आराम करते हैं। जब बच्चा बालिग़ हो जाए तो फिर उसे हर समय घर में आज्ञा ले कर आना चाहिए।
3. **नमाज़ का उपदेश :-** आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आदेश है कि जब बच्चे की आयु सात साल की हो तो उसे नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जाए। इस से पता चलता है कि बच्चे को सात साल की आयु तक पहुँचने से पहले नमाज़ याद न हो तो याद करवा देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को नमाज़ याद न होगी तो उसे नमाज़ पढ़ने के लिए किस तरह कहा जाएगा।

   जब बच्चा दस साल का हो तो उसे नमाज़ पढ़ने की सख़्त ताकीद की जाए यहां तक कि उसे नमाज़ ना पढ़ने पर एक हद तक मारने का भी आदेश है।

मां बाप के लिए ज़रूरी बातें

1. बच्चे के सामने झूठ न बोला जाए। उसे झूठे वादे न किए जाएं जो बाद में पूरे न किए जा सकते हों।
2. अगर बच्चा अमानत के तौर पर कोई चीज़ रखवाए तो उसी तरह उस को वापस की जाए।
3. बच्चे के सामने मां बाप को लड़ाई झगड़ा या लज्जाजनक बातें नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि बच्चे की अनुपस्थिति में भी हर तरह से परहेज़ करना चाहिए।

निष्कर्ष यह कि मां बाप या अभिभावक को चाहिए कि हर काम या बात करने से पहले यह अच्छी तरह सोच लें कि इस काम या बात का बच्चे के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

निकाह

निकाह (विवाह) करना सुन्नत[1] है। जो आदमी निकाह की ताकत रखने के बाद भी निकाह नहीं करता वह अल्लाह तआला और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन नहीं करता क्योंकि आपने निकाह करने का विशेष आदेश दिया है।

निकाह करने से सम्बन्ध बढ़ने के साथ-साथ इन्सान बहुत से पापों जैसे कि व्यभिचार, बुरी नज़र डालना और बहुत सारे ख़तरनाक रोगों से भी बच जाता है और शान्तिपूर्वक अपना जीवन गुज़ारता है, परन्तु अगर किसी आदमी के पास निकाह करने के लिए धन आदि न हो या उसे कोई नातेदार न मिलता हो तो उसे रोज़े रखने का आदेश है।

निकाह करते समय यह बात ख़ास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए कि स्त्री अन्य गुणों के साथ-साथ दीनदार, नेक और पवित्र हो। अगर कोई स्त्री नेक और दीनदार नहीं तो उसके साथ निकाह नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वह लाभ प्राप्त न हो सकेंगे जिन के लिए शरीअत ने निकाह करने का हुक्म दिया है।

निकाह के आयोजन के लिए कुछ नियम निम्नलिखित हैं :-

(क) पुरुष और स्त्री से पूछा जाए कि क्या वे आपस में निकाह करने के लिए राज़ी हैं। अगर दोनों राज़ी (तैयार) हों तो फिर निकाह किया जाए। अगर इनमें से कोई एक भी राज़ी न हो तो निकाह नहीं हो सकता।

(ख) स्त्री की ओर से उसके वली अर्थात सगे सम्बन्धी जैसे कि बाप या भाई की मंज़ूरी भी आवश्यक है क्योंकि शरीअत ने स्त्री के लिए एक वली (अभिभावक) का होना ज़रूरी क़रार दिया है। इस लिए स्त्री को स्वयं किसी से

---

1. सुन्नत : जो काम हज़रत मुहम्मद स.अ.व. ने करके दिखाए उनको सुन्नत कहते हैं।

निकाह करने का हुक्म नहीं जब तक कि उसका वली निकाह की स्वीकृति न दे।

(ग) महर[1] निश्चित हो। महर के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। शरीअत ने महर की कोई सीमा निश्चित नहीं की। पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना दे सकता हो और दोनों पक्षों की परस्पर सहमति हो उतना ही महर निर्धारित होना चाहिए क्योंकि अगर कोई पुरुष अधिक महर कर लेता है परन्तु उसको अदा नहीं करता वह पापी है।

(घ) निकाह की घोषणा (ऐलान) होनी चाहिए। घोषणा जितने ज़्यादा लोगों में की जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि गुप्त निकाह करना कोई निकाह नहीं।

निकाह की घोषणा का तरीक़ा यह है कि किसी सभा में जहां कुछ लोग (कम से कम दो आदमी) हों। वहां कोई आलिम मसनून ढंग से ख़ुत्बः निकाह पढ़े। अर्थात पहले ख़ुत्बः निकाह पढ़े :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ يٰۤاَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَ
لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا
سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

1. महर : महर उस माल को कहते हैं जो स्त्री को जायदाद के रूप में निकाह के समय पति की ओर से दिया जाता है या दिए जाने का बचन दिया जाता है ।

अर्थात :- सब प्रशंसाओं का हक़दार अल्लाह तआला ही है इस लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और अपने पापों की उससे क्षमा चाहते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उसकी हस्ती पर भरोसा रखते हैं और अपनी बुराइयों और अपने कुकर्मों से ख़ुदा की शरण (पनाह) में आते हैं। (देखो!) जिस को ख़ुदा हिदायत दे तो उसे कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता और जिसे ख़ुदा पथभ्रष्ट कर देता है तो उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हे लोगो! अपने रब से डरो कि वही हस्ती पवित्र है कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उस के लिए पत्नी बनाई और फिर उनसे (संतान को जन्म देकर) बहुत से पुरुष और स्त्रियां बना कर फैला दिए और तुम अल्लाह से डरो जिस का वासता दे कर मांगते हो और सगे सम्बन्धियों से भी (देखो अगर शरीयत के विरुद्ध काम करोगे तो) अल्लाह तआला हर समय तुम पर संरक्षक है हे मोमिनो! अल्लाह से डरो और चाहिए कि हर आदमी अपनी जाँच-पड़ताल करता रहे कि क़यामत के दिन के लिए उसने क्या इकट्ठा किया है। अल्लाह से डरो क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों को जानने वाला है। हे मोमिनो! अल्लाह से डरो और सीधी बातें किया करो वह तुम्हारे कर्मों को भी ठीक कर देगा और तुम्हारे पापों को भी क्षमा कर देगा। और (देखो) जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर चलेगा तो वह अवश्य सफ़ल हो जाएगा''।

फिर इसके बाद घोषणा करे कि अमुक स्त्री का निकाह अमुक पुरूष से इतने महर पर होना क़रार पाया है। फिर इन दोनों से पूछा जाए कि क्या इन्हें यह निकाह स्वीकार है? अगर वे यह कह दें कि उन्हें निकाह स्वीकार है तब निकाह होता है।[1] इसे इस्लामी परिभाषा में ईजाबो कुबूल (अर्थात उत्तर देना और स्वीकारना) कहते हैं।

---

1 निकाह होने पर मुबारकबाद देने को मस्नून शब्द यह हैं-

بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير (حديث ترمزی

अनुवाद- हे पुरुष तुझे यह निकाह अल्लाह तआला मुबारक करे और तुम दोनों पर अपनी बरकतें बरसाए और तुम दोनों को शीर व शक्कर (दूध और चीनी की तरह मिश्रित) कर दे।

क्योंकि औरतों को पर्दे का हुक्म है इसलिए स्त्री की तरफ से उसका वली स्वीकृति देगा। स्त्री का सभा में होना ज़रूरी नहीं। इसी तरह कुछ मजबूरियों के कारण से पुरुष की तरफ़ से उसका वली या वकील स्वीकृति दे सकता है। अगर स्त्री का वली उस सभा में न आ सकता हो तो उसे इख़्तयार है कि वह अपनी तरफ़ से किसी दूसरे आदमी को अपना वकील बना दे ताकि वह उसकी तरफ से स्वीकृति दे दे।

जब स्वीकृति हो जाए तो अब पुरुष स्त्री पति पत्नी बन गए। अब पति अपनी पत्नी को अपने घर ले जा सकता है।

जब पति-पत्नी का शारीरिक सम्बन्ध क़ायम हो जाए तो उसे चाहिए कि जितनी वह ताक़त रखता हो उसके अनुसार अपने सगे सम्बन्धियों, दोस्तों और ग़रीबों की दा'वत करे। इस दा'वत को वलीमा कहते हैं। यह दा'वत (वलीमा) करना सुन्नत है और इसको स्वीकार करना भी सुन्नत है। इस दा'वत में ग़रीब आर मिस्कीन लोगों को बुलाने का ख़ास आदेश है।

हुक़ूक़े ज़ौजैन

(पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य)

अल्लाह तआला ने पुरुष को स्त्री पर प्रधानता और श्रेष्ठता दी है और इस पर फ़र्ज़ कर दिया है कि वह अपनी पत्नी के लिए अपनी ताक़त के अनुसार खाने, पीने, लिबास और रहने का प्रबन्ध करे। उससे अकारण नाराज़ न हो और उस पर नाजायज़ सख़्ती न करे, बल्कि सदा उसके साथ अच्छा और नेक व्यवहार करे और उसके साथ प्रेम से रहे।

इसी तरह अल्लाह तआला ने स्त्री को पुरुष के अधीन रखा है और उस पर फ़र्ज़ करार दिया है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे और उसके हर उस आदेश को पूरा करे जो शरीअत के विरुद्ध न हो, उसके धन को बर्बाद (नष्ट) न करे, बचत से काम ले और जो कुछ उसके पास है उसी में सन्तुष्ट रहे, बिना कारण उसको तंग न करे, उसके सम्मान की रक्षा करे और संतान का अच्छी तरह से पालन-पोषण करे

और पुरुष को सुख व आराम पहुँचाने वाली हो।

तअद्दुद-ए-इज़दिवाज (बहुविवाह करना)

अगर किसी इन्सान की वास्तविक ज़रूरत हो अर्थात उसकी पत्नी बीमार हो या उसकी संतान न होती हो या उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो या बुराई में पड़ने का डर हो तो वह एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है परन्तु एक समय में चार से ज़्यादा पत्नियां नहीं रख सकता। यह इस्लाम की ही खूबी है कि उसने ख़ास हालतों में बहू विवाह करने की अनुमति प्रदान की है और किसी धर्म में यह विशेषता नहीं पाई जाती परन्तु शर्त यह है कि वह हर एक पत्नी के साथ न्याय (इन्साफ़) करे, किसी का हक़ न मारे अर्थात हर पत्नी को एक जैसा ख़र्च दे और समान रूप से बारी निश्चित करे, किसी के साथ ऊँच-नीच का व्यवहार न करे।

अगर कोई पुरूष न्याय न कर सकता हो तो उसको इजाज़त नहीं कि वह दूसरी शादी करे।

मुहर्रिमात-ए-निकाह (जिनसे विवाह वर्जित है)

वह स्त्रियाँ जिनसे निकाह करना हराम (निषिद्ध) है, निम्नलिखित हैं :-

(1) मां (2) बाप की मनकूहा (बाप ने जिस से निकाह किया हो) (3) दादी (4) नानी (5) फूफी (बुआ) (6) ख़ाला (मासी) (7) रज़ाई मां[1] (8) रज़ाई बहन (दूध पिलाने वाली माँ की लड़की) (9) सास (10) शादी शुदा स्त्री (11) बहन (12) बेटी (13) भतीजी (14) भांजी (15) पत्नी के पहले पति की लड़की (16) एक समय में दो सगी बहनें (17) एक समय में ख़ाला और भांजी या फूफी (बुआ) और भतीजी (18) बेटे की पत्नी। इसके अतिरिक्त सब स्त्रियों से निकाह करना जायज़ है।स्त्री मोमिन होनी चाहिए।

1. रज़ाई मां :- रिज़ाई मां उस स्त्री को कहते हैं जो किसी बच्चे को अपना दूध पिलाए ।

अगर मोमिन स्त्री न मिले या कोई दूसरी मजबूरी हो तो अहले किताब जैसे कि ईसाई, यहूदी आदि स्त्रियों से भी निकाह करना जायज़ है।

रज़ाअत (दूध पिलाना) का समय

रज़ाअत (दूध पिलाने) का समय दो साल है। अगर दो साल के अन्दर किसी स्त्री ने किसी बच्चे को कम से कम पांच घूंट दूध पिलाया हो तो वह इस बच्चे की रज़ाई मां और इसकी संतान बच्चे के रज़ाई बहन-भाई बन जाते हैं और इनसे निकाह करना हराम होता है। अगर दो साल के बाद पिलाया जाए तो उससे निकाह हराम नहीं होगा।

निकाह शिग़ार अर्थात तबादले (बट्टे का) का निकाह। इस प्रकार कि एक व्यक्ति अपनी लड़की या बहन का किसी पुरूष से निकाह कर दे और उसकी लड़की या बहन का निकाह अपने साथ करवाए और महर दोनों का निश्चित न किया जाए बल्कि तबादला ही महर समझा जाए तो इसे शिग़ार कहते हैं। यह निकाह मना है और शरीअत ने इसे हराम क़रार दिया है।

मुताअ

एक ख़ास समय तक के लिए जैसे कि घण्टे दो घण्टे, रात दो रात या महीने दो महीने या साल दो साल आदि तक के लिए निकाह करने को मुताअ कहते हैं। यह निकाह भी हराम है।

तलाक़

अगर पति-पत्नी में मनमुटाव हो जाए और वह दोनों आपस में शरीअत के आदेश के अनुसार अपना बाक़ी जीवन न गुज़ार सकते हों या स्त्री शरीयत के विरुद्ध किसी काम में लिप्त हो अथवा माँ बाप तलाक़ देने का आदेश दें तो पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को अपने निकाह से आज़ाद कर दे। अर्थात तलाक़ दे दे।

तलाक़ देना यद्यपि जायज़ है परन्तु तलाक देने का उस समय आदेश है जबकि सख़्त मजबूरी हो और तलाक़ दिए बग़ैर जीवन गुज़ारना कठिन

हो। अगर कोई पुरूष किसी ख़ास मजबूरी के बग़ैर ही तलाक़ देता है तो वह बहुत बुरा काम करता है और अल्लाह तआला की अवज्ञा करता है क्योंकि एक पवित्र समझौते (निकाह) को तोड़ता है।

तलाक़ देने से पहले सोच विचार बहुत ज़रूरी है। इसलिए शरीअत ने आदेश दिया है कि जहां तक हो सके सुलह सफ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए और स्त्री और पुरूष दोनों को यथासम्भव हर ढंग से समझाना चाहिए। अगर वे बिल्कुल न समझें तो फिर पुरूष को चाहिए कि वह तलाक़ दे दे।

तलाक़ देने की यह विधि है कि पति अपनी पत्नी को अय्यामे तुहर (रजोधर्म से पवित्र दिनों) में तलाक़ दे। जिस पवित्रता की आवस्था में उसके पास न गया हो। क़ुर्आन करीम ने पुरूष को तीन तलाक़ें देने का अधिकार दिया है। इन तीन तलाक़ों का अधिकार या तो दो रजई और एक बाइन तलाक़ की व्याख्या में होगा या तीन बाइन तलाक़ों की सूरत में, जिस की व्याख्या यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक तलाक रजई दे फ़िर इद्दत (तीन मासिक धर्म) की समय सीमा में पत्नी से समझौता करे तो वह एक तलाक़ हो जाएगी। इस के पश्चात यदि वह दोबारा तलाक़ रजई दे और फ़िर इद्दत के अंदर पत्नी से मेल रखे तो यह उस की ओर से दूसरी तलाक़ गिनी जाएगी। अब इस के पश्चात जब तीसरी बार तलाक़ देगा तो वह तलाक़ ''बत्ता'' कहलाएगी। अर्थात इद्दत के अंदर लौट आने और इद्दत के पश्चात निकाह करने का अधिकार बाकी नहीं रहेगा क्योंकि वह अपना तलाक़ देने का अधिकार तीन बार प्रयोग कर चुका है।

दूसरी विधि यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ रजई दे और इद्दत के अंदर न लौटे उस सूरत में इद्दत गुज़ारने के पश्चात एक तलाक़ बाइन होगी (या उदाहरणतया रुख़सताना से पूर्व तलाक़ दे जो बाइन होती है) अब वह समझौता तो नहीं कर सकता मगर दोबारा नया निकाह कर सकता है। इस दूसरे निकाह के पश्चात इसे तलाक़ का हक तीन बार नहीं बल्कि केवल दो बार प्राप्त होगा। अतएव यदि वह अब

तलाक़ दे और समझौता न करे और इद्दत गुज़र जाए तो यह उसकी ओर से दूसरी तलाक़ बाइन होगी। इस के पश्चात वह फ़िर अपनी सहमति से निकाह कर सकते हैं। यह उनका तीसरा निकाह होगा। जिस के परिणाम स्वरूप केवल एक शेष तलाक़ का अधिकार उसे प्राप्त होगा। अर्थात यदि वह अब तलाक़ देगा तो यह उसकी तलाक़ ''बत्ता'' होगी और दोनों में बिल्कुल जुदाई हो जाएगी। न समझौता हो सकता है और न दोबारा निकाह कर सकेगा। मतलब यह कि तलाक़ बत्ता के स्थापित होने के लिए दो तलाक़ों के बीच या तो एक दूसरे में समझौता हो या दूसरा निकाह। यदि इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं तो चाहे कितनी बार वह मुँह से तलाक़ का शब्द बोले तलाक़ एक ही मानी जाएगी। जब कोई पुरूष तीसरी बार तलाक़ दे दे तो उसे फिर समझौता करने का अधिकार नहीं रहता और न वह उस स्त्री के साथ अब निकाह कर सकता है।

हां यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस स्त्री के साथ निकाह कर ले और फिर वह मर जाए या अपनी इच्छा से किसी कारण तलाक़ दे दे तो फिर उसका पहला पति उस औरत के साथ उस की इच्छा से शादी कर सकता है परन्तु यदि जान बूझ कर किसी दूसरे के साथ निकाह पढ़ा जाए ताकि वह निकाह के पश्चात उस स्त्री को तलाक़ दे दे और यह फिर उस से शादी कर सके तो ऐसे निकाह को ''हलाला'' कहते हैं और हलाला हराम है।

इद्दत के दिनों में पुरूष पर स्त्री को भोजन व वस्त्र का खर्च देना फ़र्ज़ है और महर तो स्त्री की जायदाद है जो हर सूरत में पुरूष पर अदा करना फ़र्ज़ है और यदि महर के अतिरिक्त कोई माल या जायदाद भी पुरूष ने स्त्री को दी हुई हो तो वह उन में से भी कुछ वापस नहीं ले सकता जब तक कि वह प्रत्यक्ष व्यभिचारी में लिप्त न पाई जाए।

इद्दत के आदेश

इद्दत उस समय को कहते हैं जिस में स्त्री को दूसरी जगह निकाह

करना मना है।

मुतल्लक़ा (वह स्त्री जिसको उसके पति ने तलाक़ दे दी हो) अगर गर्भवती हो तो उसकी इद्दत उसके सन्तान प्रजनन तक है और अगर गर्भवती न हो तो फिर तीन हैज़ (माहवारी)। बूढ़ी स्त्री और नाबालिग़ा (अवयस्क) मुतल्लक़ा के लिए तीन महीने तक इद्दत का समय निश्चित है।

अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए और वह गर्भवती हो तो उसकी इद्दत बच्चे के जन्म होने तक है और अगर गर्भवती न हो तो इसके लिए चार महीने दस दिन इद्दत निश्चित है।

ख़ुलअ की इद्दत एक हैज़ (मासिक धर्म) तक निश्चित है और उस मुतल्लक़ा स्त्री के लिए कोई इद्दत नहीं जिस से उस के पति का शारीरिक सम्बन्ध न हुआ हो।

इद्दत के दिनों में स्त्री को अपने घर से बग़ैर किसी ज़रूरत के बाहर जाना मना है और इसे निकालना भी मना है। अगर कहीं जाना ज़रूरी हो तो दिन के समय जा सकती है। इसी तरह इद्दत के दिनों में स्त्री को ज़्यादा फ़ैशन आदि करना या श्रृंगार करना सब मना है।

इद्दत के दिनों में इद्दत वाली स्त्री को निकाह का संदेश भेजना मना है। जब इद्दत गुज़र जाए फिर निकाह का संदेश भेजा जा सकता है।

अगर मुतल्लक़ा स्त्री का बच्चा दूध पी रहा हो तो बच्चे के पिता को इसके पालन पोषण का ख़र्च दो साल की आयु तक (अर्थात जब तक बच्चा दूध पी रहा हो) देना चाहिए।

ख़ुलअ

शरीअत (अर्थात् क़ुर्आन) ने जिस तरह पुरूष को यह आज्ञा दी है कि अगर इसे वास्तव में कोई मजबूरी हो तो वह अपनी औरत को तलाक़ दे सकता है। इसी तरह शरीअत ने स्त्री को भी यह अधिकार दिया है कि अगर उसे वास्तव में कोई मजबूरी हो जैसे कि उसका पति किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो या उसकी ज़रूरत को पूरा न कर सकता हो तो वह अपने पति से अलग होने के लिए तलाक़ ले ले। इस

तलाक़ को जो स्त्री अपनी इच्छा से लेती है ''ख़ुलअ'' कहते हैं।

अगर पुरुष तलाक़ न दे तो स्त्री को अधिकार है कि वह अदालत में जाकर निवेदन करे कि उसे पति से अलग किया जाए। अगर काज़ी (न्यायकर्ता) उचित समझेगा तो जो धन (माल) उसके पति ने उसे दिया होगा उस में से जितना उसके पास मौजूद होगा वह उसके पति को दिला देगा और आदेशानुसार उसको तलाक़ दिलवा देगा।

''ख़ुलअ'' में महर और ख़र्च लेने का स्त्री को अधिकार नहीं। बल्कि अगर पति इससे कुछ धन लेकर ख़ुलअ करना चाहे तो भी इस के लिए जायज़ है मगर जितना धन उसने स्वंय स्त्री को दिया है उससे अधिक लेना उस के लिए मना है।

महर, बहू विवाह, तलाक़ और ख़ुलअ आदि यह सब अच्छाइयाँ हमारे धर्म इस्लाम के अतिरिक्त और किसी धर्म में नहीं पाई जातीं।

लिआन

यदि कोई पुरूष अपनी पत्नी पर यह दोष लगाए कि उसने ज़िना (अवैध शारीरिक सम्बन्ध) किया है और जैसा कि शरीअत का आदेश है, अपनी आँखों से देखने वाले चार गवाह न हों और पुरूष अपनी बात पर क़ायम हो और स्त्री इन्कार करे तो उस समय में यह समस्या कज़ा (अदालत) में काज़ी के सामने पेश होगी। काज़ी दोनों से पूछेगा। अगर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हों तो काज़ी उन दोनों को कसम दिलाएगा। पहले चार बार पुरूष कसम खा कर कहेगा कि :-

''मैं अल्लाह तआला की कसम खा कर कहता हूँ कि इस स्त्री ने ज़िना किया है।''

और पांचवी बार कहेगा कि :-

''अगर मैं इस बारे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की 'ला'नत' हो''।

इसी प्रकार स्त्री चार बार कसम खाएगी कि :-

''अल्लाह तआला की कसम कि मैंने ज़िना नहीं किया यह झूठ

बोलता है''।

और पांचवीं बार कहेगी कि :-

''अगर मैंने इस बारे में झूठ बोला हो तो मुझ पर अल्लाह तआला की ला'नत हो''।

लिआन के पश्चात इनका निकाह टूट जाएगा और इनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा महर पुरूष को देना पड़ेगा।

अगर पुरूष कसम न खाए और कह दे कि मैंने झूठ बोला तो इसे 80 कोड़े[1] लगाए जाएंगे।

अगर स्त्री कसम न खाए और कहे कि यह दोष ठीक है और मैं दोषी हूँ तो फिर इसे ज़िना (व्यभिचार) की सज़ा दी जाएगी।

सूद (ब्याज)

इस्लाम ने सूद को हराम क़रार दिया है। जो पुरूष किसी से सूद लेता है या देता है चाहे सूद कम हो या अधिक वह लानती है। बल्कि जो गवाह हों वह भी लानती हैं।

सूद एक ऐसा ला'नत का फन्दा है कि अगर किसी के गले में पड़ जाए तो फिर इससे रिहाई असम्भव है।

देखा गया है कि अगर किसी के बाप ने सूद पर रुपया लिया तो वह भी उसको अदा करता मर गया मगर रुपया अदा न हो सका फिर उसकी सन्तान उसको अदा करती चली गई मगर फिर भी वह अदा न हो सका। इसलिए अल्लाह तआला ने मुसलमानों को सूद की ला'नत से बचाने के लिए सूद को हराम कहा है और फ़रमाया है कि जो मुसलमान सूद लेता है या देता है वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) से लड़ाई करता है। हर बुद्धिमान यह जानता है कि अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) से मुक़ाबला करके कोई कभी सफ़ल नहीं हो सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि सूद के बग़ैर गुज़ारा नहीं हो सकता। यह

1. यह सज़ा केवल सरकार ही (यदि चाहे) दे सकती है ।

बात ग़लत है और एक शैतानी ख़्याल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर कोई इन्सान नेक नीयत से सूद के बग़ैर भी गुज़ारा करना चाहे तो हो सकता है।

हां अगर कुछ मजबूरियों की वजह से सूद लेना पड़े जैसे कि कोई इन्सान किसी बैंक में रुपया जमा करवाता है तो सूद ज़रूर मिलता है। तो ऐसे इन्सान को चाहिए कि वह सूद का रुपया सिर्फ़ इस्लाम के प्रचार व प्रसार में ख़र्च करे और उसे अपनी किसी ज़रूरत में न लाए, क्योंकि सूद का रुपया अपनी किसी ज़रूरत में लाना हराम है।

क़र्ज़

क़र्ज़ लेना इस्लाम ने जायज़ क़रार दिया है और आदेश दिया है कि अगर तुम्हारे पास रुपया न हो तो तुम क़र्ज़ ले सकते हो और धनी लोगों को आदेश दिया है कि अगर किसी को रुपया की ज़रूरत हो तो तुम उसको क़र्ज़ दो क्योंकि अल्लाह तआला की मख़लूक़ (मानव जाति) के साथ सहानुभूति और उपकार करना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। जो इन्सान हमदर्दी (सहानुभूति) के तौर पर किसी को क़र्ज़ देता है अल्लाह तआला उस पर ख़ुश होता है कि उसने मेरे बन्दे पर एहसान (उपकार) किया और उसके धन में बढ़ोतरी करता है।

क़र्ज़ के लिए यह शर्त ज़रूरी है कि जब कोई इन्सान किसी से क़र्ज़ ले तो वह लिख लें और दो गवाह बना लें और साथ ही समय निश्चित कर लें कि अमुक समय तक यह रुपया अदा कर दिया जाएगा।

लिखने और लिखवाने के बग़ैर क़र्ज़ (ऋण) लेना या देना ठीक नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने ख़ास तौर पर कुर्आन शरीफ़ में हुक्म दिया है कि उधार लेते या देते समय तुम ज़रूर लिख लिया करो। दोस्ती, सम्मान या विश्वास का इसमें कोई सवाल नहीं।

क़र्ज़ लेने के लिए अपनी कोई चीज़ जैसे कि मकान या ज़मीन आदि गिरवी रखना भी जायज़ है, परन्तु इस शर्त पर कि इसका क़ब्ज़ा भी मुर्तहिन (जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जाए) को दे दिया जाए अगर क़ब्ज़ा न

दिया जाए तो यह गिरवी जायज़ नहीं।

क़र्ज़ वापस लेना

अगर निश्चित समय पर क़र्ज़ वापस न हो सके तो देखना चाहिए कि क़र्ज़ लेने वाले ने जान बूझ कर अदा नहीं किया या उसमें अभी अदा करने की ताक़त नहीं ?

अगर उस समय उसमें अदा करने की ताक़त न हो तो फिर उसे कुछ ढील (समय) दे देना चाहिए ताकि वह रुपया वापस कर दे क्योंकि यह ठीक नहीं है कि एक कर्ज़दार को तंग किया जाए और अगर इसने जान बूझ कर अदा न किया हो तो फिर अदालत में दावा करना चाहिए, अदालत उससे आदेश दे कर रुपया अदा करवाएगी।

अगर क़र्ज़ लेने वाला मर जाए तो उसकी छोड़ी हुई सम्पत्ति में से सबसे पहले क़र्ज़ा अदा किया जाएगा।

लेकिन अगर क़र्ज़दार की सम्पत्ति इतनी न हो जितना कि क़र्ज़ है तो फिर उसकी सन्तान पर वह क़र्ज़ अदा करना फ़र्ज़ है और अगर फिर भी क़र्ज़ अदा न हो सके तो फिर इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वह उसकी तरफ़ से क़र्ज़ अदा करे।

क़र्ज़ देने वाले का रुपया नष्ट नहीं होगा लेकिन यह दूसरी बात है कि क़र्ज़ देने वाला उपकार करके किसी ग़रीब क़र्ज़दार को क्षमा कर दे। क़र्ज़ा अदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन्सान इस दुनिया में अपना क़र्ज़ा अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन उस से क़र्ज़ मांगा जाएगा।

अगर कोई क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा करते समय अपनी तरफ़ से धन्यवाद के तौर पर कि उसके किसी भाई ने उसके साथ नेक व्यवहार किया है लिए हुए रुपये से ज़्यादा रुपया दे दे तो यह भी बहुत अच्छी बात है। परन्तु जितना क़र्ज़ लिया है उतना तो निश्चित समय में अदा करना बहुत ज़रूरी है।

ज़िराअत (खेती सम्बन्धी विषय)

मोमिनों को हलाल और पाक (पवित्र) अन्न (रिज़क) खाने का आदेश

है क्योंकि अगर हलाल और पाक धन न खाया जाए तो नेक काम करने की भी तौफ़ीक़ नहीं मिलती।

धन पवित्र और हलाल उसी अवस्था में से हो सकता है जबकि शरीयत के बताए हुए तरीकों के विरुद्ध न कमाया गया हो। अगर पवित्र माल में ज़रा भी हराम माल मिल जाए तो वह सारे माल को हराम कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि धन कमाते समय बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए और ज़रा भी धन शरीयत के विरुद्ध तरीक़ों से न कमाया जाए।

कृषि में ज़रूरी है कि जब कोई खेती-बाड़ी करे तो अपनी ज़मीन ही में खेती करे किसी दूसरे की थोड़ी ज़मीन भी नाजायज़ तौर पर अपनी ज़मीन में शामिल न करे और अपनी ही खेती और फसल अपने काम में लाए, किसी दूसरे की फ़सल को नुक़सान न पहुँचाए।

ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन को बटाई (हिस्से) पर भी दे सकता है जैसे कि हिस्सा (भाग) निश्चित कर ले कि जितनी उसकी पैदावार होगी उसके उतने हिस्से किए जाएंगे। इतने हिस्से तुम्हारे होंगे और इतने हिस्से मेरे। यह भी हो सकता है कि अपनी ज़मीन किसी को खेतीबाड़ी के लिए दे दे कि मैं साल में तुम से इतने रुपये ले लिया करूँगा।

ज़मीन के मालिक के लिए यह कदापि जायज़ नहीं कि वह कृषक को ज़मीन का कोई हिस्सा दे दे कि इसमें जो पैदावार होगी वह तुम्हारी और अपने लिए कोई ख़ास हिस्सा निश्चित कर ले कि इसमें जो पैदावार होगी वह मेरी क्योंकि यह एक तरह का अन्याय है।

इजारह (मज़दूरी)

मज़दूरी पर लगना और लगाना दोनों जायज़ हैं परन्तु यह ज़रूरी है कि पहले मज़दूरी निश्चित कर ली जाए और जो मज़दूरी निश्चित हो जाए उससे कम मज़दूरी देना जायज़ नहीं अपितु अगर हो सके तो उपकार के तौर पर कुछ अधिक ही देना चाहिए।

मज़दूर की मज़दूरी जल्दी अदा कर देनी चाहिए क्योंकि हदीस शरीफ़ में आता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:-

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ۔ अर्थात मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले ही उसकी मज़दूरी अदा कर दो।

मज़दूर की मज़दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और न सिर्फ़ मज़दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी है अपितु उसे गाली देना और मारना आदि भी मना है। यह ज़रूरी नहीं कि ज़रूर मुसलमान को ही मज़दूरी पर लगाया जाए अपितु ग़ैर मुस्लिम को भी मज़दूरी पर लगाया जा सकता है परन्तु कोशिश यह करनी चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की सहायता की जाए।

ख़रीद-फ़रोख़्त

आजीविका प्राप्त करने का दूसरा तरीक़ा ख़रीद-फ़रोख़्त (क्रय-विक्रय) है। व्यापार करने में बहुत बरकत है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को व्यापार करने के बारे में खास तौर पर ताकीद की है। ख़ुद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम नुबुव्वत के दावे से पहले व्यापार करते थे और आपके सहाबा भी मदीना मुनव्वरा में व्यापार करते थे।

व्यापार भी उसी तरीके पर करना चाहिए जैसे शरीयत ने आदेश दिया है। जिन चीज़ों को ख़रीदने या बेचने से शरीयत ने मना किया है उन चीज़ों की ख़रीद-फ़रोख़्त नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा और शरीयत के विरुद्ध तरीक़ों से धन कमाएगा तो वह धन कभी भी हलाल और तय्यब (पाक) नहीं कहलाएगा।

इसलिए हर इन्सान जो व्यापार करना चाहता है उस पर फ़र्ज़ है कि वह शरीयत के आदेशानुसार अपना काम करे।

ख़रीद-फ़रोख़्त के नियम

ख़रीद व फ़रोख़्त अर्थात ख़रीदने और बेचने से पहले वह चीज़ जो ख़रीदी जा रही है उसे अच्छी तरह से देख लेने का आदेश है। ख़रीदार को चाहिए कि अपनी तसल्ली कर लेने के पश्चात ही चीज़ को ख़रीदे,

जांच-पड़ताल के बिना खरीदना और बेचना मना है।

बेचने वाले को चाहिए कि अगर उसकी चीज़ में कोई कमी हो तो वह ख़रीदार को पहले बता दे ताकि अगर ख़रीदने वाले की इच्छा हो तो इसको ख़रीदे लेकिन अगर फ़रोख़्त करने वाला उस चीज़ की ख़राबी को न बताए तो ख़रीदने वाले को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चीज़ वापिस कर दे और क़ीमत वापस ले ले।

ख़रीदने वाले को यह अधिकार भी प्राप्त है कि अगर वह चाहे तो यह शर्त कर ले कि अगर यह चीज़ पसन्द आई तो ख़रीदूंगा नहीं तो वापस कर दूंगा।

बेचने वालों को चाहिए कि वह ऐसा माल न बेचें जो खराब हो और धोखे के तौर पर भी कोई माल न बेचें। जैसे कि चीज़ अच्छी दिखाएं परन्तु ख़राब दें। माल के दो मूल्य निश्चित न करें कि अगर नक़द लो तो यह मूल्य है और अगर उधार लो तो यह क़ीमत है क्योंकि यह सूद है या ऐसा करें कि होशियार आदमी से कम क़ीमत लें और बच्चे या अपरिचित व्यक्ति से अ़धिक क़ीमत ले लें हां यह उनको अधिकार है कि अपने किसी सम्बन्धी से कम क़ीमत ले लें।

अगर किसी समय बेचने वालों और ख़रीदने वालों के बीच झगड़ा हो जाए अर्थात बेचने वाला कहे कि मैंने यह चीज़ दस रुपये में बेची है और ख़रीदने वाला कहे कि मैंने आठ रुपये में ख़रीदी है तो बेचने वाले की बात मानी जाएगी। ख़रीदने वाले को यह अधिकार है कि चाहे वह यह कीमत माने या सौदा तोड़ दे और चीज़ न ले।

बैअ सलम (किसी वस्तु की पहले ही कीमत दे देना) भी जायज़ है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी व्यापारी से यह सौदा कर ले कि मैं तुम से सारा साल इस भाव पर ख़रीदूंगा चाहे अन्न का दाम बढ़ जाए या गिर जाए।

ममनूआत (निषिद्ध वस्तुएं)

1. वे चीज़ें जो शरीयत ने हराम क़रार दी हैं जैसे कि शराब, सूअर, मुरदार आदि की ख़रीद-फ़रोख़्त करना।

2. फलों का सौदा कई सालों के लिए करना।
3. वृक्षों पर कच्चा फल पके हुए फलों के बदले बेचना।
4. खेती का अनुमान लगा लेना कि इसमें इतना अन्न उत्पन्न होगा। फिर उसको उतना ही किसी से अन्न लेकर बेचना।
5. लाटरी।
6. ऐसी चीज़ बेचना जिसमें सरासर धोखा हो या बेचने वाले के क़ब्ज़ा में ही न हो जैसे कि पानी में मछलियां या हवा में पक्षी।
7. जिस चीज़ का कोई मालिक न हो उसको बेचना।
8. वह विक्रय (बेचना) जिसमें क़ीमत अदा करने की अवधि का ज्ञान न हो।
9. क़ब्ज़ा करने से पहले किसी चीज़ को बेचना जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से पाँच सौ रुपये का गेहूँ बीस सेर प्रति रुपया के हिसाब से ख़रीदा और अभी उसे अपने पास नहीं लाया या अपने क़ब्ज़े में नहीं किया तो उसे बेचना।
10. किसी चीज़ को इस नीयत से जमा करके रखना कि जब महंगी होगी तो बेचूंगा (यह इह्तिकार कहलाता है)।
11. कोई इन्सान बाहर से कोई चीज़ बेचने के लिए लाए तो कोई शहरी उसे कहे कि मेरे पास रख जाओ जब महंगी होगी तो बेच दूँगा।
12. किसी को कोई चीज़ उधार एक क़ीमत पर देना फिर वही चीज़ उससे नक़द कम दाम पर ख़रीदना। जैसे कि सौ रुपये को बेच दी और 95 को ख़रीद ली और पांच रुपये उसके ज़िम्मे लगा दिये।
13. ख़रीदने का इरादा न हो मगर उसकी क़ीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाना।
14. ख़रीदार के सौदे पर सौदा करना यह सब मना है।

शुफ़्अः

अगर कोई इन्सान अपनी सम्पत्ति बेचे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वह सबसे पहले उस व्यक्ति को बेचे जिसके साथ वह जुड़ी हुई हो। अगर वह ना ख़रीदे या क़ीमत (दाम) कम दे तो फिर उसे अधिकार है कि

किसी दूसरे इन्सान को बेच दे लेकिन अगर उससे पूछे बग़ैर किसी दूसरे के पास बेच दे तो उसका हक़ है (जिसके साथ वह जुड़ी है) कि वह अदालत में शुफ़अ के अधिकार का दावा करे कि चूंकि यह सम्पति मेरे साथ जुड़ी हुई है इसलिए मेरा हक़ है कि यह मेरे पास बेची जाए। अगर वह उस समय उसके साथ वास्तव में जुड़ी हुई है और वह उतनी ही क़ीमत दे जितनी क़ीमत पर वह बेची जा चुकी है तो क़ाज़ी उसके हक़ में निर्णय करेगा और क़ीमत ख़रीदार या उस सम्पत्ति के मालिक (जिसके पास भी वह सम्पत्ति उस समय हो) को दिला कर सम्पत्ति उसके हवाले कर देगा लेकिन अगर यह ख़ुद ख़रीदना न चाहता हो या क़ीमत कम देता हो तो फिर मालिक को अधिकार है कि वह जिसको चाहे बेच दे। इस अवस्था में शुफ़अ: का दावा नहीं कर सकता।

विरासत

हर इन्सान जिस समय उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने पीछे अपना धन और सम्पत्ति आदि छोड़ जाता है। इस माल को विरासत कहते हैं।

शरीयत ने आदेश दिया है कि सबसे पहले मरने वाले की विरासत में से अगर उसने किसी का क़र्ज़ देना हो या किसी के हक़ में वसीयत की हो तो उनको अदा किया जाए। इन दोनों की अदायगी के पश्चात अगर कोई माल बचे तो वह उसके सगे सम्बन्धियों में जिन्हें शरीयत ने वारिस निश्चित किया है शरीयत के बताए हुए ढंग के अनुसार बांट दिया जाए। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसका माल बैतुलमाल में जमा करा दिया जाए।

नीचे वह सगे-सम्बन्धी, लिखे जाते हैं जो मृतक के वारिस होते हैं:-

1. बेटा 2. पोता 3. बाप 4. दादा 5. भाई 6. भतीजा 7. चाचा 8. चाचाज़ाद भाई 9. पति 10. बेटी 11. पोती 12. मां 13. दादी 14. बहिन 15. पत्नी।

क़ातिल किसी हाल में भी मक़्तूल (जिसे कत्ल किया गया है) की

सम्पत्ति का हक़दार नहीं होगा चाहे वह बेटा हो या भाई भतीजा आदि।

वारिसों में से हर एक को निम्नलिखित भागों में से अलग-अलग सूरतों के लिहाज़ से कोई न कोई भाग मिलेगा :-

निस्फ़ (आधा), दो तिहाई, एक तिहाई, चौथा भाग, छटा भाग, आठवां भाग।

***
*

तीसरा अध्याय

तीसरा अध्याय

बुरे रस्म व रिवाज

ख़ुदा तआला के नबी सदा ऐसे समय में आते हैं जब वास्तविक एकेश्वरवाद संसार से मिट जाता है, और मुश्रिकाना रिवाज धर्म का दर्जा पा जाते हैं। ऐसे समय में ख़ुदा के नबियों और उनके ख़लीफ़ाओं का यह काम होता है कि वह सच्चे धर्म को दुनिया में स्थापित करें और जो ग़लत बातें रस्म व रिवाज और बिदअत को (धर्म में अपनी ओर से नई बातें गढ़ लेना, जिनका क़ुर्आन व हदीस में बयान नहीं) लोग अपनी ओर से धर्म में शामिल कर देते हैं उनको मिटा दें। यही काम इस युग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्लाम ने किया। आप ''हकम'' (फ़ैसला करने वाले) और ''अदल'' (इंसाफ़ करने वाले) बन कर पधारे, और आपके द्वारा इस्लाम की दोबारा उन्नति आरम्भ हुई। आपने इस्लामी शरीअत को फिर से क़ायम किया। सारी बुरी रस्मों को बता कर उस के विरुद्ध जिहाद (संघर्ष) किया और मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाया। यही काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़लीफ़ाओं ने किया और वे भी अपने अपने युग में बुरी रस्मों को समाप्त करते रहे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तीसरे ख़लीफ़ा ने इस दौर में बुरी रस्मों के विरुद्ध जिहाद का ऐलान करते हुए एक ख़ुत्बः जुमा में फ़रमाया :-

''हमारी जमाअत का पहला और अन्तिम फ़र्ज़ यह है कि ख़ालिस तौहीद (शुद्ध एकेश्वरवाद) को ख़ुद में और अपने माहौल में भी स्थापित करें और शिर्क की सब खिड़कियों को बंद कर दें... तौहीद के स्थापित करने में एक बड़ी रोक बिदअत और रस्म है। यह एक हक़ीक़त है जिस से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हर बिदअत और बद रस्म शिर्क का एक मार्ग है। कोई व्यक्ति जो ख़ालिस तौहीद पर क़ायम होना चाहे वह उस समय तक ख़ालिस तौहीद पर क़ायम नहीं हो सकता जब तक वह

सब बिदअतों और सब बुरी रस्मों को मिटा न दे... रस्में तो दुनिया में बहुत सी फैली हुई हैं परन्तु इस समय बुनियादी तौर पर हर घराने को बता देना चाहता हूँ कि मैं हर घर के दरवाज़े पर खड़ा होकर और हर घराने को सम्बोधित करके बुरी रस्मों के खिलाफ़ जिहाद (संघर्ष) का ऐलान करता हूँ। और जो अहमदी घराना आज के बाद इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करेगा और हमारी सुधार की कोशिशों के होते हुए भी सुधार की ओर ध्यान नहीं देगा वह याद रखे कि ख़ुदा और उसके रसूल और उसकी जमाअत को उसकी कुछ परवाह नहीं है। वह इस प्रकार जमाअत से निकाल कर बाहर फेंक दिया जायेगा जिस प्रकार दूध से मक्खी। अत: इस से पहले कि ख़ुदा का अज़ाब तुम पर भारी गुस्से के रूप में उतरे या उसका क़हर (क्रोध) जमाअती अनुशासन की सज़ा के रूप में आप पर आये, अपने सुधार की फ़िक्र करो और ख़ुदा से डरो, उस दिन के अज़ाब से बचो कि जिस दिन एक सैकन्ड का अज़ाब भी सारी उमर के आनन्द की तुलना में ऐसा ही है कि यदि यह मज़े और आयु क़ुर्बान कर दी जायें और इन्सान उस से बच सके तो भी मंहगा सौदा नहीं अपितु सस्ता सौदा है।''

(ख़ुत्बः जुमा 23 जून 1967 ई.)

अधिकतर बुरी रस्में जो इस समय प्रचलित हैं, ख़ुशी के अवसरों जैसे कि शादी ब्याह इत्यादि से सम्बंधित हैं या फिर मौत क़े विषय से या कुछ ऐसी ही आस्थाओं से सम्बंधित हैं। इन सब के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके खलीफ़ाओं ने जो राहनुमाई फ़रमाई है उसका कुछ वर्णन निम्नलिखित हैं :-

बच्चे की पैदाइश से सम्बंधित रस्में

बच्चे की पैदाइश माँ बाप के लिये खुशी का एक विशेष अवसर होता है। इस समय पर अच्छे रंग में खुशी मनाने से इस्लाम ने मना नहीं किया, क्योंकि यह एक स्वाभाविक खुशी है। अगर शुकराना के तौर पर कुछ मिठाई वग़ैरह बाँट दी जाये तो हर्ज नहीं लेकिन ढोल बजाना,

नाच गाना करना किसी तरह भी जाइज़ नहीं। इस्लामी तरीक़ा यह है कि सातवें दिन अक़ीक़ा किया जाये यानी लड़का पैदा हो तो दो बकरे, और लड़की पैदा हो तो एक बकरा क़ुर्बान किया जाये। पैदा होने वाले बच्चे के बाल मुंडवाये जायें, लेकिन अगर किसी को अक़ीक़ा करने की ताक़त नहीं तो ज़रूरी नहीं। बच्चे बड़े होकर ख़ुद भी क़ुर्बानी कर सकते हैं। क़ुर्बानी का गोश्त ग़रीबों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों में बाँटा जाये ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़का हो तो ख़त्ना भी साथ ही करवा देना बहुत अच्छी बात है।

साल गिरह (जन्म दिन) मनाना

बच्चे के बारे में एक रस्म ये है कि हर साल जन्म की तारीख़ पर जन्म-दिन मनाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, तरह-तरह के उपहार दिये जाते हैं और बहुत सा रुपया ख़र्च किया जाता है। यह बुरी रस्म है, इससे बचना अच्छी बात है।

नाक, कान छिदवाना, चोटी रखना

कुछ लोग बच्चों के नाक-कान छिदवाते, बाली और बुलाक़ पहनाते हैं या पैरों में घुँघरू पहनाते या सर पर चोटी सी रखते हैं। ये सब बुरे और ग़ैर इस्लामी रिवाज हैं जो दूसरी क़ौमों से मुसलमानों में आ गये हैं। मन्नत के तौर पर जो सर पर चोटी रखते हैं इसके बारे में पूछे जाने पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया :-

''नाजाइज़ है ऐसा नहीं करना चाहिए''

(मलफ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 216)

शादी-ब्याह से सम्बंधित रस्में

दफ़ बजाना (ढोलक बजाना)- हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''जो चीज़ बुरी है वह हराम है और जो चीज़ पाक है वह हलाल है।

ख़ुदा तआला किसी पाक चीज़ को हराम घोषित नहीं करता बल्कि तमाम पाक वस्तुओं को हलाल फ़रमाता है। हाँ जब पाक चीज़ों में ही बुरी और गंदी चीज़ें मिलाई जाती हैं तो वह हराम हो जाती हैं। अब शादी को दफ़ (ढोल बजाना) के साथ मशहूर करना जाइज़ रखा गया है, लेकिन इस में नाच वग़ैरह शामिल हो गया तो वह मना हो गया। अगर उसी तरह पर किया जाये जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो कोई हराम नहीं''। (मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 481)

नाच-गाना, बैण्ड बाजे और आतिशबाज़ी

ब्याह शादी के अवसर पर ग़लत रिवाज के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''हमारी कौम में एक यह भी गंदी आदत है कि शादियों में सैकड़ों रुपया बेकार ख़र्च होता है। अत: याद रखना चाहिए कि शेख़ी और बड़ाई के तौर पर बिरादरी में भाजी बाँटना, और उसका देना और खाना ये दोनों बातें शरीअत में हराम हैं और आतिश बाज़ी (पटाख़े,फुलझड़ियाँ) करना, और रण्डियों, भड़ुओं, डोम मरासियों को देना पूर्णतया हराम है। व्यर्थ में रुपया बर्बाद होता है और गुनाह सर पर चढ़ता है। इसके अलावा पवित्र क़ुर्आन में तो केवल इतना आदेश है कि निकाह करने वाला निकाह के बाद वलीमा करे, अर्थात थोड़े दोस्तों को खाना पका कर खिला दे।''

(मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 46-47)

बाजा बजाने के बारे में फ़रमाया- बाजों का अस्तित्व आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना में न था। ऐलाने निकाह जिस में अवज्ञा और गुनाह की बातें न हों जाइज़ है।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द पाँच, पेज 312)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय) रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया:-

''ब्याह शादी के अवसर पर पाकीज़ा अश्आर (पवित्र गीत) औरतें गा सकती हैं। गाने वालियाँ मज़दूरी पर न रखी गई हों तो जायज़ है।

ये भी फ़रमाया :-

''सिर्फ़ औरतों का औरतों में ढोलक के साथ पवित्र गीत गाने भी मना नहीं है''। (अलफ़ज़ल 14 जून 1938 ई.)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया :-

''शादी के अवसर पर मेंहदी और इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले रिवाज जो प्रचलित हैं हमारे नज़दीक ग़ैर इस्लामी हैं। हमारी जमाअत को इससे बचना चाहिये। (रिपोर्ट मज्लिस मुशावरत, 1942 ई. पृ. 24)

दहेज़ दिखाना

दहेज़ दिखाने का जो रिवाज प्रचलित है इसके बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो फ़रमाते हैं :-

''लड़कियाँ जब अपनी सहेलियों के जहेज़ वग़ैरह को देखती हैं तो फ़िर वह भी अपने माँ बाप से ऐसे ही सामान (जहेज़) लेना चाहती हैं और इस तरह का प्रदर्शन वास्तव में दिल को दुःख पहुँचाने वाली चीज़ बन जाता है। जो कुछ भी दिया जाये बक्सों में बंद करके दिया जाये। हमारे घरों में यही तरीक़ा है। हाँ यह आवश्यक है कि वह बक्स जिनके हवाले किये जायें उनको दिखाए जायें कि ये-ये चीज़ें मौजूद हैं... ये नुमाइश (प्रदर्शन) नहीं बल्कि रसीद है''। (रिपोर्ट मज्लिस मुशावरत, 1942 ई. पृ. 24)

सेहरा बाँधना

हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो सेहरा बाँधने के बारे में फ़रमाते हैं :-

''यह तो आदमी को घोड़ा बनाने वाली बात है। वास्तव में ये रिवाज हिन्दुओं से मुसलमानों में आया है''। (अलफ़ज़ल, 4 जनवरी 1946 ई.)

फ़िर फ़रमाया :- ''सेहरा बाँधना बुरी रस्म है''।

बड़े-बड़े मेहर रखवाना

ऐसे मेहर निर्धारित कराना जो इन्सान की हैसियत और ताक़त से

बाहर हों एक रस्म की हैसियत रखता है। अल्लाह तआला साफ़ फ़रमाता है। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا **(ला युकल्लेफुल्लाहो नफ़सन इल्ला वुसअहा)** अर्थात अल्लाह तआला किसी व्यक्ति पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ डालना नहीं चाहता। बस अपना नाम करवाने के लिये बड़े-बड़े मेहर नहीं रखने चाहिये। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो वर्णन किया करते थे कि छ: माह से लेकर एक साल की आमदनी के बराबर मेहर रखा जा सकता है।

मेहर माफ़ करवाना

हमारे देश में औरत पर बहुत अत्याचार किया जाता है। उस का हक़ मेहर अदा नहीं किया जाता बल्कि कई बार मरते समय औरतों से माफ़ करवा लिया जाता है। औरत भी जानती है कि मेहर मिलना तो है नहीं इस लिये वह मुफ़्त का एहसान अपने पति पर कर देती है। एक दोस्त ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुज़ूर! एक औरत अपना मेहर नहीं माफ़ करती। आपने फ़रमाया :-

''यह औरत का हक़ है उसे देना चाहिए। पहली बात तो निकाह के वक़्त अदा करदे अन्यथा बाद में अदा कर देना चाहिये''।

(मल्फ़ूज़ात, जिल्द छ:, पृ. 391)

मोटर, स्कूटर, भारी दहेज़ माँगना

आज कल पढ़े लिखे लोगों में यह रिवाज हो गया है कि लड़की वालों से मोटर या स्कूटर की माँग करते हैं या भारी दहेज़ की इच्छा करते हैं। ये सब बुरी रस्में हैं। लड़की वालों पर अनावश्यक बोझ डालना ग़ैर इस्लामी प्रथा है। यह एक तरह से शादी की क़ीमत मांगना है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं, और अप्रिय है।

मेंहदी की रस्म

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहिमहुल्लाहो तआला फ़रमाते हैं :-

''इस बात में कोई बुराई नहीं कि शादी के अवसर पर लड़की की सहेलियाँ इकट्ठी हों और ख़ुशी मनायें। एक स्वाभाविक इज़्हार तक इसको सीमित रखा जाये तो इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन अगर इसको रिवाज बना लिया जाये कि बाहर से वर पक्ष वाले ज़रूर मेंहदी लेकर चलें तो ज़ाहिर है कि इसमें ज़रूर बनावट पायी जाती है। लड़की की मेंहदी घर पर ही तैयार होनी चाहिये। इस पर एक छोटी सी बारात बनाने का रिवाज बुराई पैदा करेगा।

शादी के अवसर पर पर्दे का प्रबन्ध और वीडियो ग्राफ़ी

''जो बुरी आदतें प्रचलित हो रही हैं उनमें से एक पर्दे में न रहना आम बात हो गयी है जो वास्तव में शरीअत के हुक्मों की हदों को पार करने के निकट पहँच गयीं हैं क्योंकि इज़्ज़तदार मेहमानों में बहुत सी शर्म वाली व पर्दे वाली औरतें होती हैं। बेधड़क, अपरिचित फोटो ग्राफ़रों या ग़ैर ज़िम्मेदार और ग़ैर सगे सम्बंधी पुरुषों को बुलाकर फ़ोटो खिंचवाना और ये परवाह न करना कि ये मामला सिर्फ़ खानदान के क़रीबी लोगों तक सीमित है, इस बारे में खोलकर नसीहत करना चाहिए कि आप ने अगर अपने घर के अंदर कोई वीडियो आदि बनानी है तो सर्व प्रथम सूचना दे दी जाये और केवल सीमित पारिवारिक सीमा में ही शौक़ पूरे किये जायें''।

(ख़ुत्बा जुमा, हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ(रहि०))

शादी से संबंधित रस्मों के बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं :-

"अल्लाह पर ईमान के साथ नेक अमल आवश्यक है। इसलिए हमेशा यह बात दृष्टिगत रखनी चाहिए कि कौन सा अमल (कर्म) शुभ है और कौन सा अशुभ है। कुछ बातें देखने में छोटी-छोटी होती हैं। उदाहरण के तौर पर ख़ुशियां हैं। यह देखने वाली बात है कि ख़ुशियां मानने के लिए हमारी क्या सीमाएं हैं। ख़ुशी और शोक इन्सान के साथ लगे हुए हैं। दोनों बातें ऐसी हैं जिनमें कुछ सीमाएं और प्रतिबंध हैं। "

आजकल देखें मुसलमानों में ख़ुशियों के अवसरों पर भी समय से प्रभावित होकर तरह-तरह की बिदअतें और व्यर्थ बातें मार्ग पा गई हैं और शोक के अवसरों पर भी तरह-तरह की बिदअतों तथा रस्मों ने स्थान ले लिया है। परन्तु एक अहमदी को इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो कार्य भी वह कर रहा है उसका किसी न किसी रंग में फ़ायदा दिखाई देना चाहिए और हर अमल इस लिए होना चाहिए कि अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीमाएं निर्धारित की हैं उनके अन्दर रहते हुए हर काम करना है।

मैंने ख़ुशी और शोक का जो वर्णन किया है तो ख़ुशियों में एक ख़ुशी जो बहुत बड़ी ख़ुशी समझी जाती है वह शादी की ख़ुशी है और यह अनिवार्य है....... अत: यह मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य बात है कि यदि कोई रोक न हो, कोई बात बाधक न हो तो शादी अवश्य करें। किन्तु उनमें कुछ रस्में विशेष तौर पर पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी समाज में सम्मिलित हो गई हैं जिनका इस्लामी शिक्षा से कोई भी संबंध या सरोकार नहीं है। अब कुछ रस्मों को अदा करने के लिए इस सीमा तक खर्च किया जाता है कि जिस समाज में इन रस्मों को बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है वहां यह सोच क़ायम हो गई है कि शायद यह भी शादी की अनिवार्य बातों में से है और इसके बिना शादी हो नहीं सकती।

मेंहदी की एक रस्म है इसे भी शादी जितनी अहमियत (महत्तव) दी जाने लगी है। इस पर दावतें होती हैं, कार्ड छपवाए जाते हैं, स्टेज सजाए जाते हैं और केवल यही नहीं बल्कि कई दिन दावतों का सिलसिला जारी रहता है और शादी से पहले ही जारी हो जाता है। कभी-कभी कई सप्ताह पहले जारी हो जाता है और हर दिन नया स्टेज भी सज रहा होता है और फिर इस बात पर भी तबसरे होते हैं कि आज इतने खाने पके और आज इतने खाने पके। ये सब रस्में हैं जिन्होंने सामर्थ्य (ताक़त) न रखने वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे लोग फिर क़र्ज़ के बोझ के नीचे दब जाते हैं। ग़ैर अहमदी

तो यह करते ही थे अब कुछ अहमदी घरानों में भी बहुत बढ़कर इन बेकार एंव व्यर्थ रस्मों पर अमल हो रहा है या कुछ ख़ानदान इसमें ग्रस्त हो गए हैं। समय के इमाम की बात मान कर रस्मों से बचने की बजाए समाज के पीछे चल कर इन रस्मों में जकड़ते चले जा रहे हैं।

कुछ माह पहले मैंने इस तरफ़ ध्यान दियाला था कि मेंहदी की रस्म पर आवश्यकता से अधिक खर्च तथा बड़ी-बड़ी दावतों से हमें रुकना चाहिए......... इसलिए अब मैं खुल कर कह रहा हूं कि इन बेकार रस्मो रिवाज के पीछे न चलें और इसे बन्द करें...... शादियों पर आतिशबाज़ी की जाती है। अब लोग अपने घरों में शादियों पर चिराग़ा भी करते हैं और आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं....... और दूसरी तरफ़ कुछ घर आवश्यकता से अधिक अपव्यय (फ़ुज़ूल ख़र्ची) करके न केवल देश के लिए हानि का कारण बन रहे हैं बल्कि गुनाह भी मोल ले रहे हैं........ यह सदर उमूमी की ज़िम्मेदारी है कि इस बात की निगरानी करें कि शादियों पर अनुचित फ़ुज़ूल ख़र्ची, दिखावा और अपनी शान और पैसे की अभिव्यक्ति (इज़्हार) नहीं होनी चाहिए। जमाअत पर अल्लाह तआला का ख़ास फ़ज़्ल् (कृपा) है कि शोक के अवसरों पर रस्मों से तो बचे हुए हैं। सातवां, दसवां, चालीसवां ये ग़ैर अहमदियों की रस्में हैं उन पर अमल नहीं करते। जो कभी-कभी बल्कि कई बार यही होता है कि ये रस्में घर वालों पर बोझ बन रही होती हैं। परन्तु यदि समाज से प्रभावित हो कर एक प्रकार की बुरी रस्मों में गिरफ़्तार हुए तो दूसरे प्रकार की रस्में भी रास्ता पा सकती हैं और फिर इस प्रकार की बातें यहां भी शुरू हो जाएंगी। अत: हर अहमदी को चाहिए कि अपने मक़ाम को समझे कि अल्लाह तआला ने उस पर उपकार (इहसान) करते हुए उसे मसीह-व-महदी की जमाअत में शामिल होने की तौफ़ीक़ (सामर्थ्य) प्रदान की है अब यह अनिवार्य है कि इस्लाम की सही शिक्षा पर अमल हो। शादी-विवाह के लिए इस्लामी शिक्षा में जो कर्त्तव्य हैं उनमें शादी का एक कर्त्तव्य है, इसके लिए एक फंक्शन किया जा सकता है। यदि तौफ़ीक़ हो तो खाना

इत्यादि खिलाया जा सकता है। यह भी आवश्यक नहीं कि हर बारात जो आए उसमें मेहमानों को बुला कर खाना खिलाया जाए। यदि दूर से बारात आ रही है तो केवल बारातियों को ही खाना खिलाया जा सकता है। किन्तु यदि देश का कानून रोकता है तो खाने इत्यादि से रुकना चाहिए और एक सीमित पैमाने पर केवल अपने घर वाले या जो कुछ बाराती हैं वे खाना खाएं........ दूसरे वलीमा है जो असल आदेश है कि अपने करीबी संबंधियों को बुला कर उनकी दावत की जाए। यदि देखा जाए तो इस्लाम में शादी की दावत का यही एक हुक्म है परन्तु वह भी आवश्यक नहीं कि बड़े विशाल पैमाने (स्तर) पर हो। अपनी ताक़त के अनुसार बुला कर खाना खिलाया जा सकता है।

अत: जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह तआला ने हमें हमारे पैदा होने का उद्देश्य बताया है। हर वह अमल जो नेक अमल है जो ख़ुदा की प्रसन्नता के लिए है वह इबादत बन जाता है। यदि यह हमारी नज़र के सामने रहे तो इसी में हमारी बक़ा (ज़िन्दगी) है और इसी बात से फिर हम रस्मों से भी बच सकते हैं, बिदअतों से भी बच सकते हैं, फ़ुज़ूल-ख़र्चियों से भी बच सकते हैं, व्यर्थ बातों से भी बच सकते हैं और हम अत्याचारों से भी बच सकते हैं। ये अत्याचार एक तो प्रत्यक्ष अत्याचार है जो अत्याचारी लोग करते ही हैं। एक कभी महसूस किए बिना इस प्रकार के रस्मो-रिवाज में ग्रस्त हो कर अपनी जान पर ज़ुल्म कर रहे होते हैं और फिर समाज में उसे रिवाज देकर उन ग़रीबों पर भी ज़ुल्म कर रहे होते हैं जो कि समझते हैं कि यह बात शायद कर्त्तव्यों में शामिल हो चुकी है। जिस समाज में ज़ुल्म, व्यर्थ काम तथा बिदअतों इत्यादि की ये बातें हों वह समाज फिर एक-दूसरे का हक़ मारने वाला होता है। फिर जैसा कि मैंने कहा एक-दूसरे पर ज़ुल्म करने वाला होता है परन्तु यदि हम इन बातों से बचेंगे तो हम हक़ मारने से भी बच रहे होंगे, ज़ुल्मों से भी बच रहे होंगे और अल्लाह तआला की ख़ुशी प्राप्त करने वाले भी बन रहे होंगे। आज अहमदी से बढ़कर कौन ऐसे समाज का नारा लगाता है जिसमें अल्लाह तआला की रज़ा (प्रसन्नता) और

दूसरों के अधिकार (हुक़ूक) क़ायम करने वाली बातें हो रही हैं। आज अहमदी के अतिरिक्त किसने इस बात की प्रतिज्ञा (अहद) की है कि रस्मों के अनुकरण और इच्छाओं एंव लालच से रुक जाएगा। आज अहमदी के अतिरिक्त किसने इस बात का अहद (प्रतिज्ञा) किया है कि पवित्र क़ुर्आन की हुकूमत को पूर्णतया अपने सर पर स्वीकार कर लेगा। आज अहमदी के अतिरिक्त किस ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि अल्लाह और रसूल के कथन को अपने प्रत्येक मार्ग में कार्य पद्धति (दस्तूरुल अमल) बनाएगा।

अत: जब अहमदी ही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल और पवित्र क़ुर्आन के प्रकाश से फैज़ (वरदान) पाने के लिए युग के इमाम के हाथ पर यह प्रतिज्ञा की है जो बैअत की शर्तों में शामिल है तो फिर अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने की आवश्यकता है। ख़ुदा और उसके रसूल की बातों पर अमल करते हुए हम अपनी सुरक्षा के सामान कर रहे हैं। अपनी समझ और बुद्धिमत्ता को चमका रहे हैं, अपनी पाकदामनी और पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं, अपनी हया (शर्म) के माप दण्ड बुलन्द कर रहे हैं, अपने अन्दर सब्र और थोड़ी चीज़ पर सन्तोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अन्दर परहेज़गारी एंव संयम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईमानों में दृढ़ता पैदा कर रहे हैं, अपनी अमानत के अधिकार (हक़) को अदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं और अल्लाह तआला का भय, अल्लाह तआला का प्रेम और उसकी ओर निष्कपट होकर झुकने के मापदण्ड प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने पैदा होने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।..........हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया, हमें अच्छे बुरे को पहचानना सिखाया। यदि इसके बाद फिर हम दुनियादारी में पड़ कर रस्मो रिवाज या व्यर्थ बातों का तौक़ अपनी गर्दनों में डाले रहेंगे तो हम न इबादतों का हक़ अदा कर सकते हैं न प्रकाश से हिस्सा ले सकते हैं।"

(ख़ुतबात-ए-मसरूर जिल्द-8, पृष्ठ 34 से 39 क़ादियान से प्रकाशित)

मौत से सम्बंधित रस्में

रोना पीटना

मौत हो जाने पर जो बुरी रस्में प्रचलित हैं उन में से एक यह है कि लोग रोते पीटते और चिल्ला-चिल्ला कर हाय हाय करते हैं, औरतें ऐसे अवसरों पर बहुत ही अति करती हैं। जब रिश्तेदार या पड़ोसी शोक प्रकट करने के लिये आते हैं तो औरतें हर नई आने वाली औरत के गले में हाथ डालकर रोती पीटती हैं फिर कुछ लोग एक एक महीना या एक एक साल तक शोक मनाते हैं, ये सब बातें वर्जित हैं। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''मातम की हालत में रोना-पीटना और चीखें मारना और अशुभ बातें मुंह पर लाना ये सब ऐसी बातें हैं जिन के करने से ईमान समाप्त होने का भय है और ये सब रिवाज़ हिन्दुओं से लिये गये हैं। अगर रोना हो तो सिर्फ़ आँखों से आँसू बहाना उचित है और जो इससे ज़्यादा है वह शैतानी कार्य है।''

फ़िर फ़रमाते हैं :- ''अपनी शेख़ी और बड़ाई जताने के लिये सैकड़ों रुपये का पुलाव और ज़र्दा पकाकर बिरादरी वग़ैरह में बाँट दिया जाता है, इस वजह से कि लोग प्रशंसा करें...। ये सब शैतानी काम हैं जिन से प्रायश्चित करना आवश्यक है''। (इश्तिहार तब्लीग़ व इन्ज़ार के उद्देश्य से)

कुल

इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''कुल ख़्वानी (जो मरने वाले की मौत के बाद तीसरे दिन की जाती है) इसका शरीयत में कोई आधार नहीं है... सहाबा किराम (रज़ि.) की भी मृत्यु हुई, क्या कभी उनकी मृत्यु पर किसी ने ''कुल'' पढ़े ? सैकड़ों साल के बाद दूसरी बुरी रस्मों की तरह ये भी एक बुरी रस्म निकल आई है।''

(अख़बार बदर, 1904 ई.)

फ़ातिहा ख़्वानी

किसी के मरने के बाद कुछ दिन लोग एक जगह इकट्ठा होते और फ़ातिहा ख़्वानी यानी बख़शिश की दुआयें करते हैं। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''फ़िर ये सवाल है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम या नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना के लोगों में से किसी ने ऐसा किया ? जब नहीं किया तो क्या ज़रूरत है बेकार में बुरी रस्म का दरवाज़ा खोलने की ? हमारा मज़्हब तो यही है कि इस रस्म की कुछ ज़रूरत नहीं, अनुचित है। जो जनाज़ा में शामिल हो सकें वह अपने तौर पर दुआ करें या जनाज़ा ग़ायब पढ़ें''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 177)

चहल्लुम

एक रस्म चहल्लुम की है, अर्थात् किसी क़रीबी रिश्तेदार की मौत के चालीसवें दिन मजलिस होती है और खाना पकाकर मरने वाले के नाम पर लोगों में बाँटा जाता है। इस बारे में हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''यह रस्म नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत से बाहर है''। (अख़बाार बदर, 14 फ़रवरी 1907 ई.)

ख़तम क़ुर्आन

ख़तम क़ुर्आन से अभिप्राय वह रस्मी क़ुर्आन ख़्वानी (क़ुरआन पढ़ना) है जो किसी मरने वाले को सवाब पहँचाने की ख़ातिर इकट्ठा होकर घरों में या क़बरों पर की जाती है। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''मुर्दा पर क़ुर्आन ख़तम करने का कोई सबूत नहीं, सिर्फ़ दुआ और सदक़ा (दान दक्षिणा) का पुण्य मरने वाले को पहँचता है''।

(अख़बार बदर, 14 मार्च, 1904 ई.)

फ़िर फ़रमाया :-

''जिस ढंग से घेरा बाँध करकुर्आन शरीफ़ पढ़ते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं। मुल्ला लोगों ने अपनी आमदनी के लिये ये रिवाज जारी किये हैं''। (अलहकम, 10 नवम्बर 1907, व हवाला अलफ़ज़ल, 12 मई 1940 ई.)

मुर्दों को सवाब पहुँचाने के लिये खाना पकाना

कुछ लोग किसी मरे हुए रिश्तेदार की रूह को सवाब (पुण्य) पहँचाने की नीयत से एक ख़ास दिन निर्धारित करके लोगों को खाना खिलाते हैं। कुछ लोग लगातार चालीस दिन तक खाना खिलाते हैं। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का फ़रमान है :-

''खाना खिलाने का सवाब मुर्दों को पहुँचता है। पिछले बुज़ुर्गों को सवाब पहुँचाने की ख़ातिर अगर खाना पकाकर खिलाया जाये तो ये जायज़ है लेकिन हर एक कार्य नीयत पर निर्भर है। अगर कोई शख़्स इस तरह के खाने के लिए कोई ख़ास तारीख़ निर्धारित करे और ऐसा खाना खिलाने को अपने लिये परेशानी दूर करने वाला ख़्याल करे तो यह एक मूर्ति है, और ऐसे खाने का लेना देना सब हराम और शिर्क़ में दाख़िल है''।

(अख़बार बदर, 18 अगस्त 1907 ई.)

उर्स मनाना

आज कल मज़ारों (विशेष क़ब्रों) पर उर्स मनाने का बड़ा रिवाज है। इन अवसरों पर क़ब्रों के चक्कर लगाये जाते हैं, उन पर चादरें चढ़ायीं जाती हैं, क़ब्रों को चूमा जाता है औरतें और मर्द नाचते हैं, मज़ारों को खूब सजाया जाता है, तवायफ़ें बुलवाकर गीत सुने जाते हैं, इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''शरीयत तो इस बात का नाम है कि जो कुछ आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दिया है उसे ले ले, और जिस बात से मना किया है उस से हट जाए। लोग इस वक़्त क़ब्रों के फ़ेरे लगाते

हैं, उनको मस्जिद बनाया हुआ है। उर्स वग़ैरह ऐसे जल्से न नुबुव्वत का तरीक़ा है न सुन्नत है''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द पाँच, पृ. 165)

बारह वफ़ात

हज़रत ख़लीफ़ातुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहो अन्हो फ़रमाते हैं :-

''ऐसे उर्स में चाहे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का ही हो बिदअत नज़र आती है... ख़ुद स्वर्गीय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कभी बारह वफ़ात का जल्सा अपने घर में हरगिज़ नहीं किया। अत: मैं अपनी ज़िन्दगी में कुछ दिनों के लिये भी बिदअतों को गवारा नहीं कर सकता, और ऐसी बातों में बिदअतों के ख़तरनाक ज़हरों से बचने का ध्यान रखो''। (21-28 फ़रवरी 1913)

मीलाद ख़्वानी

एक शख़्स ने मीलाद ख़्वानी के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सवाल किया - हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना (चर्चा) बहुत उत्तम है, बल्कि हदीस से साबित है कि नबियों और वलियों की याद से रहमत उतरती है, और स्वयं ख़ुदा ने भी नबियों की चर्चा करने की प्रेरणा दी है लेकिन अगर इसके साथ ऐसी बुरी रस्में मिल जायें जिन से तौहीद (एकेश्वरवाद) में रुकावट पैदा हो तो वह जाइज़ नहीं''।

फ़िर फ़रमाया :-

''मीलाद के वक़्त खड़ा होना जाइज़ नहीं। इन अंधों को इस बात का ज्ञान ही कब होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रूह आ गयी है, बल्कि इन मज्लिसों में तो तरह-तरह के बदनीयत और बदमाश लोग होते हैं। वहाँ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रूह कैसे आ सकती है, और कहाँ लिखा है कि रुह आती है''। (मल्फ़ूज़ात जिल्द पाँच, पृ. 211-12)

क़ब्रों पर फूल चढ़ाना

कुछ लोग क़ब्रों पर फूल रखते या फूलों की चादर चढ़ाते हैं। इस बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया :-

''इस से मरने वाले की रूह को कोई ख़ुशी नहीं हो सकती और यह नाजाइज़ है। इसका कोई संकेत क़ुर्आन व हदीस से साबित नहीं, इस के बिदअत और व्यर्थ होने में कोई शक नहीं''।

(बदर 12 अगस्त 1909 ई.)

नज़र-व-नियाज़ के लिये क़ब्रिस्तान जाना और पक्की क़ब्रें बनाना

इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश है :-

''नज़र व नियाज़ के लिये क़ब्रों पर जाना और वहाँ जाकर मन्नतें माँगना सही नहीं है। हाँ वहाँ जाकर सीख लेनी चाहिए और अपनी मौत को याद करे तो जायज़ है। क़ब्रों को पक्का बनाना मना है। अगर मय्यत को महफ़ूज़ रखने की नीयत से हो तो हर्ज नहीं है, अर्थात् ऐसी जगह जहाँ पानी आदि आने का अनुमान हो परन्तु उसमें भी दिखावा जायज़ नहीं है''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द पाँच, पृ. 433)

क़ब्रों पर चिराग़ जलाना

एक रस्म मूर्खता की यह भी है कि कुछ लोग बुज़ुर्गों के मज़ारों पर रात को चिराग़ जलाते हैं। यह हिन्दुवाना और मुशरिकाना रस्म है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमया है :-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ
زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ۔ (ترمذی)

अर्थात - इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया - अल्लाह तआला ने क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) करने वाली औरतों पर लानत की और उन पर जो क़ब्रों पर मस्जिदें बनाते और उन पर चिराग़ जलाते हैं।

पहले आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत से मना फ़रमाया था फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस वजह से इजाज़त दी कि आदमी मौत को याद करके ख़ुदा और आख़िरत की तरफ़ ध्यान करे। औरतों को इन बातों विशेषतः बचना चाहिए। कभी-कभी वह कम जानकारी की वजह से इन बातों में कोई आपत्ति नहीं समझतीं।

जिसके यहाँ मातम (शोक) हो उसके साथ हमदर्दी

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया -

''क्या यह जायज़ है कि जब मृत्यु के कारण किसी भाई के घर में मातम हो जाये तो दूसरे दोस्त अपने घरों में उस का खाना तैयार करें''।

हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''यह न सिर्फ़ जायज़ बल्कि भाईचारे की हमदर्दी की दृष्टि से यह ज़रूरी है कि ऐसा किया जाये''। (मल्फ़ूज़ात, जिल्द नौ, पृ. 304)

आधे शा'बान का हल्वा

एक रस्म यह जारी है कि श'बान के महीना में हल्वा बनाते और बाँटते हैं। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया :-

''यह रस्में हल्वा वग़ैरह सब बिदअतें हैं''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 394)

आशूरह, मोहर्रम के ताबूत और महफ़िल

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मोहर्रम पर जो लोग ताबूत बनाते हैं और महफ़िल करते हैं। इसमें शामिल होना कैसा है?

हुज़ूर ने फ़रमाया कि :-

''गुनाह है''। (मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 436)

क़ाज़ी मुहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब अकमल ने सवाल किया कि मोहर्रम की दसवीं को जो शर्बत और चावल वग़ैरह बाँटते हैं अगर यह लिल्लाह भलाई पहुँचाने की नीयत से हो तो इस के बारे में हुज़ूर का क्या इर्शाद है। फ़रमाया :-

''ऐसे कामों के लिये दिन और समय निर्धारित कर देना एक रस्म और बिदअत है और धीरे-धीरे ऐसी रस्में शिर्क की तरफ़ ले जाती हैं। अत: इन से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी रस्मों का परिणाम अच्छा नहीं। शुरु में इसी ख़्याल से हुआ मगर अब तो इसने शिर्क और ग़ैरुल्लाह के नाम का रूप धारण कर लिया है। इसलिये हम इसे नाजायज़ ठहराते हैं। जब तक ऐसे रिवाजों को कुचल न दिया जाये तब तक झूठी आस्थाएँ दूर नहीं होतीं''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द नौ, पृ. 214)

तस्बीह का प्रयोग

आम तौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग चलते फिरते और मज्लिस में बैठे तस्बीह के दाने गिनते रहते हैं और ये दर्शाते हैं कि जैसे वह हर समय ख़ुदा की याद में व्यस्त हैं। इस बारे में हुज़ूर (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया :-

''तस्बीह करने वाले का असल मक़सद गिनती होता है, और वह इस गिनती को पूरा करना चाहता है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि या तो वह गिनती पूरी करे और या ध्यान करे और ये साफ़ बात है कि गिनती को पूरा करने की फ़िक्र करने वाला सच्ची तौबा कर ही नहीं सकता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम और कामिलीन (महान आध्यात्मिक) लोग जिनको अल्लाह तआला की मोहब्बत का दिल से शौक़ होता है और जो अल्लाह तआला के इश्क़ में फ़ना शुदा (निछावर) होते हैं उन्होंने गिनती नहीं की और न इसकी ज़रूरत समझी''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 7, पृ.18)

तावीज़ गण्डे

फ़क़ीरों और सूफ़ियों का एक तरीक़ा यह है कि बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए, संकटों के दूर होने, ख़ुशियाँ प्राप्त करने के लिये और उद्देश्यों में सफ़लता के लिये, अथवा यात्रा वग़ैरह में सुरक्षित रहने के लिये इमाम ज़ामिन बाँधते हैं या तावीज़ लिख कर देते हैं और कई तरह की कुर्बानियाँ करने को कहते हैं और कई प्रकार के कार्य बताते हैं जो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं। ख़ुद ही कुछ शंका दिलों में पैदा करते हैं और फिर उनका इलाज बताते हैं। अनपढ़ों की तो बात ही क्या अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग तावीज़ों पर विश्वास रखते और गले में डालते या बाज़ुओं पर बाँधते हैं। इसी रस्म के मुताबिक़ एक दिन राम पुर के एक व्यक्ति ने कुछ मनोकामनाएँ लिख कर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में पेश कीं - हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''अच्छा हम दुआ करेंगे''।

वह व्यक्ति हैरान होकर पूछने लगा- आप ने मेरे निवेदन का उत्तर नहीं दिया - हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''हमने तो कहा है कि हम दुआ करेंगे''। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, हुज़ूर कोई तावीज़ नहीं किया करते ? हुज़ूर (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया :- ''तावीज़ गण्डे करना हमारा काम नहीं। हमारा काम तो सिर्फ़ अल्लाह तआला के हुज़ूर दुआ करना है''।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 10, पृ. 203)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं:-

"पीरों-फ़क़ीरों के पास जाकर ता'वीज़-गण्डे से बचें..... आपको अधिकतर ऐसे उदाहरण दिखाई देंगे कि पीरों-फ़क़ीरों के पास जाकर ता'वीज़ लिए जाते हैं। किसी ने बहु के विरुद्ध लेना है, किसी ने सास के विरुद्ध, किसी ने पड़ोसन के विरुद्ध ता'वीज़ लेना है, किसी ने पति के पक्ष में ता'वीज़ लेना है। बुरी रस्मों की भरमार हो चुकी है। ये सब औरतों की बीमारियां हैं, ये शिर्क की तरफ़ बहुत जल्दी झुक जाती

हैं.......... और यह भी कि अल्लाह तआला को कुछ न समझना, नमाज़ और दुआ की तरफ़ ध्यान न देना, चिन्ता है तो पीरों-फ़क़ीरों के यहां हाज़िर होने की........ ये सब व्यर्थ बातें हैं बल्कि शिर्क है। ये ता'वीज़-गण्डे करने वाली जो औरतें हैं यदि आप उनके साथ रहकर उनका निरीक्षण करें तो शायद वे कभी नमाज़ न पढ़ती हों...... फिर हमारे समाज में अर्थात् जमाअत के बाहर जीवित इन्सानों के अतिरिक्त मुर्दा परस्ती (मुर्दों की इबादत) बहुत है...... पीरों-फ़क़ीरों की क़ब्रों पर जाते हैं और वहां मुरादें मांगते हैं। अब इन क़ब्रों को भी शिर्क का माध्यम बनाया हुआ है।"

(अल अज़हार लिज़वातिल ख़िमार जिल्द 3, भाग प्रथम पृष्ठ-363,364)

धूम्रपान

आज कल सिगरेट पीना सामान्य बात है और फ़ैशन में शामिल है। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इसको ज़रूरी समझ लिया गया है और इसके नुक़सान को अक्सर भुला दिया जाता है। इस बारे में हुज़ूर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इर्शाद निम्नलिखित हैं। हुज़ूर फ़रमाते हैं :-

1. ''इन्सान आदत को छोड़ सकता है इस शर्त पर कि उसमें ईमान हो और बहुत से ऐसे आदमी दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी पुरानी आदत को छोड़ बैठे हैं। देखा गया है कि कुछ लोग जो हमेशा शराब पीते चले आये हैं बुढ़ापे में आकर जबकि आदत को छोड़ना ख़ुद बीमार पड़ना होता है, बिना किसी ख़्याल के छोड़ बैठते हैं और थोड़ी सी बीमारी के बाद अच्छे भी हो जाते हैं। मैं हुक़्क़ा को मना करता और नाजायज़ क़रार देता हूँ सिवाये उन अवस्थाओं में कि इंसान को कोई मजबूरी हो। ये एक व्यर्थ चीज़ है और इससे इंसान को परहेज़ करना चाहिए''। (बदर 28 फ़रवरी 1907 ई.)

2. ''तम्बाकू के बारे में यद्यपि शरीअत ने कुछ नहीं बताया लेकिन हम इसे इसलिये बुरा ख़्याल करते हैं कि अगर पैग़म्बर-ए-ख़ुदा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना में होता तो आप सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम इसके प्रयोग को निषिद्ध फ़रमाते''।

(बदर 24 जुलाई 1903 ई.)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं:-

"फिर आजकल की बुराइयों में से एक सिगरेट आदि भी हैं........ नौजवानों में इसकी आदत पड़ती है और फिर पूरी ज़िन्दगी यह जान नहीं छोड़ती सिवाए उनके जिनकी इच्छा शक्ति मज़बूत (दृढ़) हो। और फिर सिगरेट के कारण कुछ लोगों को अन्य नशों की आदत भी पड़ जाती है।"

"तो वे लोग जो इन व्यर्थ बातों में ग्रस्त हैं कोशिश करें कि इस से जान छुड़ाएं और वालिदैन (माता-पिता) ख़ास तौर पर बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि आजकल बच्चों को नियमित रूप से प्लानिंग के द्वारा नशों की आदत भी डाली जाती है फिर धीरे-धीरे यह हो जाता है कि बेचारे बच्चों के बुरे हाल हो जाते हैं। आप यहां भी देखें कितने लोग नशों के कारण अपने जीवन बरबाद कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या इन देशों में जिसमें आप रह रहे हैं आप देखेंगे कि सिगरेट पीने के कारण हशीश या दूसरे नशों में ग्रस्त हो गई और अपने कामों से भी गए। अपनी नौकरियों से भी गए, अपने कारोबारों से भी गए, अपने घरों से भी बेघर हुए और जीवन बरबाद हुए, बीवी-बच्चों को भी संकट में डाला,स्वयं पार्कों, फुट पाथों या पुलियों के नीचे जीवन गुज़ार रहे हैं। गन्दी और मलिन हालत में होते हैं, लोगों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं, डस्टबिनों से सड़ी-गली वस्तुएं चुन-चुन कर खा रहे होते हैं। तो यह सब उस बुरी आदत के कारण से ही है। इसलिए किसी बुरी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। यही छोटी-छोटी बातें फिर बड़ी बन जाया करती हैं।

अब तो अफ़ीम से भी अधिक ख़तरनाक नशे पैदा हो चुके हैं। तो इन बुराइयों से बचने वाले ही संयम पर क़ायम रह सकते हैं...... तो जो शराब का नशा करने वाला है वह भी विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार होता है बल्कि इन देशों में भी जहां-जहां शराब की इजाज़त है आप

देखेंगे कि कुछ लोग नशे में विभिन्न प्रकार की हरकतें कर जाते हैं और फिर जेलों में चले जाते हैं और फिर यहां के समाज के अनुसार कुछ शरीफ़ लोग देखने में शराब के नशे में चूर होते हैं और सड़कों पर गिरे-पड़े होते हैं, पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है।

फिर जुआ इत्यादि है यह भी बुराइयां हैं। ये भी इसी कारण पैदा होती हैं। शराबियों को आम तौर पर जुआ खेलने की भी आदत होती है। किसी भी नशा करने वाले को आदत होती है ताकि अधिक से अधिक पैसे बनें।"

(ख़ुतबात-ए-मसरूर जिल्द-2 पृष्ठ 597 से 599, क़ादियान से प्रकाशित)

सिनेमा-थियेटर, इन्टरनेट

पश्चिमी देशों में जो नग्नता और अभद्रता फैल चुकी है और आवारागर्दी जिस सीमा तक उनके समाज में जड़ें जमा चुकी है इस ज़माने में उन दृश्यों को सिनेमा के पर्दे पर दिखाया जाता है जो नई पीढ़ी में मज़हब से दूरी और बुरे स्वभाव की ओर झुकाव पैदा करते हैं। रुपया और वक़्त का नुकसान इसके अलावा है। इन्हीं ख़राबियों को देखते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय) रज़ियल्लाहो अन्हो ने जो नसीहतें जारी कीं उनमें से कुछ बतौर नमूना दर्ज हैं।

फ़रमाया :-

1. ''इसके बारे मैं जमाअत को हुक्म देता हूँ कि कोई अहमदी सिनेमा, सरकस, थियेटर आदि यहाँ तक कि किसी तमाशे में बिल्कुल न जाये और उस से पूर्णतया बचाव करे। हर मुख़लिस (निष्ठावान) अहमदी जो मेरी बैअत के महत्व को समझता है उस के लिये सिनेमा या कोई और तमाशा वग़ैरह देखना या किसी को दिखाना जायज़ नहीं''।

2. ''सिनेमा के बारे में मेरा ख़्याल है कि इस युग की सब से बुरी लानत है। इसने सैकड़ों शरीफ़ घरानों के लड़कों को गाने वाला और सैकड़ों शरीफ़ घरानों की लड़कियों को नाचने वाली बना दिया है, सिनेमा

देश के चरित्र पर ऐसा विध्वंसक प्रभाव डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा मना करना तो अलग रहा, अगर मैं मना न करूँ तो भी मोमिन की रूह को ख़ुद ब ख़ुद इससे बग़ावत करनी चाहिए''।

(मुतालिबात, पृ. 27 से 41)

इस ज़माना में टेलीवीज़न की वजह से सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में बैठे-बैठे नाटक देखे जा सकते हैं। सिनेमा और टेलीवीज़न स्वयं में तो बुरे नहीं लेकिन इस ज़माना में इन का नुक़सान फ़ायदे से ज़्यादा है और ख़राबियों को फैलाने का एक ख़ास कारण बन गये हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि पूरा कन्ट्रोल हो और बुरे दृश्य देखने में समय बर्बाद न किया जाये। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जो कुछ सिनेमा के बारे में इर्शाद फ़रमाया वही टेलीवीज़न की फ़िल्मों, ड्रामों, और दृश्यों पर भी चरितार्थ होता है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं:-

"आजकल की बुराइयों में से एक बुराई टीवी के कुछ प्रोग्राम हैं, इण्टरनेट पर ग़लत प्रकार के प्रोग्राम हैं, फिल्में हैं। यदि आपने अपने बच्चों की निगरानी नहीं की और उन्हें इन बुराइयों में पड़ा रहने दिया तो फिर बड़े होकर ये बच्चे आप के हाथ में नहीं रहेंगे.......... इसलिए कभी यह न समझें कि मामूली सी ग़लती पर बच्चे को कुछ नहीं कहना, टाल देना है, उसका समर्थन करना है। उसे हर ग़लती पर समझाना चाहिए। आप के सुपुर्द केवल आपके बच्चे नहीं हैं, क़ौम की अमानत आप के सुपुर्द हैं, अहमदियत के भविष्य के निर्माण करने वाले आप के सुपुर्द हैं, उन की तर्बियत आपने करनी है। अत: ख़ास तौर पर अल्लाह तआला के सामने झुकते हुए उससे सहायता मांगते हुए अपने अमल से भी और समझाते हुए भी बच्चों की तर्बियत करें। मैं पुन: कहता हूं कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी बैअत की प्रतिज्ञा (अहद) को जो आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से की है स्वंय को भी संसारिक बुराइयों से पवित्र करें......... और अपने बच्चों के लिए

स्वर्ग की शीतल हवाओं के सामान पैदा करें। अल्लाह तआला आप को इसकी तौफ़ीक़ दे। आमीन।"

(अल अज़्हार लिज़वातिल ख़िमार जिल्द-3, भाग-1, पृष्ठ 371,372)

बेपर्दगी (पर्दा न करना)

बेपर्दगी से संबंधित पवित्र क़ुर्आन का आदेश :-

''मोमिन औरतें अपनी आँखें नीची रखा करें, और अपने गुप्तांगों की सुरक्षा किया करें, और अपनी ज़ीनत (चेहरा) को प्रकट न किया करें, सिवाय उसके जो स्वयं प्रकट होती हो, अपनी ओढ़नियों (दुपट्टा) को अपने सीने पर से गुज़ार कर इस को ढाँक कर पहना करें, और अपनी ज़ीनतों को सिर्फ़ अपने पतियों अपने बापों, अपने पतियों के बापों, अपने बेटों, अपने ख़ाविन्दों के बेटों, और अपने भाइयों, अपने भाइयों के बेटों, अपनी बहन के बेटों या अपने बराबर की औरतों या जिन के मालिक उनके दाहिने हाथ हुए हैं (अर्थात दास, दासियों) के सिवा किसी पर ज़ाहिर न किया करें... और अपने पाँव ज़ोर से ज़मीन पर इसलिये न मारा करें कि वह चीज़ प्रकट हो जाये जिस को वह अपनी ज़ीनत से छुपा रही हैं''। (सूरत–अन्नूर :32)

बेपर्दगी से संबंधित हदीस का आदेश :-

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ियल्लाहो अन्हा) और हज़रत मैमूना (रज़ियल्लाहो अन्हा) को एक अंधे सहाबी से पर्दा करने का हुक्म दिया। पूछने पर फ़रमाया – क्या तुम भी दोनों नाबीना हो कि उस को देख नहीं सकतीं। (मिशकात किताबुलअदब)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहो अन्हा आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहो अन्हो की क़ब्रों पर दुआ के लिए बिना पर्दे के जाया करतीं थीं परन्तु हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो के इसी जगह दफ़्न होने के बाद पर्दे के साथ जातीं थीं।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नर्क में जाने वालों के गिरोह के ज़िक्र में फ़रमाया - वे औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं परन्तु हक़ीक़त में वे नंगी होती हैं, घमण्ड से लचकीली चाल चलती हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। ऊटों के लचकदार कोहानों की तरह उन के सर होते हैं जन्नत में दाख़िल न होंगी, बल्कि ख़ुशबू को भी न पायेंगी जबकि इसकी ख़ुशबू बहुत दूर तक आयेगी।

(मुस्लिम किताबुल्लिबास वज़्ज़ीनत, पृ. 335, प्रेस नौ'मान कुतुब ख़ाना)

बेपर्दगी से संबंधित सय्यदिना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आदेश :-

फ़रमाया :-

''औरतों को चाहिए कि ग़ैर मर्दों से अपने आप को बचायें और याद रखना चाहिए कि पति के अलावा और ऐसे लोगों से जिनके साथ निकाह जायज़ नहीं, दूसरे जितने मर्द हैं उनसे पर्दा करना ज़रूरी है। जो औरतें दूसरे मर्दों से पर्दा नहीं करतीं, शैतान उनके साथ है... जो ख़ुदा और उसके रसूल का मुकाबला करतीं है नितान्त मरदूद और शैतान की बहनें और भाई हैं, क्योंकि वह ख़ुदा और रसूल के फ़रमान से मुंह फेरकर अपने पालनहार (ख़ुदा तआला) से लड़ाई करना चाहती हैं''।

(मजमूआ इश्तिहारात जिल्द पहली, पृ. 69-70)

बेपर्दगी से संबंधित सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह अव्वल (प्रथम) रज़ि. का आदेश :-

''घूँघट का पर्दा उस पर्दे से जो आजकल हमारे मुल्क में प्रचलित है ज़्यादा सुरक्षित था... बहरहाल हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक आदेशों पर अमल करे (चेहरे का पर्दा करे) और अगर कहीं इस में कमज़ोरी पायी जाती हो तो उसे दूर करे''। (अल फ़ज़ल 5 अप्रैल 1960)

बेपर्दगी से संबंधित सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह सानी (द्वितीय) रज़ि. का आदेश :-

''जो चीज़ मना है वह यह है कि औरत खुले मुंह फिरे और मर्दों से मेल-जोल करे... मुंह से पर्दा उठाना या मर्द-औरतों की सामूहिक पार्टियों में जाना... और उनका मर्दों से बिना संकोच बातें करना, यह अनुचित है''।

(तफ़्सीर कबीर, जिल्द 6, सूरः नूर, पृ. 304, आयत 32)

''ख़ुम्र से अभिप्राय सर का रुमाल या कपड़ा है - दुपट्टा मुराद नहीं, और इसके अर्थ यही हैं कि सर से रुमाल को इतना नीचा करो कि वह सीना तक आ जाये, और सामने से आने वाले को मुंह नज़र न आये। यह हिदायत बता रही है कि औरत का मुंह पर्दा में शामिल है। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ि. व सहाबियात रज़ि. भी चेहरे को पर्दा में शामिल समझते थे। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का एक रिश्ते के लिए एक सहाबिया उम्मे सल्मा रज़ि. को भिजवाना बताता है कि चेहरे का पर्दा था। इसी तरह एक रिश्ते के सिलसिले में पिता ने लड़की का चेहरा दिखाने से इन्कार कर दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इर्शाद पर बच्ची ख़ुद सामने आ गयी। अगर वह लड़की खुले मुंह फिरा करती थी तो उस नौजवान को बच्ची के बाप से चेहरा दिखाने का निवेदन करने की क्या ज़रूरत थी। क़ुर्आन ने ज़ीनत छुपाने का हुक्म दिया है, और सबसे ज़्यादा ज़ीनत (सौन्दर्य) की चीज़ चेहरा है। अगर चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं तो फिर ज़ीनत क्या चीज़ है जिस को छुपाने का हुक्म है''।

(ख़ुलासा अज़ तफ़्सीर कबीर, जिल्द 6, पृ. 299-300, सूरः नूर)

फ़रमाया :-

''पर्दा छोड़ने वाला क़ुर्आन का अपमान करता है, ऐसे इन्सान से हमारा क्या ताल्लुक़, वह हमारा दुश्मन है और हम उसके दुश्मन और हमारी जमाअत के मर्दों और औरतों का फ़र्ज़ है कि वह ऐसे अहमदी मर्दों और

ऐसी अहमदी औरतों से कोई ताल्लुक़ (मेल-जोल) न रखें''।

(अलफ़ज़ल 27 जून 1958)

बेपर्दगी से संबंधित सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह सालिस (तृतीय) रहि. का आदेश :-

''कुर्आन ने पर्दे का हुक्म दिया है। इन्हें (अहमदी औरतों को) हर हाल में पर्दा करना पड़ेगा या वह जमाअत को छोड़ दें, क्योंकि हमारी जमाअत की यह मान्यता है कि कुर्आन करीम के किसी हुक्म से हंसी ठट्ठा या मज़ाक़ नहीं करने दिया जायेगा न ज़बान से और न अमल से। इसी पर दुनिया की हिदायत और हिफ़ाज़त की निर्भरता है''।

(अलफ़ज़ल 25 नवम्बर 1978 ई.)

''मैं ऐसी औरतों से जो पर्दे को ज़रूरी नहीं समझतीं पूछता हूँ कि उन्होंने पर्दे को छोड़ के मुहम्मद (सल्लल्ललाहो अलैहि वसल्लम) के धर्म की क्या ख़िदमत की। आज कुछ यह कहती हैं कि हमें यहाँ पर पर्दा न करने की इजाज़त दी जाय, फिर कहेंगी नंग धड़ंग समुन्दर में नहाने और रेत पर लेटने की इजाज़त दी जाये, फिर कहेंगी शादी से पहले बच्चे जनने की इजाज़त दी जाये। मैं कहूँगा फिर तुम्हें नरक में जाने के लिये भी तैयार रहना चाहिये... वह अपने आप को ठीक कर लें इस से पहले कि ख़ुदा का क़हर (प्रकोप) आ जाए''।

(दौरा मग़रिब, पेज 238, नार्वे जमाअत से इज्तिमाई- मुलाक़ात)

बेपर्दगी से संबंधित सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह राबेअ (चतुर्थ) रहि. का आदेश :-

''बड़ी सख़्ती के साथ अल्लाह तआला ने मेरे दिल में यह तहरीक (प्रेरणा) डाली है कि अहमदी औरतें बेपर्दगी के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करें, क्योंकि अगर आपने भी ये मैदान छोड़ दिया तो फिर दुनिया

में और कौन सी औरतें होंगी जो इस्लामी सिद्धान्तों की हिफ़ाज़त के लिये आगे आयेंगी''।

(अलफ़ज़ल, 27 फ़रवरी 1983 ई.)

बेपर्दगी से संबंधित सय्येदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह (पंचम)

अय्यदहुल्लाहु तआला का आदेश:-

सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं:-

"आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हया (लज्जा) ईमान का हिस्सा है।

(सही बुख़ारी किताबुल ईमान बाब उमूरिल ईमान हदीस-9)

अत:हयादार लिबास और पर्दा हमारे ईमान को बचाने के लिए आवश्यक है। यदि उन्नति प्राप्त देश आज़ादी और उन्नति के नाम पर अपनी हया को समाप्त कर रहे हैं तो इस का कारण यह है कि ये धर्म से भी दूर हट चुके हैं। अत: एक अहमदी बच्ची जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को माना है, उसने यह अहद किया है:-

कि मैं दीन (धर्म) को दुनिया पर प्रमुखता दूंगी। एक अहमदी बच्चे ने जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को माना है, एक अहमदी मर्द ने, औरत ने माना है उसने दीन (धर्म) को दुनिया पर प्रमुखता देने का अहद किया है और प्रमुखता देना उसी समय होगा जब धर्म की शिक्षानुसार अमल करेंगे........ तो हर अहमदी लड़का, लड़की, मर्द और औरत को अपनी हया के मापदण्ड ऊंचे करते हुए समाज की गन्दगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए न कि यह प्रश्न या इस बात पर अहसास-ए-कमतरी (हीन भावना) का विचार कि पर्दा क्यों आवश्यक है? हम क्यों टाइट जीन और ब्लाउज़ नहीं पहन सकतीं? यह वालिदैन और ख़ास तौर पर माओं का काम है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इस्लामी शिक्षा और समाज की बुराइयों के बारे

में बताएं, तभी हमारी नस्लें धर्म पर क़ायम रह सकेंगी और नाम के उन्नति प्राप्त समाज के ज़हर से सुरक्षित रह सकेंगी। इन देशों में रहकर वालिदैन (माता-पिता) को बच्चों को धर्म से जोड़ने और हया (लज्जा) की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसके लिए अपने नमूने भी दिखाने होंगे।..........

अत: हमेशा याद रखना चाहिए कि हया के लिए हयादार लिबास आवश्यक है और पर्दे की इस समय प्रचलित पद्धति हयादार लिबास का ही एक हिस्सा है। यदि पर्दे में नर्मी करेंगे तो फिर अपने हयादार लिबास में भी कई बहाने करके तब्दीलियां पैदा कर लेंगी और फिर उस समाज में रंगीन हो जाएंगी जहां पहले ही बेहयाई (बेशर्मी) बढ़ती जा रही है.........हम अहमदियों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह समय बहुत ख़तरनाक समय है शैतान चारों ओर से शक्तिशाली आक्रमण कर रहा है। यदि मुसलमनों और ख़ास तौर पर अहमदी मुसलमानों पुरूषों और स्त्रियों, नौजवानों सब ने धार्मिक मूल्यों को क़ायम रखने की कोशिश न की तो फिर हमारे बचने की कोई गारन्टी नहीं है।

.......इस्लाम की उन्नति के लिए हर वह बात आवश्यक है जिसका ख़ुदा तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक़्म दिया है। पर्दे की सख़्ती केवल औरतों के लिए नहीं है इस्लाम की पाबंदिया केवल औरतों के लिए नहीं हैं बल्कि पुरूषों तथा स्त्रियों दोनों को हुक्म है। अल्लाह तआला ने पहले पुरूषों को हया और पर्दे का तरीक़ा बताया था। अत: फ़रमाया:-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى
لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (अन्नूर-31)

मोमिनों को कह दे कि अपनी आंखें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा किया करें। यह बात उनके लिए अधिक पवित्रता (पाक़ीज़गी) का कारण है। निस्सन्देह अल्लाह जो वे करते हैं उससे हमेशा अवगत रहता है।

अल्लाह तआला ने पहले मोमिनों को कहा कि नज़रों को नीचा रखो, क्यों? इसलिए कि ذٰلِكَ اَزۡكٰى لَهُمۡ क्योंकि यह बात पाकीज़गी के लिए आवश्यक है। यदि पाकीज़गी नहीं तो ख़ुदा नहीं मिलता। अत: स्त्रियों के पर्दे से पहले पुरूषों को कह दिया कि हर ऐसी बात से बचो जिस से तुम्हारी भावनाएं भड़क सकती हों। स्त्रियों को खुली आंखों से देखना उनमें मिक्स अप (Mix Up)होना, गन्दी फ़िल्में देखना, ना मुहरमों (जिन से निकाह वैध है) से फेस बुक (Facebook) पर या किसी और माध्यम से चैट (Chat) इत्यादि करना, ये चीज़ें पवित्र नहीं रहतीं। तो ये पाबंदियां केवल औरत के लिए नहीं बल्कि पुरूष के लिए भी हैं। पुरूषों को अपनी नज़रें स्त्रियों को देखकर नीचे करने का हुक्म देकर स्त्री का सम्मान स्थापित किया गया है। अत: इस्लाम का प्रत्येक हुक्म दूरदर्शिता (दूर अंदेशी) से भरपूर है और बुराइयों की संभावनाओं को दूर करता है.......इस्लाम की शिक्षा पर ऐतराज़ करने वाले कहते हैं कि स्त्री को पर्दा कराकर, पर्दे का कहकर उसके अधिकार छीने गए हैं। इससे कच्चे मस्तिष्क की लड़कियां कई बार प्रभावित हो जाती हैं। इस्लाम पर्दे से अभिप्राय जेल में डालना नहीं लेता। इस से स्त्री को घर की चार दीवारी में बन्द करना अभिप्राय नहीं है। हां हया को क़ायम करना है।

अल्लाह तआला करे कि हमारे पुरूष भी और हमारी स्त्रियां भी हया के उच्च माप दण्डों को क़ायम करने वाले हों और इस्लामी आदेशों का हम सब हर प्रकार से पालन करने वाले हों।"

(ख़ुत्बा जुम्अ: सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला-13 जनवरी 2017ई. मस्जिद बैतुल फ़ुतूह लन्दन, मार्डन)

***

*

चौथा अध्याय

चौथा अध्याय

इख़्तिलाफ़ी (मतभेद सम्बंधी) विषय

मसीह की वफ़ात, ख़त्मे नुबुव्वत, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई

1. मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का विषय

(i) पहला सबूत

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ
إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقٍّ ؕ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ؕ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا
أَمَرْتَنِي بِهٖٓ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ؕ
وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

(المائدہ:117-118)

अनुवाद : और जब अल्लाह ने कहा हे ईसा बिन मरियम (मरयम के पुत्र) क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो उपास्य बना लो। तो उसने जवाब दिया कि (हम) तुझे (तमाम बुराइयों से) शुद्ध घोषित करते हैं। मेरी शान के मुताबिक न था कि मैं वह (बात) कहता जिसका मुझे अधिकार न था और अगर मैंने ऐसा कहा था तो तुझे अवश्य ही इसकी जानकारी होगी जो कुछ मेरे हृदय में है तू जानता है और जो कुछ तेरे हृदय में है

मैं नहीं जानता। तू अवश्य (समस्त) परोक्ष की बातों को अच्छी तरह जानता है। मैंने उनसे सिर्फ वही बात कही थी जिसकी तूने मुझे आज्ञा दी थी। अर्थात् यह कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं उनमें (मौजूद) रहा मैं उनका निगरान रहा मगर जब तूने मेरी रूह क़ब्ज़ कर ली (अर्थात् मुझे मृत्यु दे दी) तो तू ही उन पर निगरान था (मैं न था)। और तू हर चीज़ पर निगरान है।

(अलमायदा आयत 117, 118)

इस आयत में قَالَ اللّٰهُ **(क़ालल्लाहो)** के शब्द प्रयोग हुए हैं जिसका अर्थ है अल्लाह ने कहा लेकिन इससे अभिप्राय कयामत का दिन है अर्थात कयामत के दिन अल्लाह तआला ईसा से पूछेगा कि क्या तूने लोगों को ये शिक्षा दी थी कि मुझे और मेरी माँ को दो उपास्य बना लो। तो वह उत्तर देंगे कि मैं जब तक क़ौम में मौजूद रहा वह नहीं बिगड़ी थी मैं उनका निगरान था परन्तु فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी) जब तूने मुझे मृत्यु दे दी तो तू ही उनकी देखभाल करने वाला था मुझे उनके बिगड़ने का कोई पता नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का यह जवाब उसी वक्त सही हो सकता है जब यह मान लिया जाए कि वह मृत्यु पाकर अपनी क़ौम से सदा के लिए जुदा हो गए। अगर ये माना जाए कि क़यामत से पहले वह दोबारा दुनिया में आयेंगे तो फिर क़यामत के दिन क़ौम के बिगड़ने के विषय में उनकी अज्ञानता झूठ होगी। जो किसी तरह मुमकिन नहीं। इससे साफ़ पता चलता है कि वह कौम के बिगड़ने से पहले ही मर गये और उनके लिए दोबारा दुनिया में आना किसी तरह मुमकिन नहीं।

व्याख्या:- याद रखना चाहिए कि अरबी भाषा का शब्द تَوَفّٰى **(तवफ़्फ़ा)** क्रिया है। जब इस का कर्ता ख़ुदा हो और कर्म कोई जानदार हो तो इस का अर्थ रूह को कब्ज़ करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता और रूह का क़ब्ज़ दो प्रकार होता है। मौत के द्वारा अथवा नींद की अवस्था में। जब नींद की अवस्था में कब्ज़े रूह माना

जाए तो उस के लिए कोई अनुकूलता मौजूद होती है वरना ''तवफ़्फ़ा'' का अर्थ सदा मौत ही होता हैं। अरबी भाषा में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जहाँ ''तवफ़्फ़ा'' का शब्द जानदार चीज़ के लिए प्रयोग हो और ख़ुदा उस क्रिया का कर्ता हो तो उस के अर्थ क़ब्ज़े रूह के अतिरिक्त कुछ और भी किए जा सकते हों।

(ii) दूसरा सबूत

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ج

(آل عمران:56)

(उस समय को याद करो) जब अल्लाह ने कहा हे ईसा! मैं तुझे अवश्य (स्वभाविक रूप से) मौत दूंगा और तुझे अपने पास सम्मान दूंगा। और काफिरों (के इलज़ामों) से तुझे पवित्र करूंगा और जो तेरे मानने वाले हैं उन्हें उन लोगों पर जो तुझे नहीं मानते हैं क़यामत के दिन तक ग़ालिब (विजयी) रखूंगा। (आले इमरान 56)

व्याख्या:- अल्लाह तआला ने क़ुर्आन की इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से चार वादे किये हैं।

1. मैं तुझे अवश्य मौत दूंगा अर्थात यहूदी तुझे मार नहीं सकेंगे।

2. मैं तुझे सम्मान दूंगा यहूदी तुझे सलीब (सूली) पर मारकर अपमानित नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है। जो काठ पर (अर्थात् सूली पर) मारा जाये वह लानती होता है। ख़ुदा फ़रमाता है कि यहूदी इस योजना में हरगिज़ सफल नहीं होंगे और तुझे सलीब पर मौत नहीं आयेगी जो तेरे अपमान का कारण हो।

3. मैं तुझे यहूदियों के आरोपों से पाक ठहराऊंगा।

4. मैं तेरे मानने वालों को उन पर जो तुझे नहीं मानते क़यामत तक विजय प्रदान करूंगा अर्थात् ईसाई हमेशा यहूदियों पर विजयी रहेंगे।

ये चारों वादे ख़ुदा तआला ने उसी क्रम में पूरे कर दिये। पहले मौत दी फिर अन्जाम भला करके अपने पास उन्हें सम्मान दिया और उनके दर्जों को ऊँचा किया। यहूदियों के तमाम आरोपों से उन्हें पवित्र ठहराया और उनके मानने वालों को आज तक यहूदियों पर विजयी रखा और आगे भी कयामत तक यहूदी ईसाइयों से दबे रहेंगे।

इस आयत में ''राफ़िओका इलय्या'' के यह अर्थ करना कि मैं तुझे उठाकर आसमान पर ले जाऊँगा बिलकुल ग़लत है। पहली बात तो यह है कि इसमें आकाश का कहीं भी वर्णन हीं नहीं है। दूसरे यदि 'रफ़अ' के अर्थ उठाये जाने के ही किए जाएँ (जो इस स्थान पर सरासर बेजोड़ होंगे) तब भी इस का अर्थ केवल यह होगा कि मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊँगा अब वास्तविक्ता यह है कि ख़ुदा की कोई दिशा नहीं वह हर तरफ व हर जगह मौजूद है। ऊपर की ओर उठाये जाने को ही क्यों लिया जाए। यदि ऊपर की तरफ उठाने का ही अर्थ किया जाये तब भी कुर्आनी मुहावरे के अनुसार इसका अर्थ सम्मान देना ही होगा। जैसा कि हज़रत इदरीस के विषय में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا(مریم :58) हमने उसे अति ऊँचे स्थान तक उठाया था। अर्थात् बड़ा स्थान दिया था और सम्मानित किया था। क्या यह मान लिया जाये कि इदरीस अलैहिस्सलाम भी आसमान पर चले गये। इसके अतिरिक्त कुर्आन करीम ने मृत्यु का वर्णन पहले किया है और उठाने का वर्णन बाद में। यदि यह कहा जाये कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाये गये और वहाँ जीवित हैं और किसी समय दोबारा पृथ्वी पर आयेंगे और फिर उनको मौत आयेगी तो तरतीब (क्रम) बदल जाती है। इस सूरत में मानना पड़ेगा कि जिस क्रम से घटनाओं का वर्णन कुर्आन करीम में हुआ है वह (नाऊज़ोबिल्लाह) ग़लत हैं। क़ुर्आन करीम की तरतीब को न ग़लत कहा जा सकता है और न बदला जा सकता है। सारांश यह है कि ''रफ़अ'' शब्द के जो अर्थ भी किये जायें उनसे ईसा अलैहिस्सलाम का जीवत रहना प्रमाणित नही होता क्योंकि मौत रफ़अ से पहले है। हम नमाज़ में दुआ करते हैं कि وَارْفَعْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ- **(वर्फ़अनी वज्बुरनी)** हे अल्लाह मेरा

रफ़अ कर। क्या इसका यह अर्थ होता है कि मुझे आसमान पर उठा ले। हरगिज़ नहीं। इसका अर्थ केवल यही है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति कर। यही अर्थ उस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किए जायेंगे।

(iii) तीसरा सबूत

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ط كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ (مائدہ:76)

मरियम का बेटा मसीह केवल एक रसूल था इससे पहले रसूल (भी) मृत्यु पा चुके हैं। उसकी माँ सदाचारिणी थी। वे दोनों खाना खाया करते थे। (माइद: 76)

व्याख्या:- इस आयत में ज़िक्र किया गया है कि मरियम के बेटे हज़रत मसीह की हैसियत केवल एक रसूल की है और उनसे पहले जितने भी नबी आये वे मृत्यु पा चुके हैं। वह स्वयं भी और उनकी माता भी खाना खाया करते थे, परन्तु यहाँ शब्द ''खाना खाया करते थे'' كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ नित्य भूतकाल है। जब वे ज़िन्दा थे तो वे दोनों खाना खाते थे लेकिन अब नहीं खाते। जिस तरह हज़रत मरियम मृत्यु पाने के कारण अब खाना नहीं खातीं इसी प्रकार मरियम के बेटे मसीह भी नहीं खाते। नबियों के बारे में क़ुर्आन करीम फ़रमाता है :-

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ○ (انبیاء:9)

''और हमने उन रसूलों को ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे खाना न खाते हों और न वे अत्यधिक आयु पाने वाले थे'' (अम्बिया 9)

इस आयत से मालूम होता है कि नबी बिना खाना खाये ज़िन्दा नहीं रह सकते। ख़ुदा तआला का यह कहना है कि मरियम के बेटे मसीह खाना खाया करते थे, साफ़ बतलाता है कि अब वह खाना नहीं खाते और अब वह जीवित नहीं हैं।

(iv) चौथा सबूत

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ (آل عمران:145)

और मुहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं इस से पहले सब रसूल मृत्यु पा चुके हैं। अत: यदि वह वफ़ात पा जाए या क़त्ल किया जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल लौट जाओगे। (आले इमरान 145)

व्याख्या:- इस आयत में साफ़ बताया गया है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो आलैहि वसल्लम से पहले आने वाले सब रसूल मृत्यु पा चुके हैं। ''क़द् ख़लत्'' का शाब्दिक अर्थ है गुज़र चुके हैं और गुज़रने का अर्थ इस स्थान पर मृत्यु पाने के ही हैं क्योंकि गुज़रने की केवल दो अवस्थाएँ इस आयत में वर्णन हुई हैं। एक मौत हो जाना और दूसरे क़त्ल किया जाना। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीवित होते तो ज़रूर उनका अलग वर्णन कर दिया जाता। फिर इन्हीं शब्दों में सूर: माइदः आयत 76 (तीसरे सबूत) में ज़िक्र किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले सब नबी गुज़र चुकें हैं। जिस तरह शेष नबी इस दुनियाँ से चले गये इसी तरह मरियम के बेटे हज़रत मसीह भी इस दुनिया से चले गये और अब हरगिज़ जीवित नहीं हैं।

उपरोक्त आयतों में यह बात अच्छी तरह साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा चुके हैं और वह हरगिज़ इस ख़ाकी (नश्वर) शरीर के साथ आकाश पर नहीं उठाये गये। इन्सानों के लिये तो ख़ुदा का यही क़ानून है कि :-

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (اعراف:26)

अर्थात इसी पृथ्वी में तुम जीवित होगे और इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे। (आ'राफ़ 26)

इस क़ानून के होते हुए किसी मनुष्य का आकाश पर जाना कैसे सम्भव है?

बदुनिया गर कसे पायनदह बूदे।
अबुल कासिम मुहम्मद ज़िन्दा बूदे॥

अर्थात् : यदि कोई हस्ती अपनी ख़ूबियों, महान विशेषताओं और उच्च चरित्र के कारण जीवित रखने के क़ाबिल हो सकती थी तो वह हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं।

खुद अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :-

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ۔

(انبیاء:35)

और हमने तुझसे पहले किसी मनुष्य को अस्वभाविक आयु नहीं दी। क्या यदि तू मर जाए तो वह अस्वभाविक आयु तक जीवित रहेगें?

(सूर: अम्बिया 35)

कैसे आश्चर्य की बात है कि मुसलमान आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मुहब्बत का दावा करते हुये यह मान लेते हैं कि वह फ़ौत होकर पृथ्वी में दफ़्न कर दिये गयें हैं परन्तु मसीह इब्ने मरियम अभी तक इस पार्थिव शरीर के साथ चौथे आसमान पर ज़िन्दा बैठे हैं।

ग़ैरत की जा है ईसा ज़िंदा हो आसमां पर
मदफ़ून हो ज़मी में शाहे जहां हमारा।

अर्थात - बड़ी लज्जा की बात है कि हज़रत ईसा आकाश पर जीवित हैं और हमारे रसूल जो दुनिया के बादशाह हैं वह पृथ्वी के अन्दर गाढ़ दिये गए हैं।

इब्न मरियम मर गया हक़ की क़सम
दाख़िले जन्नत हुआ वह मोहतरम

अर्थात :- मरियम का बेटा ख़ुदा की क़सम मर गया है और वह सम्मान के साथ जन्नत में दाख़िल हो गया है।

मुर्दों का इस संसार में न लौटना

जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं या किसी तरह मर जाते हैं उनके लिये ख़ुदा तआला का कानून यही है कि वह इस दुनिया में लौट कर नहीं आते। निम्नलिखित आयतों से इस कानून की सच्चाई सिद्ध होती है।

1- وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (انبياء:96)

1. और प्रत्येक बस्ती जिसे हमने मृत्यु दे दी उसके लिये यह फैसला कर दिया गया है कि उस बस्ती के रहने वाले लौटकर इस दुनिया में नहीं आयेगें (अम्बिया 96)

2- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ
صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ
اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. (المومن:100-101)

2. और उस समय जब उनमें से किसी को मौत आ जायेगी वह कहेगा - हे मेरे रब! मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं उस जगह जिसको मैं छोड़कर आ गया हूँ (अर्थात् दुनिया में) अच्छे -अच्छे काम करूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। यह केवल एक मुँह की बात है जिसे वे कह रहे हैं और उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक कि वे दोबारा उठाये जायेंगे (अत: वे दुनिया की तरफ जीवित करके कभी लौटाये नहीं जायेंगे)

2. ख़त्मे नुबुव्वत का विषय

जमाअत अहमदिया की आस्था

जमाअत अहमदिया का इस बात पर ईमान है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं और अल्लाह तआला की तरफ से यह दर्जा केवल आपको ही मिला। आपके सिवा कोई और ऐसा नहीं है जिस में यह विशेषता पाई जाती हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

1. ''अक़ीदः (आस्था) की दृष्टि से जो ख़ुदा तुम से चाहता है वह यही है कि ख़ुदा एक और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसका नबी है और ख़ातमुल अम्बिया है और सब से बढ़कर है। अब उसके पश्चात् कोई नबी नहीं मगर वही जिसे बुरुजी (प्रतिरूप) मुहमदियत की चादर पहनायी गयी।

(किश्ती नूह और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 पृष्ठ 15-16)

2. अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को साहिबे ख़ातम बनाया अर्थात् आपको आध्यात्मिक फ़ैज (कल्याण) के कमाल को फैलाने के लिये मुहर दी जो किसी और नबी को हरगिज़ नहीं दी गयी। इसी कारण से आपका नाम ख़ातमुन्नबिय्यीन ठहरा अर्थात् आपकी अनुसरण नुबुव्वत के कमाल प्रदान करता है और आपका आध्यात्मिक दृष्टि नबी बनाती है और यह परम पवित्र शक्ति किसी और नबी को नहीं मिली। (हक़ीक़तुल वह्यी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 पृष्ठ 97)

आयत ख़ातमुन्नबिय्यीन और उसकी व्याख्या

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○ (سورة احزاب: 41)

मुहम्मद तुम में से किसी मर्द के न बाप थे न हैं (न होंगे)। परन्तु अल्लाह के रसूल हैं बल्कि (उससे भी बढ़कर) नबियों की मूहर हैं और अल्लाह हर एक चीज़ को ख़ूब जानता है (सूर: अहज़ाब 41)

यह आयत सन् 5 हिज्री में उस समय उतरी जब हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ैनब रज़ि. को तलाक़ दे दी और फिर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब[रज़ि॰] से निकाह कर लिया। हज़रत ज़ैद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। जब हुज़ूर ने ज़ैद की तलाक़ दी हुई बीवी (अर्थात हज़रत ज़ैनब) से निकाह किया तो काफ़िरों और मुनाफ़िकों ने ऐतराज़ किया कि आपने अपनी बहू से निकाह कर लिया जो किसी प्रकार ठीक नहीं। अल्लाह तआला उसके जवाब में फ़रमाता है कि किसी को बेटा कह देने से वह बेटा नहीं बन जाता। हराम (निषिद्ध) तो हक़ीक़ी बेटे की बीवी से निकाह करना है परन्तु आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कोई सगा बेटा नहीं। इसलिए हज़रत ज़ैनब से निकाह पर ऐतराज़ करना ग़लत है।

सूर: अहज़ाब की आयत 7 में यह कहा गया था कि :-

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ۔

नबी मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से भी अधिक निकट (प्रिय) है और उसकी पत्नियाँ उनकी माँएं हैं। नबी की बीवियों को माँ कह देने से कोई व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि नबी और मोमिनों का रिश्ता पिता और पुत्र का हुआ। ऐसी सूरत में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का ज़ैद की तलाक़ दी हुई बीवी (हज़रत ज़ैनब) से निकाह करना अपनी बहू से निकाह करने के बराबर है। इस आरोप को दूर करने के लिये कहा :-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ۔

मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तुम में से न किसी पुरूष के (शारीरिक रूप से) बाप थे न हैं (और न होंगे)। इसलिये ज़ैद के तलाक़ देने के बाद हज़रत ज़ैनब से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का निकाह किसी तरह भी क़ाबिले ऐतराज़ नहीं।

आयत ख़ातमुन्नबिय्यीन के पहले टुकड़े से बेशक बहू से निकाह करने का आरोप दूर हो गया लेकिन शारीरिक रूप से बाप होने के इन्कार से दो और आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती थीं। प्रथम यह कि नबी होने के कारण आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मोमिनों का बाप क़रार दिया गया था परन्तु जब यह कहा गया कि आप किसी पुरुष के बाप नहीं तो सवाल पैदा होता है कि क्या फिर आपकी नुबुव्वत और रिसालत भी जारी है या नहीं। द्वितीय यह कि आप का कोई पुत्र न होने के कारण दुश्मन आपको अबतर (नि:संतान) कहता था। अब इस आयत में कहा गया है कि आप किसी पुरुष के बाप नहीं, तो क्या वस्तुत: आप अबतर ठहरे? (अल्लाह की पनाह)

इन दोनों आरोपों के जवाब में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि وَلٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ۔ जिस्मानी पैतृत्व के इन्कार से यह न समझना कि आप रूहानी लिहाज़ से भी बाप नहीं रहे। अल्लाह का रसूल होने के लिहाज़ से आप मोमिनों के रूहानी बाप उसी तरह हैं जिस प्रकार हर नबी अपने मानने वालों का रूहानी बाप होता है। न केवल इतना बल्कि आपका दर्जा और मर्तबा दूसरे नबियों की तुलना में बहुत ऊंचा है और

आप खातमुन्नबिय्यीन हैं। इसका अर्थ यह है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम नबियों की मुहर हैं। आपके सत्यापन और आपकी शिक्षा की गवाही के बग़ैर कोई मनुष्य नुबुव्वत या विलायत के दर्जा तक नहीं पहुँच सकता।

इस आयत ''खातमुन्नबिय्यीन'' में ख़ातम शब्द (त की ज़बर के साथ आया है) इसका अर्थ ख़त्म करने वाला नहीं हो सकता। अगर यहाँ ख़ातिम ('त' की ज़ेर के साथ) होता तो समाप्त करने वाले का अर्थ हो सकता था लेकिन यहाँ ''त'' पर ज़बर है। जब ख़ातम (''त'' की ज़बर के साथ) किसी विभिक्त के साथ प्रयोग में लाया जाये तो इसका अर्थ सदा अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) होता है। जैसे कहते हैं :-

خَاتَمُ الْاَوْلِيَاء، خَاتَمُ الْمُحَدِّثِين، خَاتَمُ الشُّعَرَاء۔

ख़ातमुल औलिया, ख़ातमुल मुहद्दसीन, ख़ातमुश्शुअरा। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली[रज़ि०] के लिये ख़ातमुल औलिया के शब्द प्रयोग किये हैं। (तफ़्सीर साफी, आयत ख़ातमुन्नबिय्यीन के अन्तर्गत) तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हज़रत अली के बाद कोई वली (सिद्ध पुरुष) नहीं हो सकता? अत: अरब के मुहावरा के अनुसार ख़ातमुनूनबिय्यीन का एक अर्थ यह हुआ कि सब नबियों से अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) अथवा ऐसा वजूद जिस पर नुबुवत के कमालात समाप्त हो गए और वह अपने कमाल में बेमिसाल ठहरा।

अर्थात् इस आयत का सारांश यह है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बेशक शारीरिक लिहाज़ से किसी मर्द के बाप नहीं हैं लेकिन रूहानी लिहाज़ से और रसूल की हैसियत से आप सब मोमिनों के बाप हैं, न केवल मोमिनों के बाप हैं बल्कि रूहानी लिहाज़ से तमाम नबियों के भी बाप हैं। आपका मुहम्मद (अर्थात् प्रशंसा योग्य वजूद) होना इस बात का मुहताज नहीं कि आपकी शारीरिक संतान हो बल्कि आप अल्लाह के रसूल होने के लिहाज़ से और खातमुन्नबिय्यीन होने के लिहाज़ से मुहम्मद हैं।

अच्छी तरह मालूम होना चाहिये कि रसूलुल्लाह होने के लिहाज़

से हर नबी अपने मानने वालों का बाप होता है। जो चीज़ आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को सब से श्रेष्ठ सिद्ध करती है वह आपका ''ख़ातम'' होना है। अर्थात् आप तमाम नबियों से अपने पद और दर्जा में सबसे ऊँचे और सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरे आपकी कुव्वते क़ुदसिया (पवित्र शक्ति) और रूहानी तवज्जुह नबी तराश (नबी उत्पन्न करने वाली) है। अर्थात् आपकी शिक्षा का अनुसरण करने और आपकी कामिल पैरवी से मनुष्य नुबुव्वत की श्रेणी तक पहुँच सकता है और यह ख़ूबी आपसे पहले किसी नबी को प्राप्त नहीं हुई।

ख़ातमुन्नबिय्यीन के इसी अर्थ को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस प्रकार वर्णन करते हैं :-

''आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खातमुल अम्बिया ठहराया गया जिसका यह अर्थ है कि आपके बाद नुबुव्वत के फैज़ (वरदान) सीधे तौर पर समाप्त हो गए और अब नुबुव्वत का कमाल केवल उसी म नुष्य को मिलेगा जो अपने व्यवहार से आपके अनुसरण को सिद्ध करता होगा और इसी तरह पर वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का पुत्र और आपका उत्तराधिकारी होगा अर्थात् इस आयत में एक प्रकार से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाप होने को नकारा गया है और दूसरे प्रकार से बाप होने को सिद्ध भी किया गया है ताकि वह आरोप जिसका ज़िक्र आयत ''इन्ना शानिअका हुवलअबतर'' (अर्थात - तेरा शत्रु ही पुत्र संतान से वंचित होगा) में है, दूर किया जाए।''

(रिव्यू बर मोबाहिसा बटालवी चकड़ालवी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 पृष्ठ 214)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और दूसरे बुज़ुर्गों ने ख़ातमुन्नबिय्यीन के क्या अर्थ किए हैं:-

1. हज़रत अली के बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :-

اَنَا خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتَ يَا عَلِيُّ خَاتَمُ الْاَوْلِيَاءِ۔

(تفسیر صافی زیر آیت خَاتَمَ النَّبِیین)

हे अली मैं खातमुल अम्बिया हूँ और तू खातमुल औलिया है। (तफ़्सीर साफ़ी आयत खातमुन्नबिय्यीन के अन्तर्गत)

2. मजमअ बिहारुल अनवार में जो कि शब्दकोष है, उसमें शब्द ख़ातम के नीचे हज़रत आइशा[रज़ि॰] का यह कथन वर्णित है :-

قُوْلُوْا اِنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ

(تکملہ مجمع بحار الانوار جلد چہارم صفحہ 85 مطبع نول کشور)

अर्थात - यह तो कहो कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खातमुन्नबिय्यीन हैं मगर यह कभी न कहना कि आपके पश्चात् कोई नबी नहीं आयेगा।

इसके आगे लिखा है:-

ھٰذَا نَاظِرٌ اِلٰی نُزُوْلِ عِیْسٰی وَھٰذَا اَیْضًا لَا یُنَافِیْ حَدِیْثَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ لِاَنَّہٗ اَرَادَ لَا نَبِیَّ یَنْسَخُ شَرْعَہٗ۔ (ایضًا)

अर्थात् - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा का यह कथन मसीह के अवतरण के समर्थन में है और (ला नबिय्या बअदी) वाली हदीस का भी मुख़ालिफ नहीं क्योंकि ख़ातमुन्नबिय्यीन वाली आयत और ''ला नबिय्या बअदी'' का अर्थ तो यह है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी नहीं जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख़ करदे।

उम्मती नबी[1] और क़ुर्आन करीम

क़ुर्आन करीम से यह बात सिद्ध होती है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद नुबुव्वत का सिलसिला बन्द नहीं हुआ बल्कि जारी है और यह बात सम्भव है कि आपके बाद ऐसे नबी आते रहें जो आपके उम्मती हों और क़ुर्आन करीम की शिक्षा को ही दुनिया में

1. उम्मती नबी से अभिप्राय वह नबी है जो हज़रत मुहम्मद [स॰अ॰व॰] की उम्मत (मुसलमानों) में से हो और आपका सच्चा अनुयायी हो ।

स्थापित करने वाले हों। हां यह अवश्य है कि इस्लाम की शिक्षा को छोड़कर और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम के बिना किसी प्रकार का आध्यात्मिक पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। ख़ुदा तआला की निकटता को प्राप्त करने के सारे रास्ते बन्द हैं सिवाये उस रास्ते के जो क़ुर्आन करीम ने बताया और उस आदर्श की पैरवी के जो हमारे आक़ा सैय्यद-व-मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अत: उम्मती नबी के रास्ते में खातमुन्नबिय्यीन वाली आयत हरगिज़ रोक नहीं जैसा कि निम्नलिखित आयतों से स्पष्ट होता है।

पहली आयत :-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

(النساء ع9آیت:70)

और जो (लोग भी) अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करेंगे वे उन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है अर्थात् नबियों और सिद्दीकों (सत्यनिष्ठ) और शहीदों और सालिहों (नेक लोगों) में से और ये लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। (अन्नास आयत 70)

तर्क :- इस आयत में उम्मते मुहम्मदिया को दिए जाने वाले विशेष पदों का वर्णन है और बताया गया है कि अल्लाह तआला की आज्ञा का पालन करने वालों और इस रसूल की आज्ञा का पालन करने वालों को नुबुव्वत, सिद्दीक़ीयत, शहादत और सालिहिय्यत के पद (मरतबे) अता किये जायेंगें। मानो एक सच्चा मोमिन और मुसलमान आपकी आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करने के नतीजे में सालिहिय्यत से लेकर नुबुव्वत की श्रेणी तक पहुँच सकता है। क़ुर्आन करीम में जहाँ दूसरे नबियों का वर्णन किया गया है वहाँ बताया गया है कि उनका अनुसरण

करने वाला अधिक से अधिक सिद्दीक़ियत का स्थान प्राप्त कर सकता है। जैसा कि वर्णन किया गया है :-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط (الحديد ع٢ آيت:20)

और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाये वही अपने रब के निकट सिद्दीक़ों और शहीदों का रुतबा प्राप्त करने वाले हैं। (अलहदीद रुकू 2 आयत 20)

इन दोनों आयतों पर अच्छी तरह विचार करने से साफ पता चलता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले नबियों की आज्ञा का पालन करने के नतीजे में मनुष्य केवल सिद्दीक, शहीद और सालिह की श्रेणी प्राप्त कर सकता था परन्तु आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण के परिणामस्वरूप इन श्रेणियों के अतिरिक्त नुबुव्वत की श्रेणी भी मिल सकती है।

यह ऐतराज़ (आरोप) किया जाता है कि सूर: निसा की उपरोक्त आयत में ''मअल्लज़ीना'' के शब्द हैं अर्थात् ऐसे लोगों के साथ होंगे जो नबी सिद्दीक़, शहीद और सालिह (नेक) होंगे। इससे यह कहां पता लगा कि वे स्वयं ही होंगे। इस प्रकार का आरोप ठीक प्रकार से विचार न करने का नतीजा है और अरबी भाषा और क़ुर्आन को न समझने का परिणाम हैं क्योंकि 'मअ' के अर्थ आगे-पीछे की इबारत तथा प्रसंग और अनुकूलता के अनुसार कभी कभी केवल ''में'' के होते हैं ''साथ'' के नहीं। जैसा कि अल्लाह ने दुआ सिखाई ''व तवफ़्फ़ना मअल् अबरार'' (आले इम्रान, रुकू 20, आयत 194) अर्थात् मोमिन यह दुआ करते हैं कि हे अल्लाह! हमको नेक लोगों के साथ मृत्यु दे। इस आयत का हरगिज़ यह अर्थ नहीं कि जब कोई नेक मनुष्य मरने लगे तो हम भी मर जायें बल्कि केवल यह अर्थ है कि हमें इस हालत में मृत्यु दे कि हम नेक लोगों में शामिल हों।

यदि उपरोक्त आयत में ''मअ'' का अर्थ ''साथ'' किया जाये तो आयत निरर्थक हो जाती है क्योंकि यदि यह मान लिया जाये कि ख़ुदा

और आँहज़रत सल्ललाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण से मनुष्य नबी तो नहीं हो सकता हाँ उनके साथ होगा तो अवश्य यह भी मानना पड़ेगा कि इन चारों दर्जों में से कोई दर्जा भी नहीं मिलेगा केवल उनके साथ होने का सम्मान प्राप्त होगा जिनको यह दर्जे मिलेंगे। यदि मनुष्य नेक भी न बन सका तो फिर क्या लाभ हुआ। इससे तो यह साबित होता है कि दूसरे नबियों का दर्जा आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ऊँचा है क्योंकि उनकी बातों को मानने से सिद्दीक़ियत का स्थान मिल जाता था। ज़ाहिर है कि यह बात सही नहीं। अत: प्रमाणित हुआ कि ''मअ'' के यही अर्थ हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले नुबुव्वत का दर्जा तक प्राप्त करेंगे।

दूसरी आयत :-

اَللّٰہُ یَصۡطَفِیۡ مِنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌۢ بَصِیۡرٌ ○

(الحج ع10 آیت:76)

अर्थात - अल्लाह तआला फ़रिश्तों में से भी और इन्सानों में से भी रसूल चुनता है और चुनता रहेगा क्योंकि वह सुनने वाला और देखने वाला है।

तर्क :- इस आयत में ''यस्तफी'' ऐसा शब्द है जो वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों के लिए प्रयोग होता है और इस के अर्थ होंगे ''चुनता है'' और ''चुनेगा''। मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने इस स्थान पर अपने एक नियम का वर्णन किया है कि वह फ़रिश्तों और इन्सानों मैं से रसूल चुनता रहता है और ख़ुदा के नियम में परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि फरमाया - وَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّۃِ اللّٰہِ تَبۡدِیۡلًا तू ख़ुदा के नियम में कभी परिवर्तन नहीं पाएगा।

तीसरी आयत :–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

(الاعراف ع4آیت:36)

हे आदम के बेटो! जब भी तुम्हारे पास तुम में से रसूल बनाकर भेजे जाएं और वे तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़कर सुनायें तो जो लोग ख़ुदा तआला से डरेंगे और अपना सुधार कर लेंगे तो न उनको (भविष्य में) किसी प्रकार का डर होगा और न वे (भूतकाल की किसी बात पर) दुखीः होंगे। (अल आराफ़ रुकू 4 आयत 36)

तर्क :– इस आयत में बताया गया है कि जब तक आदम की संतान इस दुनिया में मौजूद है उसमें रसूल आते रहेंगे और मनुष्यों का कर्त्तव्य है कि उन पर ईमान लाएं। इस स्थान पर समस्त मानव जाति को सार्वजनिक रूप से संबोधन किया गया है लेकिन वास्तविक रूप से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समय और आपके बाद के समय के लोगों को संबोधन किया गया है। जैसा कि इस से पहली आयत से स्पष्ट होता है। अल्लाह तआला फरमाता है :–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الاعراف:32)

हे आदम के पुत्रो! हर मस्जिद में जाते समय सुन्दरता धारण कर लिया करो और खाओ और पियो और अपव्यय न करो क्योंकि अल्लाह फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। (अल आराफ 32)

इस स्थान पर मस्जिद में सौन्दर्य धारण करने का आदेश मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मानने वालों को है परन्तु आदम की सारी औलाद को संबोधित किया गया है।

चौथी आयत :–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○ (سورة فاتحه)

अर्थात - (हे अल्लाह) हमें सीधे रास्ते पर चला। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इन्आम किया जिन पर न तो बाद में तेरा प्रकोप उतरा (है) और न वे (बाद में) गुमराह (हो गये) हैं।

तर्क :- इस आयत में हमें यह दुआ सिखाई गई है कि हम इन्आम प्राप्त लोगों के मार्ग पर चलें और इन्आम पाएँ। क़ुर्आन करीम सूर: निसा की आयत 69-70 में (जिसकी व्याख़्या पहली आयत में उपर आ चुकी है) इस बात का वर्णन किया गया है कि इन्आम पाने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें नुबुव्वत, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहिय्यत के दर्जे से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अल्लाह तआला एक स्थान पर फ़रमाता है :-

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ
فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا۔ (المائدہ:21)

अर्थात् और (तुम उस समय को याद करो) जब मूसा ने अपनी क़ौम से कहा था कि हे मेरी कौम! तुम अल्लाह के उस इन्आम (पुरस्कार) को याद करो जब उसने तुम में नबी नियुक्त किये थे और तुम्हें बादशाह बनाया था। (अल माइदह 21)

इस आयत में नुबुव्वत को और बादशाहत को इनाम बताया है। इन दोनों आयतों को मिलाने से यह परिणाम निकलता है कि अल्लाह तआला ने जब हमें खुद यह दुआ सिखाई है तो वास्तव में इस में इस बात की ख़ुशखबरी ही है कि वह हम में भी नुबुव्वत और बादशाहत का इनाम जारी रखेगा।

मुसलमानों को अच्छी उम्मत कहा गया है। वह अच्छी उम्मत इसी तरह हो सकती है कि उस में भी नुबुव्वत का सिलसिला जारी रहे जैसे इस से पहले दूसरी क़ौमों में जारी था। यदि इस इन्आम का दरवाज़ा बंद मान लिया जाए तो फिर मुसलमान जाति ख़ैर उम्मत (अच्छी क़ौम) कैसे कही जा सकती है।

उम्मती नबी और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीसें

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्वंय इस बारे में जो कुछ फ़रमाया है उससे भी यही बात ज़ाहिर होती है कि उम्मते मुहम्मदिया में नुबुव्वत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कुछ हदीसें प्रस्तुत हैं :-

पहली हदीस :-

اَبُوْبَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيٌّ۔

अबू बकर[रज़ि॰] इससे उम्मत (मुसलमानों की क़ौम) में सबसे महान हैं। सिवाय इसके कि कोई नबी उम्मत में पैदा हो। उपरोक्त हदीस से यह स्पष्ट होता है कि हुज़ूर ने ''इल्ला अंयकूना नबिय्युन'' कहकर बात को अलग कर दिया। यदि किसी नबी ने पैदा होना ही नहीं था तो यह कहने की ज़रूरत ही नहीं थी।

(कन्ज़ुल उम्माल जिल्द 6 पृष्ठ 137-138 फ़ज़ाइल-ए-अबू बकर सिद्दीक़)

दूसरी हदीस :-

आयत खातमुन्नबिय्यीन सन् 5 हिज्री में नाज़िल हुई। 9 हिज्री में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सुपुत्र इब्राहीम ने जन्म लिया। और फिर मृत्यु पाई। उनकी मृत्यु पर हुज़ूर ने फ़रमाया :-

لَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا۔

''यदि इब्राहीम जीवित रहता तो अवश्य सच्चा नबी होता''

(इब्न माजा किताबुल जनाइज़ बाब मा जाअ फ़िस्सलाते अला इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम व ज़िकरु वफातिही)

इस हदीस से सिद्ध होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के खातमुन्नबिय्यीन होने के बावजूद नुबुव्वत का जारी रहना सम्भव है। यदि खातमुन्नबिय्यीन के यही अर्थ होते कि भविष्य में कोई

नबी नहीं होगा तो ऐसी अवस्था में हुज़ूर को यह फ़रमाना चाहिए था कि यदि मेरा पुत्र इब्राहीम जीवित रहता तब भी नबी न होता क्योंकि मैं खातमुन्नबिय्यीन हूँ परन्तु हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान है कि इब्राहीम के नबी होने में मृत्यु आड़े आ गई। यदि वह जीवित रहता तो नबी होता।

तीसरी हदीस :-

मसीह मौऊद के बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि:-

اَلَا اِنَّہٗ لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ نَبِیٌّ وَلَا رَسُوْلٌ وَاَلَا اِنَّہٗ خَلِیْفَتِیْ فِیْ اُمَّتِیْ۔

(तिबरानी फ़ी औसतिलकबीर सुनन अबी दाऊद, भाग 2 किताबुल मलाहिम बाब खुरूजुद्दज्जाल पृ. 246)

''सुन लो! मेरे और मसीह मौऊद के बीच में कोई नबी नहीं और सुन लो कि वह मेरी उम्मत में मेरा उत्तराधिकारी है।''

हदीस ''ला नबिय्या बा'दी'' की व्याख्या :-

हदीस لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ **(ला नबिय्या बादी)** को सामान्यता इस बात के समर्थन में पेश किया जाता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद नुबुव्वत का सिलसिला बन्द हो गया है परन्तु जब क़ुर्आन करीम की अनेकों आयतों और हदीसों से नुबुव्वत के जारी रहने का प्रमाण मिलता है तो अवश्य इस हदीस का वही अर्थ उचित हो सकता है जो क़ुर्आन करीम और दूसरी हदीसों के खिलाफ न हो। इस लिहाज़ से हदीस ''ला नबिय्या बा'दी'' का अर्थ इस्लाम धर्म के बुज़ुर्गों ने यही बताया है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद ऐसी नुबुव्वत बंद है जो शरीअत वाली हो अर्थात अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो क़ुर्आन की शरीअत को रद्द कर दे। उम्मती नबी के आने में यह हदीस रोक नहीं। कुछ बुज़ुर्गों के फ़रमान नीचे दिए जाते हैं।

1. हज़रत आइशा रज़िअल्लाहो अन्हा कहती हैं कि :-

قُوْلُوْا اِنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ۔

''हे लोगो! आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अम्बिया अवश्य कहो परन्तु यह न कहो कि आपके बाद किसी प्रकार का नबी न आयेगा।''

2. इमाम मुल्ला अली क़ारी फ़रमाते हैं :-

وَرَدَلَا نَبِیَّ بَعْدِیْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا یَحْدُثُ بَعْدَهٗ نَبِیٌّ بِشَرْعٍ
یَنْسِخُ شَرْعَهٗ۔ (الاشاعة فی اشراط الساعة صفحه 224)

(तफ़्सीर दुर्रे मनसूर, जिल्द 5 पृष्ठ 204 व तक्मिल: मज्मउल बहार पृष्ठ 85)

हदीस में ''ला नबिय्या बादी'' के जो शब्द आये हैं उनका अर्थ विद्वानों के निकट यह है कि कोई नबी ऐसी शरीअत को लेकर पैदा नहीं होगा जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शरीअत को रद्द करती हो। (अलइशाअत फ़ी अशरातिस्साअत पृ. 226)

3. अश्शैख़ुल अकबर हज़रत मोहीउद्दी नइब्नु लअरबी कहते हैं-

وَهٰذَا مَعْنٰی قَوْلِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ
قَدِانْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبِیَّ اَیْ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ یَکُوْنَ
عَلٰی شَرْعٍ یُخَالِفُ شَرْعِیْ بَلْ اِذَا کَانَ یَکُوْنُ تَحْتَ حُکْمِ شَرِیْعَتِیْ۔

(फ़ुतूहात-ए-मक्किय्या जिल्द 2 पृष्ठ 3 दार-ए-सादिर बैरूत)

अर्थात - इस हदीस का यह अर्थ है कि अब रिसालत और नुबुव्वत समाप्त हो गई है मेरे बाद न रसूल है और न नबी। अर्थात् आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस कथन का यह अर्थ निकलता है कि अब ऐसा नबी कोई नहीं होगा जो ऐसी शरीअत पर हो जो मेरी शरीअत के ख़िलाफ़ हो बल्कि जब कभी कोई नबी आयेगा तो वह मेरी शरीअत के हुक्म के अधीन होगा।

4. नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहिब भोपालवी (वफ़ात सन् 1889 ई०) लिखते हैं :- ''ला नबिय्या बा'दी'' आया है। जिसका अर्थ विद्वानों के निकट है कि मेरे बाद कोई नबी पहली शरीअत को रद्द करने वाली शरीअत न लाएगा। (अर्थात कुरआन करीम की शरीअत को मन्सूख़ करने वाली कोई नई शरीअत वाला नबी नहीं आएगा)।

(इक़्तिराबुस्साअते पृष्ठ 162 प्रकाशित मुफीद आम प्रैस कुतुब आगरा 1301 हिज्री)

मौऊद (वादा दिया गया) मसीह ने इसी उम्मत में से होना था :-

यहां तक हमने ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल से यह सिद्ध कर दिया कि क़ुर्आन शरीफ़ और हदीस की दृष्टि से यह बात पूर्णरूप से सिद्ध हो चुकी है कि हज़रत मसीह नासिरी[अ०] आसमान पर जीवित नहीं उठाये गये बल्कि मृत्यु पा चुके हैं और यह कि हयाते मसीह (मसीह के जीवित होने) का मामला बाद में मुसलमानों के अन्दर दाख़िल हुआ है। वर्ना सहाबा किराम[रज़ि०] ने तो अपने सबसे पहले इज्मा (सर्वसम्मति) में फैसला कर दिया था कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी गुज़रे हैं वे सब फौत हो चुके हैं। अब मैं यह बताता हूँ कि क़ुर्आन शरीफ़ और हदीस से यह बात भी सिद्ध हो गई है कि जिस मसीह का वादा दिया गया है वह इसी उम्मत में से होगा। क़ुर्आन शरीफ़ में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ ۔(سورۃ نور آیت 56)

अर्थात् ''अल्लाह तआला उन लोगों से वादा करता है जो तुममें से पूर्णरूप से ख़ुदा और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाये और नेक कर्म किऐ कि अवश्य उन्हें दुनिया में ख़लीफा बनायेगा जिस तरह कि उसने उन व्यक्तियों को ख़लीफा (उत्तराधिकारी) बनाया था जो उनसे पहले गुज़र चुके और वह उनके इस धर्म को जो ख़ुदा ने उनके लिये पसंद किया है दुनिया पर क़ायम कर देगा।''

(सूरः नूर आयत 56)

इस आयत में अल्लाह तआला मुसलमानों से वादा करता है कि वह उनमें उसी तरह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के खुलफ़ा (उत्तराधिकारी) बनायेगा जिस प्रकार उसने बनी इस्राईल में से हज़रत मूसा के खलीफ़े बनाये और उनके द्वारा इस्लाम धर्म को शक्ति देगा। अब यह ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा के बाद ख़ुदा तआला ने बनी इस्राईल में

बहुत से उत्तराधिकारी भेजे जो तौरात की सेवा करते थे। यह सिलसिला मूसा के खलीफ़ाओं का हज़रत मसीह नासिरी के वजूद में अपनी पूर्णता और अन्त को पहुँच गया। मुसलमानों को भी इसी प्रकार के खलीफ़ाओं का वादा दिया गया था और ठीक जिस तरह मूसवी सिलसिले का अन्तिम खलीफ़ा इस्राईली मसीह हुआ उसी तरह यह मुक़द्दर था कि आखिरी दिनों में मुसलमानों में भी एक मसीह भेजा जायेगा जो इस्लामी खलीफ़ाओं के सिलसिले के दायरे को पूरा करने वाला और पूर्णता तक पहुँचाने वाला होगा। मानो इस प्रकार इन दोनों सिलसिलों में अल्लाह तआला ने एकरूपता व्यक्त की है। जैसा कि शब्द ''कमा'' से ज़ाहिर है। विद्वान जानते हैं कि एकरूपता मुग़ायरत (अर्थात् दो अलग अलग अस्तित्वों) को भी चाहती है। अत: यह सिद्ध हुआ कि मुहम्मदी सिलसिले का मसीह अर्थात् आख़िरी उत्तराधिकारी मूसवी सिलसिले के मसीह से जुदा अस्तित्व रखेगा और यद्यपि वह उसका समरूप होगा मगर वही नहीं होगा बल्कि उससे भिन्न होगा। इसके अतिरिक्त इस आयत में ''मिनकुम'' (तुम में से) का शब्द रखकर अल्लाह तआला ने सारे झगड़े की जड़ काट दी है और साफ़ बता दिया है कि मुसलमानों में जो उत्तराधिकारी होंगे वे मुसलमानों में से ही होंगे और कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आयेगा। अत: यह किस क़दर दु:ख की बात कि अपनी ज़िद पूरी करने के लिए यह ख़्याल किया जाए कि मुहम्मदी सिलसिले का अन्तिम और सबसे बड़ा खलीफ़ा बनी इसराईल में से भेजा जाएगा और इस प्रकार ख़ुदा के वादे को जो उसने ''मिनकुम'' के शब्द में किया रद्दी की तरह फेंक दिया जाये।

फिर यही नहीं बल्कि हदीस भी स्पष्ट रूप से बता रही है कि मसीह मौऊद उम्मते मुहम्मदिया में से ही होगा और उसी उम्मत का एक व्यक्ति होगा कोई बाहर से नहीं आयेगा। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ۔

अर्थात् हे मुसलमानों ''क्या ही अच्छा हाल होगा तुम्हारा जब तुममें

मरयम का बेटा आयेगा और वह तुम्हीं में से तुम्हारा इमाम होगा।''

(बुख़ारी व मुस्लिम बहवाला मिश्कात बाब नुज़ूल ईसा बिन मरयम)

यह हदीस बता रही है कि मसीह मौऊद मुसलमानों में से ही एक व्यक्ति होगा जैसा कि ''मिनकुम'' के शब्द में बताया गया है। बेशक़ आने वाले को मरयम पुत्र के नाम से याद किया गया है परन्तु ''मिनकुम'' का शब्द पुकार-पुकार कर कह रहा है कि यह मरयम का वह पुत्र नहीं जो पहले मृत्यु पा चुका है बल्कि हे मुसलमानों यह तुम्ही में से एक व्यक्ति होगा। यह आगे चलकर बताया जायेगा कि मरयम पुत्र के शब्द प्रयोग करने में कौन सा भेद था लेकिन अब केवल इतना देखें कि क्या ''मिनकुम'' के शब्द ने मसीह नासिरी के दोबारा आने के अक़ीदः को जड़ से काटकर नहीं रख दिया ? हाय अफसोस! कि हज़रत ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम स्पष्ट शब्दों में सूचना दे रहे हैं कि मसीह मौऊद इसी उम्मत में से होगा मगर मुसलमान मसीह नासिरी की मुहब्बत में इस शिर्क के मुक़ाम तक पहुँच चुके हैं कि बेवजह अपने सुधार के लिये बनी इस्राईल के चरणों पर गिर रहे हैं। ख़ुदा इस क़ौम पर रहम करे कि यह सब से अच्छी उम्मत होकर भी कहां आकर गिरी।

सारांश यह है कि मसीह मौऊद के बारे में ''इमामोकुम मिनकुम'' के शब्द बता कर - आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सारे झगड़े का फैसला कर दिया है और सन्देह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी परन्तु आपकी दया को देखो कि बावजूद स्पष्ट शब्दों में फ़रमा देने के कि आने वाला मसीह मेरी उम्मत में से ही एक व्यक्ति होगा आप इस बात पर खामोश नहीं हुए बल्कि और अधिक विस्तार से फरमाया :-

رأيتُ عيسٰى وموسٰى فامّا عيسٰى فَأَحْمَرُ جَعَدٌ عريض الصّدر واما
موسٰى فَآدمُ جَسِيمٌ سَبْطُ الشَّعْرِ كَأَنَّهُ مِنْ رّجَالِ الزُّط

(بخاری جلد 2 کتاب بدء الخلق)

अर्थात् मैंने कश्फ़ (दिव्य दर्शन) में ईसा और मूसा अलैहिमुस्सलाम दोनों को देखा। ईसा तो सुर्ख रंग के थे और उनके बाल घुंघराले थे और

सीना चौड़ा था और मूसा गंदुमी रंग के थे और भारी शरीर वाले थे और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई व्यक्ति ''जुत'' कबीला में से है।
(बुख़ारी जिल्द 2, किताब बदउल ख़ल्क़)

ईसा अलैहिस्सलाम और मसीह मौऊद का हुलिया (शारीरिक स्वरूप)

इस हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत ईसा का यह हुलिया बयान किया है कि वह सुर्ख रंग के थे और उनके बाल घुंगराले थे, इस बात का प्रमाण है कि यहां ईसा से पहले के ईसा अभिप्राय हैं तथा इसी हदीस में मौजूद है और वह यह कि उनको एक पहले के नबी अर्थात् मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बयान किया गया है। पाठकगण हज़रत मसीह नासिरी के इस रूप को अच्छी तरह याद रखें फिर एक और हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

بینما انا نائمٌ اَطُوفُ بالکعبۃ فاذا رجلٌ اٰدم سَبْطُ الشَّعْرِ ینطف
اویھراق رائسہ ماء فقلت من ھٰذا قالوا ابن مریم ...(الخ)

(बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब ज़िकरुद्दज्जाल)

अर्थात् ''मैंने सपने में देखा कि मैं काबे का तवाफ़ (परिक्रमा) कर रहा हूँ। उस समय अचानक एक व्यक्ति मेरे सम्मुख आया जो गन्दुमी रंग का था। उसके बाल सीधे और लम्बे थे। मैंने पूछा यह कौन है तो मुझे बताया गया कि यह मसीह इब्न-ए-मरयम हैं। इस हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आने वाले मसीह का यह रूप वर्णन करते हैं कि वह गन्दुमी रंग का होगा और उसके बाल सीधे और लम्बे होंगे। इस बात का प्रमाण कि इस हदीस में इब्न-ए-मरयम से अभिप्राय अन्तिम समय में प्रकट होने वाला मसीह है। इसी हदीस में आगे चलकर दज्जाल का भी वर्णन किया गया है। अर्थात् आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उसी समय दज्जाल को भी देखा। अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह मसीह वह है जो दज्जाल के मुकाबले में प्रकट होगा। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है हज़रत मसीह नासिरी जो

बनी इसराईल की तरफ भेजे गए थे उनका हुलिया यह वर्णन किया गया है कि वह सुर्ख रंग के थे और उनके बाल घुँगराले थे लेकिन आने वाला मसीह जो दज्जाल के मुकाबिले पर प्रकट होगा उसकी आकृति यह वर्णन की गई है कि उसका रंग गन्दुमी होगा और बाल सीधे और लम्बे होंगे। दोनों आकृतियों में भिन्नता प्रस्तुत की गई है। इसमें किसी व्याख्या की आवश्यक्ता नहीं। कहां सुर्ख रंग और कहां गन्दुमी फिर कहां घुँगराले बाल और कहाँ सीधे और लम्बे। इससे अधिक स्पष्टीकरण क्या होगा। दोनों मसीहों की तस्वीरें पाठकों के सामने रख दी गई हैं और यह तस्वीरें भी हज़रत अफ़ज़लुर्रुसुल खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हाथ की खींची हुई हैं। पाठक स्वयं फैसला कर लें कि क्या इन दोनों तस्वीरों में एक ही मनुष्य की शक्ल दिखाई देती है? जिसे ख़ुदा ने आंखें दी हों वह तो हरगिज़ दोनों को एक नहीं कह सकता। हज़रत मिर्ज़ा साहब क्या खूब फरमाते हैं :-

मौऊदम् व बहुलियाए मासूर आमदम्
हैफ़ अस्त गरबदीद: न बीनद् मन्ज़रम्
रंगम चूँ गन्दम अस्त व बमो फ़र्क बय्यन अस्त
ज़ानिसाँ के आमद अस्त दर अख़बार सरवरम
ईं मक़दमम् न जाये शुकूक अस्त व अल्तिबास
सय्यद जुदाकुनद ज़ि मसीहाये अहमरम्

अर्थात् मैं ही मसीह मौऊद हूँ और मैं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बताई हुई आकृति के मुताबिक आया हूँ। अत: अब अफ़सोस है उस आँख पर जो मुझे नहीं पहचानती मेरा रंग गन्दुमी है और मेरे बालों में भी उस मसीह से खुला-खुला अन्तर रखा गया है जिसका जिक्र आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है सो अब मेरे मामले में कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमारे आक़ा व सरदार ने स्वयं मुझे सुर्ख रंग वाले मसीह से भिन्न कर दिया है।''

नुज़ूल की हक़ीक़त

उपरोक्त कथनों से यह बात ख़ूब ज़ाहिर हो जाती है कि आने वाला मसीह पिछले मसीह नासिरी से बिल्कुल भिन्न व्यक्तित्व रखता है। देखो कुर्आन गवाही दे रहा है कि इस्लाम के सारे खलीफ़े (उत्तराधिकारी) मुसलमानों में से होंगे, हदीस में वर्णन किया गया है कि मसीह मौऊद इसी उम्मत में से एक व्यक्ति होगा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हर दो मसीहों के अलग अलग फोटो हमारे सामने रखकर किसी और व्याख्या की आवश्यकता शेष नहीं छोड़ते तो अब आशंका की क्या गुंजाइश रही? परन्तु एक भ्रम अवश्य बाक़ी रहता है कि जब मसीह मौऊद ने इसी उम्मत में से होना था तो फिर इसके बारे में नुज़ूल (उतरना) और इब्न-ए-मरयम (मरयम का पुत्र) के शब्द क्यों प्रयोग किये गये? नुज़ूल का शब्द ज़ाहिर करता है कि मसीह मौऊद आकाश से नाज़िल होगा और इब्न-ए-मरयम का शब्द बताता है कि हज़रत मसीह नासिरी स्वयं तशरीफ़ लायेंगे। अत: इस के लिये अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि एक तो किसी सही हदीस में नुज़ूल के साथ ''समाअ'' अर्थात् आकाश का शब्द प्रयोग नहीं हुआ कि आसमान से उतरने के अर्थ लिये जायें। इसके अतिरिक्त नुज़ूल के अर्थ पर भी ग़ौर नहीं किया गया। अरबी में नुज़ूल के अर्थ ज़ाहिर होने और आने के भी हैं। जैसा कि कुर्आन शरीफ़ में अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

अर्थात् ''अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक याद कराने वाला रसूल उतारा है जो तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है।'' (सूर: तलाक़ 11,12)

इस आयत में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में नुज़ूल का शब्द प्रयोग किया गया है हालांकि सब जानते हैं कि आप आसमान से नहीं उतरे थे बल्कि इसी ज़मीन में पैदा हुये थे। फिर कुर्आन शरीफ़ फरमाता है :-

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

(अलहदीद :26)

अर्थात् ''हमने लोहा उतारा है जिसमें लड़ाई का बड़ा सामान है और उसमें लोगों के लिये और भी बहुत से लाभ हैं।'' लीजिये लोहा भी आसमान से उतर रहा है! इन आयतों से ज़ाहिर है कि शब्द ''नुज़ूल'' के अर्थ सदा शाब्दिक तौर पर उपर से उतरने के नहीं होते। बल्कि अधिकतर नुज़ूल का शब्द उस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है जो ख़ुदा की तरफ से मानवजाति को बतौर एक नेमत और रहमत के दी जाती है। अत: ''नुज़ूल'' शब्द से यह नतीजा निकालना कि मसीह आसमान से नाज़िल होगा एक सख़्त गलती है। इसी प्रकार अरबी में मुसाफिर को ''नज़ील'' कहते हैं और जिस स्थान पर ठहरा जाये वह ''मंज़िल'' कहलाता है। इसके अतिरिक्त कुछ हदीसों में मसीह के विषय में ''बअस'' और ''ख़ुरूज'' के शब्द भी आये हैं। अत: इस प्रकार जो अर्थ ''बअस'' और ''ख़ुरूज'' और नुज़ूल के मध्य साझा है वही लक्ष्य समझा जाएगा।

इब्न-ए-मरयम के नाम में हिकमत

अब रहा इब्न-ए-मरयम के नाम का सवाल तो इसके विषय में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आइन्दा भेजे जाने वाले नबियों के नाम जो किसी नबी के द्वारा बताए जाते हैं वह आमतौर पर किसी अंदरूनी हक़ीक़त (वास्तविकता) की ओर इशारा करने वाले होते हैं। इसलिये उन्हें सदा ज़ाहिरी तौर पर लेना ठीक नहीं होता बल्कि आम तौर पर इनके प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि वह आने वाले मौऊद और उसके नाम के मध्य किसी गहरे और बारीक सम्बंध को प्रकट करें। उदाहरणतया बनी इस्राईल को यह वादा दिया गया था कि मसीह के आने से पहले हज़रत इलियास ज़ाहिर होंगे जो हज़रत मसीह नासिरी से तक़रीबन साढ़े आठ सौ साल पहले गुज़र चुके थे, जिनके बारे में यहूदियों में यह अक़ीदा था कि वह आसमान की तरफ उठाये गये हैं (सलातीन बाब 2 आयत 11) इस पर यहूद ने ''इलियास के नुज़ूल'' से यह समझा कि वही इलियास नबी जो गुज़र चुका वही स्वयं दोबारा

नाज़िल होगा और उसके बाद मसीह आयेगा। इसलिये जब हज़रत ईसा ने मसीह होने का दावा किया तो यहूद ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हमारी किताबों में तो लिखा है कि मसीह से पहले इलियास नाज़िल होगा परन्तु अभी तक इलियास नहीं आया इसलिये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दावा ठीक नहीं हो सकता। इसका जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया कि इलियास के आने की जो ख़बर दी गई थी उससे स्वयं इलियास का आना अभिप्राय न था बल्कि वह एक ऐसे नबी की ख़बर थी जो इलियास के गुणों के साथ उसका मसील (समरूप) बनकर आना था और वह आ चुका और वही ''यह्या'' है जिसकी आँखे हों देखे। (मती अध्याय 11 आयत 14) लेकिन ज़ाहिर परस्त यहूदी इस बात पर जमे रहे कि स्वयं इलियास को नाज़िल होना चाहिये और इस तरह वह निजात से वंचित हो गए। (मती, अध्याय 17)

इस उदाहरण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि भविष्यवाणियों में जो नाम आने वाले सुधारकों के बताये जाते हैं वे सदा ज़ाहिर में पाये जाने ज़रूरी नहीं होते बल्कि वे आमतौर पर किसी अन्दरूनी समानता की तरफ़ इशारा करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणतया कहाँ इलियास नबी का आसमान से उतरना और कहाँ यह्या नबी का ज़मीन से पैदा होना परन्तु हज़रत मसीह यह्या को ही इलियास मान रहे हैं क्योंकि वह इलियास के गुणों के साथ आया था। यह उदाहरण इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि ख़ुदा के कलाम में जब किसी गुज़रे हुये नबी के आसमान से नाज़िल होने की भविष्यवाणी हो तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि वही गुज़रा हुआ नबी आसमान के परदों को फाड़ता हुआ ज़मीन पर उतरेगा बल्कि उससे उसके किसी प्रतिरूप का आना अभिप्राय होता है। अत: मालूम हुआ कि मसीह के सम्बंध में जो यह कहा गया है कि वह नाज़िल होगा तो उससे स्वयं मसीह का आसमान से नाज़िल होना मुराद नहीं बल्कि किसी मसीह जैसे प्रतिरूप का आना मुराद है जैसा कि इलियास नबी के आसमान से नाज़िल होने से एक इलियास के प्रतिरूप अर्थात यह्या का पैदा होना अभीष्ट था।

अतः ईसा इब्न-ए-मरियम के ज़ाहिरी नाम पर अड़े रहना और केवल इस नाम के कारण आने वाले मसीह का इन्कार कर देना सख़्त तबाही का मार्ग है जिससे बचना ज़रूरी है क्योंकि नाम सदा ज़ाहिर में पाये जाने ज़रूरी नहीं होते बल्कि उनके अन्दर भावार्थ छुपा होता है। एक और मिसाल जो विवादित मामले को और भी स्पष्ट कर देती है यह है कि क़ुर्आन शरीफ़ की सूर: सफ़्फ़ में लिखा है कि हज़रत ईसा ने एक ऐसे रसूल की खबर दी जो उनके बाद आयेगा। और उसका नाम ''अहमद'' होगा (सूर: सफ़्फ़ रुकू 1) अब हमारे विरोधी मुसलमान सब मानते हैं कि यह पेशगोई आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने से पूरी हो चुकी है लेकिन हर एक जानता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का असल नाम ''मुहम्मद'' था न कि ''अहमद''। यह सत्य है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत के दावे के बाद यह फ़रमाया कि मैं अहमद भी हूँ। लेकिन दावे के बाद इस नाम को अपनी ओर मन्सूब करना विरोधियों पर किसी तरह तर्क नहीं बन सकता। विरोधी पर तो तर्क तब होता जब यह साबित किया जाए कि वास्तव में आपके बुज़ुर्गों की तरफ से आपका यह नाम रखा गया था। या यह कि दावे से पहले आप उस नाम से पुकारे जाते थे लेकिन किसी सही हदीस से यह सिद्ध नहीं कि आप दावे से पहले कभी उस नाम से पुकारे गये हों या किसी बुज़ुर्ग ने बचपन में आपका यह नाम रखा हो। इसलिये इस शक का जवाब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि यह कहा जाए कि आपके अन्दर अहमदियत की विशेषता पायी जाती थी और यह कि आसमान पर आपका नाम ''अहमद'' भी था जैसा कि आसमान पर 'यह्या' का नाम इलियास भी था। इन दो उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि भविष्यवाणियों में जो नाम बताये जाते हैं वे अवश्य ज़ाहिर में पाये जाने ज़रूरी नहीं होते बल्कि आमतौर पर वे विषेषण होते हैं और किसी आन्तरिक वास्तविकता की तरफ इशारा करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। इसमें भेद यह है कि ख़ुदा को चीज़ों की हक़ीकत से सम्बंध है उनके ज़ाहिरी नामों से कोई

सम्बंध नहीं। लोग बेशक पहचान की ख़ातिर ज़ाहिरी नामों का लिहाज रखते हैं परन्तु ख़ुदा की नज़र में असल नाम सिफ़ाती (गुणवाचक) होता है न कि ज़ाहिरी। अब प्रश्न होता है कि फिर वह क्या कारण है कि ख़ुदा ने आने वाले मसीह का नाम इब्न-ए-मरियम रखा? इसके जवाब में कई बातें प्रस्तुत की जा सकती हैं मगर इस छोटी सी पुस्तक में सबका लिखना असम्भव होगा। इसलिये केवल कुछ मोटी-मोटी तथ्यपूर्ण बातें ही वर्णन की जाती हैं-

प्रथम यह कि आने वाले मसीह ने हज़रत ईसा की खूबियों पर आना था। जिस तरह हज़रत इलियास की ख़ूबियों पर हज़रत यह्या आये। अत: जिस प्रकार हज़रत यह्या के आने से हज़रत इलियास के आने का वादा पूरा हुआ उसी प्रकार मसीह के किसी समरूप के आने से हज़रत मसीह के आने का वचन पूरा होना था। इसलिए इस समरूपता के कारण मसीह मौऊद का नाम इब्न-ए-मरयम (मरयम का बेटा) रखा गया।

दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार मसीह नासिरी मूसवी सिलसिला के ख़ातमुल ख़ुलफ़ा थे इसी प्रकार मुहम्मदी मसीह ने मुहम्मदी सिलसिले का ख़ातमुल-ख़ुलफ़ा (सर्वश्रेष्ठ खलीफा) होना था।

तीसरा और बड़ा कारण यह है कि क़ुर्आन शरीफ़ और हदीसों से ज़ाहिर है कि आख़िरी ज़माने के लिये यह ख़ुदा का फैसला था कि इसमें ईसाइयत ब़हुत उन्नति करेगी और सलीबी धर्म बड़ी प्रसिद्धि की अवस्था में होगा। इसलिये मसीह मौऊद का बड़ा कार्य यह रखा गया कि ''यक्सिरुस्सलीबा'' अर्थात मसीह मौऊद सलीबी धर्म का ज़ोर तोड़ देगा। इसमें हिकमत यह है कि जब किसी नबी के मानने वालों में बिगाड़ होता है तो फिर नैतिक तौर पर उसी नबी का कर्तव्य होता है कि वह उस बिगाड़ को दूर करे। जैसा कि यदि किसी हुकूमत में बिगाड़ आरम्भ हो जाये तो बाहरी हुकूमतों का कर्त्तव्य नहीं होता कि वह इस बिगाड़ को दूर करें बल्कि ख़ुद उस हुकूमत का कर्त्तव्य होता है कि वह उसे दूर करे। अत: चूँकि अन्तिम समय के मौऊद का एक बड़ा कार्य यह था कि वह सलीबी धर्म के बिगाड़ को दूर करेगा। इसलिए हज़रत ईसा के

रंग में आने वाले का नाम ईसा बिन मरयम और मसीह रखा गया बल्कि अन्तिम समय के लिये तो यह भी मुक़द्दर था कि वह अत्यधिक फ़साद का समय होगा और सब क़ौमों में फ़साद आरम्भ हो जायेगा। ऐसे समय में आवश्यकता थी कि सब धर्मों के संस्थापकों के प्रतिरूप ज़ाहिर होते जिनका आना स्वंय उस धर्म के संस्थापकों का आना समझा जाता जो अपनी अपनी क़ौमों का सुधार करते परन्तु बहुत से सुधारकों का एक ही समय में संसार में आना फ़साद को दूर करने की बजाए फ़साद की आग को और भी भड़का देता। इसके अतिरिक्त अब चूँकि इस्लाम धर्म के आगमन ने सब रूहानी पानी अपने अंदर खींच लिया है और अब कोई आध्यात्मिक सुधारक इस्लाम के सिवाय किसी धर्म में प्रकट नहीं हो सकता इसलिये यह निर्णय हुआ कि तमाम नबियों के समरूपों को एक ही व्यक्तित्व में इस्लाम के अन्दर भेजा जाए। इस आने वाले सुधारक का कार्य यह रखा गया कि वह समस्त क़ौमों का सुधार करे। इस तरह इस मौऊद मुस्लिह का काम दो बड़े भागों में बांटा गया, एक मुसलमानों का सुधार और दूसरे शेष तमाम क़ौमों का सुधार परन्तु बाकी क़ौमों के सुधार के काम में सबसे बड़ा काम हज़रत मसीह नासिरी के मानने वालों का सुधार और उनकी गलत अवस्थाओं का खंडन करना था। जैसा कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के शब्दों ''यक्सिरुस्सलीबा'' से प्रकट होता है जो आप ने मसीह मौऊद के विषय में फ़रमाए। इसलिये आने वाले को ख़ास तौर पर ईसा बिन मरयम का नाम दिया गया। अत: हज़रत मिर्ज़ा साहिब फ़रमाते हैं :

चूँ मरा नूरे पये क़ौमे मसीही दादा अंद
मस्लिहत रा इब्न-ए-मरयम नामे मन बनिहादा अंद

अर्थात चूँकि मुझे मसीही क़ौम के सुधार के लिए विशेष नूर (आध्यात्मिक ज्ञान) प्रदान किया गया है इसलिए इसी औचित्य से मेरा नाम भी इब्न-ए-मरयम रखा गया है'' किन्तु दूसरी तरफ दूसरे धर्मों के मानने वालों के सुधार के लिए केवल وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ **(व इज़रूसुलो उक़्क़ितत)** (अलमुरसलात रुकू 1) के शब्द प्रयोग किए गए हैं अर्थात्

आख़िरी युग में रसूल (बुरूज़ी रंग में एक ही व्यक्तित्व के अंदर) जमा किए जाएँगे।''

मगर दूसरी ओर मुसलमानों के सुधार का काम भी एक अत्यन्त ज़रूरी काम था इसलिए इस पहलू के लिहाज से आने वाले का नाम ''मुहम्मद'' और अहमद भी रखा गया क्योंकि मुसलमानों के सुधार के काम में उस मसीह मौऊद ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का प्रतिरूप होना था।

मसीह मौऊद और महदी एक ही हैं

हज़रत मसीह नासिरी की वफात (मृत्यु) और उससे सम्बन्ध रखने वाले सवालात के बाद अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं अर्थात् क्या मसीह मौऊद और महदी एक ही हैं या भिन्न-भिन्न? अत: जानना चाहिए कि यद्यपि आजकल मुसलमानों में आमतौर पर यह अनुमान किया जाता है कि मसीह और महदी दो अलग-अलग वजूद हैं परन्तु अगर ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो सिद्ध हो जाता है कि यह बात ग़लत है और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ़ है, किन्तु इस बहस में पड़ने से पहले यह सारांश बता देना ज़रूरी है कि महदी के सम्बंध में मुसलमानों की तरफ से क्या-क्या विचार प्रकट किए गये हैं। ध्यान रहे कि महदी के सम्बन्ध में हदीसों में इस क़दर मतभेद और प्रतिकूलता है कि पढ़ने वाले की अक़्ल चक्कर में आ जाती है और फिर मतभेद भी केवल एक बात में नहीं बल्कि प्राय: हर एक बात में हैं। उदाहरणतया महदी की नस्ल के मामले में इतना मतभेद है कि 'ख़ुदा की पनाह' एक समूह कहता है कि महदी हज़रत फातिमा की संतान में से होगा किन्तु इस समूह की भी आगे तीन शाखायें हो जाती हैं। कुछ कहते हैं कि वह इमाम हसन की संतान से जन्म लेगा और कुछ कहते हैं कि इमाम हुसैन की सन्तान में से होगा और तीसरी शाखा का दावा है कि महदी इमाम हसन और हुसैन दोनों की सन्तान में से होगा अर्थात् यदि मां हसनी होगा तो बाप हुसैनी होगा या अगर बाप हसनी

होगा तो मां हुसैनी होगी। फिर एक और समूह का कहना है कि महदी हज़रत फ़ातिमा की सन्तान से नहीं होगा बल्कि हज़रत अब्बास(रज़ि॰) की संतान से होगा और कुछ कहते हैं कि महदी हज़रत उमर(रज़ि॰) की सन्तान में से होगा। फिर कुछ हदीसें हमें बताती हैं कि महदी के लिये किसी ख़ास क़ौम की शर्त नहीं बल्कि उसके लिये केवल यह शर्त है कि वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होगा। इसके अतिरिक्त महदी और उसके बाप के नाम के बारे में भी मतभेद है कुछ हदीसें उसका नाम मुहम्मद बताती हैं और कुछ अहमद और कुछ ईसा। बाप का नाम सुन्नियों के निकट अब्दुल्लाह होगा किन्तु शिया कहते हैं कि हसन होगा। इसी प्रकार महदी के प्रकट होने की जगह के बारे में भी मतभेद है। फिर इसी प्रकार इस बात में भी मतभेद है कि महदी कितने साल दुनिया में काम करेगा। तात्पर्य यह है कि महदी के विषय में आम तौर पर हर एक बात में मतभेद पाया जाता है और फिर मज़े की बात यह कि विभिन्न समूह अपने दावे के समर्थन में हदीसें भी पेश करते हैं। (देखो हिजजुल किरामा - लेखक नवाब सिद्दीक हसन खां) अत: ऐसी हालत में महदी के बारे में जो हदीसें आई हैं इन सब को सही नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी ''सहीहैन'' में महदी के बारे में कोई अध्याय नहीं रखा क्योंकि उन्होंने इन हदीसों में से किसी को भी विश्वसनीय नहीं समझा। इसी तरह कुछ बाद में आने वाले विद्वानों ने भी महदी के बारे में सभी हदीसों को अविश्वसनीय (अग्राह्य) माना है और स्पष्ट लिखा है कि महदी के बारे में जितनी रिवायतें हैं उनमें से कोई भी रिवायत (वर्णन) आलोचना से ख़ाली नहीं। (देखो - हिजजुल किरामा)

अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होता है कि इस मतभेद का कारण क्या है? अत: जहां तक हमने सोचा है इसकी कुछ वजह तो यह है कि यद्यपि एक महदी का ख़ास तौर पर वादा है मगर दरअसल आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने साधारणतया कई महदियों की ख़बर दी थी, जिन्होंने भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न हालात के अनुसार प्रकट

होना था। इसलिये उन कथनों में मतभेद होना ज़रूरी था केवल ग़लती यह हुई कि आम लोग इन रिवायतों को एक ही व्यक्ति के बारे में समझने लग गये। हालांकि वह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के बारे में थीं। इसके अतिरिक्त यह भी बिल्कुल सत्य है और हम इस पर गवाह हैं कि हर एक क़ौम और समूह की इच्छा होती है कि सब भलाइयाँ अपनी ही ओर मन्सूब कर ले। अत: जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह भविष्यवाणी की कि मेरी उम्मत में से एक महदी पैदा होगा तो बाद में सब क़बीलों और फिरक़ों को यह अभिलाषा पैदा हुई कि मौऊद महदी हम में से ही पैदा हो। फिर यह कि सब लोग संयमी और ख़ुदा तरस नहीं हुआ करते। कुछ व्यक्तियों ने ऐसी हदीसें अपने आप बना लीं जिनसे यह प्रकट हो कि महदी उन्हीं की क़ौम से होगा। यही कारण है कि महदी के विषय में इतना मतभेद पैदा हुआ है परन्तु वे हदीसें जो महदी को किसी विशेष क़ौम से नहीं बतातीं बल्कि केवल यह बताती हैं कि वह उम्मते मुहम्मदिया का एक सदस्य हैं वे अवश्य इस योग्य हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए क्योंकि उन्हें बनावटी समझने का कोई कारण नहीं क्योंकि महदी के बारे में किसी को क्या आवश्यकता थी कि वह यह हदीस बनाता कि महदी उम्मते मुहम्मदिया में से एक व्यक्ति होगा। हां बेशक जो हदीसें महदी को किसी ख़ास क़ौम के साथ सम्बंधित करती हैं उनके विषय में यह सन्देह हो सकता है कि वह बाद में बना ली गई हों।

अत: इस मतभेद के होते हुए हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम महदी को किसी विशेष जाति से न समझें बल्कि केवल इस बात पर ईमान रखें कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे महदी की भविष्यवाणी की है जो आप की उम्मत में से अन्तिम युग में होगा इसी में हमारी भलाई है और यही सतर्कता का मार्ग है क्योंकि यदि हम यह विश्वास रखें कि महदी हज़रत फ़ातिमा(रज़ि०) की संतान से होगा और अंत में वह हज़रत अब्बास(रज़ि०) की संतान से आ जाए तो हमारा यह विश्वास हमारे मार्ग में बड़ी रोक हो जाएगा और हम महदी पर ईमान

लाने से वंचित रह जाएँगे। इसी प्रकार यदि हम यह ईमान रखें कि महदी अब्बास(रज़ि०) की संतान में से होगा परन्तु वह हज़रत फ़ातिमा(रज़ि०) की संतान से पैदा हो जाए अथवा हज़रत उमर(रज़ि०) की संतान से ज़ाहिर हो जाए तो हम उस पर ईमान लाने से वंचित रह जाएँगे। सारांश यह कि और नहीं तो कम से कम अपना ईमान बचाने के लिए ही हमें चाहिए कि महदी को किसी खास क़ौम में से न ठहराएँ बल्कि केवल यह ईमान रखें कि महदी आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उम्मत में प्रकट होगा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवकों और आपका अनुसरण करने वालों में से होगा। ऐसा ईमान रखते हुए हम बिल्कुल अमन में होंगे और यदि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने महदी को किसी ख़ास क़ौम में से ही फ़रमाया है तो फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि किसी चीज़ का भाग हर हाल में सम्पूर्ण के अंदर शामिल होता है।

एक और बात भी याद रखने के योग्य है और वह यह कि यद्यपि महदी के नाम और उस के पिता के नाम के बारे में मतभेद है परन्तु फिर भी अधिकतर यही मत रहा है कि महदी का नाम मुहम्मद होगा और महदी के पिता का नाम अब्दुल्लाह होगा और वास्तव में इस के समर्थन में जो रिवायतें हैं वे भी ख़ाली नहीं परन्तु रिवायत के सिद्धान्तानुसार दूसरे कथनों से अधिक प्रमाणित हैं। अत: यदि हम इस बात को बेहतर समझें तो इन्साफ़ के विपरीत नहीं। लेकिन इस अवस्था में भी हज़रत मिर्ज़ा साहिब के दावा पर कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता क्योंकि सूर: जुमा की आयत وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ **(व आख़रीना मिनहुम)** से पता चलता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आखिरी युग में एक और क़ौम की भी रूहानी तरबियत फरमाएंगे जिस का यह मतलब है कि आखिरी युग में आप का एक समरूप भेजा जाएगा जो आप के रंग में रंगीन हो कर एक जमाअत की तरबियत करेगा। अत: हम कहते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने महदी का नाम मुहम्मद और उस के पिता का नाम अब्दुल्लाह इस लिए बयान

फ़रमाया ताकि इस बात की ओर इशारा हो कि महदी कोई अपनी अलग पहचान नहीं रखता बल्कि वह आपका वही प्रतिरूप है जिस की सूर: जुमा में भविष्यवाणी की गई है। सारांश यह कि महदी के नाम के विषय में मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह के शब्द प्रयोग करने से यह बताना उद्देष्य न था कि उसका नाम और पता बताया जाए बल्कि यह ज़ाहिर करना उद्देष्य था कि महदी का आना मानो मेरा ही आना होगा और महदी का वजूद मानो मेरा ही वजूद है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के शब्द भी इसी ओर इशारा करते हैं क्योंकि हदीस में यह नहीं आया कि महदी का नाम मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह होगा बल्कि आप के शब्द यह हैं :-

يواطئ اسمهٗ اسمی و اسم ابیه اسم ابی مشکوٰۃ باب اشراط الساعة

अर्थात् महदी का नाम मेरा नाम होगा और महदी के पिता का नाम मेरे पिता का नाम होगा।

अत: बात करने का यह ढंग ही आप के मतलब को ज़ाहिर कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि महदी के वंश के बारे में ज़्यादा सही कथन यह है कि वह अहले बैत[1] में से होगा और शेष कथन इस के मुकाबले पर कम स्तर के हैं परन्तु इसे भी ठीक मानने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब ''आखरीना मिनहुम'' वाली आयत उतरी तो सहाबा के प्रश्न करने पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहो अन्हो की पीठ पर हाथ रख कर फ़रमाया था

لو کان الایمان عند الثریّا لناله رجل من ھٰؤلاء۔

(بخاری کتاب التفسیر' تفسیر سورۃ جمعه)

अर्थात् ''यदि ईमान संसार से उठ कर सुरय्या[2] सितारे पर भी चला

1. अहले बैत-आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के खानदान को अहले बैत कहते हैं मगर महदी के लिए जो अहले बैत के शब्द प्रयोग किए गए हैं तो इस का अभिप्राय यह है कि वह रूहानी तौर पर आप के ख़ानदान में से होगा ।
2. सुरय्या सितारा : अरब लोग सुरय्या सितारे को बहुत ऊँचा समझते थे और किसी

गया तो फिर भी इन फारिस वालों (ईरानियों) में से एक व्यक्ति उसे वहां से उतार लाएगा'' अभिप्राय यह है कि आप ने महदी को सलमान की क़ौम से क़रार दिया जो फ़ारसी मूल थे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि अहज़ाब की जंग के अवसर पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सलमान के विषय में फरमाया कि :-

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ۔(طبرانی کبیر و متدرک حاکم)

(सलमानो मिन्ना अहलल बैत)

(तिबरानी कबीर व मुस्तदरक हाकिम 7)

अर्थात् सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। अत: महदी के विषय में ''अहले बैत'' का शब्द भी हज़रत मिर्ज़ा साहिब के दावा के मुख़ालिफ़ नहीं बल्कि आप के समर्थन में है और यह एक गूढ़ रहस्य है जो भूलना नहीं चाहिए कि मौऊद महदी अपने वंश की दृष्टि से 'फ़ारस वाला' (ईरानी) भी रहा जैसा कि सही हदीस से साबित है और 'अहले बैत' भी हो गया जैसा कि साधारणतया रिवायतें (हदीसें) बताती हैं।

इस के अतिरिक्त हम देखते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मसीह व महदी के विषय में फ़रमाया है कि :-

يُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ۔

(युदफ़नो मइया फ़ी क़ब्री)

(मिश्कात, किताबुलफ़ितन बाब नुज़ूल ईसा इब्न-ए-मरयम)

अर्थात् ''वह मेरे साथ मेरी क़ब्र में दफ़्न होगा'' इस से भी इसी रूहानी एकता की ओर संकेत करना अभिप्राय था अन्यथा नऊज़ोबिल्लाह यह सोचना कि किसी दिन आप की क़ब्र उखाड़ी जाएगी और उस में मसीह व महदी को दफ़्न किया जाएगा एक मूर्खतापूर्ण ख़्याल है जिसे कोई सच्चा और स्वाभिमानी मुसलमान एक सैकण्ड के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकता। अत: सच्चाई यही है कि इन सब कथनों में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस बात की ओर संकेत किया है कि महदी आप का समरूप होगा और उसका आना मानो आप ही का आना होगा।

चीज़ के बहुत दूर चले जाने पर उदाहरण के तौर पर ब्यान करते थे ।

इस प्रारम्भिक नोट के पश्चात् हम अल्लाह के फ़ज़ल से यह साबित करते हैं कि महदी और मसीह अलग-अलग अस्तित्व नहीं रखते बल्कि एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं जो दो भिन्न-भिन्न पदों के कारण उसे दिए गए हैं। पहली बात जो हमें यह बताती है कि मसीह और महदी एक हैं वह महदी शब्द का मफ़हूम (सार) है और यह भी कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने महदी के शब्द को संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया बल्कि एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। महदी के अर्थ हैं ''हिदायत दिया हुआ'' और कुछ हदीसों से पता लगता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस शब्द को उन लोगों के लिए भी प्रयोग किया है जो मौऊद महदी नहीं हैं। उदाहरणतया अपने खलीफ़ाओं के विषय में आप ने फ़रमाया :-

اَلْخلفاءالراشدین المھدیّین۔(ابوداؤدو ترمذی)

(अल खुलफ़ाउर्राशिदीनल महदीय्यीना) (अबू दाऊद, तिरमिज़ी)

अर्थात् : ''मेरे ख़लीफ़े महदी हैं'' इस से पता चला कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सब खलीफ़े ही महदी हैं। अत: मसीह मौऊद क्योंकि सर्वमाान्यता के अनुसार रसूल के ख़लीफ़ाओं में एक विशेष मुक़ाम रखता है इस लिए वह सब से बड़ा महदी हुआ और जो सब से बड़ा महदी है वही मौऊद महदी है क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कथन के अनुसार आप के सब खलीफ़े महदी हैं तो ज़रूरी तौर पर महदी मौऊद वही होगा जो इन में से ख़ास तौर पर मौऊद है। अत: प्रमाणित हुआ कि यद्यपि और लोग भी महदी हैं परन्तु इन में से जो विशेष है वही मसीह है।

फिर हदीस में लिखा है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि :-

کَیْفَ تھلك اُمّۃ انا اوّلھا وعیسی ابن مریم اٰخرھا۔

(کنزالعمال جلد7 صفحہ203)

अर्थात् : ''वह उम्मत किस तरह नष्ट होगी जिस के आरम्भ में मैं हूँ

और अंत में मरयम का पुत्र ईसा।'' पुन: फ़रमाया :-

خیر ھٰذہ الامّۃ اولھا واٰخرھا اوّلھا فیھم رسول اللہ واٰخرُھا فیھم عیسیٰ بن مریم و بین ذلک فیج اعوج لیسوا منّی ولستُ منھم۔

(کنز العمال جلد 7 صفحہ 202)

अर्थात् ''इस उम्मत में सब से अच्छे लोग वे हैं जो इस के आरम्भ और अंत में हैं। आरम्भ वालों में रसूले ख़ुदा है और अंत वालों में मरयम का पुत्र ईसा है और दोनों के मध्य में पथभ्रष्ट लोग हैं जो मुझ में से नहीं और न मैं उन में से हूँ।''

अब यदि वह महदी जिस के आने का आख़िरी दिनों में वादा दिया गया है मसीह से अलग अस्तित्व रखता है तो चाहिए था कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मसीह और महदी दोनों के सम्बंध में बताते कि वह दोनों आखिरी दिनों में ज़ाहिर हो कर मेरी उम्मत (क़ौम) की देखभाल करेंगे परन्तु ऐसा नहीं किया गया बल्कि केवल मसीह का नाम लिया गया जिस से ज़ाहिर है कि मसीह और महदी एक ही हैं। इसीलिए केवल मसीह का शब्द बोल देने को ही काफ़ी समझा गया। विचार करना चाहिए कि जैसा कि कहा जाता है महदी ने इमाम होना था और मसीह ने उस का अनुसरण करना था तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि उम्मत की सुरक्षा का उल्लेख करते हुए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनुसरण करने वाले का ज़िक्र तो कर दिया परन्तु इमाम को बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर देखो दूसरी हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम केवल दो समूहों को[1] हिदायत प्राप्त और अच्छे लोग

1. इन्हीं दो समूहों की ओर क़ुर्आन शरीफ़ सूर: जुमा में संकेत करता है जहाँ ख़ुदा तआला फ़रमाता है :-

هُوَالَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ۔

अर्थात् ख़ुदा ही है जिस ने अरब के अनपढ़ लोग में एक रसूल भेजा जो ख़ुदा

घोषित करते हैं। एक वह जिन्होंने स्वयं आप से शिक्षा पाई। दूसरे मसीह मौऊद के अनुयायी परन्तु महदी के अनुसरण करने वालों का उल्लेख नहीं करते अपितु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन दो क़ौमों के बीच फैज आ'वज़ है अर्थात पथभ्रष्ट लोग हैं। अत: प्रमाणित हुआ कि महदी, मसीह से अलग व्यक्तित्त्व नहीं अपितु वही है जिसे केवल दो हैसियतों के कारण दो नाम दे दिए गये हैं।

फिर इस से भी बढ़ कर यह कि हदीसों में जो काम मसीह मौऊद का बताया गया है उस से मिलते जुलते काम महदी के बताए गए हैं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि मसीह और महदी एक ही हैं। इस के अतिरिक्त मसीह और महदी के हुलिये भी हदीस में एक बताए गए हैं।

(मुसनद अहमद बिन हम्बल)

अत: वे दो किस प्रकार हो सकते हैं? फिर हदीस में यह भी आता है कि यदि एक सच्चा ख़लीफ़ा मौजूद हो और उसी समय कोई दूसरा ख़िलाफ़त का दावा करे तो क़त्ल कर दो। अर्थात् जंग की सूरत हो तो मुक़ाबला कर के उसे मार दो वरना उसे मुर्दों की तरह समझ कर उस से बिल्कुल सम्बंध तोड़ लो। अब इस शिक्षा के होते हुए दो ख़लीफ़ाओं का अस्तित्व एक समय में किस प्रकार मान लिया जाए? इस्लामी शिक्षा के अनुसार एक समय में एक ही खलीफ़ा होता है और बाक़ी उस के अनुयायी होते हैं। अत: यह भी इस बात का सबूत है कि मसीह और म हदी दो पृथक पृथक वुजूद नहीं होंगे बल्कि यह दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जो आखिरी ज़मानों में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का खलीफा होगा। यहां तक तो हमने दलीलों से काम लिया है लेकिन अब हम एक ऐसी हदीस पेश करते हैं जिस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर फ़रमा दिया है कि मसीह और महदी एक ही

की आयतें उन पर पढ़ता है और उनको पवित्र करता है और उन्हें किताब और हिकमत (अक़्लमंदी की बातें) सिखाता है यद्यपि वह इस से पहले खुले तौर पर गुमराही में पड़े थे तथा एक और बाद में आने वाली क़ौम भी है जिस की यह रसूल (अपने एक बुरूज़ प्रतिरूप के द्वारा) रूहानी तर्बियत करेगा ।

व्यक्ति हैं। आप फ़रमाते हैं ''लल्महदी इल्ला ईसा'' (इब्ने माजा बाब शिद्दतुज़्ज़मान) अर्थात् हज़रत ईसा के सिवा और कोई महदी मौऊद नहीं है। देखो कैसे साफ़ और रोशन शब्दों में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का फैसला कर दिया है कि मसीह और महदी अलग-अलग नहीं हैं बल्कि मसीह मौऊद के सिवा और कोई महदी मौऊद है ही नहीं। जो व्यक्ति आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है वह तो इन शब्दों के सामने सर झुका देगा लेकिन जिस के दिल में टेढ़ापन है वह हज़ारों हुज्जतें निकालेगा परन्तु हमें इस से काम नहीं। हमारे मुख़ातिब सिर्फ़ वे लोग है जो रूहानी पाठशाला में यह सबक़ सीख चुके हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने अपना सर रख देना ही वास्तविक सौभाग्य है।

फिर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जो साफ़ शब्दों में मसीह मौऊद ही को इमाम महदी बताती है, जिस में आप फरमाते हैं :-

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ فِيْكُمْ اَنْ يَّلْقٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا
وَحَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ...الخ۔

(مسند احمد بن جنبل جلد 2 صفحه 411)

अर्थात् ''जो तुम में से उस वक़्त जिन्दा हुआ वह ईसा बिन मरयम को पायेगा जो इमाम महदी होंगे और हकम व अदल होंगे (अर्थात् इन्साफ़ करने वाले) और सलीब को तोड़ेंगे और सुअर को क़त्ल करेंगे।''

देखो इस हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कैसे साफ शब्दों में फ़रमाया है कि हज़रत ईसा ही इमाम महदी होंगे मगर आश्चर्य है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फर्मान पर ईमान लाने की वजह से आज हमें काफ़िर और धर्मभ्रष्ट कहा जाता है और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फरमान को रद्दी की तरह फैंक दिया जाता है। अफ़सोस सौ अफसोस!!

उपरोक्त प्रमाणों से यह बात पूर्णतः सिद्ध है कि मसीह और

महदी एक ही हैं मगर अब यह प्रश्न पैदा होता है कि जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने साफ़ शब्दों में फरमा दिया कि कथित महदी, मसीह मौऊद से अलग वजूद नहीं है तो फिर मुसलमान यह किस तरह मानने लग गये कि मसीह और महदी अगल अलग हैं। अत: इस का जवाब यह है कि साधारण मुसलमानों का यह विश्वास है कि मसीह नासरी आसमान पर ज़िन्दा उठा लिए गए थे और आख़िरी दिनों में फिर ज़मीन पर उतरेंगें। इस के मुकाबिले में महदी के बारे में यह सर्वमान्य अक़ीदः है कि वह मुसलमानों में से ही पैदा होगा। अत: जब तक मुसलमान इस ग़लत अक़ीदा पर कायम हैं कि मसीह नासिरी ही आसमान से उतरेंगे उस वक़्त तक यह बिल्कुल नामुमकिन है कि वह मसीह और महदी को एक वजूद मानें। हाँ अगर वह मसीह के बारे में सही अकीदे पर कायम हो जायेंगे और पहले मसीह नासिरी को मृत मान लें तब उन के लिए मसीह मौऊद और महदी को एक मान लेना बहुत आसान हो जायेगा लेकिन ज़मीन से पैदा होने वाले और आसमान से उतरने वाले को वह एक नहीं मान सकते। यह बात कि एक व्यक्ति को दो भिन्न-भिन्न नाम देने में क्या हिकमत थी। यह हम ऊपर बयान कर आयें हैं दोहराने की ज़रूरत नहीं। संक्षिप्त यह कि आने वाले ने भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत आना था जिन में सलीब का तोड़ना (ईसाईयों के सलीबी अकीदे का खंडन) और उम्मत मुहम्मदिया का सुधार दो बड़े उद्देश्य अभीष्ट थे। अत: सलीब तोड़ने वाला होने के लिहाज़ से वह ईसा मसीह कहलाया और मुसलमानों का सुधारक होने की हैसियत से उसने ''मुहम्मद महदी'' का नाम पाया।

कुछ लोग कहते हैं कि हदीसों में जो यह आया है कि मसीह के आने से पहले महदी दुनिया में मौजूद होगा और यह कि महदी इमामत करायेगा और मसीह उस के पीछे नमाज़ पढ़ेगा, इससे ज़ाहिर होता है कि महदी मसीह से अलग वुजूद रखता है मगर यह तर्क भी उचित नहीं क्योंकि जब दृढ़ प्रमाणों से यह बात साबित हो गई कि मसीह के ज़माने में कोई और महदी नहीं हो सकता तो यह बातें अपने ज़ाहिरी अर्थों में

स्वीकार योग्य न रहीं। अत: ज़रूर उन के कोई ऐसे अर्थ करने पड़ेंगे जो दूसरी स्पष्ट हदीसों के मुख़ालिफ़ न हों। अत: इस ख़याल को मद्दे नज़र रख कर देखा जाये तो कोई पेचीदगी नहीं रहती और वह इस तरह कि क्योंकि महदी के पद के लिहाज़ से आने वाला मौऊद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का मसील और बुरूज़ है और मसीहियत के पद के लिहाज़ से वह मसीह इब्न-ए-मरयम का मसील और बुरूज़ है। इसलिए इस बात में क्या शक़ है कि इस की महदवियत की सिफ्त मसीहियत की सिफ्त पर ग़ालिब है बस इस मफ़हूम को इस रंग में अदा किया गया है कि मानो महदी इमाम होगा और मसीह अनुयायी होगा। अर्थात् आने वाले मौऊद का मुक़ामे महदवियत उस के मुक़ामे मसीहियत के आगे-आगे होगा और उस की मसीहियत की विशेषता उस महदवियत की विशेषता का अनुसरण करेगी। महदी के पहले से मौजूद होने से यह मुराद है कि यह मौऊद मुसलिह अपने महदी के पद में पहले ज़ाहिर होगा और मसीहियत का दावा बाद में करेगा। अत: ख़ुदाई इरादे ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब से पहले सिर्फ़ चौहदवीं सदी के मुजद्दिद-ए-आज़म होने का दावा करवाया जो महदी का पद है। फिर इस के कई साल बाद मसीह मौऊद होने का दावा हुआ जिस की आँखें हों देखे।

उपरोक्त बयान से यह बात साबित हो गई कि पहली बात यह है कि महदी के बारे में रिवायतों का एक दूसरे से मेल न खाने वाला मतभेद प्रकट कर रहा है कि या तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनेक महदियों की पेशगोइयां (भविष्यवाणियाँ) की थीं जो बदक़िस्मती से एक शख़्स से सम्बन्धित समझ ली गई हैं और या इस बारे में कुछ हदीसें गलत और बनावटी हैं। हक़ीक़त यह है कि दोनों बातें ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। दूसरे यह बात साबित हो गई कि मसीह मौऊद के ज़माना में कोई अलग महदी नहीं होगा बल्कि मसीह और महदी का वादा एक ही वुजूद में पूरा होगा। इस के बाद महदी के बारे में सिर्फ़ एक बात समाधान के योग्य रह जाती है जिस का यद्यपि इस विषय से सम्बंध नहीं लेकिन चूँकि महदी मौऊद की पहचान के मार्ग

में वह एक बड़ी रोक है और उसके दूर हो जाने के बाद जहां तक महदी का तअल्लुक़ है कोई और कठिनाई बाक़ी नहीं रहती। इसलिए महदी की संक्षिप्त बहस को इसी जगह पूर्ण करने के लिए इस शंका का जवाब भी यहीं दर्ज किया जाता है।

यह सवाल ख़ूनी मेहदी से तअल्लुक़ रखता है अर्थात् क्या महदी मौऊद तलवार के साथ प्रकट होगा और काफ़िरों को क़त्ल करेगा या वह अमन के तरीक़े पर ज़ाहिर होगा और लोहे की तलवार से नहीं बल्कि तर्क की तलवार से इस्लाम को विजय दिलाएगा। हमारे ज़माने में मुसलमान कहलाने वालों में समान्यतः यही ख़्याल है कि महदी काफ़िरों के साथ तलवार से जिहाद करेगा यहाँ तक कि जिज़िया (टैक्स) भी क़बूल नहीं करेगा और या तो सब इन्कार करने वालों को मुसलमान होना पड़ेगा, और या वे तलवार के घाट उतार दिये जायेंगे, मगर हमारे ख़याल में यह एक निहायत झूठा और इस्लाम को बदनाम करने वाला ख़याल है।

महदी अलैहिस्सलाम तलवार का जिहाद नहीं करेंगे

इस बहस के लिए सब से ज़रूरी और उसूली बात यह है कि हम कुरआन शरीफ़ की शिक्षाओं पर नज़र डालें और देखें कि क्या वह धार्मिक मामलों में तलवार उठाने की इजाज़त देता है या नहीं? अर्थात् क्या इस्लामी शिक्षा के अनुसार यह उचित है कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाए? अगर इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम के अन्दर दाख़िल करो तो बेशक इस मसअले पर ग़ौर करना हमारा फ़र्ज़ होगा कि क्या महदी इस्लाम के लिए तलवार उठायेगा या केवल अमन से काम करेगा लेकिन यदि इस्लामी शिक्षा हमें साफ तौर पर यह बताए कि धर्म के मामले में ज़बरदस्ती उचित नहीं और तलवार के द्वारा लोगों को इस्लाम के अन्दर दाख़िल करना नाजायज़ है तो इस के साथ ही ख़ूनी महदी का मसला भी ख़ुदबख़ुद साफ़ हो जायेगा क्योंकि जब ज़बरदस्ती उचित ही नहीं तो ऐसा सुधारक किस तरह आ सकता है

जो लोगों को जबरदस्ती इस्लाम के अन्दर दाख़िल करे। अब जबकि हम क़ुरआन शरीफ पर नज़र डालते हैं तो वहाँ साफ़ लिखा हुआ पाते हैं कि لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ (सूरः बक़रा :257)

अर्थात – ''धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। इस आयत में अल्लाह तआला ने साफ़ फ़रमा दिया था कि... धर्म के मामले में ज़बरदस्ती करना जायज़ नहीं और चूँकि क़ुरआन शरीफ हर एक दावे के साथ दलील भी देता है इसलिए इस के साथ ही फ़रमाया कि ज़बरदस्ती इसलिये जायज़ नहीं कि हिदायत और गुमराही खुली खुली चीज़ें हैं और हर एक व्यक्ति जो ठण्डे दिल से ग़ौर करे वह हिदायत को देख कर स्वीकार कर सकता है। स्पष्ट है कि ज़बरदस्ती की ज़रूरत उसी जगह पेश आती है कि जहाँ कोई शिक्षा अधूरी हो और अपनी ख़ूबी के ज़ोर से लोगों के दिलों के अन्दर घर न कर सके लेकिन क़ुरआन शरीफ की शिक्षा तो (सुबहानल्लाह) ऐसी साफ और रौशन है कि ज़रा से चिन्तन द्वारा इन्सान सत्य को पा सकता है इसलिए उसके स्वीकार कराने के लिए जबरदस्ती का ढंग किसी तरह भी उचित नहीं समझा जा सकता है। इसके अलावा गौर करो कि तलवार के ज़ोर से लोगों को इस्लाम के अन्दर दाख़िल करने का यह अर्थ है कि हम साफ शब्दों में इक़रार करते हैं नऊज़ुबिल्लाह, इस्लाम झूठा है या कम से कम यह कि इस्लाम इस ख़ूबी का मज़्हब नहीं कि ख़ुद ब ख़ुद लोगों को अपनी सच्चाई मनवा सके तभी तो ज़बरदस्ती की ज़रूरत पेश आ सकती है।

फिर यह भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्ती की हुकूमत सिर्फ इन्सान के शरीर तक सीमित रहती है उस के द्वारा इन्सान की रूह और विचारों पर क़ाबू नहीं पाया जा सकता मगर धर्म दिल के विचारों से सम्बंध रखता है और यद्यपि कर्म भी इसके अन्दर शामिल हैं मगर कर्म के लिये यह ज़रूरी है कि वे मन की प्रेरणा से पैदा हों वरना अगर वे किसी बाहरी आकर्षण के कारण प्रकट हों और दिल उन के साथ सहमत न हो तो ऐसे कर्म हरगिज़ धर्म का हिस्सा नहीं समझे जा सकते बल्कि उन्हें म

ज़्हब के साथ कोई भी संबंध नहीं। उदाहरणतया ख़ुदा के हुज़ूर सज्द: करना नेक कर्मों में से है लेकिन अगर कोई शख्स बाज़ार में चलता हुआ ठोकर खाकर मुँह के बल जा गिरे तो यद्यपि ज़ाहिरी सूरत इस की सज्द: करने वाले की सी होगी लेकिन मज़्हब के अनुसार वह ख़ुदा के हुज़ूर सज्द: करने वाला नहीं समझा जायेगा क्योंकि सज्द: के साथ दिल की प्रेरणा और नीयत शामिल नहीं बल्कि यह सूरत सिर्फ़ किसी बाहरी प्रभाव के कारण पैदा हो गई है। अत: ज़ाहिरी हरकतें वही मज़्हब के अन्दर शामिल समझी जा सकती हैं जो दिल की नीयत के साथ हों। यही वजह है कि सरवरे क़ायनात सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि :

''इन्नमल् आ'मालो बिन्नियात'' (बुख़ारी)

अर्थात् सच्चे कर्म वही हैं जिन के साथ दिल की नीयत शामिल हो'' वरना अगर नीयत नहीं तो अमल भी कोई अमल नहीं। अत: साबित हुआ कि यह कदापि सम्भव नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम के अन्दर या किसी और मज़्हब के अन्दर दाख़िल किया जाये क्योंकि मज़्हब तो कहते ही हैं उस भावना और व्यवहार को जिस के साथ ज़बान का इक़रार और दिल का समर्थन हो और यह बात ज़बरदस्ती के नतीजे में पैदा नहीं हो सकती। अत: मालूम हुआ कि ज़बरदस्ती किसी शख़्स को किसी धर्म के अन्दर दाख़िल कर लेना सम्भव नहीं है। इसी कारण ख़ुदावन्द करीम ने फ़रमाया है कि :-

أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (सूर: माइद:, आयत 93) अर्थात - हमारे रसूल का तो सिर्फ़ यह काम है कि लोगों तक हमारा संदेश खोल कर पहुँचा दे।'' आगे मानना न मानना लोगों का काम है इस से रसूल को गर्ज़ नहीं। रसूल का काम केवल ठीक ढंग से अपनी रिसालत को पहुँचा देना है और बस।

एक अन्य तर्क से भी जबरदस्ती का सिद्धांत ग़लत साबित होता है वह यह कि इस्लाम ने निफाक़ को सख़्त नफ़रत के योग्य काम कहा है और मुनाफिक़ की सज़ा को काफ़िर से भी ज़्यादा सख़्त रखा है। जैसा कि क़ुरआन शरीफ फ़रमाता है :-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

(सूर: निसा, रुकू 21)

अर्थात – ''मुनाफ़िक़ लोग दोज़ख़ के सबसे सख़्त भाग में डाले जायेंगे।'' मगर ज़ाहिर है कि ज़बरदस्ती के नतीजा में मुनाफ़िक़ पैदा होता है न कि सच्चा मोमिन। फिर इस्लाम ज़बरदस्ती की इजाज़त किस तरह दे सकता है ?

अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि जब क़ुरआन शरीफ खुले शब्दों में तलवार के द्वारा लोगों को इस्लाम के अन्दर दाख़िल करने से मना फ़रमाता है और मज़्हबी कार्यों में ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं देता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने क्यों तलवार उठाई ? यह एक सवाल है जो इस अवसर पर ज़रूर दिल में पैदा होता है। इस का वास्तविक जवाब पाने के लिए हमें चाहिये कि क़ुरआन शरीफ की इस आयत पर नज़र डालें जिस में सबसे पहले मुसलमानों को तलवार उठाने की इजाज़त दी गई थी। ख़ुदा तआला फ़रमाता है :-

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ

(सूर: हज :52)

अर्थात – ''उन लोगों को लड़ने की इजाज़त दी जाती है जिन के ख़िलाफ़ इन्कार करने वालों की ओर से तलवार उठाई गई है क्योंकि उन पर ज़ुल्म किया गया है और बेशक अल्लाह उन की मदद करने में समर्थ है। हाँ वही मज़्लूम जो बिना किसी उचित कारण के अपने घरों से निकाले गए केवल इस बात पर कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब्ब है और अगर अल्लाह तआला लोगों को प्रतिरक्षात्मक जंग की इजाज़त दे कर एक को दूसरे के हाथ से न रोकता तो फिर खानक़ाहें (आश्रम) और गिर्जे और उपासना करने के स्थान और मस्जिदें जिन में ख़ुदा का बहुत

नाम लिया जाता है वे सब एक दूसरे के हाथों गिरा दिये जाते।''

यह वह आयत है जिस ने सबसे पहले मुसलमानों को काफ़िरों के मुक़ाबिले पर लड़ने की इजाज़त दी। अब देख लो कि इस आयत में अल्लाह तआला ने कितने स्पष्ट रूप में लड़ाई की वजह बयान फ़रमाई है जो यह है कि फित्ना दूर हो कर मज़्हबी आज़ादी पैदा हो और यह भी साफ़ तौर पर फ़रमा दिया है कि मुसलमानों ने पहल नहीं की बल्कि जब काफ़िरों (इन्कार करने वाले) ने उन के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और उन पर तरह-तरह के ज़ुल्म किए और उन्हें उन के घरों से निकाल दिया तब इस फ़साद को दूर करने के लिए अल्लाह तआला ने उन्हें इजाज़त दी कि तुम भी इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ तलवार उठाओ। तेरह साल तक मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और अत्यन्त धैर्य के साथ हर प्रकार के कष्ट झेले। आख़िरकार मक्का छोड़ कर मदीना की ओर हिजरत कर गये ताकि किसी प्रकार मक्का के काफ़िरों की शरारतों से अमन में आ जायें मगर ये लोग फिर भी मुसलमानों को तकलीफ़ देने से बाज़ न आये बल्कि मदीना पर जा कर चढ़ाई की तब हर तरह मजबूर हो कर मुसलमानों को भी तलवार उठानी पड़ी। बस यह सरासर झूठ है कि मुसलमानों ने लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए तलवार उठाई बल्कि सच यह है कि उन्होंने तो मुसीबतें बर्दाश्त करने का वह नमूना दिखाया कि इतिहास इसका उदाहरण पेश नहीं कर सकता। अत: इस से बढ़ कर क्या ज़ुल्म होगा कि इस्लाम की तरफ ज़बरदस्ती और सख़्ती को मन्सूब किया जाये। मुसलमानों ने तो इस्लाम के आरम्भ में जो कुछ किया वह फ़साद को दूर करने के लिए किया और इस बात के लिए कि मज़्हबी आज़ादी स्थापित हो जाये और लोग जिस मज़हब को दिल से उचित समझें उसे खुल्लम खुल्ला क़ुबूल करें। हाँ बेशक़ बाद में जब आरम्भ की लड़ाइयों के नतीजे में एक इस्लामी सल्तनत क़ायम हो गई तो कई बार मुसलमानों को सियासी तौर पर भी जंग करनी पड़ी या कई बार उन को इस लिए तलवार उठानी पड़ी ताकि वे ऐसे देशों में तब्लीग़-ए-इस्लाम का रास्ता खोलें जिन में मज़हबी आज़ादी न होने के कारण इस्लाम

की तब्लीग़ का दरवाज़ा बन्द था और लोगों को इस्लाम क़ुबूल करने से ज़बरदस्ती रोका जाता था लेकिन सहाबा ने कभी भी किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। अतः क्या वह तअज्जुब की बात नहीं कि महदी के आने का उद्देश्य ही यह समझा जाता है कि वह सारी दुनिया को जबरदस्ती मुसलमान करता फिरेगा। क्या ऐसे महदी का आना इस्लाम के लिए गौरवपूर्ण हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं बल्कि गौरव तो यह है कि इस्लाम को तर्क की शक्ति और रूहानी प्रभाव के द्वारा सभी धर्मों पर विजयी साबित किया जाए। इस्लाम की खूबियाँ लोगों के सामने रखी जायें और यह बताया जाये कि इस्लाम ही वह ज़िन्दा मज़्हब है जो अपनी सच्चाई के इतने अधिक तर्क रखता है कि यदि ख़ुदा का ख़ौफ़ दिल में रख कर इस पर विचार किया जाये तो सम्भव ही नहीं कि इन्सान पर इस की सच्चाई छुपी रह सके।

उपरोक्त तर्कों से यह बात सूर्य की तरह रौशन हो जाती है कि इस्लामी शिक्षा के अनुसार हरगिज़ कोई ऐसा महदी नहीं आयेगा जो आते ही लड़ना शुरू कर दे और लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करता फिरे। ग़ौर करो कि क्या महदी इस्लामी शिक्षा का पाबन्द नहीं होगा? क्या उसके ज़माने में इस्लामी शरीअत निष्क्रिय कर दी जायेगी? जब यह नहीं और महदी ने इस्लाम के सेवक के रूप में ही प्रकट होना है तो फिर इस्लाम की इस स्पष्ट शिक्षा के होते हुए कि मज़्हब के बारे में ज़बरदस्ती जायज़ नहीं वह काफ़िरों के ख़िलाफ़ किस तरह तलवार उठायेगा। अगर वह ऐसा करेगा तो यकीनन वह सुधारक नहीं होगा बल्कि इस्लाम की शिक्षा को बिगाड़ने वाला ठहरेगा और फ़साद को दूर करने के स्थान पर ख़ुद फ़साद करने वाला बन जायेगा। फिर यह बात भी विचार करने वाली है कि जब यह साबित हो चुका है कि मसीह और महदी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं तो महदी किस तरह तलवार उठा सकता है जब कि मसीह के सम्बंध में साफ शब्दों में आता है कि वह जंग को समाप्त करने वाला होगा जैसा कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि :-

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ لَیُوْ شِکَنَّ اَنْ یَّنْزِلَ فِیْکُمْ اِبْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدْلًا فَیَکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ وَیَضَعُ الْحَرْبَ۔

(बुख़ारी मुजतबाई, मौलवी अहमद अली साहब वाली, भाग-2, बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरयम व नीज़ फत्हुल बारी, भाग 6)

अर्थात - ''क़सम है मुझे उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है कि वह समय आने वाला है कि जब तुम में इब्न-ए-मरयम फैसला करने वाले और न्याय करने वाले के रूप में अवतरित होगा। वह सलीब को तोड़ेगा और सूअर को क़त्ल करेगा और जंग को स्थगित कर देगा।

देखो इस हदीस ने किस प्रकार स्पष्ट रूप से बता दिया कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना तो दूर की बात महदी तो जंगों के सिलसिले को स्थगित करने वाला होगा मगर हमारे मुसलमान भाई फिर भी कुरआन शरीफ की शिक्षा के ख़िलाफ जंग करने वाले महदी की राह देख रहे हैं। इन सभी तर्कों से स्पष्ट है कि कोई जंग करने वाला महदी नहीं आयेगा बल्कि अगर कोई आयेगा तो अमन और सुलह से काम करने वाला आयेगा लेकिन यहाँ एक शक पैदा होता है और वह यह कि जब इस्लाम मज़्हब के बारे में ज़बरदस्ती की शिक्षा नहीं देता और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने किसी ख़ूनी महदी की खबर नहीं दी तो मुसलमानों में यह धारणा किस प्रकार आ गयी ? अत: इस का जवाब यह है कि दुर्भाग्य से आम लोगों का यह तरीक़ा है कि वे भविष्यवाणियों के ज़ाहिरी शब्दों पर जम जाते हैं और उनके अन्दरूनी और वास्तविक पहलू को बिल्कुल छोड़ देते हैं उदाहरणतया पाठकों से यह बात छुपी नहीं कि बनी इस्राईल से यह वादा था कि जब उन में मसीह ज़ाहिर होगा तो वह एक यहूदी हुकूमत की बुनियाद डालेगा (ज़करिया 9/10) लेकिन जब मसीह नासिरी ने मसीहियत का दावा किया तो यहूद ने देखा कि वह एक कमज़ोर आदमी है जिस का कोई साथी नहीं है जिसने किसी सल्तनत की बुनियाद नहीं डाली बल्कि अमन के साथ रूमी सल्तनत के अधीन अपनी पैग़म्बरी का प्रचार करने लग गया। ज़रा यहूदियों की मायूसी का अन्दाज़ा लगाओ वे एक ऐसे व्यक्ति

का इन्तज़ार कर रहे थे जिसने उन्हें बादशाहत के तख़्त पर बिठाना था और एक बड़ी यहूदी सल्तनत का संस्थापक होना था लेकिन जब मसीह आया तो उसने क्या किया ? ख़ुद उसी के शब्द सुनिये - ''लोमड़ियों के लिए भट और हवा के परिन्दों के वास्ते बसेरे हैं। पर इब्न-ए-आदम के लिए जगह नहीं जहाँ अपना सर धरे।

(मती अध्याय 8, आयत 20)

ठीक इसी तरह मुसलमान एक जंग करने वाले महदी के मुन्तज़िर हैं जो काफ़िरों को क़त्ल करेगा और एक महान इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखेगा लेकिन जिस तरह बनी इस्राईल की सब उम्मीदों पर पानी फिर गया इसी तरह इन के साथ मामला होगा क्योंकि ख़ुदा और रसूल के वचन के ख़िलाफ़ उम्मीद रख कर कोई व्यक्ति मुराद को नहीं पहुँच सकता।

असल में बात यह है कि भविष्य में आने वाले सुधारक की आध्यात्मिक उच्चता को ज़ाहिर करने के लिए और उस की उन्नतियों और लोगों के विरोध की पूरी रूप रेखा लोगों के दिलों पर जमाने के लिए कभी-कभी जंगी परिभाषा को रूपक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोग अज्ञानता के कारण ऐसी बातों के ज़ाहिरी अर्थों पर जम जाते हैं और फिर उन के अनुसार आने वाले की परीक्षा करते हैं, वे और भी अन्धे हो जाते हैं जबकि वह एक सांसारिक बादशाह के प्रकट होने में अपना लाभ देखते हैं। एक शांति से काम करने वाला सुधारक क्या बना सकता है ? वह न तो उन की आर्थिक हालत ठीक कर सकता है और न ही राजनैतिक तौर पर उन की हालत सुधार सकता है परन्तु एक योद्धा नबी बड़ी आसानी के साथ उन की ख़ाली जेबों को भर सकता है और उन को देश में अधिकारी बना सकता है। इस लिए उन को क्या आवश्यकता पड़ी कि इन हरे-भरे बाग़ों से निकल कर झाड़ीदार रास्तों में पाँव रखें लेकिन वे इतना नहीं सोचते कि अल्लाह तआला की तरफ से आने वाले सुधारकों का असल काम रूहानी सुधार है। अत: यदि वे आते ही तलवार उठा लें तो उन के भेजे जाने का उद्देश्य

ही व्यर्थ हो जाता है। अत: कथित महदी के विषय में कुछ हदीसों में जंगी परिभाषा का प्रयोग किया जाना इस बात को ज़ाहिर नहीं करता कि महदी एक सांसरिक जरनैल के तौर पर ज़ाहिर होगा बल्कि उन से केवल यह मतलब है कि महदी ख़ुदाई निशानों और करामतों के साथ भेजा जाएगा और वह इस्लाम की सच्चाई में ऐसे शक्तिशाली तर्क पेश करेगा जिन से विरोधियों पर मानो मौत आ जायेगी। इस के अतिरिक्त इन का और कोई मतलब नहीं चाहो तो क़ुबूल करो।

अब हम उन दो ग़लत धारणाओं को दूर कर चुके हैं जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब के दावे के रास्ते में सामान्य लोगों के लिए एक ख़तरनाक ठोकर बन रही हैं अर्थात् हम अल्लाह के फ़ज़ल से यह साबित कर चुके हैं कि हज़रत मसीह नासरी ज़िन्दा नश्वर शरीर के साथ आसमान पर नहीं गये बल्कि ज़मीन पर ही रहे और ज़मीन पर ही फ़ौत हो गये और यह कि वह मसीह जिस के आने का वादा दिया गया था वह इसी उम्मत में से है अर्थात आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सेवकों में से एक सेवक है और कोई बाहर का आदमी नहीं है। दूसरे हम यह साबित कर चुके हैं कि मसीह मौऊद के ज़माना में कोई अलग महदी मौऊद नहीं होगा बल्कि मसीह और महदी एक ही हैं। केवल दो भिन्न-भिन्न हैसियतों से दो अलग-अलग नाम दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी हमने अच्छी तरह साबित कर दी है कि यह एक झूठा ख़याल है कि महदी मौऊद काफिरों से तलवार की जंग करेगा और दुनिया में अकारण ख़ून की नहरें बहाएगा बल्कि सच यह है कि उस की तलवार तर्क की तलवार होगी और उसकी जंग रूहानी जंग होगी और वह अमन के साथ काम करेगा और तर्क के ज़ोर से इस्लाम को विजयी करेगा। इन बातों के तय करने के बाद अब हम असल बहस को लेते हैं और वह यह कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम का जो यह दावा है कि मैं कथित मसीह और महदी मौऊद हूँ यह दावा कहाँ तक सही और दुरुस्त साबित होता है।

وماتوفیقی الاباللہ العظیم۔

मसीह व महदी की निशानियाँ

पहले हम निशानियों की बहस को लेते हैं अर्थात कुरआन व हदीस से मसीह मौऊद व कथित महदी के बारे में जिन निशानियों का पता चलता है उन के मुताबिक़ हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम के दावे को परखते हैं।

वर्णित निशानियों के विषय में एक कुधारणा का निवारण

अत: जानना चाहिये कि मसीह मौऊद की निशानियों के बारे में बहुत सी बातें आई हैं लेकिन इस मामले में कुछ लोगों ने एक ख़तरनाक गलती खाई है जिसने इस बहस विवाद खड़ा कर दिया है और वह ग़लती यह है कि जो निशानियाँ हदीसों में क़यामत के क़रीब होने के विषय में बयान हुई हैं उन सब को मसीह मौऊद की निशानियाँ समझ लिया गया है जो एक स्पष्ट गलती है क्योंकि पहली बात तो यह ज़रूरी नहीं कि जो निशानियाँ क़यामत या ''साअत'' की वर्णन की गई हैं वही मसीह मौऊद की भी निशानियाँ हों। बेशक़ ख़ुद मसीह मौऊद को ''साअत'' अर्थात् क़यामत की निशानी कहा गया है लेकिन यह हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि क़यामत की सब अलामतें मसीह मौऊद के ज़माना में ही ज़ाहिर हों, बल्कि सम्भव है कि कुछ निशानियाँ मसीह मौऊद के प्रकट होने से पहले, कुछ उसी समय प्रकट हों और यह भी सम्भव है कि कुछ बिल्कुल क़यामत के निकट ही ज़ाहिर हों। बेशक ख़ुद मसीह मौऊद क़यामत की निशानी है लेकिन क़यामत की सब निशानियों को मसीह मौऊद के वक्त में तलाश करना सख़्त ग़लती है क्योंकि वह इस की निशानियाँ नहीं बल्कि केवल क़यामत के क़रीब होने की निशानियाँ हैं जिन में से कुछ मुमकिन है कि क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर हों। दूसरे यह कि कुछ लोग हर जगह जहाँ हदीसों में 'साअत' या 'क़यामत'

का शब्द आया है इस से क़यामत कुबरा (बड़ी क़यामत) समझने लग जाते हैं। मगर यह भी एक ख़तरनाक ग़लती है। बात यह है कि 'साअत' और 'क़यामत' का शब्द अरबी भाषा में क़यामत कुबरा (बड़ी क़यामत) के लिए खास नहीं है बल्कि यह शब्द हर बड़े इन्क़िलाब के सम्बंध में भी प्रयोग किया जाता है। इस लिहाज़ से खिलाफ़ते राशिदा के ज़माना में उठने वाले फित्ने भी 'साअत' थे, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत भी एक 'साअत' थी, बनू उमय्या की तबाही भी एक साअत (क़यामत) थी, बग़दाद और बनू अब्बास की तबाही भी एक बड़ी 'क़यामत' और 'साअत' थी, स्पेन से मुसलमानों का निकाला जाना भी एक साअत थी। और इसी तरह इस्लामी इतिहास के सब बड़े-बड़े इन्क़िलाब क़यामतें हैं। हदीसों में जो 'साअत' की निशानियाँ बताई गई हैं वे सब कयामते कुबरा के संबंध में नहीं हैं बल्कि कुछ उन मध्य युग में आने वाली क़यामतों के बारे में भी हैं अर्थात् कोई हदीस किसी 'साअत' के संबंध में है तो कोई किसी और के संबंध में और कुछ निशानियाँ बड़ी क़यामत के संबंध में भी हैं। यह एक ऐसी स्पष्ट हक़ीक़त है कि जो व्यक्ति ज़रा भी विचार करे और इस्लामी इतिहास को ध्यान में रखे वह इस का इन्कार नहीं कर सकता क्योंकि कुछ निशानियों ने दरमियान में ज़ाहिर हो कर इस हक़ीक़त पर अमलन तसदीक़ की मुहर लगा दी है इन परिस्थितियों में हमारा सब से पहला कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि हम विचार करें और उन निशानियों को तलाश करें जो मसीह व महदी के ज़माने या व्यक्तित्व की विशेष निशानियाँ हैं।

मसीह व महदी की दस मोटी-मोटी निशानियाँ

क़ुर्आन शरीफ और हदीसों से मसीह मौऊद व महदी माहूद की जो मोटी-मोटी निशानियाँ साबित होती हैं जिन्हें लगभग हर मुसलमान थोड़ा बहुत जानता है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

1. मसीह मौऊद का ज़माना ऐसा होगा जिसमें यातायात के साधन

बहुत विकसित हो जाएँगे और मानो सारी दुनिया एक देश बन जाएगी। नए-नए प्रकार की सवारियाँ निकल आएँगी और ऊँट की सवारी त्याग दी हो जाएगी और किताबों पत्रिकाओं अखबारों इत्यादि का प्रकाशन अत्यधिक संख्या में होगा। भौतिक ज्ञानों की उन्नति होगी और कई नए और गुप्त ज्ञान प्रकट हो जाएँगे और नदियों और समुद्रों को फाड़ फाड़कर नहरें बनाई जाएँगी और यातायात के साधनों में असाधारण तरक़्क़ी होगी इत्यादि इत्यादि।

2. वह ज़माना ऐसा होगा कि सलीबी मज़हब (ईसाई धर्म) उसमें बड़े ज़ोरों पर होगा।

3. उस ज़माने में दज्जाल निकलेगा। जिसका उपद्रव दुनिया के सारे अगले और पिछले उपद्रवों से बड़ा होगा।

4. उस ज़माने में याजूज माजूज (तात्पर्य यूरोप और अमेरिका व रूस) अपने पूरे ज़ोर में ज़ाहिर होंगे और संसार के अच्छे-अच्छे भागों पर काबू पा लेंगे और कौमें एक-दूसरे के विरुद्ध उठेंगी।

5. धर्म के लिए वह ज़माना एक बड़े उपद्रव का ज़माना होगा और हर तरफ भौतिकता और नास्तिकता छायी हुई होगी। उस ज़माने में इस्लाम बहुत कमज़ोर हालत में होगा और मुस्लिम उलमा की हालत बहुत शर्मनाक होगी और इस्लाम में बहुत से मतभेद पैदा हो जाएँगे और अक़ीदे बिगड़ जाएँगे और लोगों के कर्म खराब हो जाएँगे और ईमान दुनिया से उठ जाएगा और बाह्य तौर पर भी इस्लाम चारों ओर से दुश्मनों के हमलों से घिरा होगा।

6. मसीह मौऊद के ज़माने में रमज़ान के महीने में निर्धारित तिथियों में चाँद और सूरज दोनों को ग्रहण लगेगा।

7. उसके ज़माने में दाब्बतुल अर्ज़ (अर्थात ज़मीनी कीड़ा तात्पर्य प्लेग) निकलेगा।

8. मसीह मौऊद दमिश्क से पूर्व की ओर एक सफेद मीनार पर उतरेगा।

9. उसका हुलिया यह होगा कि वह गेहुएँ रंग का होगा और उसके

बाल सीधे और लम्बे होंगे।

10. मसीह मौऊद सलीब को तोड़ेगा और खिंजीर (सूअर) को क़त्ल करेगा और दज्जाल को मार देगा और इस्लाम को विजयी करेगा और उसके ज़माने में सूरज पश्चिम से चढ़ेगा और मसीह मौऊद तमाम् आन्तरिक एवं बाह्य मतभेदों में हकम व अदल बनकर सच्चा-सच्चा निर्णय करेगा और खोया हुआ ईमान दुनिया में फिर से क़ायम कर देगा और लोगों को बहुत अधिक (रूहानी) धन देगा, परन्तु दुनिया उसके धन को स्वीकार नहीं करेगी। (देखो क़ुरआन मजीद, हदीसें व तफ़्सीरें)

ये वे दस बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं जो मसीह मौऊद व महदी माहूद और उसके ज़माना के बारे में क़ुरआन शरीफ़ और आँहरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों से साबित होती हैं।

अब हम इन दस निशानियों को अलग-अलग सामने रखकर हज़रत मिर्ज़ा साहिब की सच्चाई को परखते हैं ताकि सच और झूठ में अन्तर स्पष्ट होकर सत्याभिलाषी को फैसले की राह मिले।

पहली निशानी:- यह निशानी क़ुरआन शरीफ़ की उन आयतों से पता चलती है जहाँ ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि :-

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔

(सूरह तकवीर 81:5,6,7,8)

अर्थात क़यामत के निकट होने और मसीह मौऊद के पैदा होने की यह निशानी है कि उस ज़माने में ऊँटनियों की सवारी समाप्त हो जाएगी अर्थात नई-नई और अच्छी एवं तेज़ रफ़्तार सवारियाँ निकल आने के कारण ऊँटनियों की सवारी छोड़ दी जाएगी और नदी एवं समुद्र फाड़े जाएँगे अर्थात उनको फाड़-फाड़कर नहरें बनाई जाएँगी और पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ बड़ी संख्या में प्रकाशित होंगी। अर्थात छापाखानों का आविष्कार होकर अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं और किताबों के प्रकाशन का काम बहुत फैल जाएगा और भिन्न-भिन्न देशों के लोग आपस में

घुल-मिल जाएँगे अर्थात साधनों की इतनी अधिकता होगी कि पुराने ज़मानों की तरह ऐसा नहीं रहेगा कि कौमें अलग-अलग रहें बल्कि मेल-जोल की अधिकता के कारण सारी दुनिया मानो एक ही देश हो जाएगी।

इसके समर्थन में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस भी है, फ़रमाते हैं :-

لیترکن القلاص فلا یُسعیٰ علیہا۔

(صحیح مسلم جلد 2)

अर्थात ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएँगी और उन पर सवारी न की जाएगी।

फिर एक दूसरी जगह क़ुरआन शरीफ़ में अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا۔

(सूरह अल-ज़िलज़ाल 99:3)

अर्थात आख़िरी ज़माने में ज़मीन अपने तमाम् छिपे हुए बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी और भौतिक ज्ञानों की अधिकता होगी।'' इत्यादि इत्यादि।

अब देख लो कि इस ज़माने में यह निशानी कितनी स्पष्टता से पूरी हुई है। नई-नई सवारियाँ जैसे रेल, मोटर, जहाज़, हवाई जहाज़ फिर डाक तार विभाग, बेतार बर्क़ी एवं टेलीफोन और टेलीविज़न, रेडियो, नहरें और फिर अधिकता के साथ किताबों, पत्रिकाओं तथा अखबारों का प्रकाशन, फिर छापाखानों, टाइप व शार्ट हैन्ड के आविष्कार इत्यादि ने किस तरह सारी दुनियाँ को एक कर रखा है और धर्म के प्रसार के काम को कैसा आसान कर दिया है, और रेल एवं मोटर ने ऊँटनियों इत्यादि को व्यवहारिक दृष्टि से बेकार कर रखा है। अरब के देश में भी रेल पहुँच चुकी है संभव है कि मक्का और मदीना के बीच भी जहाँ तक लम्बी यात्रा का सम्बन्ध है रेल जारी होकर ऊँटनियों से सफर को बिल्कुल समाप्त कर दे जैसा के अधिकतर दूसरी जगहों में

उसने कर दिया है। वस्तुत: यह निशानी इस ज़माने में इस स्पष्टता के साथ पूरी हुई है कि किसी बुद्धिमान के निकट किसी प्रकार का कोई सन्देह शेष नहीं रहता। इस पर अल्लाह बहुत बहुत प्रशंसा इसी तरह इस ज़माने में भौतिक ज्ञानों की भी जो अधिकता है उसका उदाहरण किसी पहले युग में नहीं मिलता।

स्मरण रखना चाहिए कि अवश्य था कि मसीह मौऊद के प्रादुर्भाव के लिए ऐसा ही ज़माना चुना जाता। क्योंकि मसीह मौऊद का ज़माना धर्म के प्रसार व प्रचार का ज़माना है। अत: उसके ज़माने में प्रकाशन के सामानों का उपलब्ध होना बहुत आवश्यक था ताकि वह और उसकी जमाअत सरलतापूर्वक प्रचार-व-प्रसार का कर्तव्य अदा कर सके।

दूसरी निशानी:- मसीह मौऊद के ज़माने की दूसरी पहचान यह बताई गई थी कि उस ज़माने में सलीबी मज़हब का बड़ा ज़ोर होगा, अर्थात ईसाई बड़े ज़ोरों पर होंगे। क़ुरआनी संकेतों के अलावा हदीस शरीफ़ में भी मसीह मौऊद के काम के बारे में स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि يكسر الصّليب (देखो बुख़ारी व दीगर कुतुब हदीस) अर्थात ''मसीह मौऊद सलीब को तोड़ देगा।'' जिससे पूरी तरह साबित होता है कि वह ऐसे ज़माने में आएगा कि उस समय सलीबी मज़हब बड़े ज़ोर में होगा। तभी तो वह उसके मुकाबले में उठकर उसको तोड़ेगा। वर्ना ईसाइयत का वजूद तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी था मगर आप स.अ.व. के बारे में कसर-ए-सलीब का शब्द नहीं आया। अत: सिद्ध हुआ कि सलीब के तोड़ने से अभिप्राय यह है कि पहले सलीबी मज़हब ज़ोरों पर हो और फिर कोई व्यक्ति उसका ज़ोर तोड़कर उसे इस्लाम के मुकाबले पर पराजित कर दे। अब देख लो कि इस ज़माने में सलीबी मज़हब का कितना ज़ोर है यहाँ तक कि चारों ओर उसी मज़हब के अनुयायी दिखाई देते हैं और उन्होंने सारी दुनिया में अपने मज़हब के प्रचार व प्रसार का एक बड़ा जाल फैला

रखा है। अत: सिद्ध हुआ कि यही वह ज़माना है जिसमें मसीह मौऊद को अवतरित होना चाहिए। कस्रे सलीब की व्याख्या के सन्दर्भ में हम आगे चलकर बहस करेंगे। इस जगह केवल यह बताना उद्देश्य है कि मसीह मौऊद के ज़माने की यह एक निशानी बयान की गई थी कि उस समय ईसाई मज़हब का ज़ोर होगा। अत: यह ज़माना इस निशानी को पूरी तरह प्रकट कर चुका है और यही तात्पर्य था।

तीसरी निशानी:- मसीह मौऊद की तीसरी निशानी यह बयान की गई है कि उस ज़माने में दज्जाल का खुरूज होगा। हदीस शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ि. को संबोधित करके फ़रमाया कि :-

مامن نبّی الاقد انذر اُمّته الاَعور الکذاب اَلَا اِنّه اعُور و انّ ربّکم لیس باعُور۔ مکتوبٌ بین عینیه کَ۔ فَ۔ رَ۔ وفِی روایة وانّه یجئُ معه بمثل الجنة والنّار فالّتی یقول انّھا الجنّة ھی النّار۔ وَفِی روایة انّ الدّجّال یخرج وانّ معه ماءً و ناراً فامّا الّذی یراه النّاسُ ماءً فنار تحرق واما الّذی یراهُ النّاس ناراً فماءٌ باردٌ وعذبٌ۔ وانّ الدّجّال ممسوحُ العین علیھا ظفرةٌ غلیظةٌ مکتوبٌ بین عینیه کافرٌ یقرَأهُ کُلُّ مؤمن کاتب وغیر کاتب۔ وفی روایةٍ انّ الدّجال اغور العین الیمنٰی فمن ادرکه منکم فلیقرأ علیه فواتح سورة الکھف فانّھا جوارکم من فتنته۔ وفی روایةٍ ویامُرُ السّماءَ فَتَمْطُرُ وَیَأمر الارض فتبِتُ ویمرّ بالخربة فیقول لھا اخرجی کنوزك فتتبعه کنوزھا۔ وفی روایةٍ یقول الدّجّال ارأیتم ان قتلتُ ھذا ثم احییتهٗ ھل تشکّون فی الامر فیقولون لا فیقتله ثم یحییهِ وَفی روایةٍ ان معه جبل خبزٍ ونھر ماءٍ۔ وفی روایةٍ یخرج الدّجّال علٰی حمارٍ اقمَرَ ما بین اُذنیهِ سبعون باعاً (मिशकात किताब अल फितन व गैराहु)

अर्थात कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल

(एक आँख वाले अति झूठे) से न डराया हो। सचेत और होशियार होकर सुन लो कि वह एक आँख वाला है मगर तुम्हारा रब्ब एक आँख वाला नहीं। उस काना दज्जाल की दोनों आँखों के मध्य ''क फ र'' लिखा होगा और एक रिवायत में है कि वह अपने साथ स्वर्ग और नर्क की मिसाल लाएगा। मगर जिस चीज़ को स्वर्ग कहेगा वह वस्तुत: नर्क होगी और एक रिवायत में है कि दज्जाल निकलेगा और उसके साथ पानी और आग होंगे। परन्तु वह चीज़ जो लोगों को पानी दिखाई देगी वह वस्तुत: जलाने वाली आग होगी और वह चीज़ जिसे लोग आग समझेंगे वह ठण्डा और मीठा पानी होगा और दज्जाल की एक आँख बैठी हुई होगी और उस पर खून की एक बड़ी गाँठ सी होगी और उसकी आँखों के मध्य काफिर लिख हुआ होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा चाहे व लिखा पढ़ा हो या न हो और एक रिवायत में है कि दज्जाल दायीं आँख से काना होगा। अत: जब तुम में से कोई उसे पाए तो उस पर सूर: कहफ की प्रारम्भिक आयतें पढ़ें, क्योंकि सूर: कहफ़ की प्रारम्भिक आयतें उसके फितने से तुम्हें बचाने वाली होंगी और एक रिवायत में है कि दज्जाल आसमान (अर्थात बादल) को हुक्म देगा कि पानी बरसा तो वह बरसाएगा और धरती को हुक्म देगा कि उगा तो वह उगाएगी और वीरान जगह पर से गुज़रेगा और उसे हुक्म देगा कि अपने खज़ाने बाहर निकाल, तो उसके खज़ाने बाहर निकलकर उसके पीछे हो लेंगे और एक रिवायत में है कि दज्जाल लोगों से कहेगा कि देखो यदि मैं इस व्यक्ति को क़त्ल कर दूँ और फिर जीवित कर दूँ तो क्या तुम मेरे काम में शक करोगे? लोग कहेंगे नहीं, फिर वह उसे मार देगा और फिर दोबारा ज़िन्दा कर देगा और एक रिवायत में है कि उसके साथ रोटियों का एक बड़ा पहाड़ होगा और पानी की एक बड़ी नहर होगी। और एक रिवायत में है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर ज़ाहिर होगा और वह गधा ऐसा होगा कि उसके दो कानें के बीच सत्तर हाथ की दूरी होगी।''

यह दज्जाल का विवरण है जो मैंने हदीस मिश्कात के विभिन्न वर्णनों से संक्षिप्त रूप से एकत्र करके एक जगह लिख दिया है। अब हमको देखना यह है कि यह दज्जाल कौन है और वह प्रकट हो गया है कि नहीं?

सर्वप्रथम हमें दज्जाल के शब्द पर विचार करना चाहिए ताकि ज्ञात हो कि अरबी भाषा में इस शब्द का क्या अर्थ है।

अत: जानना चाहिए कि अरबी भाषा में दज्जाल का शब्द छ: अर्थों में व्याप्त है।

1. दज्जाल का अर्थ कज़्ज़ाब अर्थात ''बहुत झूठा'' है।

2. दज्जाल का अर्थ ढक लेने वाली चीज़ के हैं। जैसा कि अरबी में कहते हैं कि ''दज्लुल बईर'' अर्थात उसने ऊँट के शरीर पर मेंहदी को इस तरह मला कि कोई जगह खाली न रही। अत: ताजुल उरूस शब्दकोष में लिखा है कि दज्जाल इसी रूट से निकला है। क्योंकि वह ज़मीन को इस तरह ढक लेगा जिस तरह मेंहदी सारे शरीर को ढक लेती है।

3. दज्जाल का अर्थ धरती पर भ्रमण करने वाला भी है। अत: कहते हैं कि دجل الرجل اذا قطع نواحی الارض سیراً۔ अर्थात ''दजलुर्रजुल'' के शब्द उस समय प्रयोग करते हैं जब किसी ने सारी धरती का भ्रमण कर लिया हो।

4. दज्जाल का अर्थ ''बहुत धनवान और खज़ानों वाला'' भी है। क्योंकि दज्जाल सोने को भी कहते हैं।

5. दज्जाल उस एक बड़े गिरोह को भी कहते हैं जो अपने लोगों की बहुतात से सम्पूर्ण धरती को ढक ले।

6. दज्जाल उस गिरोह को भी कहते हैं जो व्यापार के मालों को उठाए फिरे। (देखो ताजुल उरूस इत्यादि)

ये सारे अर्थ शब्दकोष की अत्यन्त प्रमाणित और मशहूर किताब ताजुल उरूस में लिखे हैं। इन अर्थों की दृष्टि से दज्जाल के अर्थ यह हुए :-

''एक बहुसंख्य क़ौम जिसका व्यवसाय-व्यापार हो और अपने व्यापार का सामान दुनिया में उठाए फिरे और जो बहुत मालदार और खज़ानों वाली हो और सारे संसार पर भ्रमण और यात्रा कर रही हो और हर जगह पहुँची हुई हो और मानो कोई जगह उससे बची न हो और धार्मिक दृष्टि से वह एक बहुत झूठी आस्था पर क़ायम हो।''

अब इस विवरण के साथ उस विवरण को मिलाओ जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में बयान हुआ है। जिसका सारांश ऊपर उल्लेख कर दिया गया है। तो बेधड़क तबीयत यह निर्णय करती है कि दज्जाल से पश्चिमी देशों की ईसाई कौमें तात्पर्य हैं। जो इस ज़माने में सारे विश्व में छा रही हैं और जिनमें उपरोक्त सारे लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। उनका एक आँख का होना, उनका भौतिकता में पूर्णरूप से डूब जाना है जिसने उनकी धर्म (आध्यात्मिकता) की आँख को बन्द कर रखा है। हाँ भौतिकता की आँख खूब खुली और चमकदार है। उनकी आँखों के मध्य काफिर का शब्द लिखा होने से तात्पर्य उनका मसीह के ख़ुदा मानने का ख़ुला-ख़ुला झूठा अक़ीदा है। जिसे हर सच्चा मोमिन चाहे व पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ जान सकता है और उनका धरती और आसमान में कब्ज़ा करना और ख़ज़ाने निकालना और ज़िन्दा करना और मारने इत्यादि से उनके नए-नए ज्ञान और विज्ञान इत्यादि की शक्तियों एवं राजनैतिक प्रभुत्व की ओर रुपक के तौर पर इशारा है। अन्यथा वास्तविक रूप से तो ये सब शक्तियाँ अल्लाह के हाथ में हैं और उनको अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से सम्बन्धित करना कुफ्र है। दज्जाल के साथ स्वर्ग और नर्क के होने से यह तात्पर्य है कि जो व्यक्ति उनके साथ हो जाता है और उनकी बात मानता है और उनके धर्म को स्वीकार करता है वह ज़ाहिरी तौर पर एक स्वर्ग में दाखिल हो जाता है। जबकि वास्तव में वह नर्क होता है। और जो व्यक्ति उनके बुरे विचारों से अलग रहता है उसको ज़ाहिरी तौर पर एक नर्क की तरह कष्ट सहन करना पड़ता है जबकि

वस्तुत: वह स्वर्ग होता है और उनके साथ रोटियों के पहाड़ और पानी की नहर का होना तो एक खुली-खुली चीज़ है जिसके व्याख्या की आवश्यकता नहीं, और दज्जाल का गधा जिसके दो कानों के मध्य की दूरी सत्तर गज़ है, से तात्पर्य असली गधा नहीं बल्कि रेल है जो पुराने ज़माने के सवारी वाले गधों की क़ायम मुक़ाम है और गधे के कानों से तात्पर्य ड्राईवर और गार्ड हैं जो रेल के दोनों किनारों पर तैनात होते हैं और कानों की बीच की दूरी से मानो रेल की लम्बाई तात्पर्य है जो औसतन सत्तर हाथ की हुआ करती है। अब देखो यह सारी बातें किस तरह पश्चिमी क़ौमों में पाई जाती हैं और यह जो कहा गया है कि दज्जाल आख़िरी ज़माने में निकलेगा तो इससे यह तात्पर्य है कि यद्यपि वह पहले से मौजूद होगा जैसा कि कई हदीसों में भी संकेत मिलता है। परन्तु पहले वह माना अपने देश तक की सभी होगा। लेकिन क़यामत के निकट वह पूरे ज़ोर के साथ बाहर निकलेगा और संसार पर छा जाएगा। अत: ठीक उसी तरह हुआ कि पश्चिमी क़ौमें पहले अपने देश में सोई पड़ी थीं परन्तु अब जाग कर पूरे विश्व में छा गई हैं।

यह कहना कि दज्जाल को तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक अकेले व्यक्ति के रूप में देखा था फिर वह एक जमाअत के रूप में किस तरह माना जा सकता है। यह एक व्यर्थ भ्रम है क्योंकि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये दृश्य कश्फ और स्वप्न की स्थिति में देखे थे। जैसा कि हदीस बुखारी के शब्द :-

بينما انا نائمٌ اطوف بالكعبة۔

(بخاری جلد دوم طبع مصری صفحہ171)

अर्थात ''मैंने सोते हुए स्वप्न में काबा शरीफ का तवाफ़ (परिक्रमा) करते हुए देखा।''

से स्पष्ट है, और स्पष्ट है कि स्वप्न सामान्यतया स्पष्टीकरण योग्य होता है। उसमें कई बार एक व्यक्ति दिखाया जाता है परन्तु तात्पर्य एक समूह होता है। उदाहरण के तौर पर सूर: यूसुफ में उल्लेख है कि

मिश्र के अज़ीज़ ने सात वर्षीय सूखे के बारे में सात दुबली गायें देखीं। जिसका स्वप्न फल जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहि. ने स्वयं बयान किया है जो यह था कि एक गाय एक साल के तमाम् चौपायों बल्कि समस्त जीवधारियों के क़ायम मुक़ाम थी और उसका दुबला होना सूखे को दर्शाता था, और सात दुबली गायों का होना सात वर्ष तक के सूखे को दर्शाता था। मानो एक गाय तमाम् पशुओं के क़ायममुक़ाम के तौर पर दिखाई गई। इसी तरह आँहज़त सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दज्जाल का दृश्य एक आदमी के रूप में दिखाया गया जो स्वप्नों की चित्रात्मक भाषा के ठीक अनुकूल है। बहर हाल हमारे इस दावे के प्रमाण, कि दज्जाल से तात्पर्य एक अकेले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहुसंख्य गिरोह अभीष्ट है जो इस ज़माने में मसीही क़ौम की दशा में प्रकट हुआ, यह हैं :-

1. शब्दकोष में दज्जाल एक बड़ी जमाअत को कहते हैं, अत: वह एक अकेले व्यक्ति नहीं हो सकता।

2. जो उपद्रव दज्जाल की ओर मंसूब किए गए हैं और जो शक्तियाँ उसमें बताई गई हैं उनका एक अकेले व्यक्ति में पाया जाना बुद्धि के अनुसार असंभावित बातों में से है।

3. दज्जाल का विवरण जिन शब्दों में बयान किया गया है उस पर ध्यान देने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस भविष्यवाणी में अलंकारिक तौर पर लाक्षणिक और रूपक शब्दों का समावेश है। अन्यथा दज्जाल में कई ख़ुदाई ताक़तें माननी पड़ती हैं।

4. दज्जाल से सम्बन्धित समस्त लक्षण व्यवहारिक रूप से ईसाई क़ौमों में पाए जाते हैं।

5. दज्जाल का फसाद सबसे बड़ा फ़साद बताया गया है और इधर हम देखते हैं कि ईसाई क़ौमों के भौतिकवाद और फलसफा (दर्शन) ने जो फित्ना आजकल पैदा कर रखा है। ऐसा फित्ना धर्म और ईमान के लिए न पहले कभी हुआ है और न भविष्य में कल्पना की जा सकती और सूर: फ़ातिहा के अध्ययन से भी सबसे बड़ा फ़ित्ना ईसाइयत का

ही फित्ना साबित होता है।

6. आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इब्नि सय्याद के सम्बन्ध में जो मदीना का एक यहूदी लड़का था और बाद में मुसलमान हो गया, दज्जाल होने का सन्देह किया था, बल्कि हज़रत उमर रज़ि. ने तो आप स.अ.व. की इस बात पर आप स.अ.व. के सामने क़सम खाई थी कि यही दज्जाल है और आप स.अ.व. ने उसको रद्द नहीं किया। (देखें मिश्कात बाब क़िस्सा इब्नि सय्याद)

हालाँकि इब्नि सय्याद में दज्जाल के सम्बन्ध में वर्णित लक्षणों में से बहुत से बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। जिससे पूर्णत: सिद्ध होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम भी इस भविष्यवाणी को लाक्षणिक रूप में समझते थे और सारे लक्षणों का प्रत्यक्ष एवं भौतिक तौर पर पाया जाना कदापि आवश्यक नहीं समझते थे।

7. आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि दज्जाल के फित्ने से बचने के लिए सूर: कहफ़ की प्रारम्भिक आयतें पढ़नी चाहिए। (देखो मिश्कात)। अत: अब हम उक्त सूर: की प्रारम्भिक आयतों पर नज़र डालते हैं तो वहाँ ईसाइयों के ग़लत विचारों के खण्डन के अतिरिक्त दूसरा कोई वर्णन नहीं पाते। अत: सूर: कहफ की प्रारम्भिक आयतें निम्नलिखित हैं :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۔ قَيِّمًا
لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۔ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۔ وَيُنذِرَ
الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۔ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۔ فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۔ إِنَّا
جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۔

(सूरह अल-कहफ़ 18:2-9)

अर्थात ''ख़ुदा ने अपने रसूल पर एक किताब उतारी है... यह किताब उन लोगों को डराने और सचेत करने के लिए उतरी है जो ख़ुदा का एक बेटा मानते हैं। यह बहुत बड़े फित्ना की बात और सरासर झूठ है।'' इत्यादि इत्यादि।

अब इससे बढ़कर इस बात का क्या सबूत होगा कि दज्जाल से तात्पर्य मसीही क़ौमें हैं जिन्होंने इस ज़माने में विशेष तौर पर ज़ोर पकड़ा है और सारी दुनिया पर छा गई हैं और इस दज्जाल की धोखेबाज़ी इनका भौतिकवाद और दर्शन और झूठे अक़ीदे हैं। जिसकी आँखें हो देखे। हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने अपने विरोधी मौलवियों को सम्बोधित करके एक जगह क्या खूब लिखा है कि नादानों! तुम दज्जाल को दुनिया का एक अनोखा व्यक्ति समझकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। मगर यहाँ तुम्हारी आँखों के सामने वे भयानक फित्ने और उपद्रव प्रकट हो रहे हैं कि तुम्हारे काल्पनिक दज्जाल के बाप को भी याद न होंगे। अत: समझो और सोचो।

8. मुस्लिम की एक हदीस में लिखा है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमीमदारी नामक एक सहाबी ने कश्फ या स्वप्न की स्थिति में दज्जाल को गिरजे में बँधा हुआ देखा था और उसने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह बात भी सुनाई थी। फिर आप स.अ.व. ने यह बात लोगों को भी सुनवाई थी।

(मुस्लिम जिल्द 2, बाब खुरूज दज्जाल)

अत: अब देख लो कि गिरजे से निकलने वाली कौन सी क़ौम है।

चौथी निशानी:- चौथी निशानी यह है कि याजूज माजूज अपनी पूरी ताक़त से ज़ाहिर होंगे और दुनिया के अधिकतर और अच्छे-अच्छे भागों पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे और क़ौमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठेंगी। अत: क़ुरआन शरीफ में लिखा है कि :-

حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتۡ يَاۡجُوۡجُ وَمَاۡجُوۡجُ وَهُمۡ مِّنۡ كُلِّ حَدَبٍ يَّنۡسِلُوۡنَ۔

(सूरह अल-अम्बिया 21:97)

फिर एक दूसरी जगह लिखा है कि :-

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔

(सूरह अल-कहफ़ 18:100)

अर्थात ''जब याजूज माजूज खोले जाएँगे और वे हर ऊँची जगह से दौड़ते हुए आएँगे और क़ौमें एक दूसरे के खिलाफ़ उठेंगी और उस समय एक सुर (बिगुल) फूँका जाएगा जो उन सबको एकत्र कर लेगा।''

इसी तरह हदीस में लिखा है :-

يبعث الله ياجوج وماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ۔

(मिशकात)

अर्थात ''आख़िरी ज़माने में अल्लाह तआला याजूज माजूज को इस दशा में निकालेगा कि वे हर ऊँची जगह से दौड़ते फिरेंगे।''

अब जानना चाहिए कि याजूज और माजूज से अंग्रेज़ और रूस तात्पर्य हैं जैसा कि बाइबिल में भी विस्तारपूर्वक इनका उल्लेख पाया जाता है (देखो किताब हिज़क़ील व मुकाशफ़ा) और याजूज माजूज के प्रभावशाली लक्षण भी इसी ओर संकेत करते हैं और अंग्रेज़ों के साथ उत्तरी अमेरिका के लोग भी शामिल हैं क्योंकि वे वस्तुत: उन्हीं का हिस्सा हैं। पहले यह क़ौमें कमज़ोर हालत में थीं। फिर ख़ुदा ने इनको तरक़्क़ी दी और इन्होंने दुनिया के अधिकतर हिस्सा को घेर लिया और बहुत ताक़तवर हो गये और इनकी यह सारी तरक़्क़ी मौजूदा ज़माने में हुई है पहले यह स्थिति न थी और इनका और दूसरी क़ौमों का एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़े होना एक खुली-खुली बात है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं और सुर (बिगुल) फूँकने से तात्पर्य मसीह मौऊद का प्रादुर्भाव है क्योंकि ख़ुदा के पैग़म्बर भी एक सुर अर्थात बिगुल की तरह होते हैं। जिनके द्वारा ख़ुदा दुनिया में अपनी आवाज़ को बुलन्द करता है और फिर उनके द्वारा लोगों को एक केन्द्र बिन्दु पर इकट्ठा

कर देता है। अत: अब भी अगर अल्लाह ने चाहा ऐसा ही होगा बल्कि हो रहा है लेकिन जिस तरह पहली रात का चाँद अधिकतर लोगों को दिखाई नहीं देता उसी तरह हर परिवर्तन प्रारम्भ में अधिकतर लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन धीरे-धीरे बढ़ते हुए चाँद की तरह चमकता जाता है। अत: ध्यानपूर्वक सोचो!

पाँचवीं निशानी:- पाँचवीं निशानी यह बताई गयी थी कि मसीह मौऊद के ज़माने में इस्लाम की हालत बहुत कमज़ोर होगी और अधर्म का बोलबाला होगा। मुसलमान यहूदियों की तरह हो जाएँगे और उनके उलमा (धर्मगुरुओं) की हालत बहुत खराब हो जाएगी और मुसलमानों में बहुत से मतभेद पैदा हो जाएँगे और ईमान दुनिया से उठ जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अत: आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْدَخَلُوْا جُحْرَضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوْهُمْ ۔ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ۔ قَالَ فَمَنْ وَفِيْ رِوَايَةٍ يَذْهَبُ الصّٰلِحُوْنَ وَيَبْقٰى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِالتَّمْرِ لَايُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاٰكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا ۔ قَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّ كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ ۔ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ ۔ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ يَكُوْنُ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لَّا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيٰطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ الزِّنَا وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ تَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ

وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ فَارِس۔

(مشکوٰۃ کتاب الفتن والشراط الساعۃ وغیرہ)

अर्थात हे मुसलमानो! तुम निश्चय ही अपने से पहले गुज़री हुई क़ौमों के पदचिन्हों पर पूरी तरह चलोगे। यहाँ तक कि यदि कोई पहली क़ौम गोह के बिल में भी दाखिल हुई होगी तो तुम भी ऐसा ही करोगे। सहाबा ने पूछा कि, हे अल्लाह के रसूल! क्या पहली क़ौमों से यहूदी और ईसाई तात्पर्य हैं? तो आप स.अ.व. ने फ़रमाया वे नहीं तो और कौन? इसके अतिरिक्त एक हदीस में लिखा है कि सदाचारी लोग गुज़र जाएँगे और केवल भूसा रह जाएगा। जिस तरह जौ या खजूर का भूसा होता है और अल्लाह ऐसे लोगों की बिल्कुल परवाह न करेगा। एक वर्णन में इस तरह है कि :- निकट है कि तुम्हारे विरुद्ध दूसरी क़ौमें एक दूसरे को मदद के लिए बुलाएँ जिस तरह खाने वाला अपने बर्तन की तरफ दूसरों को दावत देता है। अर्थात तुम दूसरों की खुराक बन जाओगे और वे एक दूसरे को तुम पर दावत देंगे। एक व्यक्ति ने पूछा हे अल्लाह के रसूल! क्या हम उस दिन थोड़े होंगे? और उस थोड़े होने के कारण हमारा यह हाल होगा? फ़रमाया नहीं बल्कि उस दिन तुम बड़ी संख्या में होगे, लेकिन उस झाग की तरह होगे जो सैलाब के बाद एक बरसाती नाले के किनारे पर पायी जाती है। अर्थात बिल्कुल रद्दी और लाभहीन हालत में होगे और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब मिटा देगा और तुम्हारे दिलों में कमज़ोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा कि कमज़ोरी से क्या तात्पर्य है? तो आप स.अ.व. ने फ़रमाया दुनिया की मुहब्बत और मौत का डर, अर्थात डरपोक होने के कारण नेक कामों से रुक जाना। एक हदीस में यह है कि मेरे बाद एक ज़माने में ऐसे उलमा पैदा होंगे जो मेरी हिदायत से हिदायत प्राप्त न करेंगे और मेरे तरीके पर नहीं चलेंगे और मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके दिल शैतानों के दिल होंगे पर शरीर आदमियों के से

होंगे। एक हदीस में है कि मेरी उम्मत के उलमा की यह हालत होगी कि वे आसमान के नीचे सबसे बदतरीन लोग होंगे। एक हदीस में यह है कि ज्ञान उठ जाएगा और अज्ञानता बढ़ जाएगी और व्यभिचार एवं शराबखोरी की अधिकता होगी। एक हदीस में यह है कि मसीह मौऊद के ज़माने में मुसलमानों की हालत ऐसी होगी कि संख्या में तो बहुत होंगे परन्तु दिल टेढ़े होंगे अर्थात न ईमान ठीक होगा न कर्म। एक हदीस में है कि मेरी उम्मत 73 (तिहत्तर) फ़िर्क़ों में बंट जाएगी और सब नर्क की राह पर होंगे सिवाय एक के, और वह जमाअत वाला फ़िर्क़ा होगा। एक हदीस में है कि ईमान दुनिया से उठ जाएगा अगर वह सुरय्या पर भी चला गया अर्थात दुनिया से बिल्कुल समाप्त हो गया तो फिर भी एक फारसी मूल का व्यक्ति उसे वापिस उतार लाएगा।''

यह वह नक्शा है जो सरवरे क़ाइनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत के इस आख़िरी गिरोह का खींचा है जिसमें मसीह मौऊद का पैदा होना मुक़द्दर (निर्णीत) है। अब पाठकगण स्वयं देख लें कि क्या इस ज़माने में मुसलमानों की हालत धार्मिक दृष्टि से इस नक्शे के अनुसार है या नहीं? हम दावे के साथ कहते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई ऐसा ज़माना नहीं आया कि जब मुसलमानों की हालत धार्मिक दृष्टि से ऐसी गिरी और खराब हुई हो जो इस ज़माने में है और यह एक ऐसी स्पष्ट बात है जिस पर किसी प्रमाण के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। कर्मों में आलसी होने के अलावा आस्थाओं में भी वह अन्धेर है कि मुसलमानों के 72 (बहत्तर) फ़िर्क़े हो रहे हैं जो एक-दूसरे से अक़ीदों में घोर विरोधी हैं और तो और ख़ुद ख़ुदा तआला की विशेषताओं के बारे में भी बड़ा मतभेद हो रहा है। फिर ईमान का यह हाल है कि 99% (निन्यानवे प्रतिशत) मुसलमान ऐसे हैं जिनके दिलों से ईमान पूर्ण रूप से उठ चुका है।

वे मुँह से तो कहते हैं कि ख़ुदा है पर वस्तुत: दिल में ख़ुदा के इन्कारी हैं और अन्दर ही अन्दर नास्तिकता का शिकार हो चुके हैं।

केवल दिखावटी तौर पर मुँह से कहते हैं कि ख़ुदा है लेकिन ज़रा कुरेद कर पूछो तो साफ मालूम होता है कि वे ख़ुदा की हस्ती के बारे में सैकड़ों भ्रमों में फँसे हुए हैं। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कल्याणकारी अस्तित्व के बारे में भी उनका ईमान किसी ठोस तर्क की चट्टान पर क़ायम नहीं। बल्कि केवल भावनात्मक रंग का है और मौत के बाद ज़िन्दा किए जाना, पुरस्कार एवं दण्ड, फ़रिश्तों का अस्तित्व इत्यादि को तो बिल्कुल ही काल्पनिक ठहरा दिया गया है।

फिर इबादत की वे राहें जिन पर चलने से पहलों ने ख़ुदा की चौखट तक पहुँच हासिल की थी नफरत और हेयदृष्टि से देखी जाती हैं। शिर्क, जिसके ख़िलाफ़ सारा क़ुरआन भरा पड़ा है मुसलमानों की चाल-चलन से खुला-खुला ज़ाहिर हो रहा है। रुपयों से मुहब्बत की जाती है और उस पर पूरा भरोसा किया जाता है। जो केवल ख़ुदा तआला पर करना चाहिए। क़ब्रों पर जाकर सज्दे किए जाते हैं। मद्यपान, व्यभिचार, जुआ और हरामख़ोरी अपने चरम पर है। ब्याज जिसके बारे में कहा गया है कि उसे लेने एवं देने वाला ख़ुदा तआला से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए माँ के दूध की तरह समझा गया है। मुसलमानों की सारी हुकूमतें कमज़ोर होकर खोखली हो चुकी हैं और मसीही हुकूमतें उनको अपना शिकार समझती हैं। दूसरी ओर इस्लाम का अस्तित्व स्वयं बाहरी हमलों का इतना अधिक शिकार हो रहा है कि मानो ऐसे लगता है कि यह आज नहीं या कल नहीं। नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अत्यन्त गन्दे आरोप लगाए जाते हैं। आप स.अ.व. की पवित्र धर्म पत्नियों को नाना प्रकार के आरोपों का निशाना बनाया जाता है। और इस्लामी शिक्षा को अत्यन्त घिनावने रूप में प्रस्तुत करके उस पर हँसी उड़ाई जाती है। सलीबी धर्म पूरे ज़ोर पर है और नास्तिकता अपने आपको खूबसूरत शक्ल में प्रस्तुत कर रही है। तात्पर्य यह कि इस्लाम की नैय्या एक ऐसे भयंकर तूफान के अन्दर घिरी हुई है कि जब तक ख़ुदा का हाथ उसके बचाने के लिए न बढ़े, उसका किनारे पर पहुँचना असम्भावित बातों में

से है। उलमा, जिनका कर्तव्य था कि ऐसे समय में इस्लाम की मदद के लिए खड़े होते, गहरी नींद में सोते हैं बल्कि इससे भी बढ़कर यह कि वे स्वयं हज़ारों दुराचारों में लिप्त हैं और उनके ईमानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चन्द पैसों के लिए ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। यह सारी परिस्थितियाँ पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि यही वह ज़माना है जिससे आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें डराया था और यही वह समय है जिसमें इस्लाम के महान सुधारक मसीह व महदी का आना मुक़द्दर है। क्योंकि यदि इतनी बड़ी आवश्यकता के समय भी अल्लाह तआला की ओर से कोई सुधारक प्रकट न हो तो फिर नऊज़बिल्लाह ख़ुदा का वह वादा ग़लत ठहरता है कि मैं क़ुरआन और इस्लाम की रक्षा करूँगा और दीन की खिदमत के लिए ख़लीफे और सुधारक खड़े करता रहूँगा।

छठी निशानी:- मसीह व महदी की छठी निशानी यह बयान की गई थी कि उसके ज़माने में निर्धारित तिथियों में चाँद और सूरज को ग्रहण लगेगा। अत: इमाम मुहम्मद बाक़र रज़ि. से रिवायत है कि :-

اِنّ لمھدینا اٰیَتَیۡن لم تکونا منذخلق السّمٰوٰت والارض ینکسف القمر لاوّل لیلۃ من رمضان وتنکسف الشّمس فی النصف منہ۔

(دارقطنی جلد اوّل صفحہ 881)

अर्थात हमारे महदी के लिए दो निशान निर्धारित हैं और जब से धरती और आकाश पैदा हुए हैं ये निशान किसी दूसरे अवतार के समय में प्रकट नहीं हुए। उनमें से एक यह है कि महदी माहूद के ज़माने में रमज़ान के महीने में चाँद को उसकी पहली रात में ग्रहण लगेगा (अर्थात तेरहवीं तिथि में क्योंकि चाँद के ग्रहण के लिए ख़ुदा के विधान में तेरहवीं चौदहवीं और पन्द्रहवीं तिथियाँ निर्धारित हैं जैसा कि विशेषज्ञों से छुपा नहीं) और सूरज को उसके बीच के दिन में ग्रहण लगेगा (अर्थात उसी रमज़ान के महीने में अट्ठाईसवीं तिथि को क्योंकि

सूर्य ग्रहण के लिए क़ानूने क़ुदरत में सत्ताईस, अट्ठाईस और उनत्तीस तिथियाँ निर्धारित हैं)।

अब सारी दुनिया जानती है कि 1311 हिजरी अर्थात 1894 ई. में यह निशान पूरी स्पष्टता के साथ पूरा हो चुका है। अर्थात 1311 हिजरी के रमज़ान में चाँद को उसकी रातों में से पहली रात में अर्थात तेरहवीं तिथि को ग्रहण लगा तथा उसी महीने में सूर्य को उसके दिनों में से बीच के दिन अर्थात अट्ठाईस तारीख को ग्रहण लगा और यह निशान दो बार प्रकट हुआ। पहले पृथ्वी के इस गोलार्द्ध में फिर अमेरिका में और दोनों बार इन्हीं तिथियों में हुआ जिनकी ओर हदीस इशारा करती है। और निशानी केवल हदीस ही ने नहीं बताई। बल्कि क़ुरआन शरीफ ने भी इसकी ओर इशारा किया है। जैसा कि फ़रमाया :-

وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔

(सूरह अल-क़याम: 75:9,10)

अर्थात ''चाँद को ग्रहण लगेगा और उस ग्रहण में सूरज भी चाँद के साथ शामिल होगा। अर्थात उसे भी उसी महीने में ग्रहण लगेगा।''

अब देखो किस स्पष्टता के साथ यह निशानी पूरी होकर हमें बता रही है कि यही वह समय है जिसमें महदी का प्रादुर्भाव होना चाहिए क्योंकि उसके प्रादुर्भाव की जो निशानी थी वह पूरी हो चुकी है।

कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं कि यह हदीस मरफ़ूअ नहीं (अर्थात आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक नहीं पहुँचती) बल्कि हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़र तक पहुँच कर रुक जाती है। दूसरे यह कि चाँद ग्रहण रमज़ान की पहली रात में और सूरज ग्रहण रमज़ान के मध्य में बयान किया गया है। जबकि वस्तुत: चाँद का ग्रहण तेरहवीं और सूरज का ग्रहण अट्ठाईसवीं तिथि में हुआ था। इन आरोपों का जवाब यह है कि नि:सन्देह यह हदीस देखने में मौक़ूफ़ है। लेकिन मुहद्दसीन के उसूल के अनुसार यह रिवायत उच्चस्तर की है। फिर यह भी तो देखो कि रावी (वर्णन करने वाला) कौन है? क्या वह आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार का चमकता हुआ मोती नहीं?

और यह बात भी सब लोग जानते हैं कि सामान्य तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार वालों का यह तरीका था कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण वे हदीस के सिलसिला को नाम-बनाम आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं समझते थे। यह आदत उनकी मशहूर और परिचित है बहरहाल यह हदीस हमने नहीं बनाई, बल्कि आज से तेरह सौ साल पहले की है।

दूसरे ऐतराज़ का जवाब यह है कि चाँद को महीने की पहली तिथि में और सूरज को मध्य में ग्रहण लगना, ख़ुदा की सुन्नत और कानूने क़ुदरत के ख़िलाफ है। क़ानूने क़ुदरत ने जो ख़ुदा का बनाया हुआ क़ानून है चाँद के ग्रहण को चाँद के महीने की तेरहवीं चौदहवीं और पन्द्रहवीं में और सूरज के ग्रहण को सत्ताईसवीं अट्ठाईसवीं और उन्तीसवीं में सीमित कर दिया है।

अत: पहली तारीख से आशय इन तारीखों में से पहली तथा बीच की तारीख से आशय इन तारीखों में से बीच की तारीख है न कि स्पष्ट तौर पर महीने की पहली और मध्य की तारीख अभिप्रेत हैं। इसका सबूत यह भी है कि महीने की शुरू की रातों का चाँद अरबी भाषा में ''हिलाल'' कहलाता है मगर हदीस में क़मर का शब्द है। जिससे साफ स्पष्ट है कि यहाँ प्रारम्भिक रात अभिप्रेत नहीं। इसके अलावा हमेशा से मुसलमान उलमा इन तारीखों के बारे में यही व्याख्या करते रहे हैं जो हमने इस जगह की है। अत: इस ज़माने में भी मौलवी मुहम्मद लखूके वाले ने इस निशान के प्रकट होने से पहले लिखा था कि :-

تیرھویں چند ستیھویں سورج گرھن ھوسی اس سالے
اندر ماہ رمضانے لکھیا ایہہ ایک روایت والے

(अनुवाद - अर्थात इस साल रमज़ान के महीने में तेरहवीं को चाँद ग्रहण और सत्ताईसवीं को सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा एक रिवायत करने वाले ने लिख दिया है। - अनुवादक)

इस छन्द में मौलवी साहिब ने ग़लती से अट्ठाईसवीं तारीख की जगह सत्ताईसवीं तारीख लिख दी है। परन्तु फिर भी उसूल वही अपनाया

है जो हमने ऊपर बयान किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाओं ने भी इस बात पर पुष्टि की मुहर लगा दी है कि पहली तिथि से तेरहवीं तारीख और बीच की तिथि से अट्ठाईसवीं तारीख तात्पर्य है।

तात्पर्य यह कि यह निशान ऐसे स्पष्ट तौर पर पूरा हुआ है कि किसी बहाने और तर्क-वितर्क की गुंजाइश शेष नहीं रही। अत: विश्वसनीय सूत्रों से सुना गया है कि जब यह निशान पूरा हुआ तो कुछ मौलवी साहिबान अपनी जाँघों पर हाथ मारते थे और कहते थे कि ''अब दुनिया गुमराह होगी अब दुनिया गुमराह होगी।'' यह भी عُلَمَآءُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ (अर्थात मसीह मौऊद के समय में उलमा दुनिया के सबसे बुरे लोग होंगे) का स्पष्ट प्रमाण है कि इधर ख़ुदा का निशान प्रकट हो रहा है और उधर मौलवी साहिबान को यह ग़म खाए जा रहा है कि यह निशान क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि लोग इससे हमारे फन्दे से निकलकर मिर्ज़ा साहिब को मानने लग जाएँगे। अफ़सोस सद् अफसोस!! हे मौलवियों के अभागे गिरोह! तुमने ख़ुदा के बहुत से सीधे-सादे लोगों को गुमराह कर दिया। तुम्हारे बहकावे में आकर लोगों ने देखते हुए भी न देखा तथा सुनते हुए भी न सुना एवं समझते हुए भी न समझा। ख़ुदा से डरो कि एक दिन उसके सामने खड़े किए जाओगे।

सातवीं निशानी:- सातवीं निशानी यह बताई गई थी कि मसीह मौऊद के जमाने में दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़ा) निकलेगा। जो लोगों को काटेगा और मोमिन और काफिर में फ़र्क़ कर देगा और मुल्क में चक्कर लगाएगा। अत: क़ुआन शरीफ में भी इसका उल्लेख मौजूद है। जहाँ ख़ुदा तआला फ़रमाता है :-

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔

(सूरह अल-नमल 27:83)

अर्थात ''जब (मसीह मौऊद के भेजने से) ख़ुदा का कथन उन पर पूरा हो जाएगा तो हम ज़मीन में से एक कीड़ा निकालेंगे जो लोगों को काटेगा और उन्हें ज़ख़्मी करेगा। यह इसलिए होगा कि लोग ख़ुदा के

निशानों पर ईमान नहीं लाएँगे।''

फिर हदीसों में भी अधिकता के साथ क़यामत के निकट प्रकट होने वाली निशानियों में से दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़ा) का वर्णन मिलता है। (देखो बुख़ारी और मुस्लिम) और यह बयान किया गया है कि मसीह मौऊद के ज़माने में एक कीड़ा निकलेगा जो मुल्क में चक्कर लगाएगा और मोमिनों और काफिरों में फ़र्क़ करता जाएगा।

अब देख लो कि प्लेग (महामारी) ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब के ज़माने में ज़ाहिर होकर इस निशानी को किस स्पष्टता के साथ पूरा कर दिया है। यह बात सर्वमान्य है कि प्लेग की बीमारी एक कीड़े से पैदा होती है और दाब्बतुल अर्ज़ का अर्थ भी एक ज़मीनी कीड़ा है। अत: क़ुरआन शरीफ में एक दूसरी जगह आता है :-

دَآبَّةُ الۡاَرۡضِ تَاۡكُلُ مِنۡسَاَتَهٗ۔

(सूरह सबा 34:15)

अर्थात एक ज़मीनी कीड़ा हज़रत सुलैमान की लाठी को खाता था।

इस जगह समस्त व्याख्याकार दाब्ब: का अर्थ कीड़ा करते हैं। अत: कोई कारण नहीं कि मसीह मौऊद के ज़माने में ज़ाहिर होने वाले दाब्बतुल अर्ज़ से तात्पर्य कीड़े के अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ लिया जाए और दूसरी रिवायतों (वर्णनों) में जो इस दाब्ब: की निशानियाँ बयान हुई हैं वे लक्षण और रूपक के तौर पर हैं और सत्य यही है कि प्लेग ही दाब्बतुल अर्ज़ है जिसने मसीह मौऊद के समय में ज़ाहिर होकर सच और झूठ में अन्तर कर दिया है। नि:सन्देह उसने इन्कार करने वालों के माथे पर एक निशान लगाया और मानने वालों के माथे पर भी एक निशान लगाया और इस तरह दोनों गिराहों को चिन्हित कर दिया। यह एक खुली-खुली सच्चाई है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहमदिया जमाअत की जो बढ़ोत्तरी प्लेग के द्वारा हुई वह दूसरे किसी माध्यम से नहीं हुई। इस महामारी ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब के विरोधियों को चुन-चुनकर लिया और दूसरी ओर हज़रत मिर्ज़ा साहिब और आपके मानने वाले उसके दुष्प्रभाव से

मानो बिल्कुल सुरक्षित रहे। अतएव यही वे सफेद और काले निशान हैं जो दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़े) ने लगाए हैं। जिन दिनों मुल्क में महामारी का ज़ोर था उन दिनों कभी-कभी एक-एक दिन में कई-कई सौ आदमियों की बैत की चिट्ठियाँ हज़रत मिर्ज़ा साहिब के पास पहुँचती थीं और लोग बद हवासों की तरह आपकी ओर दौड़े आते थे। यह एक अजीब दृश्य है कि प्रारम्भ के कुछ सालों में अहमदियों की संख्या कुछ सौ से अधिक नहीं हुई लेकिन प्लेग अर्थात दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़ा) के निकलने अर्थात् सन् 1900 ई. के बाद से देखते ही देखते अहमदिया जमाअत की संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों तक पहुँच गई। अत: यह सब अल्लाह की महानता है।

यह कहना कि प्लेग में कुछ अहमदी भी मर गए यह एक मूर्खतापूर्ण आरोप है क्योंकि प्रथम तो तुलनात्मक दृष्टि डालनी चाहिए कि अहमदियों और ग़ैर अहमदियों में प्लेग की घटनाओं में क्या अनुपात रहा है? द्वितीय यह कि क्या आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लड़ाइयों में मुसलमान शहीद नहीं हुए थे? हलाँकि ये लड़ाइयाँ काफिरों के लिए ख़ुदा का एक प्रकोप थीं। अत: देखना यह चाहिए कि प्लेग के द्वारा किस जमाअत की बढ़ोत्तरी हुई और किस को नुकसान पहुँचा है तथा जो इक्का-दुक्का घटनाएँ अहमदियों में हुई हैं वे शहादतें हैं जो ख़ुदा ने हमारे कुछ भाइयों को दी हैं। परन्तु फिर भी जमाअत की अगुवाई करने वाले और विशेष सम्माननीय और निकटस्थ लोग प्लेग के दुष्प्रभाव से पूर्णत: बचे रहे। लेकिन विरोधियों में से अनेक लोग जो विरोध करने में चरम पर थे इस महामारी का शिकार हो गए और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने अहमदिया जमाअत को एक असाधारण तरक़्क़ी दी और दुश्मनों की संख्या कम हुई और हमारी संख्या बढ़ी। अत: दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़ा) ज़ाहिर होकर अपना काम कर गया। अब चाहे ख़ुदा के सामने रोओ और चिल्लाओ और सज्दों में दुआएँ करके अपनी नाकें घिसो, कोई दूसरा दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीनी कीड़ा) तुम्हारी इच्छा के अनुसार ज़ाहिर नहीं होगा। क्योंकि

जो ज़ाहिर होना था वह हो चुका। हाँ तुम्हारे दिमाग़ों में मूर्खता और ख़ुदपसन्दी का एक कीड़ा अवश्य छुपा है जो तुम्हें खा रहा है ख़ुदा करे कि वह भी निकले ताकि तुम्हें कुछ चैन आवे।

आठवीं निशानी:- आठवीं निशानी यह है कि ''मसीह मौऊद दमिश्क़ से पूर्व की ओर एक सफेद मीनार के पास अवतरित होगा।'' अत: आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ۔

(کنزالعمال جلد ۷ صفحہ ۲۲)

अर्थात मसीह मौऊद दमिश्क़ के पूर्व की ओर सफेद मीनारे के पास अवतरित होगा।

इस निशानी के बारे में सर्वप्रथम यह याद रखना चाहिए कि यह साबित हो चुका है कि मसीह मौऊद आसमान से नहीं उतरेगा बल्कि वह इसी उम्मत का एक व्यक्ति है इसलिए मीनार पर अवतरित होने का यह अर्थ नहीं हो सकता कि मसीह मौऊद सचमुच आसमान से किसी मीनारे पर उतरेगा और फिर मीनारे से नीचे उतरेगा। द्वितीय यह कि इस हदीस में यह नहीं कहा गया कि मीनारे के ऊपर से उतरेगा बल्कि शब्द यह हैं कि मीनारे के पास उतरेगा अर्थात वह ऐसी हालत में उतरेगा कि सफेद मीनारा उसके पास होगा और इन दोनों में बड़ा अन्तर है। इसके बाद जानना चाहिए कि क़ादियान, हिन्दुस्तान के पंजाब प्रान्त में है जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब का वतन है और दमिश्क से ठीक पूर्व दिशा में स्थित है। अर्थात वह दमिश्क के ठीक पूर्व की ओर उसी अक्षाँश पर स्थित है जिसमें कि दमिश्क है। इसलिए दमिश्क से पूर्व वाली बात में तो कोई सन्देह न रहा। अब रहा मीनारा का शब्द तो इस से तात्पर्य यह है कि मसीह मौऊद का अवतरण ऐसे ज़माने में होगा कि उस समय संचार के साधनों और मेलजोल की अधिकता अर्थात रेल, जहाज़, डाक, तार व छापाखाना इत्यादि की व्यवस्था होने के कारण प्रचार व प्रसार का काम ऐसा आसान होगा कि मानो यह व्यक्ति एक

मीनारे पर खड़ा होगा और उसकी आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचेगी और उसकी चमक बहुत जल्द दुनिया में फैल जाएगी, जैसा कि मीनारे की विशेषता होती है। और यह तात्पर्य नहीं कि मसीह मौऊद का अवतरण मीनारे के ऊपर से होगा। बल्कि तात्पर्य यह है कि मसीह मौऊद इस हालत में अवतरित होगा कि सफेद मीनारा उसके पास होगा अर्थात धर्म प्रसार के अच्छे-अच्छे साधन उसे उपलब्ध होंगे। तथा इन शब्दों में 'पूरब' के शब्द में यह भी संकेत हो सकता है कि मसीह मौऊद का सूरज अपनी पूर्वी क्षितिज से अच्छे हालात के अन्तर्गत उदय होगा और उसकी किरणें जल्द-जल्द सारी दुनिया में फैल जाएँगी। इसके अतिरिक्त मीनार के शब्द से यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जिस तरह एक चीज़ जो ऊँचाई पर हो वह सब को दिखाई पड़ती है और दूर-दूर के रहने वाले भी उसे देख लेते हैं उसी तरह मसीह मौऊद का क़दम भी एक मीनारे पर होगा और वह ऐसे रोशन और स्पष्ट प्रमाणों के साथ प्रकट होगा कि यदि लोग स्वयं अपनी आंखें बन्द न कर लें और उसकी रोशनी को देखने से मुँह न फेर लें तो वह अवश्य तमाम् देखने वालों को नज़र आ जाएगा क्योंकि वह एक उच्च स्थान पर होगा। अत: यह भविष्यवाणी रूपक के तौर पर एक गूढ़ कथन पर आधारित है जिसकी वास्तविकता को समझा नहीं गया।

मिनारा के साथ सफेद का शब्द बढ़ाने में भी एक रहस्य है और वह यह है कि यद्यपि हर मिनारा दूर से दिखाई देता है लेकिन यदि वह सफेद हो तो फिर तो विशेष रूप से वह अधिक चमकता और देखने वालों को अपनी ओर खींचता है या सफेद का शब्द इस ओर संकेत करता है कि मसीह मौऊद की महानता निष्कलंक होगी अर्थात यह नहीं होगा वह किसी सांसारिक प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण एक उच्च स्थान पर होगा बल्कि उसकी प्रतिष्ठा विशेष रूप से आध्यात्मिक होगी और इसी पवित्र स्थिति में वह लोगों को दिखाई देगा। लेकिन शर्त यह है कि लोग ईर्ष्या-द्वेष और अन्धकार को पसन्द करने के कारण अपनी आँखें खुद न बंद करें। इसका स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है कि यदि

कोई व्यक्ति अपनी कोठरी की खिड़कियाँ बन्द करके अन्दर बैठ जाए तो सूरज चढ़ने के बावजूद उसके कमरे के अन्दर अन्धेरा ही रहेगा। पर इसमें सूरज का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की खिड़कियाँ बन्द कर ले तो आध्यात्मिक सूर्य उसे किस प्रकार रोशनी (ज्ञान) पहुँचा सकता है? हज़रत मिर्ज़ा साहिब इस निशानी के पूरा होने का अपनी कविता में इस प्रकार उल्लेख करते हैं :-

از کلمۂ منارہ شرقی عجب مدار
چوں خودز مشرق است تجلّی نیرّم

अर्थात ''वर्णनों में जो माश्रिक़ी मिनारा का उल्लेख मिलता है उसके कारण आश्चर्य में मत पड़ो। क्योंकि मेरे सूर्य का उदय भी पूरब ही से हुआ है।''

नौवीं निशानी:- नौवीं निशानी यह है कि हदीस में मसीह मौऊद का निर्धारित हुलिया बताया गया है अत: आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

بینما انا نائمٌ اطوف بالکعبۃِ فاذا رجلٌ اٰدم سبط الشعر ینطف اویھراق رأسہ ماءً قلت من ھٰذا قالوا ابنُ مریم ثم ذھبتُ التفت فاذا رجلٌ جسیم احمر جعدُ الرّأس اعور العین کانّ عینہ عنبۃٌ طافیۃٌ فقلت من ھذا قالوا ھٰذا الدّجال۔ (صحیح بخاری جلد دوم کتاب بدء الخلق)

फ़िर फ़रमाते हैं :-

ینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دِمشق بین مھزودتین واضعًا کفّیہ علٰی اجنحۃ ملَکَین اذا طأطأ رأسہٗ قطر واذا رفعہٗ تحدّر منہ مثل جمانٍ کاللؤلوء فلا یحلّ لکافر یجد من ریح نفسہٖ الا مات۔ (صحیح مسلم جلد ثانی)

मैंने स्वप्न में देखा कि मैं काबा की परिक्रमा (तवाफ़) कर रहा हूँ कि अचानक एक आदमी मेरे सामने आया। उसका रंग गेहुँआ था और बाल सीधे और लम्बे थे और उसके सिर से पानी की बूँदें टपकती

थीं। मैंने पूछा यह कौन है? तो मुझे बताया गया कि यह इब्नि मरियम है फिर इसके बाद मैंने एक भारी भरकम शरीर वाले आदमी को देखा जो लाल रंग का था और उसके बाल घुंघराले थे और वह एक आँख से काना था मानो कि उसकी एक आँख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई थी, मुझे बताया गया कि यह दज्जाल है।

एक दूसरी हदीस में इस तरह लिखा है कि मसीह मौऊद दमिश्क से पूरब की ओर सफेद मीनारे के पास इस हाल में अवतरित होगा कि वह दो पीली चादरों में लिपटा हुआ होगा और अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कन्धों पर रखे हुए होगा। जब वह अपना सिर झुकाएगा तो उससे पानी की बूँदें गिरेंगी और जब सिर को उठाएगा तो उससे मोती झड़ेंगे और हर काफिर जिस तक उसकी साँस पहुँचेगी मर जाएगा।''

यह वह हुलिया है जो हदीसों में मसीह मौऊद का बयान हुआ है। अब देख लो कि किस स्पष्टता के साथ यह हुलिया हज़रत मिर्ज़ा साहिब में पाया जाता है। दुनिया जानती है कि आपका रंग गेहुआँ था, आपके बाल रेशम की भाँति नरम, सीधे और लम्बे थे और सीधे भी ऐसे कि एक-एक बाल रेशम के तार की तरह अलग-अलग नज़र आता था। इसके अतिरिक्त आप दो पीली चादरों में लिपटे हुए अवतरित हुए थे अर्थात आप को दो बीमारियाँ लगी हुई थीं और मसीह होने के दावा से लेकर मरते दम तक लगी रहीं। अत: हज़रत मिर्ज़ा साहिब फ़रमाते हैं :-

''दो रोग मुझे लगे हुए हैं एक शरीर के ऊपरी भाग में और दूसरा शरीर के निचले भाग में। ऊपरी भाग में सिर दर्द है और निचले भाग में कसरते पेशाब की बीमारी है और यह दोनों बीमारियाँ उसी ज़माने से हैं जिस ज़माने में मैंने अपने अवतार होने का दावा प्रकाशित किया है मैंने इनके लिए दुआएँ भी कीं किन्तु नकारात्मक जवाब मिला। (हक़ीक़तुल वह्यी पृष्ठ 307)

यह बात कि स्वप्नों की दुनिया में पीले कपड़े से तात्पर्य बीमारी होती है। यह एक ऐसी स्पष्ट बात है कि किसी व्याख्या की आवश्यकता

नहीं (देखो तातीरुल अनाम जिल्द 2, पृष्ठ 41) हदीस के शेष विषयों के बारे में कि मसीह मौऊद के दम से काफिर मरेंगे और सिर से बूँदे और मोती झड़ेंगे इत्यादि। इसके बारे में हम निशानियों के वर्णन के अन्त में एक नोट लिखेंगे क्योंकि ये बातें हुलिया का हिस्सा नहीं बल्कि आम निशानियों का हिस्सा हैं।

मसीह के अवतरण के सम्बन्ध में एक महान भविष्यवाणी

अब जबकि हज़रत ईसा मसीह नासरी की मृत्यु और मसीह व महदी के अवतरण की निशानियों की बहस पूरी हो चुकी है इसलिए अगली बहस (अर्थात दसवीं निशानी का वर्णन) प्रारम्भ करने से पहले हज़रत मिर्ज़ा साहिब का एक दृष्टान्त लिखना आवश्यक है जिसमें हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने मसीह नासरी की मृत्यु और अवतरण के अक़ीदा के बारे में एक महान भविष्यवाणी की है। आप फ़रमाते हैं :-

''हे तमाम् लोगो! सुन रखो कि यह उस ख़ुदा की भविष्यवाणी है जिसने धरती और आसमान बनाया। वह अपनी इस जमाअत को समस्त देशों में फैला देगा और तर्क एवं प्रमाण की दृष्टि से सब पर उनको विजयी करेगा... याद रखो कि कोई आसमान से नहीं उतरेगा। हमारे सब विरोधी जो अब जीवित मौजूद हैं वे सब मरेंगे और कोई उनमें से मरियम के बेटे ईसा को आसमान से उतरते नहीं देखेगा तथा फिर उनकी सन्तान जो शेष रहेगी वह भी मरेगी और उनमें से कोई ईसा पुत्र मरियम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा और फिर औलाद की औलाद मरेगी और वह भी मरियम के बेटे को आसमान से उतरते नहीं देखेगी। तब ख़ुदा उनके दिलों में घबराहट डालेगा कि ज़माना सलीब के ग़ल्बा (अर्थात ईसाइयत के ज़ोर) का भी बीत गया और दुनिया दूसरे रंग में आ गई मगर मरियम का बेटा अभी तक आसमान से न

उतरा। तब सब बुद्धिजीवी अचानक इस अक़ीदा (आस्था) से मुँह फेर लेंगे और अभी तीसरी शताब्दी आज के दिन से नहीं पूरी होगी कि ईसा की प्रतीक्षा करने वाले क्या मुसलमान और क्या ईसाई सब निराश और बद्ज़न होकर इस झूठे अक़ीदा को छोड़ देंगे और दुनिया में एक ही धर्म होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक बीज बोने के लिए आया हूँ। अत: मेरे हाथ से वह बीज बोया गया अब यह बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो इसको रोक सके।'' (तज़्किरतुश्शहादतैन, पृष्ठ 64, 65)

दसवीं निशानी:- मसीह मौऊद का काम - मसीह मौऊद की दसवीं निशानी यह बताई गई थी कि वह सलीब को तोड़ेगा और ख़िन्ज़ीर (सूअर) को मारेगा तथा दज्जाल को कत्ल करेगा और इस्लाम को दूसरे धर्मों पर विजयी करेगा। यहाँ तक कि (इस्लाम का) सूरज पश्चिम से चढ़ेगा और मसीह मौऊद सारे मतभेदों में सच्चा-सच्चा निर्णय करेगा और खोया हुआ ईमान फिर संसार में क़ायम करेगा और बड़ी प्रचुरता के साथ धन लुटाएगा, मगर लोग उसके धन को स्वीकार नहीं करेंगे। अत: हदीसों में लिखा है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

واللہ لینزلنّ ابنُ مریم حکمًا عادلاً فلیکسرنّ الصلیب
ولیقتلنّ الخنزیر ولیضعن الجزیة ولیترکن القلاص فلا یسعٰی
علیھا ولتذھبنّ الشحناء والتباغض والتحاسد ولیدعون
الی المال فلا یقبلہٗ احد۔ (مسلم) وفی روایة یفیض المال حتّٰی
لا یقبلہ احد۔ (بخاری)

और दज्जाल के क़त्ल के बारे में एक रिवायत है, जिसका फ़ारसी अनुवाद यह है कि :-

دجّال چوں نظر بعیسٰی کند بگدازد۔ چنانچہ نمک در آب
بگدازد و بگریزد۔ (حجج الکرامہ مصنّفہ نواب صدیق حسن خان آف بھوپال
سرگردہ فرقہ اہل حدیث)

अनुवाद - दज्जाल जब ईसा पर नज़र डालेगा तो ख़ुद पिघल जाएगा,

जैसे नमक पानी में पिघल जाता है और भाग जाएगा। (अनुवादक)

فیطلبہ حتّٰی یدرکہ بباب لُدٍّ فیقتلہ۔ (مسلم) وَفی روایۃٍ وتطلع الشمس من مغربھا۔ (مشکوٰۃ)

وفی روایۃٍ لو کان الایمانُ عند الثریا لنالہ رجلٌ من ھٰؤلاء (ای ابناء فارس) (بخاری)

وقال اللہ تعالیٰ ھُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالْھُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَہٗ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّہٖ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُوْنَ۔

(सूरह तौबा 9:33)

अर्थात ''ख़ुदा की क़सम तुम में इब्नि मरियम अवश्य अवतरित होगा और वह तुम्हारे मतभेदों में सच्चा-सच्चा फैसला करेगा (अर्थात रिवायतों, अक़ीदों और कार्यों इत्यादि में जो मतभेद पैदा हो चुके होंगे उनमें मसीह मौऊद सच्चा-सच्चा फैसला करेगा) और वह अवश्य सलीब को तोड़ेगा और ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेगा जिज़्या (अर्थात सुरक्षा कर) को समाप्त कर देगा। इसकी व्याख्या में बुखारी की एक रिवायत में है कि वह जंग को स्थगित कर देगा और उसके ज़माने में सवारी की ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएँगी अर्थात उन पर बैठकर लम्बी-लम्बी यात्राएँ नहीं की जाएँगी (और उसके मानने वालों में) छल-कपट, दुश्मनी एवं ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और मसीह मौऊद लोगों को माल की ओर बुलाएगा किन्तु कोई उसके माल को क़बूल नहीं करेगा और एक रिवायत में इस तरह है कि जब दज्जाल उसे देखेगा तो इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जिस तरह कि पानी में नमक पिघलता है और दज्जाल उससे भागेगा लेकिन मसीह मौऊद उसका पीछा करके बाब-ए-लुद्द के पास उसे आ पकड़ेगा और उसे क़त्ल कर देगा और उसके ज़माने में सूरज पश्चिम की तरफ से उदय होगा और ईमान अगर दुनिया से इस तरह समाप्त हो जाएगा कि मानो सुरैया सितारे पर चला गया तो फिर भी एक मर्दे कामिल जो फ़ारसी मूल का होगा उसे पुन: दुनिया में उतार लाएगा (अर्थात यही मसीह मौऊद खोए हुए ईमान को

दुनिया में पुन: क़ायम करेगा)। क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अल्लाह ही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे धर्म के साथ भेजा है ताकि वह उसे तमाम् दूसरे धर्मों पर विजयी करके दिखाए। इस आयत को व्याख्याकारों ने मसीह मौऊद के ज़माने से सम्बन्धित माना है और स्पष्टत: लिखा है कि यह वादा मसीह मौऊद के ज़माने में पूरा होगा।''

मसीह मौऊद की निशानियों में से यह दसवीं निशानी है और वस्तुत: यह सारी निशानियों की बुनियाद है। क्योंकि इसमें मसीह मौऊद का काम बताया गया है और एक आध्यात्मिक सुधारक की सबसे बड़ी पहचान उसके काम से ही हुआ करती है। इसलिए हमने इस निशानी की बहस को एक अलग अध्याय के रूप में वर्णन करना उचित समझा है। वस्तुत: अगर यह साबित हो जाए कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहि ने वह काम कर दिखाया है और रसूलों की सुन्नत के अनुसार उसका बीजारोपण कर दिया है जो मसीह मौऊद के हाथ से होना निर्धारित था तो फिर किसी शक और सन्देह की गुंजाइश नहीं रहेगी और इसके बाद किसी दूसरे काल्पनिक मसीह व महदी की प्रतीक्षा व्यर्थ होगी। क्योंकि अगर झूठ के तौर पर यह मान भी लिया जाए कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब मसीह मौऊद नहीं हैं, फिर भी यदि आप अलैहिस्सलाम के द्वारा मसीह मौऊद और महदी माहूद का निर्धारित काम वस्तुत: पूरा हो गया है तो फिर उस असली (जो कि हमारे निकट काल्पनिक है) मसीह व महदी का पैदा किया जाना केवल एक व्यर्थ कार्य होगा जो ख़ुदा जैसी हिकमत से परिपूर्ण हस्ती से कदापि उम्मीद नहीं की जा सकती। परन्तु इस बहस को प्रारम्भ करने से पहले कुछ प्रारम्भिक बातों का बयान कर देना आवश्यक है जो नीचे लिखी जाती है।

सबसे पहला प्रश्न यह है कि सलीब तोड़ने से क्या तात्पर्य है। तो हर एक बुद्धिमान सोच सकता है कि सलीब तोड़ने से तात्पर्य यह तो कदापि नहीं हो सकता कि मसीह मौऊद ज़ाहिरी सलीब की लकड़ी को तोड़ता फिरेगा और मानो उसका जन्म ही इस उद्देश्य से होगा कि

सारी उम्र सलीब की लकड़ी को तोड़ता फिरे क्योंकि सर्वप्रथम यह बात ख़ुदा के एक भेजे हुए रसूल की शान से परे है कि वह केवल एक लकड़ी को तोड़ने के लिए पैदा किया जाय। दूसरे यह कि ऐसा काम कोई सच्चा फायदा भी नहीं दे सकता। क्या सलीब की लकड़ी के तोड़े जाने से मसीह परस्ती मिट सकती है? या इससे सारी दुनिया की सलीब की लकड़ियाँ समाप्त हो जाएंगीं और मसीही लोग फिर दोबारा सलीब नहीं बना सकेंगे? खूब याद रखो कि जब तक ईसाइयत की ग़लत विचारधाराओं का ज़ोर मौजूद है सलीब क़ायम है। केवल उसकी लकड़ी को तोड़कर खुश होना एक बचकाना काम है जो दुश्मनों की डाँट-डपट पाने के अतिरिक्त और कोई फायदा नहीं दे सकता। सलीब केवल इस दशा में टूट सकती है कि मसीही लोगों के दिलों को जीत करके सलीबी मज़हब का ज़ोर तोड़ दिया जाए और ठोस प्रमाणों से उसका झूठ होना साबित कर दिया जाए। इस तरह अवश्य सलीब की ज़ाहिरी लकड़ी भी टूट जाएगी। क्योंकि जब दुनिया सलीबी अक़ीदों से मुँह फेर लेगी तो नि:सन्देह सलीब स्वयं तोड़कर फेंक दी जाएगी और यह भी याद रखना चाहिए कि यह सोचना कि किसी ज़माने में ईसाई मज़हब दुनिया से बिल्कुल मिट जाएगा एक गलत सोच है क्योंकि क़ुरआन शरीफ की स्पष्ट आयत :-

وَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(सूरह अल-मायद: 5:15)

(अर्थात हमने ईसाइयों और यहूदियों के बीच क़यामत तक दुश्मनी भड़का रखी है।) से साबित है कि ईसाई धर्म क़यामत तक रहेगा। इसलिए सलीब तोड़ने का यह मतलब भी नहीं हो सकता कि ईसाई धर्म बिल्कुल ही मिट जाएगा। बल्कि इससे यह तात्पर्य है कि उसका ज़ोर टूट जाएगा और उसका प्रभुत्व भी समाप्त हो जाएगा और दुनिया के प्रभावी धर्मों में गिने जाने के बजाय कमज़ोर और परास्त धर्मों में गिना जाने लगेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि - दज्जाल के क़त्ल से क्या तात्पर्य है?

अत: इस सम्बन्ध में भी जब यह साबित हो चुका है कि दज्जाल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि ईसाई क़ौमों और उस क़ौम के पादरियों का नाम है तो यह सोचना व्यर्थ है कि दज्जाल के कत्ल से इन लोगों की सामूहिक हत्या अभिप्राय है। बल्कि दज्जाल के कत्ल से वस्तुत: यह तात्पर्य है कि मसीह क़ौमें और उनके ग़लत धार्मिक विचार और उनके भौतिकवाद और उनके झूठे दर्शन का प्रभुत्व मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस जगह यह एक विशेष बात याद रखने योग्य है कि दज्जाल से केवल ईसाइयत ही तात्पर्य नहीं क्योंकि यह तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी मौजूद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ उसका मुकाबला भी हुआ और उसे पराजय भी मिली। अत: यदि ईसाइयत की झूठी विचारधारा और उसके मददगार, दज्जाल हैं तो यह दज्जाल तो आप स.अ.व. के सामने भी आया और आप स.अ.व. ने उसे पराजित भी किया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि दज्जाल को केवल मसीह मौऊद क़त्ल करेगा और यह भी फ़रमाते हैं कि यदि दज्जाल मेरे ज़माने में निकला तो मैं उसका मुक़ाबला करूँगा। जिससे स्पष्ट है कि वह आपके ज़माने में नहीं निकला। इसलिए दज्जाल से बहरहाल वह चीज़ मुराद लेनी होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में नहीं निकली। वह क्या है? वह ईसाइयत की झूठी विचारधारा का यही विश्वव्यापी प्रभुत्व और उसका सारी दुनिया में फैल जाना है और मसीही क़ौमों की तरक़्क़ी के साथ जो भौतिकवाद के फित्ने पैदा होकर पूरी दुनिया पर एक भयंकर बाढ़ की तरह छा गए हैं वे भी दज्जाल हैं और झूठी विचारधाराएँ भी दज्जाल हैं जो गुमराही के ज़माने में मुसलमानों के अन्दर प्रचलित होकर ईसाई अवधारणाओं की मदद का कारण बनी हैं। उदाहरण के तौर पर ईसा मसीह का भौतिक शरीर के साथ अब तक जीवित रहना और उनको आसमान की ओर उसी भौतिक शरीर के साथ जीवित उठाया जाना और उम्मते मुहम्मदिया के सुधार के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

को छोड़कर ख़ुदा का मसीह को बचाकर रखना और सारे नबियों में केवल मसीह ही का शैतान के स्पर्श से बचे रहना और उसका पक्षियों को पैदा करना, मुर्दों को जीवित करना इत्यादि इत्यादि सारे दज्जाली झूठ का हिस्सा हैं। ये वे चीज़ें हैं जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में नहीं थीं। अर्थात न तो उस समय ईसाइयत के झूठे विचारों का ग़ल्बा था जो सारी दुनिया पर छा गया हो और न उसकी नई-नई विद्याओं के नतीजे में उसका खतरनाक भौतिकवाद था और न ही धर्म की राह में भयंकर फित्ने पैदा हुए थे और न स्वयं मुसलमानों के विचार बिगड़कर ईसाइयत के मददगार बने थे। अत: यही बातें और इन बातों के समर्थक असली दज्जाल हैं जो इस ज़माने में अपने पूरे ज़ोर के साथ निकले हैं। इसलिए दज्जाल के क़त्ल से भी इसी दज्जाल का कत्ल तात्पर्य है। अर्थात दज्जाल के क़त्ल से ईसाइयत के उस ख़तरनाक ग़ल्बा (प्रभुत्व) और उसके समर्थकों का पूर्णत: खण्डन तात्पर्य है जो इस ज़माने में ज़ाहिर हुए हैं। अल्हम्दु लिल्लाह कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब के द्वारा इस क़त्ल के आसार प्रकट हो रहे हैं और दज्जाल को वे चोटें लग चुकी हैं और लग रही हैं जो उसे कदापि ज़िन्दा न छोड़ेंगी और निश्चित समझो कि उसकी मरणासन्न अवस्था है बल्कि विवेकियों और बुद्धिमानों के निकट तो वह मुर्दों में शामिल हो चुका है जिसकी आंखें हों देखे।

तीसरा प्रश्न यह है कि - दज्जाल के पिघलने से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब यह है कि ख़ुदा तआला मसीह मौऊद को ऐसा रौब और ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा कि उसके सामने दज्जाल मानो स्वत: ही पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके हाथ-पैर ढीले पड़ जाएँगे और मसीह मौऊद के सामने मैदान में निकलने से डरेगा और ख़ुदा तआला मसीह मौऊद के ज़माने में ऐसी गुप्त शक्तियों को हरकत में लाएगा जो दज्जाल का अन्दर ही अन्दर अन्त कर देंगी। जैसा कि आगे चलकर बयान किया जाएगा उसके भी आसार प्रकट हो रहे हैं।

चौथा प्रश्न यह है कि – बाब-ए-लुद्द से क्या तात्पर्य है? अत:

जानना चाहिए कि हदीसों के कुछ व्याख्याकार यह कहते हैं कि लुद्द एक जगह का नाम है जो दमिश्क के पास है यह केवल उनका विचार है आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस कथन का कोई स्पष्टीकरण वर्णित नहीं। जब आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बाब-ए-लुद्द का कोई निर्धारण नहीं किया तो हमें यह अधिकार है कि हम बौद्धिक रूप से इसकी कोई व्याख्या करें। इसलिए हम कहते हैं ''लुद्द'' एक अरबी शब्द है जो ''अलद'' का बहुवचन है जिसका अर्थ है ''वाद-विवाद और लड़ाई झगड़ा करने वाला'' जैसा कि क़ुरआन शरीफ में आया है कि وَهُوَ اَلَدُّ الۡخِصَامِ (अर्थात वह सब झगड़ने वालों से अधिक झगड़ालू है।) फिर फ़रमाया قَوۡمًا لُّدًّا (अर्थात झगड़ालू कौम)

अत: शाब्दिक रूप से बाब-ए-लुद्द का यह अर्थ हुआ कि ''झगड़ा और लड़ाई करने वालों का द्वार'' इस दृष्टि से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस का यह अर्थ बनता है कि मसीह मौऊद दज्जाल को वाद-विवाद और लड़ाई झगड़ा करने वालों के द्वार पर क़त्ल करेगा अर्थात दज्जाल मसीह मौऊद से भागेगा पर अन्तत: वाद-विवाद करने वालों के द्वार के पास मसीह मौऊद उसे आ दबाएगा और उसे क़त्ल कर देगा। अब इस स्पष्टीकरण के बाद कोई सन्देह शेष नहीं रहता। क्योंकि इस कथन का स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि दज्जाल मसीह मौऊद के सामने आने से भागेगा। लेकिन मसीह मौऊद उसका पीछा करेगा और अन्त में तर्क-वितर्क और शास्त्रार्थ के मैदान में उसे आ दबाएगा और उसे मार डालेगा अर्थात उसका क़त्ल तलवार का क़त्ल न होगा बल्कि तर्कों और प्रमाणों की दृष्टि से होगा। और यही आशय है।

पाँचवा प्रश्न - समाधान योग्य यह है कि माल (धन) की ओर बुलाने से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब बड़ा आसान है कि माल से तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान है जो मसीह मौऊद ने दुनिया के सामने प्रचुरता के साथ प्रस्तुत किया है लेकिन लोगों ने उसे क़बूल नहीं

किया। इसके अतिरिक्त इस ओर भी इशारा है कि मसीह मौऊद अपने विरोधियों के लिए बड़े-बड़े इनाम निर्धारित करेगा ताकि वे उसके सामने आवें और उसका मुक़ाबला करके इनाम प्राप्त करें पर कोई विरोधी उसके सामने निकलकर इनाम का हक़दार न बनेगा। अर्थात आशय यह है कि मसीह मौऊद अपने विरोधियों के सामने माल प्रस्तुत करेगा पर कोई उसे न लेगा। दुनियादारों की तरह माल देना तो रूहानी (आध्यात्मिक) लोगों के लिए कोई ख़ूबी की बात नहीं।

उपरोक्त बयानों की दृष्टि से मसीह मौऊद व महदी माहूद का काम सारांशत: निम्नलिखित शाखों में विभाजित दिखाई देता है :-

1. आन्तरिक मतभेदों में उचित एवं न्यायसंगत फैसला करना।

2. इस्लाम पर दूसरी क़ौमों की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं उनको दूर करना। विशेषरूप से मसीहियत और भौतिकवाद की झूठी विचारधाराओं के ज़ोर को मलियामेट करना और इस्लाम को समस्त अन्य धर्मों पर विजयी कर दिखाना और उसके प्रचार-प्रसार को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाना और विशेषरूप से पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप और अमेरिका इत्यादि को अपने प्रचार के द्वारा विजय करना।

3. खोए हुए ईमान को पुन: दुनिया में कायम करना।

ये वे तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मसीह मौऊद के लिए निर्धारित हैं और ख़ुदा की कृपा से हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इन कामों को इस सुन्दरता से किया है और आप अलैहिस्सलाम के बाद आप के खलीफ़ा (उत्तराधिकारी) (जो कि वस्तुत: आपके अन्दर शामिल हैं) कर रहे हैं कि निष्पक्ष दुश्मन को भी स्वीकार किए बिना चारा नहीं।

मसीह मौऊद का पहला काम

मसीह मौऊद का पहला काम मुसलमानों के आन्तरिक मतभेदों के बारे में न्यायक बनकर निर्णय करना था। अत: इस सन्दर्भ में जानना चाहिए कि इस ज़माने में मुसलमानों के आन्तरिक मतभेद निम्नलिखित

प्रकारों पर आधारित हैं :-

1. ख़ुदा तआला की विशेषताओं से सम्बन्धित मतभेद।

2. फ़रिश्तों के बारे में मतभेद।

3. पैग़म्बरों के आने के बारे में मतभेद।

4. पुनर्जन्म, प्रतिफल, दण्ड और जन्नत-दोज़ख़ (स्वर्ग-नर्क) के बारे में मतभेद।

5. अच्छी-बुरी तक़्दीर के विषय में मतभेद।

6. ख़िलाफ़त-ए-राशिदा के बारे में मतभेद।

7. क़ुरआन व हदीस के मर्तबा के बारे में मतभेद।

8. अहले हदीस व अहले फ़िक़्क़ा के बारे में मतभेद।

9. ज्ञान से सम्बन्धित विषयों के बारे में मतभेद।

10. फ़िक़्क़ा से सम्बन्धित विषयों के बारे में मतभेद।

ये वे दस प्रकार के मतभेद हैं जिन्होंने इस ज़माने में इस्लाम जगत में एक अन्धेर मचा रखा था और आपस की तू-तू मैं-मैं के कारण मुसलमानों में ऐसी-ऐसी बातें पैदा हो गई थीं जिन्होंने इस्लाम को दुनिया में बदनाम कर दिया था और दुश्मन को इस्लाम पर आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया था और बुद्धिजीवी मुसलमान इस बात से तंग आकर बचने की कोई राह न देखकर इस्लाम की हालत पर खून के आँसू बहाते थे और कई कमज़ोर ईमान वाले तो इस्लाम को छोड़ रहे थे। ऐसे भयानक तूफान के समय में अल्लाह तआला ने अपने वादा के अनुसार हज़रत मिर्ज़ा साहिब को हकम व अदल (न्यायक) बनाकर पैदा किया। जिन्होंने आते ही अपना सफेद झण्डा ऊँचा कर दिया और पुकार कर कहा कि इधर आओ कि ख़ुदा ने मुझे तुम्हारे मदभेदों में हकम (न्यायक) बनाकर भेजा है। आओ, कि मैं तुम्हारे मतभेदों में सच्चा-सच्चा न्याय करूँगा। इसके बाद आप उस रूहानी अदालत की कुर्सी पर बिराजमान हो गए और न्याय का काम प्रारम्भ हुआ।

सबसे पहला मतभेद यह था कि आमतौर पर मुसलमानों में यह

अक़ीदा प्रचलित हो चुका था कि ख़ुदा पुराने ज़माने में नि:सन्देह अपने बन्दों से बातें करता था लेकिन अब नहीं करता, मानो वह सुनता तो है परन्तु बोलता नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने निर्णय किया और बौद्धिक एवं उद्धृत (उदाहृत) प्रमाणों से पूरी तरह साबित कर दिया कि ख़ुदा के बारे में ऐसा सोचना घोर अधर्म है कि उसकी बोलने की शक्ति अब समाप्त हो गई है। आपने बताया कि अगर ख़ुदा बोलता नहीं तो इस्लाम भी एक मुर्दा मज़हब है और इसका दारोमदार भी दूसरे धर्मों की तरह केवल क़िस्से कहानियों पर रह जाता है जो एक सच्चे प्रेमी और सत्याभिलाषी की प्यास को कदापि बुझा नहीं सकते और आपने साबित किया कि इस्लाम, क़ुरआन और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मधुर फल हमेशा जारी है जैसा कि क़ुरआन मजीद ने बताया है कि لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا वह फल यही है कि सच्चा अनुसरण करने वाले को ख़ुदा अपना निजी प्रेम प्रदान करता है और उसके सामथ्र्यानुसार अपने संवाद और संबोधन से इसी दुनिया में सौभाग्य प्रदान करता है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने निजी अनुभव से इस विषय को चमकते हुए सूर्य के समान साबित कर दिया। (देखो आप अलैहिस्सलाम की रचनाएँ बराहीन अहमदिया, नुसरतुल हक़, नुज़ूलुल मसीह, हक़ीक़तुल वह्यी इत्यादि)

दूसरा मतभेद ख़ुदा के बारे में यह था कि जब तक ख़ुदा ने किसी के बारे में अज़ाब (प्रकोप) का निर्णय न किया हो उस समय तक तो वह नि:सन्देह कृपा कर सकता है परन्तु अज़ाब के फैसले के बाद वह तौबा और क्षमायाचना पर भी अज़ाब के फैसले को बदल कर कृपा अवतरित नहीं कर सकता बल्कि वह (नऊज़ुबिल्लाह) विवश है कि अपने पहले निर्णय के अनुसार व्यवहार करे। आपने इस विषय को भी बौद्धिक और उदाहृत दोनों प्रकार से स्पष्ट किया और साबित कर दिया कि यह झूठा अक़ीदा ख़ुदा की सम्पूर्ण शक्ति और उसकी अपार कृपा दोनों के उलट है। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ, अन्वारुल इस्लाम, अन्जाम-ए-आथम, नुज़ूलुल मसीह, हक़ीक़तुल

वह्यी, इत्यादि)

इसीलिए ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि -

وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰۤی اَمۡرِہٖ

(सूरह सूसुफ 12:22)

फिर ख़ुदा के बारे में यह मतभेद था कि मानो उसने बनी इस्राईल और बनी इस्माईल (अर्थात इस्राईल और इस्माईल के वंशजों) के अतिरिक्त किसी दूसरी क़ौम में पैग़म्बर नहीं भेजा और अपनी कृपा दृष्टि हेतु इन्हीं दो गिरोहों को विशिष्ट कर लिया। मगर आपने प्रमाणों के साथ इस विचारधारा को झूठी साबित किया और बौद्धिक एवं उद्धृत (उदाहृत) प्रमाणों से यह साबित कर दिया कि हर क़ौम ने ख़ुदा के संवाद और संबोधन से हिस्सा पाया है और हर क़ौम में उसके पैग़म्बर आते रहे हैं। जैसा कि क़ुरआन फ़रमाता है कि -

اِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡہَا نَذِیۡرٌ

(सूरह फातिर 35:25)

(अर्थात हर क़ौम में अवतार भेजे गए हैं। अनुवादक)

अत: आपने हिन्दुओं के कृष्ण, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध चीन वालों के कन्फ्यूशियस और पारसियों के ज़रतुश्त की पैग़म्बरी को भी स्वीकार किया और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक क्रान्ति की हालत पैदा कर दी। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब का लेक्चर बिच्छूवाली लाहौर, चश्मा-ए-मा'रिफ़त, पैग़ाम-ए-सुलह)

फिर ख़ुदा के इल्हाम के बारे में यह मतभेद था कि ख़ुदा का इल्हाम शब्दों में नहीं होता बल्कि केवल एक भाव मन में डाला जाता है। मानो वे अच्छे या सुन्दर विचार जो दिल में पैदा होते हैं वही इल्हाम हैं। आप ने इस विचार को ग़लत साबित कर दिया और क़ुरआन की शिक्षा, बौद्धिक प्रमाण और अनुभव के आधार पर साबित किया कि यद्यपि ख़ुदा का सांकेतिक (अर्थात सूक्ष्म और अस्पष्ट) आदेश भी ख़ुदा के आदेश की एक क़िस्म है पर अधिक श्रेष्ठ और अधिक सुरक्षित आदेश शब्दों के द्वारा अवतरित होता है और क़ुरआनी वह्यी भी इसी प्रकार में

शामिल थी। (देखो बराहीन अहमदिया, नुज़ूलुल मसीह इत्यादि)

फिर ख़ुदा की क़ुबूलियत-ए-दुआ की विशेषता के बारे में यह मतभेद था कि कुछ मुसलमान यह समझने लग गए थे कि दुआ केवल एक इबादत है अन्यथा यह नहीं होता कि किसी की दुआ के कारण ख़ुदा अपने निर्णय या इरादा को बदले। आपने इस विचार को प्रमाणों से गलत साबित किया और क़ुरआनी शिक्षा, घटनाओं और अनुभव के ठोस प्रमाण से इसका झूठा होना साबित किया। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ आइना कमालात-ए-इस्लाम व बरकातुद्दुआ)

फिर ख़ुदा के बारे में यह मतभेद था कि मानो वह अपने कुछ भक्तों को अपने अधिकार दे देता है और फिर उसके ये भक्त भी स्थाई तौर पर ख़ुदा की तरह ख़ुदाई शक्तियाँ दिखाने लगते हैं। इस विचारधारा ने इस्लाम में बहुत सी झूठी बातों और क़िस्सों से भरे कागज़ों का एक पुलिन्दा खड़ा कर दिया था। आपने इसको प्रमाणों के साथ ग़लत साबित किया। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की डायरियाँ इत्यादि)

फिर ख़ुदा के बाद फ़रिश्तों के बारे में भी बहुत से मतभेद थे जैसे यह कि उनका तत्व क्या है और क्या-क्या काम हैं और वे किस तरह काम करते हैं? और उनकी आवश्यकता क्या है इत्यादि इत्यादि? आपने बड़ी तर्कपूर्ण बहसों के साथ इन सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डाला और इस विषय में एक सच्ची-सच्ची राह दिखलाई। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ तौज़ीह मराम, आईना कमालात-ए-इस्लाम और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी की रचनाएँ मलाइकतुल्लाह इत्यादि)

फिर पैग़म्बरी के सिलसिला के बारे में मतभेद था कि हर प्रकार की नबूवत आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ख़त्म हो गई है और अब कोई व्यक्ति चाहे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ही फ़ैज़ (वरदान) पाने वाला और आप की ही शरीअत (धर्म विधान) का सेवक हो नबी नहीं हो सकता। आपने प्रमाणों के साथ साबित किया कि खात्मुन्नबीयीन का वह अर्थ नहीं जो समझा गया है और पैग़म्बरी का सिलसिला बन्द होने से यह तात्पर्य नहीं कि अब किसी

प्रकार का भी नबी नहीं आ सकता। क्योंकि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद केवल शरीअत वाली नबूवत का द्वार बन्द हुआ है। बिना शरीअत वाली और प्रतिरूपक नबूवत का द्वार बन्द नहीं हुआ। यदि नबूवत के सारे प्रकार बन्द और समाप्त समझे जाएँ तो इसका अर्थ यह होगा कि नऊज़ुबिल्लाह (ख़ुदा की पनाह) आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अस्तित्व मुसलमानों से एक बड़ी रहमत और ख़ुदा के इनाम छीनने का कारण बना है। अत: आप ने तर्क और बुद्धि से इस विषय का झूठा होना साबित किया। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ एक ग़लती का इज़ाला, तोहफ़ा गोलड़विया, नुज़ूलुल मसीह, हक़ीक़तुल वह्यी इत्यादि)

फिर नबियों और रसूलों के बारे में यह ख़तरनाक मतभेद था कि मसीह नासरी के अतिरिक्त कोई नबी निष्पाप और शैतान के स्पर्श से अछूता नहीं, मानो सब नबी गुनहगार हैं। आप ने ठोस प्रमाणों से इस विचार को ग़लत साबित किया और बड़े ठोस लेखों द्वारा इस विषय में वास्तविकता को स्पष्ट किया। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब का लेख इस्मत-ए-अम्बिया जो रीवियू आफ़ रिलीजन्ज़ में है और नूरुल क़ुरआन आदि)

फिर नबुवत के अर्थ के बारे में अर्थात यह कि नबी क्या होता है? और नबी के मुक़ाम से क्या आशय है बहुत ही गलत विचार पैदा हो गए थे। आपने उनको प्रमाणों के साथ स्पष्ट किया। (देखो हक़ीक़तुल वह्यी)

फिर मौत के बाद की ज़िन्दगी और प्रतिफल एवं दण्ड और जन्नत और दोज़ख़ (स्वर्ग और नर्क) की वास्तविक्ता के बारे में अजीब-अजीब प्रकार के विचार पैदा हो गए थे जिनके कारण दूसरों को इस्लाम पर आरोप लगाने का बहुत अवसर मिल गया था। जन्नत और दोज़ख की वास्तविक्ता के बारे में तो ऐसे-ऐसे विचार प्रकट किए गए थे कि ख़ुदा की पनाह! आप ने उसके बारे में बहुत सूक्ष्म और तर्कपूर्ण लेख लिखे और क़ुरआन एवं हदीस से असल सच्चाई को स्पष्ट किया।

जिसका परिणाम यह हुआ कि दुश्मन भी जो पहले आरोप लगाता था उन लेखों की सराहना करने लगा। (देखो ''इस्लामी उसूल की फिलास्फी'' इत्यादि)

फिर तक़दीर का विषय सदैव से बहस का अखाड़ा रहा है और इसमें मतभेदों की कोई सीमा नहीं रही। आप ने इसे ऐसा स्पष्ट किया कि अब एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। (यह विषय आपकी विभिन्न रचनाओं में खण्ड-खण्ड के रूप में वर्णित हुआ है उदाहरण के तौर पर देखो चश्मा मारिफत, जंगे मुक़द्दस और एक स्थान पर पूरी बहस के लिए देखें ''तक़दीर-ए-इलाही'' लेखक हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह सानी)

फिर ख़िलाफ़ते राशिदा के बारे में सुन्नियों और शियों के मतभेद प्रकाशित और मशहूर हैं इनमें आप ने सच्चा निर्णय किया। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ ''सिर्रुल ख़िलाफ़ा और हुज्जतुल्लाह'' इत्यादि और आपके सहाबी हज़रत मौलवी अब्दुलकरीम साहिब की रचना ''ख़िलाफ़ते राशिदा'')

फिर क़ुरआन और हदीस के मुक़ाम व मर्तबा के बारे में, अर्थात इन दोनों में से कौन दूसरे पर न्यायक है, ऐसे विचार प्रकट किए गए हैं कि उन्हें सुनकर एक मुसलमान का बदन काँप उठता है। मुसलमानों के एक फ़िर्क़ा ने क़ुरआन को पीठ के पीछे डाल दिया है और हदीस के आगे एक बुत (अर्थात बेजान) की तरह गिर गए थे। आपने इन विषयों पर बड़ी-बड़ी बुद्धिपरक और सूक्ष्म बहसें कीं और एक तरफ तो सुन्नत को हदीस से अलग विषय साबित किया और दूसरी ओर क़ुरआन, सुन्नत और हदीस का अलग-अलग मुक़ाम व मर्तबा प्रमाणों और तर्कों से निर्धारित किया। (देखो अल्हक़ लुधियाना, रीवियू बर मुबाहिसा चकड़ालवी, कश्ती नूह, इत्यादि)

फिर अहले फ़िक़्क़ा और अहले हदीस के मतभेद और आपस की खींचतानियाँ मशहूर हैं। आप ने प्रमाणों को प्रस्तुत करके दोनों को उनकी ग़लती से आगाह किया। तथा दोनों की जो-जो खूबियाँ थीं

उनको भी स्पष्ट किया और इफ़रात-तफ़रीत (अति एवं अल्प) के मध्य संतुलित मार्ग प्रशस्त किया। (देखो फ़तावा अहमदिया इत्यादि)

फिर मोजेज़ात की वास्तविक्ता और चमत्कारों एवं करामात के दर्शन (तत्वज्ञान) के बारे में पदार्थवादियों (नास्तिकों) और अहले हदीस और हनफ़ियों में मतभेदों की कोई सीमा न थी। आपने इस विषय पर वे व्यापक और तर्कपूर्ण बहसें कीं कि किसी मतभेद की गुंजाइश न छोड़ी। (देखो सुर्मा चश्म आर्या, बराहीन अहमदिया, चश्मा मारिफत हक़ीक़तुल वह्यी इत्यादि)

फिर जिहाद का विषय एक भयानक रूप धारण कर गया था। जिससे इस्लाम पर एक बद्नुमा धब्बा लगता था कि मानो इस्लाम धार्मिक विषयों में बलप्रयोग की शिक्षा देता है। आपने खुले-खुले प्रमाणों के साथ इसे स्पष्ट किया और لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (अर्थात धर्म में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती उचित नहीं) के नियमों के अनुसार सच्ची-सच्ची राह दिखलाई। (देखो रिसाला जिहाद, हक़ीक़तुल महदी, चश्मा मा'रिफ़त, जंगे मुक़द्दस)

फिर नबियों के परोक्षज्ञान के बारे में काल्पनिक धारणा और उसका फलसफा चर्चाओं का विषय होने के बावजूद घोर अन्धकार में पड़ा हुआ विषय था। आपने लेखों और प्रवचनों से इस पर मानो एक सूरज चढ़ा दिया। (देखो अन्जाम-ए-आथम, अन्वारुल इस्लाम, हक़ीक़तुल वह्यी इत्यादि)

फिर फ़िक़्क़ा के विषयों में तो मतभेदों की कोई सीमा ही न थी। आपने कुछ निम्नकोटि के मतभेदों को तो रहने दिया और इसको उम्मत के लिए एक रहमत बताया और कुछ में प्रमाणों को प्रस्तुत करके सही-सही राह बतलाई। (देखो आपकी डायरियाँ और फतावा अहमदिया इत्यादि)

यह कुछ मतभेदों की संक्षिप्त सूची है जो मुसलमानों में पैदा हो चुके थे। जिनके बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने न्यायक होकर निर्णय किया। यदि मुसलमानों के मतभेद और उन पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब

का निर्णय पूर्णत: बयान किया जाय तो एक मोटी किताब बन जाए। इसलिए यहाँ पर केवल कुछ बड़े-बड़े मतभेद उदाहरण के तौर पर संक्षिप्त रूप से बयान किए गए हैं।

इस जगह यदि कोई व्यक्ति यह सन्देह करे कि मतभेदों के बारे में तमाम् उलमा अपनी-अपनी राय प्रकट करते ही आए हैं हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इस विषय में क्या कुछ बढ़ाया है? तो यह एक व्यर्थ भ्रम होगा। क्योंकि राय का प्रकट करना और बात है और न्यायक होकर किसी बात का निर्णय कर देना बिल्कुल और बात है। राय तो एक बच्चा भी प्रकट कर सकता है मगर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने जिस ढंग से मुसलमानों के मतभेदों का निर्णय किया है वह अपने अन्दर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ रखता है। जिनसे आपके न्यायक होने पर बहुत बड़ी रोशनी पड़ती है। और वे विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

1. आपने किसी विषय में किसी पक्ष का पक्षपाती बन कर राय नहीं दी बल्कि हमेशा एक न्यायक के तौर पर राय दी है। इसलिए आपके निर्णय ईर्ष्या-द्वेष के विषैले असर से बिल्कुल पवित्र हैं और यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो व्यक्ति आपके निर्णयों को देखेगा वह यह महसूस करने पर मजबूर होगा कि आप का हर निर्णय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है।

2. आपने केवल राय ही प्रकट नहीं की बल्कि बौद्धिक एवं उदाहृत दोनों पहलुओं से प्रमाणों का एक सूरज चढ़ा दिया है और सत्याभिलाषियों के लिए किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस बात पर भी आपने क़लम उठाई उसका सदैव के लिए एक ऐसा निर्णय कर दिया है जो एक पहाड़ की तरह अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता और कोई उदारचित्त व्यक्ति उसकी सच्चाई का लोहा माने बग़ैर नहीं रह सकता और हर फैसले के लिए ऐसे उसूल क़ायम किए हैं कि इन्कार करने वालों के लिए भागने की कोई जगह नहीं छोड़ी।

3. आपने ख़ुदाई शक्तियों और निशानों के ज़ोर से अपनी हर बात क़ायम की है अर्थात केवल बुद्धि और विवरण ही से अपनी बात साबित

नहीं की बल्कि इन्कार करने वाले के विरोध पर ख़ुदा के समर्थन के निशान दिखा-दिखाकर अपने फ़ैसलों पर ख़ुदा की मुहर लगा दी है। इसलिए कहाँ यह फैसले और कहाँ मौलवियों की बहसें।

چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

(अनुवाद - आसमानी लोगों की दुनियादार लोगों से क्या तुलना। - अनुवादक)

मसीह मौऊद का दूसरा काम

मसीह मौऊद का दूसरा काम दूसरी कौमों द्वारा इस्लाम पर लगाए गए आरोपों का खण्डन करना और दूसरे धर्मों के सम्मुख इस्लाम को विजयी कर दिखाना था और इस्लाम के प्रचार को फैलाकर इस्लाम के नाम पर सारी दुनिया को और विशेषत: पश्चिमी देशों को विजय करना था। यह काम भी जिस कुशलता और विशेषता से हुआ और हो रहा है वह अपनी मिसाल आप ही है। सबसे पहले हम उन बातों को लेते हैं जो मुसलमानों की अपनी ग़लती से इस्लाम के अन्दर पैदा हुईं और दूसरे धर्मों को इस्लाम पर आरोप लगाने का बड़ा अवसर दे दिया। ये वे आन्तरिक मतभेद थे जिनके कारण इस्लाम के चमकदार चेहरे पर धूल छा गई थी। अत: इसके बारे में संक्षेप में बयान किया जा चुका है कि किस तरह हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने वह धूल साफ की है। अब केवल वे बातें बयान करना शेष हैं जो विशेष तौर पर मसीह नासरी के बारे में मुसलमानों में पैदा हो गयी थीं और जिनके कारण दज्जाल को इतना बल मिल गया कि वह इस्लामी कैम्प में से कई लाख आदमी निकाल कर ले गया। इन बातों का विवरण यह है कि :-

1. मसीह नासरी के बारे में मुसलमानों की यह धारणा थी कि वह विधाता के विधान के विपरीत इसी भौतिक काया के साथ आसमान पर चले गए और मौत से बचे रहे जबकि नबियों के सरताज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिट्टी में दफ़न हैं।

2. यह धारणा कि मसीह नासरी सृष्टि की उत्पत्ति किया करते थे अतएव कई पक्षी उन्हीं के पैदा किए हुए हैं जबकि किसी दूसरे मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं पाया गया।

3. यह धारणा कि मसीह नासरी वास्तविक मुर्दे जीवित किया करते थे और वह इस तरह कि वे मुर्दे को कहते थे उठ और वह क़ब्र से उठकर उनके साथ हो लेता था। अत: इस तरह उन्होंने हज़ारों मुर्दे ज़िन्दा किए। परन्तु किसी दूसरे नबी को यह सामर्थ्य नहीं दिया गया।

4. यह धारणा कि मसीह नासरी का वह महान स्थान है कि जब दज्जाल का फ़ित्ना पैदा होगा, जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनानुसार सब फित्नों से बड़ा फित्ना है, तो उनके अतिरिक्त दूसरे किसी मनुष्य में इस फित्ने को मिटाने की शक्ति न होगी, न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में और न किसी अन्य नबी में। इसी लिए केवल मसीह नासरी ही इस काम के लिए मौत से सुरक्षित रखे गए। क्योंकि सम्भवत: ख़ुदा को भी उन जैसा कोई दूसरा सुधारक बनाने की ताक़त न थी।

5. यह धारणा कि मसीह नासरी के अतिरिक्त कोई नबी शैतान के स्पर्श से अछूता नहीं। न (नऊज़बिल्लाह) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और न कोई दूसरा। सब किसी न किसी गुनाह के दोषी हुए हैं, और नहीं हुआ तो केवल यही मरियम सिद्दीक़ा का अजीबोगरीब बेटा।

ये वे पाँच खतरनाक विचार हैं जो मुसलमानों में मसीह नासरी के बारे में पैदा हो गए थे और जिन्होंने मसीहियत को बहुत अधिक ताक़त दे दी थी। स्पष्ट है कि इन विचारों के होते हुए मुसलमान ईसाइयों के हाथ में एक आसान शिकार थे। अत: ईसाइयों ने इसी दाँव पेंच से कई लाख मुसलमान ईसाई बना लिए और मुसलमान बेचारे उनके सामने मानो बिल्कुल असहाय थे।

अत: एक बार की घटना है कि एक वरिष्ठ ईसाई पादरी लाहौर में प्रवचन दे रहा था और यही बातें मुसलमानों के विरुद्ध बखान कर रहा

था उसके श्रोतागण जिनमें कुछ मौलवी भी थे खौफ के मारे सहमे जा रहे थे और वह ईसाइयत का बहादुर सपूत उन बातों को बयान करके बादल की तरह गरज रहा था। संयोगवश हमारे एक प्रिय मित्र मुफ़्ती मुहम्मद सादिक़ साहिब जो आज से कुछ साल पहले अमेरिका में हमारे प्रचारक रह चुके हैं, वहाँ पहुँचे और पादरी साहिब से संबोधित होकर कहने लगे कि पादरी साहिब! आप ये क्या बातें कहते हैं? हम तो इन बातों को नहीं मानते और न ये क़ुरआन और हदीस से साबित हैं बल्कि हम तो मसीह को केवल अल्लाह का एक नबी मानते हैं जो अपनी आयु पूरी करके मृत्यु पा गया और उसमें कोई ऐसी विशेष बात न थी जो दूसरे नबियों में न हो बल्कि कई दूसरे नबी उससे बढ़े हुए हैं इत्यादि इत्यादि। पादरी ने मुफ़्ती साहिब की यह बातें सुनी तो कहने लगा, 'ज्ञात होता है कि तुम क़ादियानी हो हम तुमसे बात नहीं करता' और यह कह कर उसने अपना भाषण बन्द कर दिया।

अब देखो यह धारणाएँ कितनी खतरनाक हैं हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इन सब को झूठी और ग़लत सिद्ध कर दिया और क़ुरआन एवं हदीसों से साबित किया कि ये सब विचार बाद की मिलावट हैं जिसकी क़ुरआन और हदीसों में कोई भी जड़ नहीं। इस तरह आपने एक ही बार में दज्जाल की एक टाँग तोड़ दी। क्योंकि दज्जाल की दो टाँगें थीं। एक टाँग तो मुसलमानों के बिगड़े हुए विचार थे जिनके कारण उसे सहारा मिल गया था और इस्लाम के विरुद्ध काम करना बहुत आसान हो गया था और दूसरी टाँग स्वयं दज्जाल के अपने झूठे विचार थे। जिनके बलपर वह एक सैलाब की तरह उमड़ा चला आता था। तात्पर्य यह कि दूसरे धर्मों की ओर से इस्लाम के विरुद्ध जो आरोप लगाए जा रहे थे उनका एक बड़ा भाग स्वयं मुसलमानों के अपने बिगड़े हुए विचारों पर आधारित था। अत: उन झूठे विचारों का तर्कपूर्ण ढंग से पूर्णतया शुद्धीकरण हो जाने से दूसरी क़ौमों की ओर से लगाए जाने वाले आरोपों का एक भाग बिल्कुल भंग हो गया।

यह एक बहुत बड़ी सेवा थी जो मिर्ज़ा साहिब ने की और यह एक

बहुत बड़ा एहसान है जो मिर्ज़ा साहिब ने मुसलमानों पर किया। आप के इस काम से मुसलमानों को दो बड़े फ़ायदे पहुँचे।

प्रथम यह कि इन झूठे और गन्दे विचारों के कारण स्वयं मुसलमानों की हालत बड़ी बद्तर हो रही थी और इन विचारधाराओं ने उनके ईमान की शह्तीर (कड़ी) को घुन लगा रखा था। अतएव इन विचारधाराओं के दूर करने से मुसलमानों की हालत संवर गई और उनका ईमान नष्ट होने से बच गया।

द्वितीय यह कि इन अक़ीदों के कारण इस्लाम दूसरे धर्मों के भयानक आरोपों का निशाना बना हुआ था अर्थात मुसलमानों की इन झूठी विचारधाराओं के कारण भले ही वे साधारण थीं या विशेष, मसीह नासरी के बारे में काफिरों को इस्लाम पर आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा अवसर हाथ आ गया था। चूँकि मुसलमान इन झूठे विचारों को अपने दीन-धर्म का अंग समझते थे और स्वत: ही क़ुरआन और हदीस से उनका अनुमान लगाते थे। इसलिए हालत और भी बद्तर हो गई थी। क्योंकि इस दशा में नुकसान केवल मुसलमानों का ही नहीं हो रहा था बल्कि इस्लाम पर भी एक काला धब्बा लगता था। पर इन विचारों के झूठा साबित होने से इस्लाम इस प्रकार के समस्त आरोपों से पूर्णत: सुरक्षित हो गया इस पर ख़ुदा की कोट कोटि प्रशंसा।

मसीह मौऊद के इस काम का दूसरा पहलू यह था कि स्वयं दूसरे धर्मों पर हमलावर होकर उन्हें पराजित किया जाये। अत: यह काम भी बड़ी कुशलता और विशेषता से हुआ और हो रहा है। हिन्दुस्तान (इस जगह विभाजन से पहले का हिन्दुस्तान तात्पर्य है) धर्मों का गढ़ रहा है संसार का दूसरा कोई ऐसा देश नहीं जिसमें इतने धर्म इतने ज़ोर से पाए जाते हों जैसा कि यहाँ पाए जाते हैं। फिर हिन्दुस्तान भी विशेषकर पंजाब प्रान्त धर्मों का केन्द्र है। ईसाइयों का यहाँ ज़ोर है, आर्यों का यहाँ ज़ोर है, सिक्खों का यहाँ ज़ोर है, ब्रह्म समाज का यहाँ ज़ोर है, देवसमाज का यहाँ ज़ोर है तात्पर्य यह कि कोई ऐसा धर्म नहीं जो ज़िन्दगी के कुछ आसार अपने अन्दर रखता हो और फिर पंजाब उससे

खाली हो। इसलिए पंजाब ही इस बात के लिए उचित था कि मसीह मौऊद इसमें पैदा किया जाए ताकि सारे धर्म उसके साथ अपना ज़ोर आज़मा कर देख सकें और वह सारे धर्मों का मुक़ाबला करके उनको पराजित कर सके। अब जानना चाहिए कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इन सब धर्मों पर दोनों रूप से अकाट्य एवं निर्णायक बहस की अर्थात पहले बुद्धि और उदाहृत प्रमाणों से उनका झूठा होना साबित किया। द्वितीय ख़ुदाई निशानों और रूहानी ताक़तों के द्वारा उन्हें पराजित करके इस्लाम को विजयी कर दिखाया।

हज़रत मिर्ज़ा साहिब का ईसाइयत से मुक़ाबला

पहले हम ईसाइयत का वर्णन करते हैं क्योंकि कई दृष्टिकोण से इसका पहले अधिकार है। अत: जानना चाहिए कि ईसाइयत की बुनियाद तीन सिद्धान्तों पर है :-

प्रथम तस्लीस – अर्थात यह धारणा कि ख़ुदा के तीन अक़्नूम (मूल तत्व) हैं। (1) बाप, जो आमतौर पर ख़ुदा कहलाता है। (2) बेटा, अर्थात मसीह नासरी जो मनुष्य के रूप में संसार में आया। (3) रुहुल क़ुदुस जो मानो बेटे और बाप के बीच माध्यम है।

ईसाइयों के निकट यह तीन ख़ुदा अलग-अलग स्वतन्त्र ख़ुदा हैं। परन्तु फिर भी ईसाइयों की धारणा के अनुसार ख़ुदा तीन नहीं हैं बल्कि एक ही ख़ुदा है।

द्वितीय – ईसाइयत का दूसरा अक़ीदा उलूहियते मसीह (अर्थात मसीह को ख़ुदा मानना) है। अर्थात यह धारणा कि मसीह नासरी जो संसार में अवतरित हुआ वह यद्यपि मनुष्य के वेश में उतरा था परन्तु वस्तुत: वह ख़ुदा अर्थात ख़ुदा का बेटा था और ख़ुदा ने उसे इसलिए भेजा था कि वह अपने बलिदान से मानवजाति को पाप से मुक्ति दे।

तृतीय इस धर्म का मूल अक़ीदा कफ़्फ़ारा: है – अर्थात यह कि मसीह नासरी ने सूली पर मरना जो मूसवी शरीअत (धर्मशास्त्र) के

अनुसार एक लानती (धिक्कृत) मौत थी मानवजाति के लिए बर्दाश्त की। इस तरह से उन समस्त लोगों के पाप जो उसके सूली पर मरने पर ईमान लाए उसने अपने सिर पर उठा लिए और वह इस लानत के बोझ के नीचे तीन दिन तक दबा रहा उसके बाद वह ज़िन्दा होकर फिर पहले की तरह अपने बाप के दाएँ हाथ पर आसमान पर जा बैठा।

इन बुनियादी धारणाओं के बारे में ईसाइयों का यह अक़ीदा भी है कि बिना बदल के रहम अर्थात तौबा और क्षमायाचना पर गुनाह माफ़ करना ख़ुदा की विशेषता, न्यायशक्ति के विपरीत है और यह कि इन्सान को गुनाह का तत्व आदम और हव्वा से विरासत में मिला है। अत: कोई मनुष्य पूर्णत: गुनाह से नहीं बच सकता और चूँकि दूसरी ओर गुनाह माफ नहीं होता इसलिए आवश्यक हुआ कि मुक्ति के लिए किसी अन्य दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़े और यह वही कफ़्फ़ार: अर्थात मसीह की सलीबी मौत है। फिर उनका यह भी अक़ीदा है कि शरीअत एक लानत है जिससे हमें मसीह ने आज़ाद कर दिया इत्यादि इत्यादि।

इस प्रारम्भिक नोट के बाद उस महान और पवित्र जंग का वर्णन किया जाता है। जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब और ईसाई जगत के मध्य घटित हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनानुसार सलीब टूट गई और दज्जाल के क़त्ल के आसार ज़ाहिर हो गए। यों तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब प्रारम्भ से ही ईसाइयों के साथ इस रूहानी जंग का कुछ न कुछ सिलसिला जारी रखते थे। अत: इस बात की विश्वस्त गवाही मौजूद है कि जब आप बिल्कुल नौजवान थे और स्यालकोट में नौकरी करते थे पादरी बटलर इत्यादि के साथ आपकी धार्मिक बातचीत होती रहती थी और फिर बराहीन अहमदिया का इश्तिहार भी मानो सब ईसाइयों के लिए चैलेन्ज था। मगर विशेषरूप से 1884 ई. में जब बराहीन अहमदिया का चौथा भाग प्रकाशित हुआ तो आपने अंग्रेज़ी और उर्दू में बीस हज़ार की संख्या में एक इश्तिहार छपवाकर प्रकाशित किया और उस इश्तिहार

को फैलाने का काम इतना व्यापक तौर पर किया कि यूरोप के विभिन्न देशों और अमेरिका और दूसरे देशों में भी अधिकता के साथ वितरित किया और तमाम् बड़े-बड़े आदमियों को जिनमें शहंशाह, बादशाह, गणतांत्रिक देशों के अध्यक्ष और राष्ट्र के दूरदर्शी एवं राजनैतिक लीडर और दार्शनिक तथा धार्मिक अगुवा भी शामिल थे इत्यादि को रजिस्ट्री डाक से पत्र भिजवाया, यद्यपि इस इश्तिहार में सब धर्मों के लोग संबोधित थे लेकिन ईसाई धर्म के अनुयायियों में विशेषरूप से वितरित किया गया। इस इश्तिहार में यह बयान किया गया था कि मुझे अल्लाह तआला ने मसीह नासरी के पगचिन्हों पर इस शताब्दी का मुजद्दिद (सुधारक) बनाकर भेजा है और मैं सारी दुनिया को संबोधित करके कहता हूँ कि ख़ुदा तक पहुँचाने वाला धर्म केवल इस्लाम ही है जो व्यक्ति मेरे इस दावे का प्रमाण चाहे वह मुझ से हर तरह तसल्ली करा सकता है और सत्याभिलाषियों को ख़ुदाई निशान भी दिखाए जाएँगे इत्यादि इत्यदि। (देखो तब्लीग़-ए-रिसालत अर्थात मज्मुआ इश्तिहारात हज़रत मिर्ज़ा साहिब जिल्द 1)

इस इश्तिहार के कुछ समय पश्चात ही आपने एक छपा हुआ पत्र भी प्रसिद्ध ईसाई पादरियों, आर्या साहिबों, ब्रह्म साहिबों, नास्तिकों एवं मुख़ालिफ मौलवियों के नाम भेजा और उसमें लिखा कि जो व्यक्ति इस्लाम की सच्चाई में कोई सन्देह करता हो या जिसे मेरे इल्हाम और सुधारक होने के दावे पर शक हो या जो चमत्कार इत्यादि का पूर्णत: इन्कारी हो तो मैं ख़ुदा से वादा पाकर उसे आमन्त्रित करता हूँ कि यदि वह सत्याभिलाषी बनकर एक वर्ष तक मेरे पास क़ादियान में आकर रहेगा तो अवश्य कोई न कोई ख़ुदाई निशान देख लेगा और यदि इस अवधि में कोई चमत्कारी निशान प्रकट न हुआ तो मैं हर्जाना या जुर्माना के तौर पर दो सौ रुपए मासिक की दर से कुल 2400/- (दो हज़ार चार सौ) रुपये नकद ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर दूँगा। वे जिस तरह चाहें अपनी तसल्ली करा लें। (देखो तब्लीग़-ए-रिसालत)

अब देखो फैसले का यह ढंग कितना सच्चाई पर आधारित था।

पादरी साहिबान अपने में से किसी को चुनकर एक साल के लिए क़ादियान भिजवा देते और कुछ नहीं तो उन्हें अपने मिशन की सहायता के लिए ढ़ाई हज़ार रुपया ही मिल जाता और इस्लाम की पराजय और उनकी विजय अलग होती और कम से कम हज़रत मिर्ज़ा साहिब और उनके श्रद्धालुओं के मुँह तो ज़रूर बन्द हो जाते। मगर अच्छी तरह याद रखो कि झूठ, सच के सामने आने से हमेशा घबराता है। सिवाए इसके कि उसकी मौत उसे खींचकर इधर ले आए और यहाँ तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि दज्जाल मसीह मौऊद के सामने आने से पानी में नमक की तरह पिघलेगा और उससे भागेगा, फिर वह किस तरह सामने आता? हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने केवल साधारण तहरीक पर ही बस नहीं किया बल्कि वियक्तिगत रूप से भी कई पादरियों को ग़ैरत दिलाई और ज़ोरदार तहरीकें कीं मगर कोई पादरी सामने न आया। बटाला में जो क़ादियान से केवल ग्यारह-बारह मील की दूरी पर है उस काल में पादरी व्हाइट ब्रेख्ट साहिब मौजूद थे उनको भी बहुत जगाया पर उन्होंने भी करवट न बदली। अब देखो कि यह आरोपी ठहराने वाला कैसा स्पष्ट प्रमाण है जो इस क़ौम पर पूरा हो गया।

अन्तत: सन् 1893 ई. में यह हुआ कि अमृतसर के पादरियों ने इस शर्त के अनुसार तो फैसला मन्ज़ूर न किया, लेकिन इल्मी तौर पर मुनाज़रा (शास्त्रार्थ) करना मन्ज़ूर कर लिया। अत: ईसाइयों की ओर से मिस्टर अब्दुल्ला आथम ई.ए.सी. मुनाज़रा करने वाले (शास्त्रार्थकर्ता) और पादरी टामस हावल और पादरी ठाकुरदास इत्यादि उनके सहायक नियुक्त हुए और इस्लाम की ओर से हज़रत मिर्ज़ा साहिब मुनाज़रा करने वाले नियुक्त हुए और अमृतसर में यह मुबाहसा शुरू हुआ। ईसाइयों की ओर से मिस्टर मार्टन क्लार्क जलसा के अध्यक्ष थे और मुसलमानों की ओर से शेख़ ग़ुलाम क़ादिर साहिब फसीह अध्यक्ष थे। पन्द्रह दिन तक यह मुबाहसा चलता रहा। इस मुबाहसा में विजय किस को मिली? इस प्रश्न के उत्तर में हमें अपनी ओर से कुछ लिखने की

आवश्यकता नहीं। मुनाज़रा के जलसे का हाल विस्तारपूर्वक ''जंगे मुक़द्दस'' के नाम से छप चुका है उसके अध्ययन से किसी बुद्धिमान पर यह छिपा नहीं रह सकता कि विजयी कौन रहा और पराजित कौन? परन्तु दो बातें इस मुबाहसा में विशेष रूप से नोट करने योग्य हैं, जो व्यक्ति उन्हें दृष्टि में रखकर इस किताब का अध्ययन करेगा वह एक अनोखा आनन्द पाएगा।

प्रथम यह कि हर धर्म के दावे और प्रमाण के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने एक अत्यन्त ठोस सिद्धान्त प्रस्तुत किया जो सारे झगड़े की जड़ काट कर रख देता है पर ईसाई साहिबों ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया और न ही वस्तुत: वे ध्यान दे सकते थे क्योंकि ऐसा करने से बिल्कुल असहाय रह जाते। इस सिद्धान्त के बारे में हम आगे चलकर विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

दूसरी बात यह है कि जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ठोस और प्रामाणिक बहस से तंग आकर कई जगह आथम साहिब ने इसके अतिरिक्त अपने लिए भागने की कोई राह नहीं देखी कि मशहूर मसीही अक़ीदा को छोड़कर अपने किसी व्यक्तिगत अक़ीदे की आड़ में पनाह ले लें। अत: कई जगह उनके दावे और दलीलें मशहूर मसीही अक़ीदों से उलट नज़र आती हैं और कई जगह उन्होंने अपना पहलू भी बदला है। अतएव यह भी हज़रत मिर्ज़ा साहिब के विजय पाने का एक स्पष्ट प्रमाण है। अन्यथा यह तो स्पष्ट है कि दुश्मन चाहे कैसा भी निरुत्तर हो जाए, चुप नहीं हुआ करता। अत: यह मुबाहसा इस्लाम के लिए एक उच्चकोटि का सफल मुबाहसा हुआ और मसीहियों को खुली-खुली पराजय मिली। (देखो जंगे मुक़द्दस)

इसके बाद पादरी फ़तह मसीह ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मुक़ाबले पर मैदान में आना चाहा परन्तु ऐसी मुँह की खाई कि फिर सिर न उठाया। हाँ अपनी बद्ज़बानी का एक रिकार्ड छोड़ गया। हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने उसके ऐतराज़ों की धज्जियाँ उड़ा दीं। (देखो नूरुल क़ुरआन)

इसके बाद फिर किसी पादरी की यह हिम्मत न हुई कि आप के सामने खड़ा होता। परन्तु आपने अपना काम जारी रखा और नूरुल हक़, "सिराजुद्दीन ईसाई के चार सवालों का जवाब" और "किताबुल बरीय:" जैसी अत्यन्त ठोस किताबें लिखीं। इसके अतिरिक्त सन् 1900 ई. में पंजाब के लार्ड बिशप रीवर्नड जार्ज लैफराय लाहौर को चैलेन्ज देकर ईसाइयों पर हुज्जत पूरी की। इस चैलेन्ज में आपकी तहरीक से अहमदियों की एक जमाअत ने बिशप साहिब को एक लिखित अनुरोध पत्र दिया, जिसमें लिखा कि चूँकि आप इस देश में समस्त मसीहियों के मुखिया हैं और आपका उत्तरदायित्व भी है कि सत्याभिलाषियों की संतुष्टि कराएँ और आप एक प्रकार से मुसलमानों को मुबाहसा का चैलेन्ज भी दे चुके हैं इसलिए हम आपको आपके यीसुमसीह की क़सम देकर कहते हैं कि इस अवसर पर पीछे न हटें और सच और झूठ का निर्णय होने दें और इस्लाम और ईसाइयत की सच्चाई के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहिब के साथ लाहौर में एक विधिवत् मुबाहसा करके लोगों पर उपकार करें अत: बड़े ललकार पूर्ण शब्दों में बिशप साहिब को मुबाहसा की ओर बुलाया गया पर बिशप साहिब को मुकाबले में आने की हिम्मत न हुई और उन्होंने बहाने बनाकर बात टाल दी। (देखो रीवियू आफ रिलीजन्ज़ क़ादियान)

इसके बाद सन् 1902 ई. में हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने यूरोप और अमेरिका में इस्लाम के व्यापक रूप से प्रचार के लिए एक अंग्रेज़ी पत्रिका रीवियू आफ रिलीजन्ज़ जारी किया और उसमें इस्लाम की सच्चाई और ईसाई विचारधाराओं के खण्डन के सम्बन्ध में ऐसे-ऐसे ठोस और लाजवाब लेख लिखे कि ईसाइयों के दाँत खट्टे कर दिए। कई निष्पक्ष ईसाइयों ने उन लेखों के अद्वितीय होने को स्वीकार भी किया। आपने बुद्धि और प्रमाण से यह सबित कर दिया कि तसलीस की धारणा स्वयं बाइबिल के विपरीत है और मानवीय प्रकृति उसे दूर से धक्के देती है बुद्धि के भी स्पष्ट विपरीत है। तीन ख़ुदाओं का होना दो हालतों से खाली नहीं या तो वे तीनों अपने-अपने स्थान में व्यापक

और पूर्ण हैं अर्थात ख़ुदा की सम्पूर्ण विशेषताएँ अपने अन्दर रखते हैं या फिर वे तीनों व्यक्तिगत रूप से व्यापक और पूर्ण नहीं हैं बल्कि तीनों मिलकर व्यापक और पूर्ण बनते हैं। पहली दशा में तीन ख़ुदाओं का होना एक व्यर्थ कार्य है क्योंकि जब इन तीनों में से हर एक पूर्ण और सर्वगुणसम्पन्न है तो फिर हर एक अलग-अलग इस संसार को चला सकता है। अत: कोई कारण नहीं कि जहाँ एक ख़ुदा काम दे सके वहाँ तीन ख़ुदा काम करें। और यदि वे अलग-अलग सम्पूर्ण नहीं और एक-एक करके इस संसार को चलाने के योग्य नहीं तो इस दशा में वे सब अधूरे हैं और ख़ुदा नहीं हो सकते। इस प्रकार के प्रमाणों से आप ने बौद्धिक तौर से तसलीस की विचारधारा को ग़लत साबित किया और यह भी साबित किया कि इन्जील जिस पर ईसाइयों का सारा दारोमदार है कदापि तसलीस की विचारधारा का समर्थन नहीं करती बल्कि उसकी मूल शिक्षा तौहीद (एकेश्वरवाद) पर क़ायम थी।

इसी तरह उलूहियते मसीह (अर्थात मसीह को ख़ुदा समझना) की विचारधारा पर वे वार किए कि मसीह को ख़ुदा साबित करना तो दरकिनार ईसाइयों को मसीह नासरी का एक बशरे कामिल साबित करना भी मुश्किल हो गया। फिर कफ़्फ़ारा पर वे लेख लिखे कि स्वयं कई ईसाइयों को स्वीकार करना पड़ा कि वे ठोस लेख लाजवाब हैं। (उदाहरण के तौर पर देखें 'इस्लामी उसूल की फिलास्फी पर रूस के मशहूर काउन्ट टालस्टाय का रीवियू' जिसका वर्णन आगे आता है)

आपने साबित किया कि कफ़्फ़ारा का सिद्धान्त प्रकृति के विरुद्ध है। ज़ैद के ख़ून से बकर के पापों की क्षमा एक ऐसा विचार है जिसे बुद्धि दूर से ही धक्के देती है। आपने साबित किया कि गुनाह केवल ईमान और पूर्ण विश्वास से ही दूर हो सकता है उसे किसी ख़ूनी क़ुर्बानी की आवश्यकता नहीं और उद्धृत प्रमाणों की दृष्टि से भी आपने इस विचारधारा को झूठी सिद्ध किया। इसी तरह रहम बिना मुबादला (बदल) की बनावटी आस्था की भी धज्जियाँ उड़ा दीं। तात्पर्य यह कि आपने मसीहियत के बारे में बुद्धि और प्रमाण दोनों के अनुसार अत्यन्त

ठोस और पूर्णरूपेण बहसें की हैं और उस पर ऐसे ठोस प्रहार किए हैं कि उसका बच पाना मुश्किल है। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचनाएँ, बराहीन अहमदिया, जंगे मुक़द्दस, अन्जाम-ए-आथम, नूरुल क़ुरआन, सिराजुद्दीन ईसाई के चार सवालों का जवाब, किताबुल बरीय:, इस्लामी उसूल की फ़िलास्फ़ी, नूरुल हक़, चश्मा मसीही, तब्लीग-ए-रिसालत, रीवियू आफ रिलीजन्ज़ में छपे लेख इत्यादि)

इस उदाहृत और बौद्धिक बहस के अलावा एक और महान कार्य जो आपने किया और मानो ईसाइयत की इमारत को बुनियादों से उखाड़ कर फेंक दिया यह आपकी वह महान ऐतिहासिक खोज है जो आपने सलीब की घटना और मसीह नासरी की क़ब्र के बारे में की है। आपने इन्जील और इतिहास से सूर्य समान स्पष्ट कर दिया है कि :-

प्रथम – मसीह नासरी जिसकी सलीबी मौत पर कफ़्फ़ारा का महल खड़ा किया गया है, वह सलीब पर चढ़ाए तो गए परन्तु वह सलीब पर मरे नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में ज़िन्दा ही सलीब से उतार लिए गए और आपने यह बात ऐसे स्पष्ट प्रमाणों के साथ साबित कर दी कि किसी भ्रम और सन्देह की गुंजाइश ही न रही।

द्वितीय – आपने स्पष्ट प्रमाणों के साथ सिद्ध किया कि मसीह नासरी जिन्हें ख़ुदा बनाया गया है मृत्यु पा चुके हैं।

तृतीय – आपने ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात साबित कर दी कि सलीब की घटना के बाद मसीह अपने देश से हिजरत करके कश्मीर की ओर आ गए थे। फिर आपने अकाट्य प्रमाणों से श्रीनगर मुहल्ला खानयार में मसीह की क़ब्र भी साबित कर दी।

अब देखो कि यह तीन ठोस खोजें जो आपने ईसाई धर्म के बारे में की हैं कितना महान असर रखती हैं? और क्या इनके बाद उलूहियते मसीह और कफ़्फ़ार: का कुछ शेष रह जाता है? हज़रत मसीह यदि सलीब पर नहीं मरे और सलीब से ज़िन्दा उतर आए तो मानो कफ़्फ़ार: खाक में मिल गया फिर अगर मसीह अपनी ज़िन्दगी के दिन गुज़ार कर दूसरे लोगों की तरह मृत्यु पा गए और मिट्टी में दफन हो चुके

और उनकी क़ब्र भी मिल गई तो केवल उन्हीं पर नहीं बल्कि उनकी ख़ुदाई पर भी मौत आ गई और मानो वह केवल स्वयं दफन नहीं हुए बल्कि उनकी ख़ुदाई भी दफन हो गई और मसीहियत का सारा जादू धुआँ होकर उड़ने लगा। (देखो 'मसीह हिन्दुस्तान में' और 'राज़-ए-हक़ीक़त' और 'क़ब्रे मसीह' इत्यादि)

फिर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने रूहानी मुक़ाबला के लिए भी ईसाइयों को बुलाया और बार-बार चैलेन्ज दिया कि तुम उन लोगों में से होने का दावा करते हो जो एक राई के दाना के बराबर ईमान रखने पर भी वह कुछ दिखा सकते हैं जो तुम्हारे विचार में मसीह ने दिखाया था, तो अब मेरे मुक़ाबले पर निकलो और अपने ईमान का सबूत दो। मैं मसीह की ख़ुदाई का मुन्किर हूँ। हाँ नि:सन्देह वह ख़ुदा के नबियों में से एक नबी था। मगर मुझे ख़ुदा ने उस से बढ़कर दर्जा प्रदान किया है और मैं कफ़्फ़ार: के ख़ूनी अक़ीदा को झूठा समझता हूँ। अब अगर तुम में से किसी को हिम्मत है कि रूहानी विशेषताओं में मेरा मुक़ाबला कर सके तो वह सामने आए और दुआ और रूहानी फायदा पहुँचाने में मेरे साथ मुक़ाबला कर ले फिर देखे कि ख़ुदा किस के साथ है। आप ने लिखा कि क़ुर्आ अन्दाज़ी के द्वारा कुछ भीषण रोगी मुझे दे दो और कुछ तुम ले लो। मैं अपने रोगियों के लिए दुआ करूँगा और अपने ख़ुदा से उनके लिए रोगों से मुक्ति चाहूँगा और तुम अपने रोगियों के लिए अपने मसीह से रोगों से मुक्ति की दुआ माँगना और अपनी ज़ाहिरी विद्याओं की मदद से उनका इलाज भी करना। फिर हम देखेंगे कि किसका ख़ुदा प्रभुत्व रखने वाला है और कौन विजय पाता है और कौन रुसवा होता है। आपने इस चैलेन्ज को बार-बार दोहराया और इसके बारे में बहुत से इश्तिहार भी दिए और पादरियों को ग़ैरत दिला दिलाकर उभारा और उनके बड़े-बड़े बिशपों को आमंत्रण पत्र भेजे परन्तु किसी को मुक़ाबले में आने की हिम्मत न हुई। (देखो तब्लीग़-ए-रिसालत, रीवियू आफ रिलीजन्ज़, हक़ीक़तुल वह्यी इत्यादि)

क्या इस से बढ़कर और कोई रूहानी मौत हो सकती है जो इस

मज़हब को मिली?

फिर आपने इस महान मुबाहसा (शास्त्रार्थ) के बाद जो सन् 1893 ई. में अमृतसर में ईसाइयों के साथ हुआ था और जंगे मुक़द्दस के नाम से छप चुका है ईसाइयों के शास्त्रार्थकर्ता डिप्टी अब्दुल्ला आथम के बारे में भविष्यवाणी की कि चूँकि उसने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दज्जाल कहा है और मुझ पर और इस्लाम पर हँसी उड़ाई है और वह एक सरासर झूठे अक़ीदे का मददगार है इसलिए यदि उसने सच की तरफ झुकाव न किया तो वह पन्द्रह महीने में मौत की सज़ा के द्वारा नर्क में गिराया जाएगा। (देखो जंगे मुक़द्दस का आख़िरी लेख)

इस भविष्यवाणी का आथम के दिल पर ऐसा ख़ौफ़ छाया कि वहीं पर उसी सभा में उसने अपनी ज़ुबान मुँह से निकालकर और कानों को हाथ लगाकर कहा कि मैंने तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दज्जाल नहीं कहा। हालाँकि वह अपनी किताब ''अन्दरुना बाइबल'' में दज्जाल कह चुका था। फिर उसके बाद ज्यों-ज्यों समयसीमा बीतती गई उसका ख़ौफ़ और बेचैनी बढ़ती गई और वह एक शहर से दूसरे शहर की ओर भागता था और उसे अपने डरावने विचारों में कभी तो नंगी तलवारों वाले दिखाई देते थे और कभी साँप दिखाई देते थे। (देखो बयान मार्टन क्लार्क किताबुल बरीय: सहित)

फिर उसने अपनी क़लम और ज़ुबान को इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखने और बकने से बिल्कुल रोक लिया और ज्ञात हुआ है कि उन दिनों में वह अलग बैठकर क़ुरआन शरीफ़ भी पढ़ा करता था यद्यपि उसका डर कम करने के लिए ईसाइयों ने उसके लिए पुलिस के विशेष पहरे का प्रबन्ध भी कर दिया था। लेकिन फिर भी उसका खौफ बढ़ता जाता था। आख़िर उसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उनको उसे शराब पिला पिलाकर मदहोश रखना पड़ा। तात्पर्य यह कि हर तरह से उसने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और इस्लाम की सच्चाई से डरने का इज़्हार किया। जिसके कारण ख़ुदा ने भविष्यवाणी की शर्त के अनुसार समय सीमा के अन्दर उसे नर्क में गिरने से बचा लिया।

लेकिन जैसा कि झूठों की आदत होती है समयसीमा बीतने के पश्चात ईसाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भविष्यवाणी ग़लत निकली। इस पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने उनको प्रमाणपूर्वक समझाया कि आथम का बचना भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। क्योंकि यह भविष्यवाणी सशर्त थी अर्थात उसका आशय यह था कि अगर आथम तौबा न करेगा तो पन्द्रह महीने में नर्क में गिराया जाएगा और यदि तौबा करेगा तो इस दशा में बचा रहेगा मानो एक पहलू से उसके मरने और एक पहलू से उसके ज़िन्दा रहने की भविष्यवाणी थी। अतएवं जब उसका डर और उसकी तौबा साबित है तो उसका ज़िन्दा रहना भविष्यवाणी के अनुसार हुआ न कि उलट। परन्तु ईसाइयों ने यह न समझा और न समझना चाहा। इस पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब की इस्लामी ग़ैरत जोश में आई और आपने इश्तिहार के द्वारा यह घोषणा की कि यदि आथम इस बात की क़सम खा जाय कि उस पर भविष्यवाणी का डर नहीं छाया रहा और उसने तौबा नहीं की, फिर वह क़सम खाने के बाद एक साल के अन्दर-अन्दर मर न जाए तो मैं उसे एक हज़ार रुपए नक़द इनाम दूँगा और इस दशा में मैं झूठा भी ठहरूँगा और तुम सच्चे साबित होगे और यह रुपया अभी से जिस मध्यस्थ (पंच) के पास चाहो जमा करवा लो और अपनी तसल्ली कर लो पर आथम साहिब इस बात की ओर न आए।

इस के बाद आपने दूसरा घोषणापत्र दिया कि अगर आथम क़सम खा ले कि मैंने तौबा नहीं की तो हम दो हज़ार रुपया देंगे मगर फिर भी खामोश रहा। इस पर आपने एक तीसरा घोषणापत्र दिया कि अगर आथम क़सम खा ले तो मैं तीन हज़ार रुपया इनाम दूँगा मगर फिर खामोश रहा। फिर आपने चौथा घोषणापत्र दिया कि मैं चार हज़ार रुपया इनाम दूँगा अगर आथम यह क़सम खा ले कि भविष्यवाणी का ख़ौफ़ उसके दिल पर नहीं छाया रहा और उसने सच की ओर झुकाव नहीं किया। आपने लिखा कि अगर तुमने क़सम खा ली तो एक साल में तुम्हारा ख़ात्मा है और इसके साथ कोई शर्त नहीं। लेकिन यदि तुमने

क़सम न खाई तो हर बुद्धिमान के निकट सिद्ध हो जाएगा कि तुमने अपनी ख़ामोशी से सच्चाई पर पर्दा डालना चाहा है। इस दशा में यद्यपि मैं एक वर्ष की समय सीमा तो नहीं निर्धारित करता लेकिन यह कहता हूँ कि जल्द तुम्हारा खात्मा है और कोई बनावटी ख़ुदा तुम्हें इस मौत से बचा न सकेगा। फिर इसके बाद आपने 30 दिसम्बर सन् 1895 ई. को एक और घोषणापत्र देकर इस लेख को दोहराया और लिखा कि :-

''मुझे उसी ख़ुदा की क़सम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर आथम अब भी क़सम खाना चाहे और इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं प्रस्तुत करता हूँ (अर्थात यह कि पन्द्रह महीने की अवधि में उसके दिल पर भविष्यवाणी का डर हावी नहीं हुआ और इस्लाम की सच्चाई का रौब उसके दिल पर नहीं पड़ा और उसने कोई तौबा नहीं की) एक समारोह में मेरे सामने तीन बार क़सम खा ले और हम आमीन (तथास्तु) कहें, तो मैं उसी समय चार हज़ार रुपये उसको दे दूँगा। यदि क़सम की तिथि से एक साल तक वह ज़िन्दा और सलामत रहा तो वह रुपया उसका होगा और फिर इसके बाद यह सारी क़ौमें मुझको जो सज़ा चाहें दें। अगर मुझको तलवार से टुकड़े-टुकड़े भी करें तो मैं कुछ बहाना न करूँगा और यदि दुनिया की सज़ाओं में से मुझको वह सज़ा दें जो सबसे कठोर है तो मैं इन्कार नहीं करूँगा और स्वयं मेरे लिए इससे बढ़कर कोई रुसवाई नहीं होगी कि मैं उसकी क़सम के बाद जिसका मेरे ही इल्हाम पर आधार है झूठा निकलूँ। (देखो तब्लीग़-ए-रिसालत, जिल्द 4)

प्रिय पाठको! ख़ुदा की क़ुदरत का चमत्कार देखें कि इस आख़िरी घोषणापत्र पर अभी सात महीने नहीं गुज़रे थे कि 27 जुलाई सन् 1896 ई. को आथम हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया गया। आथम के मरने के बाद भी हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने विरोधियों पर तर्क पूर्ण करने के लिए ईसाइयों को ही नहीं बल्कि तमाम् विरोधियों को संबोधित करके लिखा कि :-

''यदि अब तक किसी ईसाई को आथम के उस झूठ पर सन्देह हो

तो आसमानी प्रमाण से शक दूर करा ले। आथम तो भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु पा गया। अब वह अपने आपको उसका क़ायम मुक़ाम (प्रतिनिधि) ठहराकर आथम के विषय में क़सम खा ले, अर्थात इस बात की क़सम खा ले कि आथम भविष्यवाणी के तेज से नहीं डरा बल्कि उस पर ये जो हमले हुए थे (अर्थात उसका डर इस लिए था कि मानो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ओर से उसके क़त्ल के लिए कभी तलवारों वाले आदमी भेजे गए और कभी साँप छोड़े गए, कभी कुत्ते सिखाकर भेजे गए इत्यादि इत्यादि नऊज़बिल्लाह) यदि यह क़सम खाने वाला भी एक साल तक बच गया तो देखो मैं इस समय स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने हाथ से प्रकाशित कर दूँगा कि मेरी भविष्यवाणी ग़लत निकली। इस क़सम के साथ कोई शर्त न होगी। यह अति स्पष्ट फैसला हो जाएगा और जो व्यक्ति ख़ुदा के निकट असत्य पर है उसका झूठ खुल जाएगा।'' (देखो अन्जाम-ए-आथम, पृष्ठ 15)

परन्तु इस पर भी ईसाइयों का कोई बहादुर सपूत मर्दे मैदान बनकर सामने न आया। अल्लाहु अकबर! यह कितनी बड़ी रुसवाई और पराजय थी जो इस्लाम के मुकाबले में ईसाइयत को पहुँची। परन्तु जिसके आँख न हो वह कैसे देखे। (पूरी बहस के लिए देखो जंगे मुक़द्दस, अन्वारुल इस्लाम, अन्जाम-ए-आथम इत्यादि)

रुसवाई से भरी आथम की इस मौत ने ईसाई कैम्प में दुश्मनी और ईर्ष्या-द्वेष की भयानक आग भड़का दी। अत: अभी उसकी मौत पर अधिक समय नहीं गुज़रा था कि डाक्टर मार्टन क्लार्क ने जो अमृतसर का एक बहुत मशहूर ईसाई मिशनरी था और अमृतसर के मुबाहसा में भी आथम का सहायक और मददगार रहा था। हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर क़त्ल के प्रयास का एक झूठा मुक़द्दमा दायर किया और दावा किया कि मिर्ज़ा साहिब ने अब्दुल हमीद जेहलमी नामक एक व्यक्ति को मेरे क़त्ल के लिए अमृतसर भेजा है और पादरी साहिब महोदय ने डरा धमका और लालच देकर अब्दुल हमीद से अपने मतलब का मुफीद बयान भी दिलवा दिया। लेकिन यह मुक़द्दमा पेश होने से पहले

अल्लाह तआला ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब को इल्हाम के द्वारा ख़बर दी कि आपके ख़िलाफ एक मुक़द्दमा होने वाला है परन्तु इसका अन्जाम रिहाई है। अतएव आप ने उस इल्हाम को प्रकाशित कर दिया। इसके बाद उस मुक़द्दमे की कार्यवाही शुरू हुई और आर्यों एवं कई मुसलमानों ने उसमें ईसाइयों की मदद की और खुल्लम खुल्ला उनका साथ दिया। आर्य वकीलों ने मार्टन क्लार्क की ओर से मुफ्त मुक़द्दमा की पैरवी की और कई मुसलमान मौलवियों ने बढ़-बढ़कर हज़रत मिर्ज़ा साहिब के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दीं। लेकिन अल्लाह तआला ने कप्तान डगलस डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर पर सच्चाई प्रकट कर दी और अन्तत: परिणाम यह हुआ कि अब्दुल हमीद ने कप्तान डगलस के पैरों पर गिर कर इस बात का इक़रार किया कि यह मुक़द्दमा बनावटी है और मुझे पादरियों ने सिखाया था कि इस-इस प्रकार के बयान दो। अत: आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के शुभ सन्देश के अनुसार इज़्ज़त के साथ बरी किए गए और ईसाई पादरियों के माथे पर रुसवाई और पराजय के अलावा झूठ और षड़यन्त्र और क़त्ल के प्रयास का काला धब्बा लग गया और इस्लाम को एक स्पष्ट विजय प्राप्त हुई। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचना किताबुल बरीय:)

जब हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने देखा कि ईसाइयों में से कोई व्यक्ति दुआ और रूहानी फायदा पहुँचाने के मुकाबला के लिए आगे नहीं आता तो आपने उनको मुबाहला के लिए बुलाया, अर्थात ईसाइयों को आमन्त्रित किया कि यदि तुम्हें अपने मज़हब के सच्चे होने का विश्वास है तो मेरे साथ मुबाहला कर लो अर्थात मेरे मुकाबले पर आकर यह दुआ करो कि हे हमारे ख़ुदा! हम ईसाइयत को सच्चा जानते हैं और इस्लाम को एक झूठा मज़हब समझते हैं और हमारा प्रतिद्वन्दी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इस्लाम को सच्चा समझता है और ईसाइयत के अक़ीदों को झूठा ठहराता है। अब हे ख़ुदा! तू जो मामले की सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है, तू हम दोनों में सच्चा-सच्चा निर्णय कर और हम में से जो व्यक्ति अपने दावा में झूठा है उसको सच्चे की

ज़िन्दगी में एक साल के अन्दर-अन्दर अज़ाब में ग्रस्त कर। इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने लिखा कि इसी प्रकार मैं भी दुआ करूँगा और फिर हम देखेंगे कि ख़ुदा किसको अज़ाब में ग्रस्त करता है और किस की प्रतिष्ठा प्रकट होती है। परन्तु अफ़सोस! कि ईसाइयों में से इस मुक़ाबला के लिए भी कोई न निकला। (देखो तब्लीग़-ए-रिसालत)

मिस्टर वाल्टर आंजहानी जो एक अमेरिकन पादरी था जिसने सिलसिला अहमदिया का एक संक्षिप्त इतिहास अंग्रेज़ी भाषा में लिखा है इस चैलेन्ज का वर्णन करके लिखता है कि वस्तुत: ईसाई लोग किसी के बारे में बद्दुआ करने और उसकी मौत का इच्छुक होने के स्थान से ऊँचे हैं क्योंकि वे धार्मिक रूप से किसी की भी तबाही और रुसवाई नहीं चाहते। इसलिए कोई ईसाई मिर्ज़ा साहिब के मुक़ाबले पर नहीं आया। खूब! बहुत खूब!! परन्तु हल योग्य बात यह रह जाती है कि आथम की तय अवधि पर शहरों में जुलूस निकलवाने और स्वाँग भरने और फिर उसकी मौत पर ग़ुस्से में आकर क़त्ल के प्रयास के झूठे और बनावटी मुक़द्दमे करने और हज़रत मिर्ज़ा साहिब को क़ैद कराके फाँसी दिलवाने या आजीवन काला पानी भिजवाने इत्यादि के लिए तो हे ईसाइयत के दयालु सज्जनो! तुम तैयार हो और तुम्हारा धर्म तुम्हारे हाथ को नहीं रोकता। मगर इस्लाम और मसीहियत में सच्चा-सच्चा निर्णय कराने के लिए ख़ुदा के समक्ष दुआ के लिए हाथ उठाते हुए तुम्हें अपना धर्म याद आ जाता है!!! तुमने इस्लाम और इस्लाम के संस्थापक के ख़िलाफ़ लेख और भाषण में ज़हर उगलने और गालियों से अपनी किताबों के पन्ने के पन्ने काले कर देने को तो जाइज़ रखा है और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का कोई मौक़ा हाथ से नहीं जाने देते। मगर जहाँ धार्मिक झगड़ों का मुक़द्दमा ख़ुदा की अदालत में प्रस्तुत किया जाता है वहाँ तुम्हें एक गाल पर तमाचा खाकर मारने वाले की तरफ दूसरा गाल फेर देने के विषय पर अमल करने की सूझती है। इन्हीं बातों के कारण तो हदीस में तुम्हारा वह नाम रखा गया, जो रखा गया। फिर यह तो बताओ कि मानो मुबाहला में तो मसीहियत की

मुहब्बत की शिक्षा रोक बनी, लेकिन सामने आकर निशान देखने और दिखाने और रोगियों के चंगा होने के लिए आमने-सामने दुआ करने में कौन सी बात रोक थी?

यह तो एक जुमल: मोअतरिज़ा (कोष्ठकबद्ध वाक्य) था। तात्पर्य यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने मसीहियों को हर तरह से मुबाहला के लिए बुलाया लेकिन किसी को सामने आने की हिम्मत न हुई पर ख़ुदा को इस रंग में भी इस्लाम की विजय और मसीहियत की पराजय दिखानी मंजूर थी। जैसा कि उन्हीं दिनों अमेरिका में डोई नामक एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो मूलत: स्काटलैण्ड का निवासी था उसने देखते ही देखते अपने पास लोगों का एक बड़ा गिरोह जमा कर लिया और मसीही क़ौम में अपने दजल (झूठ) का झण्डा फहराया और कहा कि मैं मसीह नासरी का रसूल हूँ और मसीह के बहुत ही जल्द आने की शुभसूचना लेकर आया हूँ और कहा कि मेरा यह भी काम है कि मैं इस्लाम को जड़ से मिटाऊँ। यह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का इस्लाम का दुश्मन था और मानो ईसाइयत की मुहब्बत में डूबा हुआ था और उसके समर्थन में एक अखबार भी निकाला करता था जिसका नाम ''लीव्ज़ आफ हीलिंग'' (Leaves of Healing) था। उसने अपने उस अख़बार में लिखा कि ''यदि मैं सच्चा नबी नहीं हूँ तो फिर धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो ख़ुदा का नबी हो।'' और लिखा कि ''मैं ख़ुदा से दुआ करता हूँ कि वह दिन जल्द आए कि इस्लाम दुनिया से मिट जाए, हे ख़ुदा! तू ऐसा ही कर। हे ख़ुदा! तू इस्लाम को मिटा दे।'' और यह व्यक्ति आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी गालियाँ दिया करता था। अत: यह व्यक्ति पूरे ईसाई जगत में इस्लाम की दुश्मनी और उसके सम्बन्ध में गाली-गलौज करने वालों में से पहले नम्बर पर था। जब हज़रत मिर्ज़ा साहिब को इस फित्ने का पता चला तो आपने एक इश्तिहार के द्वारा उसको मुबाहला के लिए बुलाया और यह इश्तिहार अमेरिका और यूरोप के बहुत से अख़बारों में छपवा दिया। अत: उन अख़बारों की सूची हक़ीक़तुल वह्यी और रीवियू आफ

रिलीजन्ज़ में प्रकाशित हो चुकी है।

डोई इतना अहंकारी था कि उसने हज़रत मिर्ज़ा साहिब के उस दावते मुबाहला का जवाब तक न दिया बल्कि अपने अख़बार में केवल यह कुछ पंक्तियाँ लिखकर प्रकाशित कर दीं कि :-

''हिन्दुस्तान में एक बेवकूफ मुहम्मदी मसीह है जो मुझे बार-बार लिखता है कि यसु मसीह की क़ब्र कश्मीर में है और लोग मुझे कहते हैं कि तू इस बात का जवाब क्यों नहीं देता और पुन: कहते हैं कि तू उस व्यक्ति का जवाब क्यों नहीं देता (अर्थात उसके दावते मुबाहला का) मगर क्या तुम सोचते हो कि मैं इन मच्छरों और मक्खियों का जवाब दूँगा। यदि मैं इन पर अपना पाँव रखूँ तो इनको कुचल कर मार डालूँ।'' फिर दूसरे अंक में लिखता है ''मेरा काम यह है कि मैं पूरब पश्चिम उत्तर और दक्खिन से लोगों को एकत्र करूँ और ईसाइयों को इस (इस से डोई का बसाया हुआ शहर सैहून तात्पर्य है) शहर और दूसरे शहरों में आबाद करूँ, यहाँ तक कि वह दिन आ जाए कि मुहम्मदी मज़हब दुनिया से मिटा दिया जाए। हे ख़ुदा! हमें वह समय दिखला।''

इस पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने एक घोषणापत्र के द्वारा पुन: डोई को संबोधित किया और लिखा कि तुमने मेरी दावते मुबाहला का जवाब नहीं दिया। अब मैं तुम्हें फिर चैलेन्ज देता हूँ कि मेरे मुकाबले में निकल आओ और मैं तुमको सात माह की ढील देता हूँ यदि तुमने इस अवधि में भी जवाब न दिया तो तुम्हारा पीठ दिखाना समझा जाएगा और तुम्हारे शहर सैहून पर जिसको तुमने मसीह नासरी के अवतरण के लिए बसाया है आपदा आएगी और ख़ुदा मेरे द्वारा इस्लाम का प्रभुत्व प्रकट करेगा इत्यादि इत्यादि। यह घोषणापत्र भी अमेरिका के कई अखबारों में छप गया और हमारी पत्रिका रीवियू आफ रिलीजन्ज़ सन् 1902-1903 ई. में उसका वर्णन है और 20 फरवरी सन् 1907 ई. के एक अख़बार में हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने घोषणा की कि ''ख़ुदा फ़रमाता है कि मैं एक ताज़ा निशान प्रकट करूँगा जिसमें बहुत बड़ी

विजय होगी और वह सारी दुनिया के लिए एक निशान होगा। (देखो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की रचना ''क़ादियान के आर्य और हम'')

अब देखो कि ख़ुदा क्या दिखाता है वह डोई जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मुक़ाबले के समय एक बड़ी ताक़त का मालिक और एक बड़ी जमाअत का अगुवा था और युवराजों की तरह रहता था और अपने देशवासियों और सहधर्मियों में बड़ा प्रतिष्ठित और संभ्रान्त समझा जाता था और बहुत प्रसिद्ध था। अपनी बद्ज़ुबानियों और हज़रत मिर्ज़ा साहिब की भविष्यवाणियों के बाद उसकी क्या हालत होती है। सुनो और ध्यान दो :-

1. डोई के बारे में यह साबित हो जाता है कि वह शराब पीता है हालाँकि वह शराब के विरुद्ध उपदेश दिया करता था।

2. यह साबित हो जाता है कि वह जारज (अवैध सन्तान) है।

3. उसके अनुयायी उससे बद्ज़न होकर उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसके कई करोड़ रुपयों पर कब्ज़ा करके उसको उसके शहर सैहून से निकाल देते हैं।

4. पचास वर्ष की आयु में जबकि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था उस पर लक़्वा गिरता है जो उसे चल फिर न सकने योग्य बना देता है।

5. फिर अन्तत: हज़रत मिर्ज़ा साहिब के आख़िरी घोषणापत्र 20 फ़रवरी सन् 1907 ई. के कुछ ही दिन बाद अर्थात 11 मार्च सन् 1907 ई. को अखबारों में यह समाचार छपता है कि लक्वाग्रस्त और नामुराद डोई इस संसार से गुज़र गया। (डोई से सम्बन्धित भविष्यवाणी के बारे में विस्तारपूर्वक बहस और संबंधित तिथियों के लिए देखो किताब ''डोई का इबरतनाक अंजाम'' लेखक चौधरी खलील अहमद साहिब नासिर मुबल्लिग़ वाशिंगटन, अमेरिका)

देखो यह कितना बड़ा निशान है जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब के हाथ पर इस्लाम की सच्चाई और ईसाइयत के खण्डन में प्रकट हुआ और यह निशान भी इस ढंग से प्रकट हुआ कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की भविष्यवाणी की दृष्टि से सारी दुनिया इसकी गवाह बन गई। क्योंकि

यूरोप और अमेरिका के बीसों अंग्रेज़ी अखबारों में हज़रत मिर्ज़ा साहिब और डोई के मुकाबले की खबरें प्रकाशित होकर लोगों में व्यापक रूप से फैल चुकी थीं। इससे बढ़कर कस्रे सलीब और क़त्ले दज्जाल क्या होगा? जिसकी आँखें हो देखे। (देखिए किताब ''हक़ीक़तुल वह्यी'' और ''रीवियू आफ रिलीजन्ज़'' जिल्द 6)

सारांशत: यह कि आप अलैहिस्सलाम ने चार अलग-अलग प्रकार से कस्रे सलीब और कत्ले दज्जाल का काम अंजाम दिया।

प्रथम – वे आन्तरिक मतभेद[1] जिन्होंने इस्लाम को बदनाम कर रखा था और ईसाइयों को इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत दिलेर कर दिया था उनको आपने खुले-खुले प्रमाणों से दूर कर दिया।

द्वितीय – आप ने बुद्धि और प्रमाण से ईसाइयत के बुनियादी सिद्धान्तों का झूठा होना साबित किया और इस बहस में बड़े-बड़े स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए और ईसाइयों को एक बड़े मुबाहसा में पराजित किया।

तीसरे – आपने सलीब की घटना और मसीह नासरी की मृत्यु और क़ब्र के सम्बन्ध में ऐतिहासिक खोज प्रस्तुत करके मसीही मज़हब पर वह वार किया जिसने उसको जड़ से काट कर रख दिया।

चौथे – दुआ और रूहानी मुकाबलों और ख़ुदा के बड़े-बड़े निशानों के द्वारा आपने ईसाइयत के मुक़ाबले पर इस्लाम को विजयी कर दिखाया।

समझ-बूझ की इन चार इन्द्रियों की दृष्टि से उस व्यक्ति के अतिरिक्त जो जन्म से ही उल्लू प्रकृति का पैदा हुआ हो कोई एक पल के लिए भी इस्लाम की विजय और मसीहियत की पराजय के बारे में सन्देह नहीं कर सकता और यह सब हज़रत मिर्ज़ा साहिब के द्वारा घटित हुआ।

اللّٰھُمَّ صلِّ علیہ وعلیٰ مطاعہ محمد صلوٰۃً وسلاماً دائماً بارک وسلم۔

---

1. जो इस्लाम के अन्दर पैदा हो चुके थे - अनुवादक।

हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद तथा महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम की सच्चाई

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सच्चाई को सिद्ध करने के लिए अल्लाह तआला क़ुरआन करीम में फ़रमाता है कि हे नबी तू उन से कह दे :-

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(सूर: यूनुस : 17)

''इससे पहले मैं एक लम्बा समय तुम्हारे बीच व्यतीत कर चुका हूँ क्या फिर भी तुम समझते नहीं हो।''

इस आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हे नबी! तू उन लोगों से कह दे कि मैं नबी होने का दावा करने से पहले एक लम्बी आयु तुम्हारे बीच गुज़ार चुका हूँ। क्या तुम ने मुझे पहले कभी झूठ बोलते देखा है ? यदि मैंने अपनी चालीस वर्ष की आयु में जो नुबुव्वत के दावे से पहले की है, किसी एक मामले में भी झूठ नहीं बोला तो क्या तुम्हारी बुद्धि इस बात को मानेगी कि आज अचानक मैं ख़ुदा तआला के बारे में जो सारी दुनिया का हाकिम है झूठ और मक्कारी से काम लेने लगा हूँ। इन्सान का स्वभाव तो यह है हर आदत चाहे वह अच्छाई की हो या बुराई की धीरे-धीरे पड़ती है। यह तो आदत के ही ख़िलाफ़ है कि चालीस साल तक तो इन्सान सच बोलता रहा हो और फिर अचानक एक ऐसा बदलाव पैदा हो जाये कि इन्सान ख़ुदा के बारे में झूठ बोलने लगे। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपना नुबुव्वत का दावा करने से पहले लोगों का इकट्ठा किया और उन से मालूम किया कि अगर मैं तुम से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक विशाल फ़ौज छुपी हुई है तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? तो उन्होंने कहा : مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا۔ (बुख़ारी किताबुत्तफ़सीर, सूर: अश्शो'रा भाग 3, पृष्ठ 106, मिस्र से प्रकाशित)

अर्थात हमें आप के विषय में सच के अतिरिक्त किसी और चीज़ का तजुर्बा नहीं है। तब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रम या فَإِنِّیْ نَذِیْرٌ لَّکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ''मैं ख़ुदा की तरफ से नबी हो कर आया हूँ और एक ख़तरनाक अज़ाब से तुम्हें डराता हूँ।'' यह बात सुन कर उन लोगों में से अबू लहब उठा और उसने कहा تَبًّا لَّكَ अर्थात् तेरा सर्वनाश हो जाये तूने यह क्या बात कही है। इस घटना से यह बात साबित होती है कि नबी का दावा करने से पहले का जीवन मित्र व शत्रु सब के तजुर्बे के अनुसार पवित्र व निर्मल होता है और झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं होती। हक़ीक़त में उस के नुबुव्वत के दावे के पश्चात् का जीवन भी पाक व साफ़ होता है। लेकिन नुबुव्वत के दावे के पश्चात् लोग उस के शत्रु बन जाते हैं और उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं। अत: एक नुबुव्वत का दावा करने वाले की सच्चाई को परखने के लिए उस के दावे से पहले के जीवन को अवश्य देखना चाहिए। यदि वह प्रत्येक पहलू से साफ़ व पवित्र है तो नि:सन्देह वह सच्चा है। यह एक ऐसी दलील है जो बिल्कुल इन्सान की प्रकृति के अनुसार है। और जाहिल से जाहिल भी इस को समझ सकता है। इस दलील के अनुसार हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम मसीह मौऊद व महदी मौऊद सच्चे साबित होते हैं। देखिए हुज़ूर अपने पवित्र जीवन के बारे में कैसे निश्चयात्मक शब्दों में फरमाते हैं :-

''अब देखो ख़ुदा ने अपनी हुज्जत (तर्क) को तुम पर पूरा कर दिया है कि मेरे दावा पर हज़ार दलीलें क़ायम कर के तुम्हें यह मौक़ा दिया है कि तुम विचार करो कि वह व्यक्ति जो तुम्हें इस सिलसिले (जमाअत) की तरफ़ बुलाता है वह किस दर्जे की मा'रिफ़त (ज्ञान) का आदमी है और किस क़दर दलीलों को पेश करता है और तुम कोई दोषारोपण, इफ़्तिरा, झूठ या दग़ा का मेरी पहली ज़िन्दगी पर नहीं लगा सकते कि तुम यह ख़याल करो कि जो शख़्स पहले से झूठ और जालसाज़ी का अभ्यस्त है यह भी उस ने झूठ बोला

होगा। तुम में से कौन है जो मेरी जीवन चरित्र में कोई अलोचना कर सकता है। अत: यह ख़ुदा का फ़ज़ल है जो उसने शुरू से मुझे तक़्वा पर क़ायम रखा और सोचने वालों के लिए यह एक दलील है।'' (तज़किरतुश्शहादतैन, रूहानी ख़ज़ाइन भाग 20, पृ. 64)

इस चुनौती को पेश किए लगभग सौ वर्ष हो गये हैं कोई व्यक्ति हुज़ूर के दावे से पहले के जीवन पर कोई दोष नहीं निकाल सका। केवल यही नहीं कि कोई नुक्ता-चीनी नहीं कर सका बल्कि यह कि मौलवी म ुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी जिन्होंने सारे भारत में घूम-घूम कर हुज़ूर के ख़िलाफ़ कुफ़्र के फ़तवे इकट्ठे किये, दावा से पहले के जीवन के बारे में गवाही देते हैं कि हुज़ूर मुत्तकी (ख़ुदा से डरने वाले) और परहेज़गार थे और उन्होंने इस्लाम धर्म की बेमिसाल सेवा की है। अत: हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सब से पहली लिखी गई किताब ''बराहीन अहमदिया'' की समीक्षा करते हुए लिखते हैं :-

''अब हम इस पर अपनी राय निहायत संक्षेप में और अतिश्योक्ति के बिना सादा शब्दों में पेश करते हैं। हमारी राय में यह किताब इस ज़म ाने में मौजूदा हालत की नज़र से ऐसी किताब है जिस की मिसाल आज तक इस्लाम में प्रकाशित नहीं हुई और इस का लेखक (यानी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम) भी इस्लाम की माली व जानी व कलमी (कलम से सम्बन्धित) व लिसानी (ज़बान से सम्बन्धित) व हाली तथा क़ौली (कथन से) मदद में ऐसा साबित क़दम निकला है जिस का उदाहरण पहले मुसलमानों में बहुत कम पाया गया है।''

(इशाअतुस्सुन्न: जिल्द 6 पृ. 7)

अत: यदि नुबुव्वत के दावे से पहले का पवित्र जीवन आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सच्चाई का गवाह है तो अवश्य ही बुद्धिमान लोगों के नज़दीक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई का भी सबूत है क्यों कि आपने भी विश्व के सामने ख़ुदा की तरफ से भेजा गया होने का दावा पेश किया।

दूसरा पैमाना :- सच्चाई का दूसरा पैमाना दावा करने वाले के दावे

से सम्बन्ध रखता है। अल्लाह तआला सूर: अलहाक़्क़: रुकू 2 में फ़रमाता है :-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ○

(सूर: अल-हाक़्क़: 45-48)

''और यदि यह व्यक्ति हमारी तरफ झूठा इल्हाम (ईशवाणी) मनसूब कर देता, चाहे वह एक ही होता तो हम यकीनन उस को दायें हाथ से पकड़ लेते और उस की गर्दन की धमनी काट देते। अत: इस हालत में तुम में से कोई भी न होता जो उसे ख़ुदा के अज़ाब से बचा सकता।''

व्याख्या :- इस आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है यदि यह दावा करने वाला झूठा होता और झूठे इल्हाम (ईशवाणी) बना कर यह कहता कि यह इल्हाम ख़ुदा ने किया है तो हम उसे पकड़ लेते और जल्दी ही क़त्ल करवा देते। उसे इतना समय न दिया जाता कि वह लगातार लोगों को गुमराह करता रहता। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम नुबुव्वत का दावा करने के पश्चात 23 वर्ष तक जीवित रहे। हुज़ूर का यह जीवन इस बारे में गवाह है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इतने लम्बे समय तक (जो 23 वर्षों का लम्बा समय है) उस का जीवित रहना इस बात का प्रमाण है कि वह दावे में सच्चा है। यदि वह झूठा होता तो बहुत जल्दी ही हम पकड़ लेते और मार देते। इस आयत से यह परिणाम निकलता है कि कोई इल्हाम व ईशवाणी प्राप्ति का झूठा दावा करने वाला इतने समय तक जीवित नहीं रह सकता जितने समय तक आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जीवित रहे।

यह बात याद रखने के योग्य है कि इस आयत-ए-करीमा में तक़व्वला शब्द का प्रयोग किया गया है जो जानबूझ कर और चाहकर झूठ बोलने को सिद्ध करता है। एक मजनून और दीवाना इस कानून के दायेरे में नहीं आता क्योंकि वह बीमारी के कारण विवश है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ईशवाणियों का सिलसिला 43 वर्ष तक जारी रहा। अत: आप का इतने समय तक मारा न जाना इस बात का

पूरा-पूरा सबूत है कि आप नि:सन्देह सच्चे और अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे।

तीसरा पैमाना :-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ○ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ...

(सूर: जिन, 27-28)

अर्थात "ग़ैब (अदृश्य) का जानने वाला वही है (अर्थात अल्लाह तआला) और वह अपने ग़ैब (अदृश्य) पर अपने रसूलों के अतिरिक्त किसी को पर्याप्त मात्रा में ख़बर नहीं देता।"

व्याख्या :-

अल्लाह तआला क़ुरआन शरीफ ने फ़रमाता है

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ۔

(सूर: अल-अनआम, रुकू 7, आयत 60)

अर्थात ग़ैब (अदृश्य) की चाबियाँ अल्लाह तआला के हाथ में हैं और ग़ैब को अल्लाह तआला के अतिरिक्त कोई नहीं जानता।"

इस आयत में अलग़ैब से मुराद शुद्ध ग़ैब है। जिस की भविष्यवाणी किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं दी जा सकती। सूर: अल-जिन्न की आयत में यह बताया गया है कि शुद्ध ग़ैब की ख़बरें अल्लाह तआला केवल अपने निर्वाचित नबियों को ही पर्याप्त मात्रा में देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार जिस व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में ग़ैब के मामलों की ख़बर दी जाए उस के रसूल होने में शक नहीं किया जा सकता। **ज़हर अलल ग़ैब** का यही अर्थ है कि ग़ैब के मामले पर्याप्त मात्रा में बताए जायें और वे बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित हों। मानो मात्रा और वस्तुस्थिति दोनों प्रकार से यह मालूम होता हो कि जैसे ग़ैब पर प्रभुत्व प्राप्त हो गया हो। क़ुरआन करीम से भी यह मालूम होता है कि ऐसी ग़ैबी खबरें कुछ आफाक़ से अर्थात संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित होती हैं और कुछ लोगों से सम्बंधित होती हैं जैसा कि फरमाया :-

سَنُرِيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا فِى الۡاٰفَاقِ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَـقُّ ؕ

سَنُرِيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا فِى الۡاٰفَاقِ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَـقُّ ؕ

(सूरः हा मीम सज्दः, रुकू 6, आयत 54)

जल्दी ही हम इन लोगों को दुनिया (के बारे) में निशान दिखायेंगे और स्वयं उन की जानों में भी यहाँ तक कि उन के लिए स्पष्ट हो जायेगा कि यह (क़ुरआनी वह्यी) सत्य है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हज़ारों ग़ैबी खबरों के बारे में बताया गया जिन का सम्बंध क़ौमों और देशों, मित्रों व शत्रुओं, अपने खानदान वालों और स्वयं अपनी जान से था और वे अपने अपने समय पर ठीक उसी तरह प्रकट हो कर ख़ुदा की हस्ती, इस्लाम की सच्चाई, और आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह की ओर से होने पर गवाह ठहरे। इन में से कुछ का इस जगह ज़िक्र किया जाता है।

ज़ार की हालत-ए-ज़ार (रूस के बादशाह ज़ार की दुर्दशा)

पहले विश्वयुद्ध से पहले ज़ारे रूस की हुकूमत दुनिया की शक्तिशाली हुकूमत समझी जाती थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुदा से सूचना पा कर 5 अप्रैल 1905 ई. में भविष्यवाणी की कि समय आ रहा है जब ज़ार रूस की हालत दयनीय हो जायेगी। अत: आप अपनी नज़्म में फ़रमाते हैं :-

इक निशां है आने वाला आज से कुछ दिन के बाद
जिस से गर्दिश खायेंगे देहातो शहर और मुरग़ज़ार
आयेगा क़हरे ख़ुदा से ख़ल्क पर इक इन्क़िलाब
इक बरहना से न होगा यह कि ता बाँधे इज़ार
इक झपक में यह ज़मीं हो जायेगी ज़ेरो ज़बर
नालियाँ ख़ूँ की चलेंगी जैसे राबे रुदबार
ख़ून से मुर्दों के कोहिस्ताँ के राबे रवाँ
सुर्ख़ हो जायेंगे जैसे हो शराबे अन्जबार

मुज़महिल हो जायेंगे इस ख़ौफ़ से सब ज़िन्नो इन्स
ज़ार भी होगा तो होगा उस घड़ी बा हाले ज़ार

(बराहीन अहमदिया, हिस्सा पाँच, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 21 पृष्ठ 151, 152)

इस भविष्यवाणी के अनुसार 1914 ई. में पहला विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ और बहुत से लोग मारे गये और खून की नदियाँ बह गईं और रूस में एक क्रान्ति आ गई जिस का परिणाम यह हुआ कि न केवल पल भर में रूस के ज़ार का अन्त हो गया बल्कि उस की और उसके ख़ानदान की स्थिति सचमुच ऐसी हो गई जो बड़ी भयानक थी और ज़ारे रूस बहाले ज़ार (बहुत बुरी हालत वाला) हो गया।

2. ''आह! नादिर शाह कहाँ गया''

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 3 मई 1905 ई. को एक रोया (स्वप्न) देखा और फ़रमाया :-

''सुबह के समय लिखा हुआ दिखाया गया ''आह! नादिर शाह कहाँ गया।'' (तज़किरह, पृ. 547, चौथा एडीशन)

इस इल्हाम का सम्बंध काबुल की धरती से है। 1883 ई. में जो इल्हाम मसीह मौऊद को हुए उन में से यह एक था :-

شَاتَانِ تُذْبَحَانِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔

(तज़किरह पृ. 88, चौथा एडीशन)

अर्थात दो बकरियाँ ज़िबह की जायेंगी और ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो मरने से बच जायेगा। अर्थात प्रत्येक के लिए क़ज़ा व क़द्र सामने है। और मौत से किसी को छुटकारा नहीं। इस पेशगोई के अनुसार 1903 ई. में हज़रत शहज़ादा सैय्यद अब्दुल लतीफ साहिब और मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब जो काबुल के रहने वाले थे अफगानिस्तान के शाही ख़ानदान के आदेश से केवल इस कारण से पत्थर मार-मार कर शहीद कर दिये गये कि उन्होंने अहमदियत को क़ुबूल कर लिया था। यह कार्रवाई अमीर हबीबुल्लाह खाँ के समय में हुई।

फिर 1 जनवरी 1906 ई. को इल्हाम हुआ तीन बकरे ज़िबह किए जायेंगे। (तज़किरह, पृ. 589, चौथा एडीशन)

अतः यह इल्हाम 1924 ई. में इस तरह पूरा हुआ कि अफ़गानिस्तान के इसी शाही ख़ानदान के अन्तिम शासक अमीर अमानुल्लाह ख़ान के आदेश से जमाअत-ए-अहमदिया के तीन और लोग यानी हज़रत मौलवी निअमतुल्लाह ख़ान साहिब, हज़रत मौलवी अब्दुल हकीम साहिब और मुल्ला नूर अली साहिब केवल अहमदियत के कारण शहीद कर दिये गये। अव्वलुज़्ज़िक्र 31 अगस्त 1924 ई. को शहीद कर दिये गये और दूसरे लोग 12 फरवरी 1925 ई. को शहीद कर दिये गये। अल्लाह तआला जानता था कि अफगानिस्तान का शाही ख़ानदान बेगुनाह अहमदियों के ख़ून से हाथ रंगेगा इसलिए उस अन्तर्यामी ख़ुदा ने एक और सूचना ''आह नादिर शाह कहाँ गया'' के शब्दों में दी और फ़रमाया कि यह ख़ानदान अपने किए की सज़ा भुगतेगा। अतः 1929 ई. में एक बहुत साधारण व्यक्ति हबीबुल्लाह खान उर्फ बच्चा सिक्का के हाथों इस ख़ानदान का तख़्ता उलट गया और वे देश छोड़ने पर विवश हो गये। उस समय नादिर ख़ान नामक एक जरनैल फ्रांस में बीमार पड़ा था।

अफ़गानियों ने उसे बुलाया और वह अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। उसने ''खान'' की मुल्की उपाधि को छोड़कर शाह की उपाधि अपना ली और ''नादिर शाह'' कहलाने लगा। फिर 8 नवम्बर 1933 ई. को ठीक मध्याह्न के समय एक व्यक्ति अब्दुल खालिक़ ने एक बड़ी भीड़ में उस का खून कर दिया। इस तरह नादिर शाह की असमय और अचानक मौत ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे संसार की ज़बान से अनायास ये शब्द निकलवाये कि ''आह! नादिर शाह कहाँ गया।''

डाक्टर डोई के बारे में पेशगोई (भविष्यवाणी)

डाक्टर अलैग्ज़ैण्डर डोई अमेरीका का एक प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक था। जिसने सैहयून नामक एक नगर बसाया और यह घोषणा की कि हज़रत मसीह इसी शहर में उतरेंगे। उस व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उसका नगर बहुत मशहूर हो गया। उसे इस्लाम से सख़्त बैर (दुश्मनी)

था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसे मुबाहले (प्रतिश्राप) के लिए चुनौती दी ताकि ईसाईयत और इस्लाम की सच्चाई का फ़ैसला हो सके। इस बारे में उसने अपने अख़बार में लिखा :-

''हिन्दुस्तान में एक बेवक़ूफ़ मुहम्मदी मसीह है जो मुझे बार-बार लिखता है कि यसू मसीह की क़ब्र कश्मीर में है और लोग मुझे कहते हैं कि तू उस का जवाब क्यों नहीं देता मगर क्या तुम सोचते हो कि मैं इन मच्छरों और मक्खियों का जवाब दूँगा। अगर मैं उन पर अपना पाँव रखूँ तो मैं इन को कुचल कर मार डालूँगा।''

(मजमूआ इश्तिहार, जिल्द 3, पृ. 566, इश्तिहार 23 अगस्त 1903 ई.)

इस पर हुज़ूर ने इस चुनौती को दोबारा दोहराया और लिखा कि डोई अगर पचास वर्ष का जवान है और मैं सत्तर वर्ष का हूँ लेकिन फ़ैसलों का दारोमदार आयु पर नहीं होता बल्कि सर्वोत्कृष्ट न्यायकर्ता (ख़ुदा) इस का फ़ैसला करेगा और कहा :-

''अगर डोई मुक़ाबला से भाग गया तब भी अवश्य समझो कि उस के सैयहून पर जल्दी ही एक मुसीबत आने वाली है।''

(इश्तिहार 23 अगस्त 1903 ई. मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द 3, पृ. 564)

इस ख़ुदाई भविष्यवाणी के नतीजे में जब ख़ुदा का प्रकोप उस पर उतरा तो उसी समय जब कि वह एक बड़े जलसे में भाषण दे रहा था। उस पर फ़ालिज का हमला हुआ और उसकी ज़बान बन्द हो गयी जो मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ अपशब्द बोला करती थी। फिर दिमाग़ी ख़राबी और दूसरी बीमारियों में घिर गया। उस पर ग़बन का इल्ज़ाम था। नगर सैहून बर्बाद हो गया। न केवल उसके मानने वालों बल्कि उसके बीवी बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बेटे ने कहा कि वह नाजायज़ था। अन्त में हज़ारों मुसीबतों और अपमानों को सहता हुआ 9 मार्च 1907 ई. को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन में इस दुनिया से चल बसा। बीवी बच्चे तक जनाज़े में शामिल नहीं हुए, घर में शराब की बोतलें और कुँवारी लड़कियों के आशिक़ाना ख़त मिले।

अत: पेशगोई के अनुसार वह बेइज़्ज़त और बदनामी के साथ इस दुनिया से चल बसा और उसकी दर्दनाक मौत ईसाई दुनिया के लिए एक प्रमाण बनी और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर मुहर लगा गई जो रहती दुनिया तक एक निशान रहेगा।

ताऊन (प्लेग) की भविष्यवाणी

6 फरवरी 1898 ई. को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कश्फ़ में देखा :-

''ख़ुदा तआला के फ़रिश्ते पंजाब के अलग-अलग स्थानों पर काले रंग के पौधे लगा रहे हैं। मैंने कुछ लगाने वालों से पूछा कि यह कैसे पौधे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये प्लेग के पौधे हैं जो जल्द ही देश में फ़ैलने वाली है।'' (तज़किरह, पृ. 314, चौथा एडीशन)

इस भविष्यवाणी के अनुसार आपने इश्तिहार के द्वारा लोगों को सलाह दी कि ख़ुले स्थानों पर रहना शुरू करो। लोगों ने इस का बड़ा मज़ाक उड़ाया क्योंकि देश में प्लेग का निशान तक न था।

''पैसा'' अख़बार लाहौर ने लिखा :-

''मिर्ज़ा इसी तरह लोगों को डराया करता है। देख लेना स्वयं उसी को प्लेग होगी।'' (''पैसा'' अख़बार लाहौर फ़रवरी 1898 ई.)

लेकिन पेशगोई के अनुसार कुछ महीने बाद प्लेग दिखाई दी मगर हमला कमज़ोर था इस लिए लोग मज़ाक उड़ाने से बाज़ न आये तो हुज़ूर ने सिर्फ़ सहानुभूति से 17 मार्च 1901 ई. को एक इश्तिहार छपवाया जिस में लिखा ''हे प्यारो! इसी मतलब से फिर यह इश्तिहार छपवाता हूँ कि संभल जाओ और ख़ुदासे डरो। एक अच्छा बदलाव दिखाओ ताकि ख़ुदा तुम पर दया करे और वह मुसीबत जो बहुत नज़दीक आ गई है ख़ुदा इस को समाप्त कर दे।

हे लापरवाह लोगो! यह हंसी और ठठोल का समय नहीं है, यह वह मुसीबत है जो आसमान से आती है और केवल आसमान के हुक्म से

दूर होती है।''

(मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द 3, पृ. 401, इश्तिहार 17 मार्च 1901 ई.)

जब लोगों ने इस चेतावनी से लाभ न उठाया तो प्रतापी ख़ुदा का प्रकोप भड़का और 1902 ई. में प्लेग ने इतना ज़ोर पकड़ा कि लोग कुत्तों की तरह मरने लगे और गाँव के गाँव उजड़ गये। इतनी मौतें हुईं कि लाशों को सम्भालने वाला कोई न मिलता। यह दशा देख कर आपने फिर एक पुस्तक ''दाफ़िउल बला व मै'यार अहलिल इस्तफा'' लिखी और लोगों को सचेत किया कि इस मुसीबत का वास्तविक इलाज यही है कि ख़ुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाये और उसके भेजे हुए को स्वीकार किया जाये। अत: आपने लिखा :-

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِہِمْ اِنَّہٗ اٰوَی الْقَرْیَۃَ۔

''अर्थात ख़ुदा ने यह इरादा फ़रमाया है कि इस प्लेग की मुसीबत को हरगिज़ दूर नहीं करेगा जब तक कि लोग इन सोचों को दूर न कर लें जो उनके दिलों में हैं अर्थात जब तक वे ख़ुदा के मामूर और रसूल को न मान लें तब तक प्लेग दूर न होगी और वह सर्वशक्तिमान ख़ुदा क़ादियान को प्लेग की बीमारी से सुरक्षित रखेगा ताकि तुम समझो कि क़ादियान को इस लिए बचाया गया कि ख़ुदा का रसूल और उसका भेजा हुआ बन्दा क़ादियान में था।''

(दाफ़िउल बला, रूहानी ख़ज़ाइन भाग 18, पृ. 225-226)

फिर ख़ुदा ने यह भी सूचना दी कि :-

اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا مِنِ اسْتِکْبَارٍ
وَاُحَافِظُکَ خَاصَّۃً۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ۔

अर्थात मैं प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को प्लेग की मौत से बचाऊँगा जो तेरे घर में होगा सिवाए अभिमानी लोगों के जो ख़ुद को ऊँचा समझें और मैं तुझे विशेषरूप से बचाऊँगा। रहीम ख़ुदा की तरफ से तुझे सलाम।''

प्लेग की मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए उस समय के शासकों ने प्लेग का टीका (इनजैक्शन) लगाना शुरू कर दिया परन्तु मसीह मौऊद

अलैहिस्सलाम ने अपनी जमाअत को टीका लगवाने से मना कर दिया ताकि वह निशान जो हुज़ूर की सच्चाई के लिए दिखाया गया था संदिग्ध न हो जाये। अत: हुज़ूर ने एक किताब ''कश्ती नूह'' लिखी और इस में लिखा कि :-

''उसने मुझे मुख़ातिब कर के फ़रमाया कि तू और जो व्यक्ति तेरे घर की चार दीवारी के अन्दर होगा और वह जो तेरी पूरी पैरवी करेगा और तेरे आदेशों का पालन करेगा और सच्चे मन से तुझ को मानेगा वे सब प्लोग से बचाये जायेंगे और इन अन्तिम दिनों में ख़ुदा का यह निशान होगा इस लिये कि वह क़ौमों में फ़र्क कर के दिखाये लेकिन वह जो पूरे तौर पर पैरवी नहीं करता वह तुझ में से नहीं है। उस के लिए तू परेशान न होना। यह ख़ुदा का आदेश है जिसके कारण हमें अपने आप के लिए और उन सब के लिए जो हमारे घर की चार दीवारी में रहते हैं टीके की कोई आवश्यकता नहीं।'' (कश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 पृ. 2)

''मैं बार-बार कहता हूँ कि ख़ुदा तआला इस पेशगोई को ऐसे तौर पर स्पष्ट करेगा कि हर एक तालिबे हक़ (सच्चाई खोजने वाला) को कोई शक नहीं रहेगा और वह समझ जायेगा कि चमत्कार के तौर पर ख़ुदा ने इस जमाअत से मामला किया है बल्कि ख़ुदा के निशान के रूप में नतीजा यह होगा कि प्लेग के द्वारा यह जमाअत बहुत बढ़ेगी और असाधारण उन्नति करेगी और उनकी यह उन्नति हैरानी से देखी जायेगी।''

(कश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ाइन भाग 19, पृ. 6)

अत: जैसा कि कहा गया था वैसी ही घटनायें हुईं। लोग हैरानी से देखा करते थे कि अहमदी इस मुसीबत से टीका न लगवाने के बावजूद सुरक्षित रहते हैं। यदि किसी घर के चार सदस्यों में से एक अहमदी होता तो वह बच जाता और शेष तीन बीमारी के शिकार हो जाते। प्लेग के कीड़े किस तरह पहचानते थे कि फलां अहमदी है और फलां नहीं। लोगों के लिए यह एक आश्चर्यजनक बात थी और इस स्पष्ट चिह्न के कारण लोग अधिक मात्रा में इस जमाअत में शामिल हुए। मानो ख़ुदा तआला

की व्यावहारिक गवाही ने यह बात साबित कर दी कि वह इस जमाअत के साथ है और इस को उन्नति देना चाहता है और फिर क़ादियान में वादा के अनुसार ही यह बीमारी इतनी उग्र नहीं हुई जो दूसरे कस्बों और शहरों में हुई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ख़ुदा के वादों पर कितना विश्वास था इस का अन्दाज़ा इस बात से हो जाता है कि हुज़ूर के एक अनुयायी मौलवी मुहम्मद अली साहिब एम.ए. को जो हुज़ूर के घर के एक भाग में रहते थे, कुछ बुख़ार हो गया और उन का सोचना था कि यह बीमारी प्लेग का आक्रमण है। हुज़ूर ने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ फरमाया :-

''मौलवी साहिब अगर मेरे घर में रहते हुए आप को प्लोग हो जाये तो समझिये कि मैं अपने दावों में झूठा हूँ।'' उन का बुख़ार जल्दी ही उतर गया और उन्हें अपनी ग़लती का आभास हो गया।

नाजी (मुक्तिप्राप्त) सम्प्रदाय केवल जमाअत अहमदिया है

नाजी फ़िरक़ा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने बताया कि :-

''आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

अवश्य ही मेरी उम्मत पर एक समय ऐसा आयेगा जो बनी इस्राईल पर आ चुका है और वह उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगेगी। यदि बनी इस्राईल का कोई आदमी अपनी माँ से व्यभिचार करने वाला होगा तो मेरी उम्मत का मुसलमान भी ऐसा ही करेगा और जिस तरह बनी इस्राईल के 72 फ़िर्क़े हो गये थे इसी तरह मेरी उम्मत के 73 फ़िर्क़े होंगे उन में से केवल एक नाजी (मुक्तिप्राप्त) होगा और शेष 72 फ़िर्क़े नारी होंगे।''

(तिरमिज़ी, अब्वाबुल ईमान, बाब इफतिराक़ हाज़िहिल उम्मत)

नाजी फ़िर्क़े के बारे में मिरक़ातुल मफ़ातीह में लिखा है :-

नाजी फ़िर्क़ा अहमदिया के नियमों पर चलने वाला होगा और मुहम्मद

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की रौशन सुन्नत पर चलेगा।''

(मिरक़ातुल मफ़ातीह, भाग 1, पृ. 248 हाशियः, मकतबह इमदादिया मुलतान, प्रकाशक मज्लिस इशातुल मआरिफ विकटोरिया प्रेस मुलतान)

7 सितम्बर 1974 ई. को पाकिस्तान की उस वक्त की क़ौमी असैम्बली ने जमाअत अहमदिया के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया जिस ने एक और 72 के अन्तर को दिन के उजाले के समान स्पष्ट कर दिया। अत: अख़बार ''नवाए वक्त'' ने लिखा :-

इस्लाम के इतिहास में इस प्रकार सम्पूर्ण तौर पर किसी महत्वपूर्ण मामले पर कभी उम्मत के लोग एक मत नहीं हुये।

''इस फैसले का एक महत्व यह है कि इस पर उम्मत के लोगों की बिल्कुल सही तौर पर सर्वसम्मति हुई है। इस्लाम के पूरे इतिहास में इतनी पूर्णता के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले पर कभी इस तरह सर्वसम्मति नहीं हुई। इस उम्मत की सर्वसम्मति में देश के बड़े-बड़े धर्मज्ञ, और शरीअत का ज्ञान रखने वालों के अतिरिक्त समस्त राजनैतिक नेता और प्रत्येक संगठन के राजनैतिक लीडर पूर्णरूप से सहमत हुए हैं। सूफी सन्त और अल्लाह तआला का ज्ञान रखने वाले महापुरुष तथा सूफी मत के मार्गदर्शक भी पूरे-पूरे सहमत हुए हैं। कादियानी फ़िर्क़े को छोड़कर जो भी 72 फ़िर्क़े मुसलमानों के बारे में बताये जाते हैं सब के सब इस मामले के इस समाधान पर सहमत और ख़ुश हैं। मिल्लत के नेता और प्रमुखों का कोई वर्ग दिखाई नहीं देता जो इस फैसले पर ख़ुश न हुआ हो।''

(नवा-ए-वक्त तिथि 6 अक्तूबर 1974 ई.)

मसीह मौऊद व महदी मसऊद पर ईमान लाने का महत्व

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फरमाया :-

''तुम में से जो ईसा अलैसहिस्सलाम को पाये मेरा सलाम कहे।''

(दुर्रे मंसूर, भाग 2 पृ. 445, द्वारा इमाम जलालुद्दीन सुयूती)

''जब तुम उसको देखो तो अगर बर्फ के पहाड़ों पर घिसटते हुए उस

के पास पहुँचना पड़े तो भी उस की बैअत करो।''

(इब्ने माजाः, अबवाबुल फ़ितन, बाब ख़ुरूजुल महदी, भाग 2)

''उसकी आज्ञाकारिता मेरी आज्ञाकारिता उसकी अवज्ञा मेरी अवज्ञा होगी।''

(बहारुल अनवार, भाग 13, पृ. 17, द्वारा अल्लामा बाक़िर मज्लिसी)

''जिस ने महदी के प्रकटन का इन्कार किया उसने मानो मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर अवतरित बातों का इन्कार किया।''

(यनाबीउल मुवद्दह, बाब 78, पृ. 447, द्वारा अल्लामा शेख़ सुलेमान मृत्यु 1294 हिज्री)

''जिस ने महदी को झुठलाया उस ने क़ुफ़्र (अवज्ञा) किया।''

(हिजजुल किरामह पृ. 351, द्वारा नवाब मुहम्मद सिद्दीक ख़ाँ साहिब, प्रकाशक शाहजहाँ, भोपाल)

हज़रत सरवरे क़ायनात मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों को ख़बर देते हुए फ़रमाया था :-

فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ۔

(मुसनद अहमद बिन हम्बल, भाग 6, पृ. 30)

''हे मुसलमानो! जब तुम को मसीह मौऊद का पता चले और तुम उस को देख लो तो तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम उस तक पहुँचो और बैअत कर के उस के आज्ञाकारी लोगों में शामिल हो जाओ। चाहे तुम्हें उस तक पहुँचने के लिए बर्फ के ठण्डे पहाड़ों पर घुटनों के बल ही क्यों न जाना पड़े तुम उस के पास ज़रूर पहुँचो क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा बल्कि अल्लाह तआला का नियुक्त किया हुआ ख़लीफ़ा और उस की ओर से हिदायतप्राप्त होगा।''

जमाअत अहमदिया का उज्ज्वल भविष्य

सय्यदिना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''ख़ुदा तआला ने मुझे बार-बार यह ख़बर दी है कि वह मुझे बहुत

प्रतिष्ठा देगा और मेरी मुहब्बत दिलों में बिठायेगा और मेरी जमाअत को सारी दुनिया में फैलायेगा और सब फ़िर्क़ों पर मेरा फ़िर्क़ा विजयी रहेगा तथा मेरे फ़िर्क़े के लोग इतना ज्ञान और मा'रिफ़त प्राप्त करेंगे कि अपनी सच्चाई की रोशनी और अपनी दलीलों और निशानों के द्वारा सब का मुँह बन्द कर देंगे और प्रत्येक क़ौम इस चश्मे से पानी पियेगी। यह सम्प्रदाय ज़ोरों से बढ़ेगा और फूलेगा यहाँ तक कि ज़मीन पर छा जायेगा, बहुत सी रोकें पैदा होंगी और मुसीबतें आयेंगी लेकिन ख़ुदा सब को बीच से उठा देगा और अपने वादे को पूरा करेगा। ख़ुदा ने मुझे सम्बोधित करके बताया कि ''मैं तुझे बरकत पर बरकत दूँगा यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूडेंगे।''

अत: हे सुनने वालो! इन बातों को याद रखो और इन मिलने वाली सूचनाओं को अपने सन्दूकों में सुरक्षित कर लो कि यह ख़ुदा का कलाम है जो एक दिन पूरा होगा।''

(तजल्लियाते इलाहिय: रूहानी ख़ज़ाइन, भाग 20, पृ. 409, 410)

ख़ुदा तेरे नाम को उस दिन तक कि दुनिया ख़त्म हो जाए सम्मान के साथ क़ायम रखेगा और तेरे सन्देश को दुनिया के किनारों तक पहुँचा देगा। मैं तुझे उठाऊँगा और अपनी तरफ बुला लूँगा पर तेरा नाम दुनिया से कभी नहीं उठेगा और ऐसा होगा कि सब वे लोग जो तेरी बेइज्ज़ती करने की फ़िक्र में लगे हुए हैं और तुझे असफ़ल करने की चेष्टा और तुझे मिटाने के बारे में सोचते हैं वे स्वयं असफ़ल होंगे तथा निराशा व असफ़लता में मर जायेंगे परन्तु ख़ुदा तुझे सम्पूर्ण सफ़लता देगा और तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मैं तेरे निष्ठावान और प्रेम करने वाले लोगों के संगठन को बढ़ाऊँगा और उन की जानों और मालों (धन) में बरकत दूँगा तथा उनकी संख्या को बढ़ाऊँगा और वे मुसलमानों के उस दूसरे समूह पर क़यामत तक विजयी रहेंगे, जो ईर्ष्या करने वालों और शत्रुता करने वालों का समूह है ख़ुदा उन्हें नहीं भूलेगा और नहीं छोड़ेगा और वे अपनी अपनी निष्ठा के अनुरूप पुरस्कार पायेंगे। वह समय आता है बल्कि नज़दीक है कि ख़ुदा बादशाहों और अमीरों के दिलों में तेरी

मुहब्बत डालेगा। यहाँ तक कि वे तेरे कपड़ों से बरकत ढूढेंगे।''

(मज्मूअः इश्तिहारात, भाग 1, पृ. 102, 103)

मसीह मौऊद का आसमान से उतरना केवल एक झूठी धारणा है। याद रखो कि कोई आसमान से नहीं उतरेगा हमारे सब विरोधी जो अब ज़िन्दा मौजूद हैं वे सब मरेंगे और कोई उन में से ईसा बिन मरयम को आसमान से उतरता नहीं देखेगा और फिर उनकी औलाद जो शेष रहेगी वह भी मरेगी और वह भी मरयम के बेटे को आसमान से उतरते नहीं देखेगी तब ख़ुदा उन के दिलों में घबराहट डालेगा कि सलीब के ज़ोर का ज़माना भी गुज़र गया और दुनिया दूसरे रंग में आ गई मगर मरयम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम अब तक आसमान से नहीं उतरा। तब समझदार लोग सहसा इस आस्था से निराश हो जायेंगे और फिर तीसरी शताब्दी आज के दिन से पूरी न होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम की प्रतीक्षा करने वाले क्या मुसलमान क्या ईसाई बहुत निराश और हताश होकर इस झूठे अक़ीदे को छोड़ देंगे और संसार में एक ही धर्म होगा और एक ही पेशवा होगा। मैं तो एक बीज बोने आया हूँ इस लिए मेरे हाथ से वह बीज बोया गया और अब वह बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो उस को रोक सके।''

(तज़किरतुश्शहादतैन, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 पृ. 67)

***

*

पाँचवां अध्याय

पाँचवां अध्याय

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी

जन्म, बचपन और जवानी

इस्लाम के पवित्र संस्थापक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आज से लगभग चौदह सौ वर्ष पूर्व 20 अप्रैल सन् 571 ई. मुताबिक़ 9 रबीउल अव्वल[1] दिन सोमवार मक्का में पैदा हुए। आप क़बीलः कुरैश की मशहूर शाखा बनू हाशिम के चश्म-व-चिराग़ थे। पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। आपके जन्म से पूर्व ही आपके पिता का देहान्त हो गया और आप यतीम हो गए थे। इस तरह आपके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो कि मक्का के सरदार थे संभाल ली।

अभी 6 मास के थे कि मक्का की परम्परा के अनुसार परवरिश के लिए आपको दाई हलीमा के सुपुर्द किया गया और हुज़ूर उनके घर चार पाँच वर्ष तक रहे।

जब सवा छः वर्ष के हुए माँ का साया भी सिर से उठ गया आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने दादा की शरण में आ गए जिन्होंने बहुत प्यार से आपकी परवरिश की। अभी दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि

1. सीरतुन्नबी (सल्लम) लेखक अल्लामा शिबली नौमानी भाग प्रथम पृष्ठ 172, जन्म तारीख में मतभेद है । शाह मुईनुद्दीन नदवी ने तारीख़े इस्लाम भाग प्रथम में 9 रबीउल अव्वल मुताबिक़ अप्रैल 571 ई. लिखा है । सय्यदना अमीर अली ने तारीख़े इस्लाम में 29 अगस्त 570 ई. लिखी है । फिलिप हिटी ने 571 ई. लिखा है । मशहूर मिस्री खगोल विद्वान महमूद पाशा फ़लकी अपनी खगोल विद्या से हज़रत मुहम्मद सल्लम का जन्म 9 रबीउल अव्वल सोमवार मुताबिक 20 अप्रैल 571 ई. ही बताते हैं ।

दादा का भी देहान्त हो गया। दादा की मनोकामना के अनुसार आपके चाचा अबू तालिब ने आपको अपनी शारण में ले लिया और बहुत ही प्यार से आपकी परवरिश की।

बारह वर्ष की आयु में आपने अपने प्यारे चाचा अबू तालिब के साथ शाम की पहली यात्रा की। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे फिर भी कारोबार के तरीकों को खूब सम झने लगे। बचपन से ही आपके स्वभाव में नेकी, पवित्रता, ईमानदारी और सदाचरण पाया जाता था। लेन-देन के खरे और सच्चाई के पाबन्द थे। इसी कारण आप सच्चे और अमीन (ईमानदार) कहलाते थे। इन्हीं पवित्र स्वभावों के कारण मक्का की एक मालदार विधवा हज़रत ख़दीजा(रज़ि०) ने आपसे विवाह कर लिया। इस विवाह के समय हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उम्र 25 वर्ष और हज़रत ख़दीजा(रज़ि०) की 40 वर्ष थी। हज़रत ख़दीजा(रज़ि०) की औलाद में हज़रत फ़ातिमा(रज़ि०) सबसे अधिक मशहूर हैं।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अवतरित होना

हज़रत ख़दीजा(रज़ि०) से निकाह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम समृद्ध हो गये और अपनी दौलत (माल) ग़रीबों, निस्सहाय लोगों और अनाथ और निर्धनों में बाँट दिया करते थे। अपने ख़ाली समय को आप अल्लाह की याद और इबादत में गुज़ारते थे। मक्का के नज़दीक एक पहाड़ी की खोह थी जिसे 'ग़ारे हिरा' कहते हैं। आप आम तौर से वहाँ जाकर एकान्त में इबादत करते और कई-कई दिन वहाँ अल्लाह की स्तुति और दुआओं में लीन रहते थे।

जब आँहुज़ूर 40 वर्ष की आयु के हुए तो ताजे रिसालत सर पर रखा गया और रमज़ान के पवित्र महीने में आप को वह्यी (ईश्वरीय वाणी) हुई। सब से पहली ईश्वरीयवाणी जो आपको हुई वह यह थी اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ जब आज्ञा हुई कि अपने परिवार और क़ौम को मूर्ति पूजा से रोको तो आँहुज़ूर ने गुप्त रूप से तबलीग़ (प्रचार)

शुरू की। तीन वर्ष पश्चात खुले आम प्रचार शुरू हो गया और आपने पहले मक्का वालों को तौहीद (एकेश्वरवाद) का पैग़ाम पहुँचाया। इस का परिणाम यह हुआ कि जो लोग मुसलमान हो जाते उन पर काफ़िर अत्याचार करने लगते। आँहज़रत सल्लम को भी हर प्रकार की तकलीफें दी जातीं यहाँ तक कि आप को अपने ख़ानदान (परिवार) समेत तीन साल तक एक घाटी जिसे ''शअब अबू तालिब'' कहते हैं नज़रबन्द रहना पड़ा। जहाँ पूरे नगर का आपसे बाईकाट रहा। आपके चाचा अबू तालिब जब तक जीवित रहे वह हर प्रकार से आपकी सहायता करते रहे लेकिन 'नुबुव्वत' के 10वें साल अबू तालिब का भी देहान्त हो गया और यह सहारा भी टूट गया और कुरैश की शरारतों में और बढ़ोतरी हो गई।

मदीना की तरफ़ हिजरत (प्रवास)

जब मक्कावासियों के अत्याचार बहुत अधिक हो गये और कुरैश ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को मिलकर क़त्ल करने का फ़ैसला किया तो 'नुबुव्वत' के 13 वें वर्ष हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू बकर के साथ रात के समय मक्का से निकले और मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से 4-5 मील दूर ग़ारे सौर (एक गुफ़ा का नाम) में हुज़ूर तीन दिन ठहरे और फिर मदीना चले गए। जो लोग मदीना में रहते थे और मुसलमान हो गए थे वे अन्सार कहलाए। जो मुसलमान अत्याचारों से बचने के लिए मदीना में आ कर जमा हुए वे मुहाजिर कहलाए। अन्सार ने मुहाजिरों को अपने घरों में जगह दी और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने दोनों में भाईचारा स्थापित कर दिया।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हिजरत के बाद दस वर्ष जीवित रहे। जब मक्का के कुरैश ने देखा कि मुसलमानों को मदीना में अमन (शान्ति) प्राप्त हो गया है तो उन्होंने कई बार मुसलमानों पर

चढ़ाई की और फौजी ताक़त से मुसलमानों को मिटाना चाहा। मुसलमान भी अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़े हुए। जिस के कारण मुसलमानों और काफिरों के बीच कई बार युद्ध हुए जिनमें 'जंगे बदर, जंगे उहद और जंगे अहज़ाब' बहुत मशहूर हैं। जंगे बदर में मुसलमानों की संख्या केवल 313 थी और कुफ़्फ़ार की संख्या एक हज़ार थी। जंगे उहद जो जंगे बदर के तीन वर्ष पश्चात हुई मुसलमानों की संख्या 700 और दुशमन की संख्या 3000 थी। अल्लाह तआला ने मुसलमानों को सफलता दी। सन् 5 हिज्री में यहूदियों ने जिन को उनकी शरारतों और वादा ख़िलाफ़ियों के कारण मदीना से बाहर निकाल दिया गया था, कुरैश मक्का को फिर से युद्ध के लिए उकसाया तथा दूसरे क़बीलों को भी युद्ध के लिए इकट्ठा किया। इस कोशिश के परिणाम स्वरूप दस हज़ार की ज़बरदस्त फ़ौज ने मदीना पर आक्रमण कर दिया। आँहुज़ूर ने शहर की रक्षा के लिए चारों ओर ख़न्दक (खाई) ख़ुदवा दी। लगभग एक मास तक मदीना को घेरे रखा। फिर ख़ुदा की मदद इस रूप में हुई कि एक रात तेज़ आँधी आई कि जो दल मदीने के गिर्द ख़ेमे (तम्बू) डाले पड़े थे उनकी रोशनियाँ बुझ गईं और दिल डर से भर गए फिर सारे दल एक एक करके भाग गए और अपने इरादों में असफल रहे। यह 'जंगे अहज़ाब' या 'जंगे ख़न्दक़' कहलाती हैं।

सुलह हुदैबिया (हुदैबिया की संधि)

सन् 6 हिज्री में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक स्वप्न के आधार पर ख़ाना क़ाबः के दर्शन का इरादा किया और मक्का की ओर चल पड़े। हुज़ूर के साथ 1400 सहाबियों का एक दल भी था। हुदैबिया के स्थान पर कुरैश ने आपका रास्ता रोक लिया। अन्त में मुसलमानों और कुरैश के मध्य एक समझौता हुआ जिसे सुलह हुदैबिया (हुदैबिया की संधि) कहते हैं। इस समझौते के अनुसार हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मदीना वापिस आ गए। प्रत्यक्षत: ऐसा लगता था कि

हुज़ूर ने दबाव में आकर संधि की है लेकिन वास्तव में इसी कारण मक्का की विजय का रास्ता साफ़ हुआ और राजनैतिक तौर पर मुसलमानों को एक अलग क़ौम मान लिया गया।

बादशाहों के नाम इस्लाम का सन्देश

जब हुदैबिया की सन्धि के फलस्वरूप दस वर्ष तक शान्ति से रहने के लिए काफ़िरों से समझौता हो गया तो हुज़ूर ने दुनिया के विभिन्न भागों में जो बादशाह थे उन्हें पत्रों द्वारा सच्चाई का सन्देश पहुँचाया। इस प्रकार रोम का सम्राट क़ैसर, ईरान का बादशाह किसरा परवेज़, मिस्र के बादशाह मक़ूक़स, हबशा के बादशाह नज्जाशी को इस्लाम की ओर बुलाया। इसी प्रकार बहरीन, बसरा और यमामा के बादशाहों को भी पत्र लिखे।

मक्का पर विजय

हुदैबिया की संधि में दस वर्ष तक युद्ध बन्द रखने का समझौता हो चुका था परन्तु सन् 8 हिज्री में स्वयं मक्का वालों ने इस समझौते को तोड़ा जिस के फलस्वरूप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम दस हज़ार साथियों को साथ लेकर मक्का की ओर चल पड़े। कुरैश को इस फ़ौज के आने का उस समय पता चला जब वे मक्का के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। अबू सुफ़यान के, जो कि मक्का का सरदार था इतनी बड़ी फ़ौज देखकर होश उड़ गए और इस्लाम की धाक उसके हृदय में बैठ गयी। हज़रत अब्बास(रज़ि०) के कहने पर उसने इस्लाम धर्म को मान लिया। इस्लामी फौज ने विजयी रंग में मक्का में प्रवेश किया और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ''ला तस्रीबा अलैकुमुल् यौम'' अर्थात ''आज तुम पर कोई आरोप नहीं'' कह कर क्षमा की सार्वजनिक घोषणा कर दी। इस प्रकार क्षमा करने का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका नमूना संसार में दिखाई नहीं देता। मक्का की विजय के बाद इस्लाम धर्म बड़ी शीघ्रता से सारे अरब में फ़ैल गया।

मक्का की विजय के बाद भी आप को कई युद्ध करने पड़े जिनमें हुनैन का युद्ध और तबूक का युद्ध अधिक मशहूर हैं।

स्वर्गवास

हिजरत (प्रवास) के बाद केवल एक बार अर्थात प्रवास के 10वें साल आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज्ज किया जो हज्जतुल विदा (अन्तिम हज्ज) कहलाता है। आपने इस अवसर पर एक भाषण दिया और वसीयतस्वरूप कुछ अन्तिम उपदेश दिए। फिर आप हज्ज के बाद वापस मदीना आ गए। मदीना आकर बीमार हो गए और 26 मई सन् 632 ई.[1] एक रबीउल अव्वल[2] सन् 11 हिज्री दिन सोम वार 63 [3] वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हो गया।

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّآ اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ

1. तारीख़-ए-अहमदियत, भाग तृतीय, पृष्ठ 555 उपान्त। अख़बार जंग कराची 28 सितम्बर सन् 1958 ई. पृष्ठ 7, डाक्टर मुहम्मद शहीदुल्लाह साहिब प्रोफेसर राजशाही बंगलादेश की नई खोज के अनुसार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के देहान्त का दिन एक रबीउल अव्वल 11 हिज्री अर्थात 26 मई 632 ई. था। मुहम्मद मुख़तार पाशा खगोल शास्त्री की पुस्तक ''तौफ़ीक़ाते इल्हामिया'' पृष्ठ 6 के अनुसार एक रबीउल अव्वल 11 हिज्री की तिथि 26 मई के स्थान पर 27 मई बनती है। 26 मई ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के स्वर्गवास की तिथि है और आपके दफ़नाने की तिथि 27 मई है। इस प्रकार तिथियों का मिल जाना प्रत्यक्ष रूप से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीस ''युद्फनो मइयाआ फ़ी क़ब्री'' (मिश्कात अध्याय नुज़ूल ईसा) का भावार्थ बन जाता है।
2. तबक़ात इब्ने सअद, भाग द्वितीय, पृष्ठ 377 और तारीख़-ए-इस्लाम लेखक मुईनुद्दीन नदवी ने देहान्त की तिथि 12 रबीउल अव्वल सन् 11 हिज्री लिखी है।
3. सीरत इब्न-ए-हिशाम भाग चार, तारीख़-ए-इस्लाम लेखक सय्यद अमीर अली और 'हिस्ट्री ऑफ दि अरब' लेखक फिल्प हटी में देहान्त की तिथि 8 जून 632 ई. लिखी है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की

संतान और पत्नियाँ

पुत्र :- क़ासिम(रज़ि०), अब्दुल्लाह(रज़ि०) (ताहिर और तय्यब), इब्राहीम(रज़ि०)।

पुत्रियाँ :- ज़ैनब(रज़ि०), रुकय्या(रज़ि०), उम्मे कुलसूम(रज़ि०), फ़ातिमा(रज़ि०)।

पत्नीयाँ :- हज़रत ख़दीजा(रज़ि०), सौदा(रज़ि०), आईशा(रज़ि०), हफ़सा(रज़ि०), ज़ैनब(रज़ि०), उम्मे सलमा(रज़ि०), उम्मे हबीबा(रज़ि०), ज़ैनब पुत्री हजश(रज़ि०), जुवेरिया(रज़ि०), सफ़िया(रज़ि०), मैमूना(रज़ि०), मारिया क़िबतिया(रज़ि०)।

हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि०)

ख़िलाफ़त काल (632 ई. से 634 ई.)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के देहान्त के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाह अन्हो प्रथम ख़लीफ़ा चुने गए। आप में यह विशेषता थी कि जवानी के समय से ही आप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के गहरे मित्र थे। जब आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया तो पुरुषों में से सबसे पहले आपने इस्लाम क़ुबूल किया और आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के दावे को सच्चा मान कर 'सिद्दीक़' की उपाधि पाई।

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत अबू बकर(रज़ि०) का नाम अब्दुल्लाह, उपाधि सिद्दीक़ और कुन्नियत (उपनाम) अबूबकर थी। पिता का नाम अबूक़हाफ़ा और माता का नाम उम्मुलख़ैर सलमा था। छठी पुश्त में आपका वंश आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से जा मिलता है।

आप सन् 572 ई. में मक्का में पैदा हुए और वहीं आपका बचपन गुज़रा। जब जवान हुए तो कपड़े का व्यापार करने लगे। आँहज़रत

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पवित्र विचार और सच्चाई की छाप आपके मन में छाई हुई थी। यही कारण है कि जब आप को पता चला कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नबी होने का दावा किया है तो तुरन्त इस का सत्यापन किया और सर्वप्रथम इस्लाम धर्म ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस्लाम क़बूल करने के बाद दीन (धर्म) की सेवा ही अपनी दिनचर्या बनायी। आप(रज़ि॰) की कोशिशों से हज़रत उसमान(रज़ि॰), हज़रत ज़ुबैर(रज़ि॰), हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़(रज़ि॰), हज़रत तल्हा(रज़ि॰), हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह(रज़ि॰), हज़रत सअद बिन वक़ास(रज़ि॰) जैसे बहादुर पुरुषों ने इस्लाम कुबूल किया और इनके कारण मुसलमानों को बहुत शक्ति मिली। यात्रा हो या ठहरना हो, शान्ति हो या युद्ध आप हर समय आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ रहते। आप हर युद्ध में आँहज़रत के साथ रहे। हर मामले में आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आप से परामर्श करते। मक्का से हिजरत के समय भी आप(रज़ि॰) आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ रहे और जब ग़ारे सौर में आँहज़रत ने शरण ली तो हज़रत अबूबकर आपके साथ थे। अन्तिम हज्ज के बाद जब आँहुज़ूर बहुत बीमार हो गए तो आप ने हज़रत अबूबकर को आदेश दिया कि वह मस्जिद-ए-नबवी में नमाज़ पढ़ायें।

कुर्बानी और त्याग

मुसलमान हो जाने के पश्चात हज़रत अबूबकर तन-मन-धन से इस्लाम की सेवा में जुट गए। न व्यापार का ध्यान रहा और न आराम का। जब धन की आवश्यकता होती वह कुर्बानी में आगे आगे रहते। एक समय पर जब धर्म के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी तो हज़रत उमर(रज़ि॰) ने अपने घर का आधा धन आँहज़रत के चरणों में पेश कर दिया और सोचा कि आज तो मैं अबूबकर से आगे निकल जाऊँगा, परन्तु हज़रत अबूबकर ने समय की आवश्यकता के अनुसार अपने घर का सारा माल पेश कर दिया। जब आँहज़रत सल्लल्लाहो

अलैहि व सल्लम ने पूछा कि घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं, तो हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) ने उत्तर दिया कि अल्लाह और उसके रसूल (नबी) का नाम घर में छोड़ा है। इस निष्ठा तथा वफ़ादारी, और क़ुर्बानी को देखते हुए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने आपकी बेटी हज़रत आइशा से विवाह कर लिया।

ख़िलाफ़त का ज़माना

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के स्वर्गवास के बाद हज़रत अबूबकर प्रथम उत्तराधिकारी (ख़लीफ़ा) चुने गए। आप अपने तक़वा (संयम), ज्ञान, बुद्धि, त्याग और क़ुर्बानी के कारण सभी साथियों में सर्वोत्तम थे और ख़िलाफ़त के लिए सबसे अधिक योग्य थे।

यद्यपि स्वभाव में अत्यन्त कोमलता और सादगी थी परन्तु धर्म की प्रतिष्ठा की स्थापना में आप किसी नर्मी और समझौता के समर्थक नहीं थे। ख़िलाफ़त के आरम्भ में ही कुछ कठिनाइयाँ सामने आईं लेकिन आपने बड़ी निष्ठा और बहादुरी से इन का मुक़ाबला किया और उन पर क़ाबू पाया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के देहान्त के पश्चात कुछ क़बीले जिन के हृदय में अभी इस्लाम अच्छी तरह रचा बसा नहीं था मुरतद (धर्मत्यागी) हो गए और उनमें प्राचीन भावना उभर आई। उन्होंने स्वतंत्र रहना पसंद किया और ज़कात देने से इन्कार कर दिया बल्कि मदीना पर आक्रमण करने की सोचने लगे। हज़रत अबू बकर ने ख़तरे को देखकर उचित प्रबन्ध किए और ज़कात न देने वालों को अच्छी प्रकार से लताड़ा।

कुछ व्यक्तियों ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय में ही नुबुव्वत के झूठे दावे किए। असवद अन्सी, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, तलैहा बिन ख़वीलद और सजाह नामक एक महिला प्रसिद्ध हैं। असवद अन्सी तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय में ही क़त्ल हो गया। दूसरों ने धर्म त्याग करने वालों के तूफ़ान से लाभ उठाकर अरब क़बीलों में विद्रोह पैदा कर दिया। हज़रत अबूबकर ने सभी पर

काबू पा लिया। मुसैलिमा कज़्ज़ाब क़त्ल हुआ। तुलैहा भाग गया। यह हज़रत अबूबकर की बहादुरी और दृढ़ता ही थी जिस कारण दूर-दूर के मुरतद होने वालों को भी दण्ड मिला और समस्त अरब इकट्ठा होकर इस्लामी राज्य में शामिल हो गया।

भीतरी समस्याओं को दूर करने के अतिरिक्त हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) ने पूरे साहस के साथ बाहरी शत्रुओं की ओर भी ध्यान दिया और उस समय की दो बड़ी शक्तियों अर्थात ईरान के बादशाह किसरा और रोम के बादशाह क़ैसर से टक्कर ली। इराक़ और शाम की विजय की ओर क़दम बढ़ाया। यरमोक के स्थान पर रोम की सल्तनत से एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसने रोम की सल्तनत को अधीन करने के दरवाज़े खोल दिए और रोमियों के हौसले तोड़ दिए। हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) के समय में जिन सफलताओं का आरम्भ हुआ वे द्वितीय ख़िलाफ़त में पूरी हुईं। हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) के ख़िलाफ़त के समय का एक बड़ा कारनामा यह है कि आपने क़ुरआन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया। वैसे तो जब और जितना क़ुरआन शरीफ़ नाज़िल होता आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उसे लिखवा देते। क़ुरआन करीम की हर सूर: और उसका नाम और उसका अनुक्रम और फिर सारे क़ुरआन करीम का अनुक्रम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के द्वारा अल्लाह के आदेश से पूरी हो चुका था लेकिन यह क़ुरआन चमड़े के टुकड़ों, पत्थर की सिलों और खजूर की छाल आदि पर विभिन्न प्रकार से लिखा हुआ था। इस आशंका से कि कहीं बाद के दिनों में क़ुरआन करीम के श्रुतलेख में मतभेद पैदा न हो जाए आपने सभी दस्तावेज़ों को एकत्र किया और सारे क़ुरआन को हाफ़िज़ों (क़ुरआन कंठस्थ करने वाले) की सहायता से इकट्ठा किया और सुरक्षित कर दिया।

स्वर्गवास

हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) ने एक दिन ठण्ड में स्नान किया जिस कारण आपको बुख़ार हो गया और आप 15 दिन बीमार रहे। इस अवधि में

आपने हज़रत उमर(रज़ि॰) को इमामत (नमाज़ पढ़ाने) के लिए चुना। इसके बाद आप ने घोषणा कर दी कि हज़रत उमर आपके बाद उत्तराधिकारी होंगे।

आप दो वर्ष तीन महीने ग्यारह दिन ख़लीफ़ा रहे। 22 अगस्त सन् 634 ई. अर्थात 21 जमादिउल आख़िर सन 13 हिज्री सोमवार को 63 वर्ष की आयु में आप का देहान्त हो गया और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समीप ही दफ़न हुए।

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहो अन्हो

ख़िलाफ़त काल (634 ई. से 644 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहो अन्हो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के द्वितीय ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) थे। आपका नाम उमर, उपाधि फ़ारूक़ और कुनियत (उपनाम) इब्ने ख़त्ताब थी। पिता का नाम अल-ख़त्ताब बिन नसील था। सन् 581 ई. में मक्का में पैदा हुए। बचपन में अपने पिता के ऊँट आदि चराते थे, कुछ होश संभाला तो लिखना पढ़ना सीखा, जवान हुए तो व्यापार करने लगे और अधिकतर शाम और इराक़ की यात्रायें कीं।

इस्लाम स्वीकार करना

इस्लाम के आरम्भिक दिनों में हज़रत उमर(रज़ि॰) इस्लाम से बड़ी दुश्मनी रखते थे। एक दिन तलवार लेकर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के क़त्ल के संकल्प से घर से निकले। रास्ते में किसी ने कहा पहले अपनी बहन की तो ख़बर लो वह मुसलमान हो चुकी है। इस पर शीघ्र ही अपनी बहन के घर की ओर चल पड़े वहाँ पहुँचे तो क़ुरआन करीम की तिलावत हो रही थी। उसे सुन कर हृदय पवित्र और साफ़ हो

गया और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सम्मुख हाज़िर होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।

हज़रत उमर(रज़ि०) के इस्लाम स्वीकार करने से मुसलमानों को बहुत शक्ति प्राप्त हुई। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम प्रार्थना किया करते थे कि हे अल्लाह! उमर को इस्लाम में प्रवेश करके मुसलमानों को शक्ति दे। हज़रत उमर बड़ी धाक और दबदबे वाले थे। अधिकांश युद्ध में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ साथ रहे। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण आँहुज़ूर आपसे भी अधिकतर बातों में परामर्श करते थे।

ख़िलाफ़त का ज़माना

अपने ख़िलाफ़त काल में हज़रत उमर(रज़ि०) ने ईरान और रोम की सल्तनतों की ओर तुरन्त ध्यान दिया और बड़े संकटपूर्ण हालात में अल्लाह ने मुसलमानों को सफलताएं भी दीं। ईरान और इराक़ पर विजय प्राप्त हुई फिर शाम (सीरिया) और मिस्र पर विजय प्राप्त हुई। बैतुल मुक़द्दस जब सन 17 हिज्री में जीत लिया गया तो रोम वालों के निवेदन पर हज़रत उमर(रज़ि०) स्वयं ही वहाँ पहुँचे और संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और सब को शरण दी।

आप(रज़ि०) के ख़िलाफ़त काल में इस्लामी सल्तनत की सीमाएँ बहुत फैल गई थीं। पूरब में अफ़ग़ानिस्तान और चीन की सीमाओं तक मुसलम ान फौजें पहुँच चुकीं थीं, पश्चिम में तराबलस और उत्तरी अफ़रीका तक, उत्तर में क़ज़दीन समुद्र तक और दक्षिण में हब्शा तक। पूरा संसार हैरान है कि किस प्रकार 10-12 वर्षों के थोड़े समय में एक बे सरोसामान क़ौम संगठित शासनों पर छा गई।

हज़रत उमर(रज़ि०) ने सल्तनत को फ़ैलाने और विजययात्रा के साथ-साथ देश की व्यवस्था पर भी बहुत ध्यान दिया। देश को विभिन्न प्रान्तों (सूबों) में बांटा और हर प्रान्त में गर्वनर, फौज का सेनापति, मुन्शी, अफसर माल, पुलिस अफसर, ख़ज़ान्ची और क़ाज़ी (जज) नियुक्त किए। अदालत, फ़ौज

और पुलिस के अलग-अलग विभाग स्थापित किए, डाक का प्रबन्ध किया, जेलख़ाने बनाऐ, टकसाल बनाकर चाँदी के सिक्के चलाए। मदीना में और सभी ज़िलों के केन्द्रस्थलों में बैतुलमाल (कोषागार) बनाए। फौज के लिए वेतन और ग़रीबों को वज़ीफ़े (भत्ते) निर्धारित किए और कार्यालय व्यवस्था की नींव डाली, लोगों की सुविधा और जनसेवा के लिए बड़े-बड़े शहरों में मुसाफिर ख़ाने बनवाए, मक्का और मदीना के बीच चौकियाँ बनवाईं, सरायें और हौज़ बनवाए कई नहरें खुदवाईं। हज़रत उमर(रज़ि०) ने 99 मील लम्बी एक नहर खुदवाई और नील नदी को लाल समुद्र से मिला दिया जिससे व्यापार को बहुत लाभ हुआ और मिस्र के जहाज़ सीधे मदीना की बन्दरगाह पर आने लगे।

हज़रत उमर ने हिज्री सन् का आरम्भ किया और इस्लामी कैलेंडर की शुरूआत आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के हिजरत (मक्का त्याग) के वर्ष से की।

जीवन चरित्र

हज़रत उमर(रज़ि०) बहुत सादा जीवन गुज़ारते थे। इतनी बड़ी सल्तनत (शासन) के शासक होने के बावजूद आपके कपड़ों में कई जोड़ लगे होते थे। सांसारिक आराम से कोई मतलब नहीं था। ख़लीफ़ा बनने के बाद व्यापार का पेशा छोड़ दिया था। कोषागार से दो दिरहम प्रतिदिन वज़ीफ़ा लेते। प्रशासनिक मामलों में किसी की तरफदारी नहीं करते थे। न्याय और इन्साफ एवं प्रजा की भलाई के लिए प्रयास करना आप के जीवन की विशेषता है। रात के समय चक्कर लगाकर लोगों की अवश्यकताओं का पता लगाते और निर्धनों, नि:स्सहाय लोगों और अनाथों को शीघ्र ही सहायता पहुँचा देते। एक बार देखा कि एक स्त्री को प्रसूति पीड़ा हो रही थी और कोई उसके पास नहीं तो शीघ्र ही घर आये और अपनी पत्नी को साथ लेकर गए ताकि उसकी देख-भाल हो सके।

शहादत (स्वर्गवास)

एक दिन एक ईसाई दास अबूलूलू ने हज़रत उमर(रज़ि॰) से शिकायत की कि मेरा आक़ा (मालिक) मुझ से प्रतिदिन दो दिरहम लेता है। वह चित्रकारी और काष्ठ-शिल्पी एवं लोहार के काम में बहुत निपुण था। हज़रत उमर(रज़ि॰) ने उस व्यक्ति के पेशे और आय को ध्यान में रखते हुए इस रकम को उचित ठहराया। इस फैसले से नाराज़ होकर अगले दिन उसने फ़ज्र की नमाज़ (सुबह की नमाज़) के समय कटार (खंजर) से आप पर हमला कर दिया। हज़रत उमर इन घावों के कारण ठीक न हो सके और 26 ज़िलहज्ज सन् 23 हिज्री को बुधवार 63 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। देहान्त के पश्चात आपको हज़रत आइशा(रज़ि॰) के हुज्रे (कोठरी) में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समीप ही दफ़न किया गया।

हज़रत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहो अन्हो

ख़िलाफ़त काल (644 ई. से 656 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहो अन्हो क़ुरैश के प्रसिद्ध परिवार बनू उमय्या से संबंध रखते थे। पांचवीं पुश्त में आपका वंश आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से जा मिलता है। आप आयु में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से छः वर्ष छोटे थे।

आप व्यापार करते थे। अधिक सम्पत्ति होने के कारण आप 'ग़नी' (धनाढ्य) प्रसिद्ध थे। लज्जावान, हया, कुलीनता, बुद्धिमान, दानशीलता और उदारता के कारण आप की बहुत प्रसिद्धि थी, स्वभाव में नम्रता कूट कूट कर भरी थी और प्रत्येक से नर्मी से पेश आते थे।

जब आपने इस्लाम स्वीकार किया तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपनी सुपुत्री हज़रत रुक़य्या(रज़ि॰) का निकाह आप से कर

दिया। मक्का के क़ुरैश ने जब मुसलमानों का जीवन दूभर कर दिया तो आपने हब्शा की ओर हिजरत की। कुछ समय पश्चात फिर मक्का में आ गए और बाद में फिर मदीना की ओर हिजरत की। बदर के युद्ध के समय हज़रत रुक़य्या का देहान्त हो गया तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपनी दूसरी सुपुत्री हज़रत उम्मे कुल्सुम का निकाह आप से कर दिया। इसी कारण आपको ज़ुन्नूरैन की उपाधि मिली।

त्याग और क़ुर्बानी

हज़रत उसमान(रज़ि॰) बहुत दानी थे। धन की कुर्बानी में आप आगे आगे रहते थे। आप(रज़ि॰) के धन से मुसलमानों को बहुत लाभ पहुँचा। मदीना में मीठे पानी का एक कुआँ था जो एक यहूदी की सम्पत्ति थी। आप(रज़ि॰) ने मुसलमानों के दु:ख देख कर बीस हज़ार दिरहम में कुआँ ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए समर्पित कर दिया। तबूक के युद्ध के समय दस हज़ार दीनार नक़द के अतिरिक्त एक हज़ार ऊँट और सत्तर घोड़े सभी सामान सहित भेंट कर दिए। बदर के युद्ध के अतिरिक्त सभी युद्धों में आप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ रहे।

बदर के युद्ध के समय स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कहने पर आप(रज़ि॰) पीछे रहे। हुदैबिया की संधि के समय हज़रत उसमान(रज़ि॰) दूत बनाकर मक्का के क़ुरैश के पास भेजे गए थे जब आप(रज़ि॰) के शहीद होने की झूठी ख़बर उड़ाई गई तो आँहज़रत ने अपने हाथ को उनका हाथ कह कर उनकी ओर से बैअत स्वीकार की और दूसरे सहाबा ने भी नऐ सिरे से वफादारी का अहद बांधा। इसी को बैअत-ए-रिज़वान कहते हैं।

हज़रत उसमान(रज़ि॰) उन दस सहाबियों में से एक थे जिन्हें आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने जीवन काल में ही स्वर्ग की ख़ुशख़बरी दी और अशरा मुबश्शरा कहलाए।

ख़िलाफ़त का ज़माना

हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने देहान्त से पहले छ: सहाबा के नाम दिये और फ़रमाया कि मेरे देहान्त के पश्चात आपसी परामर्श से अपने में से किसी एक को खलीफ़ा (उत्तराधिकारी) चुन लेना। वे छ: लोग ये थे। हज़रत उसमान(रज़ि०), हज़रत अली(रज़ि०), हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम(रज़ि०), हज़रत तलहा(रज़ि०), हज़रत अबदुल रहमान बिन औफ़(रज़ि०), हज़रत सअद बिन अबी वक़ास(रज़ि०)। अधिकतर साथियों की सहमति हज़रत उसमान के पक्ष में थी इसलिए इनको चुने जाने की घोषणा कर दी गई।

हज़रत उसमान(रज़ि०) के समय में भी विजयों की यात्रा जारी रही। आरमीनिया, अफरीक़ा, और क़बरस के इलाके सल्तनत में शामिल हुए इसी तरह मध्य एशिया के बहुत से इलाकों पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार सल्तनत की सीमाएँ मध्य एशिया से लेकर दक्षिण अफ़्रीक़ा के पूर्वी किनारे तक फैल गईं। विजयों के साथ-साथ सल्तनत को स्थायी और मज़बूत बनाने का काम भी जारी रहा। समुद्री फ़ौज और नौका गण की स्थापना हज़रत उसमान(रज़ि०) का एक बड़ा कारनामा था। आपका सबसे बड़ा काम यह है कि आप ने क़ुरआन करीम की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हज़रत अबूबकर(रज़ि०) वाले नुस्ख़े की कापियाँ तैयार करवाईं और इन्हें छपवा कर समस्त इस्लामी दुनिया में भेजा। इस की आवश्यकता इसलिए हुई कि कई इलाकों में क़ुरआन के उच्चारण में भिन्नता देखी गई। बसरा निवासी, कूफ़ा निवासी, हमस निवासी आयतों को भिन्न-भिन्न रंगों में पढ़ते थे। हज़रत उसमान(रज़ि०) ने मक्का वासियों के उच्चारण को उचित ठहराया और इसी के अनुरूप क़ुरआन करीम का लेखन हुआ और क़ुरैश की लेखन प्रणाली प्रयोग की गई। अरब के विभिन्न इलाकों और ग़ैर अरब क़ौमों के मेल जोल के कारण उच्चारण और पाठ की भिन्नता से यह सम्भावना हो सकती थी कि कहीं फेरबदल ही न हो जाए। हज़रत उसमान(रज़ि०) ने सदा के लिए इस सम्भावना को दूर कर दिया।

शहादत (स्वर्गवास)

हज़रत उसमान रज़ियल्लाहो अन्हो जिस समय ख़लीफ़ा चुने गए उनकी आयु सत्तर 70 वर्ष थी। ख़िलाफ़त के आरम्भिक छ: वर्ष शान्ति से गुज़रे परन्तु अन्तिम छ: वर्षों में हज़रत उसमान(रज़ि०) के नम्र स्वभाव और कुछ अन्य कारणों से झगड़े खड़े हो गए। अन्त में यह झगड़े बढ़ते गए और हज़रत उसमान(रज़ि०) बारह वर्ष की ख़िलाफ़त के बाद सन् 35 हिज्री में शहीद कर दिये गए। स्वर्गवास के समय उनकी आयु 82 वर्ष थी।

हज़रत अली कर्रमल्लाहो वज्हुहू

ख़िलाफ़त काल (656 ई. से 661 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत अली कर्रमल्लाहो वज्हुहू आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के चाचा अबूतालिब के सुपुत्र थे। बे'सत नबवी (नबुव्वत की घोषणा) से लगभग आठ वर्ष पूर्व मक्का में पैदा हुए। माता का नाम फ़ातिमा(रज़ि०) था। हज़रत अबूतालिब बड़े परिवार वाले थे। जिस वर्ष मक्का में अकाल पड़ा तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हज़रत अली(रज़ि०) को अपने घर ले आए। जब आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नबी होने की घोषणा की तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ईमान लाए। उस समय उनकी आयु केवल दस वर्ष थी। जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मदीना की ओर हिजरत की उस समय हज़रत अली(रज़ि०) आपकी चारपाई पर सो गए ताकि दुश्मन को ऐसा लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वहीं पर सो रहे हैं और शत्रु हुज़ूर का पीछा न करें। इससे हज़रत अली(रज़ि०) की कुर्बानी और बहादुरी का भी पता चलता है। कुछ समय बाद हज़रत अली(रज़ि०) भी मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। सन् 2 हिज्री में आँहज़रत

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपनी सुपुत्री हज़रत फातिमा(रज़ि०) का निकाह आपसे कर दिया। इस तरह आपको नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के दामाद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

ख़िलाफ़त का ज़माना

हज़रत उसमान(रज़ि०) के शहीद होने के पश्चात आप ख़लीफ़ा चुने गए। उस समय हालात बहुत गंभीर थे। आम लोगों का कहना था कि हज़रत उसमान(रज़ि०) के कातिलों से बदला लिया जाए। हज़रत तल्हा(रज़ि०) और हज़रत ज़ुबैर(रज़ि०) भी यही चाहते थे परन्तु हज़रत अली(रज़ि०) जानते थे कि विद्रोहियों का इस समय बहुत ज़ोर है जब तक शान्ति स्थापित न हो हुकूमत के लिए दण्ड देने की कार्रवाई करना बहुत कठिन है। हज़रत तल्हा(रज़ि०) और हज़रत ज़ुबैर(रज़ि०) जैसे जोशीले साथी शीघ्र ही बदला लेने के हक़ में थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(रज़ि०) ने उन्हें बहुत समझाया कि ख़लीफ़ा के विरुद्ध खड़ा होना उचित नहीं परन्तु उन्होंने इस उपदेश की कोई परवाह न की।

जमल का युद्ध

हज़रत आइशा(रज़ि०) को पूरी तरह स्थिति का ज्ञान न था। वह भी इसी बात के पक्ष में थीं कि हज़रत उसमान(रज़ि०) के क़ातिलों से शीघ्र ही बदला लिया जाए। हज़रत अली(रज़ि०) ने बहुत प्रयत्न किये कि आपसी युद्ध न ही हो परन्तु सभी प्रयत्न विफल हो गए और दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ। हज़रत तल्हा(रज़ि०) और हज़रत ज़ुबैर(रज़ि०) यद्यपि हज़रत आइशा(रज़ि०) की ओर से युद्ध भूमि में आए लेकिन युद्ध आरम्भ होने से पूर्व ही सेना से पृथक हो गए तथा किसी शत्रु के हाथों मारे गए और हज़रत आइशा(रज़ि०) की सेना की पराजय हुई और विजय प्राप्ति के बाद हज़रत अली(रज़ि०) ने उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया, जब वह मदीना जाने लगीं तो स्वयं बिदाई देने गए। चूँकि इस युद्ध में हज़रत आईशा(रज़ि०) एक ऊँट पर सवार थीं इसलिए इस युद्ध को जंगे जमल कहते हैं। (जमल का अर्थ ऊँट है)

हज़रत आइशा(रज़ि०) को बाद में सारा जीवन इस बात का दु:ख रहा कि क्यों उन्होंने हज़रत अली(रज़ि०) के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया।

सफ़्फ़ैन का युद्ध

जमल के युद्ध के पश्चात हज़रत अली(रज़ि०) ने अमीर मुआविया(रज़ि०) को फिर एक बार बैअत करने का परामर्श दिया परन्तु वह किसी प्रकार इस काम को करने के लिए न माने। उन्होंने मिस्र के गर्वनर अमर बिन आस(रज़ि०) को अपना समर्थक बनाया और युद्ध की तैयारी शुरू की। पचासी हज़ार की सेना लेकर हज़रत अली(रज़ि०) के विरुद्ध खड़े हो गए। हज़रत अली(रज़ि०) के साथ भी अस्सी हज़ार की सेना थी। सात दिन तक युद्ध जारी रहा। सातवें दिन निश्चित था कि हज़रत अमीर मुआविया(रज़ि०) की फ़ौज हार जाती कि अमर बिन आस(रज़ि०) ने एक चाल चली। कुरआन करीम नेज़ों (भालों) पर रख कर ऊँचे किए और परामर्श दिया कि मध्यस्थ नियुक्त करके फ़ैसला कर लिया जाए। हज़रत अली(रज़ि०) के कुछ साथी भी इस धोखे में आ गए और उन्होंने मध्यस्थ के परामर्श को स्वीकार करने पर ज़ोर दिया। अपने योद्धाओं में बेचैनी देख कर विवशतावश हज़रत अली(रज़ि०) ने इस परामर्श को स्वीकार कर लिया। हज़रत अली(रज़ि०) की ओर से अबू मूसा अशअरी(रज़ि०) और अमीर मुआविया की ओर से अमरबिन आस मध्यस्थ चुने गए। अबू मूसा अशअरी(रज़ि०) सीधे सादे सूफ़ी व्यक्ति थे परन्तु अमर बिन आस बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अबू मूसा अशअरी(रज़ि०) को यह कह कर अपना समर्थक बना लिया कि हज़रत अली(रज़ि०) और हज़रत अमीर मुआविया(रज़ि०) दोनों को गद्दी से उतार कर नया चुनाव किया जाए। इस पर अबू मूसा(रज़ि०) ने इस की घोषणा कर दी परन्तु अमर बिन आस(रज़ि०) ने कहा मैं हज़रत अली(रज़ि०) को गद्दी से उतारने की सहमति देता हूँ परन्तु अमीर मुआविया(रज़ि०) को यथावत रखता हूँ। इस प्रकार अमर बिन आस(रज़ि०) ने लोगों को धोखा दिया।

ख़वारिज का उत्पन्न होना

जब हज़रत अली(रज़ि॰) को इस राजनैतिक धोखे का ज्ञान हुआ तो वे फिर युद्ध की तैयारी करने लगे। इसी समय उन्हें पता चला कि उनकी जमाअत का एक दल इस कारण अलग हो गया है कि मध्यस्थ के परामर्श को क्यों न माना गया। उन्होंने अपना अलग अमीर (नेता) चुन लिया और इस प्रकार मुसलमान तीन दलों में बंट गए। हज़रत अली(रज़ि॰) ने इन्हें क़ाबू करने के लिए एक फ़ौज तैयार की। पहले तो उन्हें समझाने का प्रयत्न किया परन्तु जब वे ज़िद पर अड़े रहे तो दोनों फ़ौजों में घमासान युद्ध हुआ और कई हज़ार ख़ारिजी मारे गए और केवल कुछ लोग ही जीवित बचे।

शहादत (स्वर्गवास)

यद्यपि ख़ारजियों की हार हुई परन्तु इन लड़ाकू लोगों ने सोचा कि सफ़लता इसी प्रकार हो सकती है कि हज़रत अली(रज़ि॰), हज़रत मुआविया(रज़ि॰)और अमर बिन आस तीनों को एक ही समय क़त्ल कर दिया जाए। अत: उन्होंने इस के लिए योजना तैयार की। हज़रत मुआविया(रज़ि॰) पर हमला सफ़ल नहीं हुआ। अमर बिन आस ठीक उसी समय शहर से बाहर चले गए इसलिए बच गए परन्तु जो व्यक्ति हज़रत अली(रज़ि॰) को क़त्ल करने के लिए चुना गया वह क़त्ल करने में सफ़ल हो गया और इस प्रकार हज़रत अली(रज़ि॰) 20 रमज़ान, सन् 40 हिज्री को पौने पाँच वर्ष की ख़िलाफ़त के पश्चात 63 वर्ष की आयु में शहीद कर दिये गए।

हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम

(1835 ई. – 1908 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

अहमदिया सम्प्रदाय के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम 14, शवाल 1250 हिज्री अनुसार 13, फरवरी 1835 ई. जुमे के दिन क़ादियान, ज़िला गुरदासपुर, पंजाब (भारत) में पैदा हुए। आप मुग़ल क़ौम के एक प्रतिष्ठित परिवार के सुपुत्र थे, आपके पूर्वज हज़रत मिर्ज़ा हादी बेग साहिब समरक़न्द से भारत तशरीफ़ लाए थे। आपके पिता जी का नाम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम मुरतज़ा और माता का नाम चिराग़ बीबी था। बचपन से ही आपके स्वभाव में नेकी, पाकीज़गी, शिष्टता ओर गम्भीरता पाई जाती थी। दूसरे बच्चों की भाँति खेल कूद की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं था। एकान्त रहना पसन्द करते और चिन्तन मनन में लीन रहते थे। प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई इसके पश्चात वालिद साहिब के द्वारा नियुक्त उस्तादों से आपने फ़ारसी पढ़ी और कुछ व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और हिकमत का ज्ञान प्राप्त किया। जवानी में भी तनहाई पसन्द ही रहे। क़ुरआन करीम, नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हसीदों और दूसरे धर्मों की किताबों का अध्ययन आपकी रुचिकर व्यस्तता थी और अधिकतर समय अल्लाह तआला की याद में या क़ुरआन करीम के चिन्तन मनन में व्यतीत होता था। मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का प्रेम आपके रोम-रोम में रचा बसा था। बस एक ही इच्छा और एक ही संकल्प था कि किसी प्रकार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के धर्म की सेवा हो और इस्लाम का नूर सारी दुनिया पर छा जाए।

आपकी धार्मिक व्यस्तता और एकान्त प्रिय स्वभाव के कारण आपके पिता जी को यह चिन्ता बनी रहती थी कि इस बच्चे का जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा यद्यपि आपकी प्रकृति का झुकाव दुनियादारी के कामों की ओर कदापि नहीं था तो भी आपने अपने वालिद साहिब की आज्ञा का सम्मान करते हुए उनके आग्रह पर कुछ समय सियालकोट में नौकरी की और पुर्खों की जायदद को प्राप्त करने के सम्बन्ध में मुक़द्दमों की पैरवी भी की परन्तु शीघ्र ही अपने पिता जी से अनुमति लेकर इन कामों से अलग हो गए और सच्चाई का प्रचार करने के अभियान में दिल व जान से व्यस्त हो गए। 1876 ई. में वालिद साहब का देहान्त हो गया। उनके निधन से पूर्व अल्लाह तआला ने आपको इलहाम द्वारा इस घटना की सूचना दे दी और ''अलैसल्लाहो बिकाफ़िन् अब्दहू'' के शब्दों में यह भी सांत्वना दी कि अल्लाह स्वयं आपके लिए काफ़ी होगा। वालिद साहब की मृत्यु के बाद ही अल्लाह से वार्तालाप और सम्बोधन का क्रम तेज़ी से आरम्भ हो गया।

वह ज़माना आध्यात्मिक रूप से घोर अंधकारमय था। दुनिया का अधिकतर भाग अनेकेश्वरवाद तथा कुसंस्कार व अंधविश्वास में ग्रस्त था। अपने वास्तविक स्रष्टा तथा स्वामी को बिल्कुल भूला हुआ था। एक ओर ईसाई प्रचारक इस्लाम पर हमले कर रहे थे तो दूसरी ओर आर्य समाजी व ब्रह्म समाजी आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पवित्र व्यक्तित्व के विरुद्ध अपशब्द एवं आरोप लगाने में वयस्त थे। इस्लामी विद्वान छोटे मोटे दीनी मसलों और एक दूसरे के खिलाफ़ कुफ़्र का अभियान चलाने में इतना उलझे हुए थे कि उन्हें धर्म की सेवा करने का तनिक भी ध्यान नहीं था। जो इन परिस्थितियों से परिचित थे उनमें सामर्थ्य नहीं था कि विरोधियों के आरोपों का जवाब देते। ऐसे हालात में अल्लाह तआला ने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम के दिल में यह जोश पैदा किया कि आप इस्लाम की सच्चाई को दुनिया पर स्पष्ट करें। अत: आपने एक किताब ''बराहीन-ए-अहमदिया'' नामक लिखी और सारे धर्मों के मानने वालों को चैलेन्ज किया कि वे सौन्दर्य,

विशेषता तथा प्रमाणों और तर्कों में क़ुरआन करीम का मुक़ाबला करके दस हज़ार रुपये का इनाम प्राप्त करें लेकिन किसी में इस मुक़ाबले की हिम्मत न हुई। इस किताब के प्रकाशन ने धार्मिक क्षेत्र में तहलका मचा दिया। आप इस्लाम की प्रशंसा का डंका बजा रहे थे और विरोधी चकित होकर चुप्पी साधे हुए थे।

मामूर और मसीह होने का दावा

सन् 1882 ई. में अल्लाह तआला की तरफ से मामूरियत (नियुक्ति) का पहला इल्हाम (ईशवाणी) हुआ और आपको अवगत कराया गया कि इस ज़माने में धर्म के नवीनीकरण और इस्लाम को पुन: जीवित करने का दायित्व आपके सुपुर्द किया गया है। इस पर भी आपने तुरन्त विधिवत कोई दावा नहीं किया परन्तु निरन्तर इल्हामों के कारण 1885 ई. में आपने स्वयं को इस युग के ''मुजद्दिद'' के रूप में पेश किया जबकि 1883 ई. में और उसके बाद के इल्हामों में अल्लाह तआला ने आपको स्पष्टतया मसीह, नबी और नज़ीर (सतर्क करने वाला) के नामों से याद किया था। वास्तविकता यह है कि आप समर्पण के अत्यन्त ऊँचे दर्जे पर थे और स्वभाव में इतनी विनीतता पाई जाती थी कि अल्लाह तआला की ओर से इन पवित्र नामों का यही अर्थ निकालते कि इनका तात्पर्य केवल मुकालमा व मुख़ातबा (अर्थात अल्लाह से वार्तालाप व सम्बोधन) की अधिकता है। जब कुछ अधिक स्पष्टता हुई तो एक समय तक अपने दर्जे को आंशिक या अधूरी नुबुव्वत समझते रहे परन्तु पुन: 1890 ई. से 1900 ई. के बीच आप पर यह बात स्पष्ट हो गई कि आप को अल्लाह तआला ने नुबुव्वत की पदवी से सुशोभित किया है। इस रंग में कि एक ओर तो आप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह से वार्तालाप की अधिकता के कारण आप नबी के पद पर हैं।

23, मार्च 1889 ई. को अल्लाह तआला के आदेशानुसार आपने सिलसिला-ए-आलिय: अहमदिया (अहमदिया सम्प्रदाय) की नींव रखी

और लुधियाना में पहली बैअत ली। उस दिन 40 लोग बैअत करके इस जमाअत में शामिल हुए। बैअत करने वालों में हज़रत हाजी अलहरमैन हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब(रज़ि॰) ने सर्व प्रथम बैअत करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार आप बाद में प्रथम ख़लीफ़ा भी निर्वाचित हुए।

1890 ई. में आपने मसीह मौऊद होने का दावा किया। इस दावे के साथ ही आपके विरुद्ध अभद्र व्यवहार आरम्भ हो गया। बड़े-बड़े धार्मिक विद्वानों ने आपके ख़िलाफ़ कुफ़्र के फ़त्वे दिये लेकिन ख़ुदा तआला की मदद के संकेत एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। आप ने तमाम सज्जादह नशीनों, पीरों, फ़क़ीरों को मुकाबले के लिए पुकारा, शास्त्रार्थ और तर्क वितर्कों की एक श्रृंखला आरम्भ हो गई और लोगों पर आपकी सच्चाई खुलती चली गई। फिर आपने झुठलाने वाले उलमाओं को 'मुबाहले' की दा'वत भी दी कि यदि चाहें तो इस रंग में ख़ुदा तआला के फैसले को देख लें। उलमाओं के अतिरिक्त दूसरे धर्म के लीडरों और प्रतिनिधियों को भी ललकारा। हिन्दुओं में पण्डित लेखराम, ईसाइयों में से पादरी अब्दुल्लाह आथम और अमरीका का झूठी नुबुव्वत का दावा करने वाला एलैगज़ेण्डर डोई और मुसलमानों में से रुसुल बाबा अमृतसरी, चिराग़दीन जम्मू, रशीद अहमद गंगोही, अब्दुर्रहमान मुहयुद्दीन लखूखे वाले, मौलवी गुलाम दस्तगीर कुसूरी, मुहम्मद हुसैन भैनी वाला आदि मुकाबला करके भविष्यवाणी अनुसार मारे गये और आप के अल्लाह की ओर से होने पर सच्चाई की मुहर लगा गये। फिर आपने दुआ की क़ुबूलियत का निशान दिखाया और सारे धर्मों के लोगों को यह दा'वत दी कि यदि उनका धर्म सच्चा है तो मेरे मुक़ाबले में दुआ की क़ुबूलियत का निशान दिखाएँ परन्तु किसी को इस मुक़ाबले की हिम्मत न हुई। सारांश यह है कि क़ुबूलियत दुआ, इल्मी मुक़ाबलों, आसमानी मदद तथा अधिकता से परोक्ष की ख़बरों के प्रकटन द्वारा प्रमाणित किया कि जीवित नबी केवल हमारे सैय्यद व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं और ज़िन्दा मज़्हब (धर्म) केवल इस्लाम है।

इस्लाम की सत्यता और अपने दावे की सच्चाई को स्पष्ट करने

के लिए आपने लगभग 80 किताबें उर्दू और अरबी में लिखीं। हज़ारों इश्तिहार विभिन्न देशों में प्रकाशित किये और सैंकड़ों भाषण इस्लाम के समर्थन में दिए। बादशाहों और रईसों को पत्र लिखे और उन्हें सच्चाई की दावत दी, फिर आपने मुसलमानों के ग़लत अक़ीदों का सुधार किया और धर्म के सुधार का काम इस प्रकार किया जिस प्रकार मसीह व महदी के लिए करना निर्धारित था। न केवल ज़मीन पर आपकी सच्चाई के निशान ज़ाहिर हुए अपितु आसमान ने भी इसकी गवाही दी। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने महदी के प्रकटन से सम्बंधित जो यह लक्षण बयान किए थे कि रमज़ान के महीने में चाँद को उसकी ग्रहण की रातों में से पहली रात में और सूरज उसके ग्रहण के निश्चित दिनों में से बीच के दिन ग्रहण लगेगा। ठीक इस भविष्यवाणी के अनुसार पूर्बी देशों में 20 मार्च 1894 ई. को चाँद ग्रहण हुआ और 6 अप्रैल 1894 ई. को सूरज ग्रहण हुआ और यह दोनों ग्रहण उस वर्ष रमज़ान के महीने में दिखाई दिए। पश्चिमी देशों में भी अगले वर्ष ठीक इन्हीं शर्तों के साथ रमज़ान में ग्रहण हुआ और यह आसमानी निशान इस्लाम की सत्यता, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सच्चाई और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर ज़बरदस्त सबूत ठहरे। मानो स्वयं आकाश व धरती के बनाने वाले ने यह गवाही दी कि हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी ही मसीह मौऊद और महदी हैं जिनके विषय में अतीत के नबियों और स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट भविष्यवाणियाँ की थीं।

सन्तान

आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपने खानदान में हुई जिससे दो बेटे मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद और मिर्ज़ा सुलतान अहमद पैदा हुए... आपकी दूसरी शादी 1884 ई. में देहली के एक मशहूर सय्यद ख़ानदान (ख़ानदान मीर दर्द) में ऐसे समय में हुई जबकि आपकी आयु 50 वर्ष की हो चुकी थी। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की

भविष्यवाणी ''यतज़व्वजो व यूलदो लहू'' (अर्थात मसीह मौऊद शादी करेगा और उसकी औलाद होगी) के अनुसार इस शादी से एक नये ख़ानदान की नींव पड़ी और आपको वह ख़ुशखबरी दी गई और वह सन्तान मिली जिसके भाग्य में बरकत और दूर-दूर देशों तक अधिक से अधिक फैल जाना है। आपकी दूसरी बीवी का नाम नुसरतजहाँ बेग़म था जो बाद में अम्माँ जान रज़ियल्लाहो अन्हा कहलाईं। आपके पेट से पाँच बेटे और पाँच बेटियाँ पैदा हुईं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं।

1. साहिबज़ादी असमत (जन्म मई, 1886 ई. - मृत्यु 4 जुलाई 1891 ई.)

2. बशीर अव्वल (जन्म 7, अगस्त 1887 ई. - मृत्यु 4 नवम्बर 1888 ई.)

3. हज़रत मुस्लिह मौऊद साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो (जन्म 12 जनवरी 1889 ई. - मृत्यु 7,8 नवम्बर की रात 1965 ई.)

4. साहिबज़ादी शौकत (जन्म 1891 ई. - मृत्यु 1892 ई.)

5. हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. (जन्म 20 अप्रैल 1893 ई. - मृत्यु 2 सितम्बर 1963 ई.)

6. हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद (जन्म 24 मई 1895 ई. - मृत्यु 26 दिसम्बर 1961 ई.)

7. हज़रत नवाब मुबारका बेग़म साहिबा(र) (जन्म 2 मार्च 1897 ई. - मृत्यु 22, 23 मई की रात 1977 ई.)

8. हज़रत साहिबज़ादा मुबारक अहमद साहब (जन्म 14 जून 1899 ई. - मृत्यु 16 सितम्बर 1907 ई.)

9. साहिबज़ादी अमतुन्नसीर (जन्म 28 जनवरी 1903 ई. - मृत्यु 3, दिसम्बर 1903 ई.)

10. हज़रत साहिबज़ादी अमतुलहफ़ीज़ बेग़म साहिबा (जन्म 25 जून 1904 ई.)

स्वर्गवास

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने चोहत्तर साल की आयु पाई। सारी उम्र इस्लाम की सेवा में रात दिन व्यस्त रहे। जिस दिन स्वर्गवास हुआ उससे पहली शाम तक एक किताब को लिखने में व्यस्त थे। इससे उस तड़प, नि:स्वार्थ प्रेम और जोश का पता लगता है जो आपको अल्लाह तआला के जलाल (प्रताप) को प्रकट करने और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सच्चाई को साबित करने के लिए था। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सारी उम्मत में से केवल एक व्यक्ति अर्थात मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विषय में फ़रम या कि उसको मेरा सलाम पहुँचाना। यह मानो उसके पक्ष में सलाम ती की दुआ और भविष्यवाणी थी। हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम के विरुद्ध हज़ारों विरोध हुए और आपको क़त्ल करने की कई योजनाएँ बनीं परन्तु ख़ुदाई निर्णय के अनुरूप वे सब असफल हुईं और आप अपना काम समाप्त करके विधि के विधान के अन्तर्गत मृत्यु पाकर 26 मई, 1908 ई. को लाहौर में इस नश्वर संसार से प्रवास कर गये। आपका जनाज़ा क़ादियान लाया गया। अगले दिन हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब का चयन प्रथम ख़लीफ़ा के रूप में हुआ उन्होंने ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई। इसके पश्चात मय्यत को बहिश्ती मक़बरे में मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ **(इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन)**।

ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ख़िलाफ़त-ए-राशिदः का वचन दिया है। अत: सूर: नूर की आयत नं. 56 में अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ
فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ

دِيۡنَهُمُ الَّذِى ارۡتَضٰى لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا‌ؕ يَعۡبُدُوۡنَنِىۡ لَا يُشۡرِكُوۡنَ بِىۡ شَيۡـــًٔا‌ؕ وَمَنۡ كَفَرَ بَعۡدَ ذٰ لِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ○

अनुवाद :- अल्लाह ने तुम में से ईमान लाने वालों और यथोचित कार्य करने वालों से वादा फ़रमाया है कि वह उनको ज़मीन में ख़लीफ़ा बना देगा जिस प्रकार इनसे पहले लोगों को ख़लीफ़ा बना दिया गया था और जो दीन (धर्म) उसने उनके लिए पसन्द किया है वह उनके लिए उसे दृढ़ता से स्थापित कर देगा, वे मेरी इबादत करेंगे और किसी चीज़ को मेरा शरीक (साझीदार) नहीं बनाएँगे तथा जो लोग इसके पश्चात भी इन्कार करेंगे वे अवज्ञाकारी कहलाएँगे।

परन्तु याद रखना चाहिए कि यह वादा चार दायित्वों के साथ बंधा हुआ है। पहला यह कि मुसलमानों की जमाअत अल्लाह तआला की ओर से ख़िलाफ़ते राशिदा के स्थापित होने के वचन पर ईमान रखती हो, दूसरे यह कि सच्ची ख़िलाफ़त के सिद्धांत अनुसार नेक कर्म करती हो, तीसरे यह कि तौहीद (केवल एक ही ख़ुदा की उपासना) की स्थापना के लिए हर प्रकार की क़ुर्बानी देने की योग्यता रखती हो, चौथे यह कि पूर्ण रूप से ख़लीफ़ा की आज्ञा को प्राथमिकता देते हुए अवज्ञा और अहंकार के परिणाम को सदा ध्यान में रखती हो जो अन्तत: पाप तक पहुँचा देता है।

अत: इस्लामी इतिहास इस पर साक्षी है कि जब तक मुसलमानों की उम्मत इन चार दायित्वों को पूरा करती रही अल्लाह तआला उनको ख़िलाफ़ते राशिदा से पुरस्कृत करता रहा परन्तु जब दायित्व पूरे नहीं किये गये और मुसलमानों में मतभेद फैल गया और नेक कामों से दूरी हो गई तथा आज्ञाकारिता की भावना समाप्त हो गई तो यह पुरस्कार उनसे छीन लिया गया और ज़ालिम शासकों का लम्बा युग आरम्भ हो गया।

परन्तु अल्लाह तआला के फ़ज़ल से इस ज़माने में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के रूहानी सुपुत्र हज़रत मिर्ज़ा

गुलाम अहमद क़ादियानी, मसीह मौऊद व महदी मौऊद को भेजकर इस उम्मत में फिर एक ऐसी पाक जमाअत की स्थापना की जो सूर: नूर में वर्णित चार दायित्वों को निभाने वाली बन गई। जिसके फलस्वरूप जमाअत अहमदिया में ख़िलाफ़त-ए-राशिदा का सिलसिला आरम्भ हो गया।

यह ख़िलाफ़त की व्यवस्था उसी ख़िलाफ़त-ए-राशिदा की क्रम है जो आज से चौदह सौ वर्ष पूर्व सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाद नुबुव्वत के सिद्धान्त अनुसार स्थापित हुआ था। इस ख़िलाफ़त-ए-राशिदा के पश्चात उम्मत-ए-मुहम्मदिया में जो विभिन्न परिस्थितियाँ आने वाली थीं उनके विषय में सच्ची खबरें देने वाले हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने भविष्यवाणी के रंग में विस्तार पूर्वक बयान फ़रमाया था।

अत: मुसनद अहमद और मिश्कात की इस हदीस को नीचे लिखा जाता है।

عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النّبوّۃُ فیکم ما شاء اللہ اَنْ تکونَ ثم یرفعھا اللہُ تعالیٰ ثُمَّ تکونُ خلافةٌ علیٰ منھاج النُّبوۃِ ما شاء اللہُ اَنْ تکونَ ثم یرفعھا اللہ تعالیٰ ثُمَّ تکونُ مُلکاً عاضاً فتکونَ ما شاء اللہُ اَنْ تکونَ ثُمَّ یرفعھا اللہُ تعالیٰ۔ ثم تکونُ مُلکاً جبریّةً فتکونُ ما شاء اللہُ اَنْ تکونَ ثُمَّ یرفعھا اللہُ تعالیٰ ثُمَّ تکون خلافةً علیٰ منھاجِ النُّبوّۃِ ثُمَّ سکت"۔

(मिशक़ात, बाबुल इन्ज़ार, अत्तहज़ीर, मुस्नद अहमद, भाग 5, पृ. 404)

अनुवाद :- हज़रत हुज़ैफ़ह रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुममें नुबुव्वत (नबी का वुजूद) उस समय तक रहेगी जब तक ख़ुदा चाहेगा फिर अल्लाह तआला उसे उठा लेगा फिर (नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के देहान्त के तुरन्त बाद) नबी सल्लल्लाहो अलैहि

व सल्लम की नुबुव्वत के सिद्धान्त के अनुसार ख़िलाफ़त स्थापित हो जायेगी, जब तक अल्लाह तआला चाहेगा यह ख़िलाफ़त स्थापित रहेगी फिर वह उसे भी उठा लेगा। इसके बाद काटने वाली (अर्थात लोगों पर अन्याय करने वाली) बादशाहत का युग आयेगा। जब तक ख़ुदा तआला की इच्छा होगी यह युग चलता रहेगा फिर ख़ुदा उसे भी उठा देगा। इसके पश्चात जबरी शासन (अर्थात जो लोकतान्त्रिक शासन के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा) का युग आयेगा फिर कुछ समय बाद यह युग भी समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात पुन: ख़िलाफ़त का ज़माना आयेगा जो आरम्भिक युग की भाँति नुबुव्वत के सिद्धान्त के अनुसार स्थापित होगा। बयान करने वाला कहता है ''सुम्मा सकत'' अर्थात इसके बाद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ख़ामोश हो गये।

यह महत्वपूर्ण हदीस इस्लाम के लहरदार इतिहास का रोचक एवं सम्पूर्ण सार प्रस्तुत कर रही है और हमारे आक़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अत्यन्त हिकमत से हर युग की अलग अलग रूप रेखा वर्णन करने के लिए ऐसे उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है जिन्होंने वास्तव में समुद्र को गागर में बन्द करके रख दिया है। अत: आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सबसे पहले नुबुव्वत का दौर है जो इस सारी व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है, इसके पश्चात ख़िलाफ़त का दौर आरम्भ होगा परन्तु ख़िलाफ़त से अभिप्राय: साधारण ख़िलाफ़त नहीं जिसमें कई बार ज़ालिम शासकों का नाम भी ख़लीफ़ा रख लिया जाता है बल्कि वह ''ख़िलाफ़त अला मिनहाजि नुबुव्वत'' (नुबुव्वत के सिद्धान्त के अनुसार ख़िलाफ़त) है। अत: हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के निधन के पश्चात हज़रत अबू बकर(रज़ि०), हज़रत उमर(रज़ि०), हज़रत उसमान(रज़ि०) तथा हजरत अली(रज़ि०) की ख़िलाफ़त स्थापित हुई।

इसके पश्चात आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ''मलकन आज़्ज़न'' (काटने वाला शासक) का दौर बयान फ़रमाया है जो कि काटने वाला और अत्याचार करने वाला दौर था। यह वह दौर था जिसमें

रसूले मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की प्यारी सन्तान हज़रत इमाम हुसैन(रज़ि॰) और आपके परिवार के अनेक महापुरुष ज़ुल्म का शिकार हुए और इसी दौर में हज़रत अबू बकर(रज़ि॰) के चहीते नवासे (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर) भी शहीद किये गये और यही वह दौर था जिसमें हज्जाज बिन यूसुफ़ की तलवार ने हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया था।

इसके बाद ''मलकन जबरिय्य:'' का दौर बयान फ़रमाया है। अर्थात ऐसी बादशाहत जिसमें पिछले दौर की भाँति कड़ा ज़ुल्म और अन्याय तो न होगा परन्तु वह इस्लाम की लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुसार स्थापित न होगी बल्कि ज़बरदस्ती का शासन होगा। अत: इस्लाम में यह जबरी शासन सदियों तक चलता रहा।

इसके पश्चात नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि पुन: ''ख़िलाफ़त अला मिनहाजुन्नुबुव्वत'' का दौर आ जायेगा अर्थात अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवकों में से किसी प्यारे बन्दे को नबी(स) का प्रतिबिम्ब नुबुव्वत से पुरस्कृत करेगा तथा इसके द्वारा ख़िलाफ़ते राशिदा का क्रम आरम्भ फ़रमायेगा।

सुनने वाले बयान करते हैं कि इतना फ़रमाने के बाद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ामोश हो गये अर्थात इस ख़िलाफ़त के दौर में पुन: इस्लाम को प्रभुत्व प्राप्त होगा और यह आख़िरी ख़िलाफ़त का युग वही है जो ख़ुदा के फ़ज़्ल से संस्थापक जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम के युग से आरम्भ हो चुका है। अत: हदीस की विख्यात पुस्तक 'मिश्कात' में जहाँ यह हदीस वर्णित है वहाँ इसकी व्याख्या में ये शब्द लिखे हैं الظاہر ان المراد بہ زمن عیسیٰ والمہدی अर्थात यह बात स्पष्ट है कि इस दूसरे दौर से अभिप्राय: मसीह और महदी का युग है।

(मिश्कात, प्रकाशित असहहुल मताबेअ, कराची, पृ. 461)

जमाअत अहमदिया के संस्थापक अलैहिस्सलाम ने अपने निधन से कुछ समय पूर्व इस ख़िलाफ़त की नेमत की शुभसूचना देते हुए जमाअत को इन

शब्दों में सांत्वना दी थी कि :-

"हे अज़ीज़ो! जबकि पहले से ही अल्लाह का नियम यही है कि ख़ुदा तआला दो क़ुदरतें दिखलाता है ताकि विरोधियों की दो झूठी ख़ुशियों को नष्ट कर दे। अत: असम्भव है कि ख़ुदा अपनी प्राचीन विधि को बदले। इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे सामने बयान की (अर्थात अपने निधन की सूचना से) दु:खी मत होना और तुम्हारे दिल परेशान न हो जाएँ क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी क़ुदरत का देखना भी आवश्यक है और उसका आना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि वह सदा के लिए है जिसका क्रम क़यामत तक नहीं टूटेगा और वह दूसरी क़ुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊँ, लेकिन मैं जब जाऊँगा तो फिर ख़ुदा उस दूसरी क़ुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी.... मैं ख़ुदा की एक साक्षात क़ुदरत हूँ और मेरे बाद कुछ अन्य वुजूद होंगे जो दूसरी क़ुदरत के द्योतक होंगे। अत: तुम ख़ुदा की दूसरी क़ुदरत की प्रतीक्षा में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो और प्रत्येक देश के नेक लोगों को मिलकर दुआ करनी चाहिए ताकि दूसरी क़ुदरत आसमान से नाज़िल हो और तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारा ख़ुदा कैसा शक्तिशाली है।"

(अलवसीयत, पृष्ठ 5, 6)

"और जमाअत के पाक लोग मेरे बाद मेरे नाम पर लोगों से बैअत लें। ख़ुदा तआला उन समस्त रूहों को जानता है जो ज़मीन के विभिन्न भागों में आबाद हैं चाहे वे यूरोप में हों या एशिया में, जो नेक प्रकृति के हैं, उनको तौहीद की ओर खींचे और अपने बन्दों को एक ही धर्म पर एकत्रित करे।"

जमाअत अहमदिया के संस्थापक का निधन 26 मई 1908 ई. को हुआ और अगले दिन 27 मई 1908 ई. को जमाअत अहमदिया में ख़िलाफ़त अला मिनहाजे नुबुव्वत का बाबरकत सिलसिला हज़रत हाजी अलहरमैन, हाफिज़े क़ुरआन, हक़ीम मौलाना नूरुद्दीन साहिब के द्वारा आरम्भ हुआ जिन्हें जमाअत ने ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल (प्रथम

ख़लीफ़ा) के पद पर चुनकर आपके हाथ पर ख़िलाफ़त की बैअत का सौभाग्य प्राप्त किया। आपकी मृत्यु के पश्चात हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद(र) दूसरे ख़लीफ़ा हुए और उनके बाद हज़रत हाफ़िज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब(रह) तीसरे ख़लीफ़ा हुए और उनके बाद हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब चौथे ख़लीफ़ा हुए और उनके बाद हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ पांचवे ख़लीफ़ा निर्वाचित हुए। इन पांचों ख़लीफ़ाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त वर्णन आगे आएगा।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल (रज़ि॰)

(1841–1914 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हाजी अल्हरमैन हाफिज़ मौलवी नूरुद्दीन साहब ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल(रज़ि॰) 1841 ई. में पंजाब के एक पुराने शहर भेरह में पैदा हुए। पिता जी का नाम हाफिज़ गुलाम रसूल और माँ का नाम नूरबख़्त था।

32वीं पीढ़ी में आपकी वंशावली हज़रत उमर फ़ारूक़(रज़ि॰) से मिलती है। आपके वंश में बहुत से वली (ख़ुदा वाले) एवं मशाइख (महापुरुष) हुए हैं। ग्यारह पीढ़ियों से तो हुफ़्फ़ाज़ (कुरआन कंठ करने वाले) का सिलसिला बराबर चला आता है जो ज़ाहिर करता है कि इस पवित्र वंश को आरम्भ से ही कुरआन करीम से अत्यन्त निष्ठा रही। आरम्भिक शिक्षा तो माता पिता से प्राप्त की, फिर लाहौर और रावलपिण्डी में शिक्षा ग्रहण की। नारमल स्कूल से पास होकर चार साल पिण्ड दादनखाँ में स्कूल के हेडमास्टर रहे। उसके बाद नौकरी छोड़ दी और शिक्षा ग्रहण करने हेतु रामपुर, लखनऊ, मेरठ और भोपाल की यात्रा की। इन दिनों में आपने अरबी, फ़ारसी, मन्तिक (तर्क-शास्त्र) फ़लसफ़ा (दर्शन-शास्त्र) तिब्ब (वैद्य-विद्या) अर्थात हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। कुरआन

करीम से हार्दिक लगाव था। इसके भेद आप पर खुलते रहते थे। ख़ुदा पर भरोसे का उच्च स्थान प्राप्त था। हर समय दुआओं से काम लेते थे। जहाँ जाते ख़ुदा की कृपा से आपके लिए आसानी उपलब्ध हो जाती और लोग आपके चाहने वाले बन जाते। एक बार एक धनी व्यक्ति का इलाज किया तो उसने इतना अधिक धन दिया कि आप पर हज्ज फ़र्ज़ हो गया। अत: आप मक्का और मदीना की यात्रा के लिए चले गये। हज्ज भी किया और वहाँ अनेक बड़े-बड़े विद्वानों से हदीस पढ़ी। उस समय आपकी आयु 24-25 वर्ष की थी।

अरब देश से भारत आकर भेरा में पठन-पाठन और वैद्य का काम आरम्भ किया। आपके चिकित्सालय की शान यह थी कि मरीज़ों के नुस्ख़े लिखने के साथ-साथ हदीसें भी पढ़ाते थे। 1877 ई. में लार्ड लिटिन वायसराय हिन्द के दरबार में सम्मिलित हुए। कुछ दिन भोपाल में रहे फिर रियासत जम्मू व कश्मीर में 1876 ई. से 1892 ई. तक शाही वैद्य रहे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत (दर्शन)

गुरदासपुर के एक व्यक्ति द्वारा आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का परोक्ष परिचय प्राप्त हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक इश्तिहार भी देखा। मार्च 1885 ई. में क़ादियान पहुँचकर हुज़ूर से मुलाक़ात की। उस समय हुज़ूर ने न तो दावा किया था और न ही बैअत लेते थे। तो भी सच्चे अन्तर्ज्ञान से आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ओर आकर्षित हो गये। हुज़ूर के कहने पर आपने पादरी थामस हॉविल की आपत्तियों के जवाब में पुस्तक ''फ़स्लुल ख़िताब'' और पण्डित लेखराम की किताब ''तक्ज़ीब बराहीन अहमदिया'' के जवाब में ''तस्दीक़ बराहीन अहमदिया'' लिखी। 23 मार्च 1889 ई. में जब लुधियाना में पहली बैअत हुई तो सबसे पहले आपने बैअत का सौभाग्य प्राप्त किया। सितम्बर 1892 ई. में रियासत कश्मीर से आपका सम्बन्ध टूट गया तो भेरा में चिकित्सालय के लिए एक बड़ा मकान बनवाया। अभी वह पूरा नहीं बना था कि

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आदेश के अनुसार क़ादियान में धूनी रमाकर बैठ रहे। क़ादियान में एक मकान बनवाकर उसमें चिकित्सा-कार्य आरम्भ किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ शाम के दरबार में और अन्य यात्राओं में साथ साथ रहते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पवित्र सन्तान को क़ुरआन व हदीस पढ़ाते। सुबह सवेरे बीमारों को देखते फिर विद्यार्थियों को हदीस पढ़ाते और चिकित्सा की शिक्षा देते तथा अस्र की नमाज़ के बाद रोज़ाना क़ुरआन करीम का पाठ देते। औरतों में भी क़ुरआन का पाठ होता था। मस्जिद अक़्सा में पाँच समय की नमाज़ और जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे। जब क़ादियान में कालिज स्थापित हुआ तो उसमें अरबी की शिक्षा देते थे। दिसम्बर 1905 ई. में अंजुमन कारपर्दाज़ मसालिह कब्रिस्तान (कब्रिस्तान सुधारक समिति) के अमीन नियुक्त हुए। जब सदर अन्जुमन बनी तो उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्लसाम को किताबों के हवाले निकालने में सहायता प्रदान करते थे और हुज़ूर के लेखों की प्रूफ़रीडिंग करते थे, मुबाहसों में सहायक बनते थे, अख़बार ''अलहकम'' और ''अलबदर'' के लेखों में सहायता करते थे। क़ुरआन करीम का सम्पूर्ण अनुवाद किया और छपवाने के लिए मौलवी मुहम्मद अली साहिब को दिया परन्तु केवल पहला पारा छप सका।

ख़िलाफ़त का दौर

27 मई 1908 ई. को जबकि आपकी आयु 67 वर्ष थी, ख़लीफ़ा निर्वाचित हुए। लगभग 1200 व्यक्तियों ने ख़िलाफ़त की बैअत की। स्त्रियों में सबसे पहले हज़रत अम्मा जान(रज़ि॰) ने बैअत की। सदर अन्जुमन की ओर से अखबार अलहकम और अलबदर में घोषणा कराई गयी कि :-

''आप (अर्थात हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम) की वसीयतें जो ''अलवसीयत'' में लिखित हैं उनके अनुसार सदर अंजुमन अहमदिया, क़ादियान के विश्वस्त लोगों के परामर्श एवं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परिवार वालों की आज्ञा तथा हज़रत उम्मुल मोमिनीन

की आज्ञा से पूरी क़ौम ने जो इस समय क़ादियान में थी और जिसकी संख्या 1200 थी महानुभाव हज़रत हाजी अलहरमैन शरीफैन जनाब हकीम नूरुद्दीन साहब को आपका उत्तराधिकारी व ख़लीफ़ा स्वीकार किया और आपके हाथ पर बैअत की। प्रमुख व्यक्तियों में निम्नलिखित लोग उपस्थित थे :-

हज़रत मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब, साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, जनाब मुहम्मद अली ख़ाँ साहिब, शेख रहमतुल्लाह साहिब, मौलवी मुहम्मद अली साहिब, डाक्टर मिर्ज़ा याक़ूब बेग़ साहिब, डाक्टर सय्यद मुहम्मद हुसैन साहिब, ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन व ख़ाकसार (ख़्वाजा कमालुद्दीन)....।''

जमाअत के सब मेम्बरों को निर्देश दिया गया कि वे तुरन्त हकीमुल उम्मत ख़लीफ़तुल मसीह व महदी की बैअत करें। अत: इसके अनुसार काम हुआ और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल का चयन हज़रत अबूबकर(रज़ि॰) की भाँति पूरी क़ौम की सहमति और ख़ुदा की विशेष कृपा से हुआ और किसी प्रकार का मतभेद उस समय नहीं हुआ।

ख़िलाफ़त के आरम्भ से ही जमाअत के उपदेशकों की नियुक्ति हुई। शेख़ गुलाम अहमद साहिब, हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहिब वज़ीरावादी और हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहिब राजेकी प्रारम्भिक उपदेशक नियुक्त हुए। जिन्होंने देश भर में घूमकर इस सिलसिले की सेवाएँ कीं और असंख्य भाषण दिये, तर्क वितर्क किए और अनेक स्थानों पर जमाअतें स्थापित कर दीं।

आपकी ख़िलाफ़त के ज़माने में गर्ल्स स्कूल और 'नूर' अख़बार का 1909 ई. में प्रकाशन आरम्भ हुआ। मदरसा अहमदिया की स्थापना हुई। 1910 ई. में नूर मस्जिद की नींव रखी गई। इसी प्रकार मदरसा तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल और इसके बोर्डिंग की नींव रखी गई। मस्जिद अक़्सा का विस्तार हुआ। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा महमूद अहमद साहिब (ख़लीफ़तुल मसीह सानी(रज़ि॰)) की कोशिशों से अन्जुमन अन्सारुल्लाह की स्थापना हुई और अख़बार 'अलफ़ज़्ल' जारी हुआ। 1913 ई. में यूरोप में

सबसे पहला अहमदिया मिशन स्थापित हुआ।

मौलवी मुहम्मद अली साहिब और ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब जो सदर अन्जुमन अहमदिया के मुख्य मेम्बर थे आरम्भ से ही उन पर पश्चिमी देशों की छाप थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन में ही उनकी यह इच्छा थी कि जमाअत की व्यवस्था उसी ढंग से चलायें जैसे सांसारिक संगठन चलाते हैं। इसी कारण से वे हज़रत म सीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन में ही लंगरखाने (अतिथिगृह) की व्यवस्था और जमाअत के अन्य कार्यों पर आपत्ति करते रहते थे और खर्चों के सम्बन्ध में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते थे। हुज़ूर के जीवन में तो उनकी कोई बात नहीं चली परन्तु प्रथम ख़लीफ़ा के दौर में उन्होंने बखेड़े खड़े करने शुरू कर दिये। ख़िलाफ़त के दौर में जो पहला जलसा सालाना दिसम्बर 1908 ई. में हुआ तो उसमें ऐसे भाषणों का चयन किया जिसका उद्देश्य जमाअत में ऐसे विचारों को फैलाना था कि वास्तव में सदर अन्जुमन अहमदिया ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उत्तराधिकारी और ख़लीफ़ा है। हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल ने इन विचारों का खण्डन करते हुए ख़िलाफ़त की आवश्यकता और उसके आज्ञापालन पर बल दिया और फ़रमाया :-

''तुमने स्वयं मेरी बैअत नहीं की बल्कि मेरे मौला (अल्लाह) ने तुम्हारे दिलों को मेरी ओर झुका दिया है अत: तुम्हारे लिए मेरा आज्ञापालन अनिवार्य है।''

ख़्वाजा साहिब और मौलवी मुहम्मद अली साहिब आदि के विचारों से जमाअत में जो अव्यवस्था फैलने लगी थी उसको दूर करने के लिए आप(रज़ि०) ने 31 जनवरी 1909 ई. को जमाअत के प्रतिनिधियों को क़ादियान में बुलाया और स्पष्ट शब्दों में यह फ़ैसला फ़रमाया कि सदर अन्जुमन अहमदिया तो केवल एक कार्यकारिणी समिति है जमाअत का इमाम और मुताअ (जिसकी आज्ञा मानी जाये) तो केवल ख़लीफ़ा ही है। इस सम्मेलन में उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से जिनमें विद्रोह पाया जाता था आपने पुन: आज्ञापालन की बैअत ली परन्तु बैअत कर लेने और

आज्ञाकारिता का वचन देने के बाद भी इन लोगों के दिल साफ नहीं हुए और वे बग़ावत व अवज्ञा में बढ़ते ही गये यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर विरोध करने लगे और आप(रज़ि०) की शान में अपशब्द कहने लगे।

1910 ई. में आप(रज़ि०) घोड़े से गिर गये और बहुत चोटें आईं। बीमारी का क्रम बढ़ता गया इसी बीच आपने वसीयत लिखी जिसमें केवल दो शब्द थे। अर्थात ''ख़लीफ़ा महमूद''। इससे विदित होता है कि आप अपने बाद हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा महमूद अहमद साहिब को ख़लीफ़ा बनाना चाहते थे। आपने अपनी बीमारी के दौरान हज़रत साहिबज़ादा साहिब को अपने स्थान पर नमाज़ का इमाम नियुक्त किया। यों भी आप उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे और स्पष्ट रूप में इस बात का इज़्हार करते थे कि अपने तक़्वा (ख़ुदा का डर) व तहारत (पवित्रता) इमाम की आज्ञाकारिता व ख़ुदा तआला से सम्बन्ध स्थापित करने में इनको एक विशेष स्थान प्राप्त है। जब आपकी बीमारी लम्बी हो गई तो ख़िलाफ़त की अवज्ञा करने वालों ने गुमनाम पम्फलैट लाहौर से प्रकाशित किये जिन में इस बात का प्रचार किया गया कि क़ादियान में पीर परस्ती आरम्भ हो गई है और मिर्ज़ा महमूद अहमद साहिब को ख़िलाफ़त की गद्दी पर बिठाने की साज़िश हो रही है। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल के विषय में लिखा गया कि एक धार्मिक विद्वान ने एडिटर पैग़ामे सुलह और दूसरे सम्बंधित लोगों की अवहेलना आरम्भ कर दी है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परिवार वालों के सम्बन्ध में लिखा कि वे बुज़ुर्गाने सिलसिला (अर्थात ख़्वाजा साहिब और मौलवी मुहम्मद अली साहिब आदि) को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रकार इन लोगों ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल की दो बार आज्ञा पालन की बैअत करने के बाद भी आपको बदनाम करने और ख़िलाफ़त की व्यवस्था को मिटाने की पूरी कोशिश की परन्तु वे अपने नापाक इरादों में असफल रहे।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल(रज़ि०) (प्रथम) का सबसे बड़ा यही कारनामा है कि आपने ख़िलाफ़त की व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित कर दिया और ख़िलाफ़त का महत्व और अनिवार्यता को बार-बार जमाअत

के सामने पेश करके इस आस्था को जमाअत में सुदृढ़ कर दिया कि ख़लीफ़ा ख़ुदा ही बनाता है। मानव इच्छाओं से कोई ख़लीफ़ा नहीं बन सकता। ख़िलाफ़त के ख़ुदाई निज़ाम को मिटाने के लिए ख़िलाफ़त के इन्कारियों ने जो फसाद किया और लोगों को पथभ्रष्ट करके अपने में मिलाने की जो कार्यवाहियाँ की गईं आपने उन सबको विफल बना दिया। ख़िलाफ़त के इन्कारियों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए लाहौर से एक अख़बार जारी किया जिसका नाम ''पैग़ामे सुलह'' रखा। यह अख़बार हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल रज़ि. के नाम भी भेजा जाने लगा। आपने इसके लेखों को पढ़कर फ़रमाया ''यह तो हमारे लिए ''पैग़ामे जंग'' है'' और दुखित होकर इस अख़बार को लेने से इनकार कर दिया।

स्वर्गवास

सारांश यह है कि आप अपने सम्पूर्ण ख़िलाफ़त काल में जहाँ क़ुरआन करीम व नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों के पठन-पाठन में व्यस्त रहे वहीं ख़िलाफ़त के विषय को बार बार अपने भाषणों और उपदेशों द्वारा स्पष्ट करते रहे यहाँ तक कि जमाअत के अधिकांश लोगों ने अल्लाह की इस रस्सी को मज़बूती से पकड़ लिया। बीमारी के दौरान गुप्त ट्रैक्टों (पम्फलैटों) के प्रकाशन ने आपको बहुत दु:खी किया और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला। अन्ततः आपने 13 मार्च 1914 ई. जुमे के दिन मृत्यु को प्राप्त किया और अपने ख़ुदा से जा मिले। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ **(इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन)**।

हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद(रज़ि०) मुस्लिह मौऊद व ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय ख़लीफ़ा) (1889 ई. 1965 ई.)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी(रज़ि०) की ख़िलाफ़त का दौर विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके विषय में पिछले नबियों व नेक पूर्वजों की भविष्यवाणियाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला के अनेक निशानों और निरन्तर समर्थनों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप ही वह मुस्लिह मौऊद ख़लीफ़ा हैं जिसका वचन दिया गया था।

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने 20 फ़रवरी 1886 ई. को एक मसीही स्वभाव के पुत्र के जन्म की सूचना दी थी जो स्वभाव से नम्र और आन्तरिक व बाह्य ज्ञानों से परिपूर्ण किया जायेगा और यह भी बता दिया था कि वह 9 वर्ष के भीतर अवश्य पैदा हो जायेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार सय्यदिना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, हज़रत अम्मा जान नुसरतजहाँ बेग़म(रज़ि०) के पेट से 12 जनवरी 1889 ई. को शनिवार के दिन पैदा हुए। अल्लाहा तआला के इल्हाम में आपका नाम महमूद, दूसरा बशीर, फ़ज़्ले उमर व मुस्लिह मौऊद भी रखा गया और 'कलिमतुल्लाह' तथा 'फ़ख़रे रुसुल' की उपाधियों से सुशोभित किया गया। आपके विषय में अल्लाह तआला ने यह भी बताया था कि वह बड़ा प्रतिभाशाली एवं विवेकशील होगा। ख़ुदा का साया उसके सिर पर होगा, वह जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बंदियों को छुड़ाने का कारण बनेगा ज़मीन के किनारों तक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और जातियाँ उससे बरकत प्राप्त करेंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपका बड़ा ख़्याल रखते थे क्योंकि आपके विषय में अनेक शुभ सूचनाएँ मिली हुई

थीं। कभी आपको डांटते नहीं थे। बचपन से ही आपको धर्म में रुचि थी। दुआओं में लीनता थी और नमाज़ें बड़े ध्यान से पढ़ते थे।

आपने आरम्भिक शिक्षा मदरसा तालीमुल इस्लाम से प्राप्त की। स्वास्थ्य की ख़राबी और नज़र की कमज़ोरी के कारण आपकी शैक्षिक स्थिति अच्छी न रही और आप प्रत्येक कक्षा में रियायती उन्नति पाते रहे। मिडिल और मैट्रिक की सरकारी परीक्षा में फेल हुए और इसी प्रकार सांसारिक शिक्षा पूरी हो गईं। इस स्कूली शिक्षा के पश्चात हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम ने अपनी विशेष तरबियत में लिया। क़ुरआन मजीद का अनुवाद तीन माह में पढ़ा दिया फिर बुख़ारी शरीफ भी तीन माह में पढ़ा दी। कुछ औषधि-विद्या भी पढ़ाई और कुछ अरबी की पुस्तकें भी पढ़ाईं। क़ुरआनी ज्ञान का खुलना तो अल्लाह की ओर से वरदानस्वरूप होता है परन्तु यह बात भी उचित है कि क़ुरआन करीम की लगन हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल ने ही लगाई। जब आपकी आयु 17-18 वर्ष थी, एक दिन सपने में एक फ़रिश्ता प्रकट हुआ और उसने सूर: फ़ातिहा की व्याख्या सिखाई। इसके बाद से क़ुरआन की व्याख्या का ज्ञान ख़ुदा तआला स्वयं प्रदान करता चला गया।

1906 ई. में जबकि आपकी आयु 17 वर्ष थी सदर अन्जुमन अहमदिया की स्थापना हुई तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आपको विश्वस्त मज्लिस का सदस्य नियुक्त किया। 26 मई 1908 ई. को जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का निधन हुआ तो आप पर दु:ख का पहाड़ टूट पड़ा। दु:खों इस बात का था कि सिलसिले का विरोध ज़ोर पकड़ेगा और लोग विभिन्न आपत्तियाँ करेंगे, तब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पार्थिव शरीर के सिरहाने खड़े होकर अपने रब से प्रतिज्ञा की कि :-

''यदि सारे लोग भी आपको (मसीह मौऊद अलैहिस्साम को) छोड़ दें और मैं अकेला रह जाऊँ तो मैं अकेला ही सारी दुनिया का मुक़ाबला करूँगा और किसी विरोध तथा दुश्मनी की चिन्ता नहीं करूँगा।''

यह प्रतिज्ञा आपकी बहादुरी और धर्म के प्रति स्वाभिमान की रोशन

दलील है। इतिहास साक्षी है कि आपने इस प्रतिज्ञा को ख़ूब निभाया। 15-16 वर्ष की आयु में आपको पहली बार यह इल्हाम हुआ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى یَوْمِ الْقِیٰمَةِ इस पहले इल्हाम में ही इस बात की शुभ सूचना विद्यमान थी कि आप एक दिन जमाअत के इमाम होंगे। क़ुरआन करीम की समझ आपको इश्वरीय देन के रूप में मिली थी। जिसका इज़्हार उन भाषणों से होता था जो यदा-कदा आप जलसा सालाना पर या अन्य अवसरों पर दिया करते थे। आयत لَا یَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ के अनुसार यह इस बात का प्रमाण था कि सय्यदिना प्यारे महमूद के दिल में ख़ुदा और उसके रसूल और इस पवित्र कलाम की मुहब्बत के अतिरिक्त कुछ न था, परन्तु बुरा हो ईर्ष्या और द्वेष का, ख़िलाफ़त के इन्कारी आपके विरुद्ध भी योजनाएँ बनाते रहते थे। उनकी यह कोशिश होती थी कि किसी प्रकार हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल को आपसे बदगुमानी हो जाए। उनको आपसे दुश्मनी इस लिए थी कि एक तो आप हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल के पूरे आज्ञाकारी, सहायक और बड़े समर्थक थे दूसरे आपका तक़्वा व तहारत, अल्लाह तआला से विशेष सम्बन्ध, दुआओं में लीनता और आपकी प्रसिद्धि के कारण उन्हें लग रहा था कि जमाअत में आपकी लोकप्रियता और मान्यता दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है और स्वयं हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं। इन्ही कारणों से आपका व्यक्तित्व ख़िलाफ़त के इन्कारियों को कांटे की भाँति खटकता था।

प्रथम ख़िलाफ़त के दौर में आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और अरब व मिस्र के नगरों की यात्रा की। बैतुल्लाह का हज्ज किया। सन 1911 ई. में आपने अन्सारुल्लाह की मज्लिस स्थापित फ़रमाई और 1913 ई. में अख़बार ''अल फ़ज़्ल'' जारी किया और इसके सम्पादन के दायित्व को अपनी ख़िलाफ़त के दौर तक अत्युत्तम ढंग से और पूर्ण योग्यता के साथ निभाया।

ख़िलाफ़त का ज़माना

हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल(रज़ि॰) के स्वर्गवास के पश्चात 14 मार्च 1914 ई. को मस्जिद नूर में ख़िलाफ़त का चयन हुआ। उस समय उपस्थित दो ढाई हज़ार व्यक्तियों ने ख़िलाफ़त की बैअत की। लगभग पचास व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने बैअत नहीं की और विरोध की राह अपनाई। विरोध करने वालों में मौलवी मुहम्मद अली साहिब और ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब जो स्वयं को जमाअत के स्तम्भ समझते थे, आगे आगे थे। ख़िलाफ़त से इन्कार और हब्लुल्लाह (अल्लाह की रस्सी) की अवमानना का परिणाम यह हुआ कि ये लोग रसूल की तख़्तगाह (क़ादियान) से अलग हो गये। सदर अंजुमन अहमदिया से पृथक हुए, वसीयत व्यवस्था से दूर हुए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत से इनकारी हुए और अपने अनेक अक़ीदों और विचारों में परिवर्तन करने पर विवश हुए कि शायद लोगों में लोकप्रियता मिले परन्तु वह भी न मिल सकी।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी(रज़ि॰) (द्वितीय) की ख़िलाफ़त का दौर इस्लाम की प्रगति और अतुलनीय सफलताओं का प्रकाशमय दौर है। बावन साल के ख़िलाफ़त के दौर में ख़ुदा तआला की विशेष सहायता के ऐसे अद्भुत निशानात ज़ाहिर हुए कि दुनिया अचंम्भित रह गई और बड़े से बड़े दुश्मन को भी यह मानना पड़ा कि इस ज़माने में सिलसिला अहमदिया आलिय: ने अत्यन्त उन्नति की है और यह कि इमाम जमाअत अहमदिया अनुपम योग्यताओं के मालिक हैं। आपके इस 52 वर्षीय ख़िलाफ़त के दौर में विरोध के अनेक तूफान उठे। भीतरी व बाहरी उपद्रवों ने सर उठाया परन्तु आपके क़दम ज़रा भी विचलित न हुए और यह इलाही क़ाफ़िला ख़ुदा के फ़ज़्ल और रहम के साथ अपनी सफलता की ओर बढ़ता चला गया। हर फ़साद के बाद जमाअत में बलिदान और कुरबानी की भावना में विशेष उन्नति हुई और क़दम आगे ही आगे बढ़ते गये। जिस समय ख़िलाफ़त के इन्कारी सिलसिले के केन्द्र को छोड़कर गये उस समय अन्जुमन की तिजोरी में कुछ सिक्कों के अतिरिक्त कुछ न था। लेकिन जिस समय आपका निधन हुआ उस समय सदर अन्जुमन

और तहरीके जदीद का बजट 71 लाख 89 हज़ार तक पहुँच चुका था। मतभेद के समय एक कहने वाले ने मदरसा तालीमुल इस्लाम के सम्बन्ध में कहा कि यहाँ उल्लू बोलेंगे परन्तु ख़ुदा की शान कि वह मदरसा न केवल कालिज बना अपितु उसके नाम पर बीसीओं शिक्षण केन्द्र विभिन्न देशों में स्थापित हुए।

मुस्लिह मौऊद के विषय में जो कुछ अल्लाह तआला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बताया था वह एक-एक बात पूरी हुई। हज़रत फ़ज़्ले उमर रज़ियल्लाहो अन्हो जल्दी जल्दी बढ़े और दुनिया के किनारों तक इस्लाम के प्रचार केन्द्र स्थापित करके विख्यात हुए। आपके असंख्य कारनामों में से कुछ का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

1. जमाअती कामों में दृढ़ता और प्रगति के लिए सदर अंजुमन अहमदिया के कार्यों को अनेक विभिन्न विभागों में विभाजित करके नज़ारतों की व्यवस्था स्थापित की।

2. अन्य देशों में प्रचार के काम को विस्तृत रूप से चलाने के लिए 1934 ई. में 'तहरीके जदीद' जारी फरमाई और सदर अन्जुमन अहमदिया से अलग एक नई अंजुमन अर्थात 'तहरीके जदीद अन्जुमन अहमदिया' की नींव डाली। जिसके परिणामस्वरूप अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से यूरोप, एशिया, अफ्रीक़ा और अमरीका के विभिन्न देशों तथा जज़ायर (द्वीप समूहों) में नये तबलीग़ी मिशन स्थापित हुए, सैंकड़ों मस्जिदें बनाई गईं, क़ुरआन करीम के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुए और बड़ी मात्रा में इस्लामी लिट्रेचर विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किए गए तथा लाखों लोग इस्लाम की आध्यात्मिक शिक्षा से लाभान्वित हुए।

3. अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तब्लीग़ (प्रचार) के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1957 ई. में ''वक़्फ़े जदीद अन्जुमन अहमदिया'' के नाम से तीसरी अंजुमन स्थापित फ़रमाई।

4. जमाअत में कर्मशक्ति को जागृत रखने के लिए आपने कुछ आन्तरिक संगठन बनाए जैसे अन्सारुल्लाह, ख़ुद्दामुल अहमदिया, अत्फ़ालुल अहमदिया, लज्ना इमाउल्लाह और नासिरातुल अहमदिया

ताकि पुरुष, स्त्रियाँ, नौजवान और बच्चे सभी अपने अपने रंग में सरलतापूर्वक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का काम जारी रख सकें नयी पीढ़ी में नेतृत्व की योग्यता उत्पन्न हो। इन संगठनों की स्थापना जमाअत पर बड़ा उपकार है।

5. जमाअत में मिल जुलकर और संगठित रूप से काम को जारी रखने के लिए ''मज्लिस-ए-शूरा'' (परामर्श समिति) स्थापित फ़रमाई।

6. क़ुरआनी ज्ञान के प्रकाशन और प्रचार के लिए ''दर्से क़ुरआन'' (क़ुरआन का पठन पाठन) को जमाअत में जारी रखा। ''तफ़्सीरे कबीर'' के नाम से कई भागों में क़ुरआन की एक बड़ी व्याख्या लिखी जिसमें क़ुरआन के गूढ़ ज्ञान को ऐसे सुन्दर ढंग में प्रस्तुत किया कि दिल उससे सन्तुष्टि प्राप्त करते हैं और इस्लाम की सच्चाइयाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं। इसके अतिरिक्त हर स्तर के लोगों में क़ुरआनी ज्ञान की रुचि पैदा करने के लिए क़ुरआन शरीफ़ की एक संक्षिप्त व सरलता से समझ में आने वाली व्याख्या अलग लिखी जिसका नाम ''तफ़्सीरे सग़ीर'' है।

7. जमाअत के ख़लीफ़ा और इमाम होने के नाते आपने जमाअती दायित्वों को निभाने के अतिरिक्त अपने देश और धर्म की सेवा में भी विशेष योगदान दिया। आपके नेतृत्व की योग्यता के कारण कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए जब ''आल इन्डिया कश्मीर कमेटी'' स्थापित हुई तो आपको उसका अध्यक्ष चयनित किया गया। प्रत्येक राजनैतिक समस्या के विषय में आपने भारत के मुसलमानों का नेतृत्व किया और अपने अनमोल परामर्श के अतिरिक्त धन माल हर प्रकार से उनकी सहायता करते रहे। कई बार अपने राजनैतिक परामर्श के विषय पर आधारित पुस्तक प्रकाशित करके देश के सभी विशेष नेताओं को तथा उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में करके ''ब्रिटिश पार्लियामेन्ट'' व ''ब्रिटिश कैबिनेट'' को पहुँचाया।

8. भारत विभाजन के समय जहाँ आपने मुसलमानों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए हर सम्भव प्रयास किये वहीं अपनी जमाअत के लिए 1948 ई. में ''रब्वाह'' जैसे वीरान क्षेत्र में एक क्रियाशील केन्द स्थापित

किया। जहाँ से इस्लाम के प्रचार का अभियान पूरे जोश से प्रगति पर है इस पर अल्लाह का शुक्र है। एक बंजर और कांटेदार क्षेत्र में साधनों के अभाव के बावजूद भी एक चहल पहल वाली दर्शनीय बस्ती का आबाद कर देना स्वयं अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। यह नगर न केवल इस्लाम के प्रचार का एक विशेष केन्द्र है अपितु देश में शिक्षा की उन्नति एवं प्रचार का भी एक मुख्य केन्द्र है। इसके अतिरिक्त खेल एवं व्यायाम के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रहा है।

9. आपने इस्लामी इतिहास की घटनाओं को अच्छी प्रकार समझने और उन्हें याद रखने के लिए ''हिज्री शमसी'' सन जारी फ़रमाया।

10. आपने अनेक रियासतों के शासकों और अनेक देशों के बादशाहों को तबलीग़ी पत्र भेजे और उन्हें अहमदियत अर्थात वास्तविक इस्लाम का परिचय कराया। इनमें अमीर अमानुल्लाह खाँ अफगानिस्तान के शासक, निज़ामे दक्कन (हैदराबाद के वाली), प्रिंस आफ वेल्ज़ और लार्ड इरविन वायसराय भारत विशेषत: उल्लेखनीय हैं। 1939 ई. में ख़िलाफ़त के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयन्ती का समारोह आयोजित हुआ और जमाअत ने तीन लाख रुपये की नक़दी अपने इमाम को इस्लामी प्रचार के विस्तार हेतु भेंट की। फिर 1964 ई. में जब दूसरी ख़िलाफ़त पर पचास वर्ष पूरे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए विशेष दुआएँ की गईं और अपने प्यारे इमाम के महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जमाअत ने 25 लाख से अधिक रुपया धन्यवाद स्वरूप भेंट किया।

1944 ई. में दिव्यस्वप्न और इल्हाम के द्वारा आप पर यह स्पष्ट हुआ कि आप ही वह ''मुस्लिह मौऊद'' हैं जिसकी भविष्यवाणी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाई थी। इस की घोषणा के लिए आपने होशियारपुर, लुधियाना, लाहौर और दिल्ली में समारोह आयोजित करके विशेष भाषण दिये और इस भविष्यवाणी के पूरा होने का वर्णन किया।

आपने यूरोप की दो बार यात्रा की। पहली बार आप 1934 ई. में ''वैम्बले कान्फ्रेंस'' में सम्मिलित होने के लिए लंदन गये जहाँ विभिन्न

धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्म की विशेषताएँ प्रस्तुत कीं। इस कान्फ्रेंस में आपके लेख ''अहमदियत अर्थात हक़ीक़ी इस्लाम'' अंग्रेज़ी में अनुवाद कर के पढ़ा गया। 1954 ई. में आप पर जान लेवा हमला हुआ। उपचार से यों तो घाव भर गये परन्तु तक़्लीफ जारी रही। इस लिए 1955 ई. में आप इलाज के लिए पुन: यूरोप गये।

स्वर्गवास

उपरोक्त गम्भीर घटना के बाद आपका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता चला गया और यहाँ तक कि वह अन्तिम घड़ी आ पहुँची जब आप अल्लाह के आदेशानुसार इस दुनिया से चल बसे। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ **(इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे राजिऊन)**।

यह 8 और 9 नवम्बर 1965 ई. के बीच की रात थी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन साहिबज़ादा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) ने 9 नवम्बर को बहिश्ती मक़्बरा रब्वाह के खुले मैदान में नमाज़े जनाज़ा पढ़ाया और 50 हज़ार लोगों ने हार्दिक दुआओं और अश्रुपूर्ण आँखों से आपको दफ़्नाया।

हज़रत हाफ़िज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) (1909–1982 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जहाँ अल्लाह तआला ने सन्तान की शुभ सूचना दी थी वहीं एक ''नाफ़िलह'' (पौत्र) की भी विशेष रूप से सूचना दी थी जैसा कि फ़रमाया :-

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَّكَ۔ (हक़ीक़तुल वह्यी पृष्ठ 95)

अर्थात हम तुझे एक लड़के की सूचना देते हैं जो तेरा पौत्र (पोता) होगा।

'मवाहिबुर्रहमान' पृष्ठ 116 में भी पाँचवें बेटे (अर्थात पौत्र) की शुभ सूचना मौजूद है। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो को भी अल्लाह तआला ने एक विशेष बेटे की शुभ सूचना दी थी। अत: आप अपने एक लेख में फ़रमाते हैं :-

''मुझे भी ख़ुदा ने सूचना दी है कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूँगा जो धर्म का सहायक होगा और इस्लाम की सेवा में कटिबद्ध होगा।''

(तारीख़-ए-अहमदियत, भाग 4, पृष्ठ 320)

सारांश यह है कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) भी एक प्रकार से मौऊद ख़लीफ़ा थे। इन शुभ सूचनाओं के अनुसार हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) (तृतीय) 16 नवम्बर 1909 ई. को रात के समय पैदा हुए।

7 अप्रैल 1922 ई. को जब आपकी आयु 13 वर्ष थी। क़ुरआन शरीफ को पूरा कंठ कर लेने का सौभाग्य मिला। इसके पश्चात हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद सरवर शाह साहिब रज़ि. से अरबी और उर्दू पढ़ते रहे। फिर मदरसा अहमदिया में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश लिया और जुलाई 1929 ई. में आप रहि० ने पंजाब यूनीवर्सिटी से ''मौलवी फ़ाज़िल'' की परीक्षा पास की। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर गवरमेन्ट कालिज लाहौर में प्रवेश लेकर 1934 ई. में बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। अगस्त 1934 ई. में आपकी शादी हुई। 6 सितम्बर 1934 ई. को शिक्षा के लिए इंगलिस्तान गये। ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी से एम.ए. की डिग्री प्राप्त करके नवम्बर 1938 ई. में वापस तशरीफ़ लाए। यूरोप से वापसी पर जून 1939 ई. से 1944 ई. तक जामिआ अहमदिया के प्रधानाचार्य रहे। फरवरी 1939 ई. में मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया के अध्यक्ष बने। अक्तूबर 1949 ई. में जब हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय) रज़ि. ने स्वयं मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया की अध्यक्षता की घोषणा की तो नवम्बर 1954 ई. तक मज्लिस के उपाध्यक्ष के रूप में बड़ी एकाग्रता से कार्यरत रहे। मई 1944 ई. से नवम्बर 1965 ई. तक (अर्थात ख़िलाफ़त के चयन तक) तालीमुल इस्लाम कालिज के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रहे। 1954 ई. में मज्लिस

अन्सारुल्लाह का नेतृत्व आपको सौंपा गया। मई 1955 ई. हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय) ने आपको सदर अन्जुमन अहमदिया का अध्यक्ष नियुक्त फ़रमाया। कालिज के प्रिंसिपल के पद के अतिरिक्त अन्जुमन अहमदिया के कार्यों का निरीक्षण ख़िलाफ़त के निर्वाचन तक आप ही करते रहे। देश के विभाजन से पहले 'बाउंड्री कमीशन' के लिए तथ्य जुटाने में आपकी प्रत्यक्ष भूमिका रही और मुख्यालय (क़ादियान) की सुरक्षा हेतु सभी कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते रहे।

ख़िलाफ़त का दौर

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी (द्वितीय) रज़ियल्लाहो अन्हो ने अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में ही अगले नये ख़लीफ़ा के चयन हेतु एक समिति बना दी थी जिसको 'मजलिस इन्तिख़ाब-ए-ख़िलाफ़त' कहते हैं। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो के निधन पर इस मज्लिस की बैठक 8 नवम्बर को इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद मुबारक में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो नाज़िरे आला की अध्यक्षता में हुई। जिसमें हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो को अगला ख़लीफ़तुल मसीह नियुक्त किया गया। म ज्लिस इन्तिख़ाबे ख़िलाफ़त के सदस्यों ने उसी समय आपकी बैअत कर ली। इसके बाद आपकी ख़िलाफ़त की घोषणा हुई और लगभग 5000 लोगों ने उसी दिन आपकी बैअत की। फिर बाहर की जमाअतों ने तारों और पत्रों के द्वारा आज्ञापालन की प्रतिज्ञा की। तीसरी ख़िलाफ़त के चयन के समय अल्लाह का शुक्र है कि किसी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ और सारी जमाअत ने प्रसन्नता पूर्वक ''क़ुदरते सानिय:'' के तीसरे प्रकटन हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब(रह) को अपना इमाम स्वीकार किया।

तहरीकात

आपने अपनी ख़िलाफ़त के दौर में अनेक तहरीकें जारी फ़रमाईं जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है :-

पहली तहरीक :– दिसम्बर 17, 1965 ई. को जबकि देश में अनाज की कमी हो रही थी आपने जमाअत के अमीरों और सम्पन्न व्यक्तियों को तहरीक की कि वे यतीमों, ग़रीबों और लाचारों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें और कोई अहमदी ऐसा न हो जो भूखा सोये। इस का जमाअत ने बड़ी लगन से पालन किया और कर रही है।

दूसरी तहरीक :– जमाअत को हज़रत फ़ज़्ले उमर रज़ियल्लाहो अन्हो से जो सम्बन्ध और प्यार है उसको उजागर करने के लिए आपने 25 लाख रुपये की लागत से ''फ़ज़्ले उमर फाऊन्डेशन'' स्थापित करने की तहरीक फ़रमाई। जमाअत ने अल्लाह के फ़ज़्ल से 36 लाख रुपये से अधिक नक़दी इस फण्ड में प्रस्तुत कर दी। इस फण्ड से फ़ज़्ले उमर लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी है। साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की रुचि पैदा करने के लिए 5 लेखकों को एक एक हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

तीसरी तहरीक :– यह तहरीक तालीमे क़ुरआन के विषय में है। इसका उद्देश्य यह है कि जमाअत में कोई व्यक्ति भी ऐसा न रहे जो क़ुरआन को पढ़ना न जानता हो। जो केवल अरबी में पढ़ सकते हैं वे अनुवाद सीखें और क़ुरआन के ज्ञान से अवगत हों।

चौथी तहरीक :– चौथी तहरीक वक़्फ़े आरज़ी (कुछ समय हेतु धर्म प्रचार के लिए स्वयं को समर्पण करना) है। इस तहरीक के अन्तर्गत दो से छ: सप्ताह तक वक़्फ़ करने वाले अपने खर्च पर किसी निश्चित स्थान पर जाकर क़ुरआन शरीफ पढ़ाते और सुधार का काम करते हैं।

पाँचवीं तहरीक :– वसीयत करने वालों की मज्लिस की स्थापना। मूसियों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपने घरों में क़ुरआन की शिक्षा का प्रबन्ध करें और निरीक्षण करें कि कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो क़ुरआन करीम पढ़ना न जानता हो।

छठी तहरीक :– बुरे रस्म व रिवाज को छोड़ने की तहरीक फ़रमाई।

सातवीं तहरीक :– चन्दा वक़्फ़े जदीद अत्फ़ाल की है। इसके अन्तर्गत हर अहमदी बच्चे के लिए अनिवार्य किया गया कि 50 पैसे

प्रतिमाह वक़्फ़े जदीद का चन्दा अदा करके इसके आर्थिक जिहाद में सम्मिलित हो।

आठवीं तहरीक :– तसबीह व तहमीद और दरूद शरीफ़ का नियामानुसार पढ़ना। बड़ी आयु के लोग कम से कम 200 बार

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

पढ़ें और 100 बार इस्तग़फ़ार करें। 15 से 25 वर्ष की आयु वाले 100 बार तस्बीह पढ़ें और 33 बार इस्तग़फ़ार करें। 7 से 15 वर्ष की आयु वाले 33 बार तस्बीह पढ़ें और 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माता पिता 3 बार तस्बीह और इस्तिग़फ़ार पढ़ायें।

नवीं तहरीक :– (नुसरतजहाँ रिज़र्व फण्ड स्कीम) :- सन 1967 ई. में हुज़ूर ने यूरोप और दूसरे अनेक देशों का दौरा किया था और डेनमार्क की राजधानी कूपन हैगन में मस्जिद नुसरतजहाँ के उद्घाटन के अतिरिक्त पश्चिमी लोगों को निकट भविष्य में आने वाली तबाहियों के विषय में अवगत कराया। इसके पश्चात 1970 ई. में हुज़ूर ने पश्चिमी अफ़्रीक़ा के सात देशों नाइजीरिया, घाना, आयवरी कोस्ट, लाइबेरिया, गैम्बिया और सैरालियोन का दौरा फ़रमाया। इस दौरे में अल्लाह तआला की इच्छानुसार एक विशेष प्रोग्राम की घोषणा फ़रमाई जिसका नाम हुज़ूर ने ''लीप फारवर्ड प्रोग्राम'' रखा। इस प्रोग्राम के संचालन हेतु एक लाख पौण्ड का ''नुसरतजहाँ रिज़र्व फण्ड'' स्थापित करने की तहरीक फ़रमाई। इस तहरीक का उद्देश्य अफ़्रीक़ा में इस्लाम की स्थापना एवं विकास है। जिसका परिणाम, ईश्वर ने चाहा तो, विश्वव्यापी इस्लाम की विजय के रूप में निश्चित है।

इस फण्ड द्वारा अफ़्रीक़ी देशों में और अधिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ चिकित्सालय भी स्थापित हो रहे हैं। इसी फण्ड से अफ़्रीक़ा में एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है जहाँ से इस्लाम का सन्देश 24 घण्टे सारे विश्व में प्रसारित होता है। इसी प्रकार एक भव्य प्रेस मुख्यालय में स्थापित किया जायेगा जिसके

द्वारा विभिन्न भाषाओं में क़ुरआन करीम के अनुवाद और अन्य इस्लामी लिट्रेचर प्रकाशित किया जायेगा।

नुसरतजहाँ रिज़र्व फण्ड स्कीम के अन्दर इस समय तक जो मेडिकल सैन्टर और सैकेन्ड्री स्कूल खोले जा चुके हैं वे इस प्रकार हैं :-

नाइजीरिया में तीन मेडिकल सैन्टर दो सैकेन्ड्री स्कूल, घाना में चार मेडिकल सैन्टर छः सैकेन्ड्री स्कूल, लाइबेरिया में एक मेडिकल सैन्टर और एक सैकेन्ड्री स्कूल, गैम्बिया में 5 नये मेडिकल सैन्टर और सीरालोन में चार मेडिकल सैन्टर और छः सैकेन्ड्री स्कूल।

दसवीं तहरीक सौ साला अहमदिया जुब्ली फण्ड स्कीम

अल्लाह तआला की इच्छा और आदेश के अनुसार जमाअत अहमदिया की नींव 1889 ई. में रखी गई। इस प्रकार 1989 ई. में जमाअत की स्थापना पर 100 वर्ष पूरे हो गये और इस वर्ष से जमाअत की दूसरी शताब्दी आरम्भ हुई जो अल्लाह तआला की शुभ सूचनाओं के अनुसार इस्लाम की विजय की शताब्दी है। इस दूसरी शताब्दी के स्वागत के लिए, जिसके आरम्भ होने में अभी 16 वर्ष शेष थे हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) ने अल्लाह की इच्छानुसार जलसा सालाना 1973 ई. के अवसर पर बाहरी जमाअतों के सुधार और इस्लाम के प्रचार को तेज़ गति देने, इस्लाम के ग़लबे के दिन को निकटतम करने और मानव जाति के दिल ख़ुदा और उसके रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए जीतने हेतु एक महान योजना की घोषणा फ़रमाई। इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए हुज़ूर ने फ़रमाया कि अभी दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ हमारी सुसंगठित जमाअतें और मिशन स्थापित नहीं हुए इसलिए इस योजना के आरम्भिक चरण के लिए यह प्रस्ताव है कि कम से कम 100 भाषाओं में इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं के अनुवाद करके दूसरे देशों में अधिक से अधिक प्रकाशित की जायें और इसके द्वारा वहाँ के निवासियों की शिक्षा और सुधार तथा उनको इस्लाम की ओर लाने की कोशिश की जाए और यह भी फ़रमाया कि कई

स्थानों पर हमें नये मिशन खोलने पड़ेंगे और वहाँ मस्जिदें बनानी पड़ेंगी।

इस योजना की पूर्ति के लिए माल की क़ुर्बानी के सम्बन्ध में हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''मैंने जमाअत के निष्ठावान लोगों से आगामी सोलह वर्षों में ढाई करोड़ रुपया जमा करने की अपील की थी और साथ ही अल्लाह तआला पर भरोसा करते हुए यह घोषणा भी कर दी थी कि इन्शाअल्लाह यह राशि पाँच करोड़ तक पहुँच जायेगी।''

इस आर्थिक जिहाद में शामिल होने से सम्बंधित फ़रमाया कि ''वे लोग जो नौकरी पेशा या मजदूर पेशा हैं उनकी मासिक आय निश्चित है। वे अपने वादे को 16 से भाग करके हर वर्ष का जो भाग बनता है उसे 12 महीनों पर विभाजित करके हर महीने अदायगी करते चले जाएँ।''

ज़मींदार लोगों के विषय में जिनकी साल में दो बार फ़सल होती है। आपने फ़रमाया कि ''वे हर फ़सल पर अपने वादे का 32 वाँ भाग अदा करते रहें। शेष व्यक्ति जो व्यापार करते हैं या वकील, डाक्टर, इन्जीनियर आदि हैं और जिनकी आय और उसका समय निश्चित नहीं होता। वे पहले साल में ही निश्चित दर का ध्यान किये बिना साहस करके जितना अधिक से अधिक दे सकते हों, अदा करें और फिर हर वर्ष अपना वादा आय के अनुसार अदा कर दें।

इस महान योजना के रूहानी पहलू के तौर पर हुज़ूर ने सोलह वर्ष के लिए जो प्रोग्राम प्रस्तावित किया वह यह है :-

1. जमाअत अहमदिया की स्थापना पर एक शताब्दी पूरी होने तक हर माह जमाअत के सदस्य एक नफ़ली रोज़ा रखा करें। जिस के लिए हर कस्बे, शहर या मुहल्ले में महीने के आख़िरी सप्ताह में कोई एक दिन स्थानीय स्थिति के अनुसार तय कर लिया जाए।

2. दो नफ़ल रोज़ाना अदा किये जाएँ जो इशा की नमाज़ के बाद से लेकर फ़ज्र की नमाज़ से पहले तक या ज़ुहर की नमाज़ के बाद अदा किये जाएँ।

3. कम से कम सात बार सूर: फ़ातिह: की दुआ ध्यानपूर्वक और

समझते हुए पढ़ी जाए।

4. दरूद शरीफ़, तस्बीह व तहमीद तथा इस्तिग़फ़ार का पढ़ना रोज़ाना तेतीस तेतीस बार किया जाए। दरूद व तस्बीह व तहमीद के लिए سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ पढ़ सकते हैं।

5. निम्नलिखित दुआएँ रोज़ाना कम से कम ग्यारह बार पढ़ी जायें

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ ○ اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَنَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ ○

अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व अहसान है कि 54 से अधिक देशों की अहमदिया जमाअतों ने इस तहरीक में भाग लिया है। जिसके फलस्वरूप गोतन बर्ग (स्वीडन) में एक शानदार मस्जिद निर्मित हो चुकी है। एक अन्य मीठा फल यह प्राप्त हुआ कि इस योजना के अन्तर्गत लंदन में एक विश्वव्यापी ''कस्रे सलीब कान्फ्रेंस'' जून 1978 ई. में आयोजित हुई जिसमें कई देशों के ईसाई और मुस्लिम विद्वानों ने अपने खोजपूर्ण लेख पढ़े और प्रमाणित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर मृत्यु नहीं पाई।

इस महान योजना की एक अन्य पवित्र उपलब्धि अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से 'नूर मस्जिद ओसलो' के रूप में 1980 ई. में प्रदान की। मस्जिद नूर नार्वे की पहली और क्रमानुसार यूरोप की आठवीं मस्जिद है। जिसका उद्घाटन हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि०) ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान फ़रमाया। इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड में पाँच नये केन्द्र स्थापित किए गए।

मस्जिद बशारत का निर्माण

हुज़ूर ने जून से अक्तूबर 1980 ई. यूरोप की जो यात्रा की उसकी महत्वपूर्ण घटना मस्जिद बशारत पैदरोबाद का निर्माण था। इस यात्रा के दौरान हुज़ूर स्पेन तशरीफ ले गये और क़रतबह से 22-23 मील दूर

कस्बे पैदरोबाद में एक मस्जिद की नींव रखी जो हुज़ूर(रहि०) के मुबारक दौर में ही पूरी हो गई। हुज़ूर(रह) ने इसका नाम मस्जिद बशारत रखा और इसके उद्घाटन के लिए 10 सितम्बर 1982 ई. की तारीख़ निश्चित फ़रमाई। यह मस्जिद 744 वर्ष बाद स्पेन में निर्मित होने वाली पहली मस्जिद है। मस्जिद की नींव रखे जाने के समय पैदरोबाद के हज़ारों पुरुष, स्त्रियों और बच्चों ने बड़ी ख़ुशी से इस समारोह में भाग लिया। कस्बे की एक अत्यन्त बूढ़ी स्त्री और एक शिशु ने भी (अपनी माता द्वारा) इसकी नींव रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर भाषाण देते हुए हुज़ूर ने फ़रमाया, इस्लाम हमें यह शिक्षा देता है कि :-

''मुहब्बत सबके लिए नफ़रत किसी से नहीं''

चौदहवीं शताब्दी हिज्री की विदाई और पंद्रहवीं शताब्दी का स्वागत

चौदहवीं शताब्दी हिज्री के आख़िरी सालाना समारोह केन्द्रीय मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया आयोजित 1980 ई. के अवसर पर सम्बोधित करते हुए हज़रत अमीरुल् मोमिनीन ने फ़रमाया कि चौदहवीं शताब्दी ने हमें ख़ुदा से मिला दिया है। हम पर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की विशेषता और क़ुरआन करीम की महानता स्पष्ट कर दी है।

चौदहवीं शताब्दी ने जहाँ इस्लाम का पतन देखा वहाँ तेरह सौ साल पहले की असंख्य भविष्यवाणियाँ पूरी होते देखीं। इस ज़माने में इस्लाम की अवनति भी देखी और इस्लाम की महानता और प्रताप के भव्य कारनामे भी देखे। हमें चौदहवीं सदी ने महदी दिया जिसके आने से हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पवित्र आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से ज़िन्दा ख़ुदा के साथ ज़िन्दा रिश्ता पैदा हो गया और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के प्यारे महदी ने मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मुहब्बत हमारे

दिलों में गाड़ दी।

पंद्रहवीं शताब्दी हिज्री के आरम्भ में इस सदी में इस्लाम की विजय वाली शताब्दी बनाने के लिए बहुत दुआएँ की गईं और दान दिये गये, मुख्य कार्यालयों और रब्वाह के निवासियों की ओर से एक मुहर्रम से सात मुहर्रम 1401 हिज्री तक 101 बकरे सदक़े के रूप में दिये गये। 9 नवम्बर की शाम सूरज अस्त होने के कुछ क्षण बाद ही पहला बकरा हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से ज़िब्ह किया और दुआ की। रब्वाह के अतिरिक्त दूसरे स्थानों के अहमदी पुरुषों और स्त्रियों ने असंख्य क़ुर्बानियाँ कीं और इस्लाम की विजय की दुआएँ मांगीं।

जमाअत के लिए शिक्षा योजना

हुज़ूर ने मज्लिस अन्सारुल्लाह के वार्षिक समारोह आयोजित अक्तूबर 1979 ई. के आख़िरी सत्र में इस्लाम की विजय की शताब्दी के स्वागत के लिए 10 वर्षीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की और फ़रमाया :-

''बिना अपवाद हर अहमदी बच्चा 'यस्सरनल क़ुरआन' पढ़े, जो अहबाब (अहमदी भाई) क़ुरआन करीम पढ़ना जानते हैं वे अनुवाद सीखें और जो अनुवाद जानते हैं वे नबी करीम(स) की बयान की हुई क़ुरआन की व्याख्या सीखें जो स्वयं अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को सिखाई और वह व्याख्या भी जो नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला के प्रदान किये हुए आध्यात्मिक प्रकाश एवं गूढ़ ज्ञान के अन्तर्गत स्वयं फ़रमाई। इसके अतिरिक्त हर अहमदी बच्चा कम से कम मैट्रिक अवश्य पास करे और बुद्धिमान एवं योग्य छात्रों को उनकी योग्यतानुसार आगे की उच्च शिक्षा दिलाना जमाअत की ज़िम्मेदारी होगी। इस योजना का अन्तिम बिन्दु हुज़ूर ने यह बयान फ़रमाया कि सारे अहमदी इस्लाम की सुन्दर नैतिक शिक्षा के अनुरूप जीवन व्यतीत करें।''

(अलफ़ज़्ल, अक्तूबर 29, 1979 ई.)

हुज़ूर ने मज्लिस मुशावरत (परामर्श समिति) 1980 ई. के अवसर पर

जमाअत के लिए एक महान शिक्षा योजना की घोषणा फ़रमाई। जिसके कुछ विशेष बिन्दु इस प्रकार हैं :-

1. हर बच्चा कम से कम मैट्रिक तक और हर बच्ची कम से कम मिडिल तक अवश्य शिक्षा प्राप्त करे। (अलफ़ज़्ल, अप्रैल 24, 1981 ई.)

2. कोई अहमदी बच्चा पीछे नहीं रहेगा बल्कि आगे से आगे ही बढ़ेगा। वे प्रतिभाशाली बच्चे जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण आगे नहीं आ सकते, उन्हें जमाअत संभालेगी। दुआओं के द्वारा भी और आर्थिक सहायता द्वारा भी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि किसी से पीछे नहीं रहना है। आज ख़ुदा तुम्हें देने को तैयार है तो तुम्हें लेने को तैयार रहना चाहिए।''

(अलफ़ज़्ल, अप्रैल 11, 1981 ई.)

3. पिछले जलसा सालाना (अर्थात 1979 ई.) पर मैंने वज़ीफ़ों (छात्रवृत्ति) का ऐलान किया था कि हक़दार और प्रतिभाशाली छात्रों को बौद्धिक उत्थान के बिना नहीं छोड़ा जायेगा। इसका नाम पुरस्कार रूपी छात्र वृत्ति नहीं, अपितु छात्रों के अधिकारों की अदायगी रखना चाहिए... आने वाले 10 वर्षों में हर अहमदी क़ुरआन करीम की तालीम अपनी आयु अनुसार प्राप्त करे। यह काम ख़ुद्दामुल अहमदिया, अन्सारुल्लाह और लज्ना इमाउल्लाह के ज़िम्मे है।... पहले चरण में हर अहमदी घराने में एक तो 'तफ़्सीरे सग़ीर' का होना अनिवार्य है और दूसरे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा वर्णित तफ़्सीरे क़ुरआन भी पढ़नी आवश्यक है... मैंने इस सम्बन्ध में ख़ुद्दामुल अहमदिया, अन्सारुल्लाह और लज्ना इमाउल्लाह को यह आदेश दिया था कि वे इनको खरीदने के लिए अपने अपने क्लब बनाएँ और जमाअत एक कमेटी बनाए जो इन तीनों संगठनों में समन्वय पैदा करे।... यह जो स्कीम मैंने कराची से आरम्भ की थी आज उसमें विस्तार कर रहा हूँ और इसे सारी जमाअत के लिए धार्मिक शिक्षा सिखाने का आधार बना रहा हूँ। यह स्कीम इसी साल पूरी हो जानी चाहिए।''

4. (अ) पांचवीं कक्षा के वज़ीफ़े (छात्रवृति) की परीक्षा (जो शायद ज़िले के स्तर पर होती है) इसमें ऊपर के 300 स्थानों में हर ज़िले में

जो अहमदी बच्चा आयेगा उसे मैं अपने हस्ताक्षर से दुआइया पत्र और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कोई किताब पुरस्कार के रूप में अपने हस्ताक्षरों और दुआइया पंक्ति के साथ लिखकर भेजूँगा।

(ब) आठवीं कक्षा के वज़ीफ़े की परीक्षा (जो सम्भवत: डिविज़न के स्तर पर होती है) इसमें हर डिविज़न में ऊपर के 300 स्थानों में जो अहमदी छात्र आयेगा उसे भी अपने हस्ताक्षर से दुआइया पत्र और किताब पुरस्कार के रूप में भेजूंगा।

(स) दसवीं कक्षा की परीक्षा एजूकेशन बोर्ड लेता है। हर बोर्ड की परीक्षा में उच्च स्तरीय 200 छात्रों में से जो भी अहमदी छात्र-छात्रा होगी उसको अपने हस्ताक्षरों से पत्र और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पाँच पुस्तकों में से एक तफ़्सीर की किताब उसकी योग्यतानुसार भेजूँगा।

(द) एफ.ए. और एफ.एस.सी. में से प्रत्येक बोर्ड में ऊपर के 300 स्थानों में जो भी अहमदी छात्र आयेगा उसे भी दुआइया पत्र और एक तफ़्सीर की किताब भिजवाई जायेगी।

(च) यूनीवर्सिटी की परिक्षा में बी.ए. के लिए अलग और बी.एस.सी. के लिए अलग, ऊपर के 200 छात्र-छात्राओं में से अहमदी छात्रों के लिए हस्ताक्षरों से दुआइया पत्र और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तफ़्सीर की किताबों में से एक किताब भेंट के रूप में भेजूँगा।

(र) एम.ए., एम.ए.सी., मेडिकल या इन्जीनियरिंग की अन्तिम परीक्षा में प्रत्येक विषय में टाप के 7 स्थानों में जो अहमदी छात्र आयेगा उसे दुआइया पत्र तफ़्सीरे सग़ीर, उर्दू या अंग्रेज़ी, क़ुरआन का अनुवाद अपने हस्ताक्षरों से दुआइया पंक्तियों के साथ भेजूँगा।

इसी सम्बन्ध में हुज़ूर ने फ़रमाया :-

''यह अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि वह जमाअत को योग्य छात्र प्रदान कर रहा है। अत: जो छात्र बुद्धिमान हैं जमाअत उनकी हर प्रकार सहायता करेगी। आज प्रत्येक अहमदी बच्चे को एक व्यवस्था में बांधना आवश्यक है। इसलिए मैं दफ़्तर को आदेश देता हूँ कि वह जिलों के क्रमानुसार

स्थायी रजिस्टर बनाएँ और पाँचवीं कक्षा से पी.एच.डी. तक हर प्रतिभाशाली बच्चे पर प्यार की नज़र रखें। प्रत्येक बच्चे से इस प्रकार सम्बन्ध बनायें जैसे डाक्टर की उंगलियों का बीमार की नब्ज़ के साथ होता है।

जमाअत इस बात की ओर ध्यान दे कि पहली कक्षा से अन्तिम कक्षा तक कोई अहमदी बच्चा ऐसा न रहे जिसने इस साल परीक्षा दी हो और उसका मुझे पत्र प्राप्त न हो। इस आधार पर दफ़्तर ने रजिस्टर बनाने हैं।''

''दूसरे देशों के विषय में निरीक्षण हो रहा है। अभी यह स्कीम केवल भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश की जमाअतों के लिए है जो 1980 ई. से आरम्भ होती है।''

पुरस्कार

सौ साला अहमदिया शिक्षा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1982 ई. तक 48 छात्र-छात्राओं को चांदी व सोने के मैडल दिये जा चुके हैं। मैट्रिक से एम.ए., एम.एस.सी. तक बोर्ड और यूनीवर्सिटी में प्रथम आने वाले को एक तोला शुद्ध सोने का मेडल और तफ़्सीरे सग़ीर या अंग्रेज़ी अनुवाद क़ुरआन हुज़ूर के हस्ताक्षरों वाला दिया जाता है।

प्रत्येक द्वितीय आने वाले छात्र-छात्राओं को .75 तोला सोने का मेडल, तफ़्सीरे सग़ीर या अंग्रेज़ी अनुवाद क़ुरआन, हुज़ूर के हस्ताक्षरों के साथ दिया जाता है।

प्रत्येक तृतीय आने वाले छात्र-छात्राओं को रजत मेडल और तफ़्सीरे सग़ीर, अंग्रेज़ी अनुवाद क़ुरआन दिया जाता है। हुज़ूर ने अहमदी छात्रों के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम भी बयान फ़रमाए हैं जो इस प्रकार हैं।

1. सोयाबीन का प्रयोग किया जाये। यह बुद्धि विकास के लिए बहुत उपयोगी है।

2. प्रत्येक अहमदी छात्र परिश्रम से पढ़े और समय नष्ट न करे।

3. स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जाएँ।

4. स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु व्यायाम किया जाए।

ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द (जप)

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया के 36वें सालाना इज्तिमा के अवसर पर फ़रमाया कि 1882 ई. में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम संस्थापक सिलसिला अहमदिया को एक इल्हाम हुआ जिसके पूरा होने के साधन नहीं थे। फिर हुज़ूर ने अपना एक कश्फ़ बयान फ़रमाया जिसमें आपने देखा कि सारी सृष्टि समुद्र की अंगूरी रंग की लहरों पर लहर दर लहर आगे बढ़ती और لاالٰہ الااللّٰہ **(ला इलाहा इल्लल्लाह)** का विर्द (जप) करती जा रही है। हुज़ूर ने इस कश्फ़ (दिव्यदर्शन) का यह भावार्थ वर्णन फ़रमाया कि अब तौहीदे इलाही (एकेश्वरवाद) की स्थापना का समय आ गया है। 1882 ई. के मसीह मौऊद के इल्हामों की श्रृंखला का अन्तिम भाग لاالٰہ الااللّٰہ **(ला इलाहा इल्लल्लाह)** था। इसके पश्चात इल्हाम हुआ 'फ़क्तुब' (अर्थात इसे लिख रखो और प्रकाशित कराओ और फिर सारी दुनिया में प्रकाशित कर दो) अब इस इल्हाम के अनुसार कार्य करने का समय आ गया है इसे प्रकाशित करके सारी दुनिया में फैला दो।

हुज़ूर के इस आदेश पर तुरन्त कार्य आरम्भ हो गया और बैनरों द्वारा और अन्य साधनों द्वारा जमाअत में इसको फैलाने का अभियान चल पड़ा। फ़र्ज़ नमाज़ों के पश्चात भी ग्यारह बार धीमी आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द (जप) किया जाने लगा जो हुज़ूर के जीवन में बराबर जारी रहा।

कुछ समय पश्चात विरोधियों ने आपत्तियाँ उठानी आरम्भ कर दीं कि अहमदियों ने कलिमा तय्यिबा में फेर बदल शुरू कर दिया है और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के शब्द (नऊज़ुबिल्लाह) निकाल दिये हैं। इस भ्रांति के दूर करने के लिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस (तृतीय) रहिमहुल्लाह तआला ने आदेश दिया कि यदि जल्सों के अवसर पर ला इलाहा इल्लल्लाह के बैनर लगाने हों तो हदीसे नबवी के पूरे शब्द अर्थात افضل الذکر لاالٰہ الااللّٰہ **(अफजलुज़्ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह)** (तिर्मिज़ी किताबुद्दअवात) लिखे जाया करें ताकि भ्रांति की आशंका न रहे। और यह भी फ़रमाया कि मस्जिदों में इसका जप ऊँची आवाज़ से न

किया जाए बल्कि दूसरे जप की भाँति यह जप भी चुपचाप किया जाए।

क़ुरआन मजीद का विश्वव्यापी प्रकाशन

तीसरी ख़िलाफ़त का एक महत्वपूर्ण कारनामा क़ुरआन करीम का विस्तृत प्रकाशन है। इस उद्देश्य के लिए हुज़ूर ने यूरोप, अमरीका और अफ़्रीक़ा के विभिन्न देशों में होटलों में क़ुरआन करीम रखने का अभियान जारी फ़रमाया जिसके परिणाम स्वरूप पचासों देशों के होटलों में कलाम पाक की हज़ारों प्रतियाँ रखवाई गईं और यह अभियान निरंतर जारी एवं प्रगति पर है।

हज़रत सय्यिदा मंसूरा बेगम साहिबा का देहान्त

हज़रत सय्यिदा मंसूरा बेग़म साहिबा जो कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि॰) की बेगम थीं। उनका कुछ दिनों में ही गंभीर बीमारी के कारण 3 और 4 दिसम्बर 1981 ई. की दरमियानी रात्रि में स्वर्गवास हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

4 दिसम्बर की शाम 4 बजे स्वर्गीय बेगम साहिबा का जनाज़ा बहिश्ती मक़बरे के इहाते में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह (तृतीय) ने पढ़ाया जिसमें 50 हज़ार अहबाब सम्मिलित हुए।

दूसरा निकाह

हज़रत सय्यिदा बेग़म साहिबा को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि॰) का 47 वर्ष से अधिक समय तक साथ निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप में वे सारे ही गुण विद्यमान थे जो एक ख़लीफ़ा की जीवन संगिनी में होने चाहिएँ। ऐसे जीवन साथी की जुदाई स्वाभाविक रूप से हुज़ूर के लिए एक बड़े दुःख का कारण थी। साथ ही हुज़ूर की ख़िलाफ़त के दायित्वों में एक प्रकार की बाधा और धार्मिक अभियान में किसी रोक का कारण हो सकती थी। अत: केवल अल्लाह के लिए धार्मिक आवश्यकता के कारण हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रहि॰) ने

निरंतर चालीस दिन दुआएँ कीं और कुछ जमाअत के बुज़ुर्गों को सात दिन तक इस्तिख़ारा (विशेष नमाज़) और दुआएँ करने को कहा और जब ख़ुदा तआला की ओर से मिलने वाली शुभ सूचनाओं के अनुसार दृढ़ विश्वास हो गया तो हुज़ूर ने दूसरे निकाह का निर्णय लिया और मुकर्रम खान अब्दुल मजीद साहब आफ वीरूवाल की सुपुत्री सय्यिदा ताहिरा सिद्दीक़ा बेगम साहिबा से दिनाँक 11 अप्रैल 1982 ई. को म स्जिद मुबारक रब्वाह में अस्र की नमाज़ के पश्चात हुज़ूर ने अपने दूसरे निकाह की घोषणा 1000 रुपये के हक़ महर के साथ फ़रमाई। मग़रिब की नमाज़ से पहले सात पुरुषों और तीन स्त्रियों के साथ हुज़ूर की बारात ख़ान अब्दुल मजीद ख़ान साहिब के घर गई और अत्यन्त सादगी के साथ विदाई समारोह हुआ। अगले दिन 12 अप्रैल 1982 ई. को इशा की नमाज़ के बाद हुज़ूर ने ख़िलाफ़त महल में वलीमे की दा'वत का प्रबन्ध किया जिसमें 250 अहबाबे जमाअत सम्मिलित हुए। जिनमें बड़ी संख्या में गरीबों को भी आमंत्रित किया गया था।

अन्तिम सम्बोधन

6 मई 1982 ई. को हुज़ूर ने मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया की पन्द्रह दिनों वाली प्रशिक्षण कक्षा से समापन सम्बोधन किया जो किसी जमाअती संगठन से हुज़ूर का अन्तिम सम्बोधन है।

रब्वाह में जुमे का आख़िरी खुत्बः (सम्बोधन)

21 मई 1982 ई. को हुज़ूर ने रब्वाह में आख़िरी ख़ुत्बः जुमा पेश फ़रमाया और 23 मई को हुज़ूर इस्लामाबाद तशरीफ ले गये।

हुज़ूर की बीमारी और शोकपूर्ण निधन

इस्लामाबाद में ठहरने के बीच 26 मई 1982 ई. को हुज़ूर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। समय पर उपचार से अल्लाह ने फ़ज़्ल फ़रमाया कि आप ठीक हो गये परन्तु 31 मई को अचानक पुन: स्वास्थ्य ख़राब (हार्ट

अटैक) हो गया। डाक्टरों के निरीक्षण से मालूम हुआ कि हृदय रोग का आक्रमण है। उपचार के यथासम्भव साधन जुटाए गये जिससे 8 जून तक स्वास्थ्य में प्रगति होती चली गई परन्तु 8, 9 जून अर्थात मंगल और बुध के बीच की रात लगभग 11.45 बजे पुन: दिल का दौरा पड़ा और अल्लाह तआला के आदेशानुसार लगभग 12.45 बजे ''बैतुल फ़ज़्ल'' इस्लामाबाद में हज़रत हाफिज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब, ख़लीफ़तुल मसीह सालिस (तृतीय) रहमहुल्लाह तआला अपने रब्ब के चरणों में लीन हो गये। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ **(इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे राजिऊन)**।

9 जून 1982 ई. को हुज़ूर का पार्थिव शरीर इस्लामाबाद से रब्वाह लाया गया। 10 जून को सय्यिदिना हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि॰) ने अस्र की नमाज़ के बाद बहिश्ती मक़बरे के इहाते में जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई जिसमें लगभग एक लाख अहबाब (लोग) सम्मिलित हुए। जनाज़े की नमाज़ के पश्चात हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. के बराबर में पूरब की ओर हुज़ूर को दफ़्न किया गया। हुज़ूर रह. ने 73 वर्ष की लम्बी आयु पाई।

सन्तान

साहिबज़ादा मिर्ज़ा अनस अहमद साहिब, साहिबज़ादा मिर्ज़ा फरीद अहमद साहिब, साहिबज़ादा मिर्ज़ा लुक़मान अहमद साहिब, साहिबज़ादी अमतुश्शकूर बेग़म साहिबा, साहिबज़ादी अमतुल हलीम बेग़म साहिबा।

हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ (चतुर्थ) रहिमहुल्लाह तआला

(1928 – 2003 ई.)

प्रारम्भिक जीवन

हमारे प्यारे इमाम हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहिमहुल्लाह तआला, हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. की तीसरी पत्नी हज़रत सय्यिदा उम्मे ताहिर मरयम बेग़म साहिबा के यहाँ 18 दिसम्बर 1928 ई. (5, रजब, 1347 हिज्री) को पैदा हुए।

(अलफ़ज़ल दिनाँक 21, 1928 ई.)

हुज़ूर के नाना हज़रत डाक्टर सय्यद अब्दुस्सत्तार शाह साहब, कल्लर सैय्यदाँ तहसील क्वेटा, ज़िला रावलपिण्डी के एक प्रसिद्ध सय्यद परिवार से थे। अत्यन्त इबादत करने वाले संयमी और जिनकी दुआएँ अल्लाह सदा स्वीकार करता था, ऐसे बुज़ुर्ग थे। उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हुज़ूर की माँ हज़रत सय्यिदा मरयम बेग़म साहिबा भी बड़ी पारसा (पवित्र) और बुज़ुर्ग औरत थीं जो अपने इकलौते बेटे की शिक्षा दीक्षा का बड़ा ध्यान रखती थीं और उसे नेक, सदाचारी और क़ुरआन का आशिक़ देखना चाहती थीं।

हज़रत साहिबज़ादा साहिब ने 1944 ई. में तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल, क़ादियान से मैट्रिक पास करके गवर्नमेंट कालिज लाहौर में दाख़िला लिया और एफ.एस.सी. तक तालीम हासिल की। 7 दिसम्बर 1949 ई. को जामिआ अहमदिया में दाख़िल हुए और 1935 ई. में विशेष सफलता के साथ 'शाहिद' की डिग्री प्राप्त की। अप्रैल 1955 ई. में हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. के साथ यूरोप तशरीफ ले गये और लंदन

यूनीवर्सिटी के स्कूल आफ ओरियन्टल स्टडीज़ में तालीम हासिल की। 4 अक्तूबर 1957 ई. को वापस रब्वाह तशरीफ़ लाए।

12 नवम्बर 1958 ई. को हज़रत मुस्लिह मौऊद ने आपको वक़्फ़े जदीद के संगठन का ''नाज़िम इरशाद'' नियुक्त फ़रमाया। आपकी निगरानी में इस संगठन ने बड़ी तेज़ी से उन्नति की। हज़रत मुस्लिह मौऊद(रज़ि०) की ज़िन्दगी के आख़िरी साल में इस संगठन का बजट एक लाख सत्तर हज़ार रुपये था जो तीसरी ख़िलाफ़त के आखिरी साल में बढ़कर 10 लाख 15 हज़ार तक पहुँच गया। नवम्बर 1960 ई. से 1966 ई. तक आप सदर ख़ुद्दामुल अहमदिया रहे। 1960 ई. के सालाना जल्से पर आपने पहली बार इस समारोह में तक़रीर (भाषण) की। इसके पश्चात लगभग हर साल ही जलसा सालाना के अवसर पर तक़रीर करते रहे। 1961 ई. में आप ''इफ़्ता कमेटी'' के सदस्य नियुक्त हुए। नवम्बर 1966 ई. से 1969 ई. तक पुनः सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया रहे, एक जनवरी 1970 ई. को फ़ज़्ले उमर फाउण्डेशन के डायरैक्टर नियुक्त हुए। 1974 ई. में जमाअत अहमदिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस के नेतृत्व में पाकिस्तान असेम्बली के सामने जमाअत अहमदिया के सिद्धान्त की सच्चाई को युक्तिपूर्ण तर्कों द्वारा व्यक्त किया। आप इस प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे। एक जनवरी 1979 ई. को आप सदर मज्लिस अन्सारुल्लाह नियुक्त हुए और ख़लीफ़ा निर्वाचित होने तक इसी पद पर विराजमान रहे। 1980 ई.में आप अहमदिया आर्किटेक्टस एण्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के संरक्षक नियुक्त हुए। जल्सा सालाना 1980 ई. के अवसर पर इस एसोसिएशन ने जलसे के भाषणों के साथ के साथ अंग्रेज़ी और इण्डोनेशियन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करने का सफल कार्य किया।

ख़िलाफ़त का दौर

10 जून 1982 ई. को हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. के द्वारा नियुक्त ख़लीफ़ा की चयन समिति की बैठक ज़ुहर की नमाज़ के बाद मस्जिद मुबारक में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब 'वकीले आला

तहरीके जदीद' की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई और आपको सर्व सहमति से खलीफ़तुल मसीह राबेअ (चतुर्थ) चयन किया गया और मज्लिस के सभी लोगों ने चयन के तुरन्त बाद हुज़ूर की बैअत की।

हुज़ूर 28 जुलाई 1982 ई. को यूरोप के दौरे पर रवाना हुए। आपकी यात्रा का बड़ा उद्देश्य विभिन्न मिशनों के कार्य का निरीक्षण और स्पेन की मस्जिद का उद्घाटन करना था। इस यात्रा में हुज़ूर ने नार्वे, स्वीडन, डैनमार्क, जर्मनी, आस्ट्रिया, स्विटज़रलैण्ड, हालैण्ड, स्पेन और इंग्लैण्ड का दौरा किया और वहाँ के मिशनों का निरीक्षण किया। यात्रा के दौरान तब्लीग़ व प्रशिक्षण तथा उच्च ज्ञान की मज्लिसों के अतिरिक्त स्वागत समारोह की 18 प्रेस कान्फ्रेंसों और ज़्यूरिक में एक पब्लिक लैक्चर के द्वारा यूरोप वालों को सच्चाई का सन्देश दिया। इंग्लैण्ड में दो नये मिशन हाउसों का उद्घाटन किया। यूरोप के इन देशों में हर स्थान पर हुज़ूर ने ''मज्लिसे शूरा'' (परामर्श समिति) की व्यवस्था की और सारे देशों के अहमदियों का ध्यान केन्द्रित किया कि वे अपनी अपनी निश्चित दर के अनुसार चंदों की अदायगी करें।

10 सितम्बर 1982 ई. को कार्यक्रमानुसार हुज़ूर ने ''मस्जिद बशारत'' स्पेन का ऐतिहासिक उद्घाटन फ़रमाया और स्पष्ट किया कि अहमदियत का सन्देश, शांति एवं सद्भाव का सन्देश है और प्रेम व सहानुभूति से यूरोप वालों के दिल इस्लाम के लिए जीते जाएँगे। ''बशारत मस्जिद पैदरोबाद'' उद्घाटन के समय विभिन्न देशों से आने वाले लगभग 2000 प्रतिनिधि और लगभग 2000 स्पेन वासियों का सम्मेलन था। रेडियो, टेलीवीज़न और समाचार पत्रों द्वारा बशारत मस्जिद का सारे यूरोप और अन्य देशों में ख़ूब चर्चा हुआ। इस पर अल्लाह तआला का शुक्र है और करोड़ों लोगों तक सरकारी प्रचार साधन द्वारा इस्लाम का सन्देश पहुँच गया। हुज़ूर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए फ़रमाया कि ख़ुदा के फ़ज़्ल से यूरोप में अब ऐसी हवा चली है कि यूरोप के रहने वाले दलील सुनने की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

तहरीक बुयूतुल्‌हम्द

स्पेन में मस्जिद की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त होने पर हर अहमदी का दिल ख़ुदा की प्रशंसा से परिपूर्ण है। इस प्रशंसा को क्रियात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए हुज़ूर ने अपने जुमे के खुत्बे 29, अक्तूबर 1982 ई. को फ़रमाया कि ख़ुदा के घर का निर्माण करने के साथ साथ हमें ग़रीबों के लिए मकान बनवाने की ओर ध्यान देना चाहिए। हुज़ूर ने इस योजना का उल्लेख करते हुए अपनी ओर से इस फण्ड में दस हज़ार रुपये देने की घोषणा की।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह दूसरी क़ुदरत के प्रकटन चौथे ख़लीफ़ा के दौर में अपने फ़ज़्ल से इस्लाम के विजय अभियान को आगे से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करे। (आमीन)

दाई इलल्लाह (अल्लाह की ओर बुलाने वाले) बनने की तहरीक

सय्यदिना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) ने 1983 ई. के आरम्भ में ही अपने एकाधिक जुमा के ख़ुत्बों में जमाअत के दोस्तों को इस तरफ ध्यान दिलाया कि वर्तमान युग में इस बात की आवश्यकता है कि हर अहमदी पुरुष, स्त्री, जवान, बूढ़ा और बच्चा दा'वत इलल्लाह के दायित्व को अदा करने के लिए मैदान में आए ताकि वे ज़िम्मेदारियाँ पूर्णत: अदा की जा सकें जो अल्लाह तआला ने जमाअत अहमदिया के कंधों पर डाली हैं।

तहरीक की भूमिका

इस तहरीक की भूमिका बयान करते हुए हुज़ूर ने फ़रमाया कि इस समय ऐसे भयानक हथियारों का अविष्कार हो चुका है जिनके द्वारा कुछ ही पलों में बड़े-बड़े क्षेत्रों से जीवन की समाप्ति की जा सकती है। ऐसे भयानक दौर में जबकि मनुष्य का भाग्य धर्म विरोधी शक्तियों के हाथ

में जा चुका है और ज़माना तेज़ी से मारा मारी की ओर जा रहा है अहमदियत पर भारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। अहमदियत दुनिया को नष्ट होने से बचाने का आख़िरी साधन है जो अल्लाह तआला की तरफ से जारी किया गया है। आख़िरी का अर्थ यह है कि यदि यह भी विफल हो गया तो दुनिया ने अवश्य ही नष्ट हो जाना है और यदि सफल हो जाये तो विश्व को लम्बे समय तक इस प्रकार के सर्वनाश का भय नहीं रहेगा।

दा'वत इलल्लाह की आवश्यकताएँ

दाई इलल्लाह बनने की क्या आवश्यकताएँ हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है इस विषय में हुज़ूर ने सूर: हामीम सज्दह की आयत 34 وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ की व्याख्या करते हुए फ़रमाया कि विभिन्न उद्देश्यों की ओर बुलाने वालों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्यारी आवाज़ उस बुलाने वाले की है जो अपने रब्ब की ओर बुलाए लेकिन इसके साथ तीन शर्तें लगा दीं - 1. वह अल्लाह की तरफ बुलाए 2. वह सदाचारी हो 3. वह घोषणा करता हो कि मैं मुसलमान हूँ। वास्तव में इस आयत में मुसलमान के परिचय में यह बात शामिल कर दी है कि उसके लिए दाई इलल्लाह और सदाचारी होना अनिवार्य है।

दाई इलल्लाह होने का अर्थ यह है कि इस ओर बुलाने वाले का अपना कोई निजी स्वार्थ न हो और वह शुद्ध रूप से अल्लाह के लिए उसकी ओर बुलाए। अमले सालिह (सदाचार) की व्याख्या क़ुरआन में इस प्रकार की गई है कि

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ٥

(सूर: तौबा, आयत 111)

अर्थात अल्लाह तआला ने मोमिनों से उनकी जानें भी ख़रीद ली हैं और उनके धन-साधन भी और वह इसके बदले में उन्हें जन्नत प्रदान करेगा। इस सौदे में जानों की क़ुर्बानी भी माँगी गई है और धन-साधनों की भी और जानों का वर्णन पहले करके उसे पहली शर्त बताया है।

अत: सदाचार में जान की कुर्बानी, समय की कुर्बानी, माल एवं साधनों की कुर्बानी, सभी आ गईं। केवल चन्दा देकर यह समझ लेना कि ज़िम्मेदारी अदा हो गई, ग़लत है। यह तो लंगड़ा ईमान हुआ जिसके कारण अवश्य ही दा'वत इलल्लाह के काम में कमी आ जाएगी। इस समय लगभग सवा तीन लाख ईसाई प्रचारक दुनिया में काम कर रहे हैं। उनके अनुपात में दो सौ या चार सौ प्रचारकों द्वारा इस्लाम को दुनिया में विजयी नहीं किया जा सकता। हुज़ूर ने फ़रमाया कि मैं विश्व के सारे अहमदियों को सचेत करता हूँ कि आज के बाद उनमें से प्रत्येक को अवश्य ही प्रचारक बनना पड़ेगा चाहे उसका सम्बन्ध जीवन के किसी विभाग से हो, उसे ख़ुदा के आगे जवाबदेह (उत्तरदायी) होना पड़ेगा।

दा'वत इलल्लाह का तरीक़ा

दा'वत इलल्लाह किस प्रकार करनी चाहिए ? इसके विषय में सूर: नहल की आयात-

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِیْ

ھِیَ اَحْسَنُ ؕ ...الخ (سورۃالنحل آیت126)

अन्त तक (126 से 129 आयतों तक) की व्याख्या करते हुए फ़रमाया कि اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ के शब्दों में यह बयान किया गया है कि यदि ख़ुदा की ओर बुलाना है तो इस स्वाभाविक भावना से बुलाओ कि जैसे तुमने ख़ुदा को पा लिया है और उससे तुम्हारा निजी सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। पा लेने वाले की पुकार में एक विश्वास, शान और आकर्षण होता है। जैसे ईद का चांद देखने वाला दूसरों को बड़े विश्वास और शौक से चाँद देखने की दा'वत देता है। ख़ुदा तआला को प्राप्त किये बिना आवाज़ ऐसी ही खोखली और प्रभावहीन रहती है जैसे गडरिये के लड़के की आवाज़ थी। जो कहता था कि शेर आया, शेर आया, दौड़ना।

फिर जो व्यक्ति ख़ुदा को पा लेता है वह दा'वत इलल्लाह का पूर्ण पात्र हो जाता है। उसे किसी हथियार की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ

लोग तब्लीग़ के सम्बन्ध में अपने अल्प ज्ञान का बहाना पेश करते हैं यह केवल भ्रम है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जो सबसे बड़े और सफल दाई इलल्लाह थे वह ज़ाहिरी शिक्षा से अनभिज्ञ थे। आपके उम्मी (अनपढ़) होने में यह हिकमत भी थी कि ज्ञान की कमी के प्रश्न को झूठा प्रमाणित किया जाये। जो व्यक्ति ख़ुदा को पा लेता है उसे दलीलें स्वयं ही आ जाती हैं। अत: किताबों का सवाल बाद में पैदा होता है। प्रथम और वास्तविक काम यही है कि ख़ुदा तआला से स्वयं अपना दृढ़ सम्बन्ध स्थापित किया जाए। किसी व्यक्ति ने ख़ुदा को पा लिया है कि नहीं, इसका प्रमाण उसकी बातचीत और उसके कार्य से मिल सकता है। जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है, गाली गलौज से नहीं बचता, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, अन्याय करता है और लेन-देन के व्यवहार में ठीक नहीं है वह किस प्रकार कह सकता है कि उसने ख़ुदा को पा लिया है।

दा'वत इलल्लाह के विषय में दूसरी बात यह फ़रमाई कि वह युक्तिपूर्ण होनी चाहिए। युक्तिपूर्ण होने के अनेक पक्ष हैं। जैसे 1. अवसर और स्थान के अनुसार बात की जाए। 2. बात चीत के दौरान सबसे मज़बूत दलील पहले पेश की जाए। 3. सामान्य तबलीग़ के अतिरिक्त कुछ संजीदा (गंभीर) एवं मुनासिब लोगों का चयन करके उन्हें सच्चाई का पैग़ाम पहुँचाया जाये। 4. चयनित व्यक्तियों को केवल एक बार तबलीग़ पर्याप्त नहीं, सच्चाई बार-बार उनको पहुँचाई जाये। 5. कोई व्यक्ति यदि बात सुनने के लिए तैयार न हो तो उससे नसीहत की बात कह कर अलग रहा जाये।

तीसरी बात यह फ़रमाई कि दा'वत अच्छी नसीहत के रूप में आरम्भ की जाय। उक्त व्यक्ति को बताया जाये कि तबलीग़ में मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है बल्कि उसकी भलाई और सहानुभूति उद्देश्य है क्योंकि क़ुरआन करीम से मालूम होता है कि जिन क़ौमों ने ख़ुदा की ओर बुलाने वालों का इनकार किया है अन्तत: उनका नाश हो गया है। अत: आज जो पुकारने वाला पुकार रहा है समझदारी इसी में है कि

उसके सन्देश को ध्यानपूर्वक सुना जाए।

फिर आयत وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ की व्याख्या करते हुए फ़रमाया कि दा'वत इलल्लाह में ऐसे अवसर भी आते हैं जब सुनने वाले उत्तेजित हो जाते हैं और कष्ट देने लगते हैं ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ विधि यही है कि दुर्व्यवहार के समय धैर्य किया जाये। कथन के अनुसार धैर्य यह है कि अत्याचार को देखकर दा'वत इलल्लाह का काम नहीं छोड़ना और न किसी से डरना। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ि. 13 वर्ष तक घोर अत्याचार के बावजूद दा'वत इलल्लाह में लगे रहे। व्यावहारिक रूप से धैर्य यह है कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। इन परिस्थितियों में क्रोध के स्थान पर सहानुभूति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए और प्यार तथा नम्रता से समझाते चले जाना चाहिए। श्रेष्ठ व्यवहार यही है कि बुराई का बदला अच्छाई और सद्व्यवहार से दो बुराई स्वयं ही कम होती चली जायेगी। फिर सब्र से काम करते जाओ तो तुम्हारी दृढ़ता अपना प्रभाव छोड़ेगी। प्यार का व्यवहार जारी रहे और कथनी करनी में भलाई बनी रहे तो उसका परिणाम अन्त में यह निकलता है कि जो आरम्भ में जान के दुश्मन होते हैं दिल से आपके दोस्त बन जाते हैं।

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ में यह भी फ़रमाया कि ख़ुदा तआला की सहायता के बिना दा'वत इलल्लाह का काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। इसलिए दावत के काम के दौरान आरम्भ और अन्त में दुआओं पर ज़ोर दो और ख़ुदा तआला से सहायता माँगते रहो। दिलों को फेरना उसी के अधिकार में है और परिणाम उसी के फ़ज़्ल से अच्छे निकलते हैं।

पर्दे की पाबन्दी की तहरीक

जलसा सालाना 1982 ई. के अवसर पर हुज़ूर(रहि॰) ने अहमदी औरतों को सख़्ती से पर्दे की पाबन्दी करने की तहरीक फ़रमाई। अल्लाह के फ़ज़्ल से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

प्रत्येक देश में मज्लिसे शूरा की स्थापना

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) के दौरे ख़िलाफ़त का यह ऐतिहासिक कारनामा है कि प्रत्येक देश में मज्लिसे शूरा (परामर्श समिति) स्थापित हो चुकी है। अत: इसके परिणामस्वरूप सारे देशों में आत्म विश्वास पैदा होकर एक नये जोश और साहस के साथ काम हो रहा है।

मन्सूबा बन्दी कमैटी (योजना आयोग) की स्थापना

तब्लीग़ी, तरबियती, और माली (आर्थिक) व्यवस्था की प्रगति को तेज़ और प्रभावशाली बनाने के लिए हुज़ूर(रहि०) ने सभी देशों में योजना आयोग की स्थापना फ़रमाई।

निश्चित दरों के साथ चन्दों की अदायगी

हुज़ूर(रहि०) के आन्दोलन पूर्ण पवित्र दौर का एक महान कारनामा यह है कि हुज़ूर ने जमाअत के अहबाब को निश्चित दरों के अनुसार चन्दों की अदायगी के लिए विशेष प्रेरणा दिलाई और इस तहरीक के अल्लाह के फ़ज़्ल से बड़े रोचक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में 28 मार्च और 4 अप्रैल 1986 ई. के जुमे के ख़ुत्बे को विशेष रूप से सुनने का आग्रह किया जाता है।

तहरीके जदीद के चौथे दफ़्तर (खंड) की स्थापना

तहरीक जदीद के विषय में विशेष रूप से प्रथम दफ़्तर के स्वर्गवासियों के खातों को जीवित करने की तहरीक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हुज़ूर अनवर ने 25 अक्तूबर 1985 ई. को तहरीके जदीद के चौथे दफ़्तर की स्थापना की घोषणा फ़रमाई।

वक़्फ़े जदीद का विश्वव्यापी विस्तार

तहरीके वक़्फ़े जदीद अब तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान तक ही सीमित थी। अब इसके बढ़ते हुए काम के फलस्वरूप हुज़ूर(रह) ने अपने

जुमा के ख़ुत्बे 17 दिसम्बर 1985 ई. में इस तहरीक के विश्वव्यापी विस्तार की घोषणा की।

नए प्रचार केन्द्रों की तहरीक

हुज़ूर(रहि॰) ने यूरोप में विशाल मिशन हाउसों की स्थापना हेतु जमाअत के अहबाब से एक फण्ड एकत्रित करने की तहरीक फ़रमाई। अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से जमाअत के पुरुष व स्त्रियों ने आश्चर्यजनक क़ुरबानी का प्रमाण दिया जिसके फलस्वरूप लंदन, टिलफर्ड में 125 एकड़ क्षेत्र खरीदकर इस्लामाबाद के नाम से भव्य प्रचार-केन्द्र स्थापित किया गया है जबकि दूसरा प्रचार केन्द्र फ्रैंक फर्ट पश्चिमी जर्मनी, नासिर बाग़ के नाम से स्थापित हो चुका है।

कम्प्यूटर टाइपराइटर की तहरीक

हुज़ूर(रहि॰) ने अपने जुमा के ख़ुत्बे दिनाँक 12 जुलाई 1985 ई में इस्लामाबाद लंदन में एक नवीन प्रकार के प्रेस की स्थापना के लिए कम्पयूटर टाइप राइटर खरीदने के लिए डेढ़ लाख पाउण्ड का फ़ण्ड इकट्ठा करने की तहरीक फ़रमाई। अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से जमाअत ने प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया। इस नवीनतम प्रेस का शुभारम्भ 1987 ई. में हो चुका है।

कलिमा तय्यिबा की सुरक्षा की विशेष तहरीक

1984 ई. से पाकिस्तान में कलेमा तैय्यबा का अपमान किया जा रहा था। और अहमदिया मस्जिदों से कलिमः तय्यबः को मिटाया गया और कलिमा का बैज लगाने वाले अहमदियों को बन्दी बनाया गया। हुज़ूरे अनवर ने इस सम्बन्ध में जमाअत के अहबाब और विशेष रूप से पाकिस्तान के अहमदियों को कलिमः तय्यबः की सुरक्षा के लिए हर प्रकार की क़ुरबानी देने के लिए तैयार फ़रमाया।

सय्यदिना बिलाल(रज़ि॰) फण्ड

जमाअत अहमदिया के शहीदों के उत्तराधिकारियों और उनके परिवार की देख रेख के लिए हुज़ूर(रहि॰) ने सय्यदिना बिलाल(र) फण्ड के नाम से तहरीक फ़रमाई। अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि जमाअत ने इसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब इस फण्ड से अहमदियत के शहीदों की ओर से कुरआन की संकलित आयतों का सौ से अधिक भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है।

श्वेत पत्र का जवाब

पाकिस्तान के तथाकथित क़िरतासे अबयज़ (श्वेत पत्र) के सुदृढ़ दलीलों के साथ जवाब स्वयं हुज़ूर(रह) ने अपने खुत्बों में दिये। जो सीरीज़ के रूप में लंदन से 18 जिल्दों में प्रकाशित हो चुके हैं।

इस्लामी लिट्रेचर का प्रकाशन

कुरआन करीम के अनुवाद और संकलित आयतों के अनुवाद के प्रकाशन के अतिरिक्त ख़िलाफते राबेअ के दौर का एक शानदार कारनामा लंदन से 46 भागों पर आधारित 'रूहानी ख़ज़ाइन' के सैट का प्रकाशन है। जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें, मल्फ़ूज़ात, मकतूबात और हज़रत मुस्लेह मौऊद(रज़ि॰) की तफ़सीरे कबीर, की पूरी जिल्दें सम्मिलित हैं।

मजालिसे इरफ़ान (धार्मिक ज्ञान सम्बंधी सभाएँ)

हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर की एक दिलकश चीज़ धर्मज्ञान सम्बंधी सभाएँ हैं जिन में जमाअत के अहबाब और बाहर के लोग भी हुज़ूर से हर प्रकार के धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पूछते हैं हुज़ूर उनके सन्तोषजनक उत्तर देते हैं। अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से मजालिसे इरफ़ान की रिपोर्टें पढ़ने वाले अहबाब इनसे अत्यन्त लाभान्वित हो रहे हैं।

हिजरत (प्रवास)

सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) ने अप्रैल 1984 ई. में कड़ी विरोधी गतिविधियों के कारण रब्वाह से लंदन हिजरत फ़रमाई। हिजरत के पश्चात इन पन्द्रह वर्षों में जमाअत की उन्नति में अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से कई गुना बढ़ौतरी हो चुकी है।

शुद्धि तहरीक के विरुद्ध तब्लीग़ी जिहाद

22 अगस्त 1986 ई. को हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) ने शुद्धि के विरोध में तब्लीग़ी जिहाद की तहरीक फ़रमाई। अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से इस तहरीक के अत्यन्त अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

भारत में आवास निर्माण तहरीक

भारत में पवित्र स्थलों के निर्माण और मरम्मत आदि के लिए हुज़ूरे अनवर ने 28 मार्च 1998 ई. को भारत में आवास निर्माण फण्ड की तहरीक फरमाई।

तहरीक वक़्फ़े नौ (बच्चे का जन्म से पूर्व धर्म की सेवा के लिए समर्पण)

3 अप्रैल 1987 ई. को हुज़ूरे अनवर ने तहरीक वक़्फे नौ की घोषणा की। जिसके तत्वाधान में अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से दुनिया भर में हज़ारों वाक़फीन व वाक़िफात नौ (समर्पित) तहरीके जदीद व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण ले रहे हैं।

पिछली रूसी रियासतों में वक़्फ़ की तहरीक

हुज़ूर अनवर(रहि०) ने 2 अक्तूबर 1992 ई. को पिछली रूसी रियासतों में वक़्फ़ की तहरीक फ़रमाई।

बोसनिया में पीड़ित मुसलमानों की सहायता की तहरीक

30 अक्तूबर 1992 ई. को हुज़ूर(रहि०) ने बोसनिया के पीड़ित मुसलमानों की सहायता के लिए तहरीक फ़रमाई।

मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इन्टरनैशनल (एम.टी.ए.)

17 जनवरी 1994 ई. के साल को अल्लाह तआला ने यह म हत्व भी प्रदान किया कि इस्लाम के ज्ञानवर्धक पैग़ाम को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए और इस्लाम की खूबियों को तमाम दुनिया पर स्पष्ट करने के लिए जमाअत अहमदिया को अपना सैटलाइट टेलीविज़न चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अलहम्दोलिल्लाह! इससे पहले सैटलाइट के द्वारा हुज़ूर(रहि०) का ख़ुत्बा 31, जुलाई से प्रसारित होना आरम्भ हो गया था।

झूठ के विरुद्ध जिहाद

3 फरवरी 1995 ई. को जुमा के ख़ुत्बे में हुज़ूर ने जमाअत अहमदिया को झूठ के विरोध में जिहाद करने की तहरीक फ़रमाई।

शताब्दी समारोह

चौथी ख़िलाफ़त को यह विशेषता भी प्राप्त है कि यह दौर सय्यदिना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रादुर्भाव वर्ष 1882 ई. के ठीक सौ वर्ष बाद अर्थात 1982 ई. से आरम्भ हुआ। इसके संदर्भ में इस मुबारक ख़िलाफ़त के दौर में निम्नलिखित वार्षिक समारोह आयोजित हुए।

*- 1986 ई. में मुस्लिह मौऊद की भविष्यवाणी के पूरा होने का शताब्दी समारोह।

*- 1989 ई. में जमाअत अहमदिया के सौ वर्ष पूरे होने पर जम ाअत ने बड़ा शानदार धन्यवादज्ञापन समारोह पूरी दुनिया में मनाया।

*- 1991 ई. में सय्यदिना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मसीह होने की घोषणा और सालाना जल्से के 100

वर्ष पूरे होने पर सय्यदिना हज़रत अक़दस ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) स्वयं हिन्दुस्तान तश्रीफ़ लाए। इस प्रकार भारत विभाजन के 44 वर्ष बाद किसी ख़लीफ़ा को पहली बार क़ादियान आने का अवसर प्राप्त हुआ।

※- 1994 ई. में सूर्य ग्रहण एवं चन्द्र ग्रहण की भविष्यवाणी पर एक सदी बाद जमाअत ने शताब्दी समारोह आयोजित किये।

※- 1996 ई. में ''इस्लामी उसूल की फ़िलास्फ़ी'' नामक लैक्चर के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया।

क़ुरआन मजीद के अनुवाद

अब तक जमाअत अहमदिया दुनिया की 56 भाषाओं में क़ुरआन मजीद के अनुवाद प्रकाशित कर चुकी है। जिनमें आधे से अधिक हुज़ूर(रह) के मुबारक दौर में हुए।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाह तआला का शानदार लिट्रेचर

हुज़ूर रहमहुल्लाह तआला के दौरे ख़िलाफ़त में आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिन में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं।

1. ख़लीज का बोहरान और निज़ामे नौ (उर्दू)
2. Islam Response to Contemporary Issues
3. ज़ौके इबादत और आदाबे दुआ (उर्दू)
4. हव्वा की बेटियाँ और जन्नत नज़ीर मुआशरा
5. Christianity from facts to fiction
6. ज़हकल बातिल
7. Absolute Justice
8. होम्योपेथी अर्थात इलाज बिल्मिस्ल
9. Revelation Rationality Knowldge and Truth
10. क़ुर्आन करीम का उर्दू अनुवाद

क़ुरआन का विश्वव्यापी दर्स (पाठ)

12 फ़रवरी 1994 ई. को दिन सदा यादगार रहेगा क्योंकि उस दिन हुज़ूर(रहि०) ने अन्तर्राष्ट्रीय दर्से क़ुरआन का शुभारम्भ किया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैअत

सय्यदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि०) की ओर से 1983 ई. से निरन्तर जमाअत को दा'वत इलल्लाह की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप हर वर्ष लाखों पवित्र आत्माएँ जमाअत अहमदिया मुस्लिमा में सम्मिलित हो रही हैं।

महत्त्वपूर्ण तहरीकें और घटनाएं

⁕ 23 मार्च 1994ई. से एम.टी.ए. पर होम्योपैथिक क्लासिज़ का संचालन हुआ।

⁕ 7 जनवरी 1994ई. से 'अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल' का निरन्तर प्रकाशन जारी हुआ।

⁕ 1994ई. में हुज़ूर ने अहमदियत के विरोधियों को चेलेन्ज दिया कि यदि वे मसीह को इस सदी के अन्त से पहले आसमान से उतार दें तो प्रत्येक मुद्दई (दावेदार) को एक करोड़ रूपया इनाम दिया जाएगा।

⁕ 1 अप्रैल 1996ई. से एम.टी.ए का 24 घण्टे प्रसारण आरंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के विकास के साथ 1999ई. में एम.टी.ए. का डिजिटल प्रसारणों का प्रारंभ हुआ।

⁕ जनवरी 2001ई. से जमाअत की ऑफीशल वेब्साइट इन्टरनेट पर स्थापित हुई।

⁕ 19 जून से 11 जुलाई 2000ई. तक हुज़ूर ने इण्डोनेशिया का दौरा किया जिसको बहुत मान्यता मिली। (समय के ख़लीफ़ा का इण्डोनेशिया का यह पहला दौरा था)

⁕ फरवरी 2003ई. में निर्धन लड़कियों की शादी के प्रबंध के लिए मरयम शादी फण्ड की तहरीक की।

⁕ 19 अप्रैल 2003 को आप अपने हक़ीक़ी मौला से जा मिले। (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।)

⁕ 22 अप्रैल को आप की नमाज़-ए-जनाज़ा सय्यिदिना हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस (पंचम) अय्यदहुल्लाह तआला ने पढ़ाई और आप को इस्लामाबाद लन्दन में दफ़्न किया गया।

⁕ विश्व के राजनीतिक,आर्थिक एंव मिल जुल कर रहन सहन संबंधी समस्याओं पर आपके अद्बितीय मार्ग-दर्शन ने आप के अस्तित्व और जमाअत को सम्पूर्ण विश्व में नया मान-सम्मान प्रदान किया।

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़

(वर्तमान ख़लीफ़ा जन्म 1950 ई०)

संक्षिप्त जीविन

विश्वव्यापी जमाअत अहमदिया के वर्तमान इमाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ हज़र मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। इस प्रकार आप भी आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस भविष्यवाणी के चरितार्थ ठहरते हैं जो आप स. ने मसीह मौऊद की सन्तान के बारे में की थी। फिर स्वंय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ख़ुदा तआला ने जो इल्हाम भविष्यवाणियों के तौर पर किए,उनमें से कुछ आप पर पूरे होते दिखाई देते हैं। उन इल्हामों का कुछ विवरण और आप के पवित्र-जीवन की मुबारक-चर्चा अगले पृष्ठों में की जाएगी।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम

कुछ भविष्यवाणियां जो आप के पिता मिर्ज़ा मन्सूर अहमद साहिब रज़ि. और दादा हज़रत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब रज़ि. के बारे में थीं वे बड़ी शान से हुज़ुर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के अस्तित्व (हस्ती) में भी पूरी होती दिखाई देती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं-

"शरीफ अहमद को स्वप्न (ख़्वाब) में देखा कि उसने पगड़ी बांधी हुई है और दो आदमी पास खड़े हैं। एक ने शरीफ़ अहमद की तरफ़ इशारा करके कहा:

"वह बादशाह आया"

दूसरे ने कहा कि

"अभी तो उसने क़ाज़ी बनना है"

फ़रमाया-"क़ाज़ी हकम (निर्णायक) को भी कहते हैं। क़ाज़ी वह है जो सच का समर्थन करे और झूठ का खण्डन कर दे।"

(तज़्किर: पृष्ठ-584,चतुर्थ संस्करण 2004ई.)

दिसम्बर 1907 ई. में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ:

"मैं तेरे साथ और तेरे प्यारों के साथ हूं।"

اِنِّیْ مَعَكَ یَا مَسْرُوْرُ

(तज़्किर पृष्ठ-630, चतुर्थ संस्करण-2004ई.)

इसी प्रकार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"कुछ वर्ष हुए एक बार हमने कश्फ़ की अवस्था में इसी लड़के शरीफ अहमद के संबंध में कहा था कि:

"अब तू हमारी जगह बैठ और हम चलते हैं।"

(तज़्किर: पृष्ठ-487)

हज़रत ख़लीफतुल मसीह चतुर्थ रहिमहुल्लाह ने आपके आदरणीय वालिद (पिता) हज़रत मिर्ज़ा मन्सूर अहमद साहिब के निधन के अवसर पर अपने जुमअ: के ख़ुत्बे 12, दिसम्बर 1997 ई. में हज़रत

मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब को नाज़िर आ'ला नियुक्त किए जाने पर फ़रमाया:-

"मैं सारी जमाअत को हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा मन्सूर अहमद साहिब के लिए ख़ास दुआ की तरफ़ ध्यान दिलाता हूं और बाद में मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब के बारे में भी कि अल्लाह तआला उनको भी सही जानशीन (उत्तराधिकारी) बनाए। "तू बैठ जा" का विषय पूरी तरह उन पर सच्चा हो और अल्लाह तआला हमेशा स्वंय उनकी रक्षा करे और उनकी सहायता करे।"

(अलफज़्ल इन्टरनेशनल 30जनवरू से 5 फ़रवरी 1998ई.)

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला का संबंध हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस खानदान से है। आप के नाना का नाम हज़रत मिर्ज़ा बशीरूद्दीन महमूद अहमद ख़लीफतुल मसीह द्वितीय रज़ि. है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सुपुत्र (बेटे) थे और नानी हज़रत सय्यदा महमूदा बेग़म साहिबा रज़ि. हैं जो हज़रत डाक्टर ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन साहिब रज़ि. की बड़ी बेटी थीं। आप के दादा का नाम हज़रत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब है। जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप की दादी हज़रत बू ज़ैनब बेगम साहिबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत नवाब मुहम्मद अली ख़ान साहिब आफ़ मालेर कोटला की बड़ी साहिबज़ादी (बेटी) थीं।

आप के वालिद हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा मन्सूर अहमद साहिब भूतपूर्व (साबिक़) नाज़िर आ'ला सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान थे जो 13 मार्च 1911ई. को हज़रत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब के घर पैदा हुए आप एक लम्बे समय तक अमीर मक़ामी रबवाह भी रहे। आप का 10 दिसम्बर 1997ई. को स्वर्गवास हुआ आपकी मां साहिबज़ादी नासिरा बेगम साहिबा सितम्बर 1911ई. में हज़रत मिर्ज़ा बशीरूद्दीन महमूद अहमद ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि. के यहां

पैदा हुईं। आपका स्वर्गवास 29 जुलाई 2011 ई. को रबवाह में हुआ।

जन्म तथा तालीम–व–तर्बियत

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब दिनांक 15 दिसम्बर 1950ई. को हज़रत मिर्ज़ा मन्सूर अहमद साहिब और हज़रत साहिबज़ादी नासिरा बेगम साहिबा के यहां रबवाह में पैदा हुए। उम्र में आप अपने बहन-भाइयों में से सब से छोटे हैं। आपके दो भाई और दो बहनें हैं। बहुत पवित्र माहौल में आप की तालीम-व-तर्बियत हुई। मैट्रिक तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल रबवाह और बी.ए. तालीमुल इस्लाम कालेज रबवाह से किया। एम.एस.सी के लिए Agriculture यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाख़िला लिया। आप ने 1976ई. में इस यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स में एम.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की।

आप की दीनी ख़िदमात (धार्मिक सेवाएं) की कुछ झलकियां

सय्यिदिना हुज़ूर अन्वर अय्यदुहुल्लाह ग़ाना में लगभग साढ़े सात वर्ष वाक़िफ़-ए-ज़िन्दगी की हैसियत से विभिन्न ख़िदमतें (सेवाएं) करते रहे। यह ख़िदमत का समय 1977ई. से 1985ई. तक का बनता है।

सय्यिदिना हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह टी आई अहमदिया सैकेन्डरी स्कूल श्लाघा घाना में प्रिन्सीपल के तौर पर अगस्त 1977 ई. से 1979 ई. तक सेवारत रहे।

(2)इसी प्रकार हुज़ूर अन्वर को अकम्फ़ी टी.आई.अहमदिया सेकण्डरी स्कूल इसारचर सेन्ट्रल रीजन के दूसरे हेडमास्टर के तौर पर ख़िदमत करने का मौक़ा मिला। हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला टमाले (नार्दन रीजन) के स्थान पर लगभग दो वर्ष रहे। आप के ज़िम्मे टमाले से 40 किलो मीटर की दूरी पर DEPALE नामक गांव में

जमाअत के Agricultural Farm की निगरानी थी। यही वह जगह है जहां आप ने पहली बार ग़ाना में गेहूं की खेती का सफल तजुर्बा किया।

हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह बिनस्रिहिल अज़ीज़ 1985ई. में घाना से वापस पाकिस्तान आए और 17, मार्च 1985ई. से नायब वकील-ए-माल द्वितीय के तौर पर नियुक्त हुए। 18, जून 1994 ई. को आप नाज़िर तालीम सदर अंजुमन अहमदिया नुयुक्त हुए। 1994ई. से 1997ई. तक चेयरमैन नासिर फाउंडेशन रहे। इसी समय में आप सदर तज़ईन कमेटी रबवाह भी रहे।आप ने गुलशने अहमद नर्सरी का विस्तार और रबवाह को हरा-भरा बनाने के लिए व्यक्तिगत कोशिश और निगरानी की। हुज़ूर अन्वर की इच्छा थी कि रबवाह हरा-भरा शहर बन जाए। अगस्त 1998ई. में सदर मज्लिस कारपर्दाज़ नियुक्त हुए। 1988ई. से 1995ई. तक कज़ा बोर्ड के मेम्बर रहे। इस के साथ-साथ संगठन संबंधी कामों में भी भरपूर हिस्सा लिया। ख़ुद्दामुल अहमदिया मर्कज़िया में वर्ष 1976-77 में प्रबन्धक शारीरिक स्वास्थ्य (सेहत-ए-जिस्मानी) रहे। 1984-85ई. में तज्नीद के प्रबन्धक (मुहतमिम) रहे। वर्ष 1985-86ई से 1988-89 तक मुहतमिम मजलिस बैरून और 1989-90ई. में नायब सदर ख़ुद्दामुल अहमदिया पाकिस्तान रहे। 1995ई. में अन्सारूल्लाह पाकिस्तान में काइद ज़िहानत-व सिहत-ए-जिस्मानी तथा काइद तालीमुल क़ुर्आन के तौर पर ख़िदमत करते रहे। 10, दिसम्बर 1997ई. को आप नाज़िर आला-व-अमीर मक़ामी नियुक्त हुए और ख़िलाफत के निर्वाचन तक इस पद पर नियुक्त रहे। नाज़िर आला की हैसियत से आप नाज़िर ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) और नाज़िर ज़राअत (खेती-बाड़ी) के पद पर भी ख़िदमत करते रहे।

आप को एक झूठे मुक़द्दमे में असीरे राहे मौला रहने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। आप 30,अप्रैल 1999ई. को गिरफ़्तार हुए और 10 मई 1999 ई. को बरी हुए।

ख़िलाफत का इन्तिख़ाब(निर्वाचन)

19,अप्रैल 2003ई. का दिन अहमदियत की तारीख में एक शोकपूर्ण दिन था। उस दिन हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह चतुर्थ का लगभग 21 वर्षीय दौरे ख़िलाफत भरपूर प्रयास और विशेष सफलताओं के साथ अपने मुबारक अन्त को पहुंचा और हुज़ूर रहिमहुल्लाह तआला करोड़ों जान न्योछावर करने वालों को उदास छोड़ कर अपने हक़ीक़ी मौला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

मज्लिस इन्तिख़ाब-ए-ख़िलाफ़त का इज्लास मस्जिद फ़ज़्ल लन्दन में 22 अप्रैल 2003ई. को मग़रिब और इशा की नमाज़ों के बाद मुकर्रम चौधरी हमीदुल्लाह साहिब वकील-ए-आला तहरीक जदीद अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान की सदारत में आयोजित हुआ और लन्दन के वक्त के अनुसार 11:40 बजे रात अल्लाह तआला ने आप को मस्नद-ए-ख़िलाफ़त पर क़ायम किया।

सर्व प्रथम मज्लिस इन्तिख़ाब-ए-ख़िलाफ़त के सदस्यों ने आपके मुबारक हाथ पर दस्ती बैअत का सौभाग्य प्राप्त किया और उसके बाद सम्पूर्ण विश्व की जमाअत के लोगों ने MTA के द्वारा बैअत का सम्मान प्राप्त किया।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मुबारक तहरीकें

हुज़ूर ने फ़रमाया:-

"ख़लीफ़ा की तरफ़ से अलग-अलग वक्तों में अलग-अलग तहरीकें भी होती रहती हैं। रूहानी उन्नति (तरक़्क़ी) के लिए भी जैसा कि मस्जिदों को आबाद करने के बारे में है, नमाज़ों को क़ायम करने के बारे में है, औलाद की तर्बियत के बारे में है, अपने अन्दर अख़्लाक़ी मूल्यों को बुलन्द करने के बारे में, साहस की अधिकता पैदा करने

के बारे में, ख़ुदा की तरफ़ बुलाने के बारे में या तरह-तरह की धन संबंधी (माली) तहरीकें हैं। यही बातें हैं जिन की फ़रमाबरदारी करना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में यही बातें अच्छे कामों में फ़रमाबरदारी के वर्ग (जुमरे) में आती हैं। तो नबी या किसी ख़लीफ़ा ने तुम से ख़ुदा के हुक्मों के ख़िलाफ़ और अक़्ल के ख़िलाफ़ तो काम नहीं करवाने। यह तो नहीं कहना कि तुम आग में कूद जाओ और समन्दर में छलांग लगा दो........ अत: स्पष्ट हो कि नबी या ख़लीफ़ा-ए-वक़्त कभी भी मज़ाक में भी यह बात नहीं कर सकता।

(ख़ुतबात-ए-मसरूर जिल्द प्रथम पृष्ठ 343)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह बिनस्रिहिल अज़ीज़ गत वर्षों में जमाअत की तालीम-व-तर्बियत (शिक्षा एंव प्रशिक्षण), इस्लाम और अहमदियत की तब्लीग (प्रचार), जमाअत की उन्नति और मानव जाति की ख़िदमत (सेवा) करने के सिलसिले में अलग-अलग वक़्तों में जो मुबारक तहरीकें कीं याद दिलाने के उद्देश्य से उनमें से कुछ का वर्णन किया जाता है:-

*नुसरत जहां स्कीम के तहत अहमदी डाक्टरों को ज़िन्दगी वक़्फ़ करने की तहरीक

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 12 दिसम्बर 2003)

*बुरी स्कीमों को छोड़ने की तहरीक

(अल फ़ज़्ल इन्टरनेशनल 2दिसम्बर 2003ई.)

*निज़ाम-ए-जमाअत का पाबन्द रहने की तहरीक

(ख़ुतबात-ए-मसरूर जिल्द प्रथम पृष्ठ 515)

*सच्चाई के उच्चतम मापदण्ड क़ायम करने की तल्क़ीन (नसीहत)

(ख़ुतबात-ए-मसरूर जिल्द प्रथम पृष्ठ-564)

*शादी-विवाह के मौक़े पर सादगी और अल्लाह तआला की प्रसन्नता को दृष्टिगत (पेशे नज़र) रखने पर बल, जमाअत की इमारतों के वातावरण को साफ़ रखने का नियमानुसार प्रबंध हो, इसके लिए ख़ुद्दामुल अहमदिया और लजना-ए-इमाइल्लाह वक़ारे अमल करें।

(ख़ुत्बा जुमअ 23 अप्रैल-2004ई.)

⁕अफ़्रीका के प्यासे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो, अहमदी इन्जीनियर्स इस सिलसिले में देखकर FEASIBILITY रिपोर्ट त्यार करें।

(इन्टर नेशनल एसोसिएशन ऑफ अहमदी आर्कीटेक्स एण्ड इन्जीनियर्स के यूरोपियन चेप्टर के प्रबंध के अन्तर्गत (तहत) आयोजित प्रथम सिम्पोज़ियम से सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला का सम्बोधन)

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 4, जून 2004ई.)

⁕हर अहमदी दावत इलल्लाह (ख़ुदा की तरफ़ बुलाने) के लिए वर्ष में कम से कम दो सप्ताह वक़्फ़ (समर्पित) करे।

(ख़ुत्बा जुम्अ: 4 जून 2004ई.)

⁕हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्मे कलाम से फ़ायदा उठाएं।

(ख़ुत्बा जुम्अ:11, जून 2004ई.)

⁕इज्तिमा और जल्सों से भरपूर लाभ प्राप्त करने की नसीहत।

⁕वाक़िफीन नौ भाषाएं सीखें।

(ख़ुत्बा जुम्अ: 18 जून 2004ई.)

⁕अपनी और अपनी नस्लों की ज़िन्दगियों को पवित्र करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वसीयत के आसामानी निज़ाम (व्यवस्था) में शामिल हों।

(समापन भाषण जल्सा सालाना U.K 1, अगस्त 2004ई.)

⁕Humanity First की तरफ़ ध्यान दें।

(ख़ुत्बा जुम्अ: 27 अगस्त 2004ई.)

⁕जर्मनी के हर शहर में मस्जिद बनाने की तहरीक

(ख़ुत्बा जुम्अ: 27 अगस्त 2004ई.)

⁕स्पेन में VALANCIA के स्थान पर एक और मस्जिन बनाने की महान तहरीक।

(अलफज़्ल इन्टरनेशनल 28 जनवरी 2005ई.)

※आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐतिराज़ों के जवाब देने के लिए टीमें तैयार करें।

(ख़ुत्बा जुम्अ: 18 फरवरी 2005ई.)

※लज्न: इमाइल्लाह, ख़ुद्दामुल अहमदिया और अन्सारूल्लाह के शोब: खिदमत-ए-ख़ल्क़ को मरीज़ों का हाल पूछने के लिए उसके पास जाने के प्रोग्राम बनाने की नसीहत

(ख़ुत्बा जुम्अ: 15 अप्रैल 2005ई.)

※अमीरों (धनवानों) को पहले भी कह चुका हूं अब भी कहता हूं दोबारा तहरीक कर देता हूं कि मरयम शादी फण्ड में ज़रूर शामिल हुआ करें।

(ख़ुत्बा जुम्अ:25 नवम्बर 2005ई.)

※ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट के लिए धन की क़ुर्बानी की तहरीक

(अलफ़ज़्ल इण्टरनेशनल 17 जून 2005ई.)

※जरनलिज़्म पढ़ने की तरफ़ ध्यान दें।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 3 से 9 मार्च 2006ई.)

※डाक्टरों को ताहिर हार्ट इन्स्टीट्यूट में भाग लेने की तहरीक।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 21 से 27 अप्रैल 2006ई.)

※जमाअतें वक्फ़-ए-आरज़ी की तरफ़ ध्यान दें।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 24 से 30 नवम्बर 2006ई.)

※पश्चिमी देशों में रिटायरमेन्ट के बाद स्वंय को जमाअत की ख़िदमतों (सेवाओं) के लिए रज़ाकाराना तौर पर (स्वेच्छा से) प्रस्तुत करना चाहिए।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 24 से 30 नवम्बर 2006ई.)

※यतीमों (अनाथों) की देख भाल के फण्ड में दिल खोल कर भाग लेने की तहरीक।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 22 से 28 जून 2006ई.)

※ग़ैर ज़रूरी (अनावश्यक) खर्चों और कर्ज़ों से बचने और किफ़ायत शिआरी (खर्च में कमी) से काम लेने की तहरीक।

(अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल, 6 से 12 जुलाई 2006ई.)

※अपने पाक होने और क़ुर्आन करीम पर अमल करने की तरफ़ स्थायी तौर पर ध्यान दें। इस सन्देश (पैग़ाम) को हर आदमी तक पहुंचाने के लिए एक ख़ास जोश दिखाएं ताकि किसी के पास यह बहाना न रहे कि हम तक तो यह सन्देश नहीं पहुंचा।

(ख़ुत्बा जुमअ: 1 फरवरी 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 22 फरवरी 2008ई.)

※हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करे।

(ख़ुत्बा जुमअ: 15 फरवरी 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 7 मार्च 2008ई.)

※दुश्मन क़ुर्आन और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। उस की इस निंदित कोशिश के नतीजे में हम अहमदी यह प्रण करें कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों,अरबों बार दरूद भेजें और भेजते चले जाएं।

(ख़ुत्बा जुमअ: 28 फरवरी 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 18 अप्रैल 2008ई.)

※दुनिया के हर कोने में हर शहर में मस्जिदों का निर्माण करें।

(ख़ुत्बा जुमअ: 25 अप्रैल 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 16 मई 2008ई.)

※जमाअत के लोग अपनी दुआओं में-

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ۔

(रब्बे कुल्लो शैइन ख़ादिमोका रब्बे फ़हफ़ज़्नी वन्सुर्नी वरहम्नी) की दुआ को भी ज़रूर शामिल करें।

(ख़ुत्बा जुमअ: 3 अक्टूबर 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 24 अक्टूबर 2008ई.)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

"रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिल्लदुन्का रहमतन इन्नका अन्तल वह्हाब" की दुआ हमेशा हर अहमदी का प्रतिदिन का दस्तूर (नियम) होना चाहिए।

(ख़ुत्बा जुमअ: 21 नवम्बर 2008ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 12 दिसम्बर 2008ई.)

*फ़लस्तीनी जो इस्राईल के अत्याचार की बड़ी ख़तरनाक चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए दुआ और सहायता की ख़ास तहरीक।

(16 जनवरी 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 6 फरवरी 2009ई.)

اَللّٰھُمَّ اھْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ.

(अल्लाहुम्महदि क़ौमी फइन्नहुम ला या'लमून)

की दुआ करने की तहरीक।

(27 फरवरी 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 20 मार्च 2009ई.)

*हिन्दुस्तान, इण्डोनेशिया, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान में भी जमाअत की मुख़ालिफ़त (विरोध) के हवाले से जमाअत के लोगों को दुआओं की खास तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 7 अप्रैल 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 8 मई 2009ई.)

*इन्साफ़ पर क़ायम होते हुए यतीमों (अनाथों) और अहल-व-अयाल (घर-परिवार) के अधिकारों (हुक़ूक़) की अदायगी की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 15 मई 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 5 जून 2009ई.)

*अधीनस्थ (ज़ैली) संगठनों तथा जमाअतों का काम है कि नौजवानों और बच्चों को हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकों के पढ़ने की तरफ़ ध्यान दिलाएं।

(ख़ुत्बा जुमअ: 3 जुलाई 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 24 जुलाई 2009ई.)

*हम यूरोप के हर देश में जहां मस्जिदें नहीं हैं अगले पांच-छ: वर्षों में कम से कम एक मस्जिद बना लें।

(ख़ुत्बा जुमअ: 21 अगस्त 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 11 सितम्बर 2009ई.)

*रातों को नफ़्लों से सजाएं और तहज्जुद की तरफ़ ध्यान दें।

(ख़ुत्बा जुमअ: 25 सितम्बर 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 16 अक्टूबर 2009ई.)

*विश्व भर की जमाअतों के लिए ताकीदी हिदायत (कड़ा निर्देश) कि भविष्य में मस्जिदों के अन्दर के हाल में किसी तरह की खाने इत्यादि की दा'वत न की जाए।

(ख़ुत्बा जुमअ: 18 दिसम्बर 2009ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 8 जनवरी 2010ई.)

*शहीदों की फ़ेमलियों के लिए "सय्यिदिना बिलाल फण्ड" में

चन्दा देने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 11 जून 2010 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 2 जुलाई 2010ई.)

※विभिन्न वेब साइट्स हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के निरर्थक ऐतराज़ आते हैं उनको सच्चाई के सन्देश से भर दें।

(ख़ुत्बा जुमअ: 24 जून 2010 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 2 जुलाई 2010ई.)

※जमाअत के लोगों को Facebook की बुराइयों से बचने के लिए कड़ी नसीहत।

(ख़ुत्बा जुमअ: 31 दिसम्बर 2010 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 21 जनवरी 2011ई.)

※अमरीका और दूसरे देशों की जमाअतों को भी क़ुर्आन मजीद की प्रदर्शनी (नुमायश) लगाने का प्रबंध करना चाहिए।

(ख़ुत्बा जुमअ: 25 मार्च 2011 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 15 अप्रैल 2011 ई.)

※एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने वालों को जमा करके विश्व में अमन क़ायम करने की मुहिम चलाएं।

(ख़ुत्बा जुमअ: 14 अक्टूबर 2011 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 4 नवम्बर 2011 ई.)

※दुनिया विश्व युद्ध की तरफ़ तीव्रता से बढ़ रही है, हमें इन दिनों में बहुत दुआएं करनी चाहिएं।

(ख़ुत्बा जुमअ: 21 दिसम्बर 2011 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 23 दिसम्बर 2011 ई.)

※जल्सा सालाना के विभिन्न प्रबंधों में जो कमियां और कमज़ोरियां रह गई हैं उनको लाल किताब में दर्ज करके आगामी वर्ष के प्रोग्राम बनाते हुए उन्हें दृष्टिगत रखने की कड़ी नसीहत।

(ख़ुत्बा जुमअ: 13 जुलाई 2012 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 3 अगस्त 2012 ई.)

※अमरीका में आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बनाई गई बहुत अत्याचारपूर्ण और दिल दुखाने वाली फिल्म पर हुज़ूर अन्वर की हिदायत कि हर समझदार इन्सान तक इस्लामी दृष्टिकोण को पहुंचाएं।

※लाइब्रेरियों में उदाहरणतया यूरोप में या इंग्लेण्ड में या अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत (जीवन-चरित्र) से संबंधित जमाअत की वे पुस्तकें रखवानी चाहिएं, जिन

का अंग्रेज़ी अनुवाद हो चुका है।

*हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि. की पुस्तक LIFE OF MUHAMMAD का व्यापक स्तर पर प्रकाशन होना चाहिए।

*सेमीनार भी हों, जल्से भी हों और उनमें ग़ैरों को अधिक से अधिक संख्या में बुलाएं।

*तुहफ़ा क़ैसरिया में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अमन और धर्म के सम्मान के बारे में जो पैग़ाम दिया है उस को मशहूर करने की आज भी बहुत ज़रूरत है। उस पर भी तुरन्त काम होना चाहिए।

(ख़ुत्बा जुमअः 28 सितम्बर 2012 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 19 अक्टूबर 2012 ई.)

*मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पर हर अहमदी जहां अपने लिए सब्र और मज़बूती की दुआ करे वहां दुश्मन की बुराई से बचने के लिए-

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ۔

की दुआ भी बहुत पढ़े-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

की दुआ भी बहुत पढ़ें। दरूदशरीफ़ पढ़ने की तरफ़ भी बहुत ध्यान दें।

(ख़ुत्बा जुमअः 23 नवम्बर 2012 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 14 दिसम्बर 2012 ई.)

*जमाअत की तरक़्क़ी (उन्नति) और उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए ख़ास दुआओं की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअः 28 दिसम्बर 2012 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 18 जनवरी 2013 ई.)

*"वाक़िफ़ीन नौ की अधिक से अधिक संख्या को जामिया अहमदिया में आना चाहिए।"

(18 जनवरी 2013, अलफ़ज़्ल 8 फरवरी 2013ई.)

*बंग्लादेश और सैराल्यून के जल्सा सालाना के हवाले से दुआ की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअः 8 फ़रवरी 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 1 मार्च 2013 ई.)

*क़ुर्आन मजीद की शिक्षाओं और हज़रत मसीह मौऊद

अलैहिस्सलाम के आदेशों के हवाले से दुआओं की हक़ीकत और फिलास्फ़ी तथा वर्तमान स्थितियों में विशेष तौर पर दुआओं की ख़ास तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 15 मार्च 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 5 अप्रैल 2013 ई.)

*लॉस एंजिलस अमरीका के एसाइलम सीकर और रिफ़्यूजीज़ को खाली वक्त में अहमदियत के प्रचार की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 10 मई 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 31 मई 2013 ई.)

*जिस तीव्रता से संसार में अश्लीलता फैलाई जा रही है एक अहमदी को उस से बढ़कर अपने ख़ुदा से संबंध पैदा करके अपने आप को और संसार को इस विनाश के भयानक अंजाम से बचाने की कोशिश करने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 2 अगस्त 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 23 अगस्त 2013 ई.)

*अहमदियों को विश्व को विनाश से बचाने के लिए बहुत अधिक दुआओं की तरफ़ ध्यान देने की तहरीक, हर देश में रहने वाले अहमदी, विशेष तौर पर पश्चिमी देशों में रहने वाले अहमदियों को राजनीतिज्ञों को आने वाले विनाश से होशियार करने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 13 सितम्बर 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 4 अक्टूबर 2013 ई.)

*एम.टी.ए की बरकतों से फायदा उठाने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 18 अक्टूबर 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 8 नवम्बर 2013 ई.)

*तबलीग़ के लिए नए-नए रास्ते तलाश करने, नए-नए उपाय तलाश करने और इस्लाम का अधिक से परिचय करवाने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 1 नवमीबर 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 22 नवम्बर 2013 ई.)

*हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. के वर्णित एक ख़ुत्बः जुम्अः के हवाले से सच्चाई तथा अन्य शिष्टाचार को दृढ़ता पूर्वक (मज़बूती से) अपनाने की कड़ी तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 29 नवम्बर 2013 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 20 दिसम्बर 2013 ई.)

*फ़ज़्ले उमर फ़ाउण्डेशन को अन्वारुल उलूम को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाने की कोशिशों को अधिक अच्छा करने की ताकीद

और तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 28 फरवरी 2014 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 21 मार्च 2014 ई.)

⁎शाम, पाकिस्तान और मिस्र के अहमदियों के लिए विशेष तौर पर दुआ की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 21 मार्च 2014 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 11 अप्रैल 2014 ई.)

⁎इस्लाम की सुन्दर शिक्षा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतरित होने के बारे में एक दो पृष्ठ का इश्तिहार बना कर प्रचार की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 27 मार्च 2015 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 17 अप्रैल 2015 ई.)

⁎कम से कम अब हमें चाहिए कि एक सप्ताह के क्रम से चालीस रोज़े (उपवास) रखें। अर्थात् चालीस सप्ताह तक विशेष तौर पर रोज़े रखें, दुआएं करें, नवाफ़िल अदा करें और सदक़े दें। चालीस रोज़ों, दुआओं, नवाफ़िल और दान देने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 12 फरवरी 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 4 मार्च 2016 ई.)

⁎मुबल्लग़ों को भुगोल, इतिहास, तिब्ब, वार्तालाप के शिष्टाचार, मज्लिस के आदाब, वर्तमान स्थितियों इत्यादि विद्याओं की इतनी-इतनी जानकारी रखने की तहरीक जितनी शरीफ़ लोगों की मज्लिस में शामिल होने के लिए आवश्यक है।

(ख़ुत्बा जुमअ: 26 फरवरी 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 18 मार्च 2016 ई.)

⁎संबंध बनाने के लिए ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनकी धार्मिक हालत अच्छी हो जो नमाज़ों की नियमित रूप से अदायगी करने वाले हों और पाबन्द हों। इस हवाले से रब्बवाह और क़ादियान के अहमदियों को ख़ास तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 4 मार्च 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 25 मार्च 2016 ई.)

⁎हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आप के ख़ुलफा-ए-कराम की तस्वीरों के इस्तेमाल से संबंधित आवश्यक सावधानियों को अपनाने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 18 मार्च 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 8 अप्रैल 2016 ई.)

⁕जमाअत के लोगों को विभिन्न मसअलों को जानने के लिए 'फ़िक्हुल मसीह' लेने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 22 अप्रैल 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 13 मई 2016 ई.)

⁕जमाअती निज़ाम और विशेष तौर पर ज़ैली तन्ज़ीमों (अधीनस्थ संगठनों) को सदस्यों (मेम्बर्स) को संभालने और जमाअत से दृढ़ता पूर्वक जोड़ने के लिए व्यावहारिक तौर पर कोशिश करने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 20 मई 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 18 जून 2016 ई.)

⁕ख़ुत्बा जुम्अ: को बराहे रास्त सुनने और उस से भरपूर फायदा उठाने से संबंधित कड़े निर्देश।

(ख़ुत्बा जुमअ: 1 जुलाई 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 22 जुलाई 2016 ई.)

⁕मुबल्लिग़ों और दाइयीन इलल्लाह को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकों को पढ़ने, समझने तथा उनसे ऐसे लेक्चर तैयार करने की तहरीक जिन से बड़े-बड़े प्रोफसरों और सिर्फ नाम के उलमाओं के आरोपों के जवाब दिए जाएं।

(ख़ुत्बा जुमअ: 8 जुलाई 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 29 जुलाई 2016 ई.)

⁕ज़िन्दगी वक़्फ़ करने वालों को अपनी सेहत (स्वास्थ्य) क़ायम रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम या सैर करने की तहरीक।

(ख़ुत्बा जुमअ: 22 डुलाई 2016 ई. अलफ़ज़्ल इन्टरनेशनल 12 अगस्त 2016 ई.)

पंचम ख़िलाफत में होने वाले कुछ अहम कामों का संक्षिप्त वर्णन

वसीयत के निज़ाम (व्यवस्था) की दृढ़ता-

सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह ने वसीयत के निज़ाम को जो अद्वितीय दृढ़ता प्रदान की है यह स्वंय में एक इतिहास बन गई। वसीयत के निज़ाम को 99 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2004 में सम्पूर्ण विश्व में कुल वसीयतों की संख्या केवल अड़तीस हज़ार (38000) थी। हुज़ूर अन्वर की तहरीक पर अगले केवल एक

वर्ष में लगभग बीस हज़ार (20000) अतिरिक्त वसीयतें हो गईं तथा हुज़ूर अन्वर ने इस इच्छा को व्यक्त किया कि वर्ष 2008 तक जो कि ख़िलाफ़त जुब्ली का वर्ष है। कुल चन्दा देने वालों का 50 फीसद निज़ामे वसीयत में शामिल हो जाए। अल्लाह तआला ने हुज़ूर अन्वर की इस इच्छा को भी बड़ी शान के साथ पूरा किया। जल्सा सालाना बर्तानिया 2010ई. के दूसरे दिन के सम्बोधन में हुज़ूर पुर नूर ने जहां अल्लाह तआला के असीम फ़ज़्लों (कृपाओं) और बरकतों का रूह परवर वर्णन किया वहां आप ने यह भी ऐलान किया कि:-

"वसीयत के निज़ाम में शामिल होने वालों की संख्या में ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल (कृपा) से वृद्धि हो रही है अब यह संख्या एक लाख नौ हज़ार हो चुकी है।"

पंचम ख़िलाफ़त का मुबारक दौर और وَسِّعْ مَكَانَكَ की भविष्यवाणी

अल्लाह तआला ने सय्यिदिना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को وَسِّعْ مَكَانَكَ की जो भविष्यवाणी की थी वह हर दौर में बड़ी शान-शौकत के साथ पूरी हुई और होती चली जा रही है। पंचम ख़िलाफ़त में जहां सम्पूर्ण विश्व में महान रंग में निर्माण एंव मकान को विशाल करने का सिलसिला जारी है वहां क़ादियान में भी तीव्रगति (तेज़ रफ़्तारी) के साथ मकानों का निर्माण और विस्तार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर दारूल मसीह रिनोवेशन और इसके बाद दूसरे मर्हले पर उसकी बुनियादों को दृढ़ करने के लिए Retro Fitting की गई। मस्जिद अक़्सा क़ादियान का विस्तार, मस्जिद दारूल अन्वार का नए सिरे से निर्माण और विस्तार, जामिया अहमदिया क़ादियान की इमारत सराय ताहिर, नवीन सुविधाओं से सुसज्जित नूर हस्पताल, कोठी दारूस्सलाम और मुहल्ला अहमदिया में दूसरे स्थानों पर कारकुनों के फ्लेट्स,

ग़रीबों के लिए बुयूतुलहम्द कालोनी, चार मंज़िल: फ्लेट्स के साथ ही एक और चार मंज़िल: फ्लेट्स, लंगर ख़ाना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का विस्तार, बहिश्ती मक़बरे में 'मक़ाम ज़ुहूर क़ुदरत-ए-सानिया:' पर नई यादग़ार, बहिश्ती मक़बरे की तज़ईन (सजावट), ऐवान-ए-अन्सार के साथ नवीन सुविधाओं से सुसज्जित (आरास्ता) V.I.P गेस्ट हाउस जिसका नाम सराय वसीम है, नश्र-व-इशाअत तथा एम.टी.ए की इमारत, मरकज़ी लायब्रेरी, फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, लज्ना इमाइल्लाह हाल, बाहरी देशों के गेस्ट हाउसेज़ इत्यादि। नज़ारत उमूरे-ए-आम्म: की नई बिल्डिंग का निर्माण, दस हज़ार स्कवायर फुट पर रोटी प्लान्ट का निर्माण पुराने तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल की नई बिल्डिंग तथा सहन का रिनोवेशन । इस वक्त सीनियर सेकण्डरी हाई स्कूल की इमारत निर्माण के अन्तर्गत है।

हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला क़ादियान में होने वाली तरक़्क़ियों का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं:-

"2005ई. में मेरे दौर के बाद अल्लाह तआला ने और भी तौफ़ीक़ दी कि क़ादियान में जमाअती इमारतों में विस्तार हुआ और जमाअती मर्कज़ी इमारतों के अलावा आस्ट्रेलिया, अमरीका, इण्डोनेशिया, मॉरीशस इत्यादि ने वहां अपने विशाल गेस्ट हाउसज़ बनाए, जमाअती तौर पर M.T.A की ख़ूबसूरत बिल्डिंग और दफ़्तर नश्र-व-इशाअत बन गया। पुस्तकों के स्टोर भी बनाए गए हैं, बड़े-बड़े हाल बनाए गए हैं, दो मंज़िल: नुमायश हाल बनाया गया। एक तीन मंज़िल की विशाल लायब्रेरी बनाई गई है, फ़ज़्ले उमर प्रेस का निर्माण हुआ, लज्ना हाल बना, एक तीन मंज़िल: गेस्ट हाऊस मर्कज़ी तौर पर बनाया गया, लंगर ख़ाना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का विस्तार हुआ और नए ब्लाक बने। इस प्रकार बहुत अधिक नई तामीर (नव निर्माण) और विस्तार हुआ है और सब से बढ़कर यह कि मस्जिद अक़्सा में विस्तार किया गया है जिसमें सहन से पीछे हटकर लगभग तीन मंज़िल: इमारत बनाई गई है जिसमें

लगभग पांच हज़ार नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस तरह क़ादियान में कई दूसरी मस्जिदों का निर्माण हुआ सब का विवरण (तफ़सील) तो बयान नहीं हो सकता और न बिना देखे उस विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है जो इन नवीन निर्माणों के कारण वहां क़ादियान में हो रहा है। ये कुछ निर्माण जिन का मैंने ज़िक्र किया है ये पिछले तीन-चार वर्ष की अवधि में हुए हैं। तो यह है अल्लाह तआला का वादा पूरा करना कि प्रतिदिन हम इस इल्हाम की शान देख रहे हैं और न केवल क़ादियान में बल्कि विश्व में हर जगह, यहां तक कि पाकिस्तान में भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अल्लाह तआला तौफीक़ (सामर्थ्य) दे रहा है। हमारे विरोधियों से अल्लाह तआला ने किस प्रकार से गिरफ़्त करनी है यह तो अल्लाह तआला बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन जहां तक उसके وَسِّعْ مَكَانَكَ का प्रश्न है अल्लाह तआला प्रतिदिन हमें एक शान से उसे पूरा होता दिखा रहा है.............

फ़रमाया: यह मस्जिद जो बैतुलफ़ुतूह है यह भी उसी की एक कड़ी है.......... इसी प्रकार U.K में और मस्जिदें बन रही हैं। तो यह सब وَسِّعْ مَكَانَكَ के दृश्य (नज़ारे) हैं।"

(ख़ुत्बा जुम्अः 12 जून 2009ई.)

वर्ष 2005 ई. में अल्लाह तआला ने जमाअत को पंचम ख़िलाफ़त के मुबारक दौर में लन्दन से ग्यारह मील की दूरी पर 208 एकड़ भूमि खरीदने की तौफ़ीक़ दी जिसका नाम हुज़ूर अन्वर ने 'हदीक़तुल महदी' रखा। जमाअत अहमदिया यू.के. का जल्सा सालाना यहां पर आयोजित होता है। जमाअत अहमदिया घाना ने अक़रह से साठ किलोमीटर की दूरी पर वैनीबा शहर के क़रीब 460 एकड़ भूमि खरीदी जिसका नाम हुज़ूर अन्वर ने "बाग़-ए-अहमद" रखा। इसी प्रकार जमाअत अहमदिया कनाडा ने जल्सागाह के लिए कस्बा ब्रैड फोर्ड में 250 एकड़ भूमि खरीदी जिसका नाम हुज़ूर अन्वर ने "हदीक़ा-अहमद" रखा।

पंचम ख़िलाफ़त, एम.टी.ए की उन्नति और उसके मधुर फल

मुस्लिम टेलीवीज़न अहमदिया इन्टरनेशनल की दिलचस्प और ईमान में वृद्धि करने वाली सफ़र की दास्तान में एक नए संगेमील की वृद्धि उस समय हुई जब सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने 1 अगस्त 2016 ई. को मुस्लिम टेलीवीज़न अहमदिया इण्टरनेशनल अफ्रीका का मुबारक प्रारम्भ किया। लन्दन के समय अनुसार ठीक चार बजे सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह मस्जिद फ़ज़्ल लन्दन के M.T.A International के ट्रान्समीशन आफ़िस में आए। हुज़ूर अन्वर ने एक बटन दबा कर "एम.टी.ए इण्टरनेशनल अफ्रीक़ा" का प्रारंभ किया। हुज़ूर अन्वर ने चैनल पर प्रसारित होने वाला संक्षिप्त प्रोग्राम देखा और दुआ करवाई । यह कारवाई M.T.A International पर लाइव प्रसारित हुई जिसे सम्पूर्ण विश्व के अहमदियों ने देखा और हुज़ूर के साथ दुआ में शामिल हुए।

सय्यिदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला ने 13 अगस्त को जल्सा सालाना यू.के 2016 के दूसरे दिन जमाअत की तरक़्क़ियों पर आधारित भाषण में एम.टी.ए अफ्रीक़ा इण्टरनेशनल का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया:-

"एम.टी.ए. अफ्रीका भी शुरू हुआ है। 1 अगस्त 2016 को इसका प्रारंभ हुआ जो वहां की सर्वाधिक मान्य सेटलाइट के माध्यम से चौबीस घण्टे अपना प्रसारण प्रस्तुत करेगा। इस चैनल पर अफ्रीक़ा की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट (ख़ुसूसी) प्रोग्राम का सिलसिला भी आरंभ हो गया है। इस चैनल पर असल ऑडियो के साथ एक ही समय में चार भाषाओं के अनुवाद प्रसारित करने का प्रबंध मौजूद है। मॉरीशस में एम.टी.ए अफ्रीक़ा का पहला स्टूडियो पूर्ण हो चुका है।

काम का प्रारंभ हो चुका है। घाना में वहाब आदम स्टूडियो भी अपने पूर्ण होने के मर्हलों (चरणों) में है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण रखे गए हैं। इसकी गणना घाना के अति उत्तम स्टूडियोज़ में होगी। फिर घाना, नाइजेरिया, सैराल्यून तन्ज़ानिय: और युगेण्डा में नियमित रूप से M.T.A की टीम बन चुकी है। एम.टी.ए घाना की टीम ने आठ सीरीज़, कुल अड़सठ प्रोग्राम रिकार्ड किए हैं जो नेशनल टी.वी, जी.टी.वी, साइन प्लस पर प्रसारित हो चुके हैं। इसी प्रकार जलसा सालाना, अधीनस्थ संगठनों (ज़ैली तन्ज़ीमों) के इज्तिमाअ तथा विभिन्न प्रोग्राम्ज़ वहां दिखाए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्ज़ के नतीजे में बहुत अच्छी प्रक्रिया देखने में मिल रही है। एक साहिब जो मुसलमान हैं घाना के वेस्टर्न रीजन से लिखते हैं कि मैं आप की जमाअत का प्रोग्राम बहुत शौक़ से देख रहा हूं। मेरे नज़दीक इस्लाम में केवल जमाअत अहमदिया ही एकमात्र फ़िर्क़ा है जो इस्लाम की वास्तविक शिक्षा पर चल रहा है। मैंने और भी कई फ़िर्कों के प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन जो शिक्षाएं आप प्रस्तुत करते हैं वही वास्तविक इस्लामी शिक्षाएं हैं। इन्शा अल्लाह मैं भी आप की जमाअत में शामिल हो जाऊंगा। "

इस से पहले M.T.A के तीन चैनल सम्पूर्ण विश्व में अहमदियत अर्थात् वास्तविक इस्लाम के प्रचार एंव प्रसार का काम कर रहे थे। M.T.A International अफ़्रीक़ा के संचालन के साथ अब उनकी संख्या चार हो गई है। (1) M.T.A प्रथम (अलऊला) जिसके द्वारा यूरोप के अतिरिक्त शेष विषय में तब्लीग़ (प्रचार) का काम हो रहा है (अफ़्रीका के लोग पहले M.T.A अलऊला के प्रसारणों से लाभ प्राप्त करते थे)।

(2)M.T.A द्वितीय (अस्सानिय:) जिस के द्वारा यूरोप में प्रचार का काम हो रहा है।

(3)M.T.A. 3 अल अरबिय्य: जिस के द्वारा अरब देशों में प्रचार का कार्य हो रहा है।

(4) और अब वर्ष 2016 में चौथा चैनल M.T.A. International

Africa का मुबारक आरम्भ हुआ है। जिसके माध्यम से विशेष तौर पर अफ्रीका में प्रचार एंव प्रकाशन का काम प्रारंभ हो चुका है।

पंचम ख़िलाफत और मस्जिदों का निर्माण

इस्लाम धर्म में मस्जिद का एक विशेष महत्तव है। यह ख़ुदा का घर कहलाता है। जहां दिन में कम से कम पांच बार एक एंव अद्वितीय ख़ुदा की इबादत की जाती है। मस्जिदें जहां जमाअत के लोगों की शिक्षा-दीक्षा का एक अहम माध्यम है, वहां गैरों में प्रचार और सच को स्वीकार करने का भी माध्यम बनती हैं। हुज़ूर अन्वर यूरोप के शहर-शहर और गांव-गांव में ख़ुदा का घर बनाना चाहते हैं।

हुज़ूर अय्यदहुल्लाह तआला ने अपने बेल्जियम के 2009 ई. के दौरे के हवाले से ख़ुत्बा जुम्अः 21 अगस्त 2009ई. को आदेश दिया कि:-

"मैंने वहां की जमाअत को यह निर्देश दिया है कि बरसेल्ज़ शहर में मस्जिद के लिए जगह तलाश करें ताकि हम बेल्जियम में शीघ्र ही मस्जिद का निर्माण कर सकें। इन्शा अल्लाह। और आशा है इन्शा अल्लाह तआला शीघ्र वहां मस्जिद का निर्माण करने की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। हुज़ूर अन्वर ने फ़रमाया:

"अल्लाह तआला मेरी इस इच्छा को भी पूरा करे कि जो पहला Phase है उसमें हम यूरोप के प्रत्येक देश में जहां मस्जिदें नहीं हैं अगले पांच-छः वर्षों में कम से कम एक मस्जिद बना लें। फिर इन्शा अल्लाह जब एक मस्जिद बन जाएगी तो उनमें वृद्धि भी होती चली जाएगी।"

(ख़ुत्ब जुम्अः 21 अगस्त 2009 ई.)

हुज़ूर अन्वर अपने 27 अप्रैल 2012 ई. के ख़ुत्बा जुम्अः में फ़रमाते हैं:-

"यूरोप के विभिन्न देशों में पिछले सात-आठ वर्ष में 44 मस्जिदों की वृद्धि हुई है। 2003ई. में जब मस्जिद बैतुल फ़ुतूह का उद्घाटन

हुआ है तो इस से पहले नियमित रूप से सिर्फ एक मस्जिद 'मस्जिद फ़ज़्ल्' थी । इसके बाद अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से जमाअत यू.के. को 14 नई मस्जिदें बनाने की तौफ़ीक़ मिली है।"

(ख़त्बा जुम्अ: 27 अप्रैल 2012, अलफज़्ल इण्टरनेशनल 8 मई 2012 ई.)

अल्लाह तआला के फ़ज़्ल-व-करम से सम्पूर्ण विश्व में प्रति वर्ष सेकड़ों मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। केवल पंचम ख़िलाफ़त के मुबारक दौर में 2003 से लेकर अब तक 3000 से अधिक मस्जिदों की वृद्धि हो चुकी है।

जमाअत अहमदिया की मस्जिदों का उद्देश्य वर्णन करते हुए हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं:-

"हमारी मस्जिदों का उस प्रकाश को अपने दिलों में कायम करने और उसे विश्व में फैलाने के लिए निर्माण किया जाता है जो ख़ुदा तआला का प्रकाश है चाहे उसकी पहचान के लिए जो भी नाम रख दिया जाए परन्तु उसका उद्देश्य यही है कि जो प्राकश अल्लाह तआला ने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ुर्आन के माध्यम से हम पर उतारा और फिर उसका वास्तविक प्रतिबिम्ब इस युग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बनाया। यह प्रकाश चारों ओर फैलता जाए। हमारी मस्जिदों का यही उद्देश्य है।"

(ख़ुत्ब जुम्अ: 18 दिसम्बर 2009ई.)

हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह के कुछ अत्यन्त अहम भाषण

.22 अक्टूबर 2008 को हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह ने ब्रिटिश पार्लियमेण्ट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया।

.30 मई 2012ई. को आप ने कोबलिन्ज़ स्थान में मिलिट्री हेडक्वाटर जर्मनी में भाषण दिया।

.27 जून 2012 को आपने केपीटल हिल वाशिंगटन डी.सी में भाषण दिया।

.4 दिसम्बर 2012 को आप ने बरसेल्ज़ बेल्जियम में युरोपियन

पार्लियामेण्ट के सदस्यों और अन्य बुद्धिमान लोगों के सामने भाषण दिया, जिस में 30 देशों के सदस्य शामिल थे।

.6 अक्टूबर 2015 को आप ने हालेण्ड की नेशनल पार्लियामेण्ट में भाषण दिया।

अमन कान्फ्रेन्स

प्रति वर्ष जमाअत अहमदिया बर्तानिया की तरफ़ से ताहिर हाल बैतुल फ़ुतूह लन्दन में अमन कान्फ्रेन्स आयोजित होती है। इन कान्फ्रेन्सिज़ में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले पुरूष, स्त्रियाँ और पार्लियामेण्ट के विभिन्न सदस्य, लन्दन शहर के मेयर सरकारी मंत्री, विभिन्न देशों के राजदूत और समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले मेहमान जमाअत अहमदिया के निमंत्रण पर आते हैं और शान्ति की स्थापना के लिए जमाअत अहमदिया के प्रयासों पर सराहना प्रस्तुत करते हैं। इन कान्फ्रेन्सिज़ का मर्कज़ी बिन्दु सय्यिदिना हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह का भाषण होता है, जिस में आप इस्लामी शिक्षा तथा विश्व की परिस्थितियों के विश्लेषण (तजज़िय:) की रोशनी में विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए लाभप्रद मश्वरे देते हैं।

पहली अमन कान्फ्रेन्स 9 मई 2004 ई. को मस्जिद बैतुल फ़ुतूह लन्दन में आयोजित हुई। इसके बाद से प्रतिवर्ष नियमित रूप से कान्फ्रेन्स का आयोजन होता है।

अहमदिया अमन अवार्ड

पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक शान्ति और ख़िदमत-ए-इन्सानियत को प्रशंसा-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मैदान में काम करने वाले योग्यतम व्यक्ति या विभाग को जमाअत अहमदिया की ओर से "अहमदिया अमन अवार्ड' दिया जा रहा है। दस हज़ार पाउण्ड की राशी पर अधारित यह अवार्ड सय्यिदिना हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह अमन कान्फ्रेन्स के मौक़े पर स्वयं अपने मुबारक हाथ से प्रदान करते हैं।

विभिन्न अहम व्यक्तियों के नाम पत्र

हुज़ूर अन्वर अय्यद हुल्लाह के दौरे ख़िलाफ़त की एक बहुत अहम बात यह है कि आप पिछले कई वर्षों से विश्व-शान्ति स्थापित करने की निरन्तर कोशिश कर रहे हैं। अत: ऊपर हुज़ूर के जिन अहम भाषणों का ज़िक्र किया गया है वे समस्त भाषण विश्व-शान्ति की स्थापना के बारे में हैं। इसके अतिरिक्त लन्दन में प्रति वर्ष होने वाली अमन कान्फ्रेन्सिज़ में आप विश्व शान्ति की स्थापना के बारे में भाषण दे चुके हैं। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में अपने दौरों के बीच भी आप विश्व को निरन्तर इस ओर ध्यान दिला रहे हैं। इसी वर्ष 9 अक्टूबर 2016 ई. को कनाडा में होने वाले जल्सा सालाना का समापन (इख़्तितामी) भाषण विश्व-शान्ति स्थापना के बारे में था। आप ने इस सिलसिले में निम्नलिखित व्यक्तित्वों को पत्र भी लिखे। जिनके नाम ये हैं:-

(1)प्राइम मिनिस्टर इस्राईल मिस्टर बेन्जामिन नितिन याहू

(2)सदर इस्लामी जम्हूरिय: ईरान मुहम्म्द अहमदी नज़ाद

(3)सदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका मिस्टर बराक उबामा

(4)कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्टीफन हार्पर

(5)सऊदी अरब के बादशाह मिस्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सऊद

(6)चीन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एन जिया बाऊ

(7)बर्तानिया के प्रधान मंत्री मिस्टर डेविड केमरून

(8)जर्मनी की चांसलर मुहतरमा एन्जिला मारकल

(9)प्रेज़ीडेण्ट ऑफ फ्रेन्च रिपब्लिक

(10)महारानी एल्ज़ाविथ II बर्तानिया

(11)ईरान के मज़हबी रहनुमा मिस्टर आयतुल्लाह ख़मीनी

हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला के विश्व के दौरे

सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला ने मस्नदे ख़िलाफ़त का भारी दायित्व संभालने के बाद बहुत ही असाधारण तौर पर बड़ी ही शीघ्रता और तीव्रता के साथ बाहरी देशों का सफर किया और निरन्तर करते चले जा रहे हैं।

हुज़ूर जहां भी जाते हैं व्यक्तिगत मुलाक़ात का मौक़ा देते हैं। सामूहिक मुलाकात का मौक़ा देते हैं, फेमिली मुलाक़ात का मौक़ा देते हैं और प्रत्येक को ख़िलाफत का आसक्त (शैदाई) और जान देने वाला बना देते हैं, प्रत्येक की दुनिया बदल कर रख देते हैं रूहानी परिवर्तन के लिए एक नया जोश और उमंग पैदा कर देते हैं। जमाअत के कामों में एक ख़ास वलवला और तेज़ी पैदा कर देते हैं। पांचवीं ख़िलाफ़त की बरकतों में से यह एक विशेष बरकत है जिससे अहमदियत का संसार अपनी झोली भर रहा है।

इसके अतिरिक्त हुज़ूर जिस देश में भी जाते हैं पूरे देश में इसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। सरकार के लोग और सरकार के शासकों से मुलाक़ात होती है। हुज़ूर उन्हें इस्लाम की शान्तिप्रिय शिक्षा से अवगत (आगाह) कराते हैं जिसका उन पर एक अच्छा असर होता है। जमाअत के कामों में जो रूकावटें होती हैं वे दूर हो जाती हैं ग़ैर भी हुज़ूर के दर्शन करके फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग बैअत भी करते हैं और जमाअत में शामिल हो जाते हैं। हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला ने अपने ख़िलाफ़त-काल में निम्नलिखित देशों का दौरा किया। जिनमें से बहुत से देशों का कई बार दौरा कर चुके हैं:-

(1)जर्मनी	(2)हालैण्ड	(3)फ्रान्स
(4)घाना	(5)बुर्कीनाफासो	(6)बेनिन
(7)नाइजेरिया	(8)कनाडा	(9)स्विटज़रलैण्ड
(10)बेल्जियम	(11)स्पेन	(12)नैरोबी
(13)कीनिया	(14)तंज़ानिया	(15)यूगन्डा

(16)डेन्मार्क	(17)स्वीडन	(18)नार्वे
(19)मॉरीशस	(20)भारत	(21)सिंगापुर
(22)आस्ट्रेलिया	(23)फ़िजी	(24)न्यूज़ीलैण्ड
(25)जापान	(26)यू.एस.ए.	(27)इटली

ख़िलाफ़त अहमदिया सौ साला जोबली (शताबदी समारोह)

सय्यदिना हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के ख़लीफा बनने के 5 वर्ष बाद ख़िलाफत अहमिदया के क़याम को सौ साल पूरे होने पर ख़िलाफत अहिमदिया सौ-साला जोबली मनाई गई जिसमें बहुत से इल्मी व रूहानी प्रोग्राम हुए और हुज़ूर ने 27 मई 2008 ई. को लन्दन में ख़िताब (भाषण) फ़रमाया जो एक साथ क़ादियान, रब्वाह और लन्दन से प्रसारित हुआ। इस अवसर पर आपने ख़िलाफत अहमदिया के महान मुक़ाम व मर्तबा पर प्रकाश डाला और सारी दुनिया के लोगों को इससे जुड़ने की ओर तवज्जो दिलाई। इस अवसर पर हुज़ूर ने एक अहद भी दोहराया जो सारी दुनिया के अहमदियों ने आपके साथ खड़े होकर दोहराया। अल्ला तआला हुज़ूर अन्वर को स्वास्थ्ययुक्त लम्बी आयु प्रदान करे और प्रति क्षण आपकी सेहत व आयु में बरकत दे और आपके बाबरकत ख़िलाफ़त काल में इस्लाम अहमदियत को महान सफलताएं प्रदान करे ,आमीन।

***

*

छठा अध्याय

छठा अध्याय

जमाअत अहमदिया की व्यवस्था

याद रखना चाहिए कि सारी व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी ख़लीफ़ा-ए-वक़्त (वर्तमान ख़लीफ़ा) है और विश्वव्यापी जमाअत की शाखाएं गाँव शहरों से निकल कर ज़िलों, सूबों और देशों में फैली हुई हैं जो सब तसबीह के दानों की तरह एक मज़बूत और क्रमबद्ध धागे में बंधी हैं। जिस स्थान पर भी तीन या तीन से अधिक व्यक्ति जमाअत अहमदिया से सम्बन्ध रखते हों वहाँ नियमानुसार जमाअत स्थापित की जाती है और परिस्थिति के अनुसार मनोनयन या निर्वाचन के द्वारा वहाँ एक सदर (अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है। बड़ी जमाअतों में अमारत की व्यवस्था क़ायम है। इस प्रकार हर स्थानीय जमाअत का सदर या अमीर वहां का उच्च पदाधिकारी होता है।

फिर हर ज़िले या सूबे की जमाअतों का अमीर नियुक्त किया जाता है फिर उससे ऊपर सारे देश का एक नैशनल अमीर होता है। इसके अतिरिक्त जमाअती व्यवस्था के विभिन्न विभाग क़ायम हैं और इसके निरीक्षक सैक्रेटरी कहलाते हैं। जैसे सैक्रेटरी माल, सैक्रेटरी तालीम, सैक्रेटरी जायदाद, सैक्रेटरी अतिथि-सत्कार आदि। ये सभी पदाधिकारी चुनाव के द्वारा या कुछ परिस्थितियों में मनोनीत होकर केवल सेवा के तौर पर निष्ठा और समर्पण के साथ जमाअत की सेवा करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं।

इन स्थानीय, जनपदों और प्रान्तीय और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त वर्तमान ख़लीफ़ा के निरीक्षण में निम्नलिखित महत्पूर्ण संगठन कार्य करते हैं।

मज्लिसे शूरा या मज्लिसे मुशावरत

यह दो प्रकार की होती है एक तो अंतर्राष्ट्रीय (इंटरनैशनल) शूरा

जो ख़लीफ़-ए-वक़्त की उपस्थिति में आयोजित होती है। जिसमें सारे संसार की जमाअतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरे राष्ट्रीय शूरा (परामर्श) होती है जिसमें उस देश की कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त सारी जमाअतों के अमीर, अध्यक्ष और जमाअतों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होकर महत्वपूर्ण जमाअती मशवरे करते हैं और अपने परामर्श ख़लीफ़ा-ए-वक़्त के सामने मार्गदर्शन और मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत करते हैं।

इस संदर्भ में यह बात याद रखने वाली है कि नैशनल शूरा हो या इंटरनेशनल शूरा हो उसके प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य होता है कि सब के परामर्श पर विचार विमर्श करने के बाद अपने विचार ख़लीफ़ा-ए-वक़्त की सेवा में प्रस्तुत करें। अंतिम निर्णय ख़लीफ़-ए-वक़्त का होता है। चाहे वे शूरा की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकृत कर दें या संशोधन के साथ स्वीकृति दें या उन सिफारिशों को बिल्कुल अस्वीकृत करके उसकी हानियों के बारे में मार्गदर्शन करते हुए नये निर्देश जारी करें। जो भी निर्णय खलीफए वक़्त दे जमाअत उसको सद्भावना के साथ मानती हैं क्योंकि जमाअत इस आस्था और विश्वास पर क़ायम है कि ख़लीफ़ा-ए-वक़्त दुआ और विचार करने के बाद अल्लाह के मार्गदर्शन से निर्णय देते हैं। जमाअत अनेकों बार यह अनुभव कर चुकी है कि अल्लाह ख़लीफ़ा-ए-वक़्त के निर्णयों में बरकत देता है।

सदर अन्जुमन अहमदिया

यह जमाअत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है जिसकी स्थापना जमाअत अहमदिया के संस्थापक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में ही की थी। जमाअत के अनिवार्य चन्दों का प्रबन्ध और सभी प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रचार और जन सेवा संबन्धी कार्यों का निरीक्षण इस अन्जुमन का दायित्व है। सारे स्थानीय, जनपद संबंधी और प्रान्तीय अमारत की व्यवस्था इस अंजुमन की निगरानी में चलती है। इस अंजुमन के अधीन कई विभाग हैं और हर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नाज़िर (सेक्रेटरी) कहलाता है। जैसे - नाज़िर तालीम,

नाज़िर इस्लाह व इर्शाद, नाज़िर नश्रो इशाअत (प्रचार व प्रकाशन), नाज़िर बैतुल माल आमद व खर्च, नाज़िर अमूरे आमा (जनसम्पर्क) आदि और पूरी अन्जुमन का निरीक्षक ''नाज़िर आला'' (चीफ़ सेक्रेटरी) कहलाता है।

तहरीक जदीद अन्जुमन अहमदिया

जमाअत अहमदिया के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब(रज़ि०) ने 1934 ई. में विदेशों में इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए एक नया आन्दोलन जारी किया था। इस आन्दोलन के चंदे से जमा होने वाले धन से जीवन समर्पित करने वालों आदि के प्रबन्ध और विदेशों में प्रचार की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए अन्जुमन तहरीक जदीद स्थापित की गई है। इस तहरीक के नीचे भी विभिन्न विभाग स्थापित हैं। हर विभाग के प्रबन्धक को 'वकील' कहा जाता है जैसे - वकील-ए-तालीम, वकील-ए-तबशीर, वकीले माल आदि और इस अन्जुमन के निरीक्षक को वकीले आला कहा जाता है।

अन्जुमन अहमदिया वक़्फ़े जदीद

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ियल्लहो अन्हो ने देश की आन्तरिक देहाती जमाअतों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु 1957 ई. में वक़्फ़े जदीद के नाम से एक योजना तैयार की थी। इस तहरीक से जमा होने वाले चन्दे का प्रबन्ध तथा शिक्षा और तरबियत के लिए नियुक्त किए गये शिक्षक के निरीक्षण और व्यवस्थापन इत्यादि के लिए एक अलग संस्था ''वक़्फ़े जदीद अन्जुमन अहमदिया'' स्थापित की गई। इस संस्था के अधीन विभिन्न विभाग स्थापित हैं और हर विभाग के इंचार्ज को नाज़िम कहा जाता है।

जमाअत अहमदिया और आर्थिक क़ुर्बानी

अलक़ुरआन :-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

(तौब: 111)

अनुवाद :- अल्लाह ने मोमिनों से उनके प्राणों और मालों को (इस वादे के साथ) ख़रीद लिया है कि उनको स्वर्ग मिलेगा।

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

(अल-बक़र: 3)

अनुवाद :- वे (मुत्तक़ी) नमाज़ को क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं।

अलहदीस :- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया यदि मेरे पास उहद पर्वत जितना सोना होता तो तीन दिन से अधिक अपने पास न रखता। (बुख़ारी किताबे ज़कात, हदीस नं. 1315)

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के धन के भेंट करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने पर आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पूछने पर हज़रत अबू बकर(रज़ि॰) ने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर पर छोड़ आया हूँ।

हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास(रज़ि॰) और हज़रत सईद बिन मालिक(रज़ि॰) ने पूरे ज़ोर के साथ आग्रह करके 1/3 भाग की क़ुर्बानी (दान) की आज्ञा माँगी।

(बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब अलवसीयत बिस्सुलुस, जिल्द प्रथम, पृ. 383)

हज़रत अबू तल्हा(रज़ि॰) ने आयत :-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط

(लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून) के उतरने पर 'बेरूहा' बाग़ वक़्फ़ (दान) कर दिया। (बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब-लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून)

इस युग में जमाअत अहमदिया सहाबा(रज़ि॰) के पद्धति पर आर्थिक क़ुर्बानी कर रही है। मुबारक हो जमाअत अहमदिया को जिसमें यह व्यवस्था जारी है और ख़िलाफ़त के निज़ाम के अधीन जमाअत अहमदिया में एक अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की बैतुलमाल व्यवस्था स्थापित है

जिसमें प्रचार-प्रसार और जन सेवा के लिए धन जमा होता है। जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

चन्दा आम (सामान्य)

ईश्वरीय संस्थाओं की तरह जमाअत अहमदिया में भी धन दान स्वरूप देने की व्यवस्था जारी है। जमाअत अहमदिया के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम ने अपने समय में ही आर्थिक कुर्बानी की तहरीक की थी जिसको ''चन्दा आम'' (सामान्य) का नाम दिया गया। इसकी दर उस समय चन्दा देने वाले की इच्छा पर निर्भर थी परन्तु उसके पश्चात सय्यदिना हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. ने इसकी दर 1/16 निर्धारित की जो प्रत्येक कमाने वाले पर अनिवार्य है।

चन्दा वसीयत :- 1905 ई. में जब हज़रत मसीह मौऊद को अल्लाह तआला ने मृत्यु के निकट आने की ख़बर दी तो आपने एक पुस्तक ''अलवसियत'' लिखी। जिसमें आपने बहिश्ती मक़बरह (क़ब्रिस्तान) के लिए अपनी ज़मीन का टुकड़ा समर्पित किया और अधिक आवश्यकताओं के लिए कुछ रुपयों की मांग भी की। इसका वर्णन करते हुए आप इसी पत्रिका अलवसीयत में फ़रमाते हैं :-

''इसलिये मैंने अपनी सम्पत्ति की भूमि जो हमारे बाग़ के निकट है जिसका मूल्य हज़ार रुपए से कम नहीं इस कार्य हेतु प्रस्तावित की और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इसमें बरकत दे और इसी को बहिश्ती मक़बरा बना दे और यह इस जमाअत के पवित्र दिल व्यक्तियों का विश्राम स्थान हो जिन्होंने वास्तव में धर्म को संसार पर प्रधानता दी और संसार के मोह को छोड़ दिया और ईश्वर के लिए हो गए और अपने अन्दर पवित्र परिवर्तन पैदा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा (साथियों) के अनुरूप वफ़ादारी और सत्य का नमूना दिखाया। (आमीन हे रब्बुल आलमीन!)

फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे सर्वशक्तिमान खुदा! इस भूमि को मेरी जमाअत में उन पवित्र हृदय वालों की क़ब्रें बना जो तेरे हो चुके

हैं और संसार का मोह-माया उनके जीवन में नहीं। (आमीन हे रब्बुल आलमीन)

फिर तीसरी बार प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे सर्वशक्तिमान, कृपा करने वाले और हे क्षमा प्रदान करने वाले तथा कृपा करने वाले ख़ुदा! तू केवल उन व्यक्तियों को इस स्थान पर क़ब्रों का स्थान दे जो तेरे इस भेजे हुए पर सच्चा विश्वास रखते हैं और कोई ढोंग, स्वार्थ और बुरे विचार अपने अन्दर नहीं रखते और यथोचित ईमान और आज्ञाकारिता के कर्तव्य को पूरा करते हैं और तेरे लिए और तेरे रास्ते में हार्दिक तौर पर अपने प्राण समर्पित कर चुके हैं, जिनसे तू प्रसन्न है और जिनको तू जानता है कि वे पूर्ण रूप से तेरे प्रेम में खोए गए और तेरे भेजे हुए से वफादारी और पूर्ण सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रेम और जीवन समर्पण का सम्बन्ध रखते हैं आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह तआला ने इल्हामन इस मक़बरा के बारे में फ़रमाया اُنْزِلَ فِيْهَا كُلُّ رَحْمَةٍ अर्थात ''हर प्रकार की कृपा इस कब्रिस्तान में उतारी गई है।''

(रिसाला अलवसीयत रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20, पृ. 318)

और इसमें दफ़्न होने वाले के लिए शर्तों का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं :-

''तीसरी शर्त यह है कि इसमें दफ़्न होने वाला मुत्तक़ी (संयमी) और मुहर्रमात (अवैध) से बचने वाला हो और कोई शिर्क (अनेकेश्वरवाद) और बिदअत न करता हो। सच्चा और साफ मुसलमान हो।

(रिसाला अलवसीयत, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, पृ. 320)

फिर फ़रमाते हैं :-

याद रहे कि केवल यह पर्याप्त नहीं होगा कि चल अचल जायदाद का दसवाँ हिस्सा (भाग) दिया जाए बल्कि आवश्यक होगा कि ऐसा वसीयत करने वाला जहाँ तक उससे संभव हो इस्लाम ने जिन बातों का आदेश दिया है उन का पाबन्द हो और संयम और पवित्रता के कार्य करने का प्रयत्न करने वाला हो मुसलमान ख़ुदा को एक जानने वाला हो और उसके रसूल पर सच्चा इमान लाने वाला हो तथा लोगों के

अधिकार का हनन करने वाला न हो।''

(रिसाला अलवसीयत, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20 पृ. 324)

इन शर्तों में एक शर्त यह है कि वह 1/10 से 1/3 तक अपनी आय और जायदाद से अहमदियत को दे जिसे चन्दा वसीयत कहते हैं। चन्दा देने वाले पुरुष को मूसी और स्त्री को मूसिया कहा जाता है। जो व्यक्ति यह चन्दा देता है उस पर ''चन्दा आम'' ज़रूरी नहीं।

चन्दा जल्सा सालाना

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1891 ई. में ख़ुदा तआला से निर्देश पाकर जल्सा सालाना की नींव रखी। क़ादियान के केन्द्रीय जलसे के अतिरिक्त अब यह जलसा सालना 70 से अधिक देशों में हर साल होता है। इसके लिए चन्दा की अपील स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाई जो अब तक जारी है जिसकी दर मासिक आय का दसवां हिस्सा साल भर में देना है।

चन्दा तहरीक जदीद

1934 ई. में इसकी नीव सय्यदिना हज़रत मुस्लिह मौऊद ख़लीफ़तुल मसीह सानी ने रखी थी। इसके द्वारा सारे संसार में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को ऊँचा करना उद्देश्य है। आज जमाअत अहमदिया इस मुबारक तहरीक के आधार पर अबतक 209 देशों में फैल चुकी है। हर अहमदी का इस तहरीक में चन्दा देना आवश्यक है जो कम से कम 24 रुपये वार्षिक है। मेयारी चन्दा के लिए आय का पाँचवाँ भाग वार्षिक देना होता है। चन्दा देने वालों के आधार पर इस तहरीक को चार दफ़्तरों (भागों) में बाँटा गया है। चौथे दफ़्तर की शुरूआत चौथे ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ने 1985 ई. में फ़रमाई। इसमें विशेष चन्दा देने वालों को मुआवनीने ख़सूसी कहा जाता है जो निम्नलिखित हैं :-

मुआवनीन ख़सूसी (विशेष सहायक) सफे अव्वल (प्रथम वर्ग) 1000/- रुपये। विशेष सहायक दूसरा वर्ग 500/- रुपये।

चन्दा वक़्फ़ जदीद

हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो ने 1957 ई. में देश के अन्दर लोगों को ईसाइयों के आक्रमण से बचाने और देहाती जमाअतों शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इस तहरीक की घोषणा की। 1985 ई. में चौथे ख़लीफ़ा जो इस मुबारक तहरीक के प्रथम सदस्य नियुक्त हुए थे इस तहरीक को सारे संसार के लिए विस्तृत कर दिया। इस तहरीक का महत्वपूर्ण विभाग दफ़्तर अत्फाल है जिसमें जमाअत अहमदिया के बच्चे और बच्चियाँ चन्दा देते हैं जो कम से कम 12 रुपये वार्षिक है। एक सौ रुपये देने वाला बच्चा नन्हा मुजाहिद कहलाता है जबकि 15 वर्ष से ऊपर के लोग कम से कम दर 24 रुपये देते हैं और 1000 और 500 रुपये देने वाले क्रमशः मुजाहिद सफे अव्वल और मुजाहिद सफे दोम कहलाते हैं।

ज़कात (दान)

ज़कात अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने का वह भाग है जो हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिस पर ज़क़ात अनिवार्य हो। इसके महत्व का अन्दाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ज़कात को इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक स्तंभ कहा है।

चन्दा आम अलग है और ज़कात अलग

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी फ़रमाते हैं :-

''तीसरी वस्तु चन्दा है जो धर्म के जिहाद के लिए होता है। यह जिहाद चाहे तलवार से हो चाहे क़लम और पुस्तकों से। यह भी आवश्यक है क्योंकि ज़कात और दान तो ग़रीबों को दिया जाता है। इससे पुस्तकें नहीं छापी जा सकतीं और न प्रचार करने वालों को दिया जा सकता है।''

(मलाइकतुल्लाह, पृ. 62, भाषण जलसा सालाना 27 दिसम्बर 1920)

ज़कात का माप दण्ड 52.5 तोले चाँदी या उसके बराबर नक़द और

ज़ेवर है जिसका चालीसवां भाग देना होता है। एक वर्ष तक पड़ी रक़म पर ज़कात देना अनिवार्य है। उस ज़ेवर पर भी इसका माप दण्ड लागू होगा जो एक वर्ष तक पहना न जाए या ज़कात की अदायगी के डर से एक बार पहने। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने दो स्त्रियों को जो आपकी सेवा में कड़ों (चूड़ियों) के साथ उपस्थित हुईं चेतावनी देते हुए फ़रमाया ''यदि ज़कात न दी तो ख़ुदा क़यामत (प्रलय) के दिन इसके बदले आग के कड़े पहनाएगा।''

(अबू दाऊद किताबुज़्ज़कात बाबुल कन्ज़ मा हुवा व ज़कातुल हुल्या)

हज़रत मसीह मौऊद(अ०) फ़रमाते हैं :-

''प्रत्येक जो ज़कात के योग्य है वह ज़कात दे।''

(किश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, पृ. 15)

ज़ैली तन्ज़ीमें

सय्यदिना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ख़लीफ़तुल मसीह सानी(रज़ि०) ने प्रशिक्षण के उद्देश्य से जमाअत के पुरुषों व स्त्रियों को निम्न संगठनों में बाँटा है। इन संगठनों के संबंध में यह बात नोट करने के योग्य है कि ये केवल धार्मिक व्यवस्थाएँ हैं जिनका राजनीत से कोई संबंध नहीं। ये व्यवस्थाएँ विभिन्न वर्ग से संबन्धित पुरुष और स्त्रियों के प्रशिक्षण और शिक्षा के ज़िम्मेदार हैं और उनकी नैतिक, धार्मिक, आत्मिक, बौद्धिक योग्यताओं को उजागर करती रहती हैं। जमाअत अहमदिया के हर व्यक्ति का अपनी आयु के अनुसार इन व्यवस्थाओं में शामिल होना आवश्यक है।

लज्ना इमाउल्लाह

यह अहमदी स्त्रियों की रूहानी तन्ज़ीम (आत्मिक व्यवस्था) है। यह 1922 ई. में स्थापित की गई। 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली हर अहमदी महिला इसकी सदस्य है। 8 से 15 वर्ष तक की लड़कियाँ नासिरातुल अहमदिया की सदस्य होंगी जो कि लजना इमाउल्लाह संगठन की ही एक शाख़ है। जहाँ तीन स्त्रियाँ हों वहाँ यह संगठन स्थापित किया जाता है।

अपने अपने स्थानों पर स्त्रियाँ विभिन्न धार्मिक रूहानी विभागों में जैसे ख़िदमते ख़ल्क़ (जन सेवा), तब्लीग़ (प्रचार), शिक्षा और प्रशिक्षण के अधीन कार्य करती हैं।

इस संगठन का अपना चन्दा ''चन्दा मैम्बरी'' कहलाता है जो आय पर एक प्रतिशत के हिसाब से देना होता है। जिनकी कोई नियमित आय न हो वे अपनी ताक़त के हिसाब से चन्दा दे सकती हैं जबकि नासिरात कम से कम एक रुपया मासिक चन्दा देती हैं।

मज्लिस अन्सारुल्लाह

यह प्रौढ़ अहमदी व्यक्तियों की संस्था है। 40 वर्ष से अधिक सभी पुरुष इस संगठन के सदस्य हैं।

हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो ने इसकी नींव रखी। इस संगठन के सदस्य अन्सार कहलाते हैं। इस संगठन को दो भागों में बाँटा गया है। 40 वर्ष से 52 वर्ष तक के अन्सार दूसरी श्रेणी के कहलाते हैं और 52 वर्ष से ऊपर के अन्सार प्रथम श्रेणी में शामिल हैं।

इसमें भी चन्दा व्यवस्था प्रचलित है और हर नासिर सौ रुपए पर एक रुपया चन्दा देता है।

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया (युवा संगठन)

यह अहमदी नौजवानों का आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1938 ई. के शुरू में की गई। इस संगठन में पन्द्रह से चालीस वर्ष तक की आयु के हर अहमदी का सम्मिलित होना आवश्यक है। इस संगठन का हर सदस्य 'ख़ादिम' कहलाता है। इस व्यवस्था का मोटो यह है - ''क़ौमों का सुधार नौजवानों के सुधार के बग़ैर नहीं हो सकता।''

मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया (बाल संगठन)

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया के निगरानी में सात वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों की एक अलग व्यवस्था अत्फ़ालुल अहमदिया के नाम से

स्थापित है। जिसका हर सदस्य 'तिफ़्ल' कहलाता है। हर नवयुवक की मानसिक योग्यताओं को उजागर करने के लिए कई एक विभाग हैं, जिनमें शिक्षा, प्रशिक्षण, संशोधन व उपदेश, समाज सेवा व श्रमदान कार्य आदि शामिल हैं।

हर ख़ादिम जो धन अर्जित करता है सौ रुपये पर एक रुपया चन्दा देता है जबकि विद्यार्थियों से एक रुपया मासिक मज्लिस का चन्दा वसूल किया जाता है।

अत्फ़ालुल अहमदिया संगठन अपना चंदा अलग जमा करता है जिसकी दर एक रुपया मासिक है।

मस्जिद के आदाब (नियम)

मस्जिदें अल्लाह तआला की उपासना करने और उस की तारीफ़ करने के स्थान हैं। मस्जिद ख़ुदा तआला के प्रकाश और बरकतों का प्रकटन स्थल है। यह मोमिनों को एक केन्द्र पर एकत्रित करने का भी साधन हैं इसीलिए इनका सम्मान और सत्कार करना चाहिए और इनकी पवित्रता और प्रतिष्ठा के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ नियम निम्नलिखित हैं :-

1. मस्जिद में साफ कपड़े पहन कर जाना चाहिए। ख़ुशबू लगा कर जाना अच्छी बात है।

2. मस्जिद को साफ सुथरा रखना चाहिए। पंक्तियां पवित्र और साफ हों। खुशबू जलाना भी उत्तम है।

3. मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ खाकर नहीं जाना चाहिए जिससे बदबू आती हो जैसे - प्याज़, मूली, लहसन आदि। (मुस्लिम किताबुस्सलात)

4. मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त सांसारिक कार्यों से बचना चाहिए। (अबू दाऊद, किताबुस्सलात)

5. मस्जिद में दाखिल होते हुए और बाहर निकलते हुए दुआ पढ़नी चाहिए जो यह है :-

''अल्लाहुम्मग़्फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाबा रहमतिका''

और बाहर निकलते समय रहमतिका के स्थान पर ''फ़ज़्लिका'' कहना चाहिए।

6. मस्जिद में दाख़िल होते समय पहले दाँया पाँव अन्दर रखे और बाहर निकलते समय पहले बाँया पाँव बाहर निकाले।

7. मस्जिद ख़ुदा की इबादत के लिए बनाई जाती है, उनमें अल्लाह का नाम लेने और उसकी उपासना करने से किसी को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अल्लाह तआला के समीप ऐसा करने वाला बहुत बड़ा अत्याचारी है। (सूरत अल बक़र:, आयत 115)

8. मस्जिद में अगर निकाह के अवसर पर मिठाई बाँटी जाए तो उस पर झपटना नहीं चाहिए। बड़ी संजदीगी और श्ष्टिता का प्रदर्शन करते हुए मस्जिद के नियमों को दृष्टिगत रखना चाहिए।

सभाओं के आदाब (नियम)

आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सभा के नियम जो वर्णन किए हैं वे इतने पूर्ण और श्रेष्ठ हैं कि जिनका अनुसरण करने से सभाएं स्वर्ग के बाग़ों का नमूना बन सकती हैं। सूरत अल-मुजादल: के दूसरे रुकू में विस्तार से ये नियम लिखे गए हैं :-

1. सभा में खुल कर बैठना चाहिए मगर जब सिमट जाने को कहा जाए तो सिमट जाना चाहिए।

2. जब किसी सभा से उठ कर चले जाने को कहा जाए तो चला जाए क्योंकि असल बात तो आज्ञा का पालन करना है। इस्लाम का अर्थ भी आज्ञा का पालन करना ही है।

3. मज्लिस (सभा) में आते और जाते समय अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातोहू कहना चाहिए। सभा से जाने के लिए सभापति से आज्ञा लेनी चाहिए।

4. सभा में किसी व्यक्ति को उठा कर उसके स्थान पर बैठना अच्छी बात नहीं। जहाँ स्थान मिले बैठ जाए।

5. सभा में किसी व्यक्ति से काना-फूसी नहीं करनी चाहिए यह

शैतानी काम है।

6. सभा में ग़ीबत (पीठ पीछे बुराई) व चुग़ली न की जाए। किसी भाई के अवगुण नहीं बताने चाहिए।

7. सभा में तस्बीह व तहमीद (अल्लाह का गुणगान) के साथ-साथ अधिकतर इस्तिग़फ़ार (क्षमायाचना) और दुरूद पढ़ना चाहिए।

8. सभा में अगर कोई चीज़ बाँटी जाए तो हमेशा दाएँ हाथ से लें।

9. सभा में अनैतिक बातें करना और हूटिंग करना ठीक नहीं।

10. सभा में अंगड़ाई लेना, डकार लेना, बदबू छोड़ना अच्छी बात नहीं।

11. अगर सभा में इस्लाम के विरुद्ध बातें हो रही हों तो इस्लाम के सम्मान का प्रदर्शन करते हुए उठ कर चले जाना चाहिए।

12. सभा में बैठे लोगों के कन्धे फलांग कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

वार्तालाप के आदाब (नियम)

कथन मशहूर है, ''पहले तोलो फिर बोलो'' क्योंकि ज़ुबान वह यन्त्र है जो मनुष्य के मन की हालत और उसके विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। यह वह अंग है जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग और नर्क का रास्ता तैयार करता है। यह वह चाबी है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति का द्वार खोलता है। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं हर सुबह मनुष्य के सभी अंग ज़ुबान को चेतावनी देते हैं कि देख हमारे बारे में अल्लाह तआला से डर। हम तो तुम्हारे साथ हैं तू सीधी रही तो हम भी सीधे हैं और अगर तू टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हैं।

साधारण जीवन में ख़ास तौर पर दा'वत इलल्लाह (अल्लाह की ओर आह्वान) के लिए वार्तालाप के नियम का जानना ज़रूरी है। यह न हो कि वह दा'वत इलल्लाह भी कर रहा हो और कभी-कभी साथ ही उसका दिल भी तोड़ रहा हो और कहते हैं कि ज़ुबान से लगा हुआ ज़ख़्म कम ही भरता है। वार्तालाप के कुछ नियम निम्नलिखित हैं :-

*- सच्ची और साफ बात करें बात में पेच न हो।

※- सबको समझ में आने वाली बात करें। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की बातचीत सर्वबोध्य और स्पष्ट होती थी और बात को तीन बार दोहराया करते थे।

※- वार्तालाप पवित्र हो। हदीस में आता है कि पवित्र बात भी दान है और आग से बचाव का एक साधन है।

※- वार्तालाप में अतिशयोक्ति से काम न लें, अशिष्ट और अश्लील बातें न करें।

※- वार्तालाप में ग़ीबत (पीठ पीछे बुराई करना) जैसी घिनौनी बुराई से बचा जाए।

※- क्रोध और जोश में आकर जल्दी-जल्दी बात नहीं करनी चाहिए सहनशीलता से वार्तालाप करें, अनुचित क्रोध में कही हुई बात अपना प्रभाव खो बैठती है।

※- सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना ठीक नहीं।

※- अफवाहें फैलाने से समाज की सुरक्षा और अमन को हानि पहुँचती है।

※- झूठी गवाही देना और बात-बात पर सौगन्ध खाना ठीक नहीं।

※- वार्तालाप के बीच इस्लामी आचरण को अपनाना चाहिए जैसे जज़ाकुमुल्लाह, इन्शाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दोलिल्लाह आदि।

※- बात भली हो तो कह दें अन्यथा चुप रहे। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिस को अल्लाह तआला ने जबड़ों और टाँगों के मध्य के दुष्कृत्य से बचाया वह स्वर्ग में दाख़िल हो गया।

दो उज़्व (अंग) अपने जो कोई डर कर बचाएगा,
सीधा ख़ुदा के फ़ज़्ल से जन्नत में जाएगा।
वह इक जीभ है उज़्व निहानी (गुप्त अंग) है दूसरा,
यह है हदीस सय्यिदिना सय्यिदुलवरा।

माता पिता का आज्ञापालन और उसके नियम

माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अल्लाह तआला ने बार-बार हुक्म दिया है। आँहज़रत(स) की हदीसों में भी अनेक स्थानों पर

माता-पिता के अधिकार और उनके आदर के नियम मिलते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

''व वस्सैनल् इन्साना बिवालिदैहि इहसानन्''

कि हमने मनुष्य को अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

कि जन्नत माँ के क़दमों के नीचे है।

हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने केवल दो व्यक्तियों को अपने बाद सलाम भेजा है जिन में से एक इमाम महदी और दूसरे हज़रत उवैस क़र्नी रहमतुल्लाह अलैहि थे। हज़रत उवैस को सलाम भेजने का बड़ा कारण यह था कि हज़रत उवैस केवल बूढ़ी माता की सेवा करने के लिए यमन को छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित न हो सके। हुज़ूर फ़रमाया करते थे कि मुझे यमन की ओर से सुगन्ध आती है।

लेन-देन के आदाब (नियम)

अल क़ुरआन :-

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○(بنی اسرائیل:36)

(बनी इस्राईल : 36)

और जब तुम किसी को माप कर देने लगो तो माप पूरा दिया करो और (जब तौल कर दो तो भी) सीधे तराज़ू से तौल कर दिया करो। यह बात सर्वश्रेष्ठ तथा परिणाम की दृष्टि से बहुत अच्छी है।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ○ وَاِذَا
كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ○ ۔ (المطففين: 2تا4)

(अल मुतफ़्फ़िफ़ीन 2-4)

सौदा में तौल कम कर के देने वालों के लिए अज़ाब (ही अज़ाब) है। जो तौल कर लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं और जब दूसरों को तौल कर देते हैं तो फिर तौल में कमी कर देते हैं।

अल हदीस :- हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहो अन्हो से वर्णन किया गया है कि रसूले ख़ुदा ने फ़रमाया :-

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

कि सच्चे ईमानदार ताजिर (व्यापारी) को नबियों, सिद्दीक़ों (सच्चों) और शहीदों की संगत नसीब होगी। (तिरमिज़ी जिल्द अव्वल किताबुलबुयूअ पृ. 145 फारूक़ी कुतुबख़ाना मुलतान)

हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नाप तौल करने वालों को फ़रमाया :-

اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ

तुम्हारे हवाले जो यह दो मामले हुए हैं इनके कारण पहली जातियों का नाश हुआ है।

(तिरमिज़ी जिल्द अव्वल किताबुल बुयूअ पृ, 146 अलफ़ज़्ल मारकीट उर्दू बाज़ार लाहौर)

इसी तरह माप तौल में कमी करके बेईमानी करने वालों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''जो व्यक्ति दुनिया के लालच में फंसा हुआ है और आख़िरत (परलोक) की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता वह मेरी जमाअत में से नहीं है, जो व्यक्ति हर एक ख़राबी और बुरे काम अर्थात शराब से और जुआ खेलने से, बुरी नज़र से, और बेईमानी से और रिश्वत से और हर एक अनुचित व्यवहार से तौबा नहीं करता वह मेरी जमाअत में से नहीं है।'' (किश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 19 पृ.18-19)

''तुम में से हर एक अच्छी तरह याद रखे कि कर्ज़ों के अदा करने में सुस्ती नहीं करना चाहिए और हर प्रकार की ख़यानत और बेईमानी से दूर भागना चाहिए।'' (मल्फ़ूज़ात जिल्द 8, पृ. 313)

हलाल कमाई (वैध कमाई)

हर मनुष्य में ख़ुदा तआला ने कुछ क्षमता रखी है जिसको व्यवहार में लाकर अपने जीवन में प्रगति के साधन प्राप्त कर सकता है तथा सफलताओं की ओर आगे बढ़ सकता है परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ लोग अल्लाह की प्रदान की हुई क्षमता एवं शक्ति को काम में न लाते हुए अपने लिए सदैव विफलता पैदा कर लेते हैं और फिर आजीवन चिन्तित रहते हुए निराशा का शिकार रहते हैं।

एक कहावत है कि एक बेकार मनुष्य का मस्तिष्क शैतान की दूकान होता है। इस कारण अगर कठोर परिश्रम, साहस एवं-अभिलाषा जैसे गुण का मालिक हो वह समाज में अत्यन्त स्वस्थ व्यक्ति बन सकता है और समाज को स्वस्थ रखने का ज़ामिन बन जाता है।

समाज में नबियों (अवतारों) का व्यक्तित्व एक नमूना होता है एवं नबियों ने अपने हाथ से कार्य करके संसार के लोगों को बताया कि हाथ से कार्य करना बड़प्पन का काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

''प्रत्येक नबी (अवतार) ने नबी होने से पहले बकरियाँ चराई हैं। सहाबा रज़ियल्लाहो अन्हो ने पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी ? आपने फ़रमाया, हाँ! कुछ क़िरात (सिक्के) लेकर मैं भी मक्का वालों की बकरियाँ चराया करता था।

(बुख़ारी किताबुल उजारात किताब रईउल ग़नम अला क़रारीत)

हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. ने अपने कुछ ख़िताबों में अनेक बार अपने हाथ से काम करने पर ज़ोर दिया है और इस प्रकार निकम्मे रहने को नापसंद किया है। आप फ़रमाते हैं :-

''निकम्मेपन की आदत उत्पन्न हो जाये या झूठ की आदत का चस्का लग जाये तो अवश्य ही आज नहीं तो कल वह क़ौम बर्बाद हो जाएगी।

(मशअले राह, पृ. 13, ख़ुत्बा जुमा 1 अप्रैल 1938 ई.)

और फ़रमाया :-

''निकम्मे बैठने वाले संसार में गुलामी के किटाणु फैलाते हैं''

''प्रत्येक व्यक्ति यह शपथ ले कि वह माँग कर नहीं खाएगा।''

(मशअले राह, पृ. 144, ख़ुत्बः जुमा 24 फरवरी 1939
अज़ हज़रत मुस्लिह मौऊद)

तहरीके जदीद की माँगों में से एक माँग अपने हाथ से कार्य करना है।

उच्च चरित्र (सदाचरण)

सत्य :- सदाचरण में सबसे पहली वस्तु सत्य से प्रेम और असत्य से घृणा है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बार-बार सत्य बोलने और झूठ से बचने पर ज़ोर दिया तथा स्वयं अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिखाया कि मैं सत्य से प्रेम करता हूँ तथा इसी कारण आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ''अस्सद्दूक़'' (सदा सत्य बोलने वाले) कहलाए।

हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या मैं तुम्हें बड़े-बड़े पापों के विषय में न बताऊँ। सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह! इन बड़े पापों में सबसे अधिक ज़ोर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने झूठ से बचने पर दिया है। फ़रमाया :-

اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهٗ سَكَتَ

(बुख़ारी किताबुलअदब)

''सावधान! झूठ बात कहने से बचो और झूठी गवाही देने से भी। फिर इसको दोहराते गए यहाँ तक कि हमने (दिल में) कहा कि काश! आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अधिक न कहें।

इसी प्रकार एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सत्य को अवश्य पकड़ो क्योंकि सत्य अच्छाई की ओर ले जाता है एवं अच्छाई स्वर्ग की ओर ले जाती है तथा मनुष्य सत्य

बोलता है एवं सत्य की ही खोज में रहता है यहाँ तक कि ख़ुदा के निकट सिद्दीक़ (सत्यवादी) लिखा जाता है और तुम झूठ (असत्य) से बचो। वास्तविकता यह है कि झूठ बुराई की ओर ले जाता है और बुराई नर्क की ओर ले जाती है। मनुष्य झूठ बोलता रहता है और झूठ की खोज में रहता है यहाँ तक कि ख़ुदा के यहाँ कज़्ज़ाब (बहुत बड़ा) लिखा जाता है।

(मुस्लिम किताबुल बिर्र व सिलाह बाब क़बहुल किज़्ब व हुसनुस्सिद्क़ व फ़ज़लिह)

आज्ञापालन

क़ौमी और जमाअती उन्नति के कारणों में से एक कारण अहमदी के भीतर आज्ञा पालन के जोश का पाया जाना है जब तक आज्ञा पालन की प्रेरणा लोगों के भीतर पूरी तरह न पाई जाए उस समय तक जमाअती कार्य कभी प्रगति नहीं कर सकते। आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

''जिसने मेरा आज्ञापालन किया उसने अल्लाह का आज्ञापालन किया एवं जिसने मेरी अवज्ञा की उसने अल्लाह की अवज्ञा की, जो व्यक्ति मेरे द्वारा नियुक्त अमीर (पदाधिकारी) का आज्ञापालन करता है, मेरा आज्ञापालन करता है, जो मेरे अमीर की अवज्ञा करता है वह मेरी अवज्ञा करता है।'' (मुस्लिम किताबुल इमारह)

फिर एक और हदीस में आता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

''सुनो और आज्ञापालन को अपना आचरण बना लो चाहे एक हब्शी गुलाम, जिसका सिर मुनक़्क़े की तरह हो, को ही क्यों न तुम्हारा अमीर (मुखिया) चुना जाए अर्थात जो भी अमीर (मुखिया) हो उसका आज्ञापालन करो।'' (बुख़ारी किताबुल अहकाम, बाबुल समअ वत्ताअत)

सच्चा आज्ञापालन यही है कि سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (इधर आवाज़ आई और उधर सांचे में ढलने के लिए कमर कस ली) को जीवन का लक्ष्य

बनाया जाये। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

''आज्ञापालन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसे सच्चे दिल से अपनाया जाए तो हृदय में एक ज्योति और आत्मा का एक आनंद और प्रकाश आता है। कठोर परिश्रम की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आज्ञा पालन की आवश्यकता है परन्तु, हाँ, यह शर्त है कि सच्चा आज्ञा पालन हो तथा यही एक कठिन कार्य है। आज्ञा पालन में अपनी इच्छा की बलि देना आवश्यक होता है इसके बिना आज्ञा पालन हो नहीं सकता तथा अपनी इच्छा ही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े-बड़े अल्लाह के भक्तों के हृदय में भी बुत बन सकती है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो जलाली व जमाली रंगों को लिए हुए थे, उनमें एक आकर्षण और ताक़त थी जो अपने आप ही दिलों को खींच लेती थी और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जमाअत ने रसूल (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की आज्ञापालन का वह नमूना दिखाया और उनकी दृढ़ता ऐसी चमत्कारी साबित हुई कि जो कोई उनको देखता वह अनायास उनकी ओर चला आता था।'' (अलहकम, न. 5, 1901 ई.)

वुसअते हौसला (विशाल सहनशीलता) और नर्म ज़ुबान

नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने थोड़े ही समय में तौहीद (एकेश्वरवाद) के संदेश को जिस प्रकार संसार के कोने-कोने में पहुँचाया और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम लोगों के दिलों पर हुकूमत करने लगे उसको क़ुरआन मजीद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि अगर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तीव्र स्वभाव और कठोर दिल होते तो यह लोग तुम्हारे आस-पास से भाग जाते। धैर्य और प्यार से बात करना हज़रत अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नितनियम रहा और अपने सहाबा को भी इसका उपदेश देते रहे। एक बार एक यहूदी आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से अपने क़र्ज़ की वापसी की मांग करने आया और कठोरता

से पेश आया। जिस पर हज़रत उमर रज़ि. ने उसको डाँटा तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :-

''उमर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसको नम्रता से समझाओ।''

(सही बुख़ारी उर्दू, जिल्द अव्वल, किताबुल वकालत, हदीस नं. 2128)

आज इसी शिक्षा को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जीवित किया और फ़रमाया :-

''गालियाँ सुन के दुआ दो पा के दु:ख आराम दो,
क़िब्र की आदत जो देखो तुम दिखाओ इन्किसार।

इसी प्रकार फ़रमाया :-

तीर तासीरे मुहब्बत का ख़ता जाता नहीं,
तीर अन्दाज़ो न होना सुस्त इसमें ज़ीनिहार।
देख लो मेलो मुहब्बत में अजब तासीर है,
एक दिल करता है झुक कर दूसरे दिल को शिकार।

अवगुण

ग़ीबत (चुग़ली) :- क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने ग़ीबत (चुग़ली) के विषय में सूर: अल हुजुरात में वर्णन किया है :-

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

(सूर: अल हुजुरात, आयत 13)

''क्या तुम में से कोई व्यक्ति अपने मुर्दा भाई का माँस खाना पसन्द करेगा (यदि यह बात तुम से सम्बद्ध की जाए तो) तुम इसे नापसन्द करोगे।

अत: अल्लाह तआला ने पीठ पीछे किसी की बुराई करने को इतना नापसन्द फ़रमाया है कि जैसे अपने भाई का माँस खाने के समानार्थक है।

हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने सफर मै'राज (दिव्य यात्रा) का वर्णन करते हुए एक घटना यह भी सुनाई कि ''मैं मै'राज के दौरान एक ऐसी क़ौम (लोगों) के पास से गुज़रा जिनके नाख़ून ताँबे के थे और वे उनसे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे।

मैंने पूछा हे जिबराईल, ये कौन हैं तो उन्होंने बताया कि ये लोगों का माँस नोच-नोच कर खाया करते थे और उनकी प्रतिष्ठा और आबरू से खेलते थे अर्थात उनकी ग़ीबत (चुग़ली) करते थे और उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे।'' (अबू दाऊद किताबुल अदब, बाब फ़िल ग़ीबत)

द्वेष और ईर्ष्या :- क़ौमी उन्नति के लिए आपसी प्रेम अवश्यक है और इसका अभाव क़ौम के पतन का कारण है। हदीस में आया है कि हुज़ूर (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया :-

''आपस में द्वेष और ईर्ष्या न करो और एक दूसरे को पीठ न दिखाओ, अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बन जाओ, किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं कि अपने भाई से तीन दिन से अधिक संबंध तोड़े रखे।''

(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल हसद)

इसी तरह एक और हदीस में है कि :-

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(अबू दाऊद किताब उल-अदब बाब फिल हसद)

''ईर्ष्या से बचो क्योंकि ईर्ष्या नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग ईंधन को। अत: हमें प्यारे आक़ा का यह वाक्य याद रखना चाहिए कि अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बन जाओ और मोमिनों के बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि ''अल् मो'मिनो लैसा बिअक़ूदिन'' अर्थात - मोमिन तो किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता।

अहंकार :- अल्लाह तआला ने मोमिनों को जिन विशेष गुणों से परिपूर्ण बताया है उनमें से महत्वपूर्ण नम्रता और विनीतता है जो कि अहंकार के विपरीत है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

''**इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यम्शूना अलल् अर्ज़े हौना**'' (अलफ़ुर्क़ान : 64)

अर्थ - ''रहमान ख़ुदा के सच्चे बन्दे वे होते हैं जो धरती पर आराम से चलते हैं।''

इसी तरह हज़रत अबदुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से रिवायत है कि

हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अहंकार करने वाला स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं होता। अहंकार यह है कि मनुष्य सत्य का इन्कार करे। लोगों को ज़लील (नीच) समझे और उनसे बुरी तरह पेश आऐ।

(मुस्लिम किताबुल ईमान तहरीमुल किव ब्यानुहू)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

बदतर बनो हर एक से अपने ख़याल में,
शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में।
ऐ करम खाक छोड़ दे किब्र व गुरूर को,
ज़ेबा है? क़िब्र हज़रत रब्बे गय्यूर को।।

***

*

सातवाँ अध्याय

सातवाँ अध्याय

कुछ विशेष कविताएँ

(हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा)

शान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

वह पेशवा हमारा जिस से है नूर सारा
नाम उसका है मुहम्मद(स०) दिलबर मेरा यही है
सब पाक हैं पयम्बर इक दूसरे से बेहतर
लेक-अज़ ख़ुदाए बरतर ख़ैरुल-वरा यही है
वह यारे लामकानी वह दिलबरे निहानी
देखा है हम ने उससे बस रहनुमा यही है
वह आज शाहे दीं है वह ताजे मुरसलीं है
वह तय्यबो अमीं है उस की सना यही है
उस नूर पर फिदा हूँ उस का ही मैं हुआ हूँ
वह है मैं चीज़ क्या हूँ बस फ़ैसला यही है
वह दिलबरे यगाना इल्मों का है ख़ज़ाना
बाक़ी है सब फ़साना सच बेख़ता यही है
दिल में यही है हरदम तेरा सहीफ़ा चूमूँ
क़ुर्आं के गिर्द घूमूँ का'बा मेरा यही है

नुसरते इलाही

ख़ुदा के पाक लोगों को ख़ुदा से नुसरत आती है
जब आती है तो फिर आलम को इक आलम दिखाती है
वह बनती है हवा और हर ख़से रह को उड़ाती है
वह हो जाती है आग और हर मुख़ालिफ़ को जलाती है

कभी वह ख़ाक हो कर दुश्मनों के सर पे पड़ती है
कभी हो कर वह पानी उन पे इक तूफ़ान लाती है
ग़र्ज़ रुकते नहीं हरगिज़ ख़ुदा के काम बन्दों से
भला ख़ालिक के आगे ख़ल्क़ की कुछ पेश जाती है

क़मर है चाँद औरों का हमारा चाँद क़ुर्आं है

जमालो हुसने क़ुर्आं नूरे जाने हर मुसलमाँ है
क़मर है चाँद औरों का हमारा चाँद क़ुर्आं है
नज़ीर उसकी नहीं जमती नज़र में फ़िक्र कर देखा
भला क्यों कर न हो यक्ता कलामे पाक रहमाँ है
बहारे जाविदाँ पैदा है उस की हर इबारत में
न वह ख़ूबी चमन में है न उस सा कोई बुस्ताँ है
ख़ुदा के क़ौल से क़ौले बशर क्योंकर बराबर हो
वहाँ क़ुदरत यहाँ दरमाँदगी फर्क़े नुमायां है
मलायक जिसकी हज़रत में करें इक़रारे लाइल्मी
सुख़न में उसके हमताई कहाँ मक़्दूर इन्साँ है
बना सकता नहीं इक पाँव कीड़े का बशर हरगिज़
तो फिर क्योंकर बनाना नूरे हक़ का उसपे आसां है
हमें कुछ कीं नहीं भाइयो नसीहत है ग़रीबाना
कोई जो पाक दिल होवे दिलो जाँ उस पे क़ुर्बां है

क़ुर्आन शरीफ़ की ख़ूबियाँ

नूरे फ़ुर्क़ां है जो सब नूरों से अज्ला निकला
पाक वह जिससे ये अन्वार का दरिया निकला
हक़ की तौहीद का मुरझा ही चला था पौदा
नागहाँ ग़ैब से ये चश्मए अस्फ़ा निकला
या इलाही! तेरा फ़ुर्क़ां है कि इक आलम है
जो ज़रूरी था वह सब इसमें मुहय्या निकला

सब जहाँ छान चुके सारी दुकानें देखीं
मए इरफ़ां का यही एक ही शीशा निकला।

शाने इस्लाम

हर तरफ़ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने
कोई दीं दीने मुहम्मद सा न पाया हमने
कोई मज़्हब नहीं ऐसा कि निशाँ दिखलाए
ये समर बाग़े मुहम्मद से ही खाया हमने
हमने इस्लाम को ख़ुद तजुरबा करके देखा
नूर है नूर उठो देखो सुनाया हम ने
और दीनों को जो देखा तो कहीं नूर न था
कोई दिखलाए अगर हक़ को छुपाया हमने
आओ लोगो कि यहीं नूरे ख़ुदा पाओगे
लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने
आज इन नूरों का इक ज़ोर है इस आजिज़ में
दिल को इन नूरों का हर रंग दिलाया हमने
जबसे ये नूर मिला नूरे पयम्बर से हमें
ज़ात से हक़ की वुजूद अपना मिलाया हमने
मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत
उससे ये नूर लिया बारे ख़ुदाया हमने
रब्त है जाने मुहम्मद से मेरी जाँ को मदाम
दिल को वह जाम लबालब है पिलाया हमने
हम हुए ख़ैरे उमम तुझ से ही ऐ ख़ैरे रुसूल
तेरे बढ़ने से क़दम आगे बढ़ाया हमने
आदमी-ज़ाद तो क्या चीज़ फ़रिश्ते भी तमाम
मदह में तेरी वह गाते हैं जो गाया हमने

औलाद के लिए दर्दमन्दाना दुआएं

तूने ये दिन दिखाया महमूद पढ़ के आया
दिल देख कर ये अहसां तेरी सना में गाया
सद शुक्र है ख़ुदाया सद शुक्र है ख़ुदाया
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी
ये तीन जो पिसर हैं तुझ से ही ये समर हैं
ये मेरे बारोबर हैं तेरे गुलामे दर हैं
तू सच्चे वादों वाला मुन्किर कहाँ किधर हैं
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी
कर इनको नेक क़िस्मत दे इन को दीनो दौलत
कर इन की ख़ुद हिफ़ाज़त हो इन पे तेरी रहमत
दे रुश्द और हिदायत और उमर और इज़्ज़त
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी
लख़्ते जिगर है मेरा महमूद बन्दा तेरा
दे उस को उमरो दौलत कर दूर हर अन्धेरा
दिन हों मुरादों वाले पुर नूर हो सवेरा
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी
इस के हैं दो बिरादर उन को भी रखियो ख़ुशतर
तेरा बशीर अहमद तेरा शरीफ़ असग़र
कर फ़ज़्ल सब पे यकसर रहमत से कर मुअत्तर
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी
अहले वक़ार होवें फ़ख़्रे दयार होवें
हक़ पर निसार होवें मौला के यार होवें
बा बरगो बार होवें इक से हज़ार होवें
ये रोज़ कर मुबारक सुब्हान मँय्यरानी

***

ख़ुदाया तेरे फ़ज़्लों को करूँ याद
बशारत तूने दी और फिर ये औलाद
कहा हरगिज़ नहीं होंगे ये बरबाद
बढ़ेंगे जैसे बाग़ों में हो शमशाद
ख़बर मुझ को ये तूने बारहा दी
फ़सुब्हानल्लज़ी अख़्ज़ल अआदी
बशारत दी कि इक बेटा है तेरा
जो होगा एक दिन महबूब मेरा
करूँगा दूर उस मह से अन्धेरा
दिखाऊँगा कि इक आलम को फेरा
बशारत क्या है इक दिल की ग़िज़ा दी
फ़सुब्हानल्लज़ी अख़्ज़ल अआदी

***

हमारा ख़ुदा

(हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो)

मेरी रात दिन बस यही इक दुआ है
कि इस आलमे कौन का इक ख़ुदा है
उसी ने है पैदा किया इस जहाँ को
सितारों को सूरज को और आस्माँ को
वह है एक उसका नहीं कोई हमसर
वह मालिक है सबका वह हाकिम है सब पर
हर इक शै को रोज़ी वह देता है हरदम
ख़ज़ाने कभी उसके होते नहीं कम
वह ज़िन्दा है और ज़िन्दगी बख़्शता है
वह क़ायम है हर एक का आसरा है

कोई शै नज़र से नहीं उसकी मख़्फ़ी
बड़ी से बड़ी हो कि छोटी से छोटी
दिलों की छुपी बात भी जानता है
बुरों और नेकों को पहचानता है
वह देता है बन्दों को अपने हिदायत
दिखाता है हाथों पे उन की करामत
है फरियाद मज़्लूम की सुनने वाला
सदाक़त का करता है वह बोल बाला
गुनाहों को बख़्शिश से है ढाँप लेता
ग़रीबों को रहमत से है थाम लेता
यही रात दिन अब तो मेरी सदा है
ये मेरा ख़ुदा है ये मेरा ख़ुदा है

***

अल्लाह मियाँ का ख़त

(हज़रत डाक्टर मीर मुहम्मद इस्माईल साहब)

क़ुर्आन सबसे अच्छा क़ुर्आन सबसे प्यारा
क़ुर्आन दिल की क़ुव्वत क़ुर्आन है सहारा
अल्लाह मियाँ का ख़त है जो मेरे नाम आया
उस्तानी जी पढ़ाओ जल्दी मुझे सिपारा
पहले तो नाज़िरे से आँखें करूँगी रौशन
फिर तर्जुमा सिखाना जब पढ़ चुकूँ मैं सारा
मतलब ना आए जब तक
क्योंकर अमल है मुमकिन
बे तर्जुमे के हरगिज़ अपना नहीं गुज़ारा
या रब तू रहम करके हमको सिखादे क़ुर्आन
हर दु:ख की ये दवा हो हर दर्द का हो चारा

दिल में हो मेरे ईमाँ सीने में नूरे फ़ुर्क़ाँ
बन जाऊँ फिर तो सचमुच मैं आस्मां का तारा

***

अहमदी बच्ची का दुआ

(हज़रत डाक्टर मीर मुहम्मद इस्माईल साहब)

(नोट :- यह बहुत अच्छी और प्यारी कविता हज़रत डा. साहब ने अपनी साहिबज़ादी हज़रत सय्यदा उम्मे मतीन मरयम सिद्दीक़ा साहिबा पत्नी हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहो अन्हो व सदर लज्ना इमाउल्लाह मरकज़िया) के लिए उन के बचपन के ज़माने में लिखी थी।)

इलाही मुझे सीधा रस्ता दिखा दे
मेरी ज़िन्दगी पाको तय्यब बना दे
मुझे दीनो दुनिया की ख़ूबी अता कर
हर इक दर्द और दुःख से मुझ को शिफ़ा दे
ज़ुबाँ पर मेरी झूठ आए न हरगिज़
कुछ ऐसा सबक रास्ती का पढ़ा दे
गुनाहों से नफ़रत बदी से अदावत
हमेशा रहें दिल में अच्छे इरादे
हर इक की करूँ ख़िदमत और ख़ैरख़्वाही
जो देखे वह ख़ुश होके मुझ को दुआ दे
बड़ों का अदब और छोटों पे शफ़्क़त
सरासर मुहब्बत की पुतली बना दे
बनूँ नेक और दूसरों को बनाऊँ
मुझे दीन का इल्म इतना सिखादे
ख़ुशी तेरी हो जाए मक़्सूद अपना
कुछ ऐसी लगन दिल में अपनी लगा दे
ग़िना दे सख़ा दे हया दे वफ़ा दे

हुदा दे तक़ा दे लिक़ा दे रज़ा दे
मेरा नाम अब्बा ने रखा है मरयम
ख़ुदाया तू सिद्दीक़ा मुझ को बना दे

***

आठवाँ अध्याय

आठवाँ अध्याय

याद रखने की बातें

प्रश्न- अल्लाह तआला का ज़ाती (व्यक्तिगत) नाम क्या है ? और इसके क्या अर्थ हैं?

उत्तर- अल्लाह तआला का ज़ाती (व्यक्तिगत) नाम ''अल्लाह'' है। यानी वह ज़ात जो ख़ूबियों (गुणों) की जामे और समस्त दोषों से पाक है।

प्रश्न- अरकान-ए-ईमान कितने हैं उनके नाम बताइये ?

उत्तर- अरकान-ए-ईमान छ: हैं :-

1. अल्लाह पर ईमान लाना। 2. उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना। 3. उसकी किताबों पर ईमान लाना। 4. उसके रसूलों पर ईमान लाना। 5. यौमे आख़िरत पर ईमान लाना। 6. तक़दीरे ख़ैर-व-शर (अच्छाई व बुराई) पर ईमान लाना।

प्रश्न- क़ुरआन करीम की कितनी सूरतें, रुकूअ, आयात और अल्फ़ाज़ (शब्द) हैं ?

उत्तर- क़ुरआन करीम में 114 (एक सौ चौदह) सूरतें हैं। 540 (पाँच सौ चालीस) रुकूअ हैं। 6666 (छ: हज़ार छ: सौ छियासठ) आयात हैं। 77934 (सतत्तर हज़ार नौ सौ चौंतीस) शब्द हैं।

प्रश्न- क़ुरआन करीम की किस सूर: से पहले बिमिस्ल्लाह नहीं आती ?

उत्तर- सूर: ''तौबा''। क्योंकि यह सूर: ''अन्फ़ाल'' का ही हिस्सा है।

प्रश्न- क़ुरआन करीम में किस सहाबी(र) का नाम आया है ?

उत्तर- हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहो अन्हो का।

प्रश्न- क़ुरआन करीम कितने अर्से (समय) में नाज़िल हुआ ?

उत्तर- लगभग तेईस (23) साल में।

प्रश्न- क़ुरआन करीम के किसी गुज़िश्ता मुफ़स्सिर (व्याख्याकार) का नाम।

उत्तर- अल्लामा फ़ख़रुद्दीन राज़ी(रहि०)।

प्रश्न- रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम कब और कहाँ पैदा हुए?

उत्तर- 24 अप्रैल, 570 ई., मक्का मुकर्रमा में।

प्रश्न- आँज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का ''लक़ब'' और कुनियत क्या थी ?

उत्तर- आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का लक़ब ''सिद्दीक़ व अमीन'' और कुन्नियत ''अबुल क़ासिम'' थी।

प्रश्न- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पहली शादी किस उम्र में और किस से हुई ?

उत्तर- पच्चीस साल की उम्र में हज़रत ख़दीजा(रज़ि०) से हुई।

प्रश्न- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पाँच अज़वाजे मुतह्हरात (पाक बीवियों) के नाम लिखें ?

उत्तर- हज़रत ख़दीजतुल कुबरा(रज़ि०), हज़रत सौदा(रज़ि०) बिन्त ज़मअः, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा(रज़ि०), हज़रत हफ़्सा(रज़ि०), हज़रत मैमूना(रज़ि०)।

प्रश्न- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की साहिबज़ादियों (पुत्रियों) के नाम लिखें ?

उत्तर- हज़रत ज़ैनब(रज़ि०), हज़रत रुक़ैया(रज़ि०), हज़रत उम्मे कुलसूम(रज़ि०), हज़रत फ़ातिमा(रज़ि०)।

प्रश्न- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साहिबज़ादों (पुत्रों) के नाम लिखें ?

उत्तर- हज़रत क़ासिम, हज़रत ताहिर, हज़रत तय्यब, हज़रत इब्राहीम।

प्रश्न- आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की कोई काव्य पंक्ति लिखें ?

उत्तर- अनन्नबिय्यो ला कज़िब अनब्नो अब्दिल मुत्तलिब।

प्रश्न- आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का निधन कब हुआ ? किस उम्र में हुआ ? और आप का रौज़ा मुबारक कहाँ है ?

उत्तर- आप का निधन 26 मई 632 ई. को 63 साल की उम्र में

मदीना मुनव्वरा में हुआ और वहीं आपका रौज़ा-ए-मुबारक है।

प्रश्न- शैख़ेन से कौन मुराद हैं ?

उत्तर- हज़रत अबू बकर सिद्दीक़(रज़ि०) और हज़रत उमर फ़ारूक़(र)।

प्रश्न- हज़रत अबू बकर(रज़ि०) का नाम गिरामी ?

उत्तर- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़हाफ़ा।

प्रश्न- जुन्नूरैन से कौन मुराद हैं ? और क्यों ?

उत्तर- जुन्नूरैन से मुराद हज़रत उस्मान ग़नी(रज़ि०) हैं। यानी दो नूरों वाला, इस वज़ह से कि आपके निकाह में एक के बाद दूसरी आँहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की दो साहिबज़ादियाँ आयीं।

प्रश्न- दरबारे नबवी के मशहूर शायर का नाम ?

उत्तर- हज़रत हस्सान बिन साबित(रज़ि०)।

प्रश्न- ताबिईन से कौन मुराद हैं ? दो मशहूर ताबिईन के नाम ?

उत्तर- वे लोग जो सहाबा(रज़ि०) की सुहबत से फ़ैज़याब (लाभान्वित) हुए। हज़रत हसन बसरी(रह) और हज़रत उवैस क़रनी(रह)।

प्रश्न- किसी मशहूर मुसलमान शायर का नाम ?

उत्तर- हज़रत खन्सा(र)।

प्रश्न- फ़िक़ा के चार इमामों के नाम ?

उत्तर- हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा(रह), हज़रत इमाम शाफ़ई(रह), हज़रत इमाम मालिक(रह), हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल(रह)।

प्रश्न- ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माना-ए-ख़िलाफ़त का समय बताएं?

उत्तर- 1. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़(रज़ि०), सन 11 हिज्री से 13 हिज्री तक। 2. हज़रत उमर फ़ारूक़(रज़ि०), सन 13 हिज्री से 23 हिज्री तक। 3. हज़रत उस्मान ग़नी(रज़ि०), सन 23 हिज्री से 35 हिज्री तक। 4. हज़रत अली(रज़ि०) सन् 35 हिज्री से 40 हिज्री तक।

प्रश्न- फ़ातिह (विजयी) मिस्र, ईरान, स्पेन और सिंध के नाम लिखें ?

उत्तर- फ़ातिह मिस्र उमर बिन आस(र), फ़ातिह ईरान सअद बिन अबी वक़्क़ास, फ़ातिह स्पेन तारिक़ बिन ज़ियाद, और फ़ातिह सिंध मुहम्मद बिन क़ासिम।

प्रश्न- आँज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की भविष्यवाणी के अनुसार मसीह मौऊद कौन हैं ? कब और कहाँ पैदा हुए?

उत्तर- हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम। 14 शव्वाल 1250 हिज्री (13 फ़रवरी, 1835 ई.) जुमा के दिन क़ादियान में पैदा हुए।

प्रश्न- कब और किस इल्हाम की बुनियाद पर आप(र) ने मामूरियत (अल्लाह की ओर से नियुक्ति) का दावा फ़रमाया ?

उत्तर- मार्च 1882 ई. को इल्हाम हुआ - ''कुल इन्नी उमिरतो व अना अव्वलुल मोमिनीन।''

प्रश्न- आपने पहली बैअत कब और कहाँ ली ? पहली बैअत करने वाले कौन थे ?

उत्तर- 23 मार्च 1889 ई. को लुधियाना में, हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहिब के मकान पर बैअत ली गयी। हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन(रज़ि॰) ने सब से पहले बैअत की।

प्रश्न- हज़रत मसीह मौऊद की कुल कितनी पुस्तकें (रचनाएँ) हैं ? पहली और आख़िरी पुस्तक का नाम सन सहित लिखें ?

उत्तर- कुल पचासी (85) पुस्तक हैं। पहली ''बराहीन अहमदिया'' हिस्सा प्रथम व द्वितीय सन् 1880 ई. में प्रकाशित हुईं और आख़िरी पुस्तक ''पैग़ामे सुलह'' सन 1908 ई. में प्रकाशित हुई।

प्रश्न- जमाअत अहमदिया का नाम ''जमाअत अहमदिया'' कब रखा गया?

उत्तर- मार्च 1901 ई. में, जनगणना के समय।

प्रश्न- जमाअत अहमदिया का पहला जलसा कब हुआ और इसमें कितने लोग शामिल हुए ?

उत्तर- 1891 ई. में 75 लोग शामिल हुए।

प्रश्न- हज़रत मसीह मौऊद का यौमे विसाल (मृत्यु दिवस) क्या है ?

उत्तर- 26 मई सन् 1908 ई. को हुज़ूर ने लाहौर में वफ़ात पाई, और 27 मई सन् 1908 ई. को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल ने

"बहिश्ती मक़बरा" क़ादियान में नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ाई, और वहीं तदफ़ीन हुई।

प्रश्न- जमाअत अहमदिया के पहले ख़लीफ़ा कौन थे ? कब पैदा हुए और कब मसनदे ख़िलाफ़त पर मुतमक्किन (विराजमान) हुए ?

उत्तर- हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन भैरवी 1256 हिज्री यानी सन 1841 ई. में पैदा हुए। 27 मई 1908 ई. को ख़लीफ़ा बने।

प्रश्न- हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब की इताअत के बारे में हज़रत मसीह मौऊद ने क्या फ़रमाया ?

उत्तर- "मेरे हर एक आदेश में मेरी इस तरह पैरवी (पालन) करते हैं जैसे नब्ज़ की हरकत तनफ़्फ़ुस (सांस) की हरकत की पैरवी करती है।"

प्रश्न- रोज़नामा अलफ़ज़्ल कब जारी हुआ, और इसके पहले एडीटर कौन थे ?

उत्तर- रोज़नामा अलफ़ज़्ल 19 जून 1913 ई. को हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब की इदारत (सम्पादन) में जारी हुआ।

प्रश्न- भारत से बाहर जमाअत अहमदिया का पहला तब्लीग़ी मरकज़ कहाँ और किस के ज़रिये क़ायम हुआ ?

उत्तर- 28 जून 1914 ई. को लंदन में हज़रत चौधरी फ़तह मुहम्मद साहिब सियाल के ज़रिया क़ायम हुआ।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल का विसाल (निधन) कब हुआ ?

उत्तर- 13 मार्च 1914 ई. को।

प्रश्न- ख़िलाफ़त सानिया (द्वितीय) का आग़ाज़ कब हुआ ?

उत्तर- 14 मार्च 1914 ई. को।

प्रश्न- विदेश में सब से पहले निर्माण होने वाली अहमदिया मस्जिद कौन सी है ?

उत्तर- मस्जिद फ़ज़्ल लंदन, सन 1924 ई. में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी ने बुनियाद रखी और सन 1926 ई. में पूर्ण हुई।

प्रश्न- पेशगोई मुस्लिह मौऊद कब की गई और उसके मिसदाक़ होने का दावा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी(र) ने कब किया ?

उत्तर- सन् 1886 ई. में पेशगोई मुस्लिह मौऊद की गई और इसके चरितार्थ होने का दावा सन 1944 ई. में किया।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी का विसाल कब हुआ ?

उत्तर- 7/8 नवम्बर सन् 1965 ई. की दरमियानी रात को जो सोमवार की रात थी।

प्रश्न- ख़लीफ़तुल मसीह सालिस (तृतीय ख़लीफ़ा) का इन्तिख़ाब कब हुआ ? और कौन ख़लीफ़ा बने ?

उत्तर- 8 नवम्बर सन् 1965 ई. को सय्यिदिना हज़रत हाफ़िज़ साहिबज़ादा मिर्ज़ा नासिर अहमद ख़लीफ़ा चुने गये और चुनाव के तुरन्त बाद पहली बैअत मस्जिद मुबारक रब्वाह (पाकिस्तान) में हुई।

प्रश्न- किस मुल्क के सरबराह सब से पहले 'अहमदी' हुए, और किस पेशगोई का मज़हर बने ?

उत्तर- मग़रिबी (पश्चिमी) अफ्रीका के मुल्क गैम्बिया के गर्वनर जनरल अलहाज सर एफ़.एम. सिंघाटे (जो सन् 1963 ई. में अहमदी हुए और सन् 1965 ई. में गर्वनर जनरल बने उन्होंने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रह) से हुसूल-ए-बरकत की ख़ातिर हज़रत मसीह मौऊद के कपड़े की दरख़्वास्त की। इस तरह ''बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढेंगे'' की पेशगोई के पहले मज़हर बने।

प्रश्न- यूरोप की वह कौन सी मस्जिद है जिसका उद्घाटन ख़लीफ़तुल मसीह सालिस ने अपने दौरे के दौरान फ़रमाया ?

उत्तर- मस्जिद नुसरतजहाँ (कोपन हैगन, डेनमार्क) का 21 जुलाई सन् 1967 ई. को उद्घाटन फ़रमाया।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस(रह) की वफ़ात कब हुई ?

उत्तर- 8/9 जून सन् 1982 ई. की दरमियानी रात।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ (चौथे ख़लीफ़ा) रहिमाहुल्लाह का चुनाव कब हुआ ? और कौन ख़लीफ़ा बने ?

उत्तर- 10 जून, 1982 ई. को पाँच बजे अपरान्ह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद ख़लीफ़ा निर्वाचित हुए।

प्रश्न- हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद कब पैदा हुए ?

उत्तर- 18, दिसम्बर 1928 ई. को।

प्रश्न- मस्जिद बशारत स्पेन का कब उद्घाटन हुआ ?

उत्तर- 10, सितम्बर 1982 ई. को।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ की पाँच तहरीकें वर्णन करें ?

उत्तर- 1. बुयूतुल हम्द तहरीक 1982 ई.।
2. दा'वत इलल्लाह 1983 ई.।
3. सय्यिदिना बिलाल फण्ड की तहरीक 1986 ई.।
4. बुराइयों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जिहाद की घोषणा 1986 ई.।
5. तहरीक वक़्फ़ नौ (पैदा होने से पूर्व बच्चों को समर्पित करें) 1987 ई.।

प्रश्न- सैटेलाइट के द्वारा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ का पहला भाषण का प्रसारण कब हुआ ?

उत्तर- 31 जुलाई 1992 ई. को।

प्रश्न- एम.टी.ए. (मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया) का प्रारंभ कब हुआ ?

उत्तर- 7, जनवरी 1994 ई. को हुआ।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ(रहि.) का स्वर्गवास कब हुआ ?

उत्तर- 19 अप्रैल 2003 ई. को ।

प्रश्न- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का निर्वाचन कब हुआ और कौन ख़लीफ़ा बना ?

उत्तर- 22 अप्रैल 2003 को नमाज़ मग़रिब व इशा के बाद साहिबज़ादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़ा निर्वाचित हुए।

प्रश्न- हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस कब पैदा हुए।

उत्तर- 15 सितम्बर 1950 ई. को।

प्रश्न- मस्जिद बैतुल फ़ुतूह लन्दन का उद्घाटन कब और किसने किया ?

उत्तर- 2003 ई. में, सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने किया।

प्रश्न- सबसे पहली अमन कान्फ्रैंस कब आयोजित हुई ?

उत्तर- 9 मई 2004 ई. को लन्दन में।

प्रश्न- ख़िलाफ़त अहमदिया की सौ साला जोबली कब मनाई गई ?

उत्तर 27 मई 2008 ई. को।

प्रश्न- MTA अफ्रीका का मुबारक आरम्भ कब हुआ ?

उत्तर- 1 अगस्त 2016 ई. को।

प्रश्न- VOICE OF ISLAM रेडियो चैनल का उद्घाटन कब हुआ ?

उत्तर 7 फ़रवरी 2016 ई. को।

***
*